भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2021-22

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 53(2) के अनुसार 31 मार्च 2022 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. स.वि.बो.क.209/02.16.001/2022-23

26 मई 2022
5 ज्येष्ठ 1944 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

(i) 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ii) 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केंद्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

शक्तिकान्त दास

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स : +91 22 2266 1784 ई-मेल : governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel : +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax : +91 22 2266 1784 E-mail : governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

शक्तिकान्त दास

उप गवर्नर

महेश कुमार जैन

माइकल देबब्रत पात्र

एम. राजेश्वर राव

टी. रबीशंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (बी) के अंतर्गत नामित निदेशक

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (सी) के अंतर्गत नामित निदेशक

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ती

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 (1) (डी) के अंतर्गत नामित निदेशक

अजय सेठ

संजय मल्होत्रा

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

राघवेंद्र नारायण दुबे

दक्षिणी क्षेत्र

(24 मई 2022 की स्थिति)

प्रमुख अधिकारी

(24 मई 2022 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशकगण ...... अनिल के. शर्मा
...... एस. सी. मुर्मू
...... ओ. पी. मल्ल
...... सौरभ सिन्हा
...... विवेक दीप
...... जयंत कुमार दाश
...... आर. सुब्रमणियन
...... रोहित जैन
...... आर. एस. रथ
...... जोस. जे. कट्टूर
...... अजय कुमार
...... अजय के. चौधरी
...... दीपक कुमार
...... राजीव रंजन
...... सितिकंठ पट्टनायक
...... सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष ...... साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग ...... अनुपम सोनल, मुख्य महाप्रबंधक
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग ...... रजनी प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग ...... आर. लक्ष्मी कांत राव, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग ...... ए. के. चौधरी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संचार विभाग ...... योगेश के. दयाल, मुख्य महाप्रबंधक
मुद्रा प्रबंध विभाग ...... सुमन रे, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग ...... डी. पी. रथ, प्रभारी अधिकारी
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग ...... आदित्य गेहा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सरकारी और बैंक लेखा विभाग ...... चारुलता एस. कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ...... अरुण कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग ...... पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग ...... ए. आर. जोशी, प्रधान परामर्शदाता
प्रवर्तन विभाग ...... एच. एन. अय्यर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग ...... सोनाली सेनगुप्ता, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग ...... सेशसाई जी., मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग ...... डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक
फिनटेक विभाग ...... शुभेंदु पति, मुख्य महाप्रबंधक
विदेशी मुद्रा विभाग ...... अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
वित्तीय स्थिरता इकाई ...... काया त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग ...... सुब्रत दास, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
निरीक्षण विभाग ...... जी. पी. बोरा, मुख्य महाप्रबंधक
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग ...... राकेश त्रिपाठी, मुख्य महाप्रबंधक
अंतरराष्ट्रीय विभाग ...... महुआ रॉय, प्रभारी परामर्शदाता
विधि विभाग ...... ए. उन्नीकृष्णन, प्रभारी विधि परामर्शदाता
मौद्रिक नीति विभाग ...... मुनीश कपूर, प्रभारी परामर्शदाता
परिसर विभाग ...... माला सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक
राजभाषा विभाग ...... साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
जोखिम निगरानी विभाग...... मनोरंजन दाश, मुख्य महाप्रबंधक
सचिव विभाग ...... अविरल जैन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

महाविद्यालय — **प्रधानाचार्य**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे ...... वी. जी. सेकर
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै ...... के. बाबूजी

कार्यालय — **क्षेत्रीय निदेशक**

चेन्नै...... एस. एम. नरसिम्हा स्वामी
कोलकाता ...... आर. केसवन
मुंबई ...... अजय मिचयारी
नई दिल्ली ...... विवेक अग्रवाल

शाखाएं

अहमदाबाद ...... राजेश कुमार
बेंगलुरु ...... आर. गुरुमूर्ती
भोपाल ...... नीरज निगम
भुवनेश्वर ...... एच. एन. पंडा
चंडीगढ़ ...... एम. के. मल्ल
देहरादून ...... लता विश्वनाथ
गुवाहाटी ...... संजीव सिंघा
हैदराबाद ...... के. निखिला
जयपुर ...... रोहित पी. दास
जम्मू ...... के. पी. पटनायक
कानपुर ...... ईशान शुक्ल
लखनऊ ...... बालू केंचप्पा
नागपुर ...... संगीता लालवानी
पणजी ...... स्मिता चंद्रमणि
पटना ...... संजीव दयाल
रायपुर ...... रीनी अजित
शिमला...... आर. एस. अमर
तिरुवनंतपुरम ...... थोमस मैथ्यू

प्रभारी अधिकारी

अगरतला ...... सतवंत सिंह सहोता, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
आइजोल ...... पी. शिमराह, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
बेलापुर ...... जयकिश,मुख्य महाप्रबंधक
गंगटोक ...... किशोर परियार, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
इंफाल ...... मैरी ल्वाम नगिह चिंग गुइते, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
कोच्चि ...... वि. के. नायक, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
रांची ...... संजीव सिन्हा, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शिलांग ...... पाउबोई गांगटे, महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
श्रीनगर ...... रुचिर सोनकर, सहायक महाप्रबंधक

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं **1**

I मूल्यांकन और संभावनाएं **1**

2021-22 के अनुभव से सबक 1

2022-23 के परिदृश्य पर दृष्टि 7

II. आर्थिक समीक्षा **13**

वास्तविक अर्थव्यवस्था 13

कीमतों की स्थिति 36

मुद्रा एवं ऋण 46

वित्तीय बाजार 56

सरकारी वित्त 65

बाह्य क्षेत्र 71

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन **89**

III. मौद्रिक नीति परिचालन **89**

मौद्रिक नीति 90

परिचालन फ्रेमवर्क: चलनिधि प्रबंधन 92

मौद्रिक नीति संचरण 98

क्षेत्रवार उधारी दरें 100

IV. ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन **103**

ऋण सुपुर्दगी 105

वित्तीय समावेशन 107

वित्तीय साक्षरता 108

V. वित्तीय बाज़ार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन **111**

वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग 111

वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग 115

विदेशी मुद्रा विभाग 116

VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता **120**

वित्तीय स्थिरता इकाई 121

विनियमन विभाग 123

फिनटेक विभाग 137

विषय-वस्तु

		पृष्ठ संख्या
	पर्यवेक्षण विभाग	139
	प्रवर्तन विभाग	148
	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	150
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	154
VII.	**लोक ऋण प्रबंधन**	**156**
	केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन	160
	राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन	163
VIII.	**मुद्रा प्रबंध**	**167**
	संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम	167
	मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना	168
	प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय	170
	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	172
IX.	**भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी**	**174**
	भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	174
	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	184
X.	**संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी**	**189**
	संचार प्रक्रियाएं	190
	अंतरराष्ट्रीय संबंध	193
	सरकारी और बैंक लेखा	197
	विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन	199
	आर्थिक और नीति अनुसंधान	201
	सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	204
	विधिक मामले	207
XI.	**अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन**	**210**
	अभिशासन संरचना	211
	मानव संसाधन विकास संबंधी पहल	212
	उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	218

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण 219

कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन........ 221

राजभाषा 222

परिसर विभाग 225

अनुबंध 228

XII. वर्ष 2021-22 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा 232

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र 236

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का आय विवरण 237

अनुसूचियाँ जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं........ 238

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण 241

लेखा संबंधी टिप्पणियां 246

अनुबंध I: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2021 से मार्च 2022........ 261

अनुबंध II: कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 278

परिशिष्ट सारणियां 286

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

बॉक्स

II.1.1 : महामारी के दौरान कॉर्पोरेट का प्रदर्शन: कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती की भूमिका 20

II.1.2 : जलवायु परिवर्तन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका 25

II.1.3 : लघु व्यवसाय वित्तपोषण पर कोविड -19 के राहत उपायों का प्रभाव 28

II.1.4 : कोविड-19 आघात के बीच जीडीपी वृद्धि और श्रम बाजार पर आपूर्ति शृंखला व्यवधान का प्रभाव .. 30

II.2.1 : इनपुट लागत दबावों के प्रति भारत में मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता 45

II.6.1 : निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) की भूमिका 74

III.1 : महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक की असाधारण उधार सुविधाएं 93

IV.1 : देशभर में सीएफएल परियोजना की पहुंच का विस्तार करना 110

V.1 : लाइबोर संक्रमण के लिए रोडमैप 114

VI.1 : सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा 135

VI.2 : फिनटेक नवोन्मेष को सुगम बनाना: रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण 138

VI.3 : पर्यवेक्षी कौशल संवर्धन और सशक्तिकरण 146

VI.4 : विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नई पहल 152

VI.5 : डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन की मुख्य विशेषताएं 155

VII.1 : आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना 159

VIII.1 : उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वेक्षण: प्रमुख निष्कर्ष 172

IX.1 : भारत और सिंगापुर अपनी तेज भुगतान प्रणाली – यूपीआई और पेनाऊ को लिंक करेंगे 175

IX.2 : कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल भुगतान के संबंध में गृहस्थ की पसंद 177

X.1 : केंद्रीय बैंक की पहुँच तथा जन जागरुकता 191

X.2 : ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता – आरबीआई की उपलब्धियां 195

X.3 : एनजीएफएस ग्लासगो घोषणा और भारतीय रिज़र्व बैक की प्रतिबद्धता 196

X.4 : वित्तीय चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय आस्ति के रूप में सोना 199

X.5 : कृषि पण्यों के आकलन के लिए सैटलाइट चित्र और रिमोट सेंसिंग डेटा 205

XI.1 : कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना 215

XII.1 : तुलन-पत्र और आय विवरण की प्रस्तुति का स्वरूप 232

विषय-वस्तु

पृष्ठ संख्या

परिशिष्ट सारणी

1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक.................... 286
2. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)........... 288
3. सकल बचत.................... 289
4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण.................... 290
5. पूंजी बाजार – प्राथमिक एवं द्वितीयक.................... 291
6. मुख्य राजकोषीय संकेतक.................... 292
7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण.................... 293
8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन.................... 294
9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार.................... 295

भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 से अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) में परिवर्तित हो गया है।

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एएसी	- शैक्षणिक सलाहकार परिषद
एएसीएस	- सहकारी समितियों पर यथा लागू
एसीयू	- एशियन समाशोधन संघ
एडी	- प्राधिकृत व्यापारी
एडीएफ़	- परिसंपत्ति विकास निधि
एडी	- सकल जमा राशियाँ
एडी कैट -I	- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I
एडीएससीआर	- औसत ऋण चुकौती व्याप्ति अनुपात
एई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एईपीएस	- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एआई	- कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईडी	- सर्व-समावेशी दिशानिर्देश
एआईडीसी	- कृषि अवसंरचना और विकास उपकर
एआईएफ़	- वैकल्पिक निवेश कोश
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
एएमएल	- धन-शोधन निवारण
एएनबीसी	- समायोजित निवल बैंक ऋण
एपी	- प्राधिकृत व्यक्ति
एपीबीएस	- आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली
एपीआई	- एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी
एआरईएईआर	- विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध पर वार्षिक रिपोर्ट
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति
एआरआर	- वैकल्पिक संदर्भ दर
एएसईएएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन
एएसआईएसओ	- स्वचालित स्वीप इन और स्वीप आउट
एएसएम	- एशिया लघु और मध्यम -आकार के उद्यमों की निगरानी
एटीबी	- नीलामी खजाना बिल
एटीएम	- स्वचालित टेलर मशीन
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई
बीबीपीएस	- भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	- कारोबार प्रतिनिधि
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसी-आईसीटी	- कारोबार प्रतिनिधि – सूचना और संपर्क प्रौद्योगिकी
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना
बीडी	- बैंकिंग विभाग
बीई	- बजट अनुमान
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीएफ़एसआई	- बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
बीआईएस	- अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओजे	- बैंक ऑफ जापान
बीपीएस	- आधार अंक
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
बीक्यूआर	- भारत त्वरित प्रक्रिया
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
ब्रिक्स	- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका
बीएससी	- बिल्डिंग उप -समिति
बीटीएफपी	- भुगतान पर ब्रिक्स टास्क फोर्स
बीयू	- कारोबारी इकाई
सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा
कैफरल	- उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र
सीएजीआर	- कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर
सीबीडीसी	- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
सीबीडीटी	- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
सीसी	- नकदी ऋण
सीसीबी	- केंद्रीय सहकारी बैंक

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

सीसीआईएल - भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीओ - मुख्य अनुपालन अधिकारी
सीसीपी - केन्द्रीय काउंटरपार्टी
सीडीईएस - मुद्रा वितरण और विनिमय योजना
सीडी - जमा प्रमाणपत्र
सीडीएस - ऋण चूक स्वैप
सीईओबीई - तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण
सीईपीसी - उपभोक्ता शिक्षण और सुरक्षा प्रकोष्ठ
सीईपीडी - उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीएफ़ - आकस्मिक निधि
सीएफएल - वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएफआर - केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री
सीएफ़एसएल - सेंट्रम वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड
सीजीए - महा लेखा नियंत्रक
सीजीडी - डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश
सीजीएफएस - वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति
सीजीआरए - मुद्रा और स्वर्ण मूल्यांकन खाता
सीआईसी - साख सूचना कंपनियां
सीआईसी - संचलन में मुद्रा
सीआईआई - भारतीय उद्योग महापरिसंघ
सीआईएमएस - केन्द्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली
सीआईआरपी - कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया
सीआईटी - अंतरण में नकदी
सीएलएस - सतत सहसंबंधित निपटान
सीएमबी - नकदी प्रबंधन बिल
सीएमजी - आपदा प्रबंधन समूह
सीएमआईई - भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र
सीएमएस - शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएमटी - आपदा प्रबंधन टीम
सीओ - केंद्रीय कार्यालय
सीओसी - ऋण प्रदाताओं की समिति
सीओडी - केंद्रीय कार्यालय विभाग
सीओएफ़टी - कार्ड -ऑन-फाइल टोकनाइजेशन
सीओएनपीआई - ग्राहक सुरक्षा सूचकांक
सीओएस - पर्यवेक्षक महाविद्यालय
सीपी - उपभोक्ता पिरामिड
सीपीएफ़आईआर - केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री
सीपीआई - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआई-एएल - कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई
सीपीआई-आईडबल्यू - औद्योगिक के लिए सीपीआई
सीपीआई-आरएल - ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई
सीपीएमआई-आईओएससीओ - भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति - अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
सीपी - वाणिज्यिक पत्र
सीपीएस - केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
सीपीडब्ल्यूडी - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीपी-एनबीएफ़सी - गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के द्वारा वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाना
सीआरआईएलसी- केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार
सीआरएम - ऋण जोखिम न्यूनीकरण
सीआरपीसी - केंद्रीकृत प्राप्तियाँ और प्रसंस्करण केंद्र
सीआरआर - आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसएए - स्व -नियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीएसबीडी - कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग
सीएसएफ - समेकित ऋण-शोधन निधि
सीएसजीएल - केंद्रीकृत सहायक प्रधान खाता बही
सीएसआईआई - कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक
सीडब्ल्यूपी - जनता के पास मुद्रा
डीएपी - डाईअमोनियम फॉस्फेट
डीबीआईई - भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

डीबीटी - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीसीबी - जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीईए - जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता
डीईआईओ - बाह्य निवेश और परिचालन विभाग
डीईपीआर - आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
डीजीबीए - सरकारी और बैंक लेखा विभाग
डीएचएफएल - दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
डीआईसीजीसी - निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएफ - निक्षेप जमा निगम
डीआईटी - सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमएस - दस्तावेज़ प्रबंध सॉफ्टवेयर
डीओसी - संचार विभाग
डीओआर - विनियमन विभाग
डीओएस - पर्यवेक्षण विभाग
डीओटी - दूरसंचार विभाग
डीपीआई - डिजिटल भुगतान सूचकांक
डीपीएसएस - भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग
डीआर - आपदा बहाली
डीएससीआर - कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात
डीएसआईएम - सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
ई-बीएटी - ई-बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण
ईबीआईडीटीए - मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व अर्जन
ईबीआर - तत्व आधारित रिपोजिटरी
ईसीबी - बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीसीएस - द्रुत चेक समाशोधन प्रणाली
ईसीएलजीएस - आकस्मिक ऋण लाइन गारंटी योजना
ईसीएस - इलेक्ट्रोनिक समाशोधन सेवा
ईडीसी - कार्यपालक निदेशकों की समिति
ईडीएसपी - इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल
ईएफडी - प्रवर्तन विभाग
ईएफआई - बाह्य वित्तपोषित संस्थान
ईआईएडी - एम्पलॉयी इंटरफेस एंड एनालिटिक्स डिवीजन
ईएमडीई - उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई - उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएं
ईएनडबल्यूआर - इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेयरहाउस प्राप्तियाँ
ईओआई - एक्स्प्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट
ईपीएफ़ओ - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईआरएम - उद्यम वार जोखिम प्रबंधन
ईएसआईसी - कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईटीसीडी - एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव
ईटीआर - प्रभावी कारपोरेट कर दर
ईडबल्यूआई - पूर्व चेतावनी संकेतक
ईडब्ल्यूएस - प्रारंभिक चेतावनी संकेत
ईक्सआईएम - भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएक्यू - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एफ़एआर - पूर्णतया सुलभ मार्ग
एफ़एएसएएल - अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना
एफ़एटीएफ़ - वित्तीय कार्रवाई कार्यदल
एफबीआईएल - वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि.
एफसीए - विदेशी मुद्रा आस्तियां
एफसीबीडी - वित्त और केंद्रीय बैंक के डिप्टी
एफसीबी - विदेशी केंद्रीय बैंक
एफसीएनआर (बी) - विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक)
एफ़सीएस-ओआईएस - विदेशी मुद्रा निपटान ओवरनाइट सूचकांक स्वैप
एफ़सीवीए - विदेशी मुद्रा अग्रेषण अनुबंध मूल्यांकन खाता
एफ़सी-एक्सवी - पंद्रहवाँ वित्त आयोग

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एफ़सीवाई ईसीबी - विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार
एफ़डीआई - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफ़ई - अंतिम आंकलन
एफईडी - विदेशी मुद्रा विभाग
एफईएमए (फेमा) - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफएफएमसी - संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
एफईआर - आरक्षित विदेशी मुद्रा
एफईटीईआरएस - विदेशी मुद्रा कारोबार -इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली
एफआई - वित्तीय संस्थाएं
एफआईसीएन - भारतीय जाली मुद्रा नोट
एफ़आईडीडी - वित्तीय समावेशन और विकास विभाग
एफ़आईएफ़ - वित्तीय समावेशन कोश
एफ़आई-इंडेक्स - वित्तीय समावेशन सूची
फिन टेक - वित्तीय प्रोद्योगिकी
एफआईपी - वित्तीय समावेशन योजना
एफ़एलए - विदेशी देयताएँ और आस्तियां
एफएलसी - वित्तीय साक्षरता केंद्र
एफएलडब्ल्यू - वित्तीय साक्षरता सप्ताह
एफ़एमसीबीजी - वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर
एफएमसीजी - शीघ्र चल उपभोक्ता सामान
एफएमओडी - वित्तीय बाजार परिचालन विभाग
एफएमआरडी - वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
एफपीआई - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीओ - फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर
एफआरबी - अस्थायी दर बॉण्ड
एफ़आरएसबी - अस्थायी दर बचत बांड
एफ़एसबी - वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी - वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति
एफएसआर - वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसयू - वित्तीय स्थिरता इकाई
जी-20 - 20 देशों का समूह
जीसी - गवर्निंग काउंसिल
जीसीसी - सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीसीएफ़ - सकल पूंजी निर्माण
जीडीएएल - ग्रैन्यूलर डेटा एक्सेस लैब
जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसी - वैश्विक वित्तीय संकट
जीएफ़सीएफ़ - सकल स्थिर पूंजी निर्माण
जीएफडी - सकल राजकोषीय घाटा
जीएफ़एसएन - वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट
जीएमएल - स्वर्ण (धातु) ऋण
जीएमएस - स्वर्ण मुद्रीकरण योजना
जीएनडीआई - सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
जीएनपीए - सकल अनर्जक आस्तियां
जीओआई - भारत सरकार
जीआरएफ - गारंटी मोचन निधि
जीआरआईएचए - एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीआरक्यू - कोटा की सामान्य समीक्षा
जी-एसएपी - सरकार प्रतिभूतियों का अर्जन कार्यक्रम
जीएससीडीसीआई - वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान लागत सूचकांक
जीएसडीपी - सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जी-सेक - सरकारी प्रतिभूतियां
जीएसएलबीएम - सरकारी प्रतिभूतियों की ऋण और उधार व्यवस्था
जीएसटी - माल और सेवा कर
जीयूएआरडी - शासन निरीक्षण, यूटाइल प्रौद्योगिकी निवेश, उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग, और आवश्यक आईटी, साइबर सुरक्षा कौशल सेट विकसित करना
जीवीए - योजित सकल मूल्य
जीवीसी - वैश्विक मूल्य शृंखला
एचएफसी - आवास वित्त कंपनी
एचओ - मुख्यालय
एचआरएमडी - मानव संसाधन प्रबंध विभाग

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंध-उप समिति	आईएनवीआईटीएस	- इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट्स
आईएडीआई	- जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ	आईओ	- आंतरिक लोकपाल
आईएएम	- एकीकृत मूल्यांकन मॉडल	आईओ	- अंतरराष्ट्रीय संगठन
आईबीए	- भारतीय बैंक संघ	आईओएस	- औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण
आईबीएस	- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी	आईओटी	- इन्टरनेट ऑफ थिंग्स
आईसीएआई	- इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया	आईपीएल	- इंडियन प्रीमियर लीग
आईसीएआर	- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	आईपीओ	- प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईसीईजीएटीई	- भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे	आईपीपी	- बौद्धिक संपदा उत्पाद
आईसीटी	- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	आईआरए	- निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते
आईडी	- अंतर्राष्ट्रीय विभाग	आईआरएसीपी	- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
आईडीएमडी	- आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	आईआरए-एफ़एस	- निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते-विदेशी प्रतिभूतियाँ
आईईओ	- स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय	आईआरए-आरएस	- निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते-रुपया प्रतिभूतियाँ
आईईएसएच	- परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण	आईआरडी	- ब्याज दर डेरिवेटिव
आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना	आईआरआईएस	- एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली
आईएफएडब्ल्यूजी	- इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप	आईआरआरएस	- एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली
आईएफ़एससी	- भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड	आईएसडीए	- अंतरराष्ट्रीय स्वैप और डेरिवेटिव संघ
आईएफ़एससी	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र	आईटी	- सूचना प्रोद्योगिकी
आईएफटीएएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं	आईटीईएस	- सूचना प्रोद्योगिकी समर्थित सेवाएँ
आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल	आईटी-एससी	- सूचना प्रोद्योगिकी उप- समिति
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	आइटीबी	- मध्यवर्ती खजाना बिल
आईआईएएसए	- एप्लाइड सिस्टम विश्लेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान	आईवीआर	- इंटर-एक्टिव वॉयस रेसपॉन्स
आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान	आईडब्ल्यूजी	- इनफ्रास्ट्रक्चर कार्यदल
आईआईएफ़सी	- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स कंपनी	आईडबल्यूजी	- आंतरिक कार्यदल
आईआईपी	- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	जेटीसीसी	- संयुक्त तकनीकी समायोजन समिति
आईएमएफ	- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	केबीसी	- कौन बनेगा करोड़पति
आईएमएफसी	- अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति	केएलईएमएस	- पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)
आईएमपीएस	- त्वरित भुगतान सेवा	केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
इंड एएस	- भारतीय लेखा मानक	केपीआई	- मुख्य कार्यनिष्पादन सूचकांक
		केआरआई	- मुख्य जोखिम संकेतक
		केडबल्यूपी	- किलोवाट पीक

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	- स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
एलएआई	- लीफ एरिया इंडेक्स
एलबीएमए	- लंडन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलईएफ़	- बृहत एक्स्पोज़र ढांचा
एलईआई	- कानूनी इकाई पहचानकर्ता
एलईआईएल	- बड़ी इकाई पहचानकर्ता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
एलई	- कानूनी इकाइयां
एलआईबीओआर	- लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर
एलएमएस	- लर्निंग मैनेजमेंट प्रणाली
एलपीए	- दीर्घावधि औसत
एलपीजी	- लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस
एलआरएस	- उदारीकृत प्रेषण योजना
एम 3	- धन आपूर्ति
एमएएफ़	- चिकित्सा सहायता कोश
एमएएनआई	- मोबाइल समर्थित नोट पहचानकर्ता
एमएएस	- सिंगापूर मौद्रिक प्राधिकरण
एमए-एसएएआर	- मौसमी रूप से समायोजित औसत वृद्धि दर का मूविंग एवरेज
एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें
एमडी	- प्रबंध निदेशक
एमईएम	- मार्जिनल एफेक्ट एट मीन्स
एमएफ़आई	- लघु वित्त संस्थान
एमआई	- बाजार आसूचना
एमआईएफ़ओआर	- मुंबई अंतरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट दर
एमआईएस	- प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएल	- मशीन लर्निंग
एमएलटीजीडी	- माध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा
एमओई	- त्रुटि का ज्ञापन
एमओएफ़-	- वित्त मंत्रालय
एमओएसपीआई	- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	- सहमति ज्ञापन
एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
एमपीओआर	- जोखिम की सीमांत अवधि
एमएसई	- लघु और सूक्ष्म उद्यम
एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटीडीएस	- माध्यम अवधि ऋण प्रबंध कार्यनीति
एमटीएफ़	- माध्यम अवधि फ्रेमवर्क
एमटीएसएस	- धन अंतरण सेवा योजनाएँ
नाबार्ड-	- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनएएफ़सीयूबी-	- सहकारी शहरी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ
एनएआरसीएल-	- राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड
एनबीएफसी-	- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	- जमा लेनेवाली एनबीफसी
एनबीएफ़सी-एमएफ़आई	- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लघु वित्त संस्थान
एनबीएफसी-एनडी	- नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीफसी
एनबीएफ़आई	- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एनसीसीडी	- गैर केन्द्रीय समाशोधित डेरिवेटिव्ज़
एनसीडी	- गैर -परिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनसीएलटी	- नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल
एनडीए	- निवल घरेलू आस्तियां
एनडीसी	- नेशनली डिटरमाईंड कंट्रीब्यूशन्स
एनडीएफ	- गैर सुपुर्दगी अग्रेषण
एनडीआई	- गैर-ऋण लिखत
एनडीटीएल	- निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनडीएस-ओएम	- तयशुदा लेनदेन प्रणाली -ऑर्डर मिलान
एनडीवीआई	- नोर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजीटेशन इंडेक्स

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एनईईआर	- सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर
एनईएफ़टी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनईएम	- पूर्वोत्तर मानसून
एनईटीसी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रहण
एनईटीएस	- नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर्स
एनएफए	- निवल विदेशी आस्तियां
एनएफसी	- खादयेतर ऋण
एनएफसी	- नियर फील्ड कम्यूनिकेशन
एनएफ़एस	- राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
एनएफ़एसए	- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनजीएफ़एस	- नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ फाइनेंसियल सिस्टम
एनएचबी	- राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एनआईएम	- निवल ब्याज मार्जिन
एनआईपीएल	- एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड
एनपीए	- नोट क्रय करार
एनपीए	- अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएस	- राष्ट्रीय पेंशन स्कीम
एनएसएफई	- वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
एनएसएफआई	- वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि
एनएसओ	- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनडबल्यूआर	- परक्राम्य वेयर हाउस प्राप्तियाँ
ओबीसी	- अन्य पिछड़े वर्ग
ओबीआईसीयूएस	- पुस्तक क्रयादेश, माल सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
ओडी	- ओवरड्राफ्ट
ओडीआई	- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
ओईसीडी	- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएफ़सी	- ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएलआईसी	- राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएलएस	- ओरडीनरी लीस्ट स्क्वायर्स
ओएमबी	- खुले बाजार की उधारी
ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन
ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओपीईसी+	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों और सहयोगियों का संगठन
ओआरबीआईओ	- भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल कार्यालय
ओटी	- ऑपरेशन ट्विस्ट
ओटीसी	- काउंटर पर
पीए	- अनंतिम लेखा
पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं
पीएटी	- कर पश्चात लाभ
पीबी	- भुगतान बैंक
पीबीडीआईटी	- मूल्यह्रास ब्याज और कर पूर्व लाभ
पीसीए	- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
पीडी	- प्राथमिक व्यापारी
पीडीएल	- पोलीनोमीनल डिस्ट्रीब्यूटेड लैग
पीडीएस	- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएफसीई	- निजी अंतिम खपत व्यय
पीएफ़सीवीए	- अग्रेषित संविदा मूल्यांकन खाते के लिए प्रावधान
पीएफएमआई	- वित्तीय बाजार के बुनियादी ढाँचे लिए सिद्धांत
पीएफएमएस	- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईडीएफ	- भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
पीआईआरपी	- प्रीपैक्ड इनसोलवेन्सी रिजल्यूशन प्रोसेस
पीएलएफएस	- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएलआई	- उत्पादन -लिंक प्रोत्साहन
पीएमसी	- पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक
पीएमजीकेएवाई	- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमआई	- क्रय- प्रबंधन सूचकांक

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

पीएमएल - धन शोधन निवारण
पीएम एसवीएएनआईडीएचआई - प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि
पीपीएसी - पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष
पीओ - परियोजना कार्यालय
पीओ - भुगतान आदेश
पीओएस - बिक्री केंद्र
पीपीआई - पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीआरएकेएएलपी - प्रत्यक्ष कर लेखांकन प्रणाली
पीएसबी- - सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
पीएसएल - प्राथमिकता प्राप्त उधार
पीएसएलसी - प्राथमिकता प्राप्त उधार प्रमाणपत्र
पीएसओ - भुगतान प्रणाली परिचालक
पीएसपी - भुगतान सेवा प्रदाता
पीएसएस - भुगतान और निपटान प्रणाली
पीएसयू - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीडबल्यूबीडी - बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति
क्यूएडी - गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग
क्यूआईपी - अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट
क्यूपीएम - त्रैमासिक प्रोजेक्शन मॉडल
क्यूआर - त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएम -ओआर - परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति
आरबीए - जोखिम आधारित दृष्टिकोण
आरबीआई - भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबीआईए - जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
आरबीआईईपीएफ़ - भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि
आरबीआईएच - भारतीय रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब
आरबीआई-आईओएस - रिज़र्व बैंक -एकीकृत लोकपाल योजना
आरबीआई-आरडी - भारतीय रिज़र्व बैंक – खुदरा प्रत्यक्ष
आरबीपी - जोखिम आधारित प्रीमियम
आरबीआर - प्रतिलाभ आधारित रिपोजिटरी
आरबीएस - जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरसीए - मूल कारण विश्लेषण
आरसीजी -एसिया - क्षेत्रीय सलाहकार समूह, एशिया
आरसीएल - रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
आरडीजी - खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट
आरई - संशोधित अनुमान
आरईबीआईटी - रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
आरईसीओ - पूंजीगत परिव्यय के लिए राजस्व व्यय
आरईईआर - वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
आरईआईटी - स्थावर संपदा निवेश ट्रस्ट
आरई - विनियमित संस्थाएं
आरएफ़सीए - अग्रेषित संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन
आरएफ़आईडी - रेडियो फ्रीक्वेन्सी आइडेंटीफिकेशन
आरआईडीएफ - ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि
आरएम - आरक्षित मुद्रा
आरएमसी - जोखिम निगरानी समिति
आरएमडी - जोखिम निगरानी विभाग
आरओ - क्षेत्रीय कार्यालय
आरपीए - रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन
आरआरबी - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीजीएस - तत्काल सकल निपटान
आरटीआई - सूचना का अधिकार
आरटीएल - जोखिम वहनीयता की सीमा
आरटीओ - रिकवरी टाइम ओब्जेक्टिव
आरटीपी - रिज़र्व ट्रांच पोजीशन
आरटी-पीसीआर - रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन – पोलिमरेज चेन रीएक्शन
एसएए - स्वैप परिशोधन खाता
एसएपी - सिस्टम एप्लीकेशन्स और उत्पाद
एसए - सांविधिक लीखापरीक्षक
एसएएआर - मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर
एसएएआरसी - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

एसएआरएफ़एईएसआई एक्ट	- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम
एसएआरटीटीएसी	- दक्षिण एशियाई प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र
एसबीआर	- स्केल आधारित विनियमन
एसबीएस	- श्रेडिंग एंड ब्रिकेटिंग सिस्टम
एससीए	- सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक
एससीबी	- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडीएफ	- विशेष आहरण सुविधा
एसडीजी	- संधारणीय विकास लक्ष्य
एसडीएल	- राज्य विकास ऋण
एसडीएमएक्स	- स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज
एसडीआर	- विशेष आहरण अधिकार
एसई	- पर्यवेक्षित संस्थाएं
एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक
एसईबीआई	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईएफ़एल	- एसआरईआई एक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड
एसईज़ेड	- विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफबी	- लघु वित्त बैंक
एसएफ़जी	- संधारणीय वित्तीय समूह
एसजीबी	- सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड
एसजीएल	- सहायक सामान्य खाता-बही
एसएचजी	- स्व सहायता समूह
एसआईडीबीआई	- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईएफ़एल	- एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड
एसआईओएस	- सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण
एसआईपी	- सुनियोजित निवेश योजना
एसएलबीसी	- राज्य -स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसीसी	- राज्य-स्तरीय समन्वय समिति
एसएलडी	- वरिष्ठ स्तरीय संवाद
एसएलआर	- सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएलटीआरओ	- विशेष दीर्घकालिक रिपो परिचालन
एसएमए	- विशेष उल्लेख खाते
एसएमई	- लघु और माध्यम उद्यम
एसओएफ़आर	- सुरक्षित ओवरनाइट वित्तपोषण दर
एसओएनआईए	- स्टर्लिंग ओवरनाइट सूचकांक औसत
एसओपी	- मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीएआरएसएच	- पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा)
एसपीएआरसी	- जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम
एसपीडी	- एकल प्राथमिकता विक्रेता
एसपीईसीटीआरए	- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म
एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
एसआरओ	- स्व – विनियामक संगठन
एसआरएस	- सिस्टम आवश्यकता अध्ययन
एस-एससी	- कार्यनीति उप-समिति
एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक
एसटीसीबी	- राज्य सहकारी बैंक
एसटीआरआईपीएस	- प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग अलग ट्रेडिंग
एसडब्ल्यूआईएफटी	- विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी
एसडब्ल्यूएम	- दक्षिण पश्चिम मानसून
टीएसीएस	- सर्वेक्षण में तकनीकी सलाहकार समिति
टी-बिल्स	- खजाना बिल
टीसी	- व्यापार ऋण
टीई	- प्रशिक्षण संस्थान
टीआईएन	- कर सूचना प्रणाली
टीएलटीआरओ	- लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन

चुनिन्दा संक्षेपाक्षर

टीओएल/एटीएनडबल्यू रेशियो	- कुल बाह्य देयताएँ - समायोजित मूर्त निवल मूल्य अनुपात
टीओपी	- टमाटर, प्याज और आलू
टीआरईडीएस	- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम
टीएसए	- ट्रेजरी सिंगल अकाउंट
टीएससीए	- समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ
यूएएम	- उद्योग आधार ज्ञापन
यूएटी	- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
यूसीबी	- शहरी सहकारी बैंक
यूडीएवाई	- उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूएन	- संयुक्त राष्ट्र संघ
यूओ	- छत्र संगठन
यूपीआई	- एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूएसएफ़बी-	- यूनीफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस
यूटी	- संघशासित क्षेत्र
यूटीआई	- अद्वितीय लेन-देन पहचानकर्ता
वीएआर/ईएस	- जोखिम पर मूल्य /अपेक्षित कमी
वीएटी	- मूल्य वर्धित कर
वी- सीआईपी	- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया
वीएफ़टी	- मूल्य मुक्त अंतरण
वीआईआर	- दृष्टि बाधित उत्तरदाता
वीएम	- वेरिएशन मार्जिन
वीआरआर	- वॉलांटियरी रिटेन्शन रूट
वीआरआरआर	- परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो
वीटीए	- स्वैच्छिक व्यापरिक व्यवस्था
डब्ल्यूएसीआर	- भारित औसत मांग दर
डब्ल्यूएएम	- भारित औसत परिपक्वता
डब्ल्यूएएस	- भारित औसत स्प्रेड
डब्ल्यूएवाई	- भारित औसत प्रतिफल
डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
डब्ल्यूएमए	- अर्थोपाय अग्रिम
डब्ल्यूपीआई	- थोक मूल्य सूचकांक
डबल्यूटीडी	- पूर्ण कालिक निदेशक
डब्ल्यूटीओ	- विश्व व्यापार संगठन
डबल्यूडबल्यूएफ़	- वर्ल्ड -वाइड फंड फॉर नेचर
एक्सबीआरएल	- ईएक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
ज़ेडसीवाईसी	- शून्य कूपन प्रतिफल वक्र
जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

इस रिपोर्ट को इन्टरनेट पर निम्नलिखित यूआरएल पर देखा जा सकता है
URL: www.rbi.org.in

*1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 **

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I मूल्यांकन और संभावनाएं

I.1 फ़रवरी 2022 के अंतिम दिनों में भू-राजनैतिक तनावों के बढ़कर युद्ध का रूप ले लेने से विश्व अर्थव्यवस्था को कठोर आघात पहुँचा है जो पूरे 2021 में महामारी की कई लहरों, आपूर्ति शृंखला व व्यवस्थागत व्यवधानों, मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की भिन्न दिशाओं के चलते वित्तीय बाजारों में हुई हलचल तथा बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का प्रहार झेलती रही है। वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिदृश्य पर युद्ध और प्रतिबंधों के आर्थिक लागतों के बादल छाए हुए हैं।

I.2 उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को वैश्विक प्रसार-प्रभाव की मार सहनी पड़ रही है, बावजूद इसके कि वे महज दर्शक रहे हैं । पूँजी के निकल जाने और बड़े पैमाने पर मुद्रा मूल्यह्रास ने बाहरी वित्त पोषण लागतों को सख्त कर दिया है, ऋण स्तरों को बढ़ा दिया है तथा उनकी हिचकिचाती और अधूरी बहाली को खतरे में डाल दिया है।

I.3 घरेलू अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ें तो, भू-राजनैतिक तनावों का तत्काल प्रभाव मुद्रास्फीति पर है जहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का लगभग तीन-चौथाई जोखिम में है। कच्चे तेल, धातुओं और उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि व्यापार शर्त आघात में बदल गई जिसने व्यापार और चालू खाता घाटों को बढ़ा दिया है। 86.8 प्रतिशत वयस्क आबादी के पूर्णत: टीकाकृत होने और 3.5 प्रतिशत को बूस्टर खुराक[1] मिल जाने से जो बहाली 2021-22 की दूसरी तिमाही से पटरी पर आ रही थी, उच्च आवृत्ति संकेतक उसमें पहले से ही गति में कुछ ह्रास की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा, लगातार दिए जा रहे नीतिगत समर्थन ने कुल मांग और आर्थिक गतिविधि को एक तल प्रदान किया। राजकोषीय नीति ने महामारीजनित कठिनाइयों और आजीविका के नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया, और साथ ही राजकोषीय व्यय के पुनर्निधारण द्वारा वृद्धि को बल दिया गया। मौद्रिक नीति निभावकारी बनी रही तथा अनुकूल वित्तीय स्थितियों का पोषण किया ताकि बहाली जड़ जमा सके एवं साथ ही सतर्कता बरती जिससे आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे। इस प्रकार, 2021-22 के अनुभव ने मूल्यवान सबक दिए हैं जो आने वाले वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग को आलोकित करेंगे।

2021-22 के अनुभव से सबक

I.4 2021 की पहली छमाही में, "डेल्टा" वेरिएंट वाले संक्रमणों[2] में कमी तथा टीकाकरण की गति और पैमाने के बढ़ने के साथ, एक असमान और भिन्नतामय वैश्विक बहाली आकार

* वित्तीय वर्ष 2020-21 से रिज़र्व बैंक के लेखांकन वर्ष को परिवर्तित कर अप्रैल-मार्च (पहले जुलाई-जून) किया गया। उपलब्धता के अनुसार इस अध्याय को मार्च 2022 के बाद तक अद्यतन किया गया है।

1 स्वास्थ्य कर्मियों व अग्रिम पंक्ति (फ्रंट लाइन) कर्मियों को पहली प्राथमिकता देते हुए 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा तथा 24 मई 2022 तक लगभग 96.4 प्रतिशत वयस्क आबादी (18 वर्ष से अधिक उम्र के, अनुमानत: लगभग 95 करोड़ लोग) को पहली खुराक का टीका लगा, जबकि 86.8 प्रतिशत को पहली और दूसरी दोनों खुराकें मिलीं। अब तक 18-15 वर्ष आयु वर्ग में 5.9 करोड़ और 14-12 वर्ष के आयु वर्ग में 3.3 करोड़ लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है। 24 मई 2022 की स्थिति के अनुसार, 60 से अधिक आयु वर्ग के लगभग 3.2 करोड़ लोगों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों को दो खुराकों के अलावा एक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है।

2 दैनिक पुष्ट नए मामलों में वैश्विक स्तर पर कई शिखर (पीक्स) थे। पहला शिखर 7 जनवरी 2021 (8.7 लाख मामले) को था, इसके बाद 23 अप्रैल 2021 को दूसरा शिखर (9.1 लाख मामले) और 13 अगस्त, 2021 को एक और शिखर (8.0 लाख मामले) आया। प्रति दिन की उच्चतम उछाल ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगुवाई में 19 जनवरी 2022 को 40.9 लाख दैनिक मामलों के साथ दर्ज की गई। 24 मई 2022 को, दैनिक नए मामले 6.1 लाख थे। कोविड-19 के कारण कुल मृत्यु लगभग 63 लाख थी (52.7 करोड़ पुष्ट संक्रमण) [स्रोत: Ourworldindata.com]।

लेने लगी। अप्रैल 2021 के अपने वर्ल्ड ग्लोबल आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में, आईएमएफ ने 2021 में विश्व जीडीपी में 6.0 प्रतिशत और विश्व व्यापार में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।[3] नीतिगत प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए सीमित अवसर और टीकों की उपलब्धता में असमानता[4] के कारण उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को इसमें पिछड़ता हुआ देखा गया।

I.5 2021 की दूसरी छमाही में, वैश्विक बहाली "ओमिक्रॉन" प्रतिरूप (वैरिएंट) का शिकार हो गई। यह लहर अल्पकालिक साबित हुई और आपूर्ति एवं व्यवस्थागत बाधाओं के बीच वर्ष में समग्रत: 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार सुधरा। इस वृद्धि को सहयोग मिला, वैश्विक विनिर्माण का, जो एक साल पहले के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 9.4 प्रतिशत हो गया। आईएमएफ के अप्रैल 2022 डब्ल्यूईओ ने वर्ष के लिए वैश्विक जीडीपी वृद्धि को 6.1 प्रतिशत पर रखा है, जो एक साल पहले किए गए अपने अनुमान से कुछ अधिक है। यह अनुभव उस आंतरिक प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस) को दर्शाता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महामारी, अभावों तथा इसके चलते आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों से संघर्ष के साथ विकसित हुई है।

I.6 वैश्विक स्तर पर, लगातार आघातों के कारण 2021 में मुद्रास्फीति में व्यापकता और जड़ता आ गई, जिसने अवरुद्ध मांग पर आपूर्ति कार्रवाई को गंभीर रूप से बाधित किया तथा लागतों व कीमतों को बढ़ा दिया। अनुमान है कि 2021 में वैश्विक मूल मुद्रास्फीति (कोर इनफ्लेशन) में अकेले आपूर्ति श्रृंखला के दबावों का ही 1.0 प्रतिशत अंक का हाथ रहा।[5] उदीयमान बाजारों को मुद्रास्फीतीय दबावों के साथ-साथ बढ़ती वैश्विक पण्य कीमतों तथा पोत परिवहन (शिपिंग) लागतों और प्रमुख मध्यवर्ती वस्तुओं की कमी से बड़ा आघात पहुँचा। इसलिए, उन्होंने नीतिगत अवलंब हटाने[6] और मौद्रिक नीति को सख़्त करने की शुरुआत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) से पहले ही कर दी। जब एई ने भी ये कदम उठाए और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों ने बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए नीतिगत रुख़ को सामान्य करने के इरादे के संकेत देना शुरू किए, तब उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को सख़्त वित्तीय स्थितियों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्रत्याशा में वित्तीय बाजार अस्थिर हो गए। 2021 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर नीतिगत दरों में कई वृद्धियां देखी गईं।

I.7 छिटपुट अस्थिरता व अल्पकालिक बिकवालियों के मुकाबलों के बावजूद अच्छी आय की प्रत्याशा ने मनोभावों को ऊपर उठाया और 2021 में वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी बनी रही। दूसरी ओर, बॉन्ड बाजार, वर्ष के दौरान मंद पड़ गए और ट्रेज़रियों ने नुकसान दिया, लेकिन सरकारी और कॉरपोरेट बाण्डों के बीच स्प्रेड संकुचित हुए। बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने बहु-वर्षीय उच्च स्तर को पार किया तथा पण्य बाजारों में भारी तेजी आई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ सुरक्षित आश्रय हेतु पलायनों और यूएस फेड द्वारा ऊच्च ब्याज की धुरी का बल पाकर अमेरिकी डॉलर में जबर्दस्त मजबूती आई। कुछ को छोड़कर अधिकांश ईएमई मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ।

I.8 भारत में, पहले डेल्टा और फिर ओमिक्रॉनजनित लहरों ने घरेलू आर्थिक गतिविधियों में बहाली को अस्थिर कर

[3] अक्टूबर 2021 में, आईएमएफ ने इन पूर्वानुमानों को समायोजित (एडजस्ट) कर क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत किया। अप्रैल 2022 में, इन पूर्वानुमानों को बढ़ाकर क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत किया गया था।

[4] उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ 74.8 प्रतिशत आबादी का पूर्णत: टीकाकरण हो चुका है और 49.7 प्रतिशत को बूस्टर खुराकें मिली हैं (23 मई 2022); कम आय वाले देशों में केवल 12.8 प्रतिशत आबादी पूर्णत: टीकाकृत हुई है (15 मई 2022)।

[5] डब्ल्यूईओ, आईएमएफ, जनवरी 2022

[6] जनवरी 2020 से, कोविड 19- महामारी पर राजकोषीय कार्रवाई (अतिरिक्त खर्च, त्यक्त राजस्व (फ़ोरगॉन रेवेन्यू) और तरलता (लिक्विडिटी) समर्थन सहित) यूएस $ 16.9 ट्रिलियन या विश्व जीडीपी का 16.4 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित या अनुमोदित बड़े राजकोषीय पैकेज को जोड़ें तो 2021 और 2026 के बीच वैश्विक जीडीपी में यह संचयी रूप में यूएस $ 4.6 ट्रिलियन हो सकता है। वैश्विक सरकारी ऋण के 2021 में रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर बने रहने - 2021 में जीडीपी के 100 प्रतिशत के करीब, लेकिन नीचे - और 2026 तक थोड़ा घटने की उम्मीद है (फिस्कल मॉनिटर, अक्टूबर 2021, आईएमएफ)।

दिया। पहली दो लहरों की तुलना में तीसरी लहर का कम समय तक रहना और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव की दृष्टि से कम व्यवधानकारी होना जितना राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की प्रभावकारिता को प्रमाणित करता है उतना ही और सीखने और अनुकूलन को। महामारी की दो लहरों में सफलता से नाव के निकलने का श्रेय काफ़ी हद तक केंद्र व राज्य सरकारों तथा प्रशासन के तीसरे स्तरों के साथ समन्वित प्रयासों, टीके से जुड़ी हिचकिचाहट को दूर करने के लिए चलाए जाने वाले अनेकों जागरूकता अभियानों तथा टीकाकरण अभियान को गति देने वाले विभिन्न हितधारकों के निःस्वार्थ, साहसी और दृढ़ प्रयासों को जाता है। तिमाही1:2019-20 (महामारी-पूर्व) में दर्ज जीडीपी के स्तर से देखा जाय तो दूसरी लहर की गंभीरता के बावजूद तिमाही1:2021-22 में उत्पादन की क्षति तिमाही1:2020-21 में हुई क्षति का लगभग एक तिहाई थी। यह प्रत्यास्थता और वृद्धि के आवेगों की अंतर्निहित मजबूती तिमाही2: 2021-22 के बाद से बहाली के फिर शुरू हो जाने में स्पष्ट थी। वास्तव में, दिसंबर 2021 के अंत से शुरू होने वाली तीसरी लहर[7] एक महीने की अवधि में सपाट हो गई और संक्रमण महामारी के प्रारंभ वाले स्तरों पर देखा गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि को महामारी से पहले के (2019-20 के) स्तर से 1.8 प्रतिशत से अधिक करते हुए 2021-22 में इसे 8.9 प्रतिशत पर रखा है। आधार-संरचना पर व्यय के राजकोषीय पुनर्प्राथमिकीकरण, फसल का अच्छा उत्पादन, प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच निर्यात वृद्धि, और रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार की गई अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों ने इस समष्टि-आर्थिक प्रदर्शन हेतु आधार दिया। तथापि, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल निश्चित पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ), जो बमुश्किल अपने महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर पाए हैं, अभी भी लक्ष्य से दूर हैं।

I.9 आपूर्ति पक्ष में, कृषि महामारी से अप्रभावित रही और उसे रोकथाम के उपायों से छूट का लाभ मिला। चावल और गेहूं के सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) और खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। *कृषि उड़ान* 2.0, 35 जलवायु प्रत्यास्थ (क्लाइमेट रेज़ीलिएंट) और पोषक तत्वों से भरपूर फसल किस्मों की शुरुआत, क्लस्टर-आधारित बागवानी समूह विकास कार्यक्रम और खाद्य तेल राष्ट्रीय मिशन - पाम तेल (एनएमईओ-ओपी) जैसे विभिन्न प्रयासों से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के परिव्यय में वृद्धि के अलावा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब गृहस्थों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों के मुफ्त वितरण को चरणबद्ध रूप में बढ़ाया गया।

I.10 वैश्विक आपूर्ति में लगातार बाधाओं तथा स्वनिर्णयगत उपभोग व निवेश व्यय के शिथिल पड़ने के बावजूद विनिर्माण ने कुछ बढ़ने का रुख़ दिखाया। सेवा क्षेत्र में सुधार मिला-जुला रहा जहाँ वित्तीय, स्थावर संपदा (रीयल इस्टेट) व पेशेवर सेवाओं और लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं ने गति पकड़ी, जबकि निर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, काफी हद तक संपर्क-गहन प्रकृति की होने के कारण, सुस्त रहीं। यद्यपि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के कारण श्रम बाजार की स्थिति सामान्य होने लगी है, पर श्रम भागीदारी पूरी नहीं हुई है और उनको फिर से कुशल बनाना प्राथमिकता हो जाती है।

[7] कोविड19- के दैनिक पुष्ट नए मामलों के संदर्भ में भारत की पहली लहर का शिखर (पीक) 97,894 संक्रमणों के साथ, 16 सितंबर, 2020 को घटित हुआ था। दूसरी लहर के दौरान, दैनिक उछाल 6 मई, 2021 को 4.1 लाख संक्रमणों के शिखर पर पहुँचा। ओमिक्रॉन-चालित तीसरी लहर में, पीक 20 जनवरी, 2022 को था जिसमें 3.5 लाख मामले थे। तब से, दैनिक मामलों में काफी गिरावट आई है और वर्तमान में 24 मई 2022 तक 1675 है। कोविड19- के कारण कुल मृत्यु 5.2 लाख थी (लगभग 4.3 करोड़ पुष्ट संक्रमण)।

I.11 वर्ष 2021-22 में भारत का एक महत्वपूर्ण अनुभव मुद्रास्फीति को लेकर है। आपूर्ति बाधाएं खाद्य मुद्रास्फीति को रह-रह कर प्रभावित करती रहीं और इनको आयात-मूल्य दबावों, विशेषत: वैश्विक खाद्य तेलों कीमतों ने और बढ़ाया। वर्ष के आखिर में कच्चे तेल की कीमतों ने मूल मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। इस अनुभव ने खाद्य तेलों और दालों में कीमतों के दबावों से राहत दिलाने में और उत्पाद शुल्क और राज्य स्तरीय मूल्य-योजित कर (वैट) में समय से कटौती द्वारा कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तीव्र वृद्धि के पेट्रोल और डीज़ल की घरेलू पंप कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष में उठाए गए कदमों का महत्त्व भी उजागर किया। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में भारी शिथिलता ने फ़र्मों की बिक्री कीमतों पर इनपुट लागत दबावों के प्रभाव को कम किया। वैश्विक जिंस-कीमतों में फिर से बढ़ोतरी (मार्च 2022 में वर्ष-दर-वर्ष, ऊर्जा की कीमतों में 102.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई; धातुओं और खनिजों में 28.2 प्रतिशत की; कीमती धातुओं में 10.3 प्रतिशत की; और कृषि जिंसों में 28.0 प्रतिशत की वृद्धि) आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं में नए सिरे से वृद्धि और 2021-22 की चौथी तिमाही में वित्त बाज़ार में बढ़ी हुई अस्थिरता ने मिलकर मुद्रास्फीति को तेजी से बढ़ा दिया। कुल मिलाकर, हेडलाइन मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.2 प्रतिशत के मुकाबले 2021-22 में औसतन 5.5 प्रतिशत रही। 2021-22 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति ऊपरी सहन-स्तर से आगे चली गई, जिसके कारण मौद्रिक नीति का संचालन चुनौतीपूर्ण हो गया।

I.12 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आपूर्ति आघातों को अनदेखा करने का निर्णय लिया तथा वृद्धि को पुनर्जीवित करने व सतत आधार पर इसे बनाए रखने हेतु निभावकारी (अकोमोडेटिव) रुख जारी रखते हुए नीतिगत रिपो दर को यथावत रखा और साथ ही यह सुनिश्चित किया कि आगे चलकर मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे। वर्ष के प्रारंभ से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) स्पष्टत: समय-सापेक्ष से स्थिति-सापेक्ष मार्गदर्शन की ओर मुड़ी और वर्ष 2021-22 में भावी मार्गदर्शन का महत्त्व बढ़ गया। इस मार्गदर्शन के अनुसार, बहाली को जारी रखने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियां बनाई रखी गईं। पर्याप्त चलनिधि (लिक्विडिटी) ने बाजार के मनोभावों को मजबूती दी। रिज़र्व बैंक ने भी विभिन्न क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्योन्मुख उपाय जारी रखे। इन उपायों में - अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए विशेष पुनर्वित्त सुविधाएँ; कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं की सहायता के लिए मीयादी चलनिधि सुविधा; लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए विशेष दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एसएलटीआरओ); और कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सदा-सुलभ चलनिधि की व्यवस्था - शामिल थे।

I.13 2021-22 की दूसरी छमाही में रिज़र्व बैंक ने कोई अतिरिक्त तरलता (लिक्विडिटी) प्रदान करने से परहेज किया और एक दिवसीय निश्चित दर रिवर्स रिपो विंडो के तहत किए जाने वाले अवशोषण को विभिन्न परिपक्वताओं की परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी की ओर पुनर्संतुलित करके तरलता अंबार (ओवरहैंग) का प्रबंधन शुरू किया। मार्च 2022 के अंत तक, वीआरआरआर नीलामियों ने अंबार (ओवरहैंग) का 70 प्रतिशत अवशोषित कर लिया। प्रभावी रिवर्स रिपो रेट (ईआरआर)[8] के नीतिगत रिपो रेट के करीब जाने और महामारी के निचले स्तरों से मुद्रा बाजार दरों को खींचने (पुल-अप) में ये परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। वर्ष के दौरान, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को महामारी से पहले के स्तरों तक बहाल करने, लक्ष्यित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के पुनर्भुगतान और खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) बिक्री के माध्यम से प्रणाली से ₹2.2 लाख करोड़ रुपये की राशि भी निकाली गई थी। इन

8 निश्चित दर रिवर्स रेपो दर और अलग-अलग परिपक्वताओं की वीआरआरआर नीलामी का भारित औसत जहाँ भार वह राशि है जो संबंधित विंडो के अंतर्गत अवशोषित है।

तरलता परिचालनों और बाह्य बेंचमार्क प्रणाली से जुड़ा लाभ यह हुआ कि वर्ष के दौरान क्रेडिट बाजार में मौद्रिक संचरण काफी बेहतर हुआ।

I.14 महामारी से संबंधित राजकोषीय प्रोत्साहन की नपी-तुली वापसी तथा मजबूत कर एवं गैर-कर संग्रहण के फलस्वरूप 2021-22 में केंद्र सरकार के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत अंक (संशोधित अनुमान) की गिरावट आई है। समेकन के बावजूद, निवल राजकोषीय आवेग सकारात्मक रहा जिसमें पूँजीगत व्यय और महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए कल्याणकारी उपायों[9] पर ध्यान दिया गया। विनिवेश कार्यक्रम के तहत एयर इंडिया का निजीकरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। राज्यों के राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों ने मजबूत रिकवरी दर्ज की और केंद्रीय कर अंतरण केंद्र के बजट अनुमान से अधिक हो गया। विशेष रूप से, राज्यों के पूँजीगत व्यय में वृद्धि से खर्च की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रमुख उप-राष्ट्रीय घाटा संकेतकों से भी वर्ष के दौरान सुधार देखने को मिला।

I.15 विकट विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, भारत का माल निर्यात, महामारी-पूर्व के स्तर से 16.6 प्रतिशत के मात्रात्मक विस्तार के साथ 2021-22 में यूएस$ 421.9 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च तकनीक वाले सामानों ने भारत के निर्यात प्रदर्शन को अधिकाधिक बढ़त प्रदान की, जो घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की मजबूती को दर्शाता है। श्रम-गहन निर्यातों के साथ-साथ कृषि उत्पादों ने निर्यात प्रयास को बल दिया। इसके अलावा, उत्पादों और गंतव्यों के दृष्टिकोण से एक विविध निर्यात पोर्टफोलियो ने प्रत्यास्थता दी, जो सचेत नीतिगत पहलों को दर्शाता है। 2021-22 में भारत के निर्यात प्रदर्शन की एक उल्लेखनीय विशेषता सर्विसेज़ क्षेत्र के निर्यात में ज़बर्दस्त वृद्धि थी, जिसमें प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) निर्यातकों के मजबूत राजस्व के आधार पर सॉफ्टवेयर निर्यात नई ऊंचाई पर पहुँचा।

I.16 2021-22 के इन विशिष्ट अनुभवों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य क्षेत्र में शक्ति दी। इसके परिणामस्वरूप, भले ही आयात में भारी वृद्धि ने चालू खाते को पहली तिमाही में अधिशेष से बाद की तिमाहियों में घाटे में बदल दिया, किन्तु चालू खाते का घाटा अप्रैल-दिसंबर 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत पर मामूली बना रहा। इसका वित्त पोषण सहजता से हो गया और साथ ही अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधियों में एक बड़ी अनुवृद्धि भी हुई। इसके अलावा, बाह्य ऋण के कम होने के कारण बाह्य क्षेत्र के जोखिमों को कम करने में सहायता मिली।

I.17 रिज़र्व बैंक द्वारा पर्याप्त चलनिधि समर्थन और विभिन्न विनियामकीय व्यवस्थाओं ने बैंकिंग क्षेत्र को महामारीजनित व्यवधानों से बचाव का एक आवरण दिया। पीएसबी एवं निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों द्वारा बाजार से पूँजी जुटाने और लाभ प्रतिधारण के साथ-साथ, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण[10] से बैंकों को पूँजीगत मज़बूती हासिल हुई जिससे उनकी जोखिम अवशोषण-क्षमता में वृद्धि हुई। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) अनुपात छह वर्षों के अपने निम्नतम स्तर पर आ गया, जिसमें वसूली के समुचित प्रयासों और उच्चतर तकनीकी अपलेखन (टेक्निकल राइट ऑफ़्स) की भूमिका रही। नामिक (नॉमिनल) जीडीपी वृद्धि के साथ बैंक ऋण वृद्धि सुधरने लगी है और बैंक निवल लाभ फिर से हासिल कर रहे हैं।

[9] केंद्र सरकार ने 2021-22 की पहली तिमाही (दूसरी लहर) के दौरान ₹6.3 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उपाय, *आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना* का विस्तार, कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।

[10] वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार ने ₹4,600 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण सहित पिछले पाँच वर्षों में पीएसबी में ₹2.9 लाख करोड़ रुपए डाले हैं।

I.18 वर्ष 2021-22 (दिसंबर 2021 तक) में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के तुलन पत्र का विस्तार हुआ, किन्तु इस क्षेत्र में आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट आई। तथापि, पूँजी आवरणों (कुशन्स) में सुधार हुआ है। वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ एनबीएफसी के बढ़ती अंतर्संबद्धता को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2021 को एनबीएफ़सी के लिए स्केल आधारित विनियम दिशानिर्देश जारी किए। रिज़र्व बैंक ने 14 दिसंबर 2021 को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना को एनबीएफसी तक विस्तारित करने हेतु दिशानिर्देश भी जारी किए। यह संरचना, प्राथमिक डीलरों, आवास वित्त कंपनियों और जनता की जमाराशि (पब्लिक फंड्स) स्वीकार न करने वाली एनबीएफ़सी को छोड़कर, मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तरों (लेयरों) में सभी गैर-सरकारी एनबीएफसी पर लागू होगी। ये उपाय एनबीएफ़सी के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे।

I.19 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के विनियमन की समीक्षा पर भी ध्यान दिया। 14 मार्च 2022 को जारी किए गए निर्देशों का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाना और विभिन्न विनियमित संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य एनबीएफसी द्वारा प्रदान किए गए सूक्ष्म वित्त ऋणों के विनियमन में सामंजस्य स्थापित करना था। रिज़र्व बैंक ने इन संस्थाओं को गृहस्थ आय के मूल्यांकन, गृहस्थ आय के प्रतिशत के रूप में एक गृहस्थ के ऋण चुकौती दायित्वों की सीमा, और सूक्ष्म वित्त ऋणों के कीमत निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करने का भी निर्देश दिया। वर्ष के दौरान बैंकों और एनबीएफसी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत उपायों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अनुबंध I और II में शामिल किए गए हैं।

I.20 इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना रही वित्तीय समावेश के प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मीट्रिक की स्थापना। रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेश सूचकांक (एफआई-इंडेक्स)[11] 97 सूचकांकों पर आधारित है जो आसान अभिगम, सेवाओं की उपलब्धता व उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। मार्च 2021 के अंत तक, सूचकांक का स्तर 53.9 हो गया है (मार्च 2017 के अंत में यह 43.4 था) जो अभी तक तय किए गए सफर और आगे के लक्ष्यों को दर्शाता है।

I.21 प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर, वर्ष के दौरान डिजिटल पैठ, अभिनव भुगतान विकल्प और "अल्प नकदी" निर्भर समाज की ओर उपभोक्ता उन्मुखीकरण को बढ़ावा देने लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार को दर्शाने के लिए बनाए गए डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) से डिजिटल भुगतानों के अपनाए जाने और इनकी पैठ में सतत वृद्धि का संकेत मिला। यूपीआई प्रणाली के आधार पर UPI123Pay की शुरुआत कर देश में 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सुविधा दी गई। भुगतान आधार-संरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) के परिचालन ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान स्वीकृति पदचिह्नों के विस्तार में सहायता की, और अकेले 2021 में ही 85 लाख से अधिक भुगतान स्पर्श बिंदु (टच पॉइंट्स) लगाए गए। केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की चौबीस घंटे उपलब्धता, अतिरिक्त निपटान चक्रों की शुरूआत, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा परिचालित कुछ खंडों के लिए समय सीमा (कट-ऑफ टाइमिंग) का विस्तार और हर दिन राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के परिचालन ने भुगतान क्षेत्र में ऋण और निपटान जोखिमों को कम करने में मदद की।

I.22 फिनटेक के बढ़ते क्षितिज को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 4 जनवरी 2022 से एक पूर्ण फिनटेक विभाग की स्थापना

[11] एफआई-इंडेक्स को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा।

की। प्रतिकृतियों (प्रोटोटाइप्स), पेटेंट और अवधारणा साक्ष्य के विकास हेतु एक परितंत्र निर्मित करने और साथ ही विभिन्न विनियामकीय क्षेत्रों और राष्ट्रीय सीमाओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) भी स्थापित किया गया।

I.23 वित्तीय प्रणाली में आम जनता का विश्वास बढ़ाने और वैकल्पिक शिकायत निपटान प्रणाली को सरलतर, अधिक सक्षम व संवेदनशील बना कर विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' के दृष्टिकोण के साथ एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 प्रारंभ की है। रिज़र्व बैंक ने कागजी/भौतिक और ई-मेल शिकायतों के प्रारंभिक प्रसंस्करण के लिए एक केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) की स्थापना भी की है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने अपनी वैकल्पिक शिकायत निपटान प्रणाली पर शिकायतकर्ताओं को सूचना / सहायता प्रदान करने के लिए पहली बार एक संपर्क केंद्र भी स्थापित किया है। आंतरिक लोकपाल व्यवस्था को पात्र एनबीएफसी के लिए भी लागू किया गया है।

I.24 केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसरण में एक ऐतिहासिक विधान द्वारा 13 अगस्त 2021 को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया। 01 सितंबर 2021 से प्रभावी इन संशोधनों ने रिज़र्व बैंक द्वारा जमा की निकासी पर लगाए गए प्रतिबंध वाले बैंकों के मामले में डीआईसीजीसी को जमाकर्ताओं को बीमाकृत राशि तक, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने के दिनांक से 90 दिनों के अंदर, भुगतान करने का अधिकार दिया है। विभिन्न देशों के अनुभव में जमाकर्ताओं को ऐसे शुरुआत में ही भुगतान (अप-फ्रंट पेमेंट) का कोई मामला अब तक नहीं देखा गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार, डीआईसीजीसी ने रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व-समावेशी निदेशों के अंतर्गत रखे गए 22 शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित 2,64,142 जमाकर्ताओं को ₹3,457.4 करोड़ की दावों की राशि स्वीकृत की है।

2022-23 के परिदृश्य पर दृष्टि

I.25 फरवरी 2022 में यूरोप में शुरू हुए भू-राजनैतिक संघर्ष ने एक भीषण आघात दिया है जिसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके घटकों पर पड़ने की आशंका है। नकारात्मक बाह्यताएं पहले से ही वित्तीय और पण्य बाजारों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणालियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवस्था को सिहरा रही हैं। विशेष रूप से, बढ़ती खाद्य और ईंधन की कीमतें, और आवश्यक वस्तुओं की कमी वंचितों को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। ऊँचे और प्रसरित मुद्रास्फीतीय दबावों पर कार्रवाई के तौर पर दुनिया भर के देशों द्वारा अधिक सख़्त मौद्रिक नीति रुख़ अपनाए जाने से तंग होती वित्तीय स्थितियों पर ये शक्तियां आरूढ़ हो रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, ऐसी संभावना है कि कारकों के इस भंवर का खामियाजा ईएमडीई को भुगतना पड़े, जिनकी कमजोर बहाली जोखिम पर है, ऊँची कीमतों और आपूर्ति बाधाओं से जिनकी आबादी ग्रस्त है, जिनकी मुद्राएं अधोमुखी दबाव और पूँजी का पलायन झेल रही हैं और जिनके ऋण प्रोफाइल कमजोर हो गए हैं। मानव पूँजी और निवेश क्षति के कारण ईएमडीई के लिए क्षतचिह्न बड़े हैं जो 2023 तक आर्थिक गतिविधि और रोजगार को महामारी-पूर्व के रुझानों से नीचे रखेंगे। निकट अवधि का परिदृश्य तरल है, तेजी से विकसित हो रहा है और बेहद अनिश्चित है। संभवतः इसका प्रभाव दीर्घकालिक संभावनाओं पर पड़ेगा, जिसमें महामारी के क्षतचिह्नों का गहराना, अवैश्वीकरण, वित्तीय विखंडन और जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए गए प्रयासों का पीछे हो जाना शामिल है।

I.26 ऐसी संभावना है कि 2022 में वैश्विक बहाली को वेग की क्षति झेलनी पड़े। जोखिम बड़े हैं और नकारात्मक पक्ष की ओर - युद्ध का तेज होना; अभावों के कारण सामाजिक अशांति; महामारी का फिर से सर उठाना; चीन में मंदी का बदतर होना; और जलवायु तनाव का पेरिस समझौते के लक्ष्यों से अधिक हो जाना। अप्रैल 2022 के अपने डब्ल्यूईओ में, आईएमएफ ने वर्ष के लिए वैश्विक वृद्धि को 2021 में 6.1 प्रतिशत से तेजी से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया है। एई एक साल पहले के 5.2

प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत और ईएमडीई 6.8 प्रतिशत से घटकर 3.8 प्रतिशत पर आ सकती हैं। दोनों समूहों के क्रमशः 2.6 और 2.8 प्रतिशत अंक से अधिक मुद्रास्फीति से गुजरने की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार की मात्रा का विस्तार 2021 में 10.1 प्रतिशत से आधा हो जाने की उम्मीद है, मुख्यत: पण्य वस्तु व्यापार में नरमी के कारण, जबकि सेवाओं के दबे रहने और 2023 में और भी धीमा होने की उम्मीद है।

I.27 ऐसे समय में जबकि आर्थिक बहाली में मदद करना निर्धारित प्राथमिकता होनी चाहिए थी, वहाँ लगातार बनी हुई उच्च मुद्रास्फीति प्रतिकारी (काउंटरवेलिंग) मौद्रिक नीति कार्रवाई के लिए बाध्य कर रही है। 2022 के दौरान अब तक (24 मई 2022 तक), एई और ईएमई के 40 केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि की है और/या चलनिधि को कम किया है। आगे चलकर, नीतिगत तालमेल बनाना जटिलतर होता जा रहा है, साथ ही, मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) और सामान्येतर/पुछल्ले जोखिम (टेल रिस्क) चिंताजनक होते जा रहे हैं।

I.28 घबराए वित्तीय बाजारों में ये तनाव पहले से ही दिख रहे हैं। 2022 की पहली तिमाही में प्रमुख स्टॉक बेंचमार्कों को नुकसान हुआ। पहले की गई प्रत्याशा से बड़ी व अधिक तेज मौद्रिक सख्ती के कारण यूएस डॉलर की कीमत में वृद्धि हुई जिसके साथ उदीयमान बाजार मुद्राओं में इससे जुड़ा हुआ मूल्यह्रास हुआ और बेंचमार्क बॉण्डों के प्रतिफल बढ़ गए। प्रतिफल (यील्ड) स्प्रेड संकुचित और ऋणात्मक भी हो रहे हैं और प्रतिफल वक्र, खंडों में व्युत्क्रमित (इन्वर्स) हो रहे हैं। वास्तव में, 2022 की पहली तिमाही में अमेरिका में प्रतिफल वक्र में व्युत्क्रमण की घटनाएं पहले ही घट चुकी हैं। यूएस में तीव्र मौद्रिक सख्ती की बढ़ती प्रत्याशा के कारण, 2022 की दूसरी तिमाही में अब तक, अमेरिकी डॉलर में मजबूती के साथ-साथ बॉन्ड प्रतिफल में और वृद्धि भी हुई है। भू-राजनैतिक तनावों में अनिश्चितताओं, पण्य कीमतों में निरंतर अस्थिरता से उत्पन्न मुद्रास्फीतीय दबावों और चीन में कोविड-19 से संबंधित ताजे प्रतिबंधों के चलते निवेशकों के हतोत्साहित हो जाने के कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के इक्विटी सूचकांक और नीचे (संशोधित हो) गए हैं।

I.29 उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए, वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित नीतिगत प्राथमिकताएं भविष्य की राह तय करेंगी: (ए) समुत्थान (रिकवरी) की रक्षा करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौद्रिक नीति का तदनुसार नपे तुले ढंग से संचालन; (बी) समेकन के दायरे में सबसे कमजोर घटक के लिए राजकोषीय सहायता को प्राथमिकता; (सी) मौद्रिक नीति के साथ कदम मिलाते हुए समष्टि विवेकपूर्ण नीति में कसाव; (डी) स्वास्थ्य और संरचनात्मक सुधारों (*यथा* डिजिटलीकरण, कामगारों का पुनर्कौशलीकरण, आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्विन्यास, जलवायु प्रत्यास्थता (रेज़िलिएंस), ऋण समाधान और व्यापार सहयोग) पर ध्यान और (ई) आर्थिक विखंडन (फ्रैगमेंटेशन) को रोकना और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के समन्वित कार्यों के माध्यम से निर्धनतम देशों को सहयोग। ये प्राथमिकताएं देश विशिष्ट और साथ ही बहुपक्षीय कार्रवाई की मांग करती हैं।

I.30 इन प्रतिकूल वैश्विक घटनाक्रमों के बीच चल रही आर्थिक बहाली प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और आगे चलकर समष्टि आर्थिक संभावनाएँ सुधारने की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। भू-राजनैतिक उथल-पुथल के प्रभावों को देखते हुए, एमपीसी ने अपने अप्रैल के समाधान में 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि को संशोधित करते हुए घटाकर 7.2 प्रतिशत किया है – युद्ध से पहले के अपने अनुमान से 60 आधार अंक कम जिसका मुख्य कारण निजी खपत पर तेल की ऊँची कीमतों की छाया का मँडराना और आयात में वृद्धि के चलते निवल निर्यात का कम हो जाना है। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति के 120 आधार अंकों की बढ़ोतरी के साथ 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। मौद्रिक नीति निभावी (एकोमोडेटिव) बनी हुई है लेकिन ध्यान निभाव (एकोमोडेशन) को वापस लेने पर है। आगे के लिए प्राथमिकता यह है कि वृद्धि को अवलंब देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर नियंत्रित किया जाए।

I.31 सामान्य मानसून [दीर्घावधि औसत (एलपीए) के 99 प्रतिशत ±5 प्रतिशत पर] की भविष्यवाणी के आधार पर इस समय कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए संभावनाएं उज्ज्वल हैं और ऐसी उम्मीद है कि निर्यात से व्यापार शर्त संबंधी लाभ

होंगे। सरकार ने 2022-23 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 328 मिलियन टन रखा है। तरल नैनो यूरिया की शुरुआत आगामी खरीफ़ मौसम के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, कृषि उत्पादकता बढ़ाना एक प्रमुख सरोकार बना हुआ है। इसे कृषि अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी की तकनीकी प्रगति और कृषि-तकनीक (एग्री-टेक) स्टार्ट-अप्स के फूलने-फलने हेतु नवोन्मेष और उद्यमशीलता के परिवेश द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

I.32 प्रारंभिक संकेतकों से सभी अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की बहाली के संकेत मिल रहे हैं, जिनका पोषण बड़े यत्न से करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ता एवं कारोबारी विश्वास व निजी निवेश को बढ़ावा मिले। कई उद्योगों में क्षमता उपयोग सामान्य स्तर के करीब आ गया है, हालांकि बढ़ती इनपुट लागत और निरंतर आपूर्ति बाधाओं, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की कमी, के कारण एक पूर्णतर बहाली या तो बाधित हो सकती है या इसमें देर हो सकती है। वर्ष 2021-22 के अनुभव से, आगामी वर्ष में संपर्क-गहन क्षेत्रों में उछाल की उम्मीद है जिसका कार्यबल और खपत की मांग के लिए सकारात्मक प्रभाव होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में आधार-संरचना और निवेश पर दिया गया जोर, कोविड-19 के बाद बहाली को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालयों के आधार-संरचना योजनाओं को साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाने वाले *प्रधानमंत्री गति शक्ति* से क्रियान्वयन अधिक कुशलतापूर्वक होगा और व्यवस्थापरक लागतों में कमी आएगी। इसी तरह, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और जलवायु परिवर्तन के प्रति नीतिगत समर्थन से भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति में सहभागी बनने और इसका लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

I.33 आगे चलकर मुद्रास्फीति के मार्ग में काफ़ी अनिश्चितताएं हैं और प्राथमिक रूप से यह उभरती भू-राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। वैश्विक पण्य कीमतों में तेज वृद्धि से भारत में खाद्य मुद्रास्फीति खासी प्रभावित हो रही है। यद्यपि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान खाद्य मुद्रास्फीति के लिए अच्छा संकेत है, पर भू-राजनैतिक जोखिमों के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों को लेकर बढ़ी हुई अनिश्चितता इन सकारात्मक घरेलू घटनाक्रमों को उलट सकती है विशेषत: गेहूं, खाद्य तेल, चारा लागत (फ़ीड कॉस्ट) और उर्वरक जैसी प्रमुख कृषि निविष्टियों (इनपुट्स) की ऊँची कीमतों के माध्यम से। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, प्रमुख कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान मिलकर इनपुट लागत पर दबावों को बढ़ा सकते हैं। विशेषत:, यदि कच्चे तेल की कीमतें यूएस$100/ प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं तो विभिन्न विनिर्माण और सेवाओं की कीमतों में फिर से उछाल आने का जोख़िम हो सकता है। आपूर्ति पक्ष के नीतिगत हस्तक्षेप, जैसे – कच्चे कपास के आयात पर सीमा शुल्क हटाना, गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध, पेट्रोल पर ₹8 प्रति लीटर और डीजल ₹6 प्रति लीटर सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) घटाना, कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क बढ़ाना, स्टील और प्लास्टिक के कतिपय कच्चे मालों पर आयात शुल्क घटाना, चीनी के निर्यात को सीमित करना, 31 मार्च 2024 तक प्रति वित्त वर्ष सूरजमुखी और सोयाबीन के कच्चे तेल के 20 लाख टन के आयात पर कृषि अवसंरचना और विकास सेस (एआईडीसी) एवं सीमा शुल्क हटाना और लिए जा सकने वाले अन्य उपायों से कुछ राहत मिल सकती है। भू-राजनैतिक संघर्ष के तेजी से समाधान और आगे कोविड-19 की भीषण लहरों के न आने से ये दबाव कम हो सकते हैं एवं उलट भी सकते हैं और मूल मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में सहायता हो सकती है।

I.34 मार्च की मुद्रास्फीति के आँकड़ों में निकट-अवधि मुद्रास्फीति अनुमान के तेजी से सही होने के जोखिम और उसके बाद के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में एमपीसी ने 2 और 4 मई 2022 को एक चक्र-बाह्य (ऑफ-साइकिल) बैठक आयोजित की। यह नोट करते हुए कि अंतर्निहित आधारभूत पक्षों और बफर के सहारे घरेलू आर्थिक गतिविधि वैश्विक बाधाओं का सामना करते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है, एमपीसी ने मुद्रास्फीति के ऊँचे बने रहने का अनुमान लगाया जिसे देखते हुए मुद्रास्फीतीय प्रत्याशाओं को स्थिर करने और दूसरे दौर के प्रभावों को रोकने के लिए दृढ़ व नपे-तुले कदमों की आवश्यकता थी। तदनुसार,

एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। साथ ही, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर क्रमशः 4.15 प्रतिशत और 4.65 प्रतिशत पर समायोजित हुई। इसके अलावा, निभावी रुख़ को वापस लिए जाने को ध्यान में रखते हुए और बहु-वर्षीय समय-सीमा में चलनिधि/तरलता को क्रमशः वापस लिए जाने की पूर्व-घोषणा के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया जो 21 मई 2022 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी होगा और इस तरह बैंकिंग प्रणाली से ₹87,000 करोड़ की तरलता (लिक्विडिटी) वापस ले ली जाएगी। रिज़र्व बैंक, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि (लिक्विडिटी) बनाए रखते हुए चलनिधि प्रबंधन के प्रति सूक्ष्म और त्वरित दृष्टिकोण अपनाना जारी रखेगा। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के लिए एक नया स्तर प्रदान करने हेतु रिपो दर से 25 आधार अंक नीचे एक असंपार्श्विक सुविधा के रूप में अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत तथा अलग-अलग परिपक्वताओं की वीआरआरआर नीलामियों और अल्पकालिक चलनिधि की कमी को पूरा करने के लिए परिवर्तनीय दर रिपो (वीआरआर) नीलामियों के माध्यम से चलनिधि अवशोषण के दो-तरफा परिचालन इस उद्देश्य को अबाध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

I.35 2022-23 (बीई) में, केंद्र सरकार ने राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। वर्ष 2025-26 तक जीएफडी-जीडीपी अनुपात को 4.5 प्रतिशत से कम करने के लक्ष्य के अनुरूप जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 0.3 प्रतिशत अंकों की कमी की बात की गई है। राजस्व व्यय पर लगाम लगाकर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हासिल करने का प्रयास है, जबकि पूँजीगत व्यय के संबंध में अनुमान है कि यह जीडीपी के 1.8 प्रतिशत के दशकीय औसत के मुकाबले जीडीपी के 2.9 प्रतिशत तक बढ़ेगा। पूँजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 (बीई) में सुधरकर 5.2 होने की अपेक्षा की जा रही है, जो 2010-11 से 2019-20 के दौरान के 7.8 के औसत से स्पष्टत: कम है। विभिन्न स्तरों पर बफ़र्स के निर्माण की कार्यनीति और 65,000 करोड़ का यथार्थपरक विनिवेश लक्ष्य (पिछले 5 वर्षों में औसत उगाही के करीब) भविष्य के आघातों से निपटने की गुंजाइश (हेडरूम) प्रदान करता है। लेखांकन प्रथाओं में पारदर्शिता राजकोषीय अंकगणित को विश्वसनीयता प्रदान करती है। 'पूँजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना' के तहत 2021-22 (आरई) में ₹15,000 करोड़ से 2022-23 (बीई) में ₹1 लाख करोड़ के वर्धित आबंटन से राज्यों के पूँजीगत व्यय को 2022-23 में बड़ा बल मिलने की उम्मीद है।

I.36 यदि भू-राजनैतिक तनाव कम होते हैं, तो मौजूदा वैश्विक आपूर्ति व्यवधान समाप्त हो सकते हैं और विश्व व्यापार को पुन: गति प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं। इससे भारत के बढ़ते कृषि निर्यात में बढ़ोतरी आ सकती है। भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में घोषित की गई ग्रीन हाइड्रोजन/ ग्रीन अमोनिया नीति भारत की ऊर्जा सुरक्षा को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से सुनिश्चित करेगी और जीवाश्म-आधारित आयात पर निर्भरता को कम करेगी।

I.37 भारत का यूएई के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) अफ्रीका और एशिया के साथ व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर करने से ऑस्ट्रेलियाई बाजारों में भारत के लिए प्राथमिकता आधारित पहुँच का मार्ग खुलेगा। यूके, कनाडा और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) जैसे विभिन्न अन्य देशों/ब्लॉकों के साथ व्यापार समझौते किए जा रहे हैं और इससे भारत की निर्यात बाजार विविधीकरण रणनीति को बढ़ावा मिलने की संभावना है। विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2021-26 से प्रत्याशा है कि यह 2030 तक यूएस$1 ट्रिलियन के व्यापारिक निर्यात को प्राप्त करने के लिए एक मध्यम अवधि का मार्ग प्रदान करेगी। राज्य, अपनी ओर से, भारत सरकार के प्रयासों जैसे 'एक जिला एक उत्पाद', के पूरक के रूप में सहायक आधार-संरचना, ई-बाजार रणनीतियां और निर्यात-उन्मुख नीतियां बनाने पर

ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राज्य अपनी ओर से भारत सरकार के प्रयासों जैसे 'एक जिला एक उत्पाद', के पूरक के रूप में सहायक आधार-संरचना, ई-बाजार रणनीतियां और निर्यात-उन्मुख नीतियां बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, इस्पात और ऑटोमोटिव्स जैसे क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) में भारत की भागीदारी बढ़ाएगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात निर्भरता को कम करेगी। इसके अलावा, सीमा शुल्क के युक्ति-संगतिकरण का उद्देश्य मूल्य-वर्धित विनिर्माण में वृद्धि के माध्यम से *आत्मनिर्भर भारत* लक्ष्यों को सशक्त बनाना है, जिससे भारत की जीवीसी भागीदारी और मजबूती मिलेगी।

I.38 साथ ही, उम्मीद से अधिक लंबी आपूर्ति शृंखला बाधाएं, ऊँची माल भाड़ा दरों और बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों के बीच वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। यद्यपि मौजूदा संघर्ष के संदर्भ में प्रत्यक्ष व्यापार और वित्त एक्सपोज़र सीमित हैं, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें चालू खाता घाटे को बढ़ा सकती हैं, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत सहित ईएमई के प्रति जोखिम-विमुख बने रह सकते हैं। फिर भी, मजबूत आरक्षित निधि (रिज़र्व) बफर, एक मजबूत एफडीआई पाइपलाइन और माल निर्यात का समर्थन करने और जीवीसी में भागीदारी की दिशा में अग्रसक्रिय नीतिगत उपायों से अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल वैश्विक प्रसार-प्रभावों (स्पिलओवर्स) का सामना करने में मदद मिलनी चाहिए।

I.39 विनियामकीय राहतों के साथ-साथ क्रेडिट गारंटियों और सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के कारण बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर वित्तीय मानकों के पीछे उच्च पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रारंभिक तनाव तथा महामारी से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों में और अधिक गिरावट की संभावना छिपी हो सकती है। अवलंबों को वापस लिए जाने के साथ, कुछ पुनर्संरचित खातों को शोधन-क्षमता संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से आगामी तिमाहियों में बैंकों के तुलन पत्रों में और स्पष्टता आ सकती है। विवेक की दृष्टि से करने के लिए गैर-अर्थक्षम खातों की अग्रसक्रिय पहचान करने की आवश्यकता है ताकि समय पर समाधान को सक्रिय किया जा सके। आगे बढ़ते हुए, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था सुधरेगी और ऋण की मांग बढ़ेगी, बैंकों को उभरते जोखिमों के प्रति सतर्क रहते हुए ऋण वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस बात का ध्यान रखना होगा कि नई गिरावटें रोकी जाएं और बैंकों के तुलन पत्रों को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में तनाव की निर्मिति न हो।

I.40 राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना पहले से चली आ रही बड़े मूल्य की दबावग्रस्त अस्तियों के समाधान के लिए आगे बढ़ाया गया कदम है और दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्राथमिक और संभावित है कि द्वितीयक बाजारों में निवेशकों की रुचि को पुनर्जीवित करने के लिए यह एक समय-कुशल तंत्र के रूप में काम करे। आगे जाकर, निरंतर प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता (प्रोफेशनलिज़्म) और परिचालन में पारदर्शिता पूरे कार्य को लागत-एवं समय प्रभावी बनाने में सहायक होगी। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) की स्थापना से दीर्घावधि वित्तपोषण का बोझ बैंकों से हटने की उम्मीद है। एनएबीएफआईडी अवसंरचना वित्तपोषण के लिए आवश्यक बॉण्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

I.41 एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने तुलन पत्र की कमजोरियों के प्रति सजग रहना होगा और अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मजबूत आस्ति-देयता प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। प्रणाली स्तर पर, फंडिंग के उल्लेखनीय हिस्से को एनबीएफसी द्वारा अवशोषित किए जाने को देखते हुए, वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है। विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना को और अधिक मजबूत करने के लिए, 2022-23 में, बैंकों और एनबीएफसी के लिए कई कदम उठाए जाने की संभावना है, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय VI में बताया है।

I.42 भुगतान क्षेत्र में आगे चलकर, डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पूरे भारत एवं उसके बाहर भुगतान प्रणालियों की पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जिओ-टैगिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से मौजूदा भुगतान स्पर्श-बिंदुओं (टच पॉइंट्स) के सटीक स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी और देश भर में डिजिटल भुगतान स्वीकृति आधार-संरचना को बढ़ाने के लिए लक्ष्यित साक्षरता कार्यक्रमों एवं हस्तक्षेप कार्यनीतियों के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। भारत के सीपीएस की उपलब्धता को विस्तार देकर अन्य क्षेत्राधिकारों में ले जाने की संभावना के साथ-साथ भारत की तेज भुगतान प्रणाली - यूपीआई - को अन्य देशों में समान प्रणालियों के साथ जोड़ने की चल रही पहल विप्रेषण सहित सीमा पार भुगतान व्यवस्थाओं को बढ़ाएगी।

I.43 रिज़र्व बैंक भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) शुरू करने की तैयारी में है। यह आवश्यक है कि सीबीडीसी की डिज़ाइन मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता एवं मुद्रा और भुगतान प्रणालियों के कुशल परिचालन के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप हो। सीबीडीसी को शुरू करने में रिज़र्व बैंक एक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता है, जिसमें अवधारणा साक्ष्य[12] प्रायोगिक परियोजना और शुरुआत (लॉन्च) करने के उत्तरोत्तर चरण शामिल होंगे।

I.44 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक फिनटेक क्षेत्र में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा। यह डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के लिए विजन, मिशन और कार्यनीति दस्तावेजों और नीतिगत संरचना को अंतिम रूप देते हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) के माध्यम से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा। "एमएसएमई उधार" और "रोकथाम और वित्तीय धोखाधड़ी का शमन" पर नियामक सैंडबॉक्स के तीसरे और चौथे कोहॉर्ट के तहत संस्थाओ के परीक्षण और मूल्यांकन साथ ही हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 के परिणाम के द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की अपेक्षा है।

I.45 ग्राहक संरक्षण के लिए विनियामकीय परितंत्र में सुधार, शिकायत निपटान प्रणाली के उन्नयन तथा इसमें आसान और त्वरित पहुँच प्रदान करने, और जनसंख्या के वंचित वर्गों एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में भी ग्राहक जागरूकता व वित्तीय शिक्षा के प्रसार के अपने प्रयासों को रिज़र्व बैंक जारी रखेगा। भविष्य में, राष्ट्रीय वित्तीय समावेश कार्यनीति (एनएसएफआई) और राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति (एनएसएफई) के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों का कार्यान्वयन देश में वित्तीय समावेश की गति को बनाए रखेगा।

I.46 संक्षेप में, बीता वर्ष कई चुनौतियां लेकर आया, लेकिन प्रतिकूलताओं के बावजूद बहाली आगे बढ़ रही है। आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं पर कार्रवाई, वृद्धि को अवलंब देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर लाने के लिए मौद्रिक नीति के नपे-तुले समायोजन और समग्र मांग को लक्ष्यित राजकोषीय नीति द्वारा सहयोग, विशेषत: पूँजीगत व्यय को बढ़ावा देने से वृद्धि का भावी मार्ग आकार लेगा। निरंतर, संतुलित और समावेशी विकास की कुंजी संरचनात्मक सुधारों द्वारा मध्यावधि वृद्धि संभाव्यताओं को बेहतर करने में है, विशेषत: उत्पादकता बढ़ाने हेतु नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कर्मियों को फिर से कौशल प्रदानकर महामारी के बाद के प्रभावों के अनुरूप स्वयं को ढालने में उनकी सहायता करने में।

[12] इस कार्य का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसी विचार (आइडिया) को वास्तविकता में बदला जा सकता है या नहीं अथवा यह जाँचना कि विचार वैसे ही कार्य करेगा जैसा सोचा गया था।

II आर्थिक समीक्षा

वैश्विक महामारी से उबरने के साथ-साथ वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ी, हालांकि घातक संक्रमण वाली दूसरी लहर और अपेक्षाकृत कम हानिकारक तीसरी लहर ने इसके समक्ष समय-समय पर बाधाएँ खड़ी कीं। वर्ष के दौरान आपूर्ति को लगने वाले बार-बार के आघातों से हेडलाइन मुद्रास्फीति में उछाल आया हालांकि, जैसे-जैसे आघातों का असर कम हुआ, लक्ष्यों में प्रतिगमन भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मौद्रिक और ऋण परिदृश्य भी निभावकारी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप ही विकसित हुआ यद्यपि, वर्ष के आखिरी चरण में वैश्विक स्पिलओवर के प्रभावों के कारण वित्तीय स्थितियों में थोड़ी सख्ती देखने को मिली और इसने वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ा दी। वर्ष 2022 के प्रारंभ में भू-राजनीतिक जोखिम के तीव्र होने और उससे जुड़ी घटनाएँ वैश्विक परिदृश्य पर हावी रहीं और ईएमई, जिसमें भारत भी शामिल है, पर इसका खतरा सबसे अधिक महसूस किया गया। कर से प्राप्त राजस्व में आयी मजबूत बहाली ने सकल राजकोषीय घाटे को बजट में निर्धारित लक्ष्य के आस-पास सीमित रखने में सहायता की। निर्यात क्षेत्र में लगातार जारी मजबूती और आवक विप्रेषणों में आयी जान ने भुगतान शेष को व्यवहार्य बनाए रखने में आधार का काम किया और साथ ही, निवल पूंजीप्रवाह ने भी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि भंडार को बढ़ाने में योगदान किया।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था[1]

II.1.1 वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षाधीन अवधि के समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य को ओमिक्रॉन, बढ़ती खाद्य कीमतों और जड़ मुद्रास्फीति, यूएस फेड के बहुप्रतीक्षित लिफ्ट-ऑफ और वर्ष के अंत में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से वर्ष 2022 की शुरुआत में गहराते टकराव के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। वर्ष 2021 की पहली छमाही में, असमान और अलग-अलग समुत्थान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पिछले वर्ष में महामारी द्वारा लगाए गए गहरे संकुचन से बाहर निकाल दिया। अप्रैल 2022 के अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, पिछले वर्ष में 3.1 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले वर्ष 2021 में विश्व जीडीपी में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021 के प्रारंभिक चरण में कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के कारण एक तेज झटके के बाद, वैश्विक सुधार ने कुछ गति हासिल कर ली थी, भले ही विकास के रास्ते मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों के आकार और स्थायित्व तथा टीकों तक पहुँच के दृष्टिकोण से व्यापक रूप से भिन्न थे। वैश्विक विकास ने वर्ष की दूसरी छमाही में कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक लेकिन कम घातक संस्करण – ओमिक्रॉन के कारण अपनी गति खो दी। इन लहरों के द्वारा वैश्विक आपूर्ति शृंखला और रसद आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापार वर्ष की दूसरी छमाही में ठीक हो गया और इसमें वर्ष 2021 में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेजी को रेखांकित करते हुए, वैश्विक विनिर्माण वर्ष 2020 के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में 9.4 प्रतिशत हो गया[2]।

II.1.2 यहां तक कि पेंट-अप खर्च के पुनः आरंभ से सकल मांग को मजबूत किया, आपूर्ति में लगातार व्यवधानों ने अमेरिका, यूरो क्षेत्र और कई उदीयमान बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया। पण्य की कीमतें वर्ष 2021 में एक साल पहले के निचले स्तर से तेजी से बढ़ीं क्योंकि मांग में बढ़ोतरी का टकराव आपूर्ति बाधाओं से हुआ। जबकि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां काफी हद तक निभावकारी बनी रहीं, लक्ष्यों से ऊपर चलती

[1] कीमतों, वित्तीय बाजारों, राजकोषीय और बाहरी क्षेत्रों से संबंधित वैश्विक विकास को भी इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल किया गया है।

[2] संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)।

मुद्रास्फीति ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के केंद्रीय बैंकों तथा कई उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को कठोर मौद्रिक नीति अपनाने के लिए मजबूर किया। महामारी से प्रेरित चलनिधि का टेपर, वित्तीय स्थितियों को बाधित किए बिना किया जा सकता है। वित्तीय बाजारों में, जोखिम-रहित भावना ने इक्विटी बाजारों को सुधार की ओर अग्रसर किया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के मंद सरकारी बांड बाजार के वास्तविक प्रतिफल में बढ़ोत्तरी हुई। जैसे ही अल्पकालिक प्रतिफल ने मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव को प्रतिबिंबित करना शुरू किया, प्रतिफल वक्र के परिणामी गिरावट ने वैश्विक विकास गति को वर्ष 2021 के अंत और वर्ष 2022 की शुरुआत में कम होने की ओर इशारा किया। भू-राजनीतिक संघर्ष के साथ जोखिम से बचने के कारण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुन: मूल्य निर्धारण हुआ। नतीजतन, सोने की कीमतों में उछाल आया है, यह स्टैगफ्लेशन की चिंताओं और दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण भी सीमित है। निवेशकों को एक बहुत ही अलग गतिशीलता का सामना करना पड़ता है क्योंकि राजकोषीय और मौद्रिक नीति सहायता एई और ईएमई में समान रूप से उच्च और निरंतर मुद्रास्फीति दबाव के साथ सार्वजनिक ऋण[3] के ऊंचे स्तर के सामने फीकी पड़ जाती है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

II.1.3 वर्ष 2021-22 में, भारत ने आर्थिक बहाली के साथ अपने प्रयास को नवीनीकृत किया, जो वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में पहली लहर की समाप्ति के साथ शुरू हुआ था। दूसरी लहर गंभीर थी और देश को यकीनन अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकट में धकेल दिया(चार्ट II.1.1)। कुछ अपरंपरागत उपायों सहित, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक, विनियामक और चलनिधि उपायों द्वारा तथा लगातार जारी राजकोषीय उपायों और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के समर्थन से वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में उछाल आया और वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही की तुलना में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के महामारी पूर्व के स्तर से 6.2 प्रतिशत आगे बढने के साथ रिकवरी ओर तेज हो गयी। चौथी तिमाही में, हालांकि, ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा संचालित महामारी की तीसरी लहर और हाल ही में, भू-राजनीतिक संघर्ष ने रिकवरी की गति को धीमा किया है और परिदृश्य को गंभीर बना दिया है।

चार्ट II.1.1: कोविड -19 के मामले और टीकाकरण की स्थिति

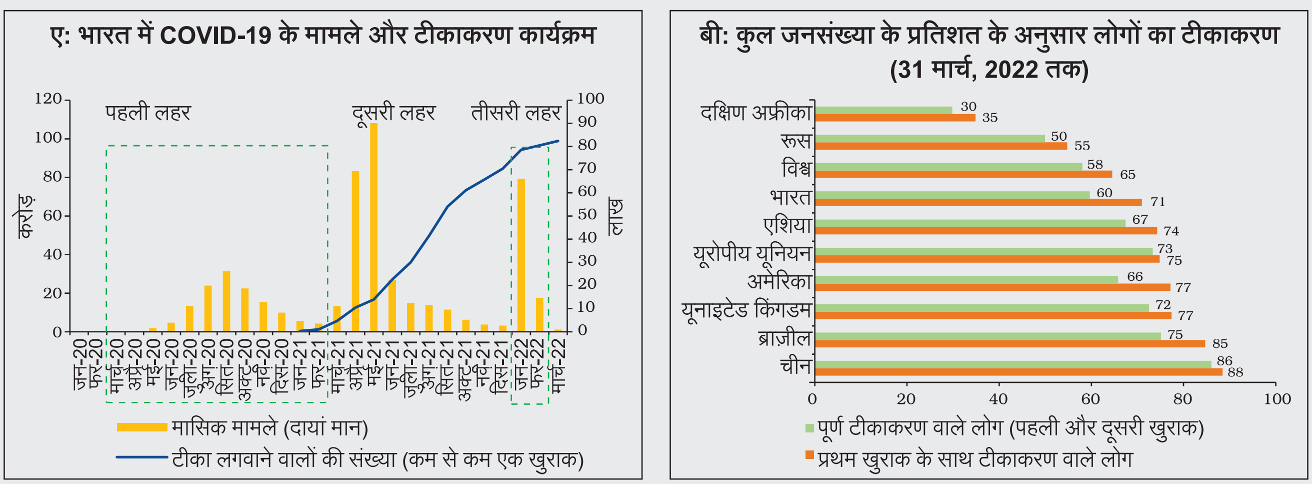

स्रोत: Ourworldindata.org.

[3] अध्याय I के फुटनोट 6 का संदर्भ लें।

II.1.4 पहली लहर के विपरीत, महामारी की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव लॉकडाउन की स्थानीय प्रकृति और महामारी प्रोटोकॉल के लिए बेहतर अनुकूलन क्षमता के कारण नियंत्रित था। जून 2021 से दूसरी लहर के कम होने से वृद्धि संवेग में पुनः तेजी को टीकाकरण की गति और पैमाने से मजबूती मिली[4]।

II.1.5 वित्तीय स्थितियों की ओर मुड़ते हुए, मुद्रा बाजार में प्रचुर मात्रा में चलनिधि थी, जिसमें अल्पावधि ब्याज दरें रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के न्यूनतम स्तर के अनुरूप थीं, हालांकि नीलामी के लिए चलनिधि के पुनर्संतुलन और फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से दूरी, द्वितीयक बाजार आस्ति खरीद के माध्यम से बड़े चलनिधि अंतर्वेशन की समाप्ति और नियत तारीखों पर कुछ असाधारण उपायों की समाप्ति के परिणामस्वरूप वे वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूती से बने रहे। कर्ज बाजारों में, प्रतिफल वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक हो गए और स्प्रेड बढ़ गए क्योंकि बाजार का रुख सरकारों (केंद्र और राज्यों) द्वारा बड़े पैमाने पर जारी करने और वैश्विक स्पिलओवर की आवर्ती घटनाओं के रूप में दुनिया भर में मौद्रिक नीति के रुख के रूप में बदल गई। भारतीय रुपए (आईएनआर) ने वैश्विक गतिविधियों से अस्थिरता के हर मुकाबले के बाद मजबूत माध्य प्रत्यावर्तन प्रदर्शित करते हुए, सीमाबद्ध कारोबार किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में निरंतर पूंजी प्रवाह और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह से भी आईएनआर में तेजी आई। घरेलू इक्विटी सूचकांकों ने वर्ष 2021 में अपने समकक्ष देशों के सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। दो साल के बड़े लाभ के बाद, हालांकि, भारतीय इक्विटी का मूल्यांकन अधिकांश पारंपरिक मानदंडों द्वारा बढ़ाया गया था।

II.1.6 दिसंबर 2021 के अंत में ओमिक्रॉन जनित तीसरी लहर भारत में आई। हालांकि, यह अल्पकालिक साबित हो रही है। उच्च प्रसार वाले संक्रमणों में उछाल के बाद भारी गिरावट आई - 20 जनवरी 2022 को दैनिक संक्रमण 3.47 लाख नए मामलों और कुल 20.1 लाख सक्रिय मामलों के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद कम होना शुरू हो गया। मृत्यु दर दूसरी लहर की तुलना में बहुत नीचे रही। आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर पहली दो लहरों की तुलना में तीसरी लहर का प्रभाव संभवतः कम होगा।

II.1.7 इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित उप-खंड में सकल मांग का विश्लेषण किया गया है और उसके बाद सकल आपूर्ति की स्थिति का आकलन किया गया है। उप-खंड 4 रोजगार और श्रम बाजार के विकास में एक ड्रिल-डाउन प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष उप-खंड में कुछ नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं।

2. *सकल मांग*

II.1.8 28 फरवरी, 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) ने संकेत दिया कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापी गई कुल मांग ने वर्ष 2021-22 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले वर्ष के 6.6 प्रतिशत संकुचन से ऊपर है (सारणी II.1.1 और परिशिष्ट सारणी 1)। परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर वर्ष 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तर से 1.8 प्रतिशत अधिक हो गया।

II.1.9 वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, वास्तविक जीडीपी ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की जो आधार प्रभावों के क्रमिक रूप से घटने के कारण दूसरी छमाही में कम हो गई। हालांकि, अंतर्निहित गति मजबूत बनी रही, जैसा कि वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर (एसएएआर) में तीव्र उछाल से स्पष्ट है, जो बाद की तिमाहियों में अविरत बनी हुई प्रतीत होती है (चार्ट II.1.2 और परिशिष्ट सारणी 2)।

[4] अध्याय I के फुटनोट 2 का संदर्भ लें

सारणी II.1.1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि

घटक	वृद्धि प्रतिशत				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
I. कुल खपत व्यय	**7.1**	**7.0**	**4.9**	**-4.5**	**7.2**
निजी	6.2	7.1	5.2	-6.0	7.6
सरकारी	11.9	6.7	3.4	3.6	4.8
II. सकल पूंजी विनिर्माण	**14.5**	**6.2**	**-5.2**	**-13.8**	**21.5**
सकल स्थिर पूँजी निर्माण	7.8	11.2	1.6	-10.4	14.6
स्टॉक में परिवर्तन	68.3	27.3	-58.8	-110.7	-1,723.9
मूल्यवान वस्तुएं	40.2	-9.7	-14.2	26.4	63.0
III. शुद्ध निर्यात					
निर्यात	4.6	11.9	-3.4	-9.2	21.1
आयात	17.4	8.8	-0.8	-13.8	29.9
IV. जीडीपी	**6.8**	**6.5**	**3.7**	**-6.6**	**8.9**

स्रोत: एनएसओ

II.1.10 वर्ष के दौरान इस बदलाव के भीतर, कुल मांग के घटकों के बीच एक संरचनागत बदलाव आया (चार्ट II.1.3)। निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) ऐतिहासिक मानकों के

चार्ट II.1.2: जीडीपी वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष तथा 3- तिमाही एमए- एसएएआर

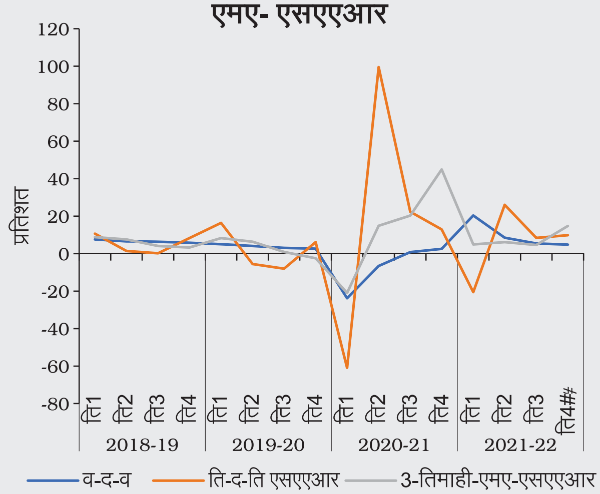

#: अंतर्निहित वृद्धि
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एनएसओ) और आरबीआई स्टाफ आकलन।

चार्ट II.1.3: घटकवार जीडीपी की वृद्धि में योगदान

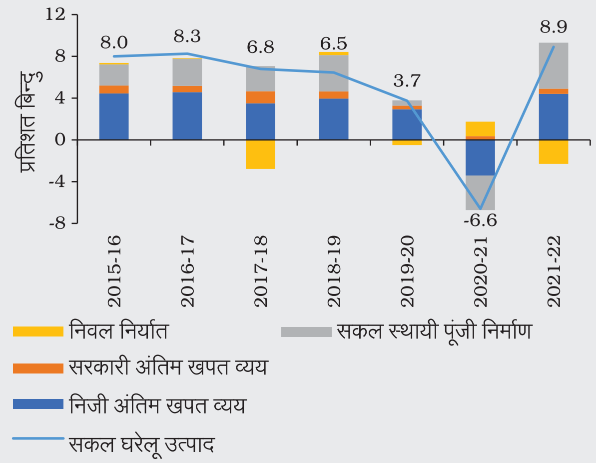

टिप्पणी: घटक-वार योगदान वृद्धि दर में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन, क़ीमती और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल नहीं हैं।
स्रोत: एनएसओ

सापेक्ष कमजोर रहा, हालांकि यह अपने महामारी- पूर्व के स्तर को 1.2 प्रतिशत से अधिक करने में सफल रहा। गहन-संपर्क गतिविधि का अभी तक पूरी तरह से सामान्य होना बाकी है और विवेकाधीन खपत खर्च में कर्षण की कमी रही। वर्ष 2021-22 में सरकारी खपत व्यय में तेजी आई, जिससे सकल मांग में वृद्धि हुई। सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में तीव्र उछाल आया, जिसे सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के कारण मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेश में आधार मिला। प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय वातावरण के बावजूद निर्यात में मजबूती से सुधार हुआ और वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से इसने सकारात्मक विकास क्षेत्र में प्रवेश किया। आयात मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से प्रेरित होकर चालू खाता वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में अधिशेष से मामूली घाटे में बदल गया।

खपत

II.1.11 निजी खपत, जो भारत में कुल मांग का मुख्य आधार है, ने आंशिक रूप से वापसी की क्योंकि गतिशीलता पर प्रतिबंधों में क्रमिक छूट और टीकाकरण की त्वरित गति के साथ, दोनों ही ने उपभोक्ता विश्वास की बहाली को सक्षम किया। कंज्यूमर

ड्यूरेबल्स पर खर्च में वर्ष-दर-वर्ष सुधार हुआ और विवेकाधीन व्यय ने मुख्य रूप से बदला खर्च का रूप ले लिया। कारकों का एक संयोजन, जैसे, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मजबूत वृद्धि, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के रूप में सरकार से समर्थन, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं को जारी रखने से आत्मविश्वास बढ़ाने और खपत को बढ़ावा देने में मदद मिली।

II.1.12 दूसरी लहर की तीव्रता के साथ, निजी खपत वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में अपने महामारी-पूर्व स्तर से नीचे गिर गई और उपभोक्ता विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। मई 2021 के महीने में लहर अपने चरम पर थी और उसके बाद, स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ होने लगा। बाद के दौरों में, रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ने वर्तमान स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं दोनों से संबंधित उपभोक्ता धारणाओं में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया, सिवाय जनवरी 2022 के दौर में कोविड -19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव के चरम पर आयी गिरावट को छोड़कर। पीएफ़सीई ने वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, वर्ष-दर-वर्ष और साथ ही क्रमिक आधार पर (स्तर के संदर्भ में) सुधार किया। एक उत्साहित त्योहारी मौसम की भावना के साथ युग्मित मांग की रिलीज आंशिक रूप से कोयले, बिजली और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति की कमी के रूप में आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों से ऑफसेट थी। यह वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान यात्री वाहनों, मोटरसाइकिलों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि में दिखाई दिया। दूसरी ओर, एक उत्साहजनक विकास बैंक ऋण में क्रमिक वृद्धि थी, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण खंड में। कृषि, एमएसएमई और चुनिंदा सेवाओं के संबंध में ऋण वृद्धि में भी तीव्रता आई।

II.1.13 वर्ष की पहली छमाही के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में आघात सहनीयता होने के बावजूद, शहरी मांग की तुलना में ग्रामीण मांग के संकेतकों से शिथिलता का पता चलता है । इसके अलावा, प्रचुर मानसून, मिट्टी की पर्याप्त नमी और फिर से भरे हुए जलाशय के स्तर ने शेष वर्ष के लिए इसकी संभावनाओं को उज्ज्वल कर दिया। हालांकि, पिछली तिमाही में मांग में कमी के संकेत दिखाई दिए क्योंकि फर्मों ने लागत दबावों को तेजी से अंतिम उपभोग करने वाले ग्राहकों को हस्तांतरित कर किया।

निवेश और बचत

II.1.14 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के अनुपात द्वारा मापी गई, जो गत वर्ष के 30.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 27.3 प्रतिशत हो गई। यद्यपि कि वर्ष 2021-22 के लिए जीसीएफ पर आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके घटकों में गतिशीलता बुनियादी ढांचे में खर्च द्वारा सरकारी खर्च में वृद्धि का संकेत देती है। वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीएफ़सीएफ़ और जीडीपी का अनुपात वर्ष 2020-21 के 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 32.0 प्रतिशत हो गया, जो निवेश रुझानों की बहाली को दर्शाता है। अनुकूल आधार प्रभाव के बल पर जीएफसीएफ ने वर्ष 2021-22 में 14.6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की।

II.1.15 जीएफसीएफ के घटकों के बीच, निर्माण क्षेत्र में बहाली को केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के अलावा, अनुकूल ब्याज दरों और डेवलपर्स द्वारा आकर्षक प्रस्तावों से आवास खंड में हुई वृद्धि से सहायता मिली । यह पुनरुत्थान इसके निकटवर्ती सहवर्तिता संकेतक-सीमेंट उत्पादन में स्पष्ट है (चार्ट II.1.4) । इसी तरह की बहाली मशीनरी और उपकरणों में निवेश में दिखाई दी। इसके दोनों निकटवर्ती सहवर्तिता संकेतक - पूंजीगत सामानों के आयात और उत्पादन - ने वर्ष 2021-22 में तीव्र विस्तार दर्ज किया।

II.1.16 रिज़र्व बैंक के बही और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार, कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 60.0 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद दूसरी तिमाही

चार्ट II.1.4: निवेश मांग के संकेतक

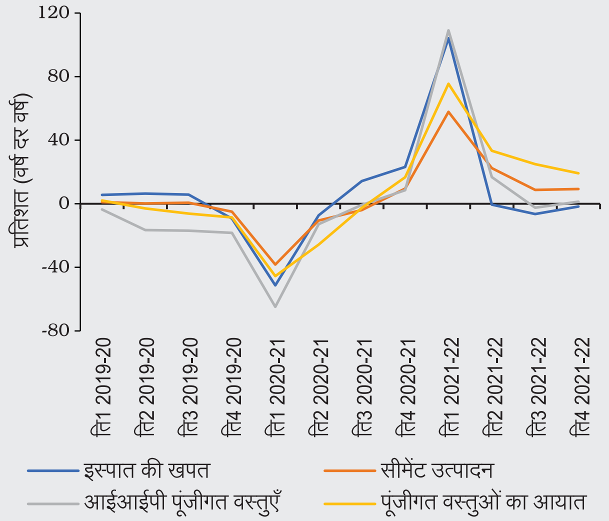

स्रोत: संयुक्त प्लांट समिति ,आर्थिक सलाहकर का कार्यालय,एनएसओ एवं डीजीसीआईएंडएस.

में 68.3 प्रतिशत तक रिकवर हुआ और यह वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में 72.4 प्रतिशत तक हो गया। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में बिक्री अनुपात की सूची में वृद्धि हुई, जो उन नियंत्रण उपायों को दर्शाती है जिसके तहत अर्थव्यवस्था परिचालित हो रही थी। बिक्री में बाद में सुधार और निर्माण कंपनियों द्वारा बनाए गए इन्वेंट्री के स्थिर स्तर के साथ, इन्वेंट्री टू सेल्स अनुपात में वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से गिरावट आई। औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 97 वें दौर के उत्तरदाताओं ने आकलन किया कि वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में उत्पादन, क्रयादेश पुस्तक और रोजगार की स्थिति के संदर्भ में मांग की स्थिति में सुधार हुआ, यद्यपि कि यह सुधार वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही की तुलना में धीमी गति से हुआ। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में क्षमता उपयोग और समग्र वित्तीय स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है, जबकि व्यावसायिक उम्मीदें उच्च बनी हुई हैं, हालांकि आशावाद पिछली तिमाही से कम हुआ है। उत्तरदाताओं ने बिक्री कीमतों में वृद्धि के लिए उच्च आशावाद व्यक्त किया, जो कि वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में इनपुट लागत दबावों के साथ अधिक मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत देता है।

II.1.17 सामान्य सरकारी क्षेत्र की बचत और गैर-वित्तीय निगमों की बचत में गिरावट के कारण सकल घरेलू बचत की दर वर्ष 2020-21 में गिरकर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का 27.8 प्रतिशत रही जो कि एक साल पहले 29.4 थी। वर्ष 2020-21 में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत, जो कि निधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है- 3.6 प्रतिशत अंक बढ़कर जीएनडीआई का

सारणी II.1.2: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई प्रतिशत)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सकल वित्तीय बचत	**10.5**	**10.4**	**9.9**	**10.7**	**10.4**	**11.9**	**11.8**	**11.7**	**15.5**
जिसमें:									
1. मुद्रा	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9
2. जमाएं	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.2	6.3
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.4	0.4	0.5
4. सरकार पर दावे	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6
5. बीमा नीधि	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.8	2.6
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5
बी. वित्तीय देयताएं	**3.2**	**3.1**	**3.0**	**2.7**	**3.0**	**4.3**	**4.0**	**3.9**	**4.0**
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	**7.2**	**7.2**	**6.9**	**7.9**	**7.3**	**7.5**	**7.8**	**7.9**	**11.5**

जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय निपटान आय
टिप्पणी: राउंडिंग ऑफ के कारण आंकड़े कुल देय की जोड़ के जितने नहीं हो सकते है।
स्रोत: एनएसओ

11.5 प्रतिशत हो गई, जो दो दशकों में सबसे अधिक है (सारणी II.1.2 और परिशिष्ट सारणी 3)। महामारी और सहयुक्त बाध्य बचत के बीच विवेकाधीन खर्च में कमी के साथ-साथ परिवारों द्वारा निकट अवधि में आय प्रवाह से संबंधित चिंताओं पर एहतियाती बचत में वृद्धि करने से परिवारों द्वारा बचत को बल मिला।

II.1.18 वर्ष 2020-21 में वर्ष 2004-05 के बाद पहली बार बचत निवेश से अधिक हुई। वर्ष 2020-21 में घरेलू क्षेत्र से अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 11.8 प्रतिशत था। महामारी के बीच निवेश में कमी के कारण, वर्ष 2020-21 में निजी गैर-वित्तीय निगमों का संसाधन अंतर बंद हो गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए खर्च में की गई वृद्धि के कारण सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत पर कमी बढ़ गई (चार्ट II.1.5)।

चार्ट II.1.5: क्षेत्रीय संसाधन अंतर

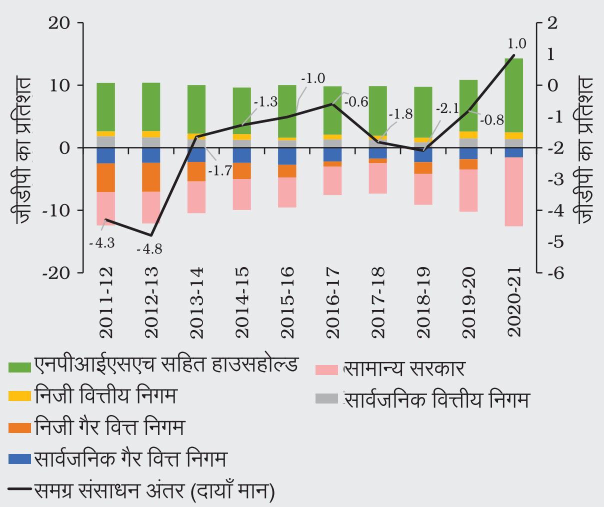

एनपीआईएसएच: नॉन-प्रॉफ़िट इन्स्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड
स्रोत: एनएसओ

चार्ट II.1.6: जीवीए संवृद्धि: वर्ष-दर-वर्ष और तीन-तिमाही एमए-एसएएआर

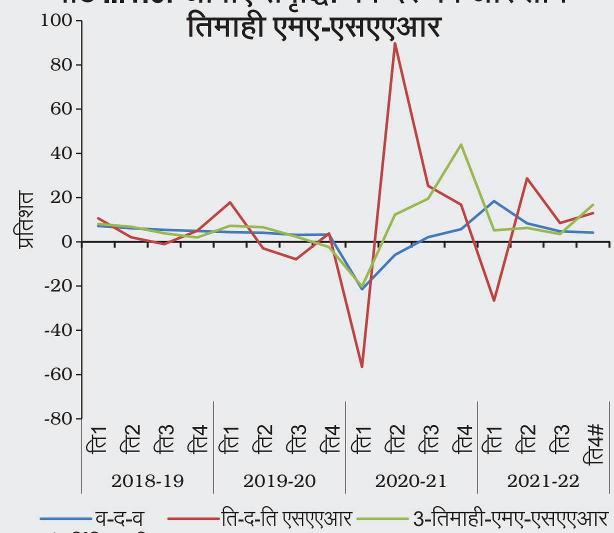

#: अंतर्निहित वृद्धि
स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ आकलन।

3. सकल आपूर्ति

II.1.19 मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा मापी गई कुल आपूर्ति, वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत के संकुचन को दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 में 8.3 प्रतिशत तक विस्तारित हुई। महामारी से संबंधित प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे टूटने के साथ, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर (एमए-एसएएआर) की तीन-तिमाही चल औसत ने वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में एक सुधार प्रदर्शित किया और वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में आघात-सह बना रहा (चार्ट II.1.6)।

II.1.20 जीवीए वृद्धि में तेजी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर सुधार द्वारा सुगम हुई, *यद्यपि* इसके लिए अनुकूल आधार की आवश्यकता पड़ी। कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के लिए एक आरामदायक सहारा प्रदान किया, जो पूरे वर्ष आघात-सह रहा (सारणी II.1.3)।

सारणी II.1.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021- 22
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	**6.6**	**2.1**	**5.5**	**3.3**	**3.3**
II. उद्योग	**6.1**	**4.9**	**-2.2**	**-1.8**	**10.4**
II.1 खनन और उत्खनन	-5.6	-0.8	-1.5	-8.6	12.6
II.2 विनिर्माण	7.5	5.4	-2.9	-0.6	10.5
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	10.6	7.9	2.2	-3.6	7.8
III. सेवाएँ	**6.2**	**7.1**	**5.7**	**-7.8**	**8.8**
III.1 निर्माण	5.2	6.5	1.2	-7.3	10.0
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबन्धित सेवाएँ	10.3	7.2	5.9	-20.2	11.6
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और प्रोफेसनल सेवाएँ	1.8	7.0	6.7	2.2	4.3
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	8.3	7.5	6.3	-5.5	12.5
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	**6.2**	**5.8**	**3.8**	**-4.8**	**8.3**

स्रोत: एनएसओ

II.1.21 वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 प्रेरित शटडाउन के कारण विनिर्माण क्षेत्र और समग्र जीडीपी में उत्पादन हानि हुई। भारत के मामले में, कड़े राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में तीव्र संकुचन के बाद कॉर्पोरेट गैर-वित्तीय क्षेत्र के मुनाफे में एक वापसी उछाल आया(बॉक्स II.1.1)।

बॉक्स II.1.1

महामारी के दौरान कॉर्पोरेट का प्रदर्शन: कॉर्पोरेट कर के दर में कटौती की भूमिका

व्यवसाय के संचालन को युक्तिसंगत बनाकर लागत-बचत पर ध्यान केंद्रित करने और सितंबर 2019[5] (आरबीआई, 2021) में कॉर्पोरेट कर की दर में हुई कटौती ने भारतीय कॉरपोरेट्स को महामारी सुरक्षित रखा। यह कर कटौती अन्य देशों के साथ लीग में थी जैसा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में देखा गया था, औसत कॉर्पोरेट आयकर दर 2000 में 32.5 प्रतिशत से घटकर 2018 में 23.9 प्रतिशत हो गई, और इसी तरह के उपाय यूएस और यूके में किए गए (*कोप्प व अन्य*, 2019)। कर की दर में कटौती से पहले, विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रभावी दर 27.8 प्रतिशत थी, जबकि गैर-विनिर्माण क्षेत्र के लिए, यह औसतन 30.5 प्रतिशत थी, जो भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती थी (सारणी 1ए और 1बी)।

सारणी 1ए: विनिर्माण के लिए प्रभावी कर दर

उद्योग समूह	औद्योगिक जीवीए में हिस्सेदारी*	कर कटौती से पहले प्रभावी कर दर	कर लाभ (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4
खाद्य पेय और तम्बाकू	11.1	32.8	7.6
वस्त्र	7.0	27.7	2.5
धातु उत्पाद	15.4	27.4	2.2
मशीनरी और उपकरण	28.1	26.8	1.7
परिवहन उपकरण	13.6	30.9	5.8
परिष्कृत पेट्रोलियम	6.7	21.6	0.0
फार्मास्यूटिकल्स	7.4	25.4	0.2
रबर और प्लास्टिक	4.6	29.5	4.3

*: जीवीए में शेयरों की गणना राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 से 2019-20 के वार्षिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज।

सारणी 1बी: गैर-विनिर्माण के लिए प्रभावी कर दर

क्षेत्र	सेवा जीवीए में हिस्सा	कर कटौती से पहले प्रभावी कर दर	कर लाभ (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4
थोक और खुदरा व्यापार	20.0	31.4	6.2
परिवहन और लॉजिस्टिक्स	7.7	29.5	4.3
रियल एस्टेट	1.2	26.8	1.6
वित्तीय सेवाएँ	9.5	37.0	11.8
आईटी और संबंधित सेवाएं	8.5	29.0	3.9

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज।

(जारी)

[5] केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दरों में 30 फीसदी से 22 फीसदी की तीव्र कटौती की घोषणा की। सभी अधिभारों और उपकरों को शामिल करते हुए, प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर (ईटीआर) घटकर 25.2 प्रतिशत हो गई है, बशर्ते कंपनियां किसी अन्य कर प्रोत्साहन या लाभ का लाभ न उठाएं। इसके अलावा, नई निर्माण कंपनियों के लिए, प्रभावी कर की दर 17.0 प्रतिशत होगी, जिससे नए निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कर की दर में कटौती के अंतर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) पैनल रिग्रेशन इस परिकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास करता है कि कम प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर (ईटीआर) के संदर्भ में कर की दर में कटौती से लाभान्वित क्षेत्रों के फर्म ने कर-पूर्व कटौती अवधि की तुलना में कर-पश्चात कटौती अवधि के दौरान उच्च निवल लाभ मार्जिन (एनपीएम)[6] दर्ज किया। कॉरपोरेट टैक्स की दर में कमी से कर के बाद लाभ (पीएटी) में वृद्धि होगी, मूल्यह्रास से पहले लाभ, ब्याज और कर (पीबीडीआईटी) अपरिवर्तित रहेगा। चूंकि एक फर्म स्तर पर ईटीआर सीधे उपलब्ध नहीं है, इसकी प्रत्येक फर्म के लिए कुल कर योग्य आय में भुगतान किए गए कॉर्पोरेट कर के अनुपात के रूप में गणना की जाती है (गुहा, 2007)। पूर्व-कर कटौती अवधि औसत की तुलना में कम से कम पांच प्रतिशत अंक की कमी का लाभ लेने वाली फर्म ट्रीटमेंट समूह का गठन करती हैं और शेष नियंत्रण समूह बनाती हैं। इसकी अवधि 2018-19 की पहली तिमाही से 2020-21 चौथी तिमाही तक है। कर-पूर्व कटौती की अवधि 2018-19 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही अवधि को कवर करती है, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही से 2020-21 की चौथी तिमाही की अवधि कर-पश्चात कटौती अवधि का प्रतिनिधित्व करती है।[7]

विनिर्माण और गैर-विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में ट्रीटमेंट समूह में फर्मों के लिए निवल लाभ मार्जिन काफी अधिक हो गया है। कर-पश्चात कटौती अवधि में शुद्ध लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ (सारणी 2)। इसके अलावा, लाभप्रदता पर कर की दर में कटौती का प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक मजबूत है।

सारणी 2: अनुभवजन्य परिणाम

निर्भर चर	एनपीएम विनिर्माण (कर से पहले)	एनपीएम विनिर्माण (कर के बाद)	एनपीएम गैर विनिर्माण (कर से पहले)	एनपीएम गैर विनिर्माण (कर के बाद)
1	2	3	4	5
अवरोधन	26.69*	6.4648***	27.13*	15.8048***
	(11.43)	(0.3125)	(11.29)	(0.4786)
समय (τ)	-13.58	2.3482***	-13.81	2.1562**
	(22.28)	(0.5951)	(22.05)	(0.9299)
ट्रीटमेंट (θ)	37.45**	2.4190***	36.69**	3.8319***
	(13.92)	(0.3830)	(13.75)	(0.5813)
इंटरैक्शन (δ)	26.12	0.5631	25.66	0.7052
	(27.09)	(0.7262)	(26.77)	(1.1268)
टिप्पणियों की संख्या	8269	8269	5934	5934
एफ	27.64	2.764	2.716	20.04
प्रोब>एफ	0.0000	0.04044	0.04315	0.0000

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
*: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

संदर्भ:

1. गुहा, अतुलन (2007), 'कंपनी साइज़ एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्टडी ऑन इंडियन प्राइवेट मैनुफक्चरिंग कंपनीज़', इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली , वॉल. 42, इश्यू 20, पेज 1869-1874।
2. कोप्प, ई, एल. डेनियल, एम. सुसन्ना (2019), 'यू. एस. इनवेस्टमेंट सिंस द टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट ऑफ 2017 ', वर्किंग पेपर न. 19/120, इंटरनेश्नल मॉनीटरी फंड, वाशिंगटन, डी.सी. ।
3. आरबीआई (2021), 'कंटूर्स ऑफ इकनॉमिक रिकवरी', इनआग्ज़ुरल एड्रेस बाई श्री शक्तिकांत दास , गवर्नर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एट 8वीं एसबीआई बैंकिंग एंड इकनॉमिक कॉनक्लेव, नवंबर 16, मुंबई।

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

II.1.22 यद्यपि महामारी की दूसरी लहर ने पहली लहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, फिर भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने वर्ष 2021-22 में सुदृढ़ प्रदर्शन किया। वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ इस क्षेत्र ने 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सितंबर 2021 के महीने में दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) और *खरीफ* की बुवाई में तेज वृद्धि से मजबूत विकास को सहायता मिली। गेहूँ और चावल के अतिरिक्त *रबी* उत्पादन की संभावनाएं मजबूत बुवाई के साथ, पर्याप्त मिट्टी की नमी और फिर से भरे जलाशय के स्तर के साथ उज्ज्वल हुईं। कृषि क्षेत्र में उछाल ट्रैक्टरों और उर्वरकों की बिक्री में दिखाई दिया, जिसने वर्ष 2021-22 के प्रमुख भाग के लिए लगातार महामारी-पूर्व के स्तर को पीछे छोड़ दिया।

[6] निवल लाभ मार्जिन की गणना निवल बिक्री से निवल लाभ के अनुपात के रूप में की जाती है। कर पूर्व लाभ के मामले में, पीबीडीआईटी के निवल बिक्री के अनुपात का उपयोग किया गया है। लाभप्रदता संकेतकों की गणना के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र(सीएमआईई) के कौशल आईक्यू डेटाबेस से फर्म स्तर पर कॉर्पोरेट डेटा प्राप्त किया जाता है।

[7] अनुमानित मॉडल इस प्रकार तैयार किया गया है: $\pi_ijt=\gamma_t+\tau\times 1_{t=P}+\theta\times 1_(i=T)+\delta\times 1_(t=p)\times 1_(i=T)+\epsilon_ijt$

जहां, π_ijt उद्योग में i^{th} फर्म के लिए t^{th} तिमाही में लाभप्रदता संकेतक है। τ समय चर के लिए गुणांक है जिसका मान यदि अवलोकन कर-कटौती अवधि के बाद है तो 1 माना जाता है, अन्यथा 0। ईटीआर में कमी के लिए गुणांक θ है जिसका मान यदि अवलोकन ट्रीटमेंट समूह में आता है तो 1 है अन्यथा 0। δ इंटरैक्शन टर्म के लिए गुणांक को दर्शाता है।

चार्ट II.1.7: साप्ताहिक वर्षा 2021-22

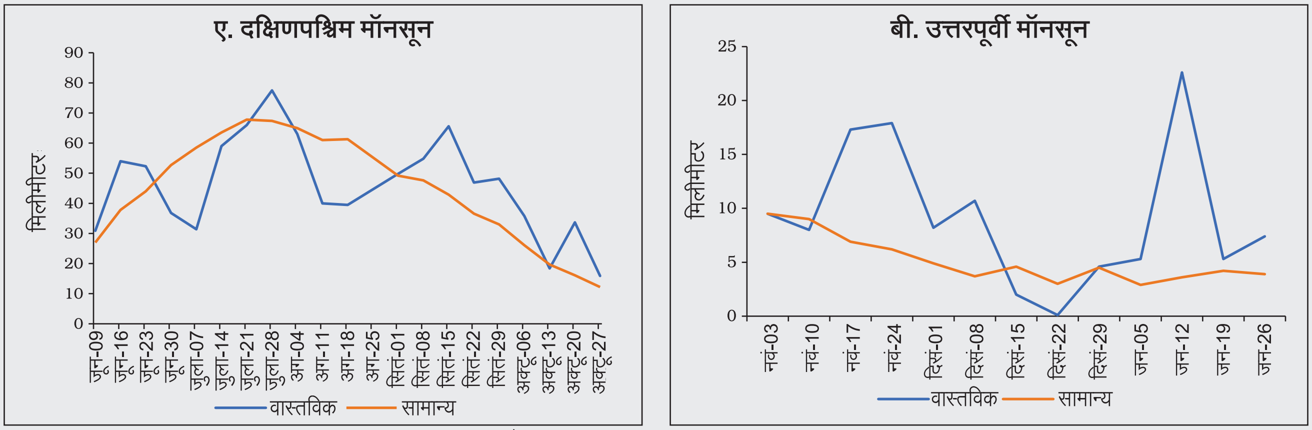

टिप्पणी: उत्तरपूर्वी मॉनसूनी बरसात की वापसी 22 जनवरी 2022 को हुई।
स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारत सरकार।

II.1.23 वर्ष 2021 में, 3 जून को एसडब्ल्यूएम ने दस्तक दी, लेकिन जून के अंत से जुलाई के मध्य और फिर अगस्त में राज्यों में वर्षा के असमान वितरण के साथ गति खो दी (चार्ट II.1.7ए)। जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण बुवाई महीनों के दौरान वर्षा के इन दो कमजोर दौरों के बावजूद, वर्षा बाद में फिर से शुरू हुई और मौसम के लिए 30 सितंबर 2021 तक एक सकारात्मक नोट यानी, 'सामान्य', लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत की कमी के साथ समाप्त हुई। *खरीफ* की बुवाई जो जुलाई और अगस्त में रुकी हुई थी, बाद में रफ़्तार पकड़ी और 30 सितंबर 2021 को पिछले वर्ष के बुवाई के स्तर में 0.2 प्रतिशत और 5 साल के औसत स्तर से 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

II.1.24 इसके बाद, 25 अक्तूबर, 2021 को एसडब्ल्यूएम की देरी से वापसी और पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) के साथ-साथ शुरू होने से अनुकूल मिट्टी की नमी की स्थिति पैदा हुई और जलाशय के स्तर में वृद्धि हुई (चार्ट II.1.7बी)। 27 जनवरी 2022 तक, जलाशय का स्तर 53 प्रतिशत के दशकीय औसत की तुलना में पूर्ण जलाशय क्षमता का 66 प्रतिशत था (चार्ट II.1.8)।

II.1.25 इस वर्ष *रबी* रकबे में उछाल मुख्य रूप से तिलहन, विशेष रूप से सरसों और रेपसीड, और चना और मसूर की अधिक बुवाई से प्रेरित था, जिससे गेहूं की कम बुवाई हुई। नतीजतन, वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन तीसरे अग्रिम अनुमान (तीसरे एई) में 3,145.1 लाख टन रखा गया है, जो वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान (एफई) से 1.2 प्रतिशत अधिक है [सारणी II.1.4]। अधोगामी संशोधन में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 0.5 प्रतिशत (तीसरे एई की तुलना में

चार्ट II.1.8: जलाशय स्तर

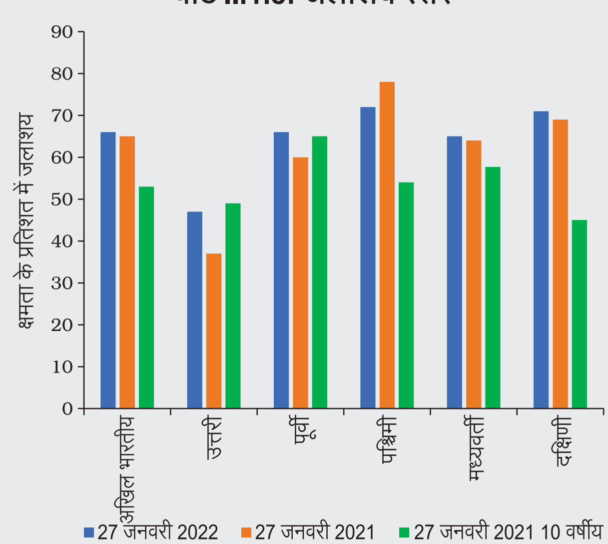

स्रोत: केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार

सारणी II.1.4: कृषि उत्पादन 2021-22

(लाख टन)

फसल	मौसम	2020-21		2021-22		2021-22 (तीसरी एई) घट बढ़ (प्रतिशत)		
		तीसरी एई	अंतिम	लक्ष्य	तीसरी एई	2020-21 की तुलना में		2021-22 की तुलना में
						तीसरी एई	एफ़ई	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्न	*खरीफ*	1,483.6	1,505.8	1,514.3	1,549.3	4.4	2.9	2.3
	रबी	1,570.8	1,601.7	1,558.8	1,595.9	1.6	-0.4	2.4
	कुल	**3,054.4**	**3,107.4**	**3,073.1**	**3,145.1**	**3.0**	**1.2**	**2.3**
चावल	*खरीफ*	1,043.0	1,052.1	1,043.0	1,110.4	6.5	5.5	6.5
	रबी	171.6	191.6	168.0	186.2	8.5	-2.8	10.8
	कुल	1,214.6	1,243.7	1,211.0	1,296.6	6.8	4.3	7.1
गेहूं	*रबी*	1,087.5	1,095.9	1,100.0	1,064.1	-2.2	-2.9	-3.3
मोटे अनाज	*खरीफ*	355.7	367.5	373.1	356.4	0.2	-3.0	-4.5
	रबी	140.9	145.7	139.0	150.6	6.9	3.4	8.3
	कुल	496.6	513.2	512.1	507.0	2.1	-1.2	-1.0
दालें	*खरीफ*	84.9	86.2	98.2	82.5	-2.8	-4.3	-16.0
	रबी	170.9	168.4	151.8	195.0	14.1	15.8	28.5
	कुल	**255.8**	**254.6**	**250.0**	**277.5**	**8.5**	**9.0**	**11.0**
तिलहन (कुल)	*खरीफ*	245.5	237.2	260.0	247.1	0.6	4.1	-5.0
	रबी	120.1	122.2	124	137.9	14.8	12.8	11.2
	कुल	**365.7**	**359.5**	**384.01**	**385.0**	**5.3**	**7.1**	**0.3**
गन्ना	**कुल**	**3,928.0**	**4,054.0**	**3,970.0**	**4,305.0**	**9.6**	**6.2**	**8.4**
कपास #	**कुल**	**364.9**	**352.5**	**370.0**	**315.4**	**-13.6**	**-10.5**	**-14.7**
जूट और मेस्ता ##	**कुल**	**96.2**	**93.5**	**106.0**	**102.2**	**6.3**	**9.3**	**-3.6**

#: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें **##:** हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें **एई:** अग्रिम अनुमान **एफ़ई:** अंतिम अनुमान

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

दूसरा एई) रखा गया है जो मुख्यत: वर्ष 2022(मार्च और अप्रैल) में निरंतर गर्म हवाओं से गेहूं की पैदवार कम होने के कारण है। बागवानी फसलों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3,332.5 लाख टन (पहला एई) उत्पादन दर्ज किया, जो टमाटर, अन्य सब्जियों, मसालों, फूलों, सुगंधित और औषधीय पौधों के कम उत्पादन के कारण वर्ष 2020-21 एफई से 0.4 प्रतिशत कम है, जबकि कुल फल और प्याज के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।

II.1.26 हाल के वर्षों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, *रबी* और *खरीफ* दोनों फसलों के लिए वर्ष 2021-22 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उत्पादन लागत[8] पर 50 प्रतिशत की न्यूनतम वापसी सुनिश्चित किया। सभी फसलों के दाम 1.1-8.6 फीसदी के दायरे में बढ़ाए गए। वर्ष 2021-22 के *खरीफ* विपणन सत्र के दौरान 31 मार्च 2022 तक चावल के लिए 503.42 लाख टन की खरीद का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक था (चार्ट II.1.9)। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अनाज का स्टॉक चावल और गेहूं के लिए तिमाही बफर मानदंडों के क्रमशः 7.2 और 1.4 गुना पर संतोषजनक रहा (चार्ट II.1.10)।

[8] वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य (A2 + FL)

चार्ट II.1.9: चावल और गेंहू की वार्षिक खरीद (अप्रैल-मार्च)

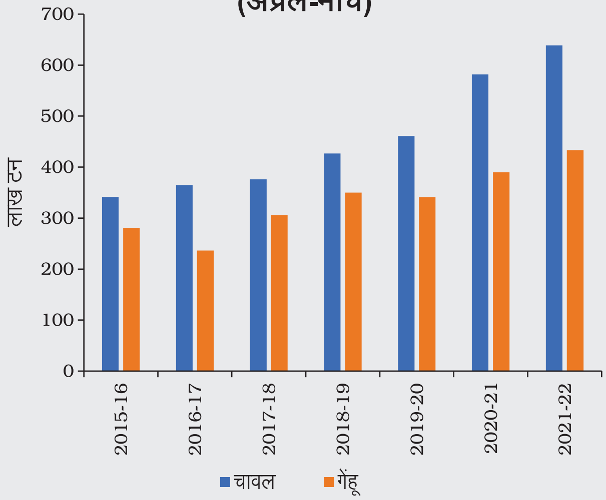

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.11: खाद्यान्न का वितरण

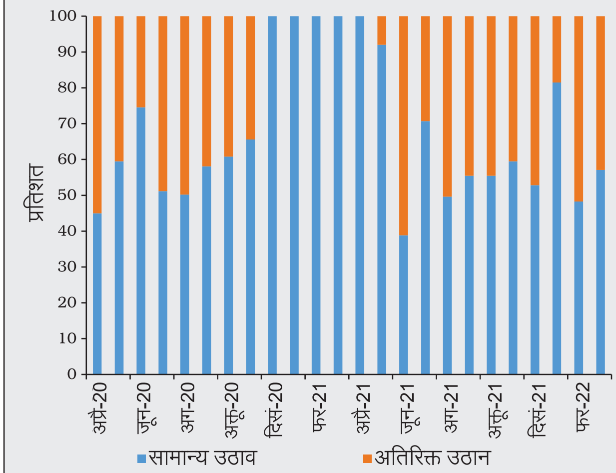

टिप्पणी: नोट: अतिरिक्त उठाव में पीएम-जीकेएवाई, आत्म निर्भर भारत पैकेज (प्रवासी) और गैर-एनएफएसए (कोविड-19) शामिल हैं।
स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

II.1.27 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएम-जीकेएवाई) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 5 किलोग्राम/व्यक्ति/माह के सामान्य खाद्यान्न के अतिरिक्त मुफ्त वितरण के बावजूद अनाज का स्टॉक स्तर बनाए रखा गया (चार्ट II.1.11)।

चार्ट II.1.10: अनाज स्टॉक और बफर मानक की मासिक स्थिति

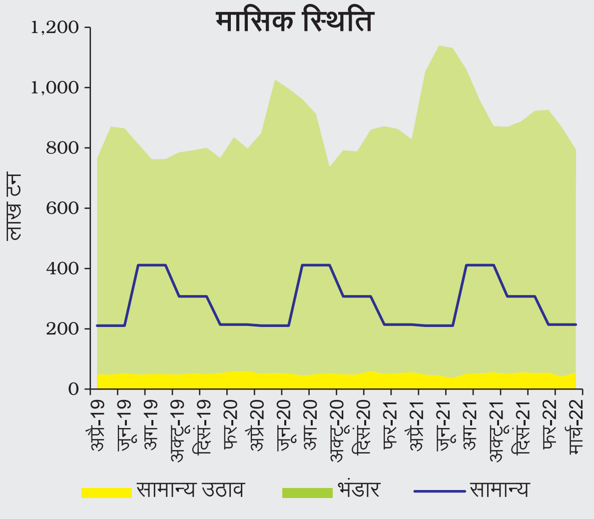

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

II.1.28 हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वर्षा की अस्थिर तीव्रता, चरम घटनाओं में वृद्धि और बढ़ते तापमान के रूप में कृषि के परिदृश्य और अंततः, समग्र आर्थिक प्रदर्शन के लिए निहितार्थ हैं। इस संबंध में, केंद्रीय बैंकों को व्यापार चक्रों और मौद्रिक नीति के लिए चरम मौसम के प्रभावों के कारण जलवायु जोखिम प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र के लिए भौतिक और संक्रमण जोखिमों ने केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है (बॉक्स II.1.2)।

बॉक्स II.1.2
जलवायु परिवर्तन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक समष्टि अर्थशास्त्र और वित्तीय स्थिरता के लिए जलवायु जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं (इशिंग, 2021; आरबीआई, 2021; एनजीएफ़एस, 2020), [सारणी 1]।

दो प्रकार की कार्यप्रणालियों द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (आईआईएएसए) (मॉडलिंग मुख्य रूप से संक्रमण जोखिम) की स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल (आईएएम) और एनजीएफएस-क्लाइमेट एनालिटिक्स (सीए) (मॉडलिंग मुख्य रूप से भौतिक जोखिम) द्वारा, भारत की मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित परिदृश्यों के तहत मूल्यांकन किया जाता है (ए) नेट ज़ीरो 2050 (2050 के आसपास नेट ज़ीरो CO_2 उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य); (बी) भूमण्डलीय ऊष्मीकरण को 2° से. से नीचे सीमित करना (हालांकि अनुमान बताते हैं कि नेट ज़ीरो लक्ष्य के लिए 1.5° से. के लक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है); (सी) अलग-अलग नेट ज़ीरो (उपरोक्त के रूप में नेट ज़ीरो प्राप्त करना, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नीतियों के साथ, जैसे कि तेल के उपयोग के तेजी से चरण के साथ उच्च लागत में प्रवेश करना); (डी) विलंबित संक्रमण (ऐसी नीतियां जो 2° से. लक्ष्य के अनुरूप हैं लेकिन जिसके तहत समायोजन बैकलोड है जिसके परिणामस्वरूप 2030 तक वार्षिक उत्सर्जन में कमी नहीं होती है); (ई) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) (जिसके तहत नीतियों को राष्ट्रों द्वारा गिरवी रखा जाता है, भले ही उन्हें लागू न किया गया हो); और (एफ) वर्तमान नीतियां (केवल वर्तमान में प्रतिबद्ध नीतियां लागू की जाती हैं, जिससे कम से कम उत्सर्जन कटौती और उच्च भौतिक जोखिम होते हैं)।

सारणी 1: जलवायु परिवर्तन पर चुनिंदा केंद्रीय बैंकों की प्रतिबद्धताएं

केंद्रीय बैंक	सुनिश्चित प्रतिबद्धता
यूरोपीय सेंट्रल बैंक	*"जलवायु परिवर्तन कीमतों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, हम इससे निपटने के लिए अपने जनादेश के तहत अपनी भूमिका निभाएंगे।"*
बैंक ऑफ इंग्लैंड	*"हम यहां जलवायु परिवर्तन को "हल" करने या संक्रमण को परिचालित करने के लिए नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय बैंकों की भूमिका तो है, और उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है।*
फेडरल रिज़र्व बोर्ड, यूएसए	*"जबकि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं निर्वाचित अधिकारियों की है, फेडरल रिज़र्व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण को संबोधित करने और व्यापक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए हमारे मौजूदा जनादेश और प्राधिकरणों के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"*
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)	"... रिज़र्व बैंक, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और हमारी वित्तीय प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए (ए) इस बात का अनुसंधान करने कि रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं के तुलन पत्र, व्यवसाय मॉडल की सुभेद्यता की पहचान करने और उनकी क्षमताओं की कमियों को मापने तथा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए जलवायु परिदृश्य अभ्यासों का उपयोग कैसे किया जा सकता है; (बी) वित्तीय स्थिरता निगरानी में जलवायु संबंधी जोखिमों को एकीकृत करने; और (सी) विनियमित वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और तदनुसार उनसे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें और आरबीआई (2021)

तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक समन्वय से जुड़े परिदृश्यों के तहत ऊर्जा खपत और CO_2 उत्सर्जन में काफी कमी आई है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: भारत के लिए विभिन्न परिदृश्यों के तहत जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ

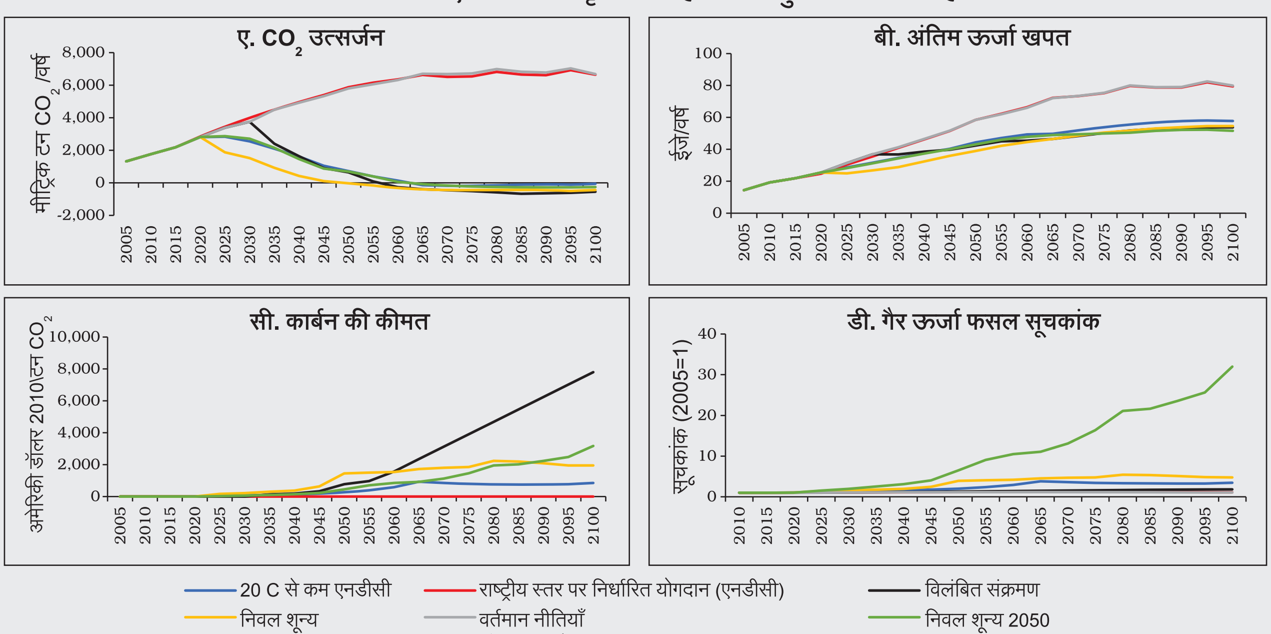

एमटी CO_2: मीट्रिक टन CO_2 tCO_2: टन CO_2 ईजे: एक्साजौल - एक क्विंटिलियन 108 जूल

स्रोत: एनजीएफएस, आईआईएएसए

(जारी)

चार्ट 2: जलवायु परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

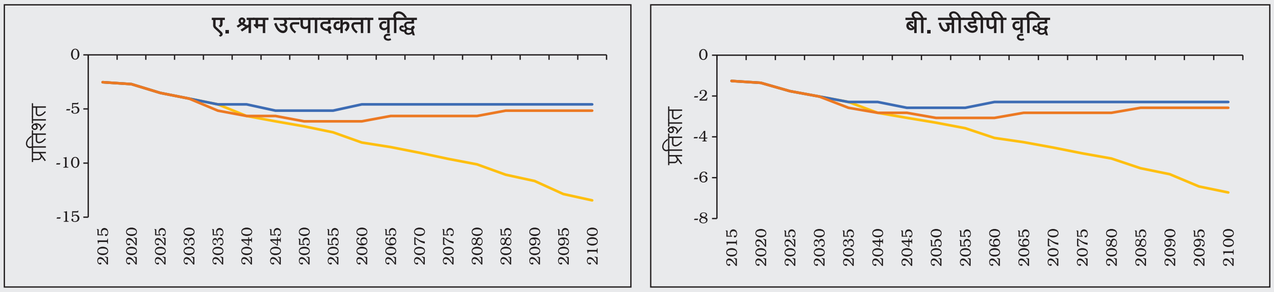

एनजीएफ़एस वर्तमान नीतियों (माध्यिका) — एनजीएफ़एस निवल शून्य 2050 (माध्यिका) — एनजीएफ़एस विलंबित 2°C (माध्यिका)

स्रोत: एनजीएफएस सीए, केएलईएमएस डेटाबेस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)], और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

हालांकि, वे पण्य और कार्बन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि से जुड़े हैं। उच्च इनपुट लागत के बाद उच्च कार्बन की कीमतें मुद्रास्फीति में फीड कर सकती हैं। इसके विपरीत, 'एनडीसी' और 'वर्तमान नीतियां' परिदृश्य मुद्रास्फीतिकारी नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय तक चलने वाले भौतिक जोखिम के साथ आ सकते हैं।

एनजीएफएस-सीए मॉडल का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि भौतिक जोखिम भारत के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्सर्जन में कमी के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं, हालांकि मुद्रास्फीति, 'वर्तमान नीतियों' के परिदृश्य की तुलना में उत्पादन वृद्धि में सीमित नुकसान का कारण हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ उत्पादन और उत्पादकता में काफी नुकसान हो सकता है (चार्ट 2)।

संक्षेप में, 'वर्तमान नीतियों' के परिदृश्य में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से या एक साथ भौतिक और संक्रमण जोखिम अधिक हो सकते हैं। भारत के लिए उत्सर्जन में कमी के सफल कार्यान्वयन में मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक तैयार की गई संक्रमण योजनाओं के माध्यम से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। संक्रमण से जुड़े आउटपुट नुकसान सीमित हो सकते हैं।

संदर्भ:

1. इशिंग, ओ. (2021), 'सेंट्रल बैंक्स-इंडिपेंडेंट ऑर ऑलमाइटी?' सेफ पॉलिसी लेटर, न. 92।
2. एनजीएफ़एस (2020), 'गाइड फॉर सुपरवाइज़र्स इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट-रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल रिस्क्स इंटू प्रूडेंशियल सुपरवीज़न'।
3. आरबीआई (2021), 'स्टेटमेंट ऑफ कामिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम- एनजीएफ़एस', रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।

औद्योगिक क्षेत्र

II.1.29 औद्योगिक क्षेत्र, जो महामारी की पहली लहर से बुरी तरह प्रभावित था, वर्ष 2021-22 में गतिशीलता प्रतिबंधों में ढील के साथ ठीक हो गया। महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के परिणामस्वरूप बहाली की गति में कुछ कमी आई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष के 8.4 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.1.12ए और II.1.12 बी)। हालांकि, विनिर्माण क्षमता उपयोग में गिरावट जारी है (चार्ट II.1.12सी)।

II.1.30 विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कम होने के कारण, दूसरी छमाही में रिकवरी में तेजी आई। संचयी रूप से, वर्ष 2021-22 में, 23 उद्योग समूहों में से आठ ने वर्ष 2019-20 के इसी स्तर पर विस्तार दर्ज किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, बुनियादी ढांचे की वस्तुओं ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की क्योंकि निर्माण क्षेत्र की गतिविधि ने तेज रिकवरी की। अर्धनिर्मित और प्राथमिक वस्तुओं की अन्य श्रेणियों में भी सुधार हुआ, भले ही निवेश परिदृश्य शांत रहा और

चार्ट II.1.12: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि

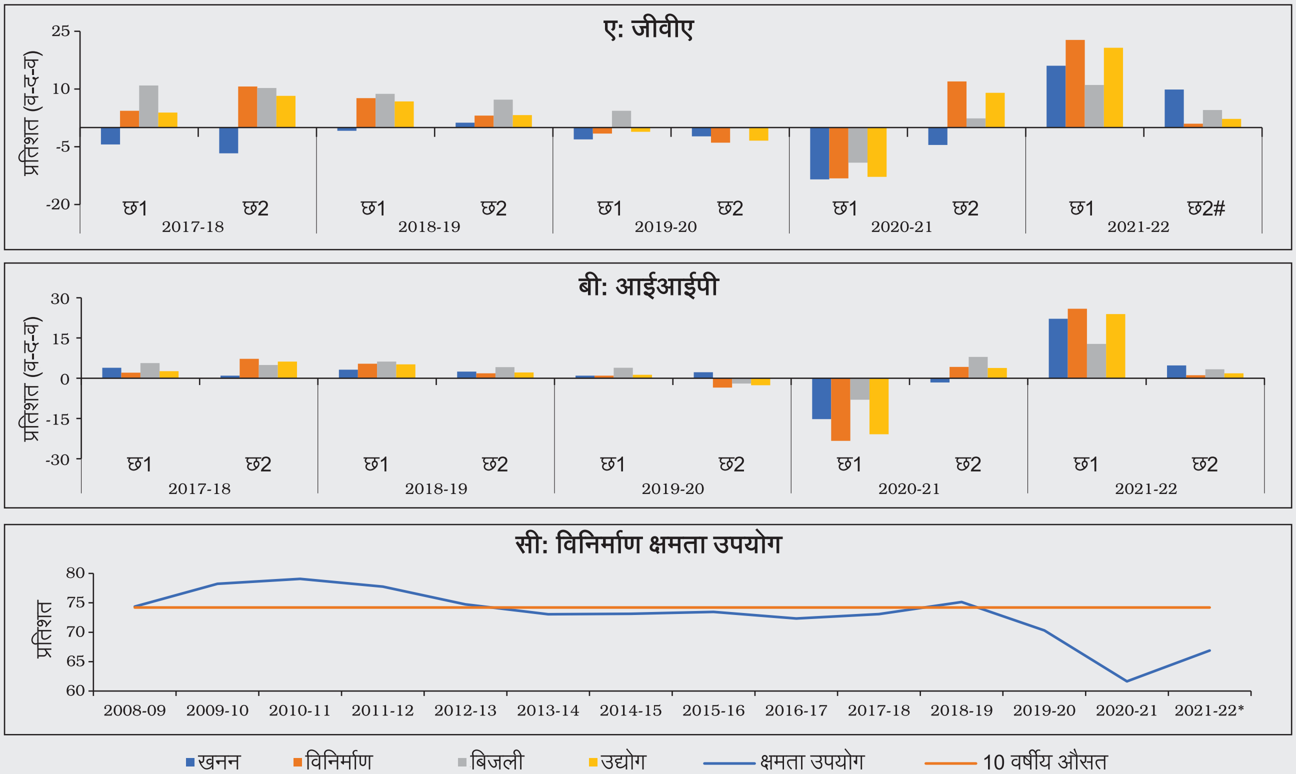

#: निहित विकास *: अप्रैल-दिसम्बर 2021।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

उपभोक्ता मांग अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, जैसा कि महामारी- पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में संकुचन से झलकता है (चार्ट II.1.13)।

चार्ट II.1.13: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

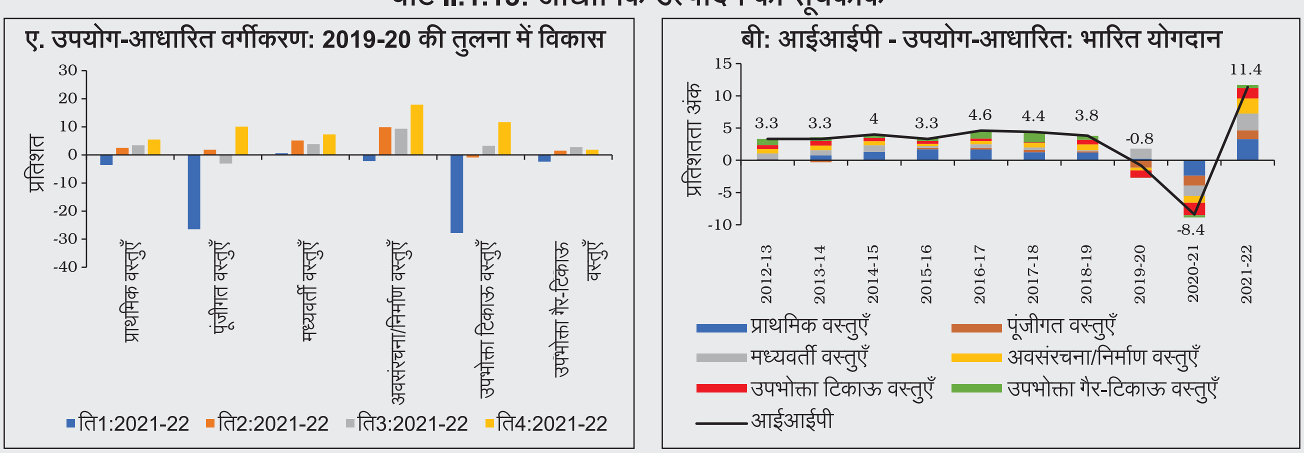

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

II.1.31 भारत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), जो कुल योजित सकल मूल्य (जीवीए) का लगभग एक तिहाई योगदान करता है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ (बॉक्स II.1.3)।

बॉक्स II.1.3
लघु व्यवसाय वित्तपोषण पर कोविड -19 के राहत उपायों का प्रभाव

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए (आरबीआई, 2021ए, 2021बी)। मई 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना[9] (ईसीएलजीएस) की घोषणा के बाद, एमएसएमई ऋण, विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए ऋण संवितरण, जिनका ऋण आकार 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान ₹10 लाख से कम है, की मांग में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 1 और 2)। इन ऋणों में से लगभग आधे का उपयोग कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की बकाया राशि को चुकाने के लिए किया गया; एक तिहाई का उपयोग व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए किया गया था, और शेष राशि का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था (चार्ट 3)।

लगभग 15 लाख ईसीएलजीएस खातों में से 88 प्रतिशत मानक आस्तियां हैं, 10 प्रतिशत विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) हैं, और 2 प्रतिशत अनर्जक आस्तियां (एनपीए) (सीआईबीआईएल, 2021ए) हैं। कुल एनपीए में से, 2021-22 के दौरान समान उधारकर्ताओं के गैर-ईसीएलजीएस खातों की तुलना में ईसीएलजीएस खातों में एनपीए से मानक परिसंपत्तियों में संक्रमण काफी अधिक था (चार्ट 4 और 5)।

चार्ट 3: ईसीएलजीएस फंड का उपयोग

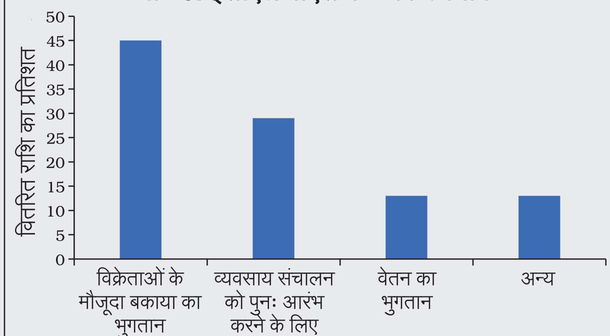

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट

चार्ट 1: एमएसएमई क्रेडिट की मांग

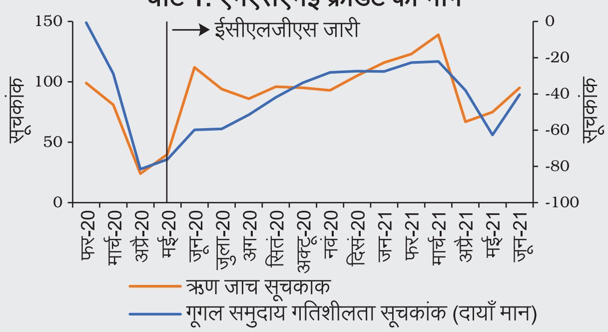

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल एमएसएमई पल्स और गूगल समुदाय गतिशीलता सूचकांक

चार्ट 4: रेटिंग संक्रमण

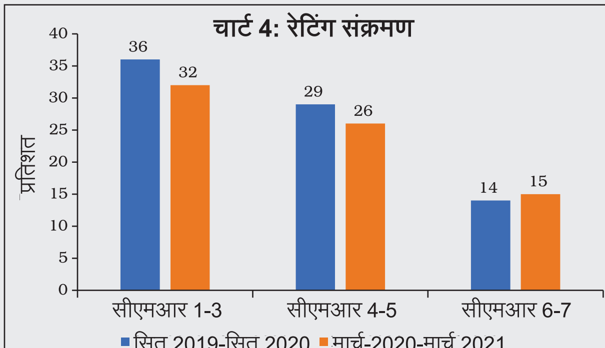

सीएमआर: सीबील, एमएसएमई रैंक

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल एमएसएमई पल्स

चार्ट 2: एमएसएमई ऋण वितरण

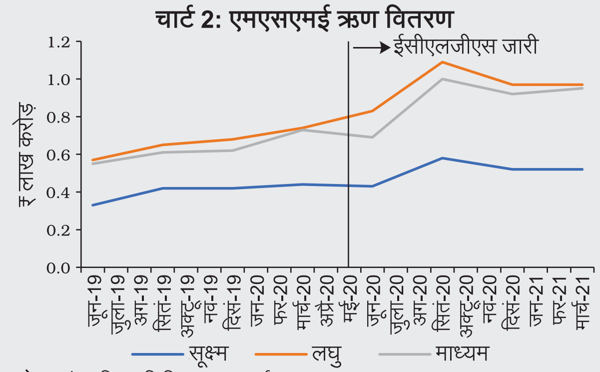

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल एमएसएमई पल्स

चार्ट 5: एनपीए का संक्रमण
(दिसंबर 2020 बनाम मार्च 2021)

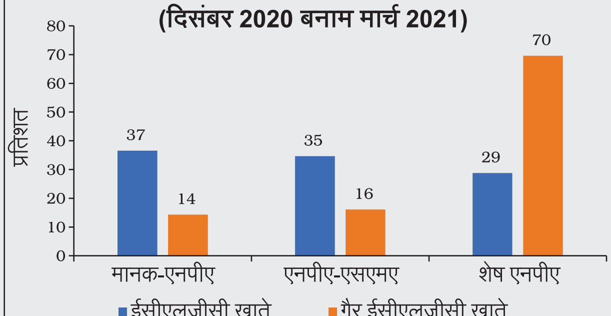

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट

(जारी)

[9] भारत सरकार(2020), 'एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम'. https://www.eclgs.com/

चार्ट 6: मौजूदा उधारकर्ताओं के लाभ

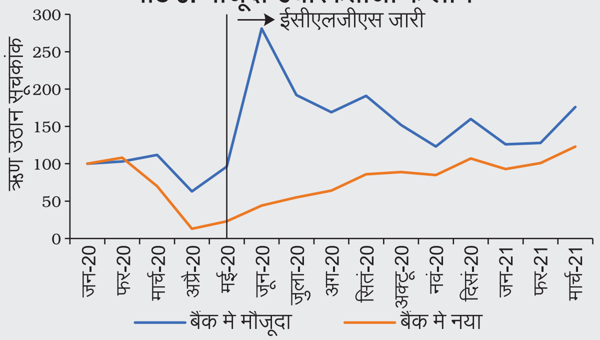

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल एमएसएमई पल्स

हालांकि, इस योजना से उन फर्मों को लाभ हुआ, जिनका पहले से ही नए उधारकर्ताओं के बजाय बैंक के साथ संबंध था (सीआईबीआईएल, 2021बी) । फरवरी 2021 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव से एमएसएमई क्षेत्र में नए उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की कटौती की घोषणा की। इस उपाय ने नए एमएसएमई क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए ऋण योग्य निधियों की उपलब्धता में वृद्धि की, क्योंकि नए उधारकर्ताओं को ऋण लगभग उसी गति से बढ़े जैसे मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए (चार्ट 6) । मध्यम आकार के उद्योगों में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) ईसीएलजीएस योजना की घोषणा के बाद तेज हुई (चार्ट 7)।

मार्च 2016 से अक्तूबर 2021 के मासिक आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि पर ईसीएलजीएस योजना के कारण प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) विश्लेषण से पता चलता है कि कई नीतिगत उपाय मध्यम पैमाने के उद्योग और संयुक्त रूप से सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में क्रमशः ईसीएलजीएस ने लगभग 35 प्रतिशत और 23 प्रतिशत ऋण वृद्धि में योगदान दिया (सारणी 1)।

चार्ट 7: घटक-वार ऋण वृद्धि (व-द-व)

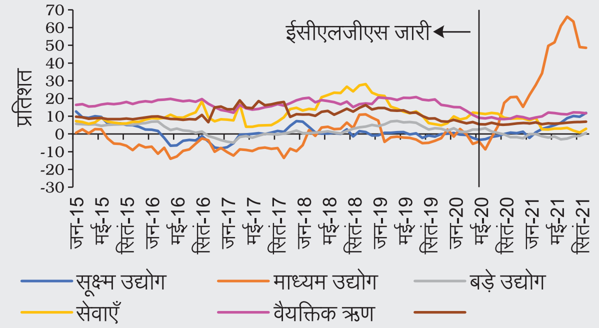

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 1: एमएसएमई ऋण वृद्धि पर नीतिगत उपायों के प्रभाव का अनुभवजन्य परिणाम

	ऋण वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)		
	सूक्ष्म	मध्यम	सूक्ष्म और मध्यम
ओईसीडी इंडिया कम्पोजिट अग्रणी संकेतक	0.27 *** (0.10)	0.27 *** (0.09)	0.27 *** (0.09)
सेक्टर डमी*ईसीएलजीएस डमी	-4.47 (3.44)	35.29 *** (2.86)	23.12 *** (2.66)
R^2	0.20	0.45	0.36

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
*: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: 1. विश्लेषण में, ईसीएलजीएस डमी मई 2020 के बाद मान 1 लेता है, और अन्यथा 0। सेक्टर डमी मान 1 लेता है, यदि क्षेत्र सूक्ष्म, मध्यम, सूक्ष्म और मध्यम है, अन्यथा, यह मान 0 लेता है। उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए तीन क्षेत्रीय डमी हैं। डमी की रिपोर्ट की गई बातचीत की अवधि के साथ, अलग-अलग डमी को स्वतंत्र रूप से माना जाता है और 2015 के दौरान की गई उधार दर और परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के लिए नियंत्रित किया जाता है, हालांकि, जगह की कमी के कारण परिणाम नहीं दिये गए हैं।

2. कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

संदर्भ :

1. सीआईबीआईएल, टी. (2021ए), 'ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट', ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल, दिसंबर।
2. सीआईबीआईएल, टी. (2021बी), 'एमएसएमई पल्स', ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल, जून।
3. आरबीआई (2021ए), 'क्रेडिट टूएमएसएमई ओंटरप्रेन्योर्स', नोटिफ़िकेशन, 5 मई।
4. आरबीआई (2021बी), 'स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेग्युलेटरी पॉलिसीज़', प्रेस रिलीज़, 7 अप्रैल।

II.1.32 खनन क्षेत्र ने वर्ष-दर-वर्ष और महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान, दोनों में ही वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2021-22 में आघात-सहनीयता दर्ज की। हाइड्रो और परमाणु बिजली उत्पादन में संकुचन होने के बाद भी, तदनुरूप एक साल पहले थर्मल बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों के विस्तार के कारण, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बिजली उत्पादन का भी विस्तार हुआ । नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल उत्पादन का लगभग 11 प्रतिशत है, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में महामारी-पूर्व के स्तर पर दोहरे अंकों का विस्तार दर्ज किया। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में, बेमौसम बारिश और कोयले की कमी के परिणामस्वरूप आपूर्ति में बाधा के कारण तीसरी तिमाही में कम तापीय बिजली उत्पादन के कारण बिजली उत्पादन में कमी आई। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में नवीकरणीय ऊर्जा ने तीव्र वृद्धि दर्ज की जबकि एक साल पहले की इसी अवधि की

तुलना में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए परमाणु और जलविद्युत उत्पादन में सुधार हुआ।

II.1.33 संघीय बजट वर्ष 2022-23 ने उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन -लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया है। पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और रत्न व आभूषणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा की गई। उत्पादन के लिए अन्य प्रोत्साहनों में एक वर्ष के लिए रियायती कर व्यवस्था का विस्तार और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की इकाइयों में व्यापार की सुगमता के उपाय शामिल हैं। उद्योग के मोर्चे पर, स्टार्टअप्स के लिए कर प्रोत्साहन एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

II.1.34 कोविड-19 महामारी ने विश्व स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न किया। ये व्यवधान कम लागत वाले श्रम, बंद बंदरगाहों, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी, कंटेनरों और जहाजों, और अन्य पण्यों तक कम पहुंच के रूप में दिखाई दिए (बॉक्स II.1.4)।

बॉक्स II.1.4
कोविड-19 आघात के बीच जीडीपी वृद्धि और श्रम बाजार पर आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान का प्रभाव

भारत की जीडीपी वृद्धि पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, जीएससीडीसीआई (वैश्विक आपूर्ति ृखला व्यवधान लागत सूचकांक) का अनुमान गतिशील कारक (डीएफ) दृष्टिकोण का उपयोग करके चार चरों[10] में एक अंतर्निहित सामान्य कारक को निकालकर लगाया जाता है (चार्ट 1)। जीएससीडीसीआई में वृद्धि इंगित करती है कि आपूर्ति पक्ष की बाधाएं सख़्त हैं, और ये संभावित रूप से समग्र जीडीपी की वृद्धि के लिए एक नकारात्मक जोखिम का कारण बन सकती हैं।

जीडीपी वृद्धि के एआर(1) मॉडल का एक समूह, उच्च आवृत्ति के 9-संकेतक और 15-संकेतकों के गतिशील कारकों द्वारा संवर्धित, जो आर्थिक गतिविधि को ट्रैक करते हैं, जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के लिए एक आधारभूत अनुमान प्राप्त करने के लिए नियोजित हैं और संक्षेप सारणी

चार्ट 1: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान लागत सूचकांक[11]

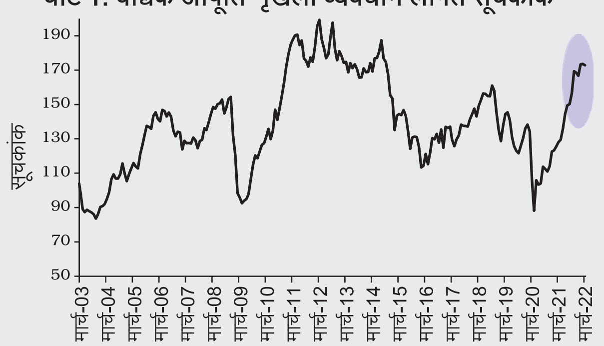

सारणी 1: जीडीपी पर जीएससीडीसीआई के प्रभाव का आकलन

	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित
खुद का अंतराल	0.1	0.14**	0.11*	0.14**
	(0.07)	(0.07)	(0.07)	(0.07)
डीएफ़9	7.26***	7.81***		
	(0.58)	(0.56)		
डीएफ़15			7.40***	7.57***
			(0.56)	(0.56)
जीएससीडीसीआई(-1)		**-0.53*** **		**-0.26***
		(0.15)		(0.15)
लगातार	2.33***	1.83***	1.80***	1.56***
	(0.50)	(0.49)	(0.49)	(0.50)
एन	70	70	70	70
एडीजेR^2	0.77	0.80	0.79	0.79

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण *: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण

टिप्पणी: 1. 9-संकेतक और 15-संकेतक बेसलाइन ब्रिज समीकरण जीएससीडीसीआई शॉक के साथ संवर्धित हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

(जारी)

[10] मंथली बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, आईएमएफ फ्यूल इंडेक्स और सेमी-कंडक्टर इक्विपमेंट बिलिंग।

[11] मासिक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बाल्टिक एक्सचेंज (लंदन) द्वारा बनाया गया, एक शिपिंग और व्यापार सूचकांक, सूखे थोक कच्चे माल जैसे कोयला, लोहा, स्टील, आदि के परिवहन की लागत को मापता है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स भौतिक पण्यों (6 क्षेत्रों को कवर करने वाले 23 पण्यों) की फ्यूचर्स संविदा की कीमतों को ट्रैक करता है। आईएमएफ ईंधन सूचकांक कच्चे तेल (पेट्रोलियम), प्राकृतिक गैस, कोयला और प्रोपेन सहित पण्यों के सबसे बड़े निर्यातक द्वारा निर्धारित की जाने वाला एक बेंचमार्क सूचकांक है। अंत में, विश्व सेमी-कंडक्टर उपकरण बिलिंग ,सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) से प्राप्त, सेमी-कंडक्टर उपकरणों के 3 महीने के औसत बिक्री मूल्य को कवर करती है जो टिकाऊ वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। 2011-12 = 100 पर आधारित इन सभी सूचकांकों से पता चलता है कि 2021 तक लागत का दबाव बढ़ गया था, जिससे आयात की लागत प्रभावित हुई और इसलिए समग्र जीडीपी प्रभावित हुई।

चार्ट 2: सापेक्ष रोजगार शेयर (गैर-कृषि)

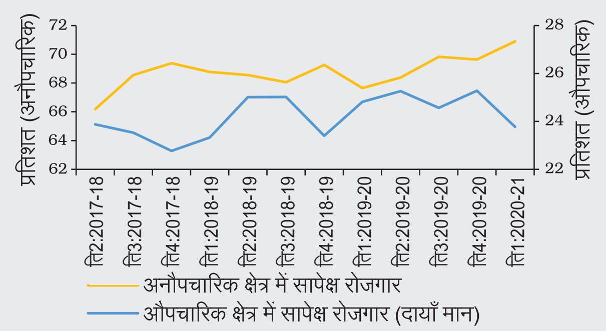

चार्ट 3: मजदूरी शेयर

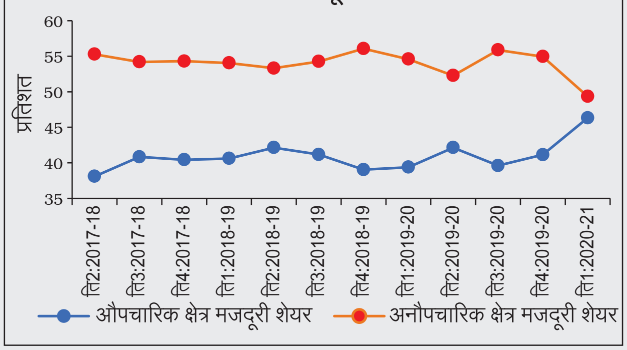

स्रोत: पीएलएफ़एस

1 में दिए गए हैं (भादुरी व अन्य, 2021) । जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानों पर जीएससीडीसीआई के प्रभाव को मापने के लिए, बेसलाइन मॉडल के समान सेट का पुन: अनुमान लगाया जाता है, जो वर्तमान अवधि जीएससीडीसीआई द्वारा संवर्धित है। मॉडल के निष्कर्ष बताते हैं कि जीएससीडीसीआई (या आपूर्ति की कमी) में 1 यूनिट (वर्ष-दर- वर्ष) सख्त होने से 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि 26 आधार अंकों (बीपीएस) कम हो सकती है। यदि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान 2021-22 के समान स्तर पर बना रहता है, तो यह आधारभूत विकास अनुमान के लिए संचयी नकारात्मक जोखिम ला सकता है, क्योंकि संचयी प्रभाव दो तिमाहियों में होता है।

एनएसओ द्वारा तिमाही प्रकाशित व्यक्तिगत स्तर पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़े का उपयोग भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों पर महामारी के आघात के प्रभाव की दिशा और परिमाण का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड (सीपी) डेटा का भी उपयोग किया जाता है। पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि भारत में, अनौपचारिक क्षेत्र 65 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, और अनौपचारिक क्षेत्र की सापेक्ष रोजगार हिस्सेदारी हमेशा औपचारिक क्षेत्र से अधिक रहती है (चार्ट 2)।[12] आम राय के विपरीत, रोजगार के मामले में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान महामारी की पहली लहर के दौरान औपचारिक क्षेत्र से बड़ा था। हालांकि, कुल वेतन बिल में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान नाटकीय रूप से गिर गई।

कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, अर्थव्यवस्था का कुल योजित सकल मूल्य (जीवीए) कम हो गया। मजदूरी के हिस्से पर विषम प्रभाव के साथ कुल वेतन बिल भी कम हुए। पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि मजदूरी में अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र के शेयर आमतौर पर एक ऐसी घटना को बदल देते हैं जो महामारी की पहली लहर से उलट गई थी (चार्ट 3)। इस प्रकार, कुल रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि के बावजूद पहली लहर के दौरान जीवीए में औपचारिक क्षेत्र का अपने वेतन हिस्से के मामले में अधिक योगदान था। जो उद्योग अनौपचारिक क्षेत्र की मजदूरी हिस्सेदारी में गिरावट का शिकार पहले हुए, वे हैं- थोक, और खुदरा व्यापार एवं विनिर्माण ।[13]

कोविड-19 की पहली लहर के बाद के पीएलएफ़एस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, सीएमआईई उपभोक्ता पिरामिड (सीपी) आंकड़ों को पीएलएफएस के साथ उचित रूप से मैप करने के बाद, औपचारिक क्षेत्र के वेतन हिस्से की श्रृंखला को बहिर्वेशित किया जाता है। यह हाइब्रिड-डेटा श्रृंखला इंगित करती है कि पहली लहर के दौरान कुल मजदूरी में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि दूसरी लहर के किसी भी दृश्य प्रभाव के बिना क्षणिक प्रतीत होती है।

संदर्भ :

1. भादुरी , एस., एस. घोष , और पी कुमार (2021), ' कन्स्ट्रक्टिंग ए कोइन्सिडेंट इकनॉमिक इंडिकेटर फॉर इंडिया: हाउ वेल डज़ इट ट्रैक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट?' आशियन डेवेलपमेंट रिव्यू, 38 (02), पी. 237-277
2. रे, डी. और एस. सुब्रमण्यम (2020), 'इंडियाज़ लॉकडाउन: एन इंटरिम रिपोर्ट', इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, 55(1), पी.31-79।

[12] पीएलएफएस रिपोर्ट में एनएसओ द्वारा दी गई अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा का पालन किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के सबसे बड़े हिस्से वाले उद्योगों में थोक और खुदरा व्यापार, आवास और खाद्य सेवाएं, अचल संपत्ति और निर्माण शामिल हैं।

[13] थोक और खुदरा व्यापार में अनौपचारिक क्षेत्र की मजदूरी हिस्सेदारी में गिरावट सबसे बड़ी, 8 प्रतिशत अंक थी, जबकि विनिर्माण के मामले में, यह पीएलएफ़एस के 2019-20 दौर के आंकड़ों के अनुसार 5.7 प्रतिशत अंक थी।

सेवा क्षेत्र

II.1.35 सेवा क्षेत्र, जिसे वर्ष 2020-21 में एक अभूतपूर्व संकुचन का सामना करना पड़ा था, उसने वर्ष 2021-22 में नुकसान की कुछ भरपाई की। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान संक्रामक दूसरी लहर के बावजूद, सेवा क्षेत्र की सुधार व्यापक आधार वाला था क्योंकि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी उप-खंडों ने अपने महामारी-पूर्व के स्तर (वर्ष 2019-20) को पार कर लिया था। ।

II.1.36 रिहायशी आवासीय क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सुधार दर्ज किया, बिक्री और लॉन्च में क्रमिक रूप से सुधार हुआ, और फंसी हुई इन्वेंट्री गिरकर आठ तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ गई। इस क्षेत्र में आशावाद लॉन्च की गई इकाइयों की संख्या में दिखाई दिया, जो 15 तिमाहियों में सबसे अधिक है। आवास क्षेत्र में गतिविधि के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा जोर देने से निर्माण क्षेत्र को लाभ हुआ। 48,000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ *प्रधान मंत्री आवास योजना* द्वारा, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ निर्माण क्षेत्र में विकास के समर्थन करने की उम्मीद है। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने अपने महामारी- पूर्व के स्तर को पार कर लिया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का प्रदर्शन आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर रहा है। वित्तीय क्षेत्र में, यद्यपि वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण में सुधार हुआ, कुल जमाराशियों में एहतियाती बचत में कमी आई। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खर्च में मजबूत वृद्धि के कारण 12.5 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि दर्ज करने के लिए एक प्रभावशाली बदलाव देखा। रेल और माल ढुलाई में भी तेजी से बहाली हुई।

II.1.37 सेमी-कंडक्टर चिप्स में वैश्विक आपूर्ति पक्ष के व्यवधान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फैल गया, जहां उत्पादन में गिरावट और डिलीवरी के समय में वृद्धि ने पंजीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला (सारणी II.1.5)। यात्री कारों की बिक्री में संकुचन दर्ज किया गया। दूसरी छमाही में दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी गिरावट आई और मांग में गिरावट के कारण ट्रैक्टर की बिक्री प्रभावित हुई। निम्न आधार ने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और हवाई यात्री यातायात के संकेतकों में वृद्धि को आगे बढ़ाया, भले ही वे महामारी-पूर्व की तुलना में शांत रहे। पोर्ट कार्गो खंड, जिसने महामारी के दौरान आघात-सहनीयता प्रदर्शित किया, तीसरी तिमाही में वैश्विक कंटेनर की कमी से प्रभावित हुआ। उच्च आधार के बावजूद मजबूत बने रहने वाले संकेतकों में रेलवे भाड़ा, जीएसटी ई-वे बिल और जीएसटी राजस्व शामिल हैं।

II.1.38 रिज़र्व बैंक का सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)[14], जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्त में गतिविधि को ट्रैक करता है और पीएडीओ को छोड़कर सेवाओं में जीवीए वृद्धि का एक सहवर्तिता संकेतक है, पिछली दो लगातार तिमाहियों में गिरावट के बाद, वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में तीसरी तिमाही के लगभग समान स्तर पर रहा(चार्ट II.1.14) ।

4. रोज़गार

II.1.39 वार्षिक पीएलएफ़एस डेटा वर्ष 2019-20 तक उपलब्ध है और शहरी क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी तिमाही पीएलएफ़एस डेटा दिसंबर 2021 तक उपलब्ध है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। (चार्ट II.1.15)। पहली लहर (अप्रैल-जून 2020) के दौरान,

[14] एसएससीआई का आकलन उच्च आवृत्ति संकेतकों, जैसे इस्पात उपभोग, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई, वाणिज्यिक वाहनों का बिक्री/उत्पादन, रेलवे माल यातायात,हवाई यात्री/माल ढुलाई, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक क्रेडिट और जमा से एकत्र जानकारी को उपयुक्त रूप से निकालने और संयोजन करके किया जाता है।

सारणी II.1.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: विकास दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

संकेतक	अप्रै-21	मई-21	जून-21	जुला-21	अग-21	सितं-21	अक्टू-21	नवं-21	दिसं-21	जन-22	फर-22	मार्च-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
शहरी मांग												
ऑटोमोबाइल बिक्री	-	40.0	14.7	4.0	-11.4	-19.7	-24.7	-31.8	-10.7	-18.8	-23.5	-17.8
यात्री वाहन	-	162.5	119.3	44.7	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	-8.1	-6.5	-3.9
कृषि / ग्रामीण मांग												
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	436.2	-8.0	18.9	3.3	-17.0	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	-32.6	-31.3	-14.3
दुपहिया वाहनों की बिक्री	-	26.1	4.0	-2.1	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-21.1	-27.3	-20.9
तिपहिया वाहनों की बिक्री	59,587.0	-48.7	-8.8	40.5	59.7	53.8	19.1	-6.6	27.0	-8.5	-1.1	0.5
यातायात												
कुल वाहन पंजीकरण	215.5	158.6	22.5	34.0	14.6	-5.3	-5.3	-2.7	-16.0	-10.7	-9.0	-2.9
घरेलू हवाई यात्री यातायात	1,05,896.5	608.7	53.8	136.4	132.6	76.5	68.7	65.5	53.3	-16.2	-1.0	37.7
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	2,575.0	343.3	31.2	45.9	119.2	155.9	162.9	140.2	121.7	67.5	66.6	105.7
घरेलू एयर कार्गो	1,117.7	285.7	43.0	41.3	35.7	10.1	6.7	-1.7	2.0	-6.1	-6.3	-1.0
इंटरनेशनल एयर कार्गो	312.5	116.8	46.9	31.7	25.8	18.1	23.8	11.7	10.5	5.2	-0.4	1.1
माल यातायात शुद्ध टन किलो मी	86.9	55.7	27.1	21.4	20.0	9.0	20.6	14.3	8.4	11.5	11.0	11.2
फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट उत्पत्ति	70.7	39.1	20.5	18.4	16.9	3.6	8.4	6.1	7.2	7.7	6.6	6.7
पोर्ट कार्गो	29.5	31.5	19.5	6.7	11.4	0.1	6.5	-0.2	-0.4	-2.9	0.0	0.7
घरेलू व्यापार												
जीएसटी ई-वे बिल	582.5	56.8	25.9	32.7	33.3	18.3	14.5	5.9	11.6	9.5	8.3	9.7
जीएसटी ई-वे बिल इंट्रा-स्टेट	480.3	47.1	24.3	31.6	30.8	15.6	14.1	7.3	13.4	11.4	10.3	11.8
जीएसटी ई-वे बिल अंतरराज्यीय	840.6	76.5	28.8	34.4	37.2	22.3	15.1	3.9	8.9	6.6	5.3	6.6
जीएसटी राजस्व	339.5	65.3	2.1	33.1	29.6	22.5	23.7	25.3	12.7	15.5	17.6	14.7
निर्माण												
स्टील की खपत	721.5	64.3	28.3	4.2	-2.2	-3.2	-3.8	-7.1	-8.3	0.5	-5.3	-0.5
सीमेंट उत्पादन	582.7	8.3	7.5	21.7	36.3	11.3	14.5	-3.6	14.2	14.3	5.0	8.8

फैलाव   संकुचन

-: उपलब्ध नहीं

स्रोत: सीईआईसी.

चार्ट II.1.14: सेवा क्षेत्र में वृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक

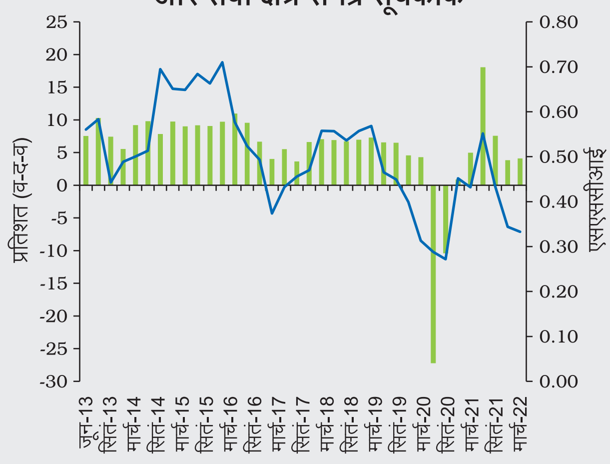

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन

श्रम बल भागीदारी दर (एलएफ़पीआर) गिरकर 45.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन दूसरी लहर (अप्रैल-जून 2021) के दौरान, एलएफ़पीआर गिरकर 46.8 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, दूसरी लहर के दौरान पहली की तुलना में कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में कम संकुचन हुआ। जहां पहली लहर के दौरान बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गई, वहीं दूसरी लहर के दौरान वे अपेक्षाकृत कम बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गईं लेकिन श्रम बाजार में रिकवरी दिसंबर 2021 तक पूरी नहीं हुई थी, एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर, दोनों महामारी-पूर्व तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) की तुलना में कम हैं।

II.1.40 वेतन पंजी आंकड़ों द्वारा मापा गया संगठित क्षेत्र का रोजगार, वर्ष 2021-22 में अब तक रोजगार सृजन में मजबूत

चार्ट II.1.15: त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (शहरी)

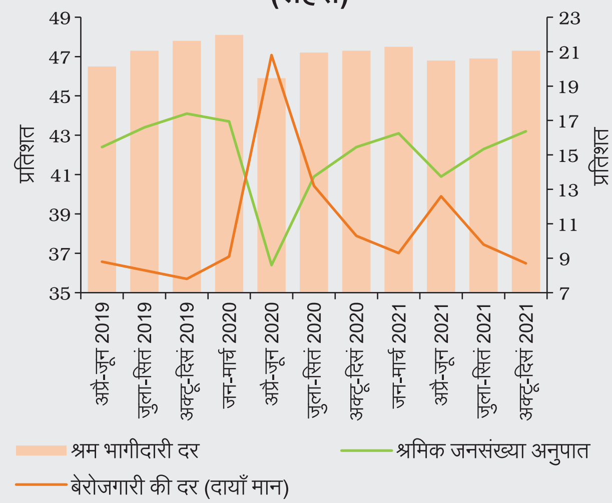

स्रोत: एमओएसपीआई, भारत सरकार

चार्ट II.1.16: संगठित क्षेत्र में नौकरियां

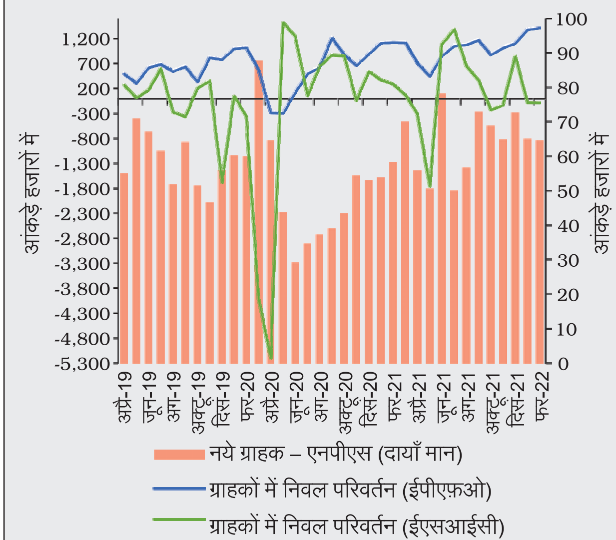

स्रोत: भारत सरकार

सुधार की तस्वीर प्रस्तुत करता है। संचयी आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रति माह जोड़े गए निवल अभिदाता अप्रैल-फरवरी 2021-22 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.0 लाख से बढ़कर 10.1 लाख हो गए। दूसरी ओर, कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में अपने योगदान का भुगतान करने वाले सदस्यों की औसत संख्या अप्रैल-फरवरी 2020-21 के दौरान प्रति माह 1.0 लाख से बढ़कर अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान 1.6 लाख प्रति माह हो गई। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के नए अभिदाताओं में भी वृद्धि हुई (चार्ट II.1.16)।

II.1.41 सीएमआईई घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करते हुए रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन दूसरी लहर के दौरान अपेक्षाकृत आघात –सह श्रम बाजार की स्थिति को इंगित करता है। प्रतिबंधों की स्थानीय प्रकृति और गतिशीलता के लिए रुक-रुक कर दी जाने वाली छूट ने सुनिश्चित किया कि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। वर्ष 2021-22 के दौरान, औसत मासिक श्रम शक्ति भागीदारी दर वर्ष 2020-21 में 39.9 प्रतिशत की तुलना में 40 प्रतिशत से ऊपर रही। इसके अलावा, दो लहरों के बीच चरम बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 में 23.5 प्रतिशत से घटकर मई 2021 में 11.8 प्रतिशत लगभग आधी हो गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर ने समान पैटर्न का पालन किया। श्रम बाजार में लिंग अंतराल के संदर्भ में, महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर में सुस्त सुधार दर्ज किया गया। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर 11.2 प्रतिशत से, मार्च 2022 में 6.7 प्रतिशत तक कम हो गई, लेकिन मई 2021 में महिलाओं के लिए यह 16.8 प्रतिशत से कम होकर मार्च में 15.6 प्रतिशत हो गई(चार्ट II.1.17)।

II.1.42 समग्र क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के रोजगार उप-सूचकांक जैसे रोजगार पर जानकारी को कवर करने वाले अन्य सर्वेक्षणों ने कोविड -19 की दूसरी लहर के बाद विनिर्माण और सेवाओं में भर्ती में मामूली संकुचन दर्ज किया। पहली लहर की तुलना में, दूसरी लहर के दौरान सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के मुक़ाबले अपेक्षाकृत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। हालांकि, वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र के रोजगार में तेज गति से विस्तार हुआ। इसी तरह,

चार्ट II.1.17: बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर

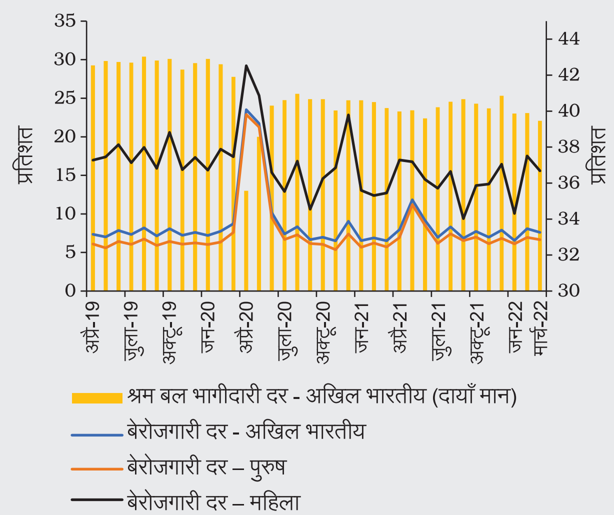

स्रोत: सीएमआईई घरेलू सर्वेक्षण

नौकरी जॉब्सपीक इंडेक्स से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में निजी क्षेत्र की भर्ती में तेजी आई (चार्ट II.1.18)।

चार्ट II.1.18: रोजगार परिदृश्य - वैकल्पिक रोजगार संकेतक

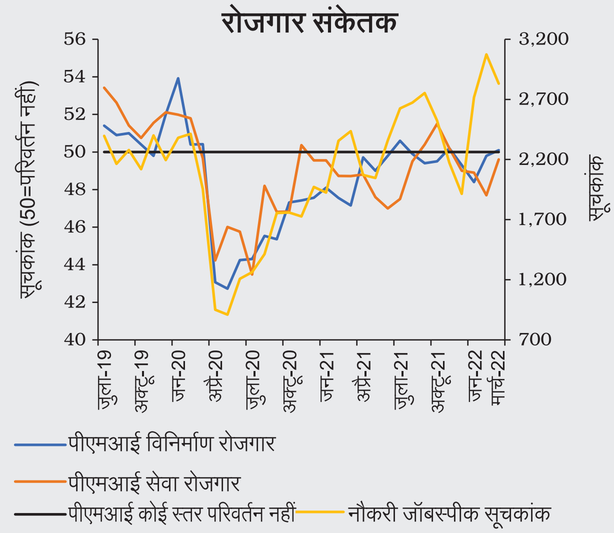

स्रोत: आईएचएस मार्किट, Monster.com और naukri.com

5. निष्कर्ष

II.1.43 महामारी की गंभीरता से उबरते हुए भारत का आर्थिक सुधार वर्ष 2021-22 में जारी रहा है और इस गति के वर्ष 2022-23 में भू-राजनीतिक झटके और इसके स्पिलओवर से अधोगामी जोखिम के साथ भी व्यापक रूप से जारी रहने की उम्मीद है। इन जोखिमों के बावजूद, रिकवरी गहरी और व्यापक हो रही है। संघीय बजट वर्ष 2022-23 ने मांग पक्ष उपायों पर ध्यान देने के साथ '100 पर भारत' के रोडमैप की कल्पना की। सरकारी पूंजीगत कैपेक्स परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि निजी निवेश में बढ़ोत्तरी कर सकती है और एक सुचक्र को आगे बढ़ा सकती है, जिससे कुल मांग में सुधार होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना योजना (एनआईपी) की राशि ₹100 लाख करोड़ और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जिसमें ₹6 लाख करोड़ शामिल हैं - दोनों को वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है, से भी बुनियादी ढांचे के खर्च पर एक बड़े जोर देने की उम्मीद है। 'प्रक्रिया सुधारों' के माध्यम से आपूर्ति पक्ष प्रबंधन[15] पर, कुछ क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सुगम और सरल बनाने पर जहां एक सुविधाकर्ता या नियामक के रूप में सरकार की उपस्थिति आवश्यक है, पर केंद्रित ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था की आघात–सहनीयता में सुधार करने में मदद करेगा। सार्वजनिक खरीद और दूरसंचार जैसे प्रक्रिया सुधारों से कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है। स्थायी कृषि विकास और कृषि आय में वृद्धि के लिए एक मार्ग निर्धारित करते हुए, संघीय बजट वर्ष 2022-23 में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, तिलहन और बाजरा के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एग्री-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई पहलों की घोषणा की गई है। *प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना* ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के सात इंजनों द्वारा संचालित रोडमैप तैयार किया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ईसीएलजीएस

[15] इसमें क्षेत्रों का अविनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निजीकरण, आस्ति मुद्रीकरण और उत्पादन -लिंक प्रोत्साहन (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22) शामिल हैं।

को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 लाख करोड़ करके कुल कवर का विस्तार किया गया है, अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है।

II.1.44 टीकाकरण की त्वरित गति और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर संभावनाओं के कारण तीसरी लहर के बावजूद कुल मिलाकर उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास आघात-सह बना हुआ है। हालांकि, कुल मांग में पूर्ण सुधार निजी निवेश में बदलाव पर निर्भर है। आपूर्ति पक्ष पर, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में पुनरुत्थान हो रहा है। सेवा क्षेत्र, जिसने महामारी के दुष्परिणाम झेले, वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के बाद से व्यापक रूप से सुधार करता दिखाई रहा है।

II.1.45 विकास के लिए आगे का रास्ता, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करके तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन को समग्र मांग और संरचनात्मक सुधारों के साथ कैलिब्रेट करके निर्धारित किया जाएगा। श्रम बाजार में इस तरह के सुधारों की भी आवश्यकता है ताकि कामगारों को फिर से तैयार करके महामारी के अनुकूल बनाया जा सके। महामारी, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

II.2 कीमतों की स्थिति

II.2.1 वर्ष 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, जो महामारी से संबंधित आपूर्ति और रसद व्यवधानों, वैश्विक पण्य कीमतों में फिर से उछाल और रुकी हुई मांग को दर्शाती है। मूल्य दबावों की तीव्रता विभिन्न देशों में भिन्न थी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि दर्ज की, जबकि उदीयमान बाजारों को घरेलू मुद्रास्फीति में विनिमय दर को मूल्यह्रास के पारित होने का भी सामना करना पड़ा।

II.2.2 वर्ष 2021 के दौरान, विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक, वर्ष 2020 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक था, जबकि 'धातु और खनिज' तथा कृषि वस्तु मूल्य सूचकांक क्रमशः 47.1 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत ऊपर थे। ऊर्जा कीमतें, जो नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान आपूर्ति की स्थिति में सुधार के रूप में गिर गई थीं, वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भू-राजनीतिक संघर्ष और उसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों के कारण तेजी से बढ़ीं। मार्च 2022 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें दिसंबर 2021 के स्तर की तुलना में 55.6 प्रतिशत बढ़ीं। अन्य प्रमुख प्राथमिक वस्तुओं ने भी महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि दर्ज की है- दिसंबर 2021 की तुलना में मार्च 2022 में धातुओं और खनिजों में 21 प्रतिशत और खाद्य में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पण्य कीमतों में इस व्यापक-आधारित वृद्धि ने अत्यधिक मुद्रास्फीति जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के शीघ्र सामान्यीकरण की संभावना को जोखिम में डाल दिया है और मुद्रास्फीति की उम्मीदों के अस्थिर होने का खतरा सामने ला दिया है।

II.2.3 भारत में, हेडलाइन मुद्रास्फीति[16], मई-जून 2021 के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन स्तर को पार कर गई, जो सभी तीन प्रमुख समूहों - खाद्य, ईंधन और खाद्य व ईंधन को छोड़कर (कोर), में स्थानीय लॉकडाउन से आपूर्ति बाधित होने के कारण मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट II.2.1)। इसके बाद, जब बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, तो मुख्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, जो इनपुट लागत दबावों के पास-थ्रू को दर्शाती है। इसके विपरीत, खरीफ फसल की बुवाई में प्रगति के साथ खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई, जब तक कि अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान अधिक / बेमौसम बारिश ने खड़ी फसलों (विशेष रूप से सब्जियों) को

[16] हेडलाइन मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधार वर्ष: 2012=100 के साथ अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है।

चार्ट II.2.1: सभी प्रमुख घटकों की मुद्रास्फीति

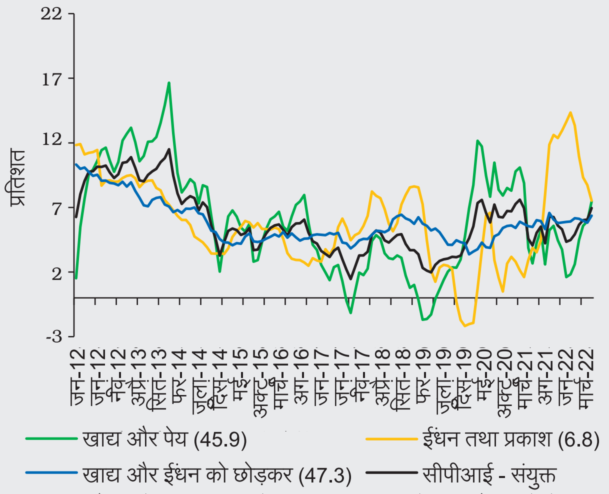

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई - संयुक्त में भार को दर्शाते हैं। अप्रैल और मई 2021 के आंकड़े एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

नुकसान नहीं पहुंचाया और जिसके कारण कीमतों के दबाव में वृद्धि हुई जिसे आंशिक रूप से अनुकूल आधारभूत प्रभावों से सहायता प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो सितंबर 2021 तक मुद्रास्फीति कम होकर लक्ष्य के करीब आ गई थी, अक्तूबर 2021 से फिर से बढ़ी और जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन स्तर को पार कर गई। वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यह वृद्धि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण घरेलू खाद्य कीमतों में थोड़ी कमी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति बाधाओं के कारण हुई थी।

II.2.4 औसत मुद्रास्फीति और साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापी गई अस्थिरता एक साल पहले की तुलना में वर्ष 2021-22 में कम थी (सारणी II.2.1)। मुद्रास्फीति का अंतर-वर्ष वितरण भी अधिक संतुलित था, जैसा कि एक छोटे नकारात्मक तिरछा में परिलक्षित होता है।

II.2.5 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, उप-खंड 2 वैश्विक पण्य कीमतों में विकास का आकलन करता है। उप-खंड 3 भारत में प्रमुख पड़ावों के साथ-साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिविधियों पर चर्चा करता है, इसके बाद उप-खंड 4 में इसके प्राथमिक घटकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कीमतों और लागतों के अन्य संकेतकों का विश्लेषण उप-खंड 5 में किया गया है, जिसके बाद समापन टिप्पणियों का ज़िक्र हुआ है।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति गतिविधियां

II.2.6 वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा कीमतों के कारण हुई (चार्ट II.2.2)। आपूर्ति की कमी और बिजली की मांग में वृद्धि के बीच प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई क्योंकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें वर्ष के दौरान अस्थिर रहीं और वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यूक्रेन में संघर्ष के कारण तेजी से बढ़ीं। जुलाई 2021 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) और उनके सहयोगियों (ओपेक +) के संगठन

सारणी II.2.1: हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9
स्क्यूनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2

टिप्पणी: स्क्यूनेस एण्ड कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दर का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना किए गए वार्षिक मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

चार्ट II.2.2: अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतें

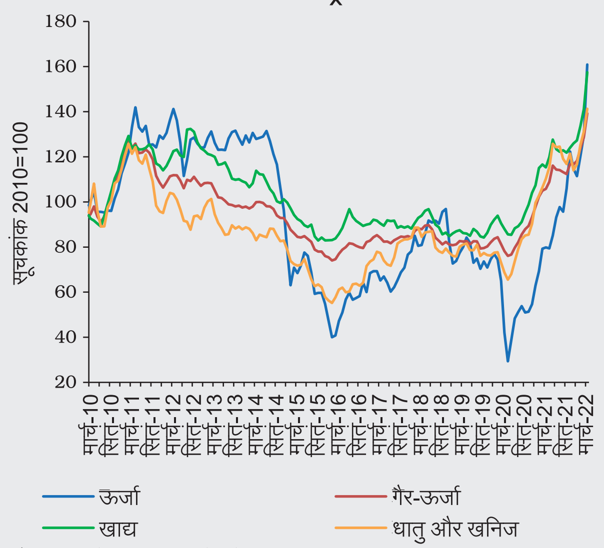

स्रोत: विश्व बैंक पिंक शीट डेटाबेस

द्वारा अप्रैल 2020 में घोषित बड़े उत्पादन कटौती की भरपाई करने के लिए, अगस्त 2021 से मासिक आधार पर केवल धीरे-धीरे 0.4 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय के लिए बनाया गया था और इसमें यूएस शेल सहित नए तेल उत्पादन में निवेश में सुस्त गति के साथ कीमतों का समर्थन किया। परिणामस्वरूप, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें मार्च 2022 में बढ़कर 112 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जो दिसंबर 2020 में 49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं। ऊर्जा की कमी और लॉकडाउन के कारण उत्पादन बाधित होने के बावजूद धातुओं की मांग में वृद्धि जारी रही। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतें भी ऊंची बनी रहीं और खाद्य सूचकांक (विश्व बैंक पिंक शीट) मार्च 2022 में एक सर्वकालिक उच्च (जनवरी 1960 के बाद से) पर पहुंच गया जो कि मुख्य रूप से खाद्य तेलों (ताड़ का तेल; सूरजमुखी तेल; रेपसीड तेल और सोयाबीन तेल) और अनाज की कीमतों, कई उत्पादक देशों (दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया) में प्रतिकूल मौसम से तंग आपूर्ति की स्थितियों, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पशु चारा (मक्का और सोयाबीन) की उच्च मांग द्वारा चालित था। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस और कोयले की उच्च कीमतों ने उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया और उनकी कीमतों को बढ़ा दिया और इस तरह खाद्य फसलों के लिए इनपुट लागत बढ़ गई। इन वैश्विक पण्य मूल्य विकासों को दर्शाते हुए, एई और ईएमडीई दोनों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ी।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.2.7 कोविड-19 की दूसरी लहर द्वारा आपूर्ति में व्यवधान और स्थानीय लॉकडाउन तथा वैश्विक पण्य कीमतों (कच्चे तेल और धातु) में वृद्धि के पास-थ्रू के कारण मई-जून 2021 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेज और व्यापक-आधारित वृद्धि होने से पहले, भारत में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति पर वापस आते हुए, अप्रैल 2021 में यह 4.2 प्रतिशत तक कम हो गया था (चार्ट II.2.3)। इसके बाद खाद्य कीमतों में गिरावट और प्रतिबंधों में ढील के कारण अनुकूल आधार प्रभावों के साथ मुद्रास्फीति में कमी आई। जैसा कि पहले बताया गया है, वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में ऊपरी सहन स्तर को पार करते हुए मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने लगी।

II.2.8 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्राथमिक विक्रेय बनी रही, हालांकि वर्ष 2021-22 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान घटकर 35.9 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 54.8 प्रतिशत था। केंद्र

चार्ट II.2.3: हेडलाइन मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव

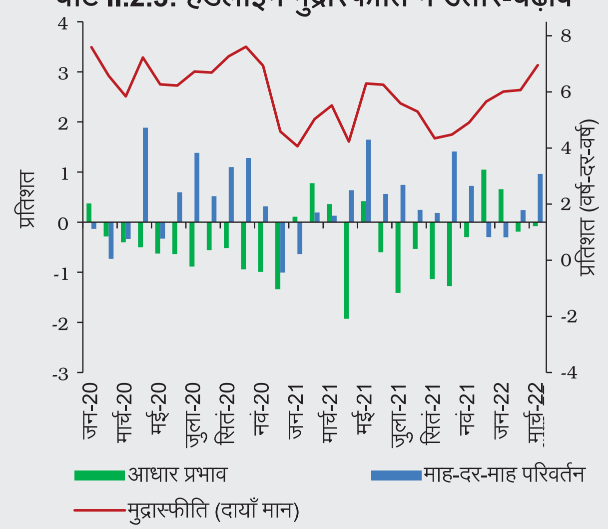

टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

सरकार ने खाद्य तेलों और दालों में कीमतों के दबाव को दूर करने के लिए कई आपूर्ति पक्ष के कदम उठाए जिससे खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली।

II.2.9 दूसरी ओर, ईंधन की कीमतों ने नई ऊंचाइयों को छुआ और अक्तूबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी के तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण मौजूदा मुद्रास्फीति श्रृंखला में 14.3 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। । इसके बाद, मुख्य रूप से कुछ राज्यों द्वारा घोषित बिजली की कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण नवंबर 2021 - मार्च 2022 के दौरान ईंधन की कीमतों में कमी आई।

II.2.10 वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों और घरेलू मांग में कुछ सुधार के बीच इनपुट लागत दबावों को दर्शाते हुए खाद्य और ईंधन या कोर मुद्रास्फीति को छोड़कर मुद्रास्फीति पूरे वर्ष बनी रही। मुख्य योगदानकर्ता में परिवहन और संचार; स्वास्थ्य; घरेलू सामान और सेवाएं; खेलकूद और मनोरंजन; तथा कपड़े और जूते की कीमतें शामिल हैं।

II.2.11 वर्ष के लिए, वर्ष 2021-22 में मुद्रास्फीति औसतन 5.5 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक साल पहले की तुलना में 66 आधार अंक (बीपीएस) कम है (परिशिष्ट सारणी 4) । हेडलाइन मुद्रास्फीति में ढील के बावजूद, परिवारों की औसत मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं वर्ष 2021-22 के दौरान तीन महीने आगे 59 आधार अंक और एक वर्ष आगे 62 आधार अंक तक मजबूत हो गईं, जो महामारी और छिटपुट आपूर्ति झटकों के रास्ते की अनिश्चितता को दर्शाती हैं।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

II.2.12 वर्ष 2021-22 के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के चालकों ने खाद्य और पेय पदार्थों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाए; ईंधन और प्रकाश; परिवहन और संचार; स्वास्थ्य; तथा कपड़े और जूते प्रमुख चालक बने रहे (चार्ट II.2.4) ।

चार्ट II.2.4: मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

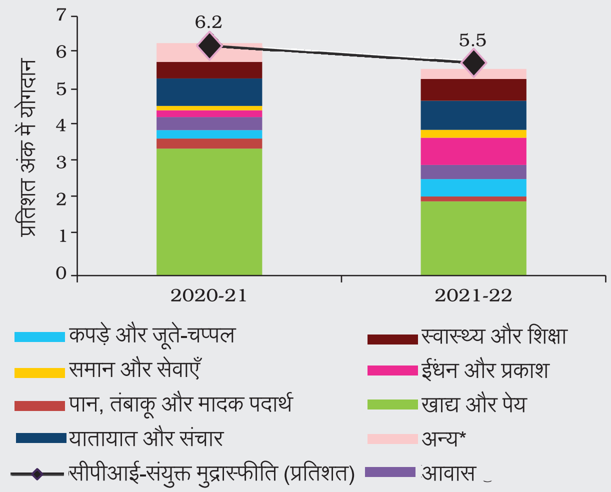

*इसमें मनोरंजन और विलासिता तथा निजी देखभाल और प्रसाधन की वस्तुएँ शामिल हैं।
टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के आंकड़े एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

खाद्यान्न

II.2.13 वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति (भारांक: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) 1.6 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर बढ़ी, जो मुख्य रूप से सब्जियों एवं तेलों और वसा मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है (चार्ट II.2.5) ।

चार्ट II.2.5: खाद्य मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

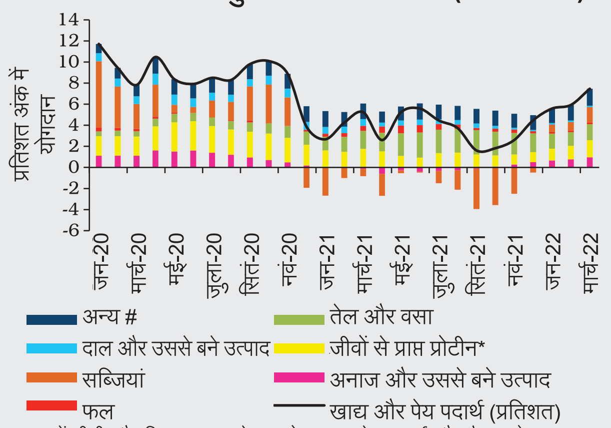

*: इसमें चीनी और मिष्ठान्न, मसाले, एल्कोहल मुक्त पेय-पदार्थ और तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई *आदि* शामिल है।
#: इसमें मांस और मछली, अंडे और दूध और उससे बने उत्पाद शामिल हैं।
टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए मांस तथा मछली और तैयार भोजन आदि का संकेतक और मई 2020 में तैयार भोजन आदि का सूचकांक एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

चार्ट II.2.6: प्रमुख खाद्यान्न उप-समूह में मुद्रास्फीति 2020-21

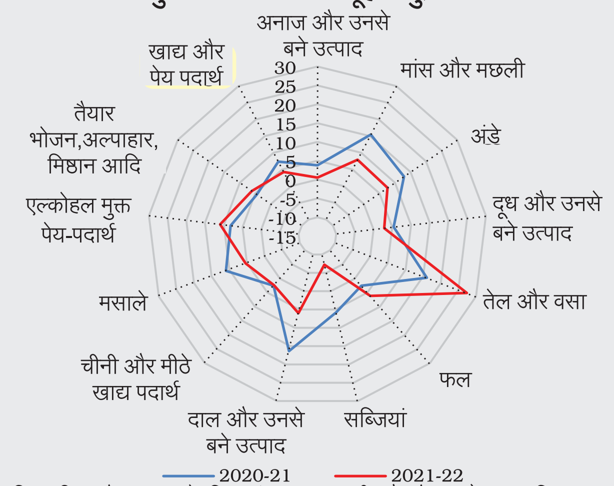

टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए मांस तथा मछली और तैयार भोजन आदि का संकेतक और मई 2020 में तैयार भोजन आदि का सूचकांक एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित हैं।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

II.2.14 वर्ष 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 4.2 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 7.3 प्रतिशत थी। 12 उप-समूहों में से आठ में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई (चार्ट II.2.6) । सब्जियों की कीमतें (भारांक: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 13.2 प्रतिशत) वर्ष के एक बड़े हिस्से के दौरान अपस्फीति में रहीं, अनुकूल आधार प्रभावों पर (-) 7.2 प्रतिशत की औसत अपस्फीति दर्ज की गई और इसने वर्ष के दौरान समग्र खाद्य मुद्रास्फीति पर अधोगामी दबाव डाला।

II.2.15 सब्जियों को छोड़कर, खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 204 आधार अंक अधिक गई (चार्ट II.2.7ए) । जबकि अधिक उत्पादन के कारण आम तौर पर कीमतों में कमी होती है, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान अतिरिक्त / बेमौसम बारिश ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ा दिया (चार्ट II.2.7बी)।

II.2.16 जून-जुलाई 2021 के महीनों के दौरान प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई, जो ग्रीष्मकालीन मूल्य उछाल तथा महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात *ताउते* के कारण संग्रहीत रबी प्याज को पहुंचे नुकसान को और फिर अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान भारी बारिश के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीफ फसलों को पहुंचे नुकसान को दर्शाती है। नीतिगत हस्तक्षेपों के रूप में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ़) योजना के तहत 2 लाख मीट्रिक टन (एमटी) के कुल बफर स्टॉक से संग्रहीत प्याज को निर्मोचित किया गया। ताजे आमद से समर्थन मिला, जिसने फरवरी 2022 में अस्थायी वृद्धि को छोड़कर दिसंबर 2021-मार्च 2022 के दौरान कीमतों के दबाव को कम किया। टमाटर के मामले में, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो सितंबर 2021 में उत्तर भारत के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में अनियमित बारिश को दर्शाती है, इसके बाद अक्तूबर 2021 में दक्षिण भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में व्यवधान और फसल

चार्ट II.2.7: सीपीआई- सब्जियॉं: कीमतों में मौसमी प्रभाव और मुद्रास्फीति के वाहक

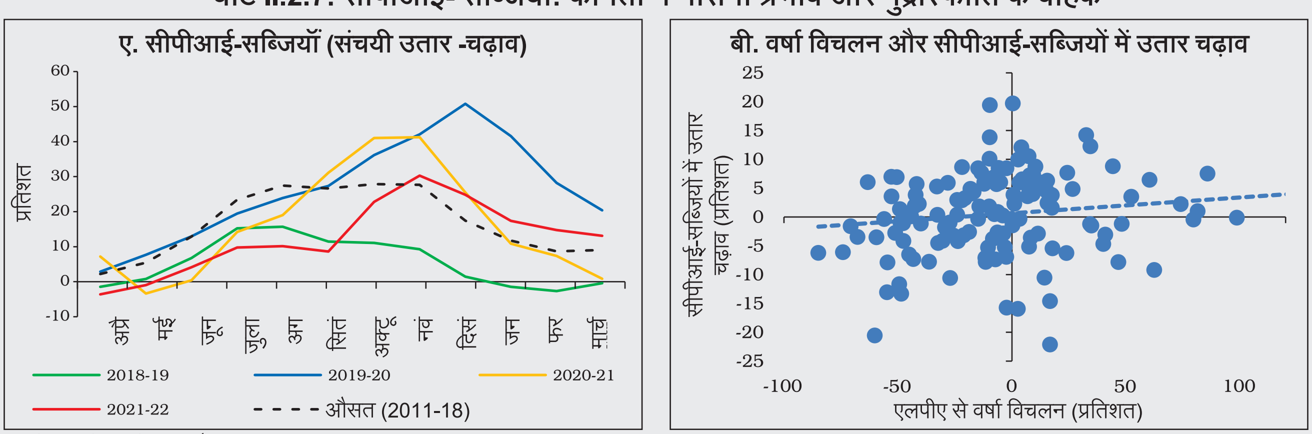

एलपीए: लंबी अवधि का औसत
टिप्पणी: चार्ट बी के लिए, डेटा फरवरी 2011 से मार्च 2022 तक है।
स्रोत: एनएसओ, भारतीय मौसम विभाग और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

को नुकसान हुआ। पिछले साल की आकर्षक कीमतों तथा प्रमुख उत्पादक राज्यों में उच्च भंडारण स्टॉक की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आलू की कीमतें वर्ष 2021-22 के दौरान (फरवरी-मार्च 2022 को छोड़कर) उच्च उत्पादन [2019-20 के अंतिम अनुमानों (एफ़ई) की तुलना में वर्ष 2020-21 की एफई में 15.7 प्रतिशत] पर होते हुए अवस्फीति पर थीं । हालांकि, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान बेमौसम बारिश और ताजा फसलों की आमद में देरी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई । वर्ष 2021-22 में कम उत्पादन [वर्ष 2021-22 में (-) 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान वर्ष 2020-21 एफई पर पहला उन्नत अनुमान (एई)] मार्च 2022 में मूल्य दबावों के फिर से उभरने का कारण बना।

II.2.17 अनाज और उत्पादों की कीमतों (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21 प्रतिशत का भार) ने अक्तूबर 2021-मार्च 2022 के दौरान कुछ कीमतों में दबाव दर्ज करने से पहले, वर्ष की पहली छमाही के दौरान अपस्फीति दर्ज की। *प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पीएमजीकेएवाई) के तहत उच्च खरीद-उठाव, चावल के रिकॉर्ड उत्पादन (वर्ष 2020-21 एफई की तुलना में वर्ष 2021-22 की तीसरी एई के अनुसार 4.3 प्रतिशत) ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान कीमतों को कम रखा। हालांकि, उच्च निर्यात (वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 236 प्रतिशत) के कारण दूसरी छमाही के दौरान गेहूं की कीमत में दबाव दिखाई दिया।

II.2.18 अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान, प्रोटीन युक्त वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत के भार) के मामले में, कीमत में दबाव देखा गया, जो आपूर्ति में व्यवधान और फ़ीड और परिवहन लागत में वृद्धि से इनपुट कीमत के दबाव को दर्शाता है (चार्ट II.2.8)। आपूर्ति शृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण और आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मील के 12 लाख टन के आयात के अनुरूप अगस्त 2021-जनवरी 2022 के दौरान कीमतों में कमी आई। हालांकि, फरवरी-मार्च 2022 के दौरान कीमतों का दबाव फिर से उभर आया, जो फ़ीड लागत में और बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। दूध और उत्पादों के मामले में, जुलाई 2021 और मार्च 2022

चार्ट II.2.8: सीपीआई- अंडे, मांस और मछली (संचयी उतार-चढ़ाव)

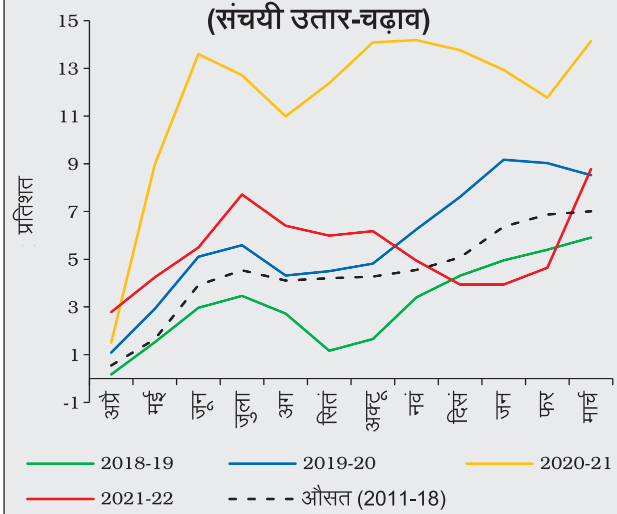

टिप्पणी: अप्रैल 2020 के लिए, मांस और मछली का सूचकांक एनएसओ द्वारा अभ्यारोपित है।
स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

में *अमूल* और *मदर डेयरी* जैसी प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कारण हुई वृद्धि तथा कुछ राज्य दूध सहकारी समितियों द्वारा इसी प्रकार के अनुसरण को छोड़कर, कीमतों में कमी बनी रही।

II.2.19 तेल और वसा (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का भार) ने जून 2021 में ऐतिहासिक रूप से 34.8 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की, जो बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विशेष रूप से पॉम तेल की बढ़ती आयात कीमतों के कारण हुई (चार्ट II.2.9)। कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा कई उपाय किए गए - 31 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करना; और पॉम के तेल (रिफाइंड और कच्चे पॉम तेल पर शुल्क को जून 2021 में 37.5 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत से कम कर फरवरी 2022 में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत करना) सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की कई बार कटौती करना । नवंबर 2021-जनवरी 2022 के दौरान इन उपायों के जवाब में और *रबी* तिलहन की बुवाई में तेज वृद्धि के बाद, खाद्य तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई। हालांकि, यूक्रेन (जो सूरजमुखी तेल का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है) में संघर्ष से फरवरी-मार्च 2022 के दौरान कीमतों के दबाव की वापसी हुई।

चार्ट II.2.9: सीपीआई- तेल और वसा (संचयी उतार-चढ़ाव)

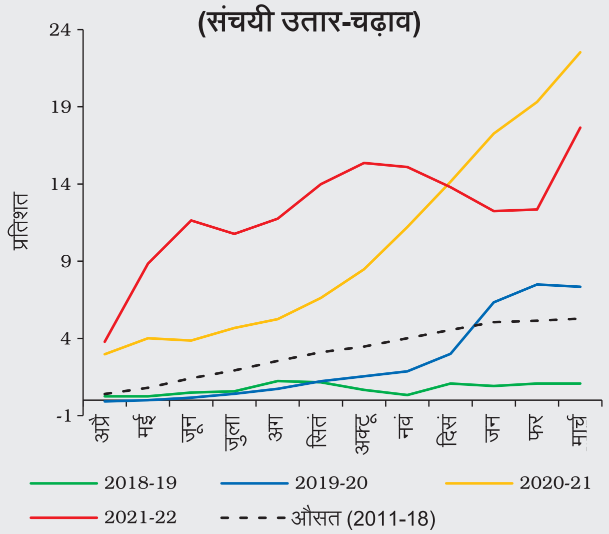

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

II.2.20 2. सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष से संबंधित किए गए कई उपायों के कारण दालों की कीमतों में महंगाई (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का भार) में मई-जून 2021 में हुई वृद्धि के बाद से इसमें गिरावट होती रही (चार्ट II.2.10)। आपूर्ति उपायों में 15 मई, 2021 से *अरहर*, उड़द और *मूंग* के आयात को

चार्ट II.2.10: सीपीआई में घटक- वार अंशदान-दलहन की मुद्रास्फीति

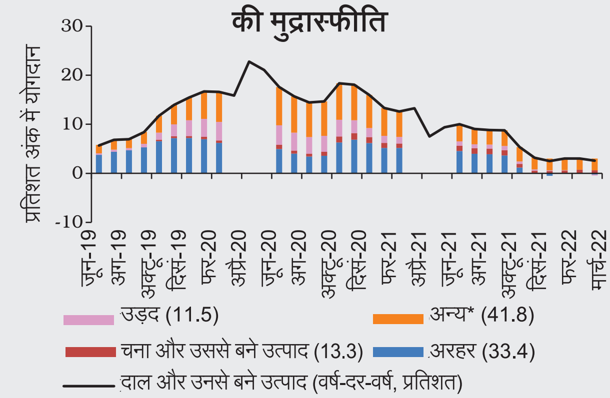

*: मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, बेसन और अन्य दाल उत्पाद आदि शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-दालों और उनसे बने उत्पादों में भार को इंगित करते हैं।

2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़ा जारी नही किया गया है।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन।

प्रतिबंधित से 'मुक्त श्रेणी' में ले जाना; *मूंग* को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्तूबर 2021 तक स्टॉक सीमा लागू करना; 27 जुलाई, 2021 से मसूर पर आयात शुल्क को पूरी तरह समाप्त करना और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को घटाकर 10 प्रतिशत करना; बफर स्टॉक से *मसूर* को रियायती कीमतों पर जारी करना और उड़द और तूर की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना शामिल है। इन उपायों से मार्च 2022 तक मुद्रास्फीति कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गई, जो जून 2021 में 10 प्रतिशत के अंतर-वर्ष का उच्चतम स्तर था।

II.2.21 फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भार) मई/जून 2021 में 3 साल के उच्च स्तर 11.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके बाद, हालांकि, सेब और अंगूर के उच्च उत्पादन के कारण कीमतों में कमी आई।

ईंधन

II.2.22 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत का भार) का योगदान पिछले वर्ष के 2.9 प्रतिशत के मुक़ाबले वर्ष 2021-22 में बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया। ईंधन मुद्रास्फीति अक्तूबर 2021 में तेजी से 14.3 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसका मुख्य कारण घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों का बढ़ना था, जिसने अंतरराष्ट्रीय कीमतों की गतिविधियों को ट्रैक किया (चार्ट II.2.11 और चार्ट II.2.12)। इसके बाद, मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखी गई और मार्च 2022 में मुख्य रूप से बिजली की कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई।

खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.23 खाद्य और ईंधन की अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति, अर्थात कोर मुद्रास्फीति, वर्ष 2021-22 में औसतन 6.0 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के शिखर पर होने पर 6.6 प्रतिशत के अंतर-वर्ष के सर्वोच्चतम स्तर पर थी (चार्ट II.2.13) [परिशिष्ट सारणी 4]। इसके बाद, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती (क्रमशः ₹5 प्रति लीटर और ₹10 प्रति लीटर) और इसके बाद

चार्ट II.2.11: ईंधन में मुद्रास्फीति के वाहक

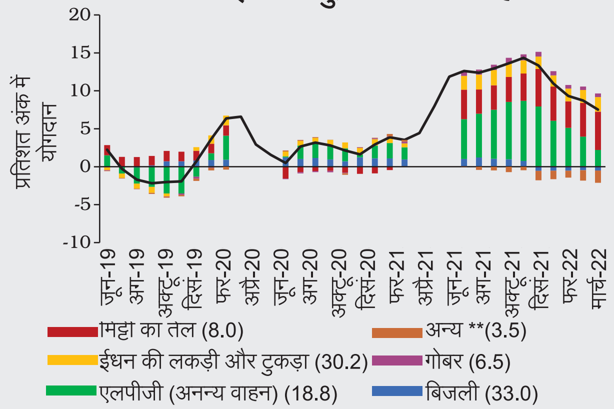

* इसमें पीडीएस वाला मिट्टी का तेल और अन्य स्रोतों से प्राप्त मिट्टी का तेल शामिल है।

** इसमें डीजल, कोक, कोयला, काठकोयला और अन्य ईंधन शामिल है।

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, सीपीआई-ईंधन और बिजली के भार को इंगित करते हैं। 2. एनएसओ द्वारा मार्च-मई 2020 के दौरान मदवार सीपीआई आंकड़ा जारी नही किया गया है

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन

चार्ट II.2.12: एलपीजी की खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव

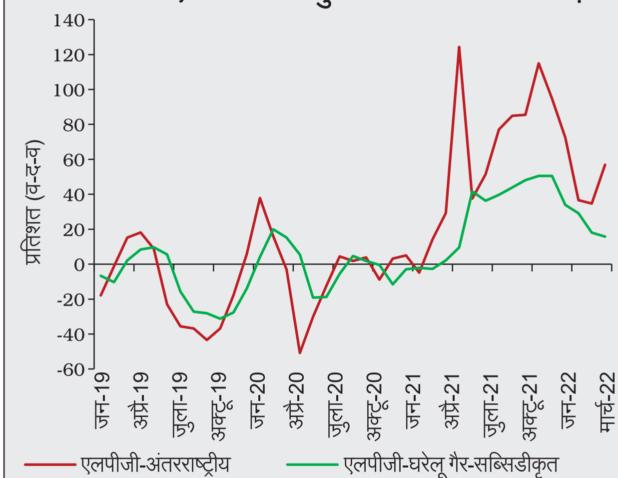

टिप्पणी: घरेलू गैर-सब्सिडी एलपीजी की कीमतें चार महानगरों की औसत कीमतें हैं।

स्रोत: पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ(पीपीएसी), ब्लूमबर्ग, आरबीआई स्टाफ आकलन

नवंबर 2021 की शुरुआत में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी के बावजूद नवंबर 2021-मार्च 2022 (फरवरी 2022 को छोड़कर) के दौरान फिर से 6 प्रतिशत को पार करने से पहले लॉकडाउन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के साथ मुद्रास्फीति कुछ हद तक कम हो गई।

II.2.24 प्रमुख घटकों में, परिवहन और संचार में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि को दर्शाया (चार्ट II.2.14)। कच्चे माल की उच्च लागत, आपूर्ति बाधाओं और महामारी में मांग के कारण दवा की कीमतों तथा अस्पताल और नर्सिंग शुल्क में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति बढ़ी।

चार्ट II.2.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के वाहक

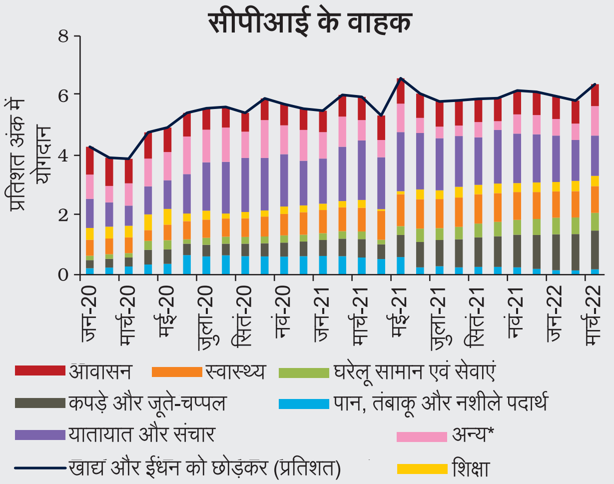

*: इसमें मनोरंजन, मनोविनोद और निजी देखभाल की चीजें और उनके प्रभाव शामिल हैं।

टिप्पणी: एनएसओ द्वारा अप्रैल-मई 2020 के आंकड़े अभ्यारोपित हैं।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन।

चार्ट II.2.14: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान

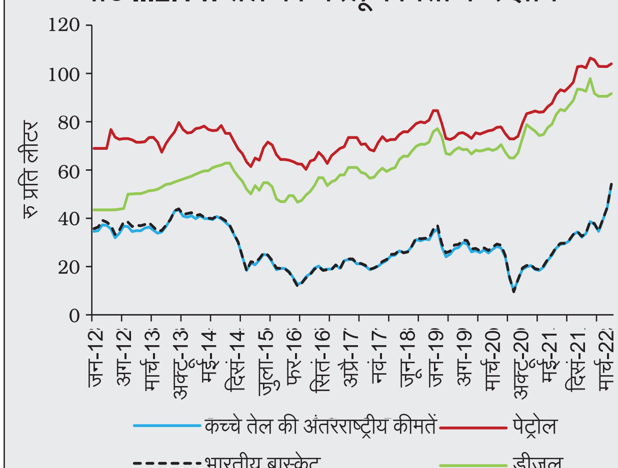

टिप्पणी: कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत डब्ल्यूटीआई, ब्रेंट और दुबई फतेह की औसत कीमत को दर्शाती है।

स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिंक शीट डेटाबेस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) और आरबीआई स्टाफ आकलन।

परिवहन और संचार के भीतर, निजी परिवहन वाहनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है जो प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा उच्च इनपुट लागत (विशेष रूप से धातु और माइक्रोचिप्स) के क्रमिक पास-थ्रू को दर्शाती है। निजी दूर संचार ऑपरेटरों ने जुलाई 2021 (आधार वर्गों के लिए लगभग 40 प्रतिशत) और नवंबर 2021 (20-25 प्रतिशत) में विभिन्न योजनाओं के लिए मोबाइल टैरिफ प्रभार में वृद्धि की। वर्ष 2021-22 के दौरान खुदरा कीमतों के लिए इनपुट लागत के पास-थ्रू के परिणामस्वरूप, मुख्य वस्तुओं के भीतर बड़ी संख्या में वस्तुओं ने मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई (चार्ट II.2.15)।

II.2.25 आवास मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 में 3.7 प्रतिशत (वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत) पर मध्यम रही, जो कोविड-19 की कई लहरों के बीच हाइब्रिड कार्य संस्कृति के कारण किराये की मांग में कमी को दर्शाती है। वर्ष 2021-22 में आवास, खाद्य और ईंधन को छोड़कर, की निवल मुद्रास्फीति औसतन 6.6 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 6.2 प्रतिशत थी।

II.2.26 कपड़ों और जूतों की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई और वर्ष 2021-22 में 7.2 प्रतिशत के औसत से एक प्रमुख दबाव बिंदु बना रहा। यह अप्रैल 2021 में 3.5 प्रतिशत से

चार्ट II.2.15: मुद्रास्फीति: कोर वस्तुएं

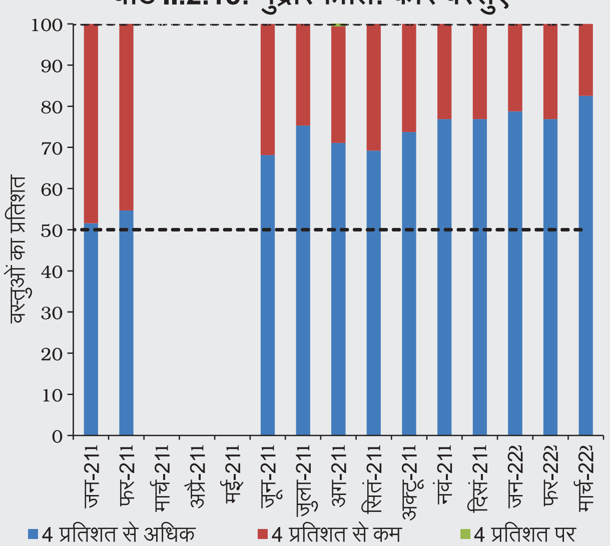

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ आकलन

लगातार बढ़कर मार्च 2022 में 9.4 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से कम वैश्विक उत्पादन और स्वस्थ वैश्विक मांग के कारण कपास की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों (कॉटन ए इंडेक्स द्वारा मापा गया) से उत्पन्न इनपुट लागत दबाव को दर्शाती है।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.2.27 एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, बड़े पैमाने पर खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 के दौरान थोड़ा बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, हालांकि जनवरी में 5.8 प्रतिशत तक पहुंचने से पहले सितंबर 2021 में यह 4.4 प्रतिशत तक कम थी। दूसरी ओर, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आरएल) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 में क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में अनुकूल आधार प्रभावों और मंद खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 5.5 प्रतिशत थी। हालांकि दोनों ने मार्च 2022 में 6 प्रतिशत के स्तर को पार कर लिया।

II.2.28 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 13.0 प्रतिशत हो गई, जो नवंबर 2021 में 14.9 प्रतिशत के अंतरा-वर्ष के शिखर पर थी (वर्तमान श्रृंखला के सर्वोच्चतम स्तर पर)। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2021 से बढ़ी और वर्ष के दौरान दोहरे अंकों में रही, जो सभी प्रमुख समूहों में कीमतों में तेज वृद्धि को दर्शाती है। प्राथमिक वस्तुओं के भीतर, गैर-खाद्य वस्तुओं (21.2 प्रतिशत), खनिज (19.4 प्रतिशत) और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (56.5 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रही, जो बढ़ती घरेलू मांग के बीच उच्च अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों को दर्शाती है। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति भी औसतन 32.8 प्रतिशत तक उछल गई, जो मुख्य रूप से खनिज तेलों की कीमतों में तेज वृद्धि से प्रेरित थी। मई 2021 से, इनपुट लागत में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ, विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति भी दोहरे अंकों में पहुंच गई (बॉक्स II.2.1)। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेज

बॉक्स II.2.1
इनपुट लागत दबावों के प्रति भारत में मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता

भारत में इनपुट लागत दबावों के लिए मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों का पालन किया जाता है: (i) वैश्विक कमोडिटी कीमतों का सीधे सीपीआई को पास-थ्रू, और (ii) परोक्ष रूप से डब्ल्यूपीआई के माध्यम से। वर्ष 1992 से 2021 की अवधि के लिए मासिक डेटा एक बहुपद वितरित अंतराल (पीडीएल) मॉडल (बैटन और थॉर्नटन, 1983) [समीकरण[17] (1) और (2)] का उपयोग करते हुए एक साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) ढांचे में कार्यरत हैं:

$$\text{dlog(Domestic Price Index}_t) = c_1 + \sum_{(i=1)}^{P} \beta_i \,\text{dlog(Domestic Price Index}_{t-i}) + \sum_{i=0}^{Q} \alpha_i \,\text{dlog(IMF Price}_{t-j}) + \sum_{i=0}^{R} \gamma_i \,\text{dlog(Ex Rate}_{t-l}) + \theta_1 \,\text{IIPGapDom}_{t-j} + \delta_1 \,\text{IIPGapOECD}_{t-k} + \phi_1 \text{Abs Rain Dev}_{t-l} + \varepsilon_t \quad ...(1)$$

$$\text{dlog(CPI}_t) = c_2 + \sum_{(i=1)}^{S} \phi_i \,\text{dlog(CPI}_{t-i}) + \sum_{i=0}^{T} \psi_i \,\text{dlog(WPI}_{t-i}) + \sum_{i=0}^{U} \gamma_i \,\text{dlog(Ex Rate}_{t-i}) + \eta_1 \,\text{IIPGapDom}_{t-v} + \lambda_1 \,\text{IIPGapOECD}_{t-w} + \omega_1 \text{Abs Rain Dev}_{t-x} + \upsilon_t \quad ...(2)$$

परिणाम बताते हैं कि वैश्विक पण्य कीमतों का सीपीआई को पास-थ्रू डब्ल्यूपीआई के मुकाबले कम है, गैर-खाद्य ईंधन (या कोर) के मामले में लंबे समय तक संचरण अंतराल के साथ। मूल मुद्रास्फीति (चार्ट 1) के मामले में भी प्रभाव लगातार बना हुआ है। वैश्विक पण्य समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) की कीमतों में एक प्रतिशत परिवर्तन से सीपीआई समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) मुद्रास्फीति में 0.02(0.04) प्रतिशत परिवर्तन होता है, और समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फ़ीति में लगभग 0.11(0.09) प्रतिशत परिवर्तन होता है।

दूसरी ओर, थोक मूल्य सूचकांक समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) में एक प्रतिशत के परिवर्तन से समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.26(0.33) प्रतिशत का परिवर्तन होता है। अप्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमानों की पुष्टि करते हैं, *अर्थात्*, वैश्विक पण्यों समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) की कीमतों में एक प्रतिशत की वृद्धि से समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.03 प्रतिशत परिवर्तन होता है।

संक्षेप में, वैश्विक पण्य कीमतों के सख्त होने से डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में सीपीआई मुद्रास्फीति पर अपेक्षाकृत मध्यम प्रभाव पड़ता है, लेकिन सीपीआई कोर पर प्रभाव अधिक स्थायी है।

चार्ट 1: अनुमानित परिणाम

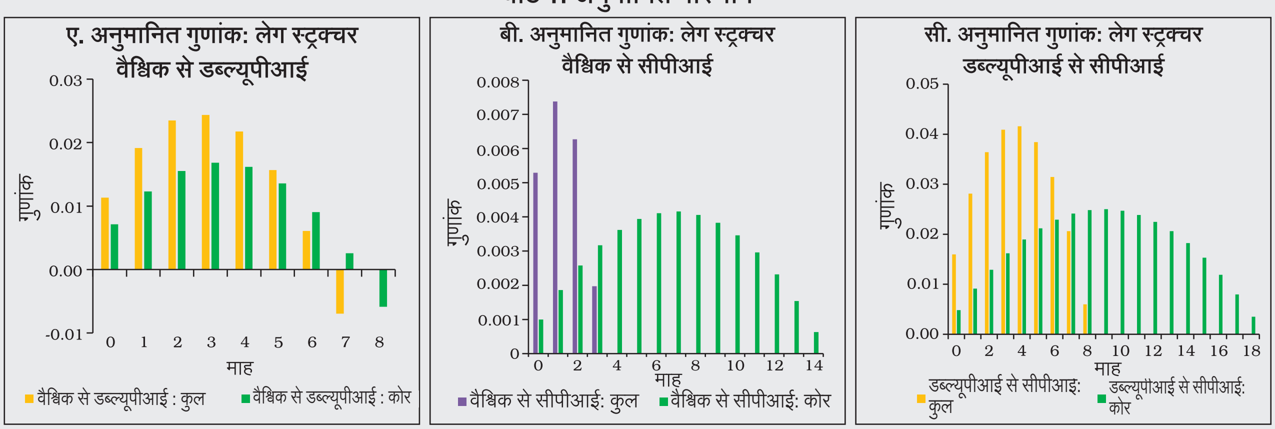

टिप्पणी: गुणांक पास-थ्रू अनुमान हैं।
स्रोत: एनएसओ, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

संदर्भ:

बैटन, डलास एस., और डेनियल एल. थॉर्नटन (1983), 'पॉलिनोमियल डिस्ट्रिब्यूटेड लैग्स एंड द एस्टीमेशन ऑफ द सेंट लुइस इक्वेशन' फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस, वॉल. 65(अप्रैल), पृष्ठ 13-25 ।

[17] जहां घरेलू मूल्य सूचकांक सीपीआई और समग्र डब्ल्यूपीआई /खाद्येत्तर और ईंधन से इतर जैसा भी मामला हो, को संदर्भित करता है; आईएमएफ मूल्य समग्र /खाद्येत्तर और ईंधन से इतर प्राथमिक वस्तु मूल्य सूचकांक को संदर्भित करता है; एक्स रेट यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर को संदर्भित करता है; आईआईपी गैप डोम/आईआईपी गैप ओईसीडी आईआईपी गैप हैं जिनका उपयोग क्रमशः घरेलू और वैश्विक मांग की प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है, एब्स रेन देव, वास्तविक वर्षा के दीर्घावधि औसत से पूर्ण विचलन को संदर्भित करता है, ε_t और u_t संबद्ध त्रुटि दर्शाते हैं और t समय को दर्शाता है। सभी डेटा श्रृंखलाओं को उनके प्राकृतिक लॉग फॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया है और अनुमान से पूर्व फिर डी-सीज़नलाइज़ किया गया है।

बढ़ोत्तरी और सीपीआई मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति भी दूसरे अग्रिम अनुमान वर्ष 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2020-21 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 9.6 प्रतिशत हो गई।

II.2.29 *खरीफ* और *रबी* की फसलों के लिए वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कम वृद्धि हुई। एमएसपी की सीमा विभिन्न फसलों में बढ़ जाती है जैसे- *मूंग* और *मक्का* के मामले में 1.1 प्रतिशत से लेकर रेपसीड/सरसों के लिए 8.6 प्रतिशत तक। चावल और गेहूं के एमएसपी में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

II.2.30 मई 2021-फरवरी 2022 के दौरान कृषि और गैर-कृषि मजदूरों की मजदूरी वृद्धि वर्ष के दौरान मंद रही, जो कम ग्रामीण मुद्रास्फीति के साथ सह-अस्तित्व की कमजोर मांग की स्थिति के कारण औसतन क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत थी। हालांकि, फरवरी 2022 में कृषि मजदूरी वृद्धि जून 2021 में 1.1 प्रतिशत के निचले स्तर से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई, जबकि गैर-कृषि मजदूरी वृद्धि फरवरी 2022 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो मई 2021 में 0.2 प्रतिशत थी, जो आंशिक रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है।

6. निष्कर्ष

II.2.31 संक्षेप में, हेडलाइन मुद्रास्फीति मई-जून 2021 में दूसरी लहर के दौरान ऊपरी वहनीयता स्तर और जनवरी-मार्च 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के साथ-साथ तीसरी लहर के कारण भी 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अक्तूबर और नवंबर 2021 में भारी बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी दिसंबर 2021 में सर्दियों की फसल की आमद के साथ वापस कम होना शुरू हो गया, लेकिन सर्दियों में आई कीमतों में यह गिरावट सामान्य से कम थी। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप से घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के पास-थ्रू को रोकना जारी है। उच्च औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों, परिवहन लागत, तथा वैश्विक रसद और आपूर्ति शृंखला बाधाओं से लागत-प्रेरित दबाव कोर मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालना जारी रखे हुए है। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बीच थोक और खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति के मध्य पर्याप्त अंतर, खुदरा मुद्रास्फीति के लिए इनपुट लागत दबावों के संभावित पास-थ्रू का जोखिम पैदा करता है, हालांकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती पास-थ्रू को स्थिर कर रही है। यूक्रेन में संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप पण्य की कीमतों में वृद्धि ने शेष विश्व की तरह भारत में भी मुद्रास्फीति के लिए परिदृश्य को धूमिल कर दिया है।

II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 रिज़र्व बैंक के समायोजनकारी नीतिगत रूख से वर्ष भर मौद्रिक और क्रेडिट की स्थिति प्राय: समान रही। मौजूदा कठोर परिस्थितियों में अधिकतर वैश्विक स्पिलओवर के उपरांत समग्र वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी रहीं। आरक्षित मुद्रा (आरएम) में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)[18] बढ़ोत्तरी के पहले दौर के प्रभावों के लिए समायोजित किए जाने के पश्चात नरमी देखी गई। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के चलते एहतियाती मुद्रा मांग में नरमी देखी गई। इसके साथ ही मुद्रा के वेग में बढ़त की गुंजाइश देखी गई जो वस्तुत: अर्थव्यवस्था उपभोक्ता मांग में सुधार की स्थिति को दर्शाती है। वर्ष के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) वृद्धि की गति कम हुई जो अपने बड़े घटक-समग्र जमाओं के रूख को दर्शाती है। जबकि दूसरी तरफ बैंक क्रेडिट वृद्धि को, विशेष रूप से अगस्त 2021 से, गति मिली जो बनी रही।

II.3.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में आरक्षित मुद्रा (आरएम) के अंतर्निहित गतिशील उतार-चढ़ाव पर और उससे रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र में हुए परिवर्तनों पर विचार किया गया है। उप-खंड

[18] 27 मार्च 2021 से प्रभावी सीआरआर में 3.0 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की वृद्धि, 22 मई 2021 से प्रभावी सीआरआर 4.0 प्रतिशत; और इसके अतिरिक्त 21 मई 2022 से प्रभावी सीआरआर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

3 में मुद्रा आपूर्ति की गतिविधियों की इसके घटकों और स्रोतों के मद्देनज़र जांच की गई है, जो बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं के उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालती है। वर्ष के दौरान बैंक ऋणों की मजबूती को उप-खंड 4 में दर्शाया गया है। इसके बाद समापक निष्कर्ष है।

2. आरक्षित मुद्रा[19]

II.3.3 आरक्षित मुद्रा, जो अनिवार्य रूप से रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का एक विश्लेषणात्मक और शोधपरक उद्धरण है, और इसकी मौद्रिक देयताओं पर ध्यान क्रेंद्रित करती है, में संचलनगत मुद्रा, बैंकरों की जमाराशियों एवं रिज़र्व बैंक में धारित अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। आरक्षित मुद्रा में 2021-22 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 14.2 प्रतिशत से कम के साथ ही 10.6 प्रतिशत (2012-21) की दशकीय औसत से अधिक रही [चार्ट II.3.1;परिशिष्ट सारणी 4]। 27 मार्च 2021 से प्रभावी सीआरआर में 100 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी को समायोजित करने के पश्चात - आरक्षित मुद्रा में 2021-22 में पिछले वर्ष के 18.0 प्रतिशत की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

II.3.4 इसके घटकों में से, वर्ष 2021-22 में आरक्षित मुद्रा का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चलनगत मुद्रा (सीआईसी) का था। हालांकि आरएम में समग्र विस्तार के निर्धारण में मुद्रा का योगदान जून 2021[20] में चरम पर रहा, फिर भी वर्ष के दौरान समग्र आरएम विस्तार में चलनगत मुद्रा का हिस्सा 88 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 89 प्रतिशत) रहा जो 108 प्रतिशत के दशकीय औसत (2012-21) से थोड़ा कम था।

II.3.5 सामान्यत: चलनगत मुद्रा की मांग में एक पूर्वानुमेय अंतर्मासिक ढंग देखा जाता है – परिवारों द्वारा किए गए लेनदेनों के कारण पहले पखवाड़े में मांग का विस्तार, उसके बाद परिवारों से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के विपरीत प्रवाह के कारण दूसरे पखवाड़े में कम मांग (चार्ट II.3.2)।

चार्ट II.3.1: आरक्षित मुद्रा वृद्धि

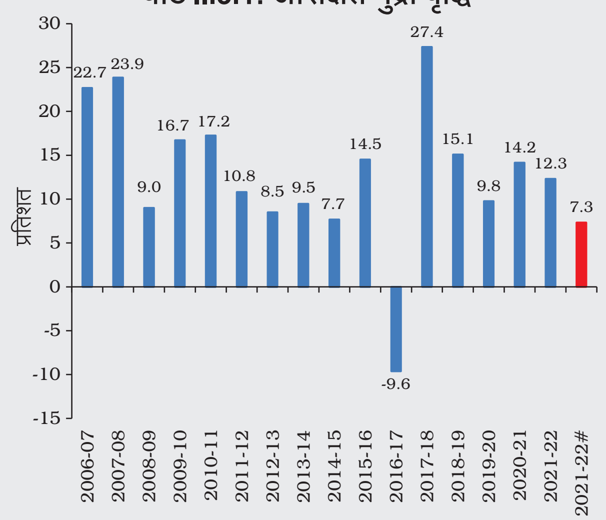

* सीआरआर में परिवर्तन के लिए आरक्षित मुद्रा को समायोजित किया गया

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.2: चलनगत मुद्रा में साप्ताहिक घट-बढ़

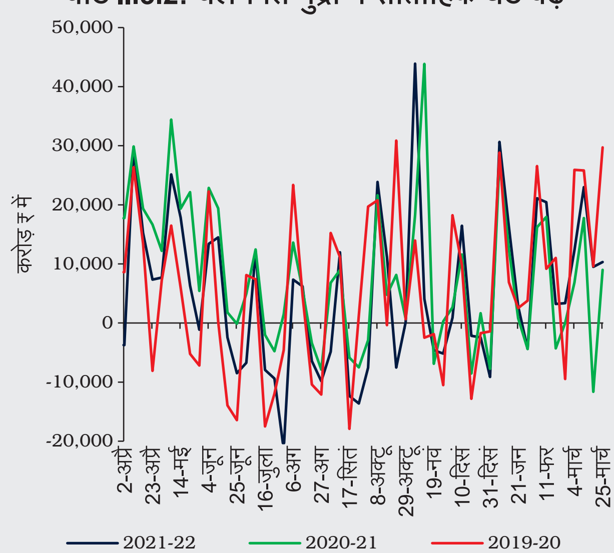

स्रोत: आरबीआई

19 उप खंड 2 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमश: संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम शुक्रवार पर आधारित हैं।

20 उस माह को छोड़कर जिसमें आरएम में संकुचन हुआ।

चार्ट II.3.3: सीआईसी पर कोविड-19 का प्रभाव

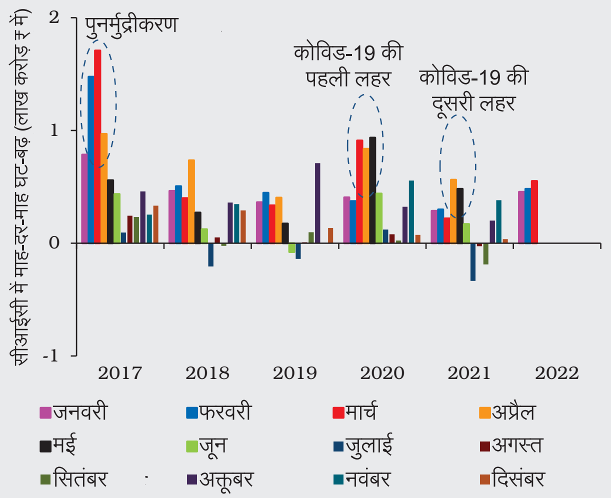

टिप्पणी: जनवरी-जून 2017 में चलनगत मुद्रा में असमान्य वृद्धि विमुद्रीकरण के बाद पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण हुई।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.4: भारत में कोविड-19 के मामले और टीकाकरण

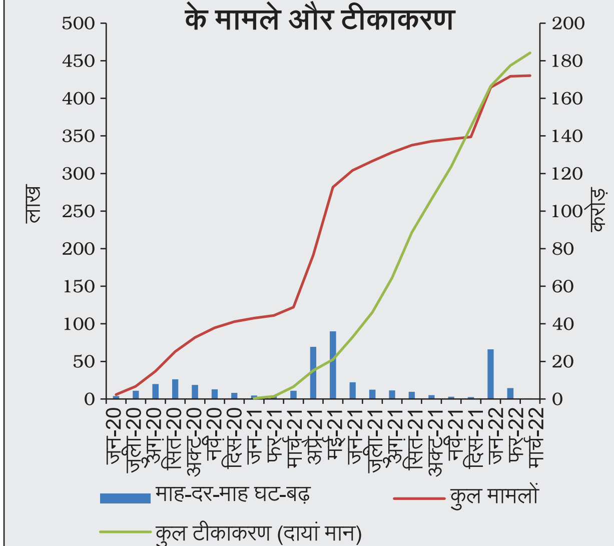

स्रोत: www.ourworldindata.org.

II.3.6 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण नकदी की अप्रत्याशित मांग से माह-दर-माह (एमओएम) सीआईसी विचरण में अप्रैल- मई 2021 में बढ़त हुई तथापि यह अप्रैल-जून 2020 की पहली लहर की तुलना में कुछ हद तक कम हुई जबकि इसमें महामारी पूर्व वर्षों की इसी अवधि की तुलना में बढ़त हुई (चार्ट II.3.3)। तत्पश्चात जून 2021 से महामारी विज्ञान का वक्र (एपिडीमीअलाजिकल कर्व) अधोमुख होने से सीआईसी विचरण का निर्धारण अधिकतर मौसमी कारकों से किया गया (चार्ट II.3.4)।

II.3.7 अप्रैल-मई 2021 के दौरान महामारी की दूसरी लहर में मुद्रा की मांग में आई तेजी के बावजूद 2021- 22 में यह अपनी पूर्व मौसमी पैटर्न में आ गई। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जो *रबी* खरीद और *खरीफ* की बुआई से सम्बद्ध 2020-21 की पहली तिमाही और महामारी पूर्व वर्षों की तुलना से अपेक्षाकृत कम रही। इसके बाद वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधि नकदी की प्रधानता वाले क्षेत्रों जैसे विनिर्माण एवं कृषि में मौसमी मंदी से सीआईसी में संकुचन हुआ। वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में सीआईसी का विस्तार हुआ जो कि त्योहारों और *खरीफ* की कटाई से मुद्रा की मांग को दर्शाता है। उसके बाद वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान *रबी* फसल की कटाई, विभिन्न त्योहारों और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से सीआईसी का विस्तार सुस्पष्ट देखा गया (चार्ट II.3.5)। महामारी की तीव्रता में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में नकद-गहनता में सामान्यता वृद्धि होने पर वर्ष 2021- 22 में सीआईसी की कम वृद्धि 9.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 17.2 प्रतिशत) रही जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-जीडीपी अनुपात गिरकर 13.7 प्रतिशत (2020-21 में 14.4 प्रतिशत) हो गया (चार्ट II.3.6)।

चार्ट II.3.5: चलनगत मुद्रा में तिमाही घट-बढ़

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.6: भारत की मुद्रा- जीडीपी अनुपात

स्रोत: आरबीआई और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.3.7: रिज़र्व बैंक के बैंकरों की जमाराशियाँ

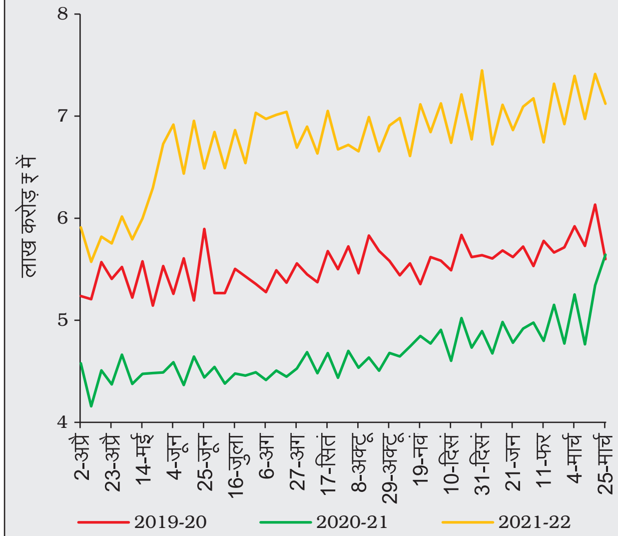

स्रोत: आरबीआई

II.3.8 वर्ष 2021-22 में रिज़र्व बैंक में धारित बैंकरों की जमाराशियों में 25.3 प्रतिशत की बढ़त आई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 0.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त हुई थी। यह मुख्यत: सीआरआर में चरणबद्ध 100 आधार अंक बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत किए जाने से है (चार्ट II.3.7)।

II.3.9 वर्ष 2021-22 के दौरान आरएम स्रोतों के अंतर्गत, आरएम वृद्धि की प्रमुख संचालक निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) थी, यद्यपि प्राधिकृत व्यापारियों से पिछले वर्ष ₹ 5.16 लाख करोड़ की तुलना में ₹2.07 लाख करोड़ कम की निवल खरीद की गई थी (चार्ट II.3.8ए और चार्ट II.3.8बी)। मौद्रिक नीति के उदार रुख के अनुरूप, चलनिधि प्रबंधन परिचालन ने रिज़र्व बैंक के निवल देशी आस्तियों (एनडीए) में वृद्धि की।

II.3.10 विशेष रूप से, हालांकि 2021-22 के दौरान निवल खुले बाजार से खरीद (जिसमें राज्य विकास ऋण में ओएमओ सहित विशेष ओएमओ की नीलामी जिसमें प्रतिफल वक्र में चलनिधि वितरण हेतु प्रतिभूति की एक साथ खरीद बिक्री की जाती है

चार्ट II.3.8 ए: एनएफ़ए आरएम के प्रतिशत में

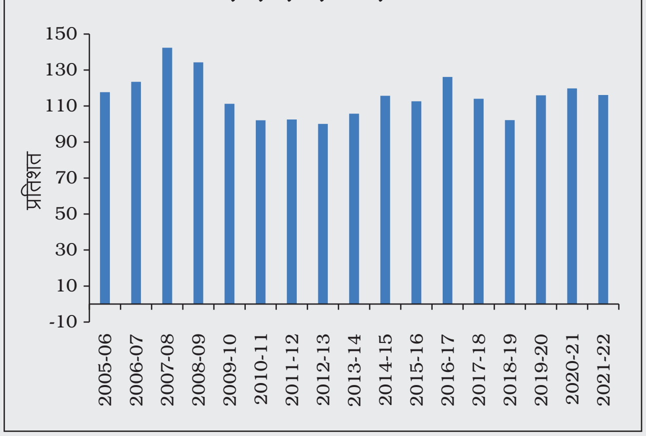

चार्ट II.3.8 बी: रिज़र्व बैंक की घरेलू और विदेशी आस्तियों में घट-बढ़

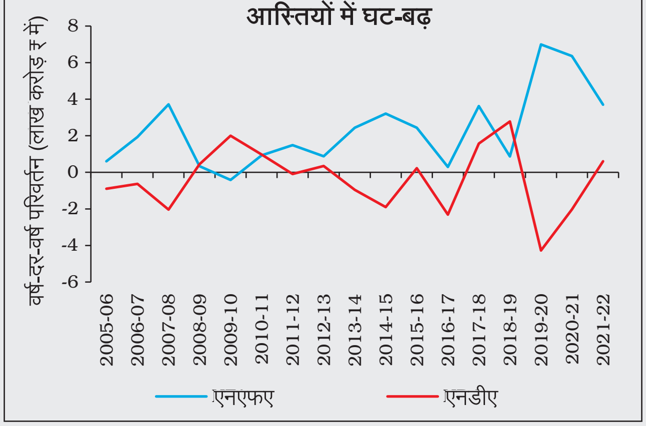

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.9: निवल देशी आस्तियां (व-द-व घट-बढ़)

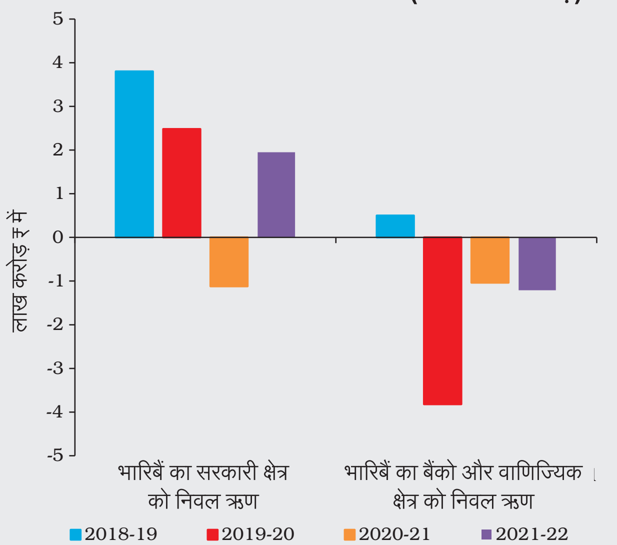

स्रोत: आरबीआई

शामिल है) कुल ₹2.14 लाख करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 में सरकार को रिज़र्व बैंक के निवल ऋण में ₹1.95 लाख करोड़ की बढ़त आई। दूसरी ओर रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्यत: पीडी) को निवल ऋण में कमी ने प्राथमिक तौर पर निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अवशोषण को परिलक्षित किया (चार्ट II.3.9)।

II.3.11 वर्ष 2021-22 के दौरान निवल एलएएफ की स्थिति रिवर्स रेपो अवस्था में थी, जो औसतन ₹6.7 लाख करोड़ थी और प्रणाली स्तर पर पर्याप्त चलनिधि को दर्शाता है (चार्ट II .3.10)।

3. मुद्रा आपूर्ति[21]

II.3.12 वर्ष 2016-17 तक लंबी गिरावट के उपरांत स्थिर, एम$_3$ जिसमें जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्ल्यूपी), समग्र जमाराशियां (एडी) और रिज़र्व बैंक में धारित अन्य जमाराशियां शामिल है- वर्ष 2021-22 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पूर्व 12.3 प्रतिशत) दर्ज की गई जो मीयादी जमाओं से संचालित थी (चार्ट II.3.11)।

II.3.13 घटकों की दृष्टि से, एम$_3$ का विस्तार समग्र जमाराशियों (एडी) से संचालित रहा, जो इसका सबसे बड़ा घटक (85 प्रतिशत भाग) था। वस्तुत: वर्ष के दौरान एम$_3$ में हुई वृद्धि में समग्र जमाराशियों (एडी) का 82 प्रतिशत योगदान रहा। इसके साथ ही ब्याज दरों में विचारणीय गिरावट के बावजूद मीयादी

चार्ट II.3.10: चलनिधि का अंतर्वेशन/अवशोषण

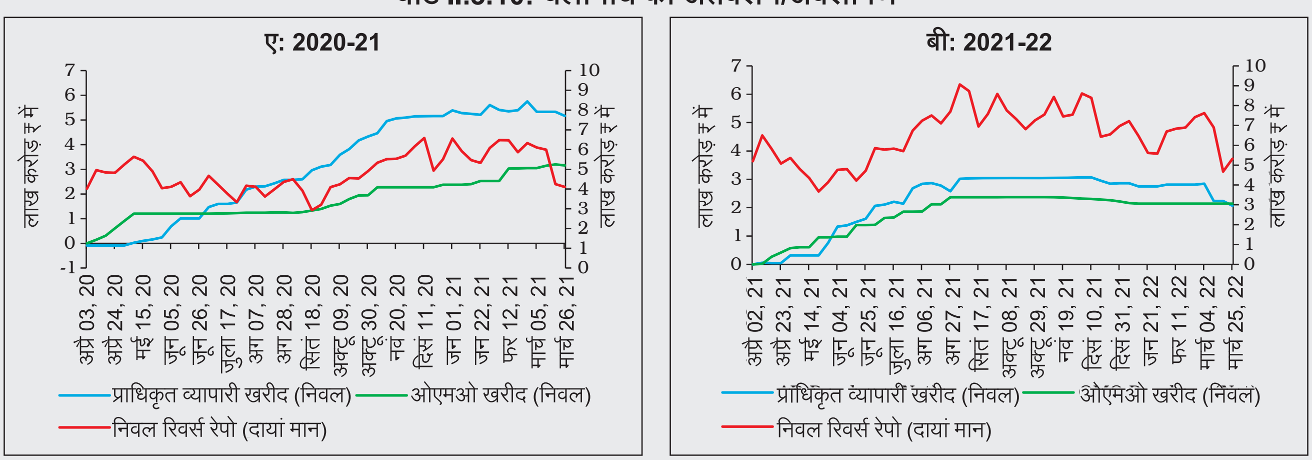

स्रोत: आरबीआई

[21] उप खंड 3 और 4 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमश: संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।

चार्ट II.3.11: समग्र जमाराशियां और एम$_3$

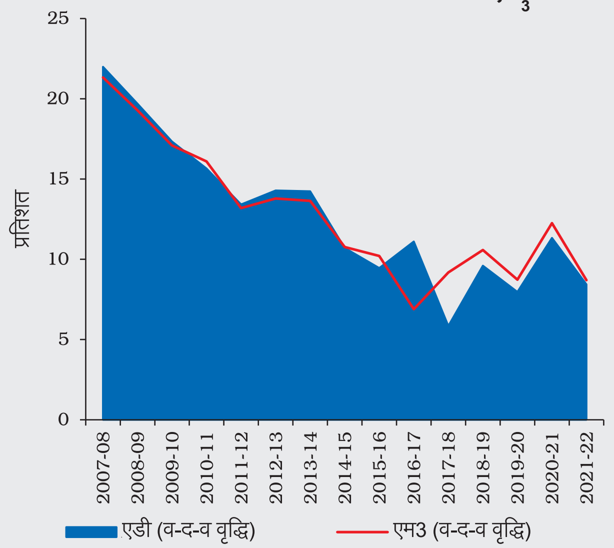

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.12: एससीबी की सावधि जमाराशियां: वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और ब्याज दर

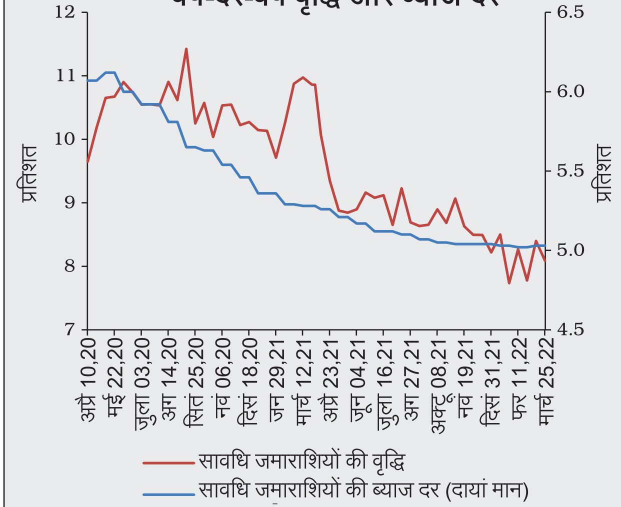

स्रोत: आरबीआई

जमाराशियों में 8.1 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 10.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (चार्ट II.3.12)। हमेशा की तरह मांग जमाराशियों में अस्थिरता बनी रही जो कि पिछले वर्ष के 17.7 प्रतिशत *की तुलना में* वर्ष 2021-22 में 10.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह व्यापक रूप से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में परिवर्तनों को परिलक्षित करती है (चार्ट II.3.13)।

II.3.14 वर्ष 2021-22 में स्रोत पक्ष से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण के साथ सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण और बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों ने एम$_3$ के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई (चार्ट II.3.14)। इन स्रोतों में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण- स्रोत पक्ष से एम$_3$ के सबसे बड़े घटक में एक वर्ष पूर्व की तुलना में अधिक वृद्धि हुई।

चार्ट II.3.13: जनता के पास उपलब्ध मुद्रा और मांग जमाराशियां: पाक्षिक घट-बढ़

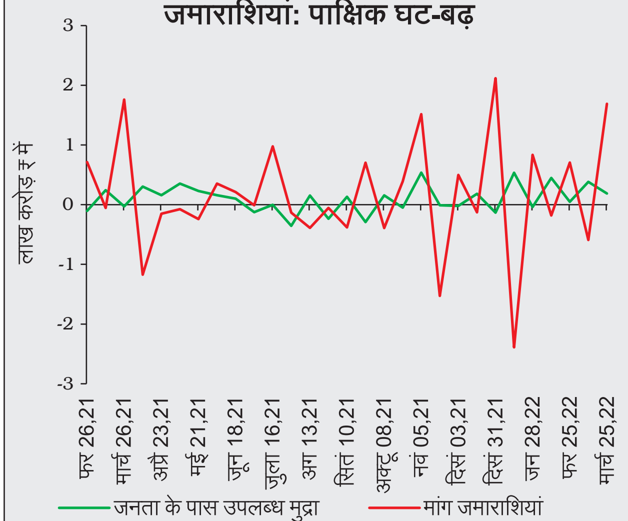

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.14: एम$_3$ में विस्तार: घटक और स्रोत

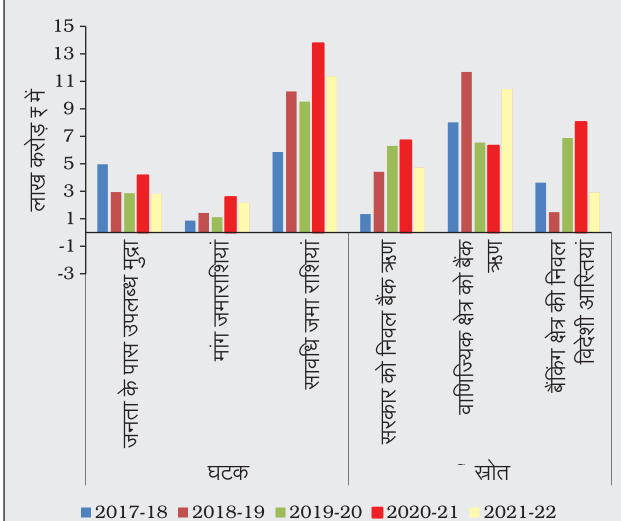

स्रोत: आरबीआई

सारणी II.3.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	25 मार्च 2022 के अनुसार बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर(प्रतिशत में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	39,20,298	9.8	14.2	12.3
II. मुद्रा आपूर्ति (एम3)	2,04,89,597	8.7	12.3	8.7
III. एम3 के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	30,37,622	14.0	17.7	10.2
III.2. समग्र जमाराशियां	1,73,99,596	8.0	11.3	8.4
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	62,04,211	14.2	13.2	8.2
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	1,26,10,042	6.3	5.7	9.0
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	48,50,355	22.4	21.4	6.3
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम$_3$	2,03,60,720	8.7	12.6	8.9
VI. मुद्रा गुणक*	5.2	5.0	4.8	3.8

* कॉलम 3,4 और 5 का डेटा वृद्धिशील मुद्रा गुणक को दर्शाता है।
टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: आरबीआई

II.3.15 दूसरी ओर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के मध्य सुरक्षित आश्रय की तलाश में एक वर्ष पूर्व बैंकों ने एसएलआर पोर्टफोलियो के संवर्धन से अलग सरकार को दिया गया निवल बैंक ऋण एक वर्ष पूर्व के 13.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 में 8.2 प्रतिशत कम हो गया (सारणी II.3.1) ।

मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.3.16 वर्ष 2021-22 में मुद्रा गुणक 5.2 रहा जो उसके 5.7 के दशकीय औसत(2012-21) से कम है। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित किए जाने पर - जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से अधिक सार्थक और केंद्रीय बैंक में धारित बैंकों की जमाओं के समान है- मुद्रा गुणक और घटकर 4.5 रह गया। वर्ष 2021-22 में कमजोर मुद्रा गुणक के साथ आरएम वृद्धि में मंदी (सीआरआर बढ़ोत्तरी के प्रथम दौर के प्रभाव हेतु समायोजित) पिछले वर्ष *की तुलना में* एम$_3$ की धीमी वृद्धि दिखाता है (चार्ट II.3.15 और II.3.16)।

II.3.17 वर्ष 2021-22 में मुद्रा-जमा अनुपात 17.5 प्रतिशत रहा जो 15.3 प्रतिशत के अपने दशकीय औसत (2012-21) से अधिक था। इसका स्तर मार्च 2021 की समाप्ति *की तुलना में* समान रहा जो महामारी से संबंधित अनिश्चितता के कारण जनता की अधिमानता में परिवर्तन होते हुए उन्हें नकदी जो कि अत्यधिक तरल आस्ति है, को प्राथमिकता देता है उसमें वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नही हुई। आरक्षित निधि- जमा अनुपात 4.2 प्रतिशत था (एक वर्ष पूर्व 3.6 प्रतिशत) जो वर्ष 2021-22 के दौरान सीआरआर में बढ़त के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट II.3.17)।

चार्ट II.3.15 : एम$_3$ वृद्धि

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.16: मुद्रा गुणक और गति*

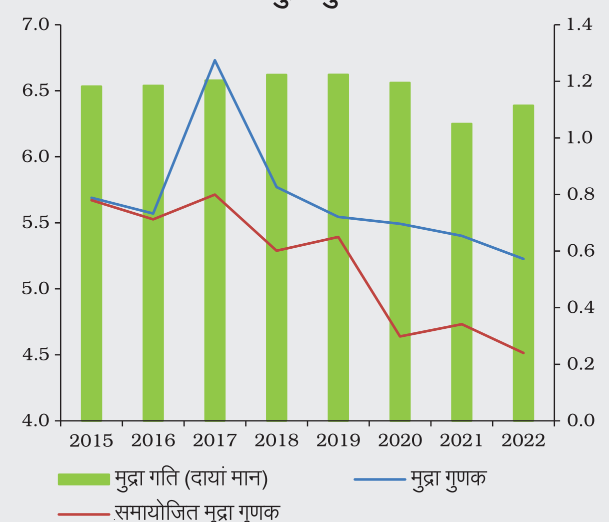

*: मार्च के अंत तक

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.18 : एससीबी का ऋण-जमा अनुपात

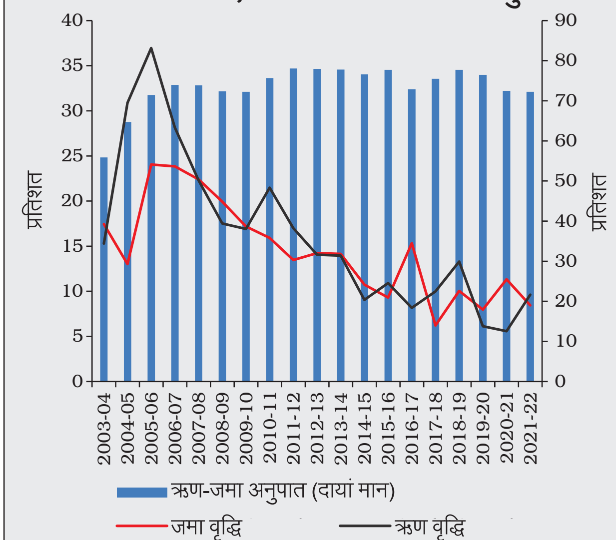

स्रोत: आरबीआई

4. क्रेडिट

II.3.18 वर्तमान नीति निर्धारण के अनुसार सीआरआर और एसएलआर क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में लगभग 78 प्रतिशत जमाराशियां ऋण देने के लिए उपलब्ध थीं। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का ऋण- जमा अनुपात मार्च 2021 (72.4 प्रतिशत) की समाप्ति के स्तर पर 72.2 प्रतिशत से संयमित रहा, जिससे व्यापक रूप से क्रेडिट विस्तार ने जमा संग्रहण के साथ 2019-20 और 2020-21 की अवधि को पीछे छोड़ते हुए अपनी गति जारी रखी (चार्ट II.3.18 और चार्ट II.3.19)।

चार्ट II.3.17: मुद्रा अनुपात*

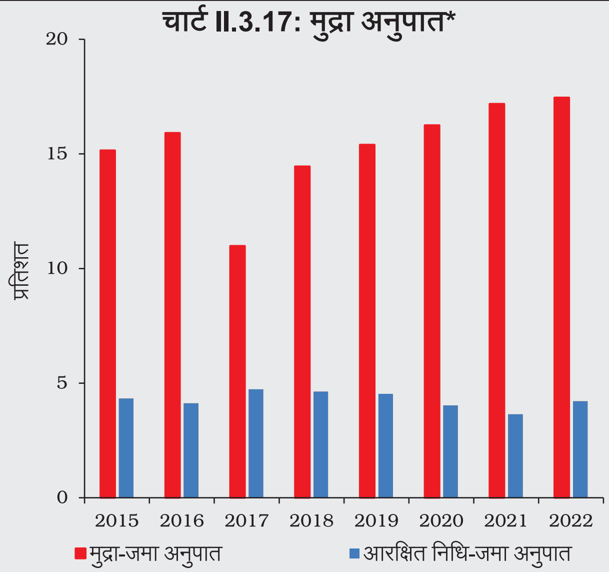

*: मार्च के अंत तक।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.19 : वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात

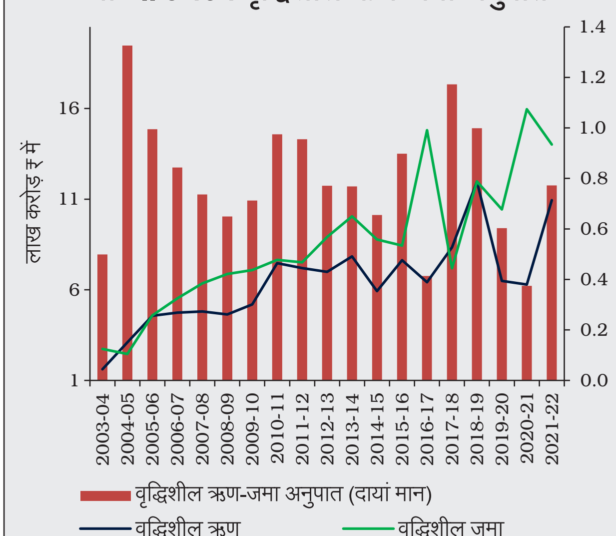

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.20: एससीबी का ऋण वृद्धि: संवेग और आधार प्रभाव

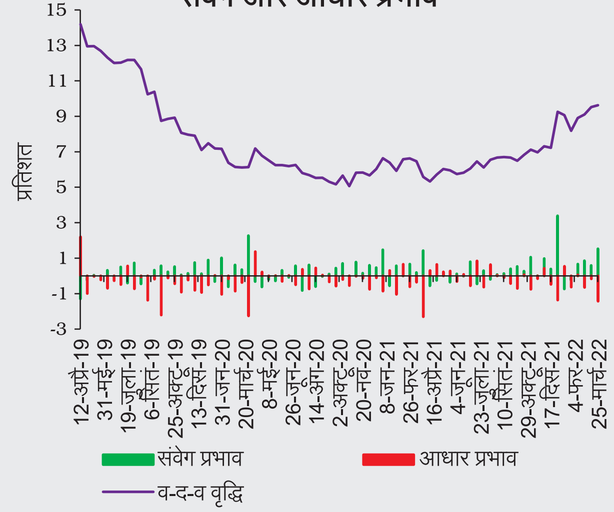

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.3.21: ऋण -जीडीपी अंतराल

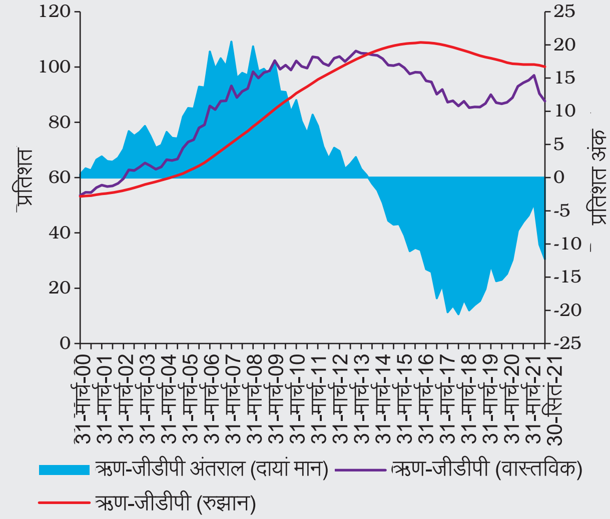

स्रोत: आरबीआई और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक(बीआईएस)ऋण-जीडीपी अंतराल सांख्यिकी

II.3.19 वर्ष 2021-22 में एससीबी ऋण में वर्ष-दर-वर्ष की मंद पड़ी गति बहाल हुई। बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 विवरणी में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार एससीबी में ऋण उठाव(ऑफटेक) की गति अगस्त 2021 के अंत से सकारात्मक बनी रही और वर्ष 2021-22 के लिए एक वर्ष पूर्व के 5.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.6 प्रतिशत बनी रही (चार्ट II.3.20)। तथापि ऋण - जीडीपी अंतराल अधिक बना रहा जो अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में सतत मंदी को दर्शाता है(चार्ट II.3.21)।

II.3.20 वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में गिरावट रहने के उपरांत वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि कायम रखने हेतु किए गए सतत प्रयास के साथ ही अर्थव्यवस्था में ऋण मांग की स्थिति सुधार के लिए सरकार के उठाए कदम विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उठाव(ऑफटेक)को मिली गति को प्रतिबिंबित करता है। बैंक ऋण[22] क्षेत्रवार अभिनियोजन के आंकड़ों के अनुसार कृषि और अनुषंगी गतिविधियां मार्च 2021 के 10.5 प्रतिशत *की तुलना में* मार्च 2022 में 9.9 प्रतिशत से बढ़ीं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकारी ब्याज सहायता योजना के लगातार समर्थन से आघात सह कृषि क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के उपरांत उद्योगों की ऋण वृद्धि में लगातार सुधार हुआ और मार्च 2022 में इसकी गति 7.1 प्रतिशत तक हो गई। विशेष रूप से मध्यम उद्योगों में एक वर्ष पूर्व के 34.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 में 71.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के ऋण में एक वर्ष पूर्व के 3.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में दर्ज की गई ऋण मांग मुख्यत: भारत सरकार और रिज़र्व बैंक की नीतियों से इस क्षेत्र को संभालने हेतु किए गए उपायों के कारण है। बड़े उद्योग में ऋण

[22] बैंक ऋण आंकडों के क्षेत्रगत विनियोजन में, सकल बैंक ऋण और खाद्येतर ऋण पाक्षिक आधार पर खंड 42 विवरणी पर आधारित हैं जिसमें सभी एससीबी शामिल हैं, जबकि क्षेत्रगत खाद्येतर ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी)विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी एससीबी द्वारा कुल खाद्येतर ऋण विस्तार में से 94 प्रतिशत चुनिंदा बैंकों का है और माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

चार्ट II.3.22: खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि का क्षेत्रवार अभिनियोजन

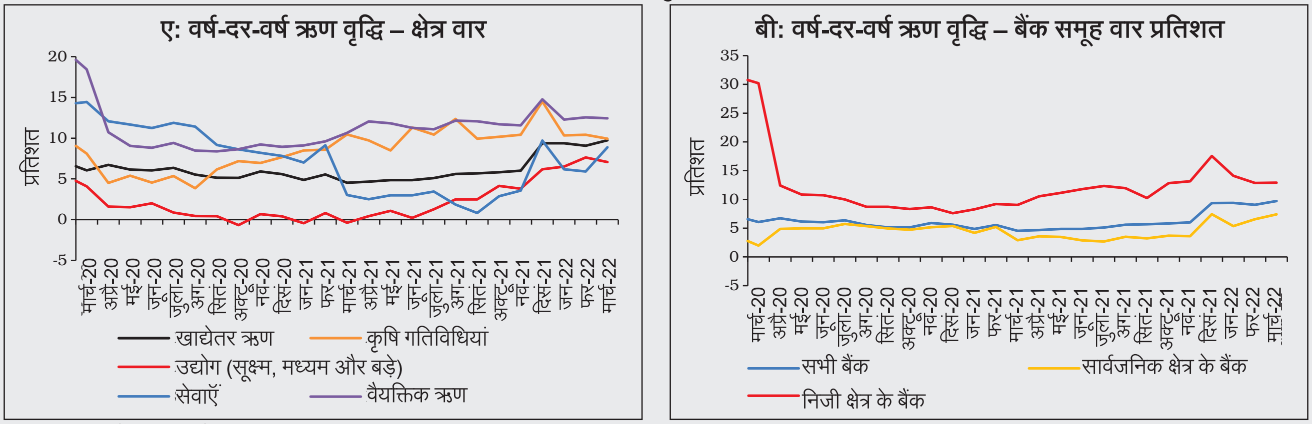

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: आरबीआई

वृद्धि दिसंबर 2021 तक संकुचन की स्थिति में रहने के उपरांत जनवरी 2022 से सकारात्मक होकर मार्च 2022 में 0.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.3.22 ए और सारणी II.3.2)।

II.3.21 जहां तक उद्योगों के उप- क्षेत्रों में ऋण का सरोकार है, इंजीनियरी पेय पदार्थ और तंबाकू, रसायन और रसायन उत्पादों, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इंफ्रास्ट्रक्चर, चमड़े और चमड़े के उत्पादों, खनन और उत्खनन, पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु ईंधन, वस्त्र, रबर, प्लास्टिक और इनके उत्पादों, वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरणों के ऋणों में मार्च 2022 में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर तीव्र वृद्धि दर्ज की

सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को ऋण अभिनियोजन

क्षेत्र	25 मार्च 2022 के अनुसार बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष –दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2019-20*	2020-21#	2021-22##
1	2	3	4	5
खाद्येतर ऋण	**1,18,35,628**	**6.1**	**4.5**	**9.7**
1. कृषि और अनुषंगी गतिविधियॉं	**14,66,514**	**8.1**	**10.5**	**9.9**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु , मध्यम और बड़े)	**31,71,909**	**4.1**	**-0.4**	**7.1**
2.1. सूक्ष्म और लघु	4,95,281	4.5	3.9	21.5
2.2. मध्यम	2,42,269	3.4	34.5	71.4
2.3. बड़े	24,34,359	4.1	-2.5	0.9
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर	12,02,694	2.7	1.6	9.3
(ए) ऊर्जा	6,09,773	0.3	-0.3	7.2
(बी) दूरसंचार	1,37,381	29.4	-21.3	18.6
(सी) सड़क	2,70,806	3.6	27.6	17.0
(ii) रसायन और रासायनिक उत्पाद	2,14,141	10.2	-6.8	8.7
(iii) मूल धातु और धातु उत्पाद	2,96,427	-6.3	-6.4	-9.2
(iv) खाद्य प्रसंस्करण	1,73,530	-1.3	8.2	10.9
(v) वस्त्र	2,25,096	-3.6	5.0	10.1
3. सेवाएँ	**30,36,122**	**14.4**	**3.0**	**8.9**
4. वैयक्तिक ऋण	**33,74,876**	**18.4**	**10.7**	**12.4**

* मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 # मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 # # मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022
टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम है।
स्रोत: आरबीआई

गई। हालांकि रत्न और आभूषण, कागज और कागज के उत्पादों तथा लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों की ऋण वृद्धि कम हो गई। इसी अवधि के दौरान मूल धातु और धात्विक उत्पादों, सीमेंट और सीमेंट उत्पादों, कांच और कांच के सामान के बैंक ऋण में संकुचन दर्ज किया गया।

II.3.22 वर्ष 2021-22 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उद्योग क्षेत्र का प्रमुख घटक है, के ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। मार्च-2022 में इस क्षेत्र ने ऋण वृद्धि में पिछले वर्ष के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि मुख्यत: सड़क निर्माण, पावर और दूरसंचार क्षेत्र से संचालित है।

II.3.23 वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सेवा क्षेत्र के ऋण वृद्धि में बढ़त आई और मार्च 2022 में एक वर्ष पूर्व के 3 प्रतिशत की वृद्धि *की तुलना में* 8.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। ऋण वृद्धि में यह तेजी मुख्यत: उप-क्षेत्रों जैसे एनबीएफसी और व्यापार के कारण है, जो कुल सेवा क्षेत्र ऋण का लगभग 58 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 के दौरान वैयक्तिक ऋण खंडों में बैंक ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही यह प्राथमिक रूप से इस क्षेत्र के बड़े घटक आवास तदोपरांत वाहन ऋण से संचालित हुई।

II.3.24 बैंक समूहों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि मार्च 2022 में 7.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 2.9 प्रतिशत) तक सुधरने से पूर्व यह नवंबर 2021 तक 4 प्रतिशत थी जो वैयक्तिक ऋण से संचालित थी। निजी क्षेत्र के बैंकों में ऋण विस्तार एक वर्ष पूर्व 9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 तक सुधरकर 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.3.22बी)।

5. निष्कर्ष

II.3.25 सारांश के रूप में कहें तो, वर्ष के दौरान कुल प्रमुख मौद्रिक और ऋण राशियां रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई समायोजनकारी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप रहीं। समग्र रूप से वित्तीय स्थिति, अस्थिर वैश्विक परिवेश और विचलन मौद्रिक नीति रुख, भू-राजनीतिक तनाव और लगातार आपूर्ति बाधाओं के उपरांत भी रिकवरी के लिए सहायक रहीं। महामारी पूर्व के वर्षों की तुलना में सीआईसी में एहतियाती मुद्रा मांग में कमी और सामान्य मौसमी पैटर्न पुन: देखा गया। आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ ऋण वृद्धि की गति भी तेज हुई। इसके अतिरिक्त घरेलू आर्थिक गतिविधि में व्यापक आधार पर वापसी से ऋण मांग को स्थिरता मिलेगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे पीएलआई योजना और ईसीएलजीएस सहायता का बढ़ाया जाना ऋण वृद्धि के लाभकारी प्रभाव हैं। इससे उधारकर्ताओं द्वारा वैश्विक स्पिलओवर से सामना कर रहे जोखिम प्रभाव और कोविड-19 लहर की पुनरावृत्ति की अनिश्चितता की स्थिति को सीमित करने में सहायक होगा।

II.4 वित्तीय बाजार

II.4.1 वैश्विक वित्तीय बाजार, जो आमतौर पर वर्ष 2021 के अधिकांश भाग के दौरान उत्साहवर्धक बने रहे, कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति समायोजन की वापसी की शुरुआत की प्रत्याशा में वर्ष 2022 की पहली तिमाही में अस्थिर हो गए। जोखिम के रुख में अचानक और बड़े बदलाव के कारण अस्थिरता बढ़ी और यूक्रेन-रूस संघर्ष के बढ़ने के साथ-साथ आस्तियों की कीमतों में उछाल और पुनर्मूल्यांकन के कारण वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव आया।

II.4.2 वर्ष के शुरुआती दौर में, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चलनिधि की प्रचुरता और समायोजनकारी मौद्रिक नीतियों के कारण वित्तीय आस्ति की कीमतें अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गयी थीं और इसे प्रोत्साहन पैकेजों तथा कभी-कभार शांति को भंग करने वाले उथल-पुथल के दौर सहित कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील ने भी बल दिया क्योंकि मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव हुए और इनका उद्देश्य ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण उत्पन्न चलनिधि संबंधी आशंकाओं को दूर करना था। ऊर्जा-कीमतों में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में लगातार व्यवधानों ने बाजार के रुख को अस्थिर कर दिया। उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इक्विटी

बाजारों ने हालत में सुधार होने पर स्पिलओवर और सुरक्षा तथा जोखिम दोनों की ही ओर सामयिक पलायन का अनुभव किया। सुरक्षित निवेश स्थल की मांग से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। इन घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल भी बढ़ गए। मार्च 2022 में तेल समेत पण्य कीमतें पिछले चौदह वर्षों के अपने उच्चतम स्तर को छूने के साथ कच्चे तेल की कीमतों के साथ तेजी से बढ़ीं, क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव, उथल-पुथल के ये दौर तथा बाजार के विचलित रुख एक साथ आ गए।

II.4.3 भारत में, सुलभ चलनिधि की स्थितियों के बीच वित्तीय बाजार जीवंत बने रहे, हालांकि अप्रैल-मई 2021 के दौरान महामारी की दूसरी लहर ने रुख को प्रभावित किया। बड़े पैमाने पर वैक्सीन रोलआउट और आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान के विश्वास से वैश्विक समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इक्विटी बाजार ने वर्ष 2021-22 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों से प्राप्त निरंतर समर्थन से घरेलू इक्विटी एवं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) को बल मिला और इसने बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए निवेशक-उत्साह को पुनः जीवित किया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन की सहायता से गैर-विघटनकारी तरीके से बाजार से पर्याप्त संसाधन जुटाए गए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में नीतिगत रुख को सामान्य बनाए जाने की घोषणाओं और ओमिक्रॉन के तेजी से प्रसार के बाद वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में निवेशक सतर्क हो गए। वर्ष 2021-22 में सेंसेक्स ने वैश्विक समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न चलनिधि उपायों के साथ चलनिधि स्थितियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया। मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बीच दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्य होने की प्रत्याशा के साथ-साथ अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल पर दबाव बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह ने वर्ष के दौरान भारतीय रुपये के कमजोर होने में योगदान दिया।

II.4.4 मुद्रा बाजार के विकास का विवरण उप-खंड 2 में दिया गया है। सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। उप-खंड 4 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में विकास को प्रस्तुत करता है। उप-खंड 5 घरेलू इक्विटी बाजार में विकास की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके बाद उप-खंड 6 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। अंतिम उप-खंड कुछ दूरंदेशी परिप्रेक्ष्य के साथ निष्कर्ष स्वरूप टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

2. मुद्रा बाजार

II.4.5 अप्रैल-मई 2021 में महामारी की दूसरी भयानक लहर से उत्पन्न तबाही के बावजूद, वर्ष 2021-22 के दौरान मुद्रा बाजार स्थिर रहा, क्योंकि रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि[23] बनाए रखी है।

II.4.6 असुरक्षित मांग मुद्रा बाजार में भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - आमतौर पर पॉलिसी कॉरिडोर के मानक के नीचे कारोबार किया जाता है, यानी स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो, वर्ष के दौरान सिस्टम में पर्याप्त तरलता को दर्शाता है (चार्ट II.4.1)। नीति दर पर डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2021-22 में (-) 75 आधार अंक (बीपीएस) तक बढ़ गया, जो वर्ष 2020-21 में (-) 63 बीपीएस था।

II.4.7 वर्ष 2020-21 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अग्रसक्रिय चलनिधि उपायों के कारण, डब्ल्यूएसीआर की भिन्नता के गुणांक[24] द्वारा मापी गई मांग मुद्रा खंड में अस्थिरता 8.34 से काफी कम होकर 4.05 तक आ गई।

23 चलनिधि प्रबंधन परिचालन से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय III में शामिल है।

24 भिन्नता के गुणांक को मानक विचलन और माध्य के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

चार्ट II.4.1: मुद्रा बाजार दरें और पॉलिसी कॉरीडोर

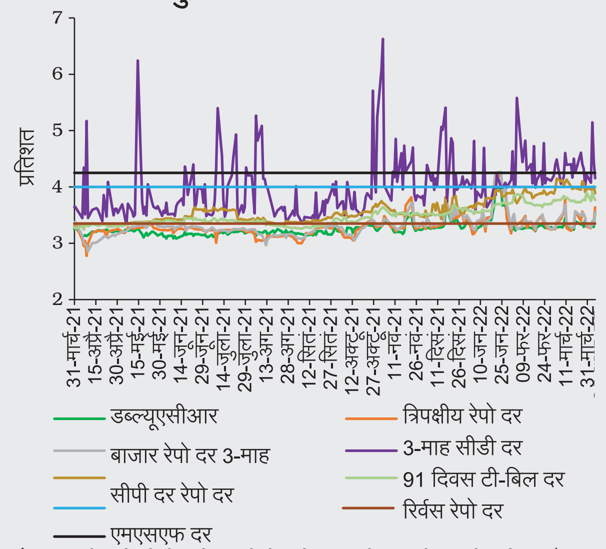

स्रोत: आरबीआई, सीसीआईएल, सीसीआईएल-एफ़टीआरएसी, एफ़बीआईएल और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

चार्ट II.4.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा

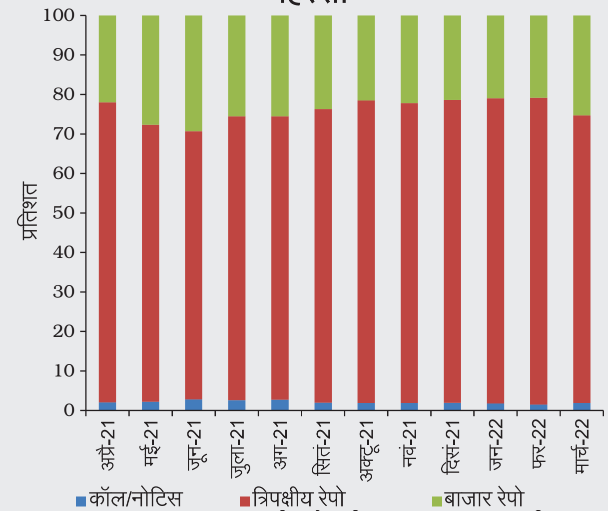

स्रोत: सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

II.4.8 मुद्रा बाजार में औसत दैनिक वॉल्यूम (मांग मुद्रा, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो को एक साथ लेकर, शनिवार को छोड़कर) वर्ष 2021-22 के दौरान 35 प्रतिशत बढ़कर ₹4,55,224 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2020-21 में ₹3,36,371 करोड़ थी। त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो खंड में भी वॉल्यूम बढ़े और कुल मुद्रा बाजार के वॉल्यूम (कॉल/ त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो) का क्रमशः 74 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हो गए जो कि वर्ष 2020-21 में क्रमशः 69 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। मांग मुद्रा खंड में, वर्ष के दौरान औसत दैनिक वॉल्यूम 18 प्रतिशत घटकर ₹9,060 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹10,993 करोड़ था, यह पिछले वर्ष के 3 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी से घटकर 2 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.4.2)।

II.4.9 दीर्घकालिक मुद्रा बाजार लिखतों पर ब्याज दरें, अर्थात 91-दिवसीय खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आमतौर पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अल्पकालिक (मांग, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो) दरों के साथ तालमेल में दिखती हैं। वर्ष के दौरान टी-बिल दरों पर सीडी दरों का औसत दैनिक प्रसार वर्ष 2020-21 में 16 बीपीएस से घटकर 9 बीपीएस हो गया (चार्ट II.4.3)। 91-दिवसीय टी-बिल दरों पर 3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) दरों का औसत दैनिक प्रसार वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान 16 बीपीएस से बढ़कर वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 56 बीपीएस हो गया। प्राथमिक सीपी बाजार में भारित औसत छूट दरें, जो सितंबर 2021 के मध्य में कम होकर 3.51 प्रतिशत हो गई थीं, बाद में, मार्च 2022 के अंत में लगभग 96 बीपीएस से

चार्ट II.4.3: 91 दिवसीय टी-बिल की तुलना में 3-महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड

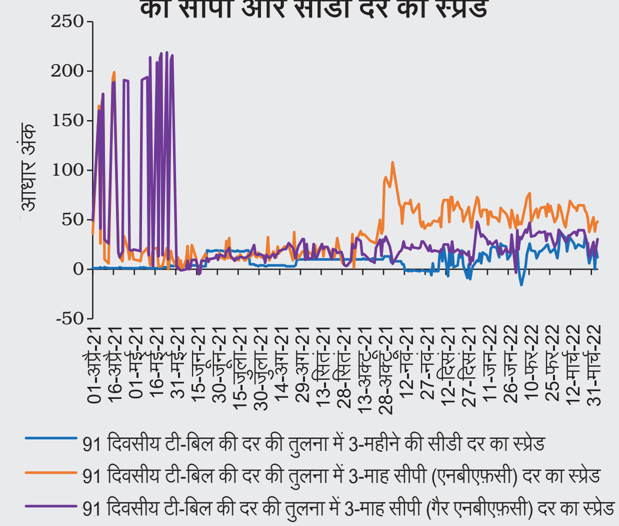

स्रोत: ब्लूमबर्ग, एफ़बीआईएल और और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

बढ़कर 4.47 प्रतिशत तक पहुंच गईं दरों का दृढ़ीकरण, रिज़र्व बैंक द्वारा परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) संचालन और एनबीएफसी कंपनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की सदस्यता लेने के लिए सीपी के माध्यम से लिए गए उधार द्वारा चलनिधि अवशोषण में वृद्धि के कारण हुआ। 3 महीने की सीपी (एनबीएफसी) दर सितंबर 2021 के अंत में 3.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 के अंत में 4.25 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान 3 महीने की सीपी (गैर-एनबीएफसी) दर 3.48 प्रतिशत से बढ़कर 4.08 प्रतिशत हो गई।

II.4.10 प्राथमिक बाजार में, नई सीडी का निर्गमन वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹2.33 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹1.31 लाख करोड़ था। प्राथमिक बाजार में सीपी का नया निर्गमन वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹20.19 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹17.41 लाख करोड़ था।

3. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

II.4.11 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान, मौद्रिक नीति के उदार रुख, जी-एसएपी 1.0 के तहत परिचालन और विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) की प्रतिक्रिया स्वरूप बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में नरमी आई। जीएसटी मुआवजा उपकर की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सरकारी उधारी की आशंका और मई 2021 के लिए उम्मीद से अधिक सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट ने बाजार के रुख को क्षणिक मंदी प्रदान की। समग्र रूप से, तिमाही के दौरान 10 साल की जेनेरिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 12 बीपीएस की गिरावट के साथ 6.05 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो 5.96-6.19 प्रतिशत (इंट्रा-डे आधार पर) के दायरे में था।

II.4.12 वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान, 10 साल का जेनेरिक प्रतिफल 17 बीपीएस बढ़कर 6.22 प्रतिशत पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, 6 अगस्त 2021 को वीआरआरआर परिचालनों की मात्रा में चरणबद्ध वृद्धि की घोषणा और अगस्त 2021 की बैठक में एमपीसी के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के ऊर्ध्वगामी संशोधन ने अगस्त 2021 में प्रतिफल को 6.26 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। सितंबर 2021 की पहली छमाही में, हालांकि, पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह के फिर से शुरू होने, अप्रैल-जुलाई के लिए केंद्र सरकार के अपेक्षित राजकोषीय घाटे से कम और अगस्त 2021 के लिए एक नरम सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट के साथ प्रतिफल में नरमी आई। सितंबर 2021 के अंतिम दिनों में, जी-एसएपी 2.0 के साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियों की ओएमओ बिक्री की घोषणा, वीआरआरआर नीलामियों में उच्च कट-ऑफ, अन्य केंद्रीय बैंकों से तेजी के संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि ने प्रतिफल पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया।

II.4.13 अक्तूबर 2021 के दौरान अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जी-एसएपी नीलामी में ठहराव के साथ सहानुभूति में 10 साल का प्रतिफल बढ़ गया। साप्ताहिक प्राथमिक नीलामी और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच, दिसंबर 2021 में 10 साल का प्रतिफल और बढ़ गया तथा 31 दिसंबर 2021 को 6.45 प्रतिशत पर बंद हुआ। कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जेनेरिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में 23 बीपीएस तक बढ़ गया।

II.4.14 अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याशित समग्र उधारी से अधिक उधारी के मद्देनज़र, वर्ष 2021-22 चौथी तिमाही में 10-वर्षीय सामान्य सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में वृद्धि हो गई। भू-राजनीतिक संघर्ष के बढ़ने के बाद पण्य कीमतों में तेजी के बीच मार्च में प्रतिफल बढ़ा हुआ रहा। 31 मार्च 2022 को 10 वर्षीय सामान्य सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 6.84 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट II.4.4)। कुल मिलाकर, 10 साल का प्रतिफल 67 बीपीएस से बढ़ गया, जिसमें साल के दौरान सॉवरेन यील्ड कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहा था और सपाट हो गया था।

चार्ट II.4.4: 10 वर्षीय जी-सेक जेनेरिक प्रतिफल

स्रोत: ब्लूमबर्ग

II.4.15 01 अप्रैल 2020 से पूर्णतया सुलभ मार्ग (एफएआर)[25] की शुरुआत के साथ, एफपीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए तीन मार्ग हैं, अर्थात मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत निर्धारित निवेश सीमा के साथ सामान्य मार्ग, स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) और एफएआर। वर्ष 2021-22 के लिए एमटीएफ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमा ₹3,75,596 करोड़ निर्धारित की गई थी। एफएआर योजना के तहत शामिल प्रतिभूतियों की संख्या 12 प्रतिभूतियों (1 अप्रैल 2021 को ₹11,79,423 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) से बढ़कर 17 प्रतिभूतियों (31 मार्च 2022 तक ₹17,58,043 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) तक हो गई। वर्ष 2021-22 के दौरान, एफपीआई ने सामान्य मार्ग के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹15,048 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज की। हालांकि, एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान एफएआर रूट के तहत ₹13,275 करोड़ का निवेश किया। एफपीआई ने वीआरआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹4,370 करोड़ का भी निवेश किया, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ₹1,50,000 करोड़ की संयुक्त निवेश सीमा है (1 अप्रैल 2022 से लागू ₹2,50,000 करोड़ तक की वृद्धि)। एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के ₹30 करोड़ की शुद्ध राशि खरीदी और कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान एमटीएफ, एफएआर और वीआरआर खंडों में सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल में ₹ 2,627 करोड़ का निवेश किया।

4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार

II.4.16 क्रेडिट स्प्रेड में संकुचन साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में वित्तीय स्थिति निभावकारी रही। वर्ष 2021-22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट पेपर के एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल क्रमशः 3 बीपीएस, 29 बीपीएस और 32 बीपीएस तक बढ़ गया। मार्च 2022 में एएए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड पर औसत उपज पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 5.84 प्रतिशत, एनबीएफसी के लिए 5.98 प्रतिशत और कॉर्पोरेट्स के लिए 5.88 प्रतिशत थी।

II.4.17 वर्ष 2021-22 के दौरान, मासिक औसत जोखिम प्रीमियम या एएए-रेटेड 3-वर्षीय बांड (3-वर्ष जी-सेक से अधिक) पर 60 बीपीएस से घटकर पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 23 बीपीएस, एनबीएफसी के लिए 48 बीपीएस से 37 बीपीएस और कॉर्पोरेट्स के लिए 35 बीपीएस से 26 बीपीएस हो गया। स्प्रेड का संकुचन सभी रेटिंग सेगमेंट में दिखाई दिया । वर्ष 2021-22 के दौरान औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष के ₹7,675 करोड़ से घटकर ₹7,358 करोड़ हो गया (चार्ट II.4.5)।

II.4.18 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में प्राथमिक कॉर्पोरेट बांड निर्गमों में कमी देखी गई, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई। कुल मिलाकर, प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गमन वर्ष 2021-22 के दौरान 23.4 प्रतिशत घटकर ₹6 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹7.8 लाख करोड़ था। निजी प्लेसमेंट

[25] एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियां को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के साथ, बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया।

चार्ट II.4.5: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में एएए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार

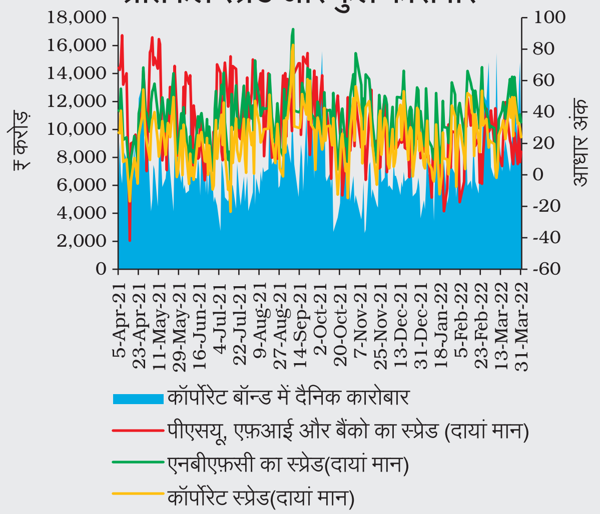

स्रोत: सेबी और एफ़आईएमएमडीए

कॉर्पोरेट्स के लिए पसंदीदा विकल्प बना रहा, जो बॉण्ड बाजार के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 98.1 प्रतिशत होता है। बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹40.2 लाख करोड़ हो गए, यानी मार्च 2022 के अंत में जीडीपी का 17.0 प्रतिशत। कॉर्पोरेट बॉण्ड में एफ़पीआई द्वारा निवेश मार्च 2021 के अंत के ₹1.3 लाख करोड़ से घटकर मार्च 2022 के अंत में ₹1.2 लाख करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप, अनुमोदित सीमा का एफपीआई द्वारा उपयोग मार्च 2022 के अंत में घटकर 19.9 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2021 के अंत में 24.5 प्रतिशत था।

5. इक्विटी बाजार

II.4.19 वर्ष 2020-21 में आई भारी तेजी के रुख को जारी रखते हुए, वर्ष 2021-22 में भारतीय इक्विटी बाजारों में तेजड़ियों का दबदबा बना रहा। हालांकि, एई में नीति सामान्यीकरण से जुड़ी चिंताओं, प्रणालीगत ईएमई में देश विशिष्ट कारकों, ओमिक्रॉन के प्रसार और भू-राजनीतिक तनावों पर चिंताओं के बीच वैश्विक संकेतों पर बाजार का रुख अस्थिर रहा । फिर भी, 31 मार्च 2022 को बीएसई सेंसेक्स 18.3 प्रतिशत बढ़कर 58,569 पर बंद हुआ, जिसने कई वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया, जबकि निफ्टी-50 18.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17,465 पर बंद हुआ (चार्ट II.4.6 ए और बी)। वर्ष 2021-22 में, बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 264.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। फरवरी 2022 में 32 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, भारत VIX, जो निफ्टी-50 के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, मार्च 2021 के अंत में गिरकर फिर से 20.6 प्रतिशत के स्तर पर वापस आ गया।

चार्ट II.4.6: इक्विटी बाजार

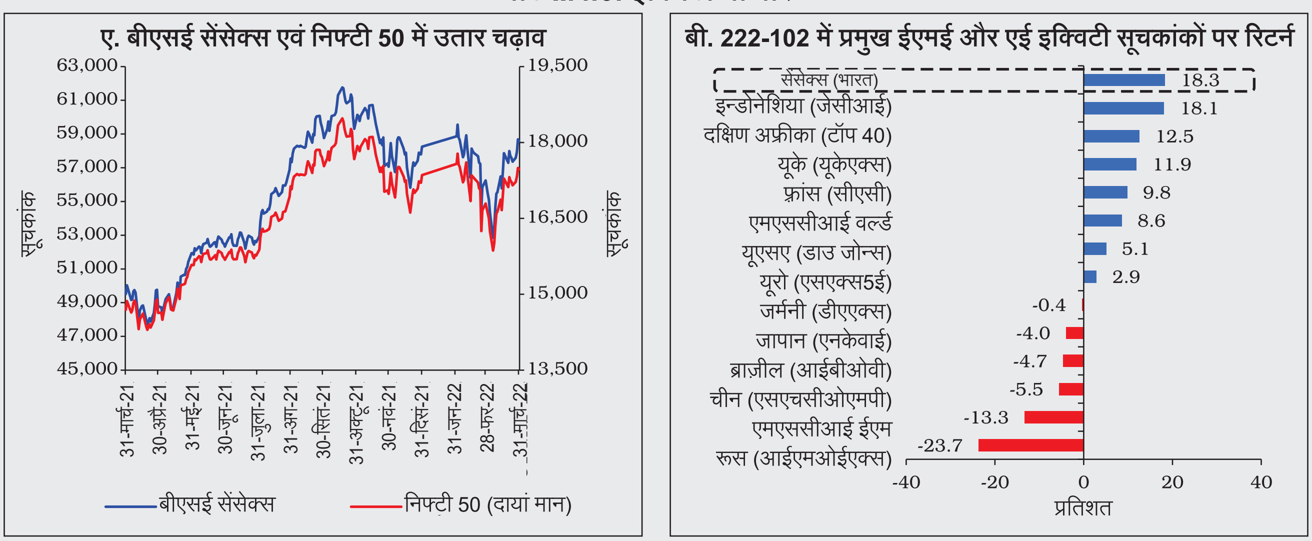

स्रोत: बीएसई, एनएसई और ब्लूमबर्ग।

II.4.20 कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि, एफ़पीआई द्वारा कम दाम पर बिक्री, विनिर्माण पीएमआई में 7 महीने के निचले स्तर तक गिरावट और देश के कुछ भागों में फिर से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के कारण इक्विटी बाजारों ने मामूली नुकसान के साथ वर्ष की शुरुआत की। हालांकि, वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन और तेजी से वैक्सीन रोल-आउट तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के बीच वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों ने तिमाही के अंत में निवेशकों के रुख को तेजी की ओर प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला और कॉर्पोरेट परिणामों को उत्साहित करने की घोषणाओं के साथ मई 2021 में बाजार में फिर से तेजी आई। घरेलू इक्विटी में तेजी के साथ, बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अपने इतिहास में पहली बार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।

II.4.21 जून 2021 के दौरान अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पुनः खुलने और व्यावसायिक गतिविधि में तेजी आने के साथ सेंसेक्स नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मुद्रास्फीति पर चिंताओं और प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए आसन्न टेपरिंग से बाजार का रुख प्रभावित हुआ। जुलाई 2021 में तेज अस्थिरता के साथ, विभिन्न देशों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर चिंताओं पर नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद बाजार में महीने के अंत में नुकसान बढ़ गया। एफ़पीआई द्वारा निरंतर बिक्री ने भी घरेलू इक्विटी पर दबाव डाला। इक्विटी बाजार तेजी ने अगस्त 2021 में वापसी की और बेंचमार्क सूचकांकों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर धकेल दिया तथा इसे ऑटोमोबाइल बिक्री में सुधार, मजबूत जीएसटी संग्रह, वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आए मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन परिणाम, नरम सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट और जुलाई में भारत के विनिर्माण पीएमआई में 55.3 तक विस्तार द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ।

II.4.22 वैश्विक इक्विटी में कम दाम में बिक्री के बावजूद, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन –सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के विस्तार की घोषणाओं से उत्साहित घरेलू इक्विटी बाजार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना और दूरसंचार क्षेत्र के लिए किए गए राहत के उपायों से लाभ दर्ज किया। उसके बाद घरेलू इक्विटी बाज़ारों में भी, उनके वैश्विक समकक्षों की ही तरह, उतार-चढ़ाव के दौर देखने को मिले क्योंकि प्रणालीगत ईएमई और कॉर्पोरेट ऋण संकट में चल रहे नियामक कठोर नीतियों के संयोजन ने संभावित स्पिलओवर पर वैश्विक निवेशकों के बीच चिंता उत्पन्न की। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत, त्योहार के महीनों से पहले मजबूत मांग परिदृश्य और निरंतर उदार मौद्रिक नीति रुख से उत्साहित होकर अक्तूबर 2021 की पहली छमाही के दौरान बाजार नई ऊंचाई पर चढ़ गए। हालांकि, वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के मिश्रित कॉर्पोरेट अर्जन परिणामों और विस्तारित मूल्यांकन पर चिंताओं के बाद दूसरी छमाही में, त्वरित मुनाफा वसूली के कारण उछाल क्षणिक साबित हुआ।

II.4.23 नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में यूएस फेड द्वारा की गई गिरावट की घोषणाओं से घरेलू इक्विटी बाजार अप्रभावित रहा। हालांकि, इस सकारात्मक शुरुआत के बावजूद, इक्विटी क्षेत्र ने महीने के अंत में तेज गिरावट दर्ज की, जिसे ओमिक्रॉन के पता चलने से जुड़ी रिपोर्टों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा प्रतिबंधों के नए दौर के लागू होने से उत्प्रेरण मिला। दिसंबर 2021 की पहली छमाही में गिरावट का यह दौर गहरा गया क्योंकि एफपीआई ने भारतीय इक्विटी को ऑफलोड करना जारी रखा और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सख्ती आसन्न लगने लगी थी। हालांकि, मजबूत जीएसटी संग्रह, नवंबर के लिए विनिर्माण पीएमआई में विस्तार और मौद्रिक नीति निर्धारण में रिज़र्व बैंक की यथास्थिति ने बाजार को राहत प्रदान की।

II.4.24 बढ़ी हुई अस्थिरता के बीच, घरेलू इक्विटी में बिकवाली जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ फेड द्वारा प्रारंभिक ब्याज दर में वृद्धि के संकेत ने निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद,

चार्ट II.4.7: इक्विटी में निवेश

ए. संस्थागत निवेशकों द्वारा इक्विटी में निवल निवेश

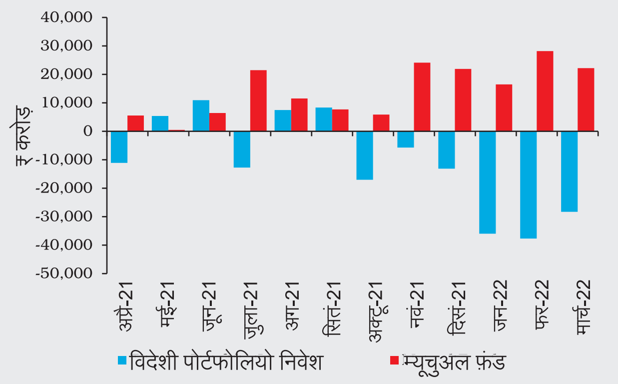

बी. नये जोड़े गए नए डीमैट खाते

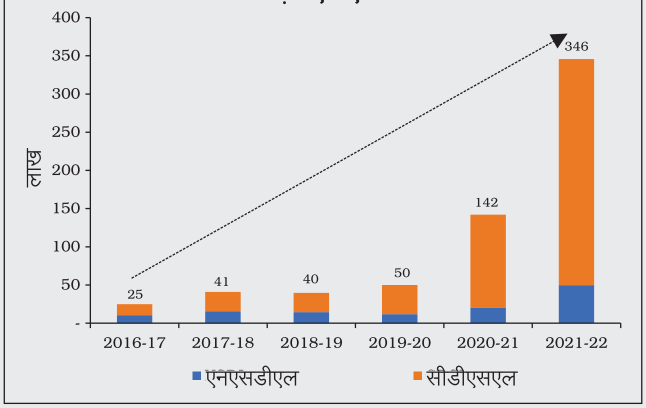

स्रोत: एनएसडीएल,सीडीएसएल और सेबी

भारतीय इक्विटी बाजार ने फरवरी 2022 में बजट घोषणाओं और रिज़र्व बैंक की उदार मौद्रिक नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि ने निवेशकों के उत्साह पर भारी असर डाला। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद महीने की दूसरी छमाही में घरेलू शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। मार्च में राज्य विधानसभाओं के चुनावी परिणामों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों की घोषणाओं के बाद उत्साह में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रूस-यूक्रेन शांति वार्ता, कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता और चीन में नए सिरे से लॉकडाउन को लेकर चिंता बनी रही।

II.4.25 पिछले वर्ष में 2.8 लाख करोड़ के निवल अंतर्वाह की तुलना में 1.3 लाख करोड़ के निवल बहिर्गमन के साथ एफपीआई वर्ष 2021-22 में 12 महीनों में से आठ महीनों तक निवल विक्रेता बने रहे। दूसरी ओर, म्यूच्युअल फंड ने वर्ष 2021-22 में भारतीय इक्विटी बाजार में ₹1.7 लाख करोड़ का भारी निवेश किया (चार्ट II.4.7.ए) ।

II.4.26 इक्विटी में खुदरा निवेशकों की प्रत्यक्ष सहभागिता में वृद्धि जारी रही, वर्ष 2021-22 के दौरान 3.46 करोड़ डीमैट खाते खोले गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.42 करोड़ डीमैट खाते खोले गए थे (चार्ट II.4.7.बी)। वर्ष 2021-22 के दौरान हर महीने औसतन 28.8 लाख डीमैट खाते खोले गए, जो पिछले साल के 11.8 लाख प्रति माह और वर्ष 2019-20 के प्रति माह 4.2 लाख डीमैट खातों से अधिक है।

प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना

II.4.27 इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (एफपीओ) और अधिकार निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष के ₹1.1 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 26.1 प्रतिशत से बढ़कर ₹1.39 लाख करोड़ हो गए। (चार्ट II.4.8.ए और परिशिष्ट सारणी 5)। 121 आईपीओ / एफपीओ निर्गमों के माध्यम से ₹ 1.13 लाख करोड़ जुटाए गए, जिनमें से ₹958 करोड़ की राशि के 70 निर्गमों को बीएसई और एनएसई के छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया। पिछले वर्ष के दौरान ₹64,059 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राइट्स निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन घटकर ₹26,327 करोड़ रह गए। वर्ष 2021-22 के दौरान अधिमानी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधन जुटाना घटकर ₹ 92,135 करोड़ हो गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 1,19,678 करोड़ थी।

चार्ट II.4.8: संसाधन जुटाना

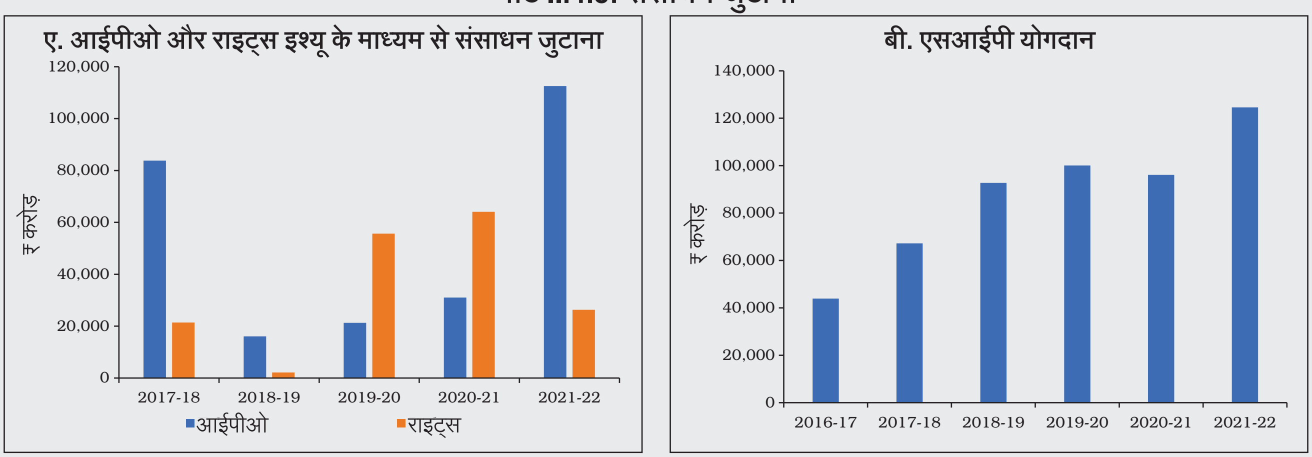

स्रोत: सेबी और एएमएफ़आई

II.4.28 वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2.5 लाख करोड़ की कीमत के म्यूच्युअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधनों में से, सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) के योगदान में सकारात्मक वृद्धि देखी गई- जो कि बढ़ती खुदरा भागीदारी और घरेलू बचत के वित्तीयकरण का संकेत देती है (चार्ट II.4.8.बी)। पिछले वर्ष के ₹39,327 करोड़ के निवल मोचन के मुकाबले वर्ष 2021-22 में इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में ₹1,54,094 करोड़ के निवल संसाधन जुटाए गए। इक्विटी-उन्मुख म्यूच्युअल फंड की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2022 के अंत में 37.2 प्रतिशत बढ़कर ₹ 13.7 लाख करोड़ हो गईं, जो मार्च 2021 के अंत में ₹10 लाख करोड़ थीं।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.4.29 विदेशी मुद्रा बाजार में, पिछले वर्ष की तुलना में अंतर-बैंक और व्यापारी दोनों संविभागों में कारोबार में तेजी आई।

II.4.30 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 संक्रमण में भारी वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर तेजी के बीच भारतीय रुपया 1.64 प्रतिशत कमजोर हुआ। तिमाही के दौरान कमजोर डॉलर और चालू खाता अधिशेष 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने रुपये के लिए गिरावट को कम किया। टीकाकरण की गति में तेजी और भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा आईपीओ में मजबूत विदेशी प्रवाह ने भारतीय रुपये को वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में अधिकांश एशियाई समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली सुधार और उदीयमान बाजार मुद्राओं में आई थोड़े समय की तेजी से रुपये को भी समर्थन मिला।

I.4.31 भारतीय रुपया फिर से वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान दबाव में आ गया क्योंकि अमेरिकी डॉलर की कीमतों में वृद्धि हुई, यूएस अल्पावधि प्रतिफल में तेजी दर्ज की गयी, क्योंकि व्यापारियों ने सख्त एफ़ओएमसी स्टेटमेंट्स (वर्ष 2022 के लिए तेज टेपर और दर वृद्धि निर्धारण) का लाभ उठाया। तिमाही के दौरान, सभी ईएमई मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया। भारतीय रुपया 16 दिसंबर, 2021 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अंतर दिवसीय व्यापार में ₹76.32 प्रति अमेरिकी डॉलर के निचले स्तर को छू गया क्योंकि बाजार अमेरिकी फेडरल रिज़र्व टेपर की तेजी के लिए तैयार थे और अमेरिका तथा बाकी एई के बीच नीतिगत विचलन के लिए तैयार थे। दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में डॉलर में कमजोरी दर्ज की गयी तथा रुपया तेजी से ठीक हुआ और 31 दिसंबर, 2021 को ₹74.33 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही की तुलना में 0.13 प्रतिशत कमजोर हो गया। वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में रुपये पर दबाव बना रहा क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में वृद्धि की प्रत्याशा से अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि दर्ज की गयी, साथ ही बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित निवेश स्थल की मांग के बीच अमेरिकी

चार्ट II.4.9: रुपया, अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की कीमत और ईएम मुद्रा सूचकांक में उतार-चढ़ाव

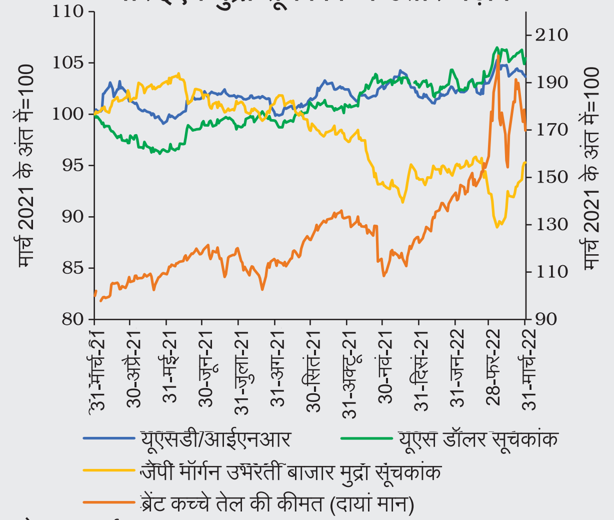

स्रोत: ब्लूमबर्ग

डॉलर सूचकांक 100 के निशान की ओर बढ़ गया। तिमाही के दौरान घरेलू इक्विटी बाजारों से एफपीआई के बहिर्वाह और पण्यों की कीमतों में व्यापक आधार पर तेजी का असर भी रुपये पर पड़ा। नतीजतन, भारतीय रुपया 7 मार्च, 2022 को अंतर दिवसीय व्यापार में 76.98 प्रति अमेरिकी डॉलर के नए न्यूनतम स्तर को छू गया, अधिकांश ईएमई मुद्राएं इस तिमाही के दौरान दबाव में रहीं। कुल मिलाकर, भारतीय रुपया वर्ष 2021-22 में 3.53 प्रतिशत के शुद्ध मूल्यह्रास के साथ 31 मार्च, 2022 को ₹75.79 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ (चार्ट II.4.9)।

II.4.32 औसत आधार पर, वर्ष 2021-22 (वर्ष-दर-वर्ष) में 40-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, इस अवधि के दौरान 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

II.4.33 वर्ष 2021-22 के दौरान दीर्घकालिक फॉरवर्ड प्रीमियम नियंत्रित बने रहे। जहां वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान आईपीओ से संबंधित रुपये की मांग जैसे कारकों के कारण अल्पकालिक फॉरवर्ड प्रीमियम में कुछ गिरावट देखी गई, वहीं बाद की तिमाहियों में वे प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति बेहतर हो जाने से उनमें स्थिरता आई।

7. निष्कर्ष

II.4.34 कुल मिलाकर, वित्तीय बाजार, आगे चलकर, काफी अनिश्चितता और कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थितियों का सामना करेंगे। वैश्विक प्रभाव विसरण के जोखिम के कारण, संवृद्धि संबंधी चिंताओं के बीच मुद्रास्फीति से जुड़ी आशंकाओं ने उदीयमान बाजार की मुद्राओं के जोखिमों को बढ़ा दिया है।

II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 वर्ष 2022 में, अधिकांश जी-20 देशों में राजकोषीय घाटा कम रहने का अनुमान है, लेकिन यह मोटे तौर पर महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर रहेगा (चार्ट II.5.1ए)। यद्यपि अनुमानित राजकोषीय समायोजन योजनाओं से मध्यम अवधि में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लोक ऋण-जीडीपी अनुपात कम होने की उम्मीद है, तथापि उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए औसत सरकारी कर्ज़-जीडीपी अनुपात, जो मुख्य रूप से चीन द्वारा संचालित हो रहा है, वृद्धिशील बना हुआ है।[26] वर्ष 2022 में भारत का सकल ऋण नियंत्रित दायरे में बने रहने अनुमान है, लेकिन यह समकक्ष ईएमई (ब्राजील को छोड़कर) से अधिक रहेगा [चार्ट II.5.1बी]।

II.5.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 और 3 क्रमशः 2021-22 और 2022-23 में केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उप-खंड 4 और 5, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के वित्त में विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। सामान्य सरकारी वित्त पर उप-खंड 6 में चर्चा की गई है। अंतिम खंड समापन टिप्पणियों और कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों को निर्धारित करता है।

[26] आईएमएफ़ (2022), फ़िस्कल मॉनिटर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़),वॉशिंगटन डी.सी., अप्रैल।

चार्ट II.5.1: जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय शेष और सकल कर्ज

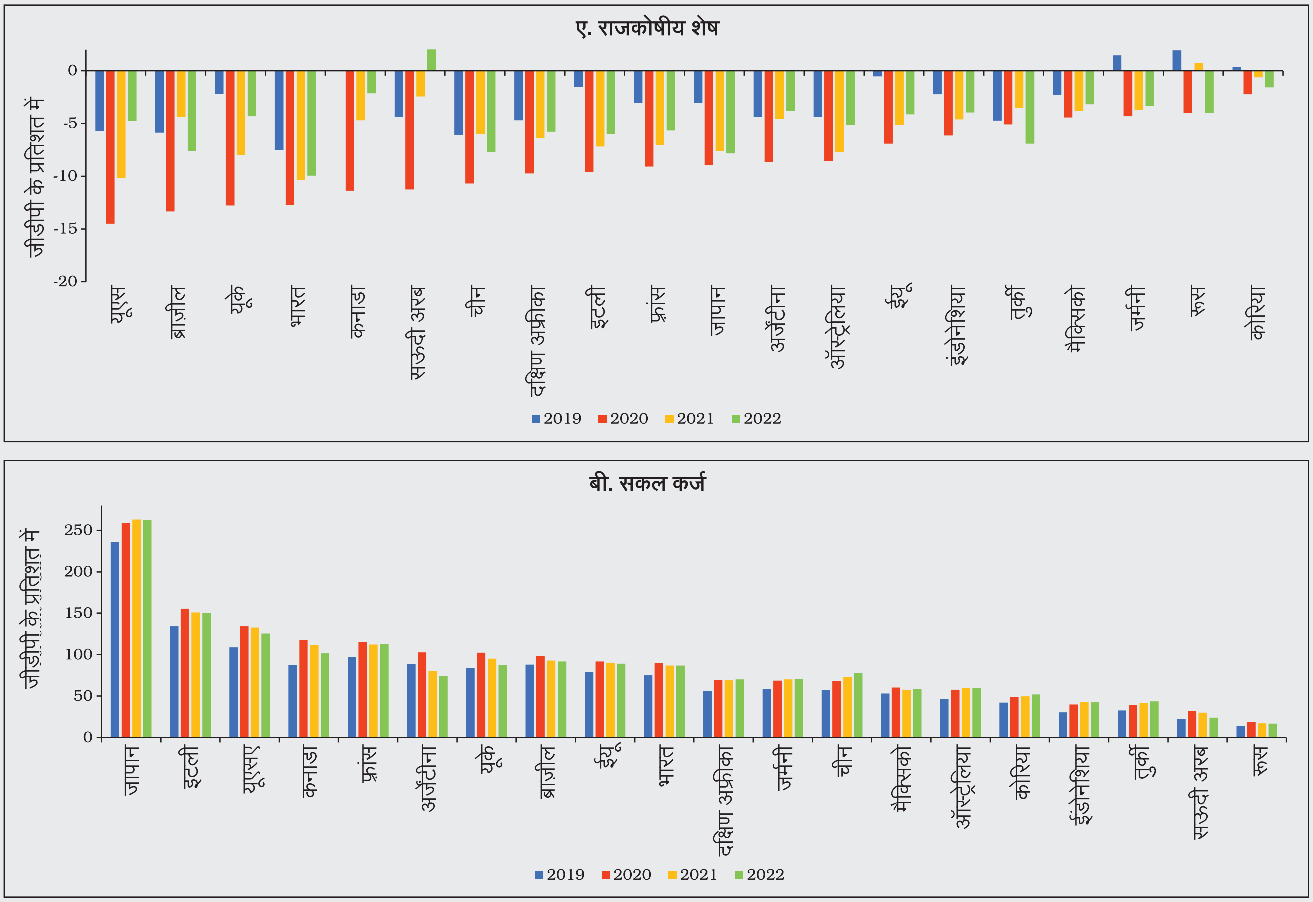

यूएसए: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका **यूके:** यूनाइटेड किंगडम **ईयू:** यूरोपियन यूनियन

टिप्पणी: अन्य देशों के साथ तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए भारत का डेटा विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ से प्राप्त किया गया है। तथापि, यह केन्द्रीय बजट संबंधी दस्तावेजों या रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धतियों और परंपराओं में भिन्नता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2022।

2. वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति

II.5.3 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर, सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान ₹6.3 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के उपाय, *आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना* का विस्तार, कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना जैसे उपाय शामिल हैं। इन उपायों के अनुपूरक के तौर पर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और *प्रधान मंत्री आवास योजना* (शहरी) के लिए आबंटन में वृद्धि जैसे अतिरिक्त व्यय किए गए, जैसा कि अनुदान की अनुपूरक मांग (एसडीजी) में उल्लिखित है।[27] परिणामस्वरूप, कुल व्यय ने बजट अनुमानों में (राजस्व व्यय के तहत ₹2.4 लाख करोड़ और

[27] एसडीजी के पहले और दूसरे बैच के आधार पर बजट अनुमानों की तुलना में प्रस्तावित वृद्धि ₹3,22,918 करोड़ थी। अनुदान के लिए तीसरी और आखिरी अनुपूरक मांग (14 मार्च 2022 को घोषित) में वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों (आरई) के अलावा ₹1.07 लाख करोड़ का अतिरिक्त शुद्ध नकद व्यय शामिल है।

पूंजीगत व्यय के तहत ₹48,475 करोड़ के विचलन के साथ) ₹2.9 लाख करोड़ की वृद्धि हो गई। हालांकि, अतिरिक्त खर्च की भरपाई उच्च कर और गैर-कर राजस्व से की गई, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में 0.03 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई जिसके बजट में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान (बीई) व्यक्त किया गया था।[28]

II.5.4 सकल कर राजस्व में वर्ष 2021-22 आरई (वर्ष 2019-20 के दौरान 25.2 प्रतिशत) में 24.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ, महामारी की स्थिति में भी कर राजस्व में उछाल रहा (सारणी II.5.1)। रिज़र्व बैंक द्वारा बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण द्वारा सहायता प्राप्त कर, गैर-कर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹70,763 करोड़ अधिक हो गया। हालांकि, विनिवेश प्राप्तियां बीई से ₹97,000 करोड़ कम हो गई।

सारणी II.5.1: कर में उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 से 2018-19 तक)	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	1.33	1.24	1.05
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.79	1.66	1.49
(i) कोर्पोरेशन कर	0.92	1.80	2.00	1.47
(ii) आय कर	1.27	1.81	1.37	1.57
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.91	0.88	0.62
(i) जीएसटी	-	1.78	1.19	1.71
(ii) सीमा शुल्क	0.31	1.71	2.07	1.39
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	-0.57	0.03	-1.64

जीएसटी: वस्तु एवं सेवा कर - : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। 2021-22 (आरई) की गणनाए 2020-21(आरई) के आधार पर की गयी है।

स्रोत: विभिन्न वर्षो के यूनियन बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

3. वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.5 वर्ष 2022-23 के लिए, संघीय बजट ने वृद्धि में तेजी लाने और चल रही आर्थिक बहाली को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय पर ध्यान देने के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करने की इच्छा प्रकट की है। जीएफ़डी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है[29], जो कि वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफ़डी प्राप्त करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2021-22 (आरई) से 29 आधार अंकों की कमी लाई जानी है।[30] इस गिरावट को हासिल करने के लिए राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 12.4 प्रतिशत तक सीमित करने की योजना है, क्योंकि पूंजीगत व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ने का अनुमान है और प्राप्तियों के अधिक न रहने की आशंका है (सारणी II.5.2)।

II.5.6 पूंजीगत व्यय के तहत, *प्रधान मंत्री गति शक्ति* [31] से संबंधित पूंजी निवेश के लिए उपयोग किए जाने वाले 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1 लाख करोड़ के प्रावधान, *प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना*, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और

[28] बजट 2021-22 ने वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी को ₹2,22,87,379 करोड़ (जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.76 प्रतिशत) रखा था। इसका पहले अग्रिम अनुमानों और संघीय बजट 2022-23 में 2,32,14,703 करोड़ रुपये में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.85 प्रतिशत था। दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) [28 फरवरी 2022 को जारी] के अनुसार, 2021-22 के लिए सांकेतिक जीडीपी बढ़कर ₹ 2,36,43,875 करोड़ है, जिसका अर्थ है कि जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.73 प्रतिशत है। किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी आंकड़े का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, वर्ष 2021-22 (आरई) के लिए सांकेतिक जीडीपी एसएई के अनुसार है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस खंड में दिए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक, संघीय बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए संकेतकों से भिन्न हो सकते हैं।

[29] वर्ष 2021-22 (आरई) के लिए अनुमानित सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद ₹2,32,14,703 करोड़ में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए वर्ष 2022-23 (बीई) के लिए ₹2,58,00,000 करोड़ के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया गया है।

[30] संघीय बजट वर्ष 2021-22 ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि में काफी स्थिर गिरावट के साथ जीएफडी को सांकेतिक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम करने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी।

[31] *गति शक्ति* - एक डिजिटल प्लेटफॉर्म - बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।

सारणी II.5.2: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्य निष्पादन

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर कर्ज प्राप्तियाँ	11.0	9.7	9.5	9.2	9.1	9.4	9.1	8.8	8.7	8.5	8.9	9.2	8.9
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.0	10.6	11.1	11.2	11.0	10.0	10.2	9.9	10.6	10.7
a) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.5	5.9	6.0	5.2	4.8	5.0	5.3	5.5
b) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	4.4	5.2	5.6	5.4	5.0	4.8	5.5	5.0	5.4	5.2
III. निवल कर राजस्व	7.9	7.6	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	7.0	6.8	7.2	6.9	7.5	7.5
IV. गैर कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.0	1.1	1.3	1.0
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
VI. कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.4	17.7	15.6	15.9	15.3
VII. राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	11.7	15.6	13.1	13.4	12.4
VIII. पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	2.2	2.5	2.5	2.9
IX. राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	7.3	5.1	4.6	3.8
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.7	9.2	6.8	6.7	6.4

बीई: बजट अनुमान आरई: संशोधित अनुमान

टिप्पणी: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, 2021-22 (आरई) के लिए उपयोग की जाने वाली जीडीपी एसएई, 2021-22 के अनुसार है।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्त पोषण के साथ राज्यों के ऋण और अग्रिमों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। बुनियादी ढांचे के खर्च में भारी वृद्धि के बाद पूंजीगत परिव्यय, अर्थात, पूंजीगत व्यय रहित ऋण और अग्रिम, को भी वर्ष 2022-23 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2021-22 (आरई) में 73.3 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा, बजट किया गया है। कुल पूंजीगत व्यय का लगभग दो-तिहाई (64.7 प्रतिशत) रक्षा; सड़क; और रेलवे मंत्रालयों द्वारा वहन किया जाना है (चार्ट II.5.2)। पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात (आरईसीओ) में लगातार दूसरे वर्ष सुधार के लिए दशकीय औसत 7.8 के सापेक्ष 5.2 करने का बजट किया गया है। प्राप्तियों की बात करें तो, राजस्व पूर्वानुमान रूढ़िवादी सांकेतिक जीडीपी अनुमानों पर आधारित है और विनिवेश लक्ष्य ₹65,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग ₹66,000 करोड़ की औसत प्राप्ति के करीब है।

II.5.7 वर्ष 2022-23 के संघीय बजट प्रस्तावों में, लगभग 36.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2021-22 (आरई) में

चार्ट II.5.2: पूंजीगत व्यय का मंत्रालयवार विभाजन – वर्ष 2022-23 (कुल का प्रतिशत)

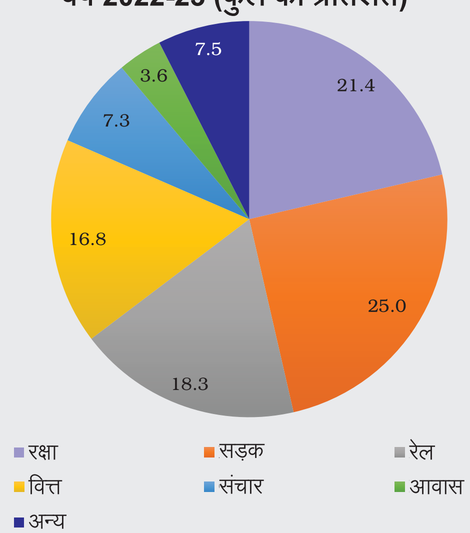

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

चार्ट II.5.3: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

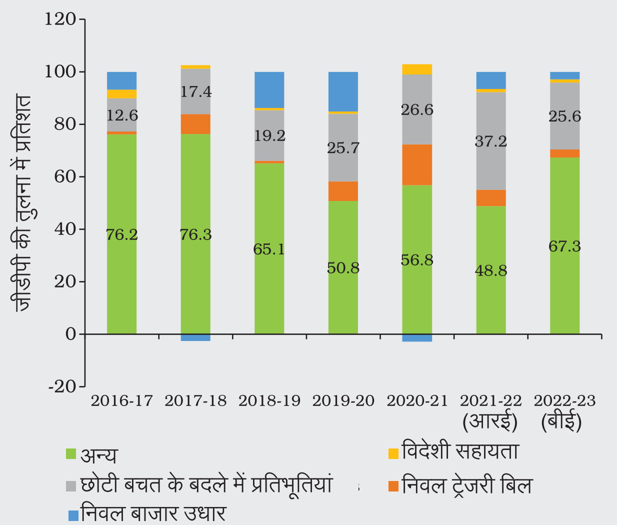

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

₹10.47 करोड़ के मुकाबले ₹14.31 लाख करोड़ (28 जनवरी 2022 को किए गए स्विच ऑपरेशन के लिए समायोजित) की सकल बाजार उधारी शामिल है।[32] महामारी-पूर्व प्रवृत्ति में वापसी को चिह्नित करते हुए, निवल बाजार उधार को वर्ष 2022-23 में जीएफडी के 67.3 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजट किया गया है, जो वर्ष 2021-22 (आरई) में 48.8 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें ट्रेजरी बिल, छोटी बचत और और नकद शेष का दायित्त्व कम है (चार्ट II.5.3)। समग्र बाजार उधारी के एक हिस्से के रूप में, सरकार जलवायु परिवर्तन संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का भी इरादा रखती है।

4. वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त

II.5.8 राज्य सरकार के वित्त में सुधार को वर्ष 2021-22 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात के साथ वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों में 4.7 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए बजट किया गया था (सारणी II.5.3 और परिशिष्ट सारणी 6)।

II.5.9 अप्रैल-फरवरी वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध 26 राज्यों के अनंतिम खातों (पीए)[33] के आंकड़ों से संकेत मिलता

सारणी II.5.3: राज्यों की राजकोषीय स्थिति

(₹ लाख करोड़)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	23.2 (13.6)	26.2 (13.9)	26.7 (13.3)	27.9 (14.1)	34.5 (14.6)
II. पूंजी प्राप्तियाँ	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.6 (0.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
III. राजस्व व्यय	23.4 (13.7)	26.4 (14.0)	27.9 (13.9)	31.9 (16.1)	35.7 (15.1)
IV. पूंजीगत व्यय	4.3 (2.5)	4.9 (2.6)	4.6 (2.3)	5.5 (2.8)	7.2 (3.1)
ए. पूंजीगत परिव्यय	3.9 (2.3)	4.4 (2.3)	4.2 (2.1)	5.0 (2.5)	6.7 (2.8)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4 (0.2)	0.5 (0.2)	0.4 (0.2)	0.5 (0.2)	0.5 (0.2)
V. राजकोषीय घाटा/अधशिष	4.1 (2.4)	4.6 (2.4)	5.3 (2.6)	9.3 (4.7)	8.2 (3.5)
VI. राजस्व घाटा/अधिशेष	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1.2 (0.6)	3.9 (2.0)	1.2 (0.5)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।
स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी के बजट दस्तावेज़।

32 केंद्र सरकार की बाजार उधारी में वर्ष 2021-22 (आरई) में ₹1,59,000 करोड़ की उधारी शामिल नहीं है, जो राज्यों को जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले बैक-टू-बैक आधार पर ऋण के रूप में दी गई।

33 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वेबसाइट।

है कि उनकी समेकित जीएफडी एक साल पहले की तुलना में 31.5 प्रतिशत कम थी, जिसका मुख्य कारण था राजस्व प्राप्तियों में उच्च वृद्धि (वर्ष 2020-21 में 8.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 30.5 प्रतिशत)। दिनांक 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी के केंद्र के कदम के बाद, अधिकांश राज्यों ने अपने मूल्य वर्धित कर (वैट) को पेट्रोल के लिए ₹1.8 से ₹10.0 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹2.0 से ₹7.0 प्रति लीटर की सीमा में घटा दिया। जीएसटी मुआवजे के एवज में केंद्रीय हस्तांतरण द्वारा सन्निहित राजस्व हानि अधिक थी - केंद्र ने राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में वर्ष 2021-22 में ₹1.59 लाख करोड़ (15 जुलाई को ₹0.75 लाख करोड़; 7 अक्तूबर को 0.40 लाख करोड़ और 28 अक्तूबर को ₹0.44 लाख करोड़) जारी किए। इन ऋणों के अलावा, केंद्र ने 60,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया है। कर न्यागमन की नियमित किस्त के अलावा, केंद्र ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में कर न्यागमन की दो अग्रिम किस्तें जारी कीं।

II.5.10 महामारी की दूसरी लहर और संबंधित राज्य-विशिष्ट प्रतिबंधों के बावजूद, पूंजी परिव्यय मजबूत रहा, जबकि उच्च राजस्व व्यय ने आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने में मदद की। पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में तेरह राज्यों को ₹32,412 करोड़ (वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक) की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली। केंद्र द्वारा 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' के तहत परिव्यय को वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 15,000 करोड़ कर दिया गया है।

5. वर्ष 2022-23 में राज्य वित्त

II.5.11 20 राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, उनके संयुक्त जीएफडी का बजट 2022-23 में उनके समेकित जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत पर रखा गया है, जो कि वर्ष 2021-22 (आरई) में 3.7 प्रतिशत था, हालांकि राज्यों के बीच काफी भिन्नता है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति में समेकन को पूरी तरह से राजस्व खाते के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को राजस्व व्यय की तुलना में काफी अधिक स्तर पर बजट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में 55 आधार अंकों का संकुचन हुआ है।

सारणी II.5.4: राज्य सरकार वित्त 2022-23*: प्रमुख संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2020-21	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	2.0	0.7	1.1	0.6
सकल राजकोषीय घाटा	4.1	3.7	3.7	3.2
प्राथमिक घाटा	2.2	1.7	1.9	1.5

*: *डेटा बीस राज्यों से संबन्धित है जिन्होने 2022-23 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़

II.5.12 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से बंधे होंगे। संघीय बजट वर्ष 2022-23 में, केंद्र ने कर न्यागमन को वर्ष 2021-22 के उच्च आधार के शीर्ष पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि का बजट दिया है। वर्ष 2022-23 के लिए, 15 वें वित्त आयोग का बजट अनुदान वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9 प्रतिशत कम है, जो कि मुख्य रूप से राज्यों के राजस्व घाटे में बढ़ोतरी के अनुमान से हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटे के अनुदान में कमी के कारण है। जैसा कि पहले कहा गया है, समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को सामान्य उधार के अलावा 50 साल के ब्याज मुक्त ऋणों में 1 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.5.13 वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, सामान्य सरकारी घाटा और ऋण कम होकर क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 9 प्रतिशत और 85 प्रतिशत तक हो गया है, जो वर्ष 2020-21 (आरई) में क्रमशः 13.3 प्रतिशत

और 89.4 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर पर थे (परिशिष्ट सारणी 7)।

7. निष्कर्ष

II.5.14 राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए, बजट ने अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से बाहर निकालने के लिए निवेश आधारित वृद्धि रणनीति पर भरोसा किया है। वर्ष 2022-23 में, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते हुए नपे तुले राजकोषीय समेकन की परिकल्पना की गई है। भविष्य में, राजकोषीय और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए और सार्वजनिक वित्त में विश्वसनीयता का निर्माण करते हुए, ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय समेकन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष के दौरान भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सह बना रहा। यद्यपि घरेलू आर्थिक सुधारों ने आयात मांग को बढ़ा दिया, कुल मिलाकर व्यापार के समक्ष उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों और सोने के सुरक्षित निवेश स्थल (सेफ हेवन) की मांग ने वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में पण्य वस्तुओं के व्यापार घाटे को बढ़ाया । फिर भी, सेवाओं के मजबूत निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभुत्व वाले मजबूत पूंजी प्रवाह ने चालू खाता शेष पर दबाव कम कर दिया, जो वर्ष के उत्तरार्ध में अधिशेष से घाटे में आ गया। बाहरी निधीयन की जरूरत सामान्य रहने के साथ, वर्ष के दौरान आरक्षित वृद्धि ने वैश्विक स्पिलओवर का सामना करने में आघात सहनीयता बनाई।

II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है जिनके परिप्रेक्ष्य में बाह्य संतुलन में ये बदलाव हुए। इसके बाद क्रमशः उप-खंड 3 और 4 में पण्य वस्तुओं का व्यापार और अदृश्य मदों पर चर्चा की जाती है। उप-खंड 5 पूंजी प्रवाह का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बाह्य सुभेद्यता संकेतकों का आकलन उप-खंड 6 में दिया गया है, जिसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है।

2. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां

II.6.3 वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में, यद्यपि असमान रूप से, तेजी प्राप्त की, लेकिन वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में अपनी गति खो दी क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते संक्रमण और आपूर्ति की कमी ने अपना प्रभाव दिखाया। आपूर्ति शृंखला और लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के साथ-साथ पण्य कीमतों के दबावों में अंतरराष्ट्रीय उछाल ने वैश्विक आर्थिक सुधार में अधोगामी जोखिम पैदा किए। यद्यपि वैश्विक संवृद्धि वर्ष 2020 में (-) 3.1 प्रतिशत से वर्ष 2021 में 6.1 प्रतिशत तक बढ़ गई, आईएमएफ ने अप्रैल 2022 में अपने वैश्विक संवृद्धि अनुमान को संशोधित कर जनवरी 2022 में 4.4 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया (चार्ट II। 6.1ए)। फरवरी 2022 के अंत में, वित्तीय बाजार में उथल-पुथल के नए दौर, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में समकालिक उतार-चढ़ाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्टैगफ़्लेशन के खतरे में डाल दिया और आपूर्ति बाधाओं एवं विघटन के खतरे तीव्र हो गए।

II.6.4 वर्ष 2021 के दौरान विश्व पण्य व्यापार, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत वृद्धि, आपूर्ति में व्यवधान और उच्च माल ढुलाई दरों के बावजूद, मूल्य के संदर्भ में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच गया (चार्ट II.6.1बी)। इस प्रकार, महामारी के दौरान विश्व व्यापार में संकुचन कम गंभीर प्रतीत होता है, और पहले के आघातों जैसे जीएफसी (चार्ट II.6.2) की तुलना में रिकवरी बहुत तेज (यूएनसीटीएडी) रही है। अंकटाड (यूएनसीटीएडी) के फरवरी 2022 के वैश्विक व्यापार अद्यतन के अनुसार, वैश्विक व्यापार का मूल्य वर्ष 2021 में 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेवाओं में व्यापार, हालांकि, पण्य व्यापार से पिछड़ गया जिसका मुख्य कारण यात्रा और पर्यटन क्षेत्र था, जो महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

चार्ट II.6.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार मात्रा

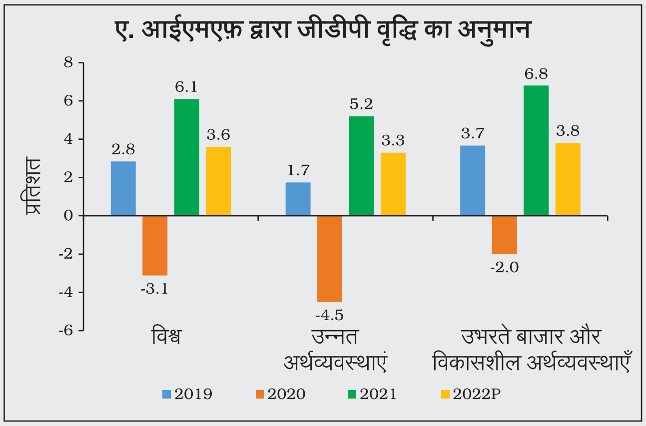

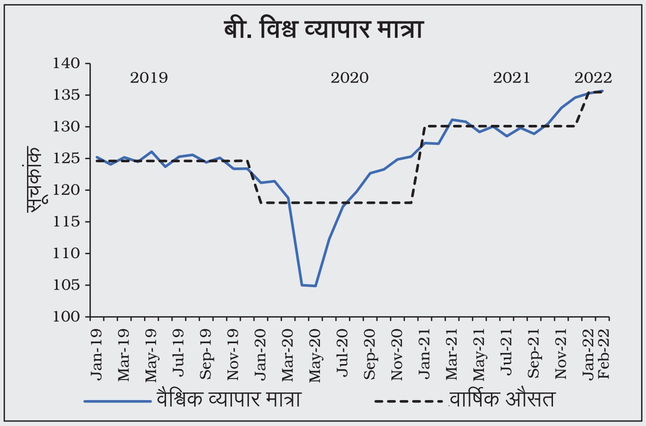

पी: पूर्वानुमान
स्रोत: आईएमएफ़ और सीपीबी नीदरलैंड

II.6.5 एफडीआई प्रवाह वर्ष 2021 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के प्रभुत्व के कारण फिर से बढ़त हुई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पोर्टफोलियो प्रवाह के दृष्टिकोण में नगद मुद्रा जारी करने में मजबूत बढ़त के साथ सुधार हुआ, जबकि स्थानीय मुद्रा ऋण प्रवाह कमजोर रहा। वर्ष 2021 के अंत में, परिसंपत्ति खरीद टेपर के क्रमावेशन के लिए नीति सामान्यीकरण के इरादे, बढ़े हुए मुद्रास्फीति जोखिम, अस्थिरता के नए दौर के कारण बढ़ी अनिश्चितताओं ने वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिति को अस्थिर कर दिया और सुरक्षित निवेश स्थान की तलाश में पोर्टफोलियो प्रवाह को एक परिसंपत्ति के रूप में ईएमई से पलायन को उत्प्रेरित किया।

चार्ट II.6.2: प्रत्येक व्यापार मंदी की शुरुआत से वैश्विक व्यापार में संचयी परिवर्तन

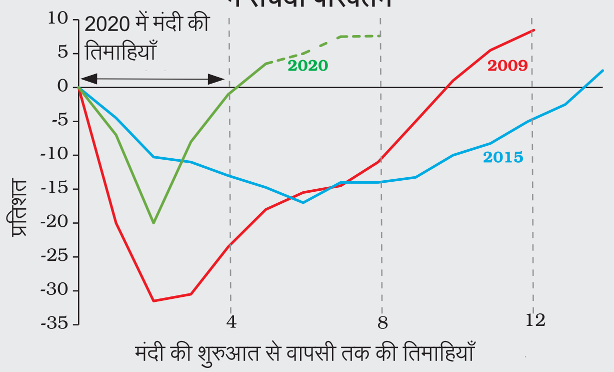

टिप्पणी: 1. रेखाएं बताती हैं कि पिछली दो मंदियों की तुलना में 2020 में व्यापार में तेजी से सुधार हुआ (तिमाहियों की संख्या कम)।
2. 2009 की व्यापार मंदी वैश्विक वित्तीय संकट के कारण हुई थी (जीएफसी) और 2015 की मंदी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन और पण्य कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप हुई। 2020 में मंदी कोविड-19 महामारी से प्रेरित थी।
स्रोत: यूएनसीटीएडी

3. पण्य व्यापार

II.6.6 वर्ष 2021-22 भारत के पण्य व्यापार के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष साबित हुआ। निर्यात और आयात दोनों ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों को दूर करते हुए, निर्यात में व्यापक वसूली ने नए बाजारों और उत्पाद श्रेणियों में विस्तार किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत के पण्य निर्यात और आयात में क्रमशः महामारी- पूर्व के स्तर पर 33.9 प्रतिशत और 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्रा के लिहाज से निर्यात में इसी आधार पर 16.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही से आयात महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गया (सारणी II.6.1)।

II.6.7 अलग-अलग स्तरों पर, निर्यात में वृद्धि इंजीनियरिंग सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, कृषि उत्पादों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स तथा रत्नों और आभूषणों द्वारा संचालित थी। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान हुए नुकसान को पलटते हुए परिधानों जैसी श्रम-प्रधान

सारणी II.6.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर $ में			वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) प्रतिशत में			प्री-कोविड अवधि में वृद्धि
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्यात							
पहली तिमाही	80.9	51.3	95.5	-1.4	-36.6	86.1	18.1
दूसरी तिमाही	78.2	74.1	102.7	-3.9	-5.3	38.6	31.3
तीसरी तिमाही	79.1	75.8	106.8	-1.9	-4.2	41.0	35.1
चौथी तिमाही	75.1	90.4	116.8	-12.7	20.4	29.2	55.6
वार्षिक	313.3	291.6	421.9	-5.1	-6.9	44.7	34.7
आयात							
पहली तिमाही	130.1	61.3	127.0	1.1	-52.9	107.3	-2.4
दूसरी तिमाही	118.0	88.3	147.5	-11.3	-25.2	67.1	25.0
तीसरी तिमाही	116.1	110.8	166.9	-11.2	-4.6	50.6	43.7
चौथी तिमाही	110.5	131.7	170.7	-9.2	19.1	29.6	54.4
वार्षिक	474.7	392.0	612.0	-7.7	-17.4	56.1	28.9
व्यापार शेष							
पहली तिमाही	-49.2	-9.9	-31.4				
दूसरी तिमाही	-39.7	-14.1	-44.8				
तीसरी तिमाही	-37.1	-35.1	-60.1				
चौथी तिमाही	-35.4	-41.2	-53.9				
वार्षिक	-161.4	-100.4	-190.1				

टिप्पणी: तिमाही आंकड़ों का योग वार्षिक योग से भिन्न हो सकता है।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

निर्यात श्रेणियों ने भी सकारात्मक योगदान दिया। हालांकि, चमड़े के उत्पादों और तिलहनों में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II. 6.3)।

चार्ट II.6.3: 2021-22 में निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालक (कोविड-19 से पहले की अवधि में)

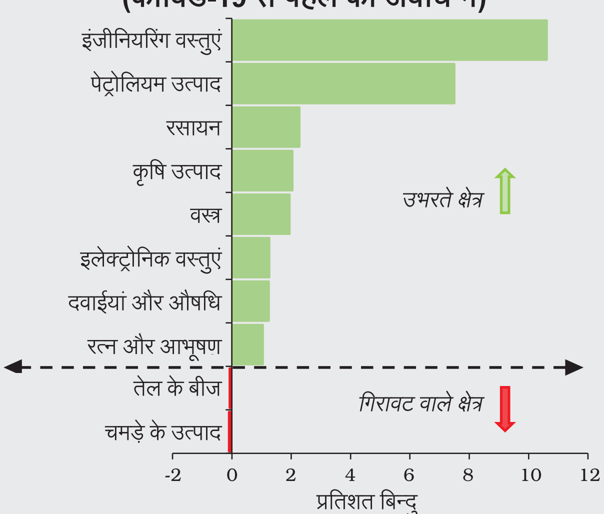

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

II.6.8 पिछले दशक में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी से निर्यात समूह में अंतर-अस्थायी बदलाव आया है (आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, 2020-21)। इसके विपरीत, रत्न और आभूषण और रेडीमेड कपड़ों के शेयरों में गिरावट आई है (चार्ट II.6.4)।

II.6.9 इंजीनियरिंग सामान, जो भारत के कुल निर्यात का एक-चौथाई हिस्सा हैं, ने वर्ष 2021-22 में अपने महामारी-पूर्व स्तरों से लगभग 42 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान लोहे और स्टील के निर्यात ने कुल इंजीनियरिंग निर्यात की वृद्धि में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि बढ़ती वैश्विक कीमतों, मजबूत वैश्विक मांग और चीन द्वारा उत्पादन में कटौती से लाभान्वित हुआ (चार्ट II.6.5)। सरकार ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए उत्पादन -लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की है (बॉक्स II.6.1)।

चार्ट II.6.4: भारत के प्रमुख पण्य निर्यात का विविधीकरण - भारित योगदान

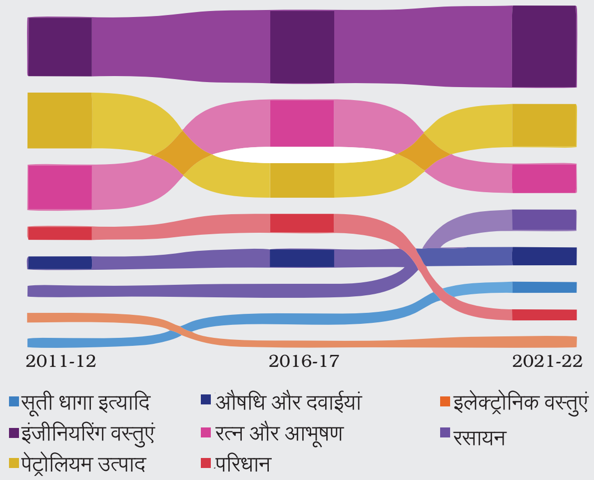

टिप्पणी: बैंड का आकार भारत के निर्यात बास्केट में संबंधित उत्पाद समूह के हिस्से को संदर्भित करता है।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

चार्ट II.6.5: इंजीनियरिंग वस्तुएं - विकास के लिए घटकों का सापेक्ष योगदान (अप्रैल-फरवरी 2019-20 - अप्रैल-फरवरी 2021-22)

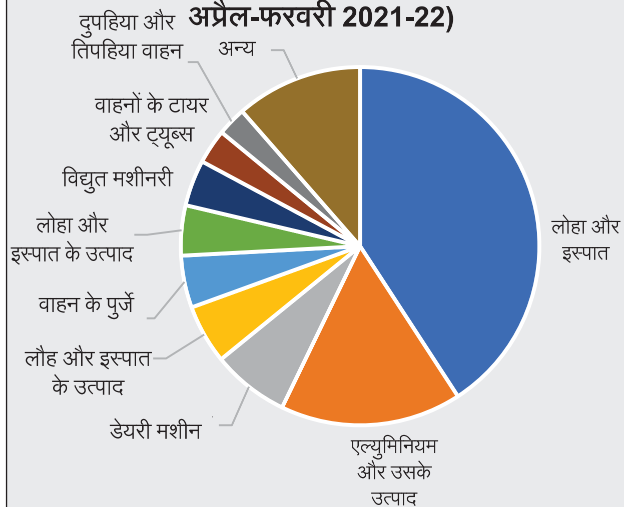

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

II.6.10 वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ (पीओएल) निर्यात भारत के कुल निर्यात का लगभग 16.0 प्रतिशत रहे, जो उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और नए बाजारों में विस्तार से लाभान्वित हुए। ऑस्ट्रेलिया और

बॉक्स II.6.1

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) की भूमिका

पिछले दो दशकों में, वैश्विक व्यापार की संरचना और प्रारूप ने भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रियाओं के डीफ्रेग्मेंटेशन को प्रतिबिंबित किया है। अब तैयार माल देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार का केवल 30 प्रतिशत हिस्सा है। वैश्विक व्यापार के 70 प्रतिशत में वैश्विक

चार्ट 1: विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कारक

क . शिपिंग कनेक्टिविटी और जीवीसी भागीदारी दर

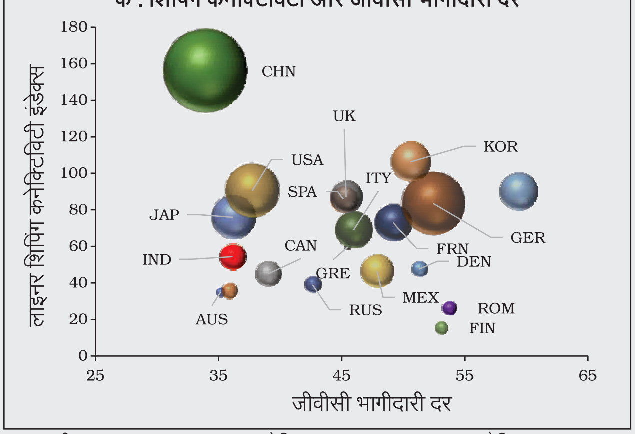

ख . विनिर्मित उत्पादों पर एफडीआई और टैरिफ दरें

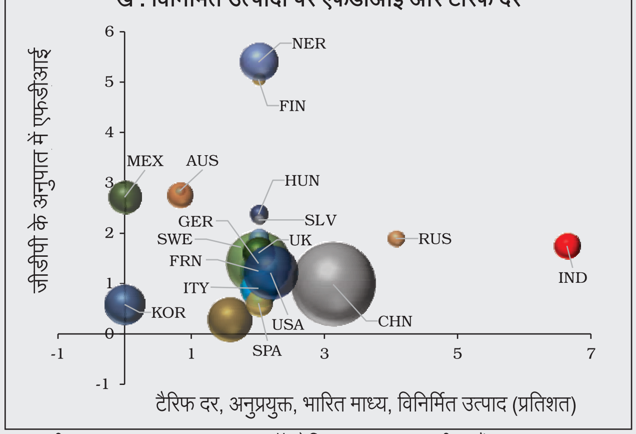

CHN: चीन, JAP: जापान, CAN: कनाडा, SPA: स्पेन, USA: अमेरिका, GER: जर्मनी, MEX: मैक्सिको, SWE: स्वीडन, KOR: कोरिया, DEN: डेनमार्क, RUS: रूस, HUN: हंगरी, ITY: इटली, SLV: स्लोवेनिया, FIN: फ़िनलैंड, UK: यूके, AUS: ऑस्ट्रेलिया, GRE: ग्रीस, ROM: रोमानिया, FRN: फ्रांस, NER: नीदरलैंड, IND: भारत

टिप्पणी: बुलबुला मिलियन यूएस डॉलर में विनिर्माण निर्यात के आकार का प्रतिनिधित्व करता है।
स्रोत: एडीबी, विश्व बैंक, आईटीसी और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

(जारी)

मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) [ओईसीडी, 2020] के माध्यम से सेवाओं, कच्चे माल, भागों और घटकों में लेनदेन शामिल है। भारत का जीवीसी एकीकरण, जैसा कि जीवीसी भागीदारी सूचकांक द्वारा मापा गया है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) देशों (सकल निर्यात का 45.9 प्रतिशत) के सापेक्ष कुल निर्यात से 34.0 प्रतिशत कम रहा है। शिपिंग कनेक्टिविटी, अधिक जीवीसी भागीदारी, उच्च एफ़डीआई प्रवाह, और कम टैरिफ दरें इस घटना को चला रही हैं (चार्ट 1a और 1b)।

2000-2019 की अवधि के लिए 40 प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाला एक अंतर-देशीय पैनल रिग्रेशन फ्रेमवर्क, देश के विनिर्माण निर्यात के साथ वर्ष t (एमईएक्सपी$_{it}$) में निर्भर चर के रूप में और जीवीसी भागीदारी सूचकांक (जीवीसी$_{it}$) और शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स (शिपिंग$_{it}$) के रूप में और टैरिफ स्तर (टैरिफ$_{it}$), शोध और विकास(आरएंडडी$_{it}$) खर्च, बुनियादी ढांचे और एफडीआई अंतर्वाह के रूप में नीचे दिए गए फॉर्म में नियंत्रण चर के रूप में पता चलता है कि जीवीसी भागीदारी सभी विशिष्टताओं (तालिका 1) में विनिर्माण निर्यात के लिए निर्यात प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

$$\mathrm{MExp_{it}} = \beta 1\mathrm{GVC_{it}} + \beta 2\mathrm{Tariff}_{it} + \beta 3\mathrm{Shiping_{it}} + \mu\mathrm{Other\ controls_{it}} + \varepsilon_t$$

(यूएनसीटीएडी, 2018)

शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स का निर्यात पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उच्च प्रशुल्क स्तर इनपुट लागत संरचना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इन परिणामों से पता चलता है कि भले ही उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लक्ष्य जीवीसी में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है, उच्च टैरिफ दरें, विशेष रूप से मध्यवर्ती वस्तुओं पर, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में बाधक हो सकती हैं। आसियान देशों में प्रथाओं की तर्ज पर आरएंडडी के लिए लंबी अवधि के कर प्रोत्साहन और उपयुक्त एफडीआई

सारणी 1: विनिर्माण निर्यात प्रदर्शन पर लॉजिस्टिक्स और जीवीसी का प्रभाव

(आश्रित चर: विनिर्माण निर्यात)

व्याख्यात्मक चर	गुणांक		
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
1	2	3	4
जीवीसी $_{it}$	0.0128***	0.0114***	
	(0.00346)	(0.00325)	
लॉग (शिपिंग $_{it}$)	0.0911*		0.0984**
	(0.0468)		(0.0475)
लॉग (आर एंड डी $_{it}$)	0.147***	0.233***	0.139***
	(0.0474)	(0.0429)	(0.0481)
लॉग (बिजली $_{it}$)	1.898***	1.914***	1.642***
	(0.332)	(0.327)	(0.330)
टैरिफ दर $_{it}$	-0.0162*	-0.0177**	-0.0127
	(0.00830)	(0.00818)	(0.00838)
एफडीआई $_{it}$	0.000582**	0.000562**	0.000644**
	(0.000255)	(0.000245)	(0.000258)
स्थिर	15.26***	15.50***	16.99***
	(1.580)	(1.543)	(1.533)
गणनाएं	446	511	446
आर^2	0.53	0.52	0.51

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। ** 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण हा।
* 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
टिप्पणी: कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ.
स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

नीतियां भारत के विनिर्माण निर्यात में तकनीकी प्रतिस्पर्धा और निर्यात-उन्मुखीकरण ला सकती हैं।

सन्दर्भ:

1. ओसाकवे, पी.एन. और जीन-मार्क किलोलियो (2018), 'व्हाट ड्राइवर्स एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन? न्यू एविडेन्स फ्राम ए पैनल ऑफ डवलपिंग कंट्रीज, यूएनसीटीएडी शोध पत्र संख्या 3/2018, यूएनसीटीएडी।
2. ओईसीडी (2020), 'ट्रेड पॉलिसी इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चैन', ओईसीडी ट्रेड पॉलिसी ब्रीफ़।

सऊदी अरब भारत के पेट्रोलियम निर्यात के लिए पांचवें और सातवें सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बन गए हैं। गंतव्य और उत्पाद-वार विविधीकरण भारतीय रिफाइनरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है, जो उच्च मूल्ययोजन और संकेंद्रण जोखिम में कमी को दर्शाता है (चार्ट II.6.6)।

II.6.11 भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों सहित कृषि निर्यात में लगातार दूसरे वर्ष अप्रैल-फरवरी 2021-22 में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-फरवरी 2021-22 में भारत के गेहूं के निर्यात में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से प्रमुख वैश्विक निर्यातक देशों, जैसे कनाडा और रूस में बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और कम भंडारण से लाभान्वित हुई। वर्ष 2019-20 में चावल का निर्यात अपने स्तर से 1.5 गुना अधिक बढ़ा। चावल की अलग-अलग क़िस्मों के भीतर, गैर-बासमती किस्मों के निर्यात में विशेष रूप से बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे बाजारों में बढ़ती

चार्ट II.6.6: भारत के पेट्रोलियम निर्यात का गंतव्य-वार प्रोफाइल

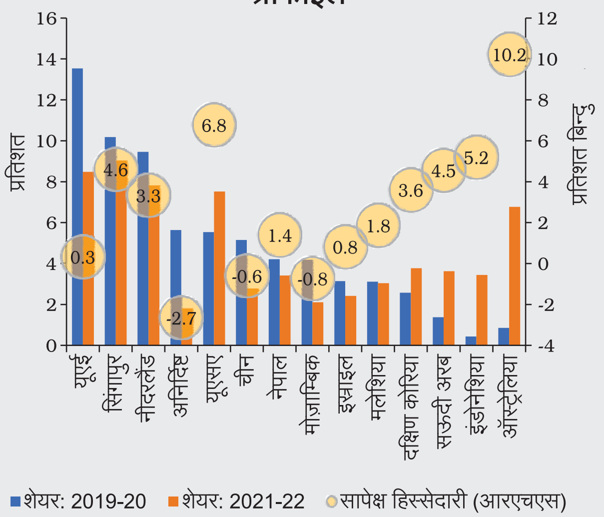

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ गणनाएं

बाजार, अमेरिका से मजबूत मांग से प्रेरित थी। दूसरी ओर, यूएई को निर्यात महामारी पूर्व स्तरों के लगभग 50 प्रतिशत पर बना हुआ है (चार्ट II.6.8ए और II.6.8बी)।

II.6.13 विश्व स्तर पर, सेमीकंडक्टरों की मांग का 11 प्रतिशत हिस्सा आटोमोटिव उद्योग से आता है। यद्यपि 2021-22 के दौरान भारत से ऑटोमोटिव निर्यात में 2019-20 (महामारी-पूर्व) की तुलना में 17.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टरों की लगातार बनी रही कमी के कारण उत्पादन में कटौती की गई और कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा (चार्ट II.6.9ए और III 6.9 बी)।

II.6.14 वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रमुख बाधा पोत-परिवहन उद्योग में व्यवधान है, जो समुद्री लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करता है। 34 अलग-अलग व्यापार लेन और 60 से अधिक मालवाहकों वाहक को कवर करने वाले जहाजों की समय-सारणी विश्वसनीयता महामारी- पूर्व समय (2019-20) में 76.5 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में औसतन 35.0 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, जहाजों के आवागमन में वैश्विक औसत देरी महामारी से पहले 4.3 दिनों की तुलना में 2021-22 के दौरान 7.1 दिनों की थी। दी फ्रेटोस बाल्टिक ग्लोबल कंटेनर इंडेक्स, जो 12 वैश्विक व्यापार लेन में महासागर कंटेनर परिवहन

कीमत प्रतिस्पर्धा से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है (चार्ट II.6.7 ए और चार्ट II.6.7 बी)।

II.6.12 रत्न और आभूषण निर्यात, जिसमें जो पिछले चार वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है, वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह बहाली मोतियों और कीमती पत्थरों के निर्यात और भारतीय हीरों के सबसे बड़े निर्यात

चार्ट II.6.7: कृषि निर्यात वृद्धि की संरचना

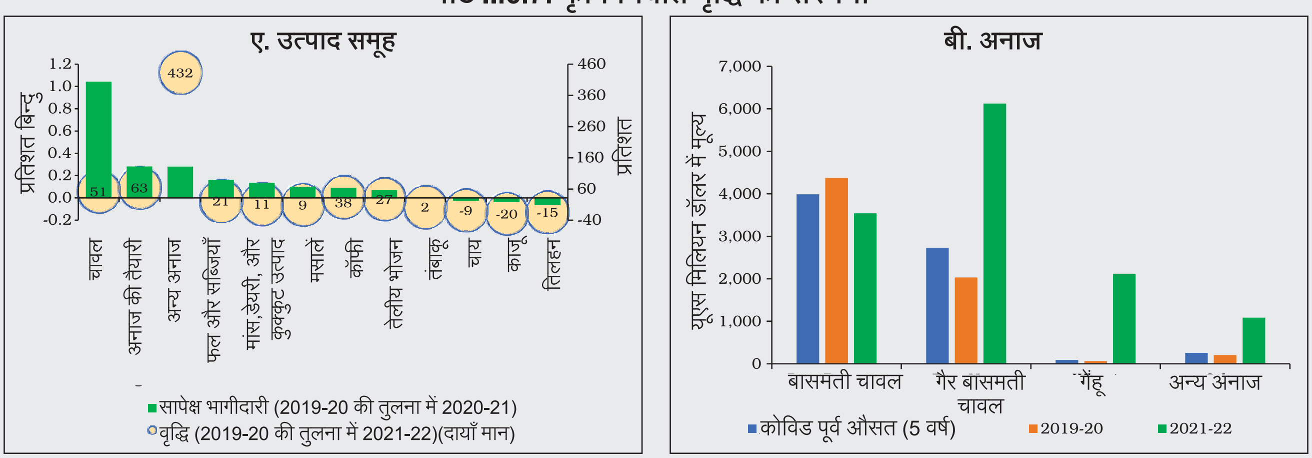

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई स्टाफ गणनाएं

चार्ट II.6.8: रत्न और आभूषण निर्यात

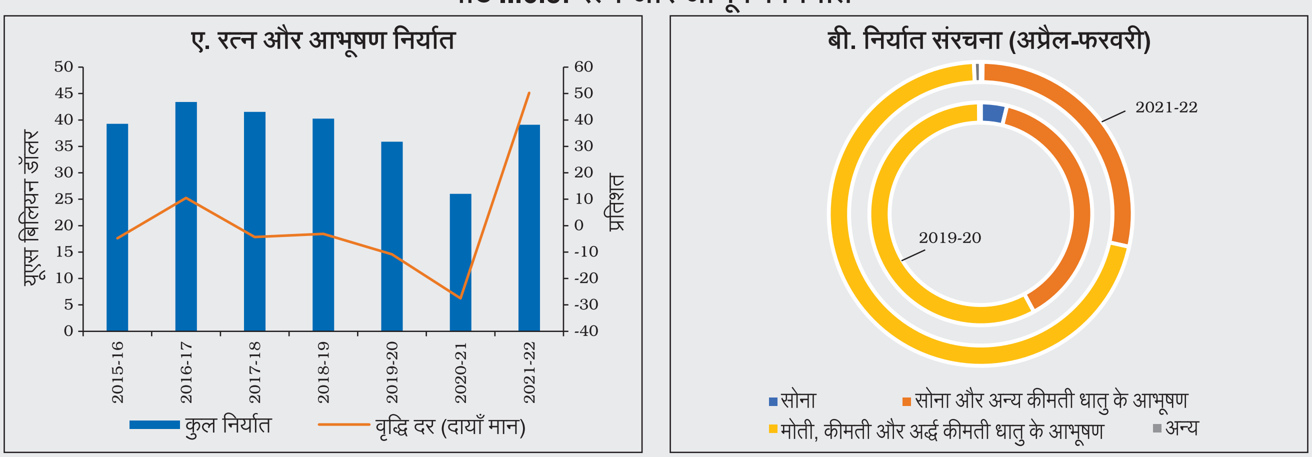

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

स्थान को दर्शाता है, अक्तूबर 2021 में अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और महामारी- पूर्व के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है।

II.6.15 पण्य आयात में व्यापक आधार पर विस्तार देखा गया, जो मजबूत घरेलू मांग के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड़-पूर्व स्तरों को 28.9 प्रतिशत से पार करता हुआ 611.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। मात्रा के संदर्भ में, वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड़-पूर्व स्तरों की तुलना में पण्य आयात में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अलग-अलग स्तर पर देखें तो पीओएल आयात का प्रमुख घटक था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना थे (चार्ट II.6.10ए और II.6.10बी)।

II.6.16 हाल ही में, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें, जिनमें रूस-यूक्रेन संकट के बीच अस्थिरता बनी रही, 31 मार्च 2022 को अपने हाल ही (8 मार्च 2022) के उच्च स्तर 128 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक कम हो गईं साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा दर में वृद्धि की उम्मीद और चीन में हाल ही में कोविड़-19 के प्रकोप ने तेल की मांग को कम कर दिया। स्रोत-वार, इराक और सऊदी अरब

चार्ट II.6.9: ऑटोमोटिव सेक्टर पर सेमीकंडक्टर की कमी का प्रभाव

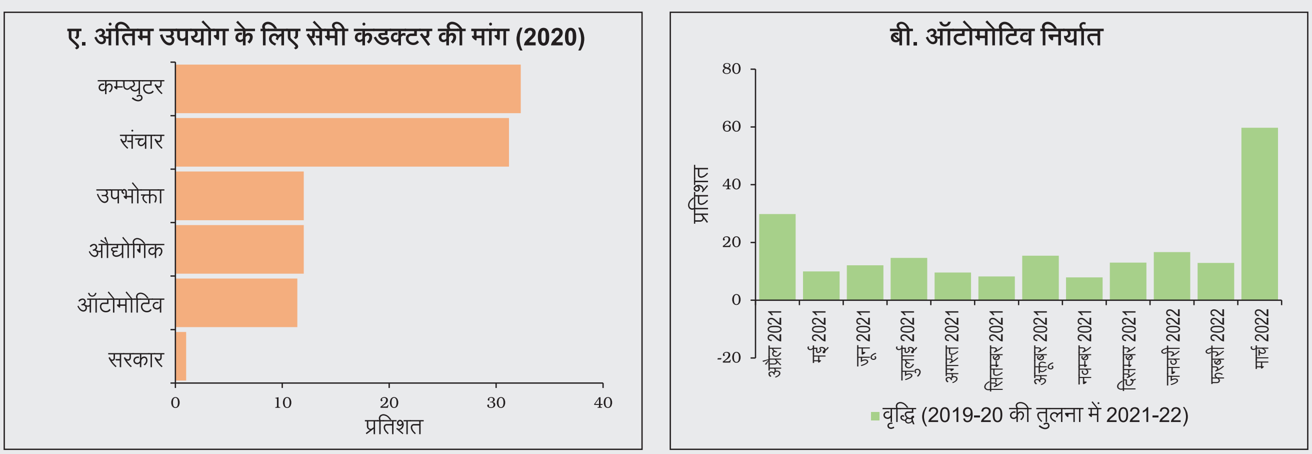

स्रोत: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन और सीईआईसी।

चार्ट II.6.10: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान

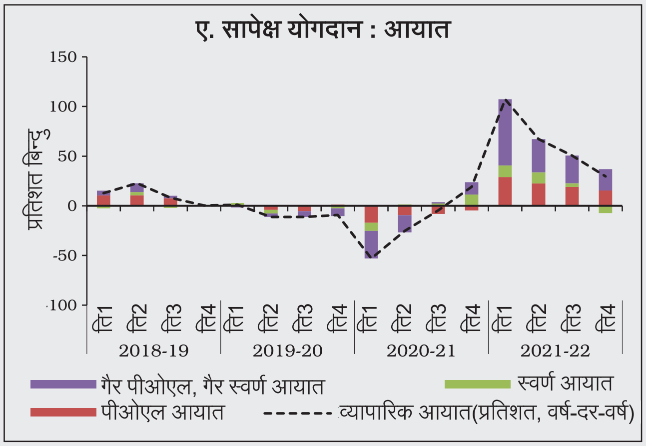

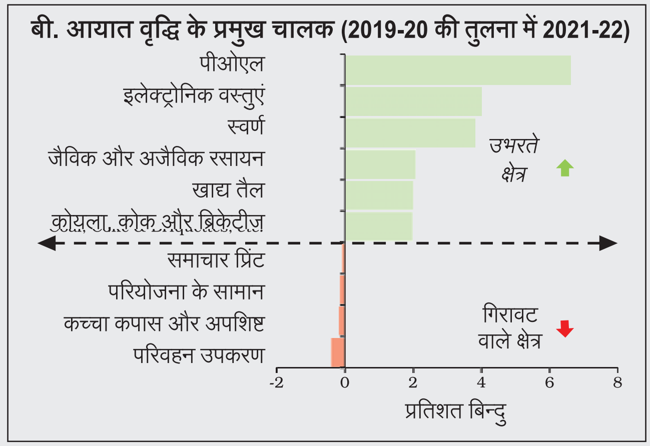

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस डेटा पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

भारत के लिए कच्चे तेल के आयात का प्रमुख स्रोत बने रहे। पीओएल के लिए भारत की आयात टोकरी का विविधीकरण वर्ष 2021-22 के दौरान हुआ, जो आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के लिए एक सोचे-समझे नीतिगत उपाय को दर्शाता है (चार्ट II.6.11ए और II.6.11बी)।

II.6.17 वर्ष 2021-22 में भारत का 46.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सोने का आयात कोविड़-पूर्व स्तरों से अधिक हो गया। मात्रा के संदर्भ में, कोविड़ -19 मामलों में गिरावट, टीकाकरण अभियान में तेजी के बाद प्रतिबंधों में ढील और त्योहार/शादी की मांग के कारण जुलाई 2021 से मांग में वृद्धि हुई है (चार्ट II.6.12)। यद्यपि जनवरी 2022 से बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति की आशंकाओं के बीच सोने के आयात में गिरावट आई। मार्च 2022 में सोने की कीमतों में गिरावट 1 प्रतिशत ही रही जो प्रति ट्रॉय आउंस 1,947 अमेरिकी डालर थी जो अगस्त 2020 में अब तक की रिकार्ड ऊंचाई प्रति ट्रॉय आउंस 1968 अमेरिकी डालर थी।

II.6.18 भारत अपने कुल सोने के आयात का लगभग 10 प्रतिशत यूएई से आयात करता है, जिसके एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के सफल कार्यान्वयन के मद्देनजर बढ़ने की संभावना है।

चार्ट II.6.11: भारत के तेल आयात की गति की आयात मात्रा

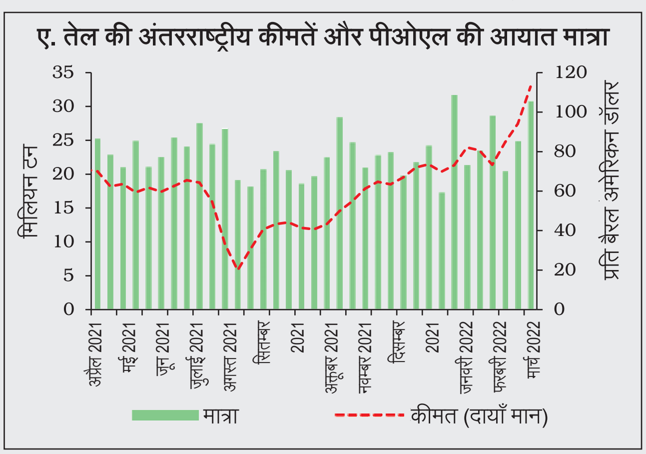

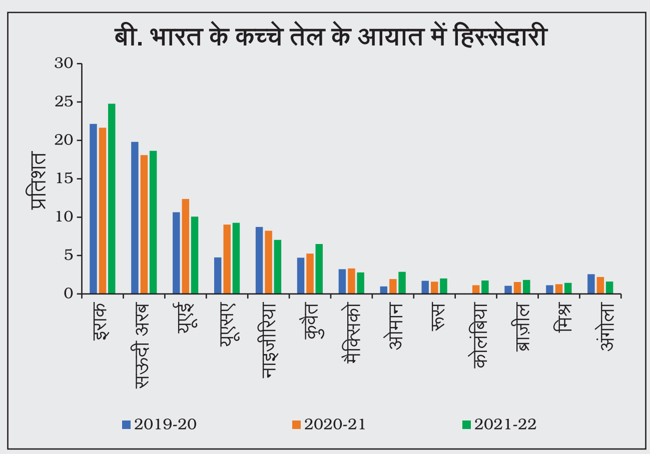

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.6.12: भारत मे आयातित सोने की मात्रा

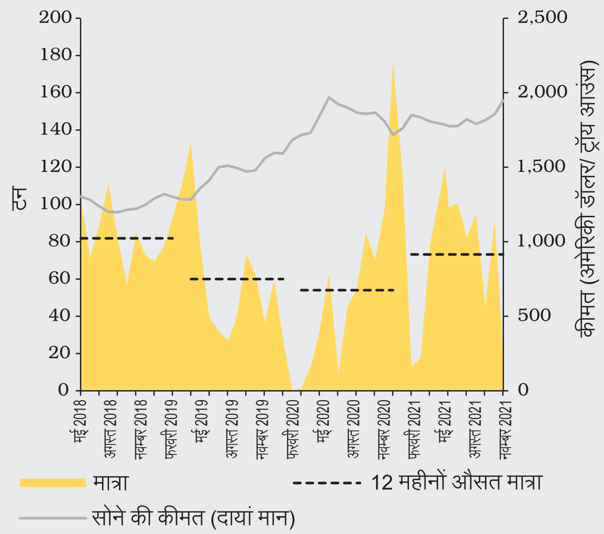

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पर आधारित गणनाएं

II.6.19 गैर-तेल गैर-सोने के आयात में वर्ष 2021-22 में मजबूत वृद्धि देखी गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.1 प्रतिशत और महामारी-पूर्व स्तरों पर 28.0 प्रतिशत बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों, वनस्पति तेल, जैविक और अकार्बनिक रसायनों और कोयला, कोक तथा ब्रिकेट जैसे क्षेत्रों ने गैर-तेल गैर-सोने के आयात की वृद्धि में योगदान दिया।

II.6.20 भारत वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। आयात बिल वर्ष 2019-20 में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान 19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो आयात लागत में वृद्धि को दर्शाता है। संरचना-वार, पाम तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, और कुल खाद्य तेल में इसका हिस्सा 62.0 प्रतिशत है। मलेशिया[34] जैसे प्रमुख पाम तेल आपूर्तिकर्ताओं में प्रवासी श्रमिकों की तंग स्थिति और इंडोनेशिया[35] में पाम तेल पर निर्यात लेवी में वृद्धि के कारण पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उच्च बनी रहीं। भारत सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया और मुद्रास्फीति के दबाव[36] को कम करने के लिए जमाखोरी से बचने के लिए स्टॉक सीमा लगाई।

II.6.21 मोती और कीमती पत्थरों का आयात, जिसमें 2020 के अंत में बहाली देखी गई थी उसमें वर्ष 2021 में और मजबूती देखनें की मिली क्योंकि इस अवधि में रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्यात की मांग में तेजी आयी थी। वर्ष 2021-22 के दौरान 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मोती और कीमती पत्थरों के आयात में महामारी से पहले के स्तर पर 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का लगभग दो-तिहाई गैर-औद्योगिक हीरे (60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला सबसे बड़ा घटक) द्वारा संचालित था। यूएई, यूएसए और बेल्जियम आयात के प्रमुख स्रोत बने रहे (चार्ट II.6.13ए और II.6.13बी)।

II.6.22 वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी-पूर्व के स्तर से भारत के उर्वरक आयात ने भी मूल्य की दृष्टि से वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में 89.7 प्रतिशत तथा मात्रा के संदर्भ में 3.2 प्रतिशत) दर्ज की, जो उर्वरक की वैश्विक कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। भारत के उर्वरक आयात का प्रमुख घटक यूरिया (40.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ) की वैश्विक कीमतों में, 2021-22 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 124.1 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि देखी गई।

II.6.23 पूंजीगत वस्तुओं का आयात, जो कि भारत के कुल आयात में एक-चौथाई से अधिक का योगदान देता है, महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 15.6

34 तिलहन, तेल और मासिक कीमत की अद्यतन जानकारी, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र (दिसंबर 2021)।

35 तिलहन: विश्व बाजार और व्यापार, संयुक्त राज्य कृषि विभाग (यूएसडीए) [दिसंबर 2021]।

36 उदाहरण के लिए 23 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कच्चे पाम/सोयाबीन/सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य; रिफाइंड सोयाबीन/सूरजमुखी तेल पर 32.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक; और रिफाइंड पाम तेल पर 17.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक कर दिया गया है। https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808668.

चार्ट II.6.13: मोती और कीमती पत्थर आयात

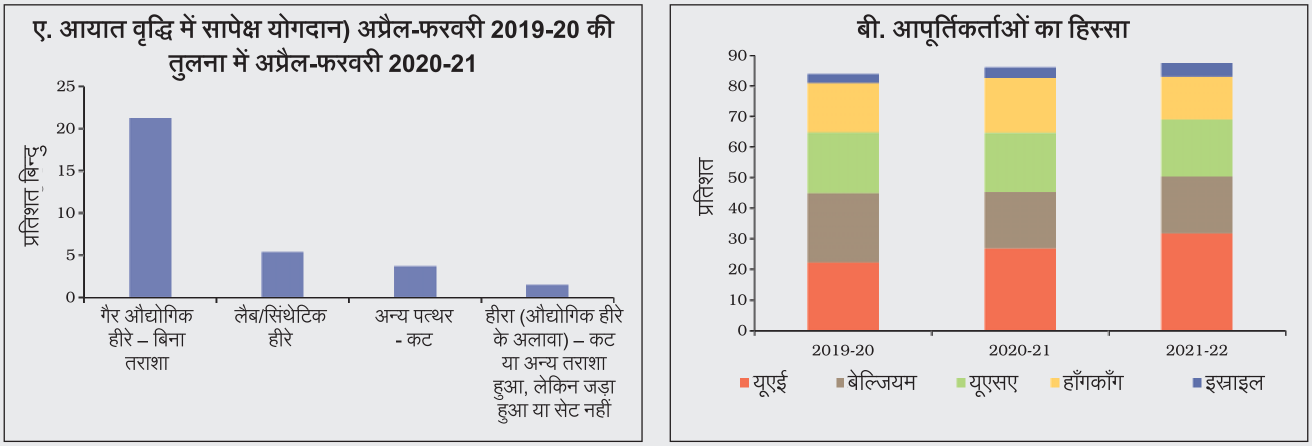

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और एमओसीआईएंडआई के डेटा पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

प्रतिशत तक बढ़ा, जो निवेश की मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा योगदान था (चार्ट II.6.14)।

II.6.24 इन गतिविधियों का प्रभाव यह रहा कि भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 190.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान 161.4 बिलियन

चार्ट II.6.14: पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि का सापेक्ष योगदान (कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में वर्ष 2021-22 में)

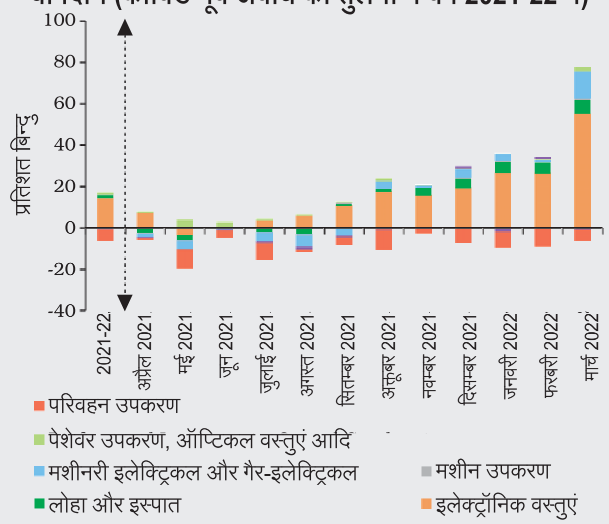

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस पर आधारित गणनाएं

अमेरिकी डॉलर था, जिसमें तेल की कमी कुल घाटे का आधा हिस्सा थी (चार्ट II.6.15ए)। द्विपक्षीय आधार पर, चीन के साथ व्यापार घाटा और बढ़ा जबकि यूएसए और बांग्लादेश के साथ व्यापार अधिशेष में काफी विस्तार हुआ (चार्ट II.6.15बी)।

4. अदृश्य मदें

II.6.25 अप्रैल – दिसंबर 2021-22 के दौरान अदृश्य मदों से निवल प्राप्तियां, सीमा पार सेवाओं, आय और हस्तांतरण के लेन-देन में आघात-सहनीयता देखने को मिली है (चार्ट II.6.16)। जबकि वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के बाद से सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात की मांग क्रमिक रूप से बढ़ी है तथा विप्रेषण प्राप्तियां भी मजबूत बनी हुई हैं। इसके अलावा, निवल निवेश आय बहिर्वाह में वृद्धि के बाद प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में मामूली वृद्धि हुई।

II.6.26 सेवाओं में वैश्विक व्यापार में सुधार के साथ-साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर निर्यात में, इसके बाद व्यापार और परिवहन सेवाओं में वृद्धि के कारण सेवा निर्यात आघात-सह रहा (चार्ट II.6.17)।

चार्ट II.6.15: भारत का पण्य व्यापार घाटा

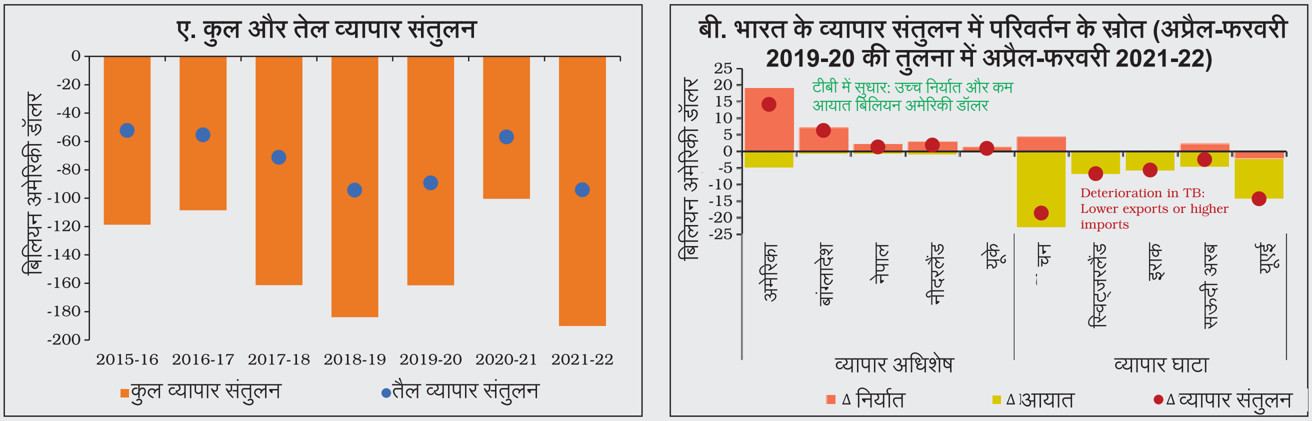

टिप्पणी: एक सकारात्मक Δ का तात्पर्य कम आयात और इसका विपरीत भी सत्य। टीबी: व्यापार संतुलन
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

II.6.27 भारत के कुल सेवाओं के निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। यात्रा और परिवहन सेवाएं, जो महामारी के कारण बहुत प्रभावित थीं, ने कम सुधार दिखाया (चार्ट II.6.18ए और II.6.18बी)।

II.6.28 वर्ष 2021-22 की पहली छमाही तक भारत को विप्रेषण महामारी-पूर्व के स्तर तक आ गया (चार्ट II.6.19ए)। सितंबर 2021 में, रिज़र्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपनी तेज़ भुगतान प्रणाली, जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाओ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की औसत लागत वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 5.51 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से उच्चतम)

चार्ट II.6.16: भारत के सेवा निर्यात की संरचना

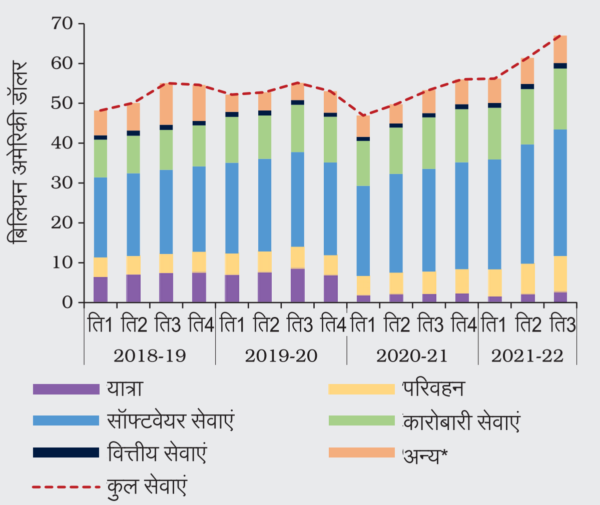

*: इसमें संचार सेवाएं शामिल हैं और सरकार कहीं शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.6.17: देश-वार सेवाओं का निर्यात

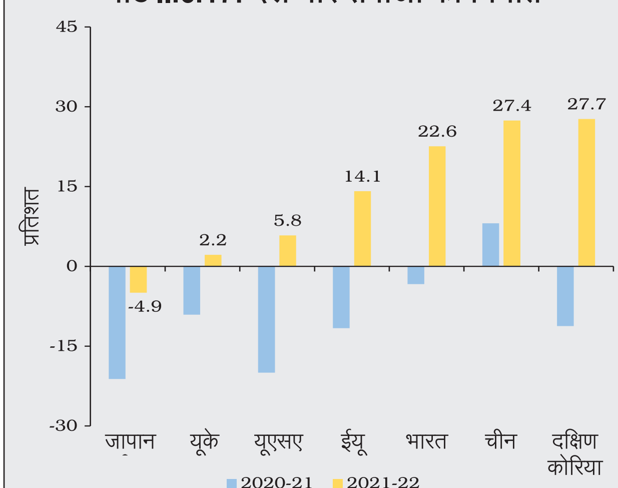

*: 2021-22 के आंकड़े भारत को छोड़कर अप्रैल-फरवरी से संबंधित हैं। 2021-22 के लिए भारत से संबंधित आंकड़े पूरे वर्ष के लिए है, जिसमें जनवरी-मार्च 2022 के लिए अनंतिम आंकड़े भी शामिल हैं।
स्रोत: डब्ल्यूटीओ और आरबीआई

चार्ट II.6.18ए: प्रमुख यात्रा गंतव्यों में यात्रा प्राप्तियां

चार्ट II.6.18बी: प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवहन प्राप्तियां

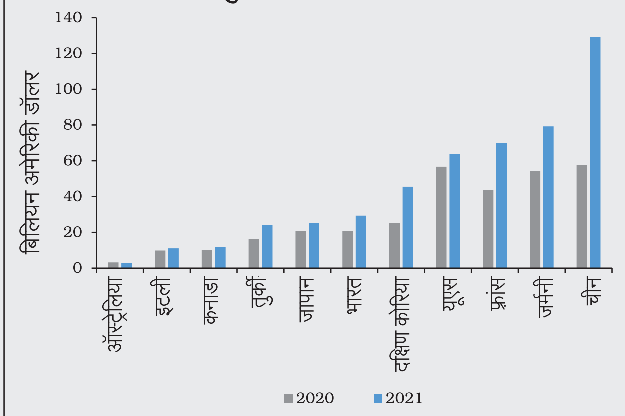

स्रोत: डब्ल्यूटीओ और आरबीआई

से घटकर वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 4.94 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान भारत वैश्विक विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा (चार्ट II.6.19बी)।

II.6.29 आय लेखा के तहत, सीमा पार निवेश पर आय से संबंधित प्राप्तियां और भुगतान और कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति जो घरेलू निवासी संस्थाएं शेष विश्व से अर्जित (या भुगतान) करती हैं, एक साल पहले की तुलना में अधिक थीं।

II.6.30 घरेलू मांग में सुधार और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, भारत के चालू खाते की शेष राशि में अप्रैल-दिसंबर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले यह अधिशेष का 1.7 प्रतिशत था (चार्ट II। 6.20ए)। वर्ष के भीतर देखें तो वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत के अधिशेष के बाद वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में घाटा दर्ज किया गया । कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बढ़ते व्यापार घाटे और निवेश

चार्ट II.6.19ए: भारत में आवक विप्रेषण

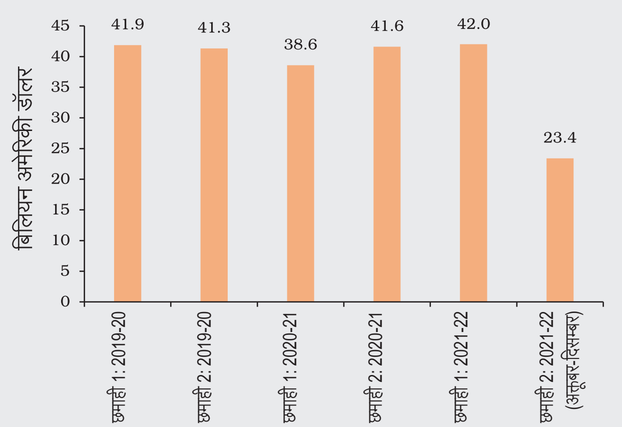

चार्ट II.6.19बी: प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में आवक विप्रेषण

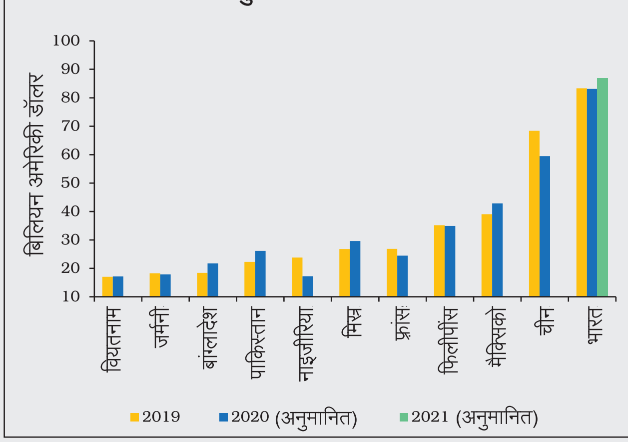

स्रोत: आरबीआई और वर्ल्ड बैंक।

चार्ट II.6.20ए: भारत के चालू खाता घाटे की संरचना

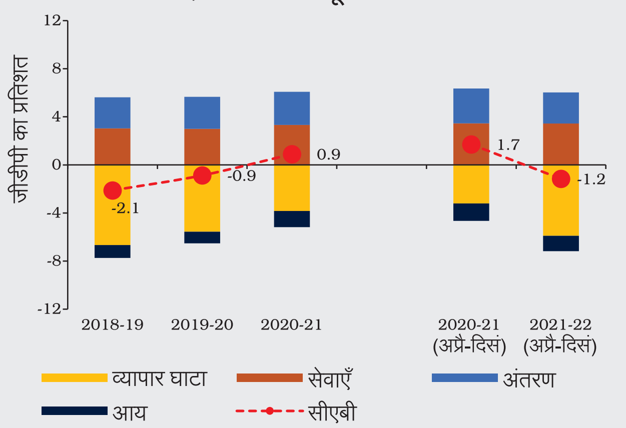

चार्ट II.6.20बी: वृद्धिशील चालू खाता शेष के स्त्रोत

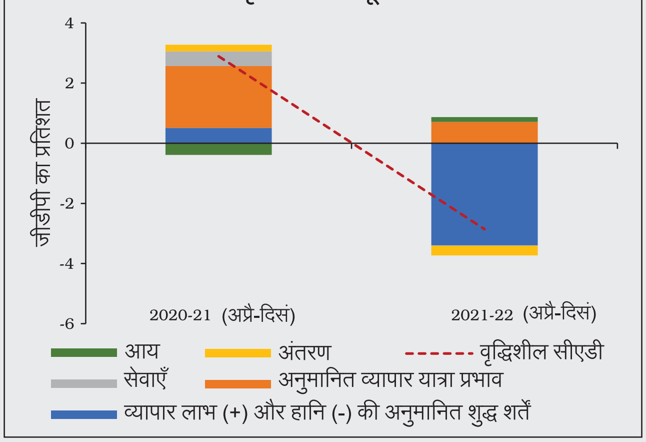

स्रोत: आरबीआई और आईएमएफ़।

आय के निवल व्यय में वृद्धि के कारण व्यापार की नकारात्मक शुद्ध शर्तों ने अप्रैल-दिसंबर 2021-22 (चार्ट II.6.20बी) में चालू खाता घाटे में योगदान दिया।

II.6.31 कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों से प्रेरित वैश्विक मुद्रास्फीति में उछाल, भारत सहित अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख नीतिगत चुनौती के रूप में उभरा है, जिससे स्थानीय मुद्राओं के वास्तविक अधिमूल्यन के माध्यम से बाह्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संभवतः कम हो रही है।

5. बाह्य वित्तपोषण

II.6.32 चालू खाते के घाटे के मध्यम स्तर को देखते हुए वर्ष 2021-22 में भारत की बाहरी वित्तीय जरूरतें मामूली थीं। वित्तीय प्रवाह के प्रमुख घटकों में, शुद्ध एफडीआई मजबूत रहा, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। इसके अलावा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), व्यापार ऋण और बैंकिंग पूंजी के रूप में ऋणों में निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। मजबूत शुद्ध पूंजी प्रवाह के बीच, अप्रैल-दिसंबर 2021 में भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई (मूल्यांकन परिवर्तन को छोड़कर) [चार्ट II.6.21 और परिशिष्ट सारणी 8]।

II.6.33 पूंजी प्रवाह में वर्ष 2021-22 के दौरान एफडीआई का प्रभुत्व था, हालांकि इस अवधि के दौरान बाहरी एफडीआई में वृद्धि हुई थी (सारणी II.6.2)। वर्ष के दौरान, पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों, तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों और दूरसंचार

चार्ट II.6.21: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण

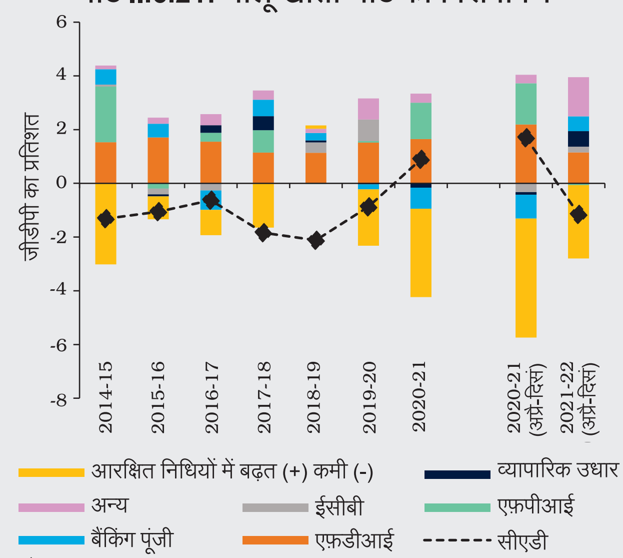

स्रोत: आरबीआई

सारणी II.6.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर $)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. निवल एफ़डीआई (1.1-1.2)	30.7	43.0	44.0	39.3
1.1 निवल आवक एफ़डीआई (1.1.1-1.1.2)	43.3	56.0	54.9	55.0
1.1.1 सकल अंतर्वाह	62.0	74.4	82.0	83.6
1.1.2 प्रत्यावर्तन/ विनिवेश	18.7	18.4	27.0	28.6
1.2 निवल जावक एफ़डीआई	12.6	13.0	11.0	15.7

स्रोत: आरबीआई

सेवाओं सहित चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई के लिए नीतिगत मानदंडों में और ढील दी गई। जबकि वर्ष 2021-22 में सकल आवक एफडीआई 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले के अपने स्तर के बराबर था, निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक शून्य से निवल जावक) 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो एक साल पहले 44.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। शीर्ष एफडीआई निवेशक देश सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी का 76 प्रतिशत योगदान दिया (चार्ट II.6.22)। क्षेत्र-वार बात करें तो, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं और वित्तीय सेवाओं सहित

चार्ट II.6.22: एफ़डीआई का स्रोत देश-वार अंतर्वाह (इक्विटी)

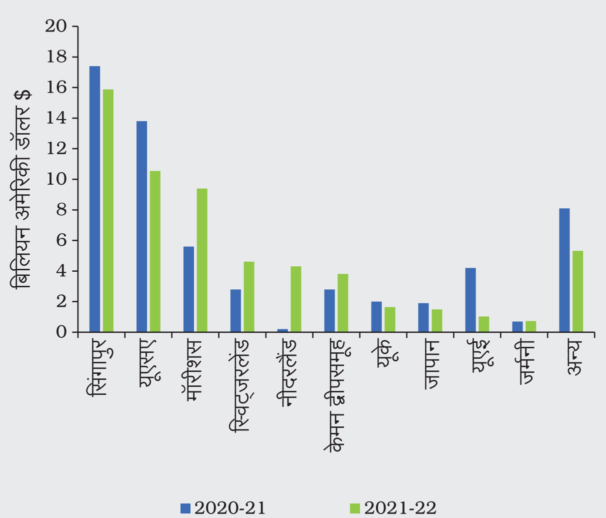

स्रोत: आरबीआई

सेवा क्षेत्र वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में एफडीआई इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा था, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र, खुदरा और थोक व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान और विकास(आरएंडडी) का स्थान आता है। (परिशिष्ट सारणी 9)।

II.6.34 वर्ष के दौरान भारत से उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मुख्य रूप से सिंगापुर, यूएस, यूके, मॉरीशस, नीदरलैंड और फिलीपींस जैसे गंतव्यों के लिए था। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार तथा रेस्तरां और होटल वर्ष के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

II.6.35 एफडीआई प्रवाह के विपरीत, निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड शुद्ध प्रवाह के बाद घट गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान शुद्ध खरीदारी करने के बाद, एफपीआई में दूसरी छमाही में, मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट, से निकासी शुरू हो गई (चार्ट II.6.23)।

II.6.36 वर्ष 2021-22 के दौरान इक्विटी बाजार में एफपीआई के निवेश मार्ग के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज चैनल ने उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की। हालांकि, एफपीआई ने प्राथमिक बाजार खंड में अपनी निवेश रुचि को बनाए रखा (चार्ट II.6.24)। वास्तव में, एफपीआई द्वारा प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा अक्तूबर-नवंबर की अवधि के दौरान द्वितीयक से प्राथमिक बाजारों में बदल दिया गया था, जब अधिक मूल्य के प्रारंभिक सार्वजनिक

चार्ट II.6.23: भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह

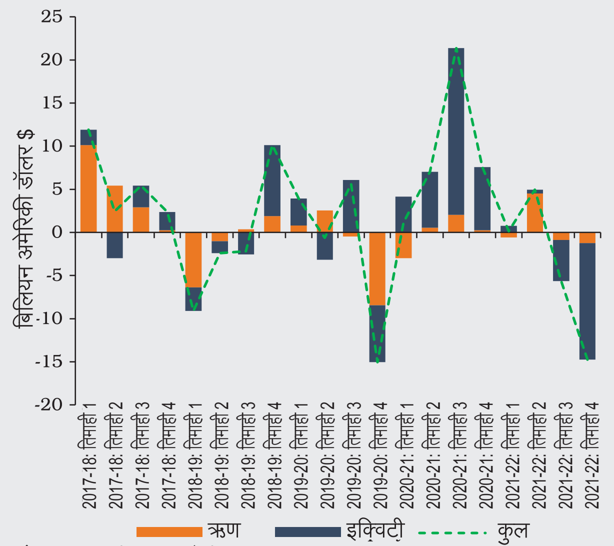

स्रोत: एनएसडीएल एवं सेबी

प्रस्ताव (आईपीओ) के मुद्दे पूंजी बाजार में आए थे। एफपीआई को मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) या स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आईएनवीआईटीएस) और रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को हासिल करने की अनुमति दी गई।

II.6.37 इक्विटी बाजार में एफपीआई प्रवाह का लगभग 74 प्रतिशत शीर्ष पांच क्षेत्रों, यथा तेल और गैस (22.3 प्रतिशत), सॉफ्टवेयर और सेवाएं (21.4 प्रतिशत), उपयोगी वस्तुएं (16.2 प्रतिशत), धातु और खनन (8.2 प्रतिशत) तथा दूरसंचार सेवाओं (5.5 प्रतिशत) में दर्ज किया गया। [चार्ट II.6.25]। वर्ष के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा निवल खरीद के मामूली स्तर के बावजूद, निवेश सीमा (सामान्य मार्ग) का कम उपयोग किया गया। 31 मार्च, 2022 तक, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में केवल 26.3 प्रतिशत सीमा का उपयोग किया गया (मार्च 2021 के अंत में 33.7 प्रतिशत), जबकि एसडीएल के लिए उपयोग दर एक प्रतिशत पर रही जो बेहद कम थी। इसके विपरीत, वीआरआर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2022 से उसके लिए निवेश सीमा ₹1,00,000 करोड़ बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ कर दी गई। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के कुल मूल्य में से फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) के तहत बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोला गया, 31 मार्च, 2022 तक एफपीआई के पास 2.6 प्रतिशत हिस्सा था। कॉरपोरेट बॉन्ड सेगमेंट में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट रेटिंग में कंपनियों के डाउनग्रेड और

चार्ट II.6.24: इक्विटी मार्केट में निवेश मार्ग-वार एफपीआई

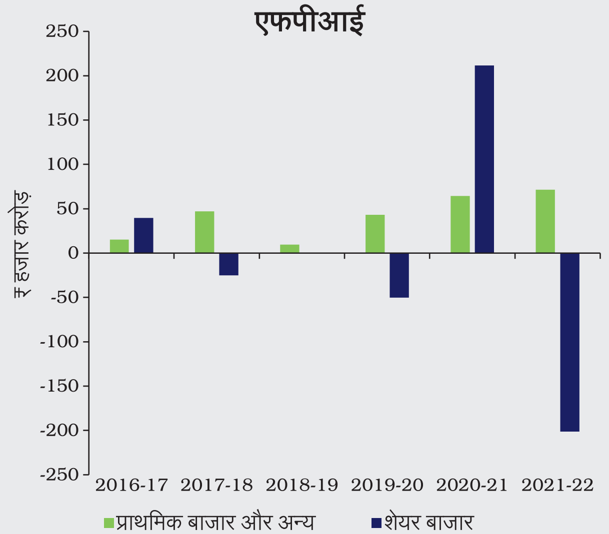

स्रोत: एनएसडीएल

चार्ट II.6.25: इक्विटी बाजार में एफ़पीआई के प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र

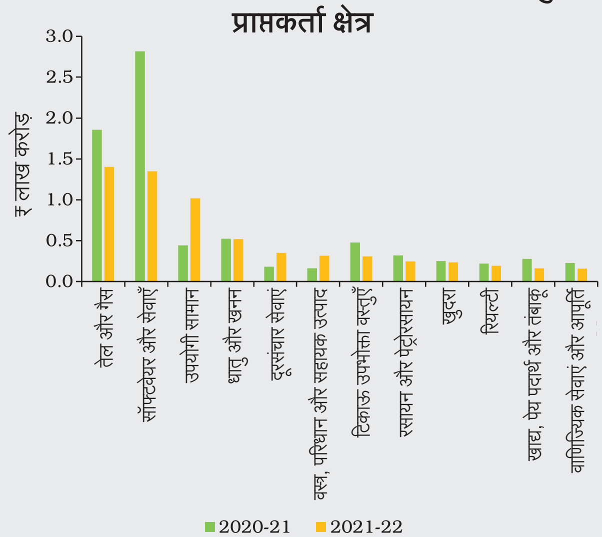

स्रोत: एनएसडीएल

चार्ट II.6.26: भारत का बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल)

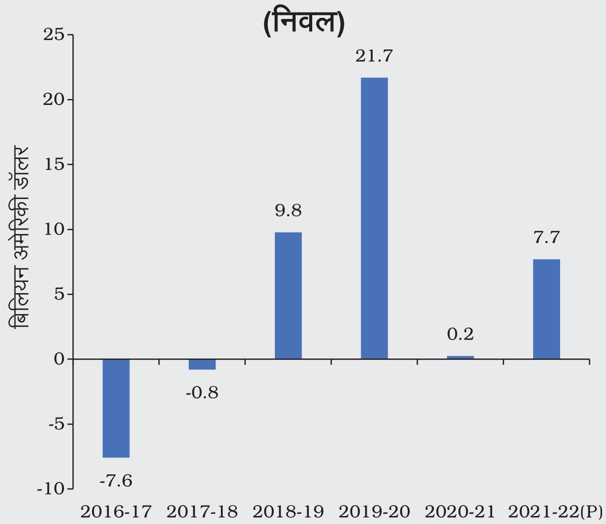

पी: अनंतिम

स्रोत: आरबीआई

चार्ट II.6.27: वर्ष 2021-22 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार के अंतिम उपयोग

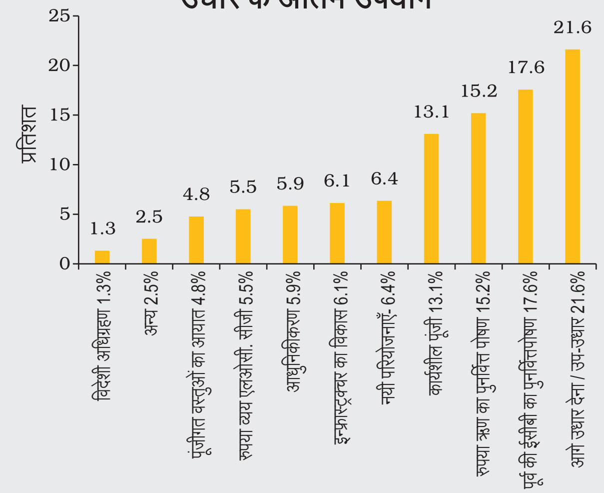

एलओसी. सीजी: स्थानीय पूंजी वस्तुएं

स्रोत: आरबीआई

अमेरिका में प्रतिफल दरों में वृद्धि के कारण एफपीआई का ब्याज कम रहा। कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई सीमा का लगभग 20.0 प्रतिशत (समग्र संदर्भ में) 31 मार्च, 2022 तक उपयोग में लाया गया था, जो मार्च 2021 के अंत की तुलना में 24.5 प्रतिशत कम था।

II.6.38 ईसीबी ने वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीबी करारों की संख्या और करार की राशि दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.6.26) । नीतिगत उपायों के संदर्भ में, सावधि जमा में अप्रयुक्त ईसीबी आय की पार्किंग के लिए छूट को 1 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त , लिबोर को बंद करने तथा लिबोर और वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) के बीच क्रेडिट जोखिम और टर्म प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, नई विदेशी मुद्रा विदेशी उधारी और व्यापार ऋण लेनदेन के लिए समग्र लागत सीमा को बेंचमार्क दरों से क्रमशः 50 बीपीएस बढ़ाकर 500 बीपीएस और 300 बीपीएस कर दिया गया।

II.6.39 पहले के उधारों की अदायगी के अलावा, संवितरणों का उपयोग बड़े पैमाने पर उधारी/उप-उधारी, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त, रुपया के ऋणों के पुनर्वित्त, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, नई परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था (चार्ट II.6.27)। ईसीबी की बात करें तो रुपये में मूल्यवर्धित ऋण और रुपये मूल्यवर्धित बांड (आरडीबी) की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के दौरान कुल करार राशि का 8.4 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 6.0 प्रतिशत था। इसके अलावा, हेज किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की हिस्सेदारी वर्ष के दौरान 51.6 प्रतिशत रही, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 51.3 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है।

II.6.40 आयात में सुधार के अनुरूप ही वर्ष के दौरान अल्पावधि व्यापार ऋण में भी वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2021-22 में अल्पावधि ऋण का निवल अंतर्वाह 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले यह बहिर्वाह1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लगभग 35 प्रतिशत व्यापार ऋण कच्चे तेल, सोना, कोयला और तांबे के आयात के लिए जुटाया गया था।

II.6.41 अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमाराशियां, जो कुल बकाया अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों का लगभग 72 प्रतिशत थीं, ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह देखा जो कि एक साल पहले के 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी कम है (सारणी II.6.3)। एफसीएनआर (बी) खातों से मोचन और एनआरई

सारणी: II.6.3: अनिवासी जमाखातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर $)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	7.3	5.6	8.8	3.3
2. अनिवासी सामान्य खाता	1.9	2.0	2.3	3.5
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.1	1.1	-3.8	-3.6
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	**10.4**	**8.6**	**7.4**	**3.2**

स्रोत: आरबीआई

जमाराशियों में तेजी से आई कमी अनिवासी जमाराशियों की निवल अभिवृद्धि में हुई गिरावट में योगदान दिया। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ब्रिटेन के गैर-निवासियों द्वारा रखी गई जमाराशियों में बड़े पैमाने पर मोचन की सूचना प्राप्त हुई थी।

6. सुभेद्यता के संकेतक

II.6.42 भारत का विदेशी ऋण (जीडीपी के अनुपात के रूप में) अधिकांश उभरते बाजार समकक्षों की तुलना में कम रहा। मुख्य रूप से अगस्त 2021 में आईएमएफ द्वारा सामान्य विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आबंटन के बाद, विदेशी ऋण ने मार्च 2021 के अंत की तुलना में दिसंबर 2021 के अंत में 41.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी, 7.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की; हालांकि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह इसी अवधि के दौरान 21.1 प्रतिशत से घटकर 20.0 प्रतिशत हो गया (सारणी II.6.4)। 36.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद अनिवासी जमा (23.1 प्रतिशत) और अल्पावधि व्यापार ऋण (18.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ने आरक्षित पर्याप्तता संकेतकों में सुधार को प्रेरित किया। यह बाहरी जोखिमों और स्पिलओवर को कम करने के लिए अच्छा संकेत है। मार्च 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित 10 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

सारणी II.6.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	2013	2020	2021	दिसं-अंत 2021
1	2	3	4	5
1. जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज	22.4	20.9	21.2	20.0
2. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	19.1	17.6	18.6
3. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	42.4	44.1	44.4
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	8.8	9.0	8.2
5. कुल कर्ज की तुलना में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	85.6	100.6	103.0
6. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	22.4	17.5	18.1
7. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	49.6	43.8	43.1
8. आयात का आरक्षित कवर (महीनों में) *	7.0	12.0	17.4	13.1
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में कर्ज चुकौती)	5.9	6.5	8.2	4.9
10. विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर $)	409.4	558.3	573.7	614.9
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर $)	-326.7	-375.4	-355.3	-357.9
12. एनआईआईपी/ जीडीपी अनुपात	-17.8	-14.1	-13.2	-11.7
13. सीएबी /जीडीपी अनुपात	-4.8	-0.9	0.9	-1.2

***:** भुगतान संतुलन के आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के व्यापारिक सामानों के आयात पर आधारित

टिप्पणी: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2021 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार

II.6.43 मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 607.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसे अगस्त 2021 में आईएमएफ के सामान्य एसडीआर आबंटन से भारत को एसडीआर 12.57 बिलियन प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 में भारत का आरक्षित निधि संग्रहण (मूल्यांकन परिवर्तन को लेकर) 30.3 बिलियन अमेरिकी डालर था।

7. निष्कर्ष

II.6.44 आने वाले समय में, भारत के बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों से भरे रहने की संभावना है। उत्तरार्द्ध के अंतर्गत, निर्यात, जिसने विषम व्यापार वातावरण में आघात-सहनीयता दिखाई है, को और मजबूती मिल सकती है क्योंकि बाहरी मांग और कीमतों की स्थिति भू-राजनीतिक तनाव के कम होने के साथ अनुकूल हो सकती है। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू नीतिगत उपायों को भी महत्त्व दिया गया है। अधोगामी जोखिम प्रमुख एई और ईएमई में विकास की संभावित धीमी गति, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और तनावपूर्ण भू-राजनीतिक वातावरण में आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों से उत्पन्न होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वजह से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति भी उभरते बाजारों में वित्तीय स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी, बाह्य सुभेद्यता संकेतक मजबूती की ओर इशारा करते हैं और घरेलू समष्टि-आर्थिक बुनियादी बातों को मजबूत करने से अर्थव्यवस्था को संभावित प्रतिकूल समष्टि वैश्विक - वित्तीय आघातों से निपटने में मदद मिलेगी।

भाग दो : भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और परिचालन

III मौद्रिक नीति परिचालन

2021-22 में संवृद्धि को टिकाऊ आधार पर पुनर्जीवित करने और उसे गतिशील बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति का संचरण हुआ ताकि अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम और साथ ही, आगे बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखा जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस रुख के अनुरूप अधिशेष चलनिधि बनाए रखी। वर्ष के दौरान अधिशेष चलनिधि की मदद और ऋण मूल्य निर्धारण के लिए बाहरी बेंचमार्क-आधारित व्यवस्था अपनाने से मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ।

III.1 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.6 प्रतिशत के तीव्र संकुचन और 2021-22 में असमान और भंगुर सुधारों की पृष्ठभूमि में पहली तिमाही में महामारी की दूसरी लहर और दिसंबर 2021 के अंत में शुरू हुई तीसरी लहर के कारण संवृद्धि बाधित हुई और मौद्रिक नीति का संचालन चुनौतीपूर्ण रहा। मांग में काफी सुस्ती आने के बावजूद खाद्य कीमतों की तेजी से रुक-रुक कर आने वाले मुद्रास्फीतिक दबावों, घरेलू और वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों और वैश्विक स्पिलओवरों के इर्द-गिर्द आयातित मुद्रास्फीति ने समायोजी रूख के अनुसरण में मौद्रिक नीति निर्धारण को जटिल बना दिया। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने इन आपूर्ति आघातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया और 2021-22 के दौरान नीतिगत रेपो दर को अपरिवर्तित बनाए रखा। एमपीसी ने वर्ष के दौरान अपने स्थिति-सापेक्ष रुख को बनाए रखने का भी फैसला किया।

III.2 रिज़र्व बैंक ने इस रुख के अनुरूप बैंकिंग प्रणाली में प्रचुर चलनिधि बनाए रखी। एक द्वितीयक बाजार जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) लागू किया गया था ताकि प्रतिफल वक्र को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके और सभी प्रकार की वित्तीय लिखितों में मौद्रिक संचरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। महामारी की दूसरी लहर से तबाह हुए क्षेत्रों जैसे संपर्क-गहन सेवाओं, स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और अन्य असंगठित क्षेत्र के निकायों को ध्यान में रखते हुए चलनिधि उपायों को भी लागू किया गया। जैसे-जैसे वित्तीय स्थितियां सहज हुईं, फरवरी 2020 में बनाए गए संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को, शनैः-शनैः चलनिधि के पुन:-संतुलन के माध्यम से, असुविधा को बचाते हुए, लागू किया गया और इसमें निर्धारित दर रिवर्स रेपो परिचालनों से लेकर बाजार आधारित परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) की नीलामी करना शामिल रहा।

III.3 बाह्य बेंचमार्क से जुड़े ढांचे ने बैंकों को इन मौद्रिक नीति संकेतों के संचरण हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे बैंकों की निधि-आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) की सीमांत लागत में गिरावट आई और मौद्रिक संचरण मजबूत हुआ।

III.4 इस पृष्ठभूमि में, भाग 2 वर्ष के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियों के साथ 2021-22 के लिए निर्धारित कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है, जबकि भाग 3, 2022-23 के लिए कार्यसूची निर्धारित करता है। अंतिम भाग में समापन टिप्पणियां दी गई हैं।

2. 2021-22 के लिए कार्यसूची

III.5 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में, मौद्रिक नीति और चलनिधि प्रबंधन के संचलन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे:

- मुद्रास्फीति के सामान्य और विशिष्ट घटकों को समझना (अनुच्छेद III.6);
- उच्च आवृत्ति आंकड़ों (अनुच्छेद III.6) का उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित तात्कालिक अनुमान और पूर्वानुमान ढांचे का उन्नयन;
- मध्यावधि पूर्वानुमान और जोखिम मूल्यांकन (उत्कर्ष) [अनुच्छेद III.6] में सटीकता प्राप्त करने के लिए संवर्धित और पुन: शोधित त्रैमासिक अनुमान मॉडल (क्यूपीएम) लागू करना;
- चलनिधि पूर्वानुमान को परिष्कृत करना और चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त उपायों की खोज करना (अनुच्छेद III.6);
- भारत में क्रेडिट चक्रों के व्यवहार की जांच करना (पैराग्राफ III. 6);
- खाद्य मुद्रास्फीति के तात्कालिक अनुमान को मजबूत बनाना (अनुच्छेद III.7); और
- एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग प्रारूप (अनुच्छेद III.7) में विवरणी के माइग्रेशन द्वारा डेटा प्रबंधन में सुधार करना.

कार्यान्वयन स्थिति

III.6 क्यूपीएम- मध्यावधि पूर्वानुमानों का पता लगाने और नीतिगत परिस्थितियों को शामिल करने के लिए कार्यात्मक मॉडल- में समष्टि-आर्थिक संपर्कों और फीडबैक की गणना करते हुए पूंजी प्रवाह के साथ बाह्य क्षेत्र ब्लॉक को शामिल करके उसे और अधिक उन्नत बनाया गया। गतिशील घटकों तक पहुंच को परिष्कृत कर आधारभूत आर्थिक गतिविधि के समसामयिक मूल्यांकन के लिए तात्कालिक अनुमान को उन्नत बनाया गया। एक घटनाक्रम अध्ययन ढांचे में वित्तीय बाजारों पर खुला बाजार परिचालनों (ओएमओ) की घोषणा के प्रभावों की जांच की गई। संवृद्धि-मुद्रास्फीति अंतर, प्रतिफल-वक्र व्यवहार, मौद्रिक संचरण, क्षेत्र-विशिष्ट बैंक क्रेडिट चक्रों के चालकों और लीवरेज एवं कारपोरेट क्षेत्र में निवेश का परीक्षण किया गया ताकि मौद्रिक नीति विश्लेषण के आधार को सुदृढ़ किया जा सके।

III.7 एगमार्कनेट से डेटा का उपयोग करके वस्तुओं का एक अनुकूलित डेटा टेम्पलेट बनाया गया जो तदनुरूपी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) वस्तुओं के साथ अनुभवजन्य रूप से परीक्षित संबंधों पर आधारित था। वर्ष के दौरान एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग स्वरूप में विवरणियों का माइग्रेशन संबंधी कार्य पूरा हो गया।

प्रमुख गतिविधियां

मौद्रिक नीति

III.8 अप्रैल 2021 की शुरुआत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एमपीसी की पहली बैठक कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमणों में नए सिरे से हुयी वृद्धि की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी, जिससे मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य में अनिश्चितता बनी हुई थी। शीर्ष मुद्रास्फीति फरवरी 2021 में बढ़कर 5.0 प्रतिशत पहुंच गयी थी जबकि, जनवरी 2021 में यह 4.1 प्रतिशत थी, जिसमें अधिकांश खाद्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति द्विअंकीय थी। एमपीसी की फरवरी 2021 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के अनुमान को 10.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, जबकि यह स्वीकार किया गया कि कोविड-19 संक्रमणों में पुन: वृद्धि होने और तत्संबंधी अनिश्चितता संवृद्धि परिदृश्य के लिए जोखिम थे।

III.9 ति4:2020-21 में शीर्ष मुद्रास्फीति का अनुमान 5.0 प्रतिशत था; ति1: 2021-22 और ति2 में यह 5.2 प्रतिशत; ति4 में यह 4.4 प्रतिशत और ति4 में यह अनुमान 5.1 प्रतिशत रहा। एमपीसी ने यह नोट किया कि आपूर्ति पक्ष के दबाव बने रह सकते है, हालांकि मांग-पक्ष के जोर मध्यम बने हुए थे तथापि,

[1] एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज

केंद्र और राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर करों और उच्च खुदरा मार्जिन से उत्पन्न घरेलू इनपुट लागत को कम करने का आग्रह किया गया। दूसरी लहर की भयावहता और संबंधित स्थानिक लॉकडाउन के कारण एमपीसी ने एकमत से रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और समायोजी रुख जारी रखने का फैसला किया।

III.10 जून 2021 की बैठक के समय तक, कोविड -19 की दूसरी लहर में कमी के संकेत दिखाई देने लगे थे और व्यवसायों द्वारा कोविड-संगत व्यावसायिक मॉडल को अपनाने से आर्थिक गतिविधियों में हुई कमी को कुछ सहारा मिला। मुद्रास्फीति मार्च 2021 के 5.5 प्रतिशत से घटकर अप्रैल 2021 में 4.3 प्रतिशत हो गई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिंसों, विशेष रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रक्षेप-पथ के साथ ही प्रचालन लागतों को मुद्रास्फीतिक परिदृश्य के हिसाब से उच्च जोखिम माना गया और मौद्रिक नीति समिति के दृष्टिकोण में यह आवश्यक समझा गया कि इनपुट लागत दबावों को नियंत्रण में रखने के लिए उत्पाद शुल्कों, उपकरों और केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में कमी की जानी अपेक्षित है। 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कम कर 9.5 प्रतिशत पर संशोधित किया गया था, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति 2021-22 के दौरान 5.1 प्रतिशत पर अनुमानित की गई: ति1 में 5.2 प्रतिशत; ति2 में 5.4 प्रतिशत; ति3 में 4.7 प्रतिशत; और ति4 में 5.3 प्रतिशत। एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और अप्रैल की बैठक में निर्धारित समायोजी रुख को जारी रखने का फैसला किया।

III.11 अगस्त 2021 तक, वर्ष के लिए एमपीसी की तीसरी बैठक के समय, घरेलू अर्थव्यवस्था दूसरी लहर के कम होने और रोकथाम उपायों को कम करने से पुनरुत्थान के संकेतों को प्रदर्शित कर रही थी। उत्साहवर्धक कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग, दबी हुई शहरी मांग, उत्साहवर्धक निर्यात और बढ़ते सरकारी व्यय का जायजा लेते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 2021-22 के लिए 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। तथापि, इस समय तक, मुद्रास्फीति का दबाव तेज हो गया था, सीपीआई मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण मई-जून के दौरान ऊपरी सहिष्णुता स्तर के पार चली गई थी। तदनुसार, सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 2021-22 के लिए संशोधित करके 5.7 प्रतिशत कर दिया गया था। एमपीसी ने इन मुद्रास्फीतिकारी दबावों का आकलन किया जो काफी हद तक प्रतिकूल आपूर्ति आघातों से प्रेरित थे और यह कि आरंभिक और हिचकिचाहट युक्त पुनरुत्थान को राजकोषीय, मौद्रिक और क्षेत्रीय नीतिगत उपायों के माध्यम से पोषित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 4 प्रतिशत पर रखने और 5-1 वोट के साथ समायोजी रुख जारी रखने के लिए मतदान किया।

III.12 अक्तूबर में एमपीसी की चौथी द्विमासिक बैठक में यह नोट किया कि घरेलू आर्थिक गतिविधि में चलायमान हो रही है और रिकॉर्ड खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और रबी की फसल की उज्ज्वल संभावनाए इसे बल प्रदान कर रही हैं। टीकाकरण की गति में तेजी, नए संक्रमणों में निरंतर गिरावट, और संपर्क गहन सेवाओं के लिए दबी हुई मांग में तेजी ने पुनरुत्थान की संभावनाओं को उज्ज्वल बना दिया। वैश्विक रूप से सेमी कंडक्टर और चिप की कमी, बढ़ी हुई कमोडिटी की कीमतें और इनपुट लागतों, प्रचालन व्यवधानों और संभावित वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिरता को घरेलू संवृद्धि की संभावनाओं के लिए प्रमुख नकारात्मक जोखिम के रूप में देखा गया। मुद्रास्फीति के परिणाम अनुमान से अधिक अनुकूल साबित हुए, जुलाई-अगस्त 2021 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति में नरमी आई और यह सहिष्णुता स्तर में वापस आ गई। मुद्रास्फीति के अनुमान को 2021-22 के दौरान संशोधित करके 5.3 प्रतिशत कर दिया गया था और एमपीसी ने मुद्रास्फीति में अधिक टिकाऊ कमी और मुद्रास्फीति संभावनाओं में कमी लाने के लिए आपूर्ति और लागत-दबावों में और सुधार लाने के उपायों की सिफारिश की। एमपीसी ने यह भी

[2] 2021-22 के लिए 9.5 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को भी बाद की बैठकों (अक्तूबर और दिसंबर 2021) में बरकरार रखा गया था। एनएसओ के जनवरी 2022 में जारी पहले अग्रिम अनुमानों में अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत है, यह मोटे तौर पर जून 2021 में किए गए रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप है।

टिप्पणी की कि यद्यपि घरेलू अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दिखा रही है फिर भी थी, तो बाहरी वातावरण अधिक अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो रहा था। इसलिए, घरेलू पुनरुत्थान को सभी नीतिगत चैनलों के माध्यम से दृढ़ता से पोषित करने की आवश्यकता है। इसलिए एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसने समायोजी रुख के साथ जारी रखने के लिए 5 -1 से वोट दिया।

III.13 एमपीसी की दिसंबर 2021 की बैठक तक, वैश्विक स्थिति बदल गई थी और ओमीक्रोन वेरिएंट के उद्भव के कारण देशों में संक्रमण में बढ़ोतरी होने से संवृद्धि जोखिम नकारात्मकता की ओर स्थानांतरित हो गया। तथापि, घरेलू आर्थिक गतिविधि एमपीसी के अक्तूबर के आकलन के अनुरूप ही सामने आ रही थी, कई राज्यों में अप्रत्याशित बारिश के कारण फसलों के खराब हो जाने के कारण सब्जियों की कीमतो में वृद्धि होने से सीपीआई मुद्रास्फीति अक्तूबर में बढ़ गई थी। नवंबर में घोषित पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती का स्वागत किया गया क्योंकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से आगे चलकर बढ़ने वाली मुद्रास्फीति में एक टिकाऊ कमी आएगी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 2021-22 के लिए 5.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था, तथापि, यह उल्लेख किया गया कि मुद्रास्फीति का प्रभाव ति4: 2021-22 में ऊंचा बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद इसमें नरमी आ सकती है। तथापि, घरेलू आर्थिक गतिविधियां महामारी से पहले के स्तर पर पहुंची ही थीं कि एमपीसी ने यह विचार करना उचित समझा कि संवृद्धि के संकेतों के लिए और प्रतीक्षा करना उचित होगा क्योंकि विश्वभर में कोविड-19 संक्रमणों के नए म्यूटेशन के साथ पुन: उभरने, निरंतर बनी हुई कमी और बाधाओं के कारण एवं नीतिगत कार्रवाईयों और रुखों में आते विभिन्न अंतरों के कारण वैश्विक वित्तीय स्थितियों में कसावट आने की संभावना थी। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और 5 की तुलना में 1 वोट के साथ समायोजी रुख जारी रखने का फैसला किया।

III.14 फरवरी 2022 की छठी द्विमासिक नीति निर्माण के समय, सीपीआई मुद्रास्फीति नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान अपेक्षित रूप से व्यवहार कर थी। सर्दियों की ताजा फसलों के आगमन से, सरकार द्वारा मजबूत आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों से, घरेलू उत्पादन में वृद्धि से और अच्छी रबी फसल की संभावनाओं से खाद्य कीमतों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद थी। तथापि, कच्चे तेल की कीमतें, परिदृश्य में अनिश्चितता लाती देखी गईं। सीपीआई मुद्रास्फीति के लिए अनुमान को 2021-22 के लिए 5.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया था। 2022-23 के लिए, सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत था - ति1 में 4.9 प्रतिशत, ति2 में 5.0 प्रतिशत, ति3 में 4.0 प्रतिशत और ति4 में 4.2 प्रतिशत - मोटे तौर पर संतुलित जोखिमों के साथ। रबी फसल की बेहतर संभावना, गैर-खाद्य बैंक ऋण में तेजी, सहायक मौद्रिक और चलनिधि स्थितियों, माल निर्यात में सतत उछाल, क्षमता उपयोग में सुधार, और केंद्रीय बजट 2022-23 में बढ़े हुए पूंजीगत व्यय के माध्यम से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की घोषणाओं से समग्र मांग में सुधार होने की उम्मीद थी। वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता, जिंसों की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतें, विशेष रूप से कच्चे तेल, और निरंतर वैश्विक आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों को आर्थिक परिदृश्य के लिए नकारात्मक के साथ जोखिम के रूप में देखा गया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत - ति1 में 17.2 प्रतिशत, ति2 में 7.0 प्रतिशत, ति3 में 4.3 प्रतिशत और ति4 में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। एमपीसी ने उल्लेख किया कि छमाही1: 2022-23 में मुद्रास्फीति में कमी अपेक्षित है और उसके बाद उसके समायोजी बने की गुंजाइश है। चूंकि कोविड-19 अभी भी वैश्विक अवरोधों के बीच परिदृश्य में अनिश्चितता उत्पन्न कर रहा था अत: एमपीसी ने फैसला किया कि घरेलू पुनरुत्थान अभी भी अधूरा है और इसे निरंतर नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और 5 की तुलना में 1 वोट से समायोजी रुख जारी रखने का फैसला किया।

परिचालन फ्रेमवर्क : चलनिधि प्रबंधन

III.15 मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे का उद्देश्य परिचालन लक्ष्य - भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) - को सक्रिय

चलनिधि प्रबंधन के माध्यम से नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित करना है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के अनुरूप रुख अपनाते हुए 2021-22 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि बनाए रखी। महामारी की दूसरी लहर के प्रत्युत्तर में रिजर्व बैंक ने 2021-22 के दौरान ₹3.61 लाख करोड़ के अतिरिक्त चलनिधि उपायों की घोषणा की, जिससे फरवरी 2020 से पेशकाश की गई प्राथमिक चलनिधि की कुल घोषित राशि ₹17.2 लाख करोड़ (2020-21 के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का 8.7 प्रतिशत) हो गई। विश्व भर में यूएस $16.9 ट्रिलियन या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 16.4 प्रतिशत राजकोषीय समर्थन के रूप में और यूएस $19.0 ट्रिलियन या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 18.4 प्रतिशत मौद्रिक समर्थन के रूप में प्रतिभूत रखा गया था (बॉक्स III.1)।

बॉक्स-1
बॉक्स III.1 महामारी के दौरान केंद्रीय बैंक की असाधारण उधार सुविधाएं

बड़ी नीतिगत दरों में कटौती के साथ-साथ, केंद्रीय बैंकों का पारंपरिक और अपरंपरागत चलनिधि समर्थन लगभग सभी न्यायाधिकार क्षेत्रों में महामारी के हानिकारक प्रभाव के खिलाफ प्रतिरक्षा का मुख्य माध्यम बन गया।[3] रिजर्व बैंक ने मार्च 2020 से लगभग 100 विशिष्ट उपाय किए हैं, अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों का निर्माण किया है और तनाव को कम करने और बहाली प्रक्रिया का मजबूती प्रदान करने के नियामकीय सहायता प्रदान की है (दास, 2021)। जी -20 केंद्रीय बैंकों के अनुभव से पता चलता है कि आस्ति खरीद, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और अन्य नीतिगत उपायों के साथ उधारी परिचालन नीतिगत हस्तक्षेप उपायों में सबसे ऊपर रहे (कुल मौद्रिक समर्थन में 35-40 प्रतिशत की हिस्सेदारी) इन उधारी परिचालनों में से 60 प्रतिशत नए स्थापित कार्यक्रमों (चार्ट-1) ए और 1 बी के तहत हुए हैं। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के औसत की तुलना में भारत के मामले में उधारी परिचालनों की हिस्सेदारी अधिक रही जिसमें से तीन चौथाई नए उपायों के तहत हुई।

महामारी के शुरुआती दिनों में केंद्रीय बैंकों की उधारी सहायता लक्षित नहीं थी और इसमें अनिवार्य रूप से राशि में वृद्धि करना और मौजूदा पुनर्खरीद समझौतों (कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत) की परिपक्वता को विस्तार प्रदान करना शामिल था। इसे लक्षित उधारी परिचालन द्वारा पूरक बनाया गया, कॉर्पोरेट बांड (चिली और इज़राइल) को शामिल करने के लिए पात्र संपार्श्विकों को व्यापक बनाना और / या बीमा कंपनियों (चेक गणराज्य), पेंशन फंडों (कोलंबिया) और म्यूचुअल फंडों (यूएसए) जैसे पात्र काउंटरपार्टियों की संख्या में वृद्धि करना। केंद्रीय बैंकों ने कमजोर और छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) की रक्षा के उद्देश्य से नई लक्षित उधार सुविधाओं के साथ शुरुआत की, ज्यादातर बैंकों / वित्तीय संस्थानों (यूएसए, जापान, यूके, मैक्सिको, थाईलैंड और भारत) के साथ समन्वय में और कभी-कभी सरकार (ब्राजील और सिंगापुर) के साथ समन्वय करते हुए। स्वास्थ्य, चिकित्सा आपूर्ति और संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए लक्षित ऋण परिचालन कुछ उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों की विशेषता रहे, नामत: चीन और भारत।

चार्ट 1: कोविड 19 के दौरान विभिन्न देशों में उधारी परिचालनों का अनुभव

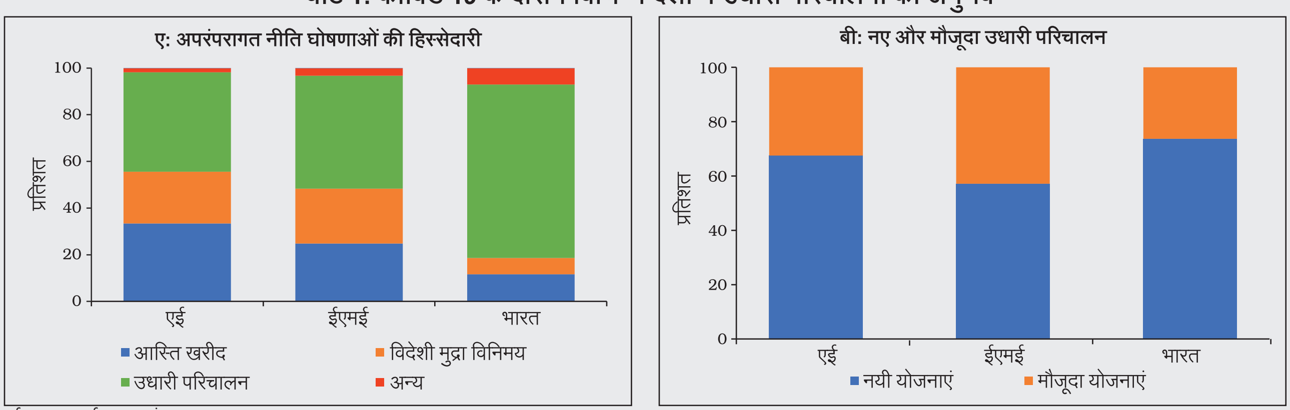

एई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
ईएमई: उदीयमान अर्थव्यवस्थाएं
टिप्पणी: नयी योजनाओं में कोविड-19 संकट के पूर्व असक्रिय योजनाएं शामिल हैं और उन्हें महामारी के दौरान प्रारंभ किया गया और वे उपाय/उपकरण शामिल हैं जिन्हें पहले आयोग में लाया जाता वा परंतु के महामारी प्रारंभ होने के व्यय असक्रिय थे।
स्रोत: कांटु एवं अन्य (2021)

(जारी)

3 भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कोविड-19 के मद्देनजर कई अपरंपरागत उपाय किए। विस्तृत मूल्यांकन के लिए «कोविड-19 के समय में अपरंपरागत मौद्रिक नीति», आरबीआई बुलेटिन, मार्च 2021 देखें।

सारणी 1: कोविड-19 के दौरान भारत के अपरंपरागत उधारी परिचालन

उधारी परिचालन	घोषित राशि (करोड़ ₹ में)			
	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	2	3	4	5
I. एलटीआरओ/टीएलटीआरओ/ एसएलटीआरओ[4]	2,25,000	2,25,000	10,000	4,60,000
II. म्यूचुअल फंड/एनबीएफसी को उधार	-	80,000	-	80,000
III. आपात स्वास्थ्य सेवाओं/ संपर्क-गहन सेवाओं को उधार	-	-	65,000	65,000
IV. एआईएफआई को पुनर्वित्त	-	75,000	66,000	1,41,000
कुल	**2,25,200**	**3,80,000**	**1,41,000**	**7,46,200**

स्रोत: रिज़र्व बैंक

केंद्रीय बैंकों ने भी शुद्ध चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त योजनाओं को फिर से खोल दिया। हालांकि ये योजनाएं ज्यादातर भारत (सारणी-1) सहित उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के बीच आम थीं, उन्हें स्थानों पर प्रारंभ किया गया - यूरो क्षेत्र (दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन) और स्विट्जरलैंड (स्थायी कोविड -19 पुनर्वित्त सुविधा)। बड़े पैमाने पर लक्षित उधार परिचालनों ने अधिकतम उधार परिचालन के साथ भली प्रकार कार्य किया और लक्षित उधारकर्ताओं को लाभान्वित किया है - विशेष रूप से एमएसएमई को (कैसानोवा एवं अन्य, 2021)।

भारत की महामारी प्रतिक्रिया की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष चलनिधि सहायता अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को प्रदान की जिसने बैंकों के बीच व्याप्त जोखिम से बचने की अतीव आदत के बीच महामारी से प्रभावित संस्थाओं को केन्द्रीय बैंक की आगे उधारी प्रदान करने की व्यवस्था में बाधा पहुंचाई थी। इन ऋण सुविधाओं को 500 से अधिक वित्तीय मध्यस्थों/संस्थाओं (31 मार्च, 2022 तक) [चार्ट 2] को प्रदान किया गया था, जिसमें सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) शामिल हैं। इसके अलावा, आपातकालीन स्वास्थ्य और संपर्क-गहन सेवाओं के लिए रिज़र्व बैंक की ₹65,000 करोड़ की विशेष चलनिधि योजनाओं का लाभ उठाते हुए, बैंकों ने कोविड-19 से संबंधित आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए 2021-22 के दौरान ₹15,663 करोड़ के अपने स्वयं के धन को उपयोग में लाया। इसने प्रभावी रूप से ऐसे समय में अर्थव्यवस्था के लिए बैंक क्रेडिट का विस्तार किया जबकि क्रेडिट संवृद्धि कम हो गई थी। इस प्रकार, जबकि सामान्य समय में रिज़र्व बैंक क्षेत्र विशिष्ट ऋण सुविधाओं के उपयोग से दूर रहता है, संकट के समय पुनर्वित्त के उपयोग ने लक्षित संस्थाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में भलीप्रकार योगदान दिया।

चार्ट 2: एआईएफआई के जरिए पुनर्वित्त : 2020-2022 के दौरान ऋण वितरण

ए. समग्र ऋण वितरण संस्थावार

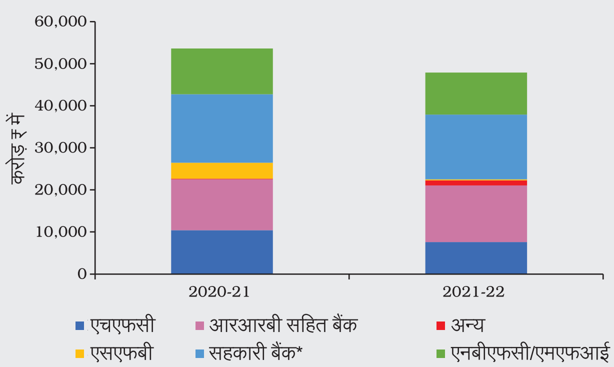

*: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सारणी बी: लाभार्थी वित्तीय निकाय(संख्या)

चलनिधि सहायता	2020-21	2021-22
1	2	3
एसएलएफ	226	-
एएसएलएफ	81	-
एसएलएफ-2	-	218
एसएलएफ-3	-	19
कुल लाभार्थी निकाय	**307**	**237**

एसएलएफ: विशेष चलनिधि सुविधा
एएसएलएफ: अतिरिक्त विशेष चलनिधि सुविधा

स्रोत: सिडबी, एनएचबी और नाबार्ड

संदर्भ

1. कांटु, पाओलो कॉवालिनो, एफ.डी. फिओर और जे. येटमैन (2021) 'ए ग्लोबल डेटाबेस ऑन सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी रिस्पान्सेस टु कोविड-19', बीआईएस वर्किंग पेपर सं. 934.
2. कैसानोवा, सी., बी.हार्डी और एम.ओनेन,(2021), 'कोविड-19 पालिसी मेज़र्स टु सपोर्ट बैंक लेंडिंग', बीआईएस क्वार्टर्ली रिव्यू.
3. दास, शक्तिकांत (2021), 'सीएनबीसी एशिया के साथ इंटरव्यू', सिंगापोर, भारतीय रिज़र्व बैंक, अगस्त 26.

4 रेपो परिचालन/लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन/विशेष दीर्घावधि रेपो परिचालन।

5 नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा इसे प्रदान की गई स्थायी सुविधाओं ने आरएफआई को कवर करने के लिए अपनी पुनर्वित्त नीति को उदार बनाकर ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की पहल को बढ़ावा दिया जो अन्यथा अयोग्य थे।

III.16 मौद्रिक नीति संचरण में सुधार और प्रतिफल वक्र के एक स्थिर और व्यवस्थित उद्भव को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने अप्रैल-सितंबर 2021 में एक द्वितीयक बाजार जी-सेक अभिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) लागू किया। जी-एसएपी के तहत, रिजर्व बैंक ने जी-सेक खरीद के आकार पर एक अग्रिम रूप में प्रतिबद्धता प्रदान की। जी-एसएपी ने बाजार की आशंकाओं को दूर किया और यह संकेत दिया कि बाजार से उधारी कार्यक्रम का विस्तार होने के मद्देनजर बाजार को रिजर्व बैंक का निरंतर समर्थन जारी रहेगा। नियमित ओएमओ के समान, जी-एसएपी द्वितीयक बाजार से सरकारी कागजात की खरीद तक सीमित था। ति1 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जी-एसएपी 1.0 के तहत तीन नीलामियां आयोजित की और घोषित राशि के अनुरूप ₹1.0 लाख करोड़ की जी-सेक [राज्य विकास ऋण (एसडीएल)सहित] खरीदे। ति2 में, जी-एसएपी 2.0 के तहत छह नीलामियां आयोजित की गई थीं, जो कुल ₹1.2 लाख करोड़ मूल्य की थीं। 23 सितंबर और 30 सितंबर, 2021 को ₹15,000 करोड़ प्रत्येक के लिए आयोजित जी-एसएपी 2.0 नीलामी के साथ-साथ समान राशि के जी-सेक की उसी समय बिक्री भी हुई थी। जी-एसएपी के तहत, रिजर्व बैंक ने सभी परिपक्वता अवधियों की ऑन दि रन (तरल) और ऑफ द रन (अतरल) दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदा। लगभग दो-तिहाई खरीद वक्र के माध्यमिक स्तर में की गई थी, ताकि प्रतिफलों को इस प्रकार प्रभावित किया जा सके ताकि प्रतिफल वक्र के अधिकतर भाग में चलनिधि उपलब्ध हो सके, जिससे ब्याज दरों के संपूर्ण ढांचे को लाभ प्राप्त हो(चार्ट III.1)। प्रतिफल वक्र के एक व्यवस्थित उद्भव को सुनिश्चित करके, जी-एसएपी ने सभी प्रकार की वित्तीय लिखितों में मौद्रिक संचरण की सुविधा प्रदान की। कुल मिलाकर, 2021-22 के दौरान जी-एसएपी सहित ओएमओ खरीद के माध्यम से प्रणाली में डाली गई शुद्ध चलनिधि ₹2.1 लाख करोड़ थी। 6 मई, 2021 को आयोजित ₹10,000 करोड़ के विशेष ओएमओ [ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी)] नीलामी के साथ संयुक्त रूप से 2021-22 के दौरान ओटी की राशि ₹40,000 करोड़ थी।

चार्ट III.1: जी-सैप-परिपक्वता प्रोफाइल

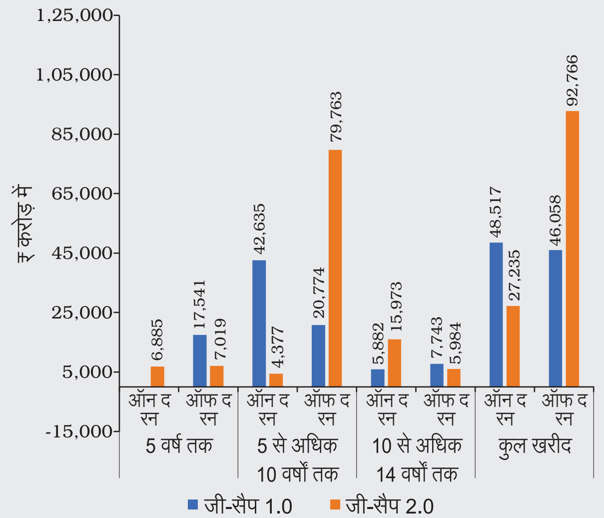

टिप्पणी: प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता स्थिति की नीलामी की तारीख को।

स्रोत: रिज़र्व बैंक

III.17 महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को आगे चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए, सबसे पहले, मई 2021 में ₹ 50,000 करोड़ की एक ऑन-टैप चलनिधि विंडो खोली गई थी – जो शुरू में मार्च 2022 के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे बाद में जून 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया था - ताकि देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल चलनिधि की व्यवस्था करने के लिए इसे रेपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ उपलब्ध कराया जा सके। दूसरे, रिजर्व बैंक ने मई 2021 में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए रेपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष त्रि-वर्षीय दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एसएलटीआरओ) की घोषणा की, ताकि छोटी व्यवसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान की जा सके। तीसरे, जून 2021 में ₹15,000 करोड़ की चलनिधि विंडो उपलब्ध कराई गई (जो शुरू में मार्च 2022 के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन बाद में इसे जून 2022 के अंत तक बढ़ा दिया गया था) ताकि तीन वर्ष की अवधि तक रेपो दर पर संपर्क-गहन क्षेत्रों में दबाव को कम किया जा सके। अंत में,

वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को नया ऋण देने के लिए अप्रैल और जून 2021 के दौरान ₹66,000 करोड़ की अतिरिक्त चलनिधि सहायता की घोषणा की।

चालक और चलनिधि का प्रबंधन

III.18 ति1: 2021-22 में, जी-एसएपी के तहत खरीद और निरंतर पूंजी प्रवाह के मद्देनजर शुद्ध विदेशी मुद्रा खरीद ने बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि को बढ़ाया, जबकि प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि (सीआईसी), भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा नकदी शेष उपलब्ध कराने और सीआरआर को अपने महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल करने से चलनिधि का अवशोषण हुआ (सारणी III.1)।

III.19 ति2 में, सीआईसी की सामान्य वापसी, जी-एसएपी 2.0 के माध्यम से पूंजी प्रवाह और चलनिधि उपलब्धता ने नए सिरे से उत्साह से और बढ़ाया एवं अधिशेष चलनिधि में इज़ाफा हुआ। ति3 और ति4 में, त्योहारी सीआईसी विस्तार से निकली हुई चलनिधि का स्थान बढ़ी हुए सरकारी खर्च, निवल विदेशी मुद्रा बिक्री और ओएमओ बिक्री से पूरा हो गया। कुल मिलाकर, बड़े हुए सीआईसी विस्तार (₹ 2.8 लाख करोड़) और सरकारी नकद शेष राशि (₹ 0.7 लाख करोड़) के निर्माण के कारण हुआ चलनिधि बहिर्वाह, ओएमओ खरीद (जी-एसएपी सहित) और विदेशी मुद्रा खरीद (2.0 लाख करोड़ रुपये) के माध्यम से डाली गयी चलनिधि की तुलना में कहीं अधिक रहा। जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान अवशोषण (₹1.2 लाख करोड़) में वृद्धि हुई।

चलनिधि का पुन: संतुलन

III.20 फरवरी 2020 में स्थापित संशोधित तरलता प्रबंधन ढांचे के अनुरूप चलनिधि प्रबंधन परिचालनों की क्रमिक बहाली 2021-22 के दौरान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सीआरआर को दो चरणों में 0.5 प्रतिशत अंक प्रत्येक में, निवल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत के महामारी-पूर्व के स्तर पर बहाल किया गया था, जो 27 मार्च, 2021 और 22 मई, 2021 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी हुआ। इसके अलावा,

सारणी III.1: चलनिधि– प्रमुख चालक और प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

	2020-21	ति1:2021-22	ति2: 2021-22	ति3: 2021-22	ति4: 2021-22
1	2	3	4	5	6
चालक					
(i) सीआईसी	-4,06,452	-1,26,266	54,921	-61,794	-1,48,748
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद	5,10,516	1,60,843	1,42,395	-17,242	-79,136
(iii) भारत सरकार नकदी शेष	-1,81,999	-2,23,740	-5,600	1,34,537	19,430
प्रबंधन					
(i) निवल खुला बाजार परिचालन खरीद	3,13,295	1,38,965	97,960	-15,060	-7,880
(ii) सीआरआर शेष	-1,46,617	29,392	-16,470	-77,606	32,996
(iii) निवल एलएएफ परिचालन	-1,52,302	-60,759	-2,86,162	60,823	1,65,269
मेमो मदें					
1. औसत दैनिक आपूर्ति (एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, ऑन टैप टीएलटीआरओ, एसएलटीआरओ और एमएसएफ)	1,58,491	82,948	84,487	87,298	91,894
2. औसत दैनिक अवशोषण (i+ii)	6,54,645	5,93,181	8,10,096	8,57,638	7,69,234
(i) निर्धारित दर रिवर्स रेपो	6,13,700	4,10,747	5,18,241	2,16,635	1,76,706
(ii) परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर)	40,945	1,82,434	2,91,855	6,41,003	5,92,528
3. अवधि के दौरान औसत दैनिक निवल अवशोषण (2-1)	4,96,154	5,10,233	7,25,609	7,70,340	6,77,340

टिप्पणी: 1.अंतर्वाह (+)/बहिर्वाह (-) बैंकिंग प्रणाली से

2.चालकों और प्रबंधनों से संबंधित आंकड़े संबंधित अवधि के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: रिज़र्व बैंक

एमएसएफ में छूट, ऑन-टैप टीएलटीआरओ और एसएलटीआरओ जैसी सुविधाएं, जिन्हें पूर्वनिश्चित समाप्ति तारीखों के साथ घोषित किया गया था, को निर्धारित समय पर समाप्त कर दिया गया। मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन के रूप में 14-दिवसीय वीआरआरआर को फिर से स्थापित करने के प्रयास में, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ के पूर्व-घोषित वीआरआरआर नीलामी कार्यक्रम के आकार को उत्तरोत्तर बढ़ाकर दिसंबर 2021 के अंत तक ₹7.5 लाख करोड़ कर दिया। इन परिचालनों को 28-दिवसीय वीआरआरआर और 3-8 दिन की परिपक्वता वाली लिखतों को युक्तिसंगत बनाते हुए सहायता प्रदान की गई। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप, निश्चित दर रिवर्स रेपो के तहत अवशोषित राशि में काफी कमी आई जो कि छ2: 2021-22 के दौरान औसतन ₹2.0 लाख करोड़ थी जबकि छ1: 2021-22 (चार्ट III.2) के दौरान यह ₹4.6 लाख करोड़ थी।

III.21 दिसंबर 2021 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों को नवंबर 2020 में प्रदान किए गए विकल्प के अलावा लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालनों के तहत प्राप्त धन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक और विकल्प प्रदान किया। तदनुसार, बैंकों ने नवंबर 2020 में पहले भुगतान किए गए ₹37,348 करोड़ के अलावा टीएलटीआरओ फंड के ₹2,434 करोड़ वापस कर दिए। अधिशेष चलनिधि की स्थिति के कारण सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) विंडो हेतु सीमित सुविधा को देखते हुए, एमएसएफ के तहत उधार लेने की सीमा को 3.0 प्रतिशत से कम करके 1 जनवरी, 2022 से महामारी-पूर्व एनडीटीएल के 2.0 पर कर दिया गया।

चार्ट III.2: अधिशेष चलनिधि- एलएफएफ के तहत अवशोषण

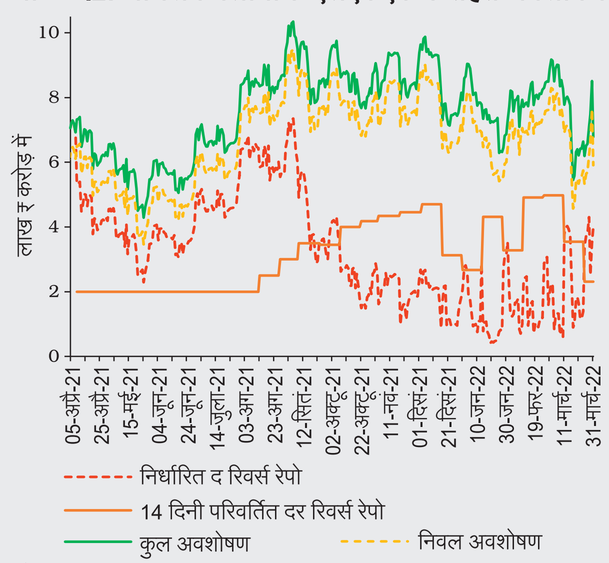

स्रोत: रिज़र्व बैंक

III.22 माल और सेवा (जीएसटी) कर के तहत अप्रत्याशित संग्रह के कारण अस्थायी चलनिधि कठोरता के परिणामस्वरूप 21 जनवरी 2022 को एकदिनी दरें रेपो दर से अधिक हो गयीं। बाजार की चिंताओं को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) पर 1-3-दिवसीय परिपक्वता की तीन नीलामियां आयोजित की गयीं जिससे संचयी रूप से 20-24 जनवरी, 2022 के दौरान ₹2.0 लाख करोड़ इंजेक्ट हुए, इससे एकदिनी (ओवरनाइट) दरों में कमी आ गयी। ये परिचालन फरवरी 2020 में स्थापित संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे के लचीलेपन और तीव्रता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

III.23 उच्च कट-ऑफ पर वीआरआरआर नीलामी के तहत अवशोषित की गई बढ़ी हुई राशि के साथ, प्रभावी रिवर्स रेपो दर अधिक हो गई, ति2 में 3.38 प्रतिशत के औसत से यह ति4 (चार्ट III.3ए) में 3.83 प्रतिशत हो गयी। वीआरआरआर नीलामी में उच्च कट-ऑफ ने संपूर्ण परिदृश्य(स्पेक्ट्रम) में मुद्रा बाजार की दरों को ऊंचा कर दिया। एकदिनी (ओवरनाइट) सेगमेंट दरें - भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), त्रि-पक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर - जो छ1: 2021-22 के दौरान रिवर्स रेपो दर से नीचे चल रही थी वो धीरे-धीरे छ2 में उससे अधिक हो गई। इसी तरह, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (सीपी-एनबीएफसी) द्वारा 3 महीने के टी-बिल, जमाराशि प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पेपर जारी करने की दरें भारित औसत रिवर्स रेपो दर के अनुरूप ही नजर आने लगीं, जिसमें रिवर्स रेपो दर की

[6] निश्चित दर रिवर्स रेपो दर का भारित औसत और अलग-अलग परिपक्वता की वीआरआरआर नीलामी के साथ वजन निश्चित और परिवर्तनीय दर विंडो के तहत अवशोषित मात्रा के अनुरूप होता है।

चार्ट III.3: वीआरआरआर निलामियाँ और मुद्रा बाजार दरों में परिवर्तन

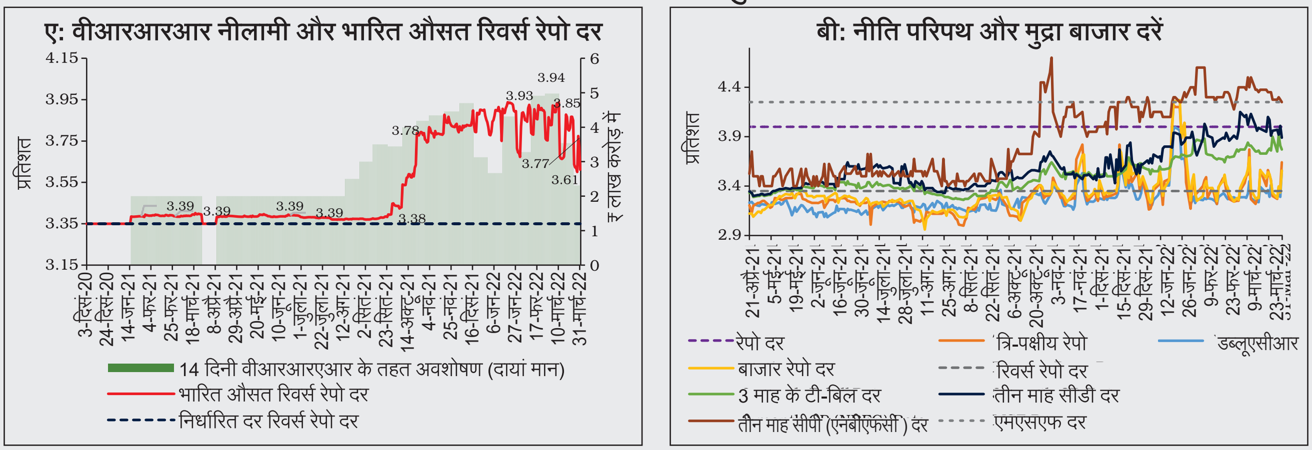

स्रोत: रिज़र्व बैंक ब्लूमबर्ग और रिज़र्व बैंक स्टाफ गणनाएं

तुलना में उनका प्रसार छ2: 2021-22 के दौरान क्रमशः 26 प्रतिशत आधार अंक(बीपीएस), 38 बीपीएस और 83 बीपीएस से अधिक है, जबकि छ1: 2021-22 (चार्ट III.3बी) के दौरान यह स्प्रैड क्रमशः 1 बीपी, 8 बीपीएस और 28 बीपीएस था।

III.24 सामान्य स्थिति की क्रमिक बहाली के साथ ही, रिज़र्व बैंक से चलनिधि की क्षणिक मांग सहित, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अधिक लचीला और चुस्त बनाने के लिए, फरवरी 2022 में यह निर्णय लिया गया कि (i) आरक्षित नकदी निधि अनुपात के रखरखाव चक्र के भीतर उभरती हुई चलनिधि और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग अवधियों के परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालन किए जाएंगे; (ii) चलनिधि की स्थिति के आधार पर 14-दिवसीय वीआरआर और वीआरआरआर मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपायों के रूप में कार्य करेंगे और इनका परिचालन सीआरआर रखरखाव चक्र के साथ-साथ ही किया जाएगा; (iii) इन मुख्य परिचालनों के साथ ही को आरक्षित रखरखाव अवधि के दौरान किसी भी अप्रत्याशित चलनिधि परिवर्तन से निपटने के लिए विशिष्ट फाइन-ट्यूनिंग परिचालनों का सहयोग लिया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई हो तो लंबी परिपक्वता अवधि की नीलामी भी आयोजित की जाएगी; और (iv) 1 मार्च, 2022 से प्रभावी होते हुए, निश्चित दर रिवर्स रेपो और एमएसएफ परिचालनों की सुविधा सभी दिनों में केवल 17.30-23.59 घंटों के दौरान उपलब्ध होगी, जबकि महामारी से निपटने के लिए पहले (30 मार्च, 2020 से) यह सुविधा 09.00-23.59 घंटे तक उपलब्ध थी। तदनुसार, बाजार प्रतिभागियों को सलाह दी गई थी कि वे अपने शेष को निश्चित दर रिवर्स रेपो के बाहर वीआरआरआर नीलामी में स्थानांतरित करें और परिचालन व्यवस्था के लिए ई-कुबेर पोर्टल में स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एएसआईएसओ) सुविधा का लाभ उठाएं।

मौद्रिक नीति संचरण

III.25 मौद्रिक संचरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतिगत रेपो दर में किए गए परिवर्तन विभिन्न बाजार खंडों में ब्याज दरों की संरचना के माध्यम से बैंकों की जमा और उधार दरों में परिवर्तन लाने के लिए किए जाते हैं, जो परिणामस्वरूप, समग्र खर्च व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और अंततः अंतिम लक्ष्यों - मुद्रास्फीति और संवृद्धिको प्रभावित करते हैं। जमा और उधार दरों के लिए मौद्रिक संचरण में 2021-22 में अधिक सुधार

[7] बैंकों को अपने दिन के अंत सीआरआर बैलेंस के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, एएसआईएसओ को अगस्त 2020 में एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में पेश किया गया था, जिसके तहत बैंकों ने एक विशिष्ट (या सीमा) राशि को पूर्व-निर्धारित किया था जिसे वे दिन के अंत में बनाए रखना चाहते हैं। एएसआईएसओ सुविधा के तहत किसी भी कमी या अतिरिक्त शेष को बनाए रखना स्वचालित रूप से एमएसएफ या रिवर्स रेपो बोलियों को ट्रिगर करेगा, जैसी भी स्थिति हो।

सारणी III.2: जमा और उधारी ब्याज दरों में संचरण

(आधार बिंदुओं में परिवर्तन)

अवधि	रेपो दर	सावधि जमा दरें		उधारी दरें		
		माध्यिका अवधि सावधि जमा दर- नयी जमाराशि	डब्लूएडीटीडीआर - बकाया जमाराशियां	1-वर्ष माध्यिका एमसीएलआर	डब्लूएएलआर - बकाया रुपया ऋण	डब्लूएएलआर - नया रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	-185	-48	-51	-60	-31	-99
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	-40	-137	-110	-90	-82	-78
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	0	0	-25	-5	-36	-26
सहजता चक्र						
फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-208	-188	-155	-150	-229
मेमो:						
फरवरी 2019 से सितंबर 2019 (बाह्य बेंचमार्क अवधि से पूर्व)	-110	-9	-8	-30	0	-43
अक्तूबर 2019 से मार्च 2022 (बाह्य बेंचमार्क अवधि)	-140	-180	-180	-128	-150	-186

*: डब्लूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर। *: डब्लूएएलआर: भारति औसत उधारी दर।

एमसीएलआर: उधारी दर आधारित निधियों की सीमांत लागत।

स्रोत: विशेष मासिक विवरणी अवीआईएबी, रिज़र्व बैंक और बैंक की वेबसाइट

हुआ, इसमें विशाल प्रणालीगत अधिशेष चलनिधि और कम क्रेडिट मांग (तालिका III.2) ने अपना सहयोग दिया।

III.26 बाह्य बेंचमार्क-आधारित ऋण मूल्य निर्धारण ने भी जमा दरों और अन्य उधार दरों के लिए संचरण की गति को तेज कर दिया है। चूंकि बैंकों को बेंचमार्क दरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपनी उधार दरों को कम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लिए उनके निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के बचाव हेतु उनकी जमा दरों को नीचे की ओर समायोजित की आवश्यकता होती है। इससे बैंकों की निधियों की लागत में नरमी आती है, जिससे उनके एमसीएलआर और एमसीएलआर से जुड़ी ऋण दरों में कमी आती है। इस प्रकार, मौद्रिक पारेषण पर ऋणों के बाह्य बेंचमार्क-आधारित मूल्य निर्धारण की शुरूआती प्रभाव में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो ऋण मूल्य निर्धारण के लिए सीधे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े नहीं हैं। कुल बकाया परिवर्ती दर ऋण में बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2020 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2021 में 39.2 प्रतिशत हो गई है और इसके आगे बढ़ने के लिए यह एक अधिक कुशल पारेषण का अच्छा संकेत है।

III.27 बैंक-समूह-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि सरकारी बैंकों ने सहजता चक्र में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में ऋण दरों के लिए अधिक पास-थ्रू का प्रदर्शन किया, अर्थात्, फरवरी 2019 से मार्च 2022 (चार्ट III.4)। विदेशी बैंकों के मामले में ऋण और जमा दरों के लिए संचरण अधिक था, क्योंकि उनकी देयताओं में कम अवधि की जमा राशियों का एक बड़ा अनुपात था जिससे नीतिगत दरों हुए बदलाव के क्रम में वे इन दरों में अपेक्षाकृत तीव्र समायोजन कर पाने में सक्षम हुए।

[8] रिज़र्व बैंक ने सभी एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सभी नए परिवर्ती दर व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों और परिवर्ती दर ऋण को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से जोड़ने के लिए अनिवार्य किया है, जो नीतिगत रेपो दर या 3 महीने की टी-बिल दर या 6 महीने की टी-बिल दर या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किसी अन्य बेंचमार्क मार्केटब्याज दर से संयुक्त करें। 1 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी। इसे मध्यम उद्यमों के लिए विस्तारित किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी था।

चार्ट III.4: बैंक समूहों में एससीबी की जमा और उधार दरों में अंतर

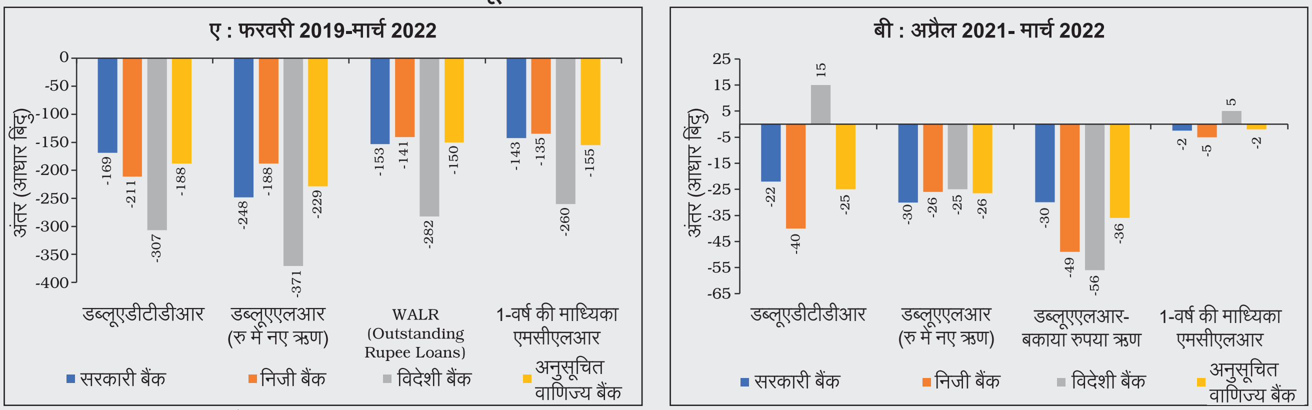

*: डब्लूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर।
डबल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर। एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक।
स्रोत: रिज़र्व बैंक।

क्षेत्रवार उधारी दरें

III.28 2021-22 के दौरान, बकाया ऋणों पर डब्लूएएलआर में गिरावट सभी क्षेत्रों में व्यापक रही, जिसमें क्रेडिट कार्ड क्षेत्र में तेज गिरावट देखी गई, इसके बाद अन्य व्यक्तिगत ऋण, बुनियादी ढांचे, वाहन और बड़े उद्योग क्षेत्र रहे (सारणी III.3) हैं।

बाह्य बेंचमार्क

III.29 बाहरी बेंचमार्क के लिए उपलब्ध विकल्पों में से, अधिकांश बैंकों, अर्थात् 76 में से 39 बैंकों ने मार्च 2022 के अंत तक खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों के लिए परिवर्ती दर ऋण हेतु बाहरी बेंचमार्क के रूप में रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर को अपनाया है (सारणी III.4)। बारह बैंकों ने क्षेत्र-विशिष्ट बेंचमार्क को अपनाया है।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी रहित) का क्षेत्र-वार डब्लूएआर-बकाया रुपया ऋण

(प्रतिशत)

माह अंत	कृषि	उद्योग (बड़े)	एमएसएमई	इंफ्रास्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	वैयक्तिक ऋण					रुपया निर्यात क्रेडिट
							क्रेडिट कार्ड	शिक्षा	वाहन	आवास	अन्य$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च-20	10.07	9.22	10.51	9.67	8.92	9.90	28.90	10.53	10.01	8.59	12.05	7.31
मार्च-21	9.68	8.27	9.73	8.87	8.51	8.44	31.90	9.47	9.59	7.55	10.94	6.76
जून-21	9.58	8.24	9.61	8.68	8.38	8.23	30.49	9.47	9.38	7.56	10.98	6.51
दिसं-21	9.42	7.99	9.33	8.51	8.20	8.26	30.67	9.32	9.24	7.52	10.53	6.95
फर--22	9.38	7.93	9.27	8.33	8.15	8.06	30.54	9.32	9.10	7.48	10.40	7.14
मार्च-22	9.35	7.76	9.28	8.31	8.14	8.11	30.51	9.30	9.06	7.46	10.22	6.55
अंतर (प्रतिशत बिंदु)												
2020-21	-0.39	-0.95	-0.78	-0.80	-0.41	-1.46	3.00	-1.06	-0.42	-1.04	-1.11	-0.55
2021-22	-0.33	-0.51	-0.45	-0.56	-0.37	-0.33	-1.39	-0.17	-0.53	-0.09	-0.72	-0.21

$: आवास वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋणों से इतर
स्रोत: विशेष मासिक विवरणी वीआईएबी, रिजर्व बैंक।

सारणी III.4: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बाह्य बेंचमार्क-मार्च 2022

बैंक समूह	नीतिगत रेपो दर	सीडी	ओआईएस	मीबोर	3-माह के ट्रेज़री बिल	क्षेत्र विशिष्ट चुनिंदा बेंचमार्क *	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी बैंक (12)	12	-	-	-	-	-	12
निजी बैंक (21)	17	1	-	-	-	3	21
विदेशी बैंक (43) #	10	-	1	2	6	9	28
अनुसूचित वाणिज्यि बैंक (76)#	**39**	**1**	**1**	**2**	**6**	**12**	**61**

सीडी: जमा प्रमाणपत्र ओआईएस:एकदिनी इंडेक्स स्वैप।
मीबोर: मुंबई अंतर बैंक एक दिनी दर।
*: क्षेत्र विशिष्ट चुनिंदा बेंचमार्क में मीबोर, ओआईउस, 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति और सीडी दरें शामिल है।
#: पंद्रह विदेशी बैंकों ने शून्य रिपोर्ट किया।
टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वो संख्या हैं जिन्होने किए गए सर्वेक्षण में उत्तर दिया।
स्रोत: रिज़र्व बैंक।

III.30 नीतिगत रेपो दर से जुड़े ऋणों के मामले में, रुपये में नए ऋणों (अर्थात्, रेपो दर की तुलना में डब्ल्यूएएलआर) के संबंध में स्प्रैड शिक्षा ऋणों के लिए सबसे अधिक था, इसके बाद एमएसएमई ऋण (सारणी III.5) का स्थान था। घरेलू बैंक समूहों में, आवास, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए सराकरी बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रभारित स्प्रैड निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कम था, जबकि वाहन और एमएसएमई

सारणी III.5: बाह्य बेंच मार्क से जुड़े ऋण-रेपो दर की तुलना में डब्लूएआर का स्प्रैड (रुपए में नए ऋण) (मार्च 2022)

(प्रतिशत बिंदु)

बैंक समूह	वैयकितक ऋण				एमएसएमई ऋण
	आवास	वाहन	शिक्षा	अन्य वैयक्तिक ऋण	
1	2	3	4	5	6
सरकारी बैंक	2.85	3.23	4.28	3.17	4.32
निजी क्षेत्र के बैंक	3.47	2.79	5.45	6.06	4.12
घरेलू बैंक	3.15	3.06	4.51	3.36	4.23

स्रोत: रिज़र्व बैंक।

चार्ट III.5: वैयक्तिक ऋण और एमएसएमई को ऋणों पर डब्लूएएलआर (नए ऋणों) का संचरण (अक्तूबर 2019-मार्च 2022)

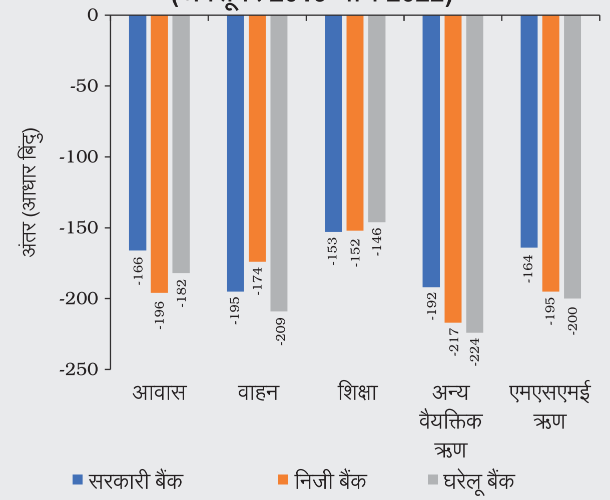

स्रोत: रिज़र्व बैंक।

ऋणों के लिए, पीएसबी की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रभारति स्प्रैड कम था।

III.31 अक्तूबर 2019 के बाद से उन क्षेत्रों में संचरण में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है जहां नए परिवर्ती दर ऋण अनिवार्य रूप से बाहरी बेंचमार्क (चार्ट III.5) से जुड़े हुए हैं। अन्य व्यक्तिगत ऋणों (224 बीपीएस) के मामले में गिरावट सबसे तेज थी, इसके बाद वाहन ऋण (209 बीपीएस) और एमएसएमई ऋण (200 बीपीएस) थे। इसी अवधि में, सभी क्षेत्रों में रुपये के नए ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर में गिरावट 186 प्रतिशत आधार बिंदु कम थी।

3. 2022-23 के लिए कार्यसूची

III.32 विभाग मुद्रास्फीति और संवृद्धि गतिशीलता और उनके परिदृश्य, चलनिधि और क्रेडिट स्थितियों के उच्च गुणवत्ता विश्लेषण के साथ मौद्रिक नीति के संचालन और निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। इस पृष्ठभूमि में, विभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:

- एक अर्थव्यवस्था-व्यापी क्रेडिट स्थिति सूचकांक और प्रमुख समष्टि-आर्थिक चरों के साथ इसका संबंध;

- मुद्रास्फीतिक अपेक्षाओं के चालकों का मूल्यांकन और मुद्रास्फीति की गतिशीलता में उनकी भूमिका; और
- निवेश संबंधी बाधाओं को समझने के लिए कॉर्पोरेट्स/फर्मों के निवेश व्यवहार का अध्ययन।

4. समापन

III.33 आगे मौद्रिक नीति के संचरण को ध्यान में रखते हुए संवृद्धि का समर्थन करते हुए + /- 2 प्रतिशत के बैंड के भीतर 4 प्रतिशत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्देशित किया जाना जारी रहेगा। क्षितिज पर अनिश्चितताओं के आशंकाओं के उभार को देखते हुए, विशेष रूप से वायरस के भविष्य के फैलाव के कारण, प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की गति, वैश्विक जिंस मूल्य गतिशीलता और भू-राजनीतिक तनाव के नतीजे के क्रम में नीतिगत प्रक्षेपणों की दिशा निश्चित की जाती रहेगी। रिज़र्व बैंक इस तरह से चलनिधि का प्रबंधन और पुनर्संतुलन करना जारी रखेगा ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि बनाए रखते हुए, बहाली को मजबूती प्रदान की जाए और समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थिरता भी अनुकूल बनी रहे।

IV ऋण सुपुर्दगी और वित्तीय समावेशन

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के अनुरूप ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए विशेष प्रयासों को जारी रखा है। 1,107 वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना के साथ-साथ स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करके वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) का विस्तार किया गया है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं की अवसंरचना को सुदृढ बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और कम लागत पर आसानी से प्रयोग योग्य वित्तीय उत्पादों की सूची को अधिक व्यापक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इन प्रयासों के सम्पूरक के रूप में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत बनाया जा रहा है। रिज़र्व बैंक ने एक वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई- इंडेक्स) भी प्रारंभ किया है जो पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता से संबंधित प्रगति की निगरानी में सहायक होगा।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने संपूर्ण देश के सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि तथा सूक्ष्म और लघु उद्योग (एमएसई) क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए ऋण वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान कई कदम उठाए गए।

IV.2 वर्ष 2021-22 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (07 अप्रैल 2021) के विकासात्मक और विनियामक वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने देशभर में वित्तीय समावेशन का स्तर मापने और विस्तृत वित्तीय समावेशन संबंधी भविष्य के नीतिगत कदम निर्धारित करने के एक साधन के रूप में सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक[1] (एफआई-सूचकांक) तैयार किया है। यह सूचकांक सेवाओं की आसान पहुंच, उपलब्धता और उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता के प्रति अनुक्रियाशील है। एफआई-सूचकांक को बिना किसी 'आधार वर्ष' के बनाया गया है और इसलिए यह वित्तीय समावेशन के लिए सभी हितधारकों द्वारा विगत वर्षों में किए गए संचयी प्रयासों को दर्शाता है। मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक एफआई-सूचकांक मार्च 2017 को समाप्त अवधि के 43.4 की तुलना में 53.9 था जो इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है। एफआई-सूचकांक प्रतिवर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जायेगा।

IV.3 वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई):2019-24 कवरेज की अवधि के दौरान वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों और कार्य-योजना को निर्धारित करती है। वर्ष के दौरान एनएसएफआई की मुख्य उपलब्धि पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों वाले गांवों / टोलों तथा चिन्हित गावों में से 99.94 प्रतिशत के लिए बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा।

IV.4 वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) : 2020-25 का उद्देश्य पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और आचरण विकसित करके देश के लोगों के सहयोग के माध्यम से वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत का विजन साकार करना है, जिसकी आवश्यकता अपने धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य के लिए योजना बनाने में होती है। कार्यनीति के दस्तावेज की सिफारिशों को राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हुई प्रगति की वित्तीय स्थिरता विकास परिषद उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) द्वारा आवधिक निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान एनएसएफई के अंतर्गत मुख्य उपलब्धियों में अंतर-विनियामक समन्वय के अलावा एनसीएफई द्वारा बेसिक

[1] *'भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक लागू किया'* विषय पर दिनांक 17 अगस्त 2021 की रिज़र्व बैंक की प्रैस विज्ञप्ति

वित्तीय शिक्षण के लिए साक्षरता विषय-वस्तु विकसित करना, वित्तीय साक्षरता के प्रचार-प्रसार के लिए सामुदायिक भागीदारी और वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है।

IV.5 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वर्ष 2021-22 की कार्य-सूची के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 2 में दिया गया है। इसमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रवाह का कार्य-निष्पादन और वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 की कार्य योजना को भाग 3 में दिया गया है। अंत में, अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. वर्ष 2021-22 की कार्य-सूची

IV.6 पिछले वर्ष विभाग ने उत्कर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एनएसएफआई: 2019-24 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन (पैरा IV 7-IV.8)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना (पैराग्राफ IV.9)
- देशभर के 3592 ब्लॉकों में 1,199 सीएफएल केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सीएफएल परियोजना का विस्तार करना और पूरे देश में वित्तीय शिक्षा के स्तर को बढ़ाना (पैराग्राफ IV.10); और
- सीएफएल पर प्रायोगिक परियोजना की अंतिम कड़ी प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण को पूरा करना (IV.10 और IV.27)

कार्यान्वयन की स्थिति

IV.7 एनएसएफआई को वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को व्यापक और सुस्थिर बनाने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया था। एनएसएफआई विशेष समय-सीमा के साथ कार्य योजना और लक्ष्य निर्धारित करता है और इन्हें समग्र रूप से प्राप्त करने के लिए व्यापक सिफारिशों का सुझाव देता है जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान छह सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना था। सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल इको-सिस्टम की सहायता के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण, ग्राहक शिकायत निपटान के लिए अंतर-विनियामक समन्वय को मजबूत बनाने के साथ ही प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के समुचित उपयोग और नवोन्मेषी दृष्टि के सृजन पर केंद्रित हैं।

IV.8 भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) को संस्थागत बनाकर, डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) के शुभारंभ, डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम के विस्तार और सुदृढीकरण संबंधी प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन और संवर्धन तथा देशभर की सभी 2.5 लाख *ग्राम पंचायतों* को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल(ओएफसी) बिछाकर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में अंतर-विनियामक समन्वय हेतु सचेत पोर्टल शुरू किया गया जिसमें सभी संबंधित क्षेत्रों के विनियामकों और सरकार का प्रतिनिधित्व है और जो इस प्रकार के समन्वय के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म प्रदान करता है। शिकायत समाधान को और अधिक प्रेरित करने के लिए सभी क्षेत्रों के विनियामकों ने टोल-फ्री नंबर प्रारंभ किए हैं।

IV.9 एमएसएमई संबंधी विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू.के. सिन्हा) ने 37 व्यापक सिफारिशें की थी। रिज़र्व बैंक से संबंधित 21 सिफारिशों में से 13 का कार्यान्वयन किया जा चुका है और छह को जांच के बाद कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया तथा दो रिज़र्व बैंक और सरकार के विचाराधीन हैं। वर्ष के दौरान लागू की गई दो प्रमुख सिफारिशों में (i) *दीनदयाल अंतोदय योजना*- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए गारंटी मुक्त ऋण की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करना (ii)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करना रहा।

IV.10 सीएफएल परियोजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष के दौरान 80 ब्लॉकों में करवाए गए सीएफएल प्रायोगिक परियोजना अंतिम कड़ी सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों को पैरा IV.26 में शामिल किया गया है। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, देशभर में कुल 1,107 सीएफएल स्थापित किए गए है जिसका विवरण बॉक्स IV.1 में दिया गया है।

मुख्य गतिविधियां

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र

IV. 11 31 मार्च 2022 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) 42.8 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 की तीन तिमाहियों में सभी बैंक समूहों ने पीएसएल के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था (सारणी IV.1)। यदि किसी बैंक द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य / उप लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी रह जाती है तो उन्हें ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सूक्ष्म ईकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अभिशासित अन्य निधियों में योगदान देने के लिए कहा जाता है।

सारणी IV.1 : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2020-21	24,16,750 (41.06)	14,33,674 (40.62)	1,99,969 (41.02)
2021-22*	26,23,666 (42.45)	16,87,138 (43.27)	1,94,031 (42.28)

*: आंकड़े अनंतिम है

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र जोखिम से इतर के समतुल्य ऋण (सीओबीई) जो भी अधिक हो, उसके प्रतिशत को दर्शाते हैं

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र विवरणियां

IV.12 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) की कारोबारी मात्रा में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 25.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2021-22 में यह 6.62 लाख करोड़ रही। चारों पीएसएलसी श्रेणियों में सबसे अधिक कारोबार पीएसएलसी-सामान्य और पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसान श्रेणी में देखा गया जिनके लेनदेन की मात्रा वर्ष 2021-22 में क्रमशः ₹2.70 लाख करोड़ और ₹2.29 लाख करोड़ रही।

बैंकों द्वारा एनबीएफसी को आगे उधार देने के लिए ऋण

IV.13 एनबीएफसी द्वारा पिरामिड के सबसे नीचले स्तर के क्षेत्रों जिनका निर्यात और रोजगार के मामले में बहुत योगदान रहता है, उनको ऋण सुविधा प्रदान करने में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और एनबीएफसी की चलनिधि स्थिति के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को कृषि और एमएसई क्षेत्रों (सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के अलावा) को आगे उधार दिए जाने वाले ऋण को पीएसएल के रूप में वर्गीकृत करने की सुविधा को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को आगे ऋण देने के लिए पीएसएल-उधार

IV.14 महामारी की स्थिति को देखते हुए और छोटे एमएफआई की चलनिधि संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए एसएफबी द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई और अन्य एमएफआई (सोसायटी, न्यास इत्यादि) को प्रदान किए गए नए ऋणों को पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुमति है बशर्ते कि ये संस्थान रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-विनियामक संगठन के सदस्य हों। यह लाभ केवल उन एमएफआई के लिए लागू है जिनका 31 मार्च 2021 को सकल ऋण पोर्टफोलियो ₹500 करोड़ तक हो। 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाई गई इस योजना

सारणी IV.2 :कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		ग्रामीण सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	10,81,978	11,94,704	2,25,946	1,90,682	1,92,076	1,90,012	15,00,000	15,75,398
2021-22*	12,05,488	12,91,454	2,30,543	2,17,848	2,13,968	2,00,590	16,50,000	17,09,893

*: आंकड़े अनंतिम है

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

के अंतर्गत एसएफबी को 31 मार्च 2021 तक उनके कुल पीएसएल पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक ही उधार देने की अनुमति है।

पीएसएल – परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (एनडब्लयूआर) / इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्लयूआर) पर बैंक उधार की सीमा में वृद्धि

IV.15 कृषि उत्पादों के रहन / दृष्टिबंधन पर किसानों को मिलने वाले ऋण के प्रवाह में बढोतरी सुनिश्चित करने और वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमित वेयरहाउसों द्वारा जारी एनडब्लयूआर/ई-एनडब्लयूआर के प्रयोग को बढावा देने के लिए एनडब्लयूआर/ई-एनडब्लयूआर पर मिलने वाले पीएसएल ऋण की सीमा को ₹50 लाख से बढाकर ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता कर दिया गया है।

कृषि को ऋण प्रवाह

IV.16 भारत सरकार प्रतिवर्ष एससीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹16.5 लाख करोड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बैंकों ने 31 मार्च 2022 तक 104 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया (₹17.09 लाख करोड़) जिसमें एससीबी, आरआरबी और ग्रामीण सहकारी बैंकों ने क्रमशः अपने लक्ष्य का 107 प्रतिशत, 93.7 प्रतिशत और 94.5 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। (सारणी IV.2)

IV.17 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को कृषि एवं खपत, निवेश और बीमा सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल विंडो के तहत पर्याप्त और समय पर बैंक ऋण उपलब्ध करवाता है (सारणी IV.3)

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.18 वर्तमान में, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के अंतर्गत 12 प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं नामतः चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन. हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और शीत

सारणी : IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या लाख में, राशि करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण	पशुपालन एवं मछली पालन के लिए बकाया ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6
2020-21	306.96	4,13,903	36,161	6,673	4,56,736
2021-22*	268.71#	4,33,413	29,309	13,561	4,76,283

*: आंकड़े अनंतिम है

#: क्रियाशील केसीसी खातों की संख्या में अनर्जक आस्ति (एनपीए) खाते शामिल नहीं है। चूंकि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान एनपीए खातों की संख्या में वृद्धि हुई है इसलिए क्रियाशील केसीसी की संख्या में कमी आई है।

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और लघु वित्त बैंक।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या लाख में, राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	पुनर्रचित / पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नया वित्त / पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2020-21	1.58	2,486	11.77	18,377
2021-22*	0.26	6,500	0.10	12,758

*: आंकड़े अनंतिम है

स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)

लहर / पाला गिरना को शामिल किया गया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इन आपदाओं से प्रभावित उन क्षेत्रों में राहत प्रदान करने का निदेश दिया है जहां फसलों को 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान हुआ हो। बैंकों द्वारा प्रदान किए गए उपायों में *अन्य बातों के साथ-साथ* मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना / पुनर्निर्धारण और पात्र उधारकर्ताओं को उनकी आने वाली आवश्यकताओं के अनुसार नए ऋण प्रदान करना शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान तीन राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई, जहां नए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता और ऋण पुनर्संरचना के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की गई। (सारणी IV.4)

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

IV.19 एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाना रिज़र्व बैंक और सरकार की नीतिगत प्राथमिकता है । सालाना आधार पर एससीबी द्वारा एमएसएमई को दिये गए ऋण का बकाया मार्च 2022 में 13.4 प्रतिशत बढ़ा है (एक वर्ष पहले यह 10.6 प्रतिशत था) (सारणी IV.5)

वित्तीय समावेशन

अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व सौंपना

IV.20 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक जिले में एक निर्दिष्ट बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है। 31 मार्च 2022 के अंत तक, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को देशभर के 734 जिलों में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

प्रत्येक गांव में वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुंच

IV.21 प्रत्येक गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में / पहाड़ी क्षेत्रों में 500 घरों के टोलों (हैमलेट) में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना एनएसएफआई: 2019-24 का एक प्रमुख उद्देश्य है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 25 राज्यों और 7 केंद्र-शासित प्रदेशों में इस लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त किया जा चुका है और देशभर के चिन्हित गांवों / टोलों के 99.94 प्रतिशत को यह सुविधा प्रदान की चुकी है। बकाया गांवों / टोलों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन योजना

IV.22 सुस्थिर तरीके से वित्तीय समावेशन के स्तर में वृद्धि हेतु सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंकों को वित्तीय

सारणी IV.5: एमएसएमई को बैंक ऋण

(संख्या लाख में; राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	सूक्ष्म उद्योग		लघु उद्योग		मध्यम उद्योग		एमएसएमई	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	387.93	8,21,027.77	27.82	6,62,998.50	4.44	2,99,898.53	420.19	17,83,924.80
2021-22*	239.81	8,87,800.05	22.07	7,25,822.77	3.23	4,09,011.46	265.10#	20,22,634.29

*: आंकड़े अनंतिम है

#: खातों की संख्या में कमी एमएसएमई के पुनर्वर्गीकरण और नई परिभाषा के अंतर्गत *उद्यम* पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण के कारण आई है

स्रोत: एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की विवरणियां

समावेशन योजना (एफपीआई) बनाने का निदेश दिया गया था। इन एफपीआई के विभिन्न मानदंडों जैसे कि बैंकिंग आउटलेट की संख्या (शाखाएं और कारोबारी संवाददाता (बीसी)), बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), इन खातों में ली गई ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं, केसीसी और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों में लेनदेन और कारोबारी संवाददाताओं माध्यम से लेनदेन – सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (बीसी-आईसीटी) चैनल के आधार पर बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। इन मानदंड़ों के संबंध में दिसंबर 2021 तक हुई प्रगति को सारणी IV.6 में दिया गया है।

वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक)

IV.23 देशभर में वित्तीय समावेशन के स्तर का पता लगाने के लिए रिज़र्व बैंक ने तीन उप-सूचकांकों अर्थात् , एफआई-पहुंच, एफआई-उपयोग और एफआई-गुणवत्ता के साथ एक सम्मिश्र एफआई-सूचकांक तैयार किया है जिसमें सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के साथ परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेन्शन क्षेत्र का विवरण भी शामिल किया गया है। मार्च 2021 के अंत में, परिकलित एफआई-सूचकांक मार्च 2017 के अंत के 43.4 की तुलना में 53.9 था जिसमें 5.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है। तीन उप-सूचकांकों में से पहुंच संबंधी सूचकांक इसी अवधि में 61.7 से बढ़कर 73.3 हो गया है, हालांकि उपयोग और गुणवत्ता के लिए उप-सूचकांक में क्रमशः 30.8 से 43.0 और 48.5 से 50.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु ये समग्र एफआई-सूचकांक से नीचे बने हुए है। सूचकांक मूल्य वित्तीय समावेशन के उपयोग और गुणवत्ता पहलुओं में सुधार की गुंजाइश को दर्शाता है।

सारणी IV.6 : वित्तीय समावेशन योजना: प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010	दिसं 2020	दिसं 2021$
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – शाखाएं	33,378	55,073	53,249
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स> 2000-बीसी	8,390	8,49,955	15,18,496^
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स < 2000-बीसी	25,784	3,44,685	3,26,236
गांवों में कुल आउटलेट्स –बीसी	34,174	11,94,640	18,44,732^
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स –अन्य माध्यम	142	3,464	2,542
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स – कुल	**67,694**	**12,53,177**	**19,00,523**
बीसी के माध्यम से समावेशित शहरी क्षेत्र	447	3,24,507	14,12,529^
बीसीएसबीडीए –शाखाओं के माध्यम से (संख्या लाख में)	600	2,712	2,712
बीसीएसबीडीए –शाखाओं के माध्यम से (राशि करोड़ में)	4,400	1,21,219	1,18,625
बीसीएसबीडीए –बीसी के माध्यम से (संख्या लाख में)	130	3,672	3,919
बीसीएसबीडीए –बीसी के माध्यम से (राशि करोड़ में)	1,100	78,284	95,021
बीसीएसबीडीए- कुल (संख्या लाख में)	**735**	**6,384**	**6,631**
बीसीएसबीडीए – कुल (राशि करोड़ में)	**5,500**	**1,99,503**	**2,13,646**
बीसीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (संख्या लाख में)	2	59	64
बीसीएसबीडीए में ली गई ओडी सुविधा (राशि करोड़ में)	10	505	556
केसीसी – कुल (संख्या लाख में)	240	490	473
केसीसी – कुल (राशि करोड़ में)	1,24,000	6,79,064	6,93,596
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	10	198	87
जीसीसी – कुल (संख्या लाख में)	3,500	1,75,053	1,99,145
आईसीटी-ए/सी-बीसी – कुल लेनदेन (संख्या लाख में)#	270	23,289	21,095
आईसीटी-ए/सी-बीसी – कुल लेनदेन (राशि करोड़ में)#	700	6,14,987	6,62,211

*: गांवों की जनसंख्या #: वर्ष के दौरान लेनदेन.

$: अनंतिम आंकड़े.

^: कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अत्याधिक वृद्धि हुई हैं।

स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रस्तुत एफआईपी विवरणियां.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना

IV.24 स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता विषय-वस्तु विकसित करना एनएसएफई: 2020-25 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। कक्षा VI-X तक की वित्तीय शिक्षा कार्य-पुस्तिका के लिए विषय-वस्तु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), एनसीएफई और

वित्तीय क्षेत्र के सभी चार विनियामकों[2] के साथ परामर्श से तैयार की गई। अभी तक 19 राज्य शैक्षणिक बोर्डों ने वित्तीय शिक्षा संबंधी मॉड्यूल को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल / आंशिक रूप से शामिल कर लिया है। एनसीएफई द्वारा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय से शेष राज्य शैक्षणिक बोर्डों को भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) द्वारा संचालित गतिविधियां

IV.25 दिसंबर 2021 को समाप्त अवधि को देश में 1,495 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)[3] थे। वर्ष 2021-22 (31 दिसंबर 2021 तक) के दौरान एफएलसी द्वारा 73,900 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गई। महामारी के दौरान भी संपूर्ण देश में वित्तीय शिक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने वर्चुअल मोड से वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और वित्तीय जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए स्थानीय केबल नेटवर्क और रेडियो कम्युनिटी की सेवाओं का उपयोग भी किया।

सीएफएल प्रायोगिक परियोजना का अंतिम-कड़ी सर्वेक्षण

IV.26 सीएफएल प्रायोगिक परियोजना अंतिम कड़ी सर्वेक्षण 80 खंडों में किया गया जिससे इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकें। इसका मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- जिन परिवारों को कार्यक्रम में भाग लिया था उनका वित्तीय साक्षरता स्कोर ऐसे परिवारों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से उच्चतर था जिन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था।
- ऐसे प्रत्यर्थियों के बैंकों में बचत खाता उपयोग करने की संभावना अधिक थी जिन्होंने सीएफएल कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में किसी प्रकार से भाग लिया था; यह प्रभाव उन व्यक्तियों में अधिक देखा गया जिन्होंने सीएफएल कार्यक्रम में भाग लिया था (अर्थात् जिनका 'सक्रिय' एक्सपोजर था)
- परिवारों को मुख्यतः उन पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिसे 'पहले स्तर' का संव्यवहार माना जा सकें जैसे खाता खोलना, फार्म जमा करवाना, बैंक सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय योजना तक पहुंच। इसकी तुलना में स्वचालित टैलर मशीन (एटीएम), ऑनलाइन लेनदेन, निवेश की समझ इत्यादि के बारे में केवल कुछ ही लोगों ने प्रशिक्षण की इच्छा व्यक्त की।

देशभर में सीएफएल परियोजना की पहुंच बढाना

IV.27 प्रायोगिक सीएफल परियोजना को 100 ब्लॉकों में लागू करने के बाद (20 सीएफएल जनजातीय ब्लॉकों सहित) चरणबद्ध तरीके से देश के सभी ब्लॉकों में सीएफएल का विस्तार करने के लिए वर्ष के दौरान कई कदम उठाए गए। (बॉक्स IV.1)

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन

IV.28 वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्लयू) रिज़र्व बैंक की एक पहल है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष इस सप्ताह के दौरान एक सघन अभियान के माध्यम से मुख्य विषयों पर आम जनता के बीच जागरूकता बढाई जाती है। वर्ष 2021-22 में एफएलडब्लयू 'डिजिटल अपनाये, सुरक्षित रहे' थीम के साथ 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के दौरान मनाया गया जिसे डिजिटल लेनदेन की

[2] इन कार्य-पुस्तिकाओं को एनसीएफई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है

[3] एफएलसी, बैंक द्वारा स्थापित किए गए है और उनका प्रबंधन वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। सीएफएल परियोजना जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को मजबूत बनाने के लिए नवोन्मेषी और सामुदायिक नेतृत्व से प्रतिभागिता दृष्टिकोण के साथ रिज़र्व बैंक का गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और बैंकों को साथ लाने का प्रयास है। सीएफएल परियोजना 2017 में प्रारंभ की गई थी (कृपया बॉक्स संख्या IV.1 देखें)। एक सघन प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर सीएफएल परियोजना का पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है।

बॉक्स IV.1

देशभर में सीएफएल परियोजना की पहुंच का विस्तार करना

वित्तीय साक्षरता पर सीएफएल प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ रिज़र्व बैंक द्वारा नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में वर्ष 2017 में आठ प्रायोजक बैंकों और छह एनजीओं के साथ सहयोग से तीन वर्षो की अवधि के लिए किया गया था जिसके लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और संबंधित प्रायोजक बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के लिए सामुदायिक नेतृत्व के नवोन्मेषी और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाया जाना था। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए) और प्रायोजक बैंकों से प्राप्त निधीयन के साथ इस परियोजना का विस्तार वर्ष 2019 में तीन राज्यों के 20 जनजातीय और / आर्थिक रूप से पिछड़े खंडों में भी किया गया।

प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर और विभिन्न हितधारकों (बैंकों एवं एनजीओ) से प्राप्त फीडबैंक द्वारा और एनएसएफआई: 2019-24 के अनुरूप जमीनी स्तर पर सुस्थिर और सहभागिता से वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने के लिए इस परियोजना को 2024 तक पूरे देश को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक सीएफएल के अंतर्गत तीन ब्लॉक होंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत वर्धित सीएफएल परियोजना को लागू करने के लिए डीईएफ, एफआईएफ और 13 प्रायोजक बैंकों से प्राप्त वित्तीय सहायता के साथ 10 एनजीओ का सहयोग लिया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 1, 107 सीएफएल कार्य कर रहे थे।

स्रोत : आरबीआई

आसानी, डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के संरक्षण पर केंद्रित किया गया था। सप्ताह के दौरान, बैंकों को अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच सूचना के प्रचार-प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने आम जनता में थीम से संबंधित आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेशों के प्रचार के लिए फरवरी 2022 के दौरान केंद्रीकृत मास मीडिया अभियान भी चलाया।

3. वर्ष 2022-23 के लिए कार्य-सूची

IV.28 विभाग बेहतर वित्तीय साक्षरता और ऋण वितरण हासिल करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा:

- आउटरीच को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाकर वित्तीय सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से फिनटेक के क्षेत्र में हुए विकास के प्रयोग से एनएसएफआई :2019-24 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन (*उत्कर्ष*);
- वित्तीय शिक्षा के प्रसार में शामिल मध्यवर्तियों के क्षमता विकास के माध्यम से एनएसएफई : 2020-25 के अंतर्गत लक्ष्यों का कार्यान्वयन; और
- संपूर्ण देश को कवर करने के लिए सीएफएल का संवर्धन (*उत्कर्ष*)।

4. निष्कर्ष

IV.30 संक्षेप में, वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने पूरे देश में सीएफएल परियोजना के विस्तार और संबंधित हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय से एनएसएफआई के लक्ष्यों को लागू करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखा। वित्तीय समावेशन की प्रगति जानने के लिए एफआई-सूचकांक को एक मैट्रिक्स के रूप मे विकसित किया गया। भविष्य में, एनएसएफआई और एनएसएफई के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों के कार्यान्वयन द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रयासों को लगातार जारी रखा जायेगा।

V वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने भागीदारी को व्यापक बनाने, पहुंच को आसान बनाने, विनियामक ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करके वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने और गहरा करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा से संबंधित विभिन्न विनियमों को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय भी किए गए।

V.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आसान पहुंच, भागीदारी को व्यापक बनाने और ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार के लिए एक सिद्धांत-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करने के मामले में वित्तीय बाजारों को विकसित करने के अपने प्रयास को जारी रखा साथ ही एक रोडमैप के माध्यम से लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (लाइबोर) अभिशासन से एक सुरक्षित और सुदृढ़ पारगमन प्रदान किया। चलनिधि प्रबंधन परिचालनों में प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत और अपरंपरागत दोनों उपाय शामिल थे। रिज़र्व बैंक ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और विनियमित संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के साथ, बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना जारी रखा। कोविड-19 के कारण बाहरी व्यापार और भुगतान पर होने वाले तनाव को कम करने के लिए कई नीतिगत उपाय भी किए गए ।

V.2 इस पृष्ठभूमि में, शेष अध्याय को चार खंडों में संरचित किया गया है। वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन को खंड 2 में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक के बाजार परिचालन की चर्चा खंड 3 में की गई है। खंड 4 में, बाहरी व्यापार और भुगतान और उदारीकरण और विकास से संबंधित उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतिम प्रेक्षणों को अंतिम खंड में दिया गया है।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफ़एमआरडी) को मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), ब्याज दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव बाजारों के विकास, विनियमन और निगरानी का कार्य सौंपा गया है। विभाग ने इस अधिदेश के अनुसरण में 2021-2022 के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए।

2021-22 *की कार्ययोजना*

V.4 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 2021-22 की दूसरी तिमाही तक भारत में गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव्स (एनसीसीडी) पर प्रारंभिक मार्जिन के आदान-प्रदान को लागू करने के लिए मसौदा निर्देश जारी करना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ V. 5];
- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा 2021-22 की दूसरी तिमाही में 'विशेष रिपो' बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति ऋण और उधार प्रणाली (जीएसएलबीएम) का आरंभ (पैराग्राफ V.6); और
- इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति के अनुरूप भारत में विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता

(यूटीआई) ढांचे को लागू करके व्युत्पन्न लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) आवश्यकताओं के तहत एकत्रीकरण और पारदर्शिता को मजबूत करना (पैराग्राफ वी.7)।

कार्यान्वयन की स्थिति

V.5 महामारी के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर मार्जिन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा में एक वर्ष के विस्तार का संज्ञान लेते हुए 2022-23 के दौरान एनसीसीडी के लिए अनिवार्य मार्जिन आवश्यकताओं के निर्देशों को चरणबद्ध रूप से लाया जाएगा।

V.6 जीएसएलबीएम को सक्षम करने के लिए दिशा-निर्देश चल रहे बाजार परामर्श के पूरा होने और विधायी और बाजार संबंधी बुनियादी ढांचे के कुछ पहलुओं के विकास के पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे।

V.7 विश्व स्तर पर, यूटीआई के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति कुछ विकसित हो रहे मानकों के कारण क्रमिक रही है। इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति का संज्ञान लेने के लिए भारत में यूटीआई के कार्यान्वयन को तदनुसार अंशांकित किया गया है।

प्रमुख पहलें

मुद्रा बाजार में आसान पहुंच और व्यापक भागीदारी

V.8 वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार विकसित करने के लिए कई उपाय किए गए जैसे कि कॉल /नोटिस/टर्म मुद्रा, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)। जारीकर्ताओं, निवेशकों और प्रतिभागियों के संदर्भ में इन उपकरणों में अधिक स्थिरता लाने की दृष्टि से जनता / हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद विनियमों की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट तक पहुंचने और सीडी जारी करने की अनुमति देकर प्रतिभागी आधार का विस्तार किया गया। प्रतिभागियों को मौजूदा विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों के भीतर कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की छूट प्रदान की गई थी। चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए जारीकर्ताओं को परिपक्वता से पहले अपनी सीडी वापस खरीदने की अनुमति दी गई थी। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में निवल स्वामित्व वाली निधि 225 प्रतिशत की एक अलग विवेकपूर्ण सीमा मुद्रा बाजार में स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों द्वारा उधार के लिए निर्धारित की गई थी। कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट और सीडी पर संशोधित निर्देश क्रमशः 1 अप्रैल, 2021 और 4 जून, 2021 को जारी किए गए थे।

ऋण बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए व्यापार करने में आसानी

V.9 ऋण बाजार में अनिवासी निवेश के लिए विनियामक ढांचे को अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और दीर्घकालिक स्थिर ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए परिष्कृत किया गया :

- 4 जून 2021 को, अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी -1 बैंकों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को उनके क्रेडिट जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के निपटान के लिए सीसीआईएल के पास मार्जिन रखने के लिए उधार देने की अनुमति दी गई थी। 7 जून, 2021 को, एफ़पीआई /अभिरक्षक बैंकों को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) को अपने सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तारित टाइम विंडो दी गई थी।
- केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसरण में, 8 नवंबर, 2021 को निर्देश जारी किए गए थे कि एफ़पीआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आईएनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाए।

- 1 अप्रैल, 2022 से स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ करने के निर्देश 10 फरवरी, 2022 को जारी किए गए थे।

ओवर द काउंटर (ओटीसी) व्युत्पन्न बाजार के लिए सिद्धांत-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क बनाना

V.10 वर्ष के दौरान "डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशानिर्देश (सीजीडी)" की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य (i) एक सिद्धांत-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करना था; (ii) सीजीडी और अन्य निर्देशों के बीच ओवरलैप को संबोधित करना; और (iii) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप डेरिवेटिव बाजारों के बढ़ते परिष्कार को पूरा करने के लिए नए प्रावधान जोड़ना। जनता/हितधारकों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, 16 सितंबर, 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव में बाजार निर्माता) निर्देश, 2021 जारी किए गए थे। इन निर्देशों में शासन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन और ओटीसी व्युत्पन्न व्यवसाय के लिए ग्राहक अनुकूलता और उपयुक्तता से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) दिशानिर्देशों की समीक्षा

V.11 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई, और संशोधित निर्देश (क्रेडिट डेरिवेटिव्स) 10 फरवरी, 2022 को जारी किए गए। ये दिशानिर्देश गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं जैसे विनियमित वित्तीय संस्थाओं और एफपीआई को सुरक्षा बेचने की अनुमति देते हैं। वे गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने या क्रेडिट जोखिम पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति भी देते हैं जबकि खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने की अनुमति है।

बैंकों को अपतटीय विदेशी मुद्रा में निपटान किए गए रुपया डेरिवेटिव बाजार में डील करने की अनुमति देना

V.12 देश में ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार को और गहरा करने, तटीय और अपतटीय बाजारों के बीच विभाजन को हटाने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से, 10 फरवरी, 2022 को निर्देश जारी किए गए थे, जिससे फेमा, 1999 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी कैट-I) लाइसेंस रखने वाले बाजार निर्माताओं को अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ भारत में उनकी शाखाएं, विदेशी शाखाएं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाइयों के माध्यम से अपतटीय विदेशी मुद्रा सेटल ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (एफ़सीएस-ओआईएस) बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।

लाइबोर संक्रमण के लिए रोडमैप

V.13 लाइबोर प्रणाली से एक व्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत संक्रमण को सक्षम करने की दृष्टि से, बैंकों और अन्य रिज़र्व बैंक-विनियमित संस्थाओं को 8 जुलाई, 2021 को सूचित किया गया था कि वे (i) नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करना बंद करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और इसके बजाय किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर 2021 तक उपयोग करें; (ii) वित्तीय अनुबंधों में एआरआर के लिए फॉलबैक के प्रावधान शामिल करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और जिसकी परिपक्वता लाइबोर सेटिंग की समाप्ति के बाद आती है; (iii) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाइबोर एक्सपोजर की व्यापक समीक्षा करें और ऐसे एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक ढांचा तैयार करें; और (iv) संक्रमण के बारे में ग्राहकों को संवेदनशील बनाने के प्रयास जारी रखें। लाइबोर संक्रमण के रोडमैप से संबंधित विवरण बॉक्स V.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

2022-23 की कार्य योजना

V.14 विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- भारत में एनसीसीडी के लिए भिन्नता मार्जिन आवश्यकताओं को शुरू करने के लिए निर्देश 2022-23 की पहली छमाही में जारी किए जाएंगे (उत्कर्ष); और

बॉक्स V.1
लाइबोर संक्रमण के लिए रोडमैप

वर्ष 2022 लाइबोर के प्रकाशन की समाप्ति की शुरुआत को रेखांकित करता है, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अब तक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वित्तीय बेंचमार्क रहा है। दुनिया भर में और भारत में व्यापक परामर्श और चर्चाओं ने लाइबोर के बाद की प्रणाली में यथोचित रूप से सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित किया है। सभी गैर-यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स, और 1-सप्ताह और 2-महीने के यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो गए। शेष यूएसडी लाइबोर सेटिंग्स का प्रकाशन 30 जून 2023 को बंद हो जाएगा।

वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) [*उदाहरण के लिए,* सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (एसओएफआर) और स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज (एसओएनआईए)] ओवरनाइट सिक्योर्ड/अन सिक्योर्ड दरें हैं और लाइबोर (जो पोल आधारित था) के विपरीत, वे व्यापक भागीदार आधार (बैंक और गैर- बैंक दोनों) के साथ लेनदेन किए गए सत्यापन योग्य दरों पर आधारित हैं। भविष्योन्मुख लाइबोर के विपरीत, एआरआर पीछे की ओर देखने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें दैनिक ओवरनाइट दरों को मिलाकर प्राप्त किया जाता है।

लाइबोर को संदर्भित करने वाले अनुबंध और जिनकी परिपक्वता लाइबोर की समाप्ति से आगे बढ़ती है, उन्हें फॉलबैक अपनाना होगा। विभिन्न उद्योग निकायों जैसे इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए), एशिया पैसिफिक लोन मार्केट्स एसोसिएशन (एपीएलएमए) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा फ़ॉलबैक टेम्प्लेट प्रकाशित किए गए हैं जिसमें आमतौर पर टर्म लाइबोर और टर्म एआरआर के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रसार समायोजन शामिल किया गया है [1]।

भारत में विनियामक पहल

लाइबोर बेंचमार्क के संबंध में, भारत के लिए चुनौतियां अन्य अधिकार क्षेत्रों के समान ही हैं। रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरणों ने सुचारु लाइबोर संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विनियामक कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक ने 8 जुलाई, 2021 को अपनी विनियमित संस्थाओं को एक परामर्श जारी किया कि (ए) वित्तीय अनुबंधों में फॉलबैक को अपनाना सुनिश्चित करें जो लाइबोर [मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफओआर) सहित] का संदर्भ देते हैं और जो लाइबोर की समाप्ति के बाद परिपक्व होते हैं; (बी) यथाशीघ्र और अधिकतम 31 दिसंबर, 2021 तक नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करना बंद करें जो लाइबोर को बेंचमार्क (एमआईएफओआर समेत) के रूप में संदर्भित करते हैं और व्यापक रूप से स्वीकार्य एआरआर में लेनदेन करते हैं और (सी) लाइबोर संक्रमण के आसपास के मुद्दों पर ग्राहक संवेदीकरण सुनिश्चित करते हैं . लाइबोर संक्रमण के आसपास के जोखिमों के प्रबंधन के उद्देश्य से 31 दिसंबर, 2021 के बाद यूएसडी लाइबोर को संदर्भित कुछ विशिष्ट लेनदेन की अनुमति है।

एमआईएफ़ओआर का सुधार

एमआईएफ़ओआर, घरेलू बेंचमार्क जो यूएसडी लाइबोर को संदर्भित करता है, का वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा आईबीए की दरों और कार्यप्रणाली वर्कस्ट्रीम के परामर्श से सुधार किया गया है। समायोजित एमआईएफ़ओआर (जिसका उपयोग एमआईएफ़ओआर को संदर्भित करने वाले विरासत अनुबंधों के लिए कमबैक के रूप में किया जा सकता है) और संशोधित एमआईएफ़ओआर (जिसे नए वित्तीय अनुबंधों के लिए उपयोग किया जा सकता है) का प्रकाशन शुरू हो गया है। संशोधित एमआईएफ़ओआर को आईएसडीए परिभाषाओं में शामिल किया गया है। बाजार सहभागियों ने लेनदेन में संशोधित एमआईएफ़ओआर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। समायोजित एमआईएफ़ओआर को आईएसडीए आईबीओआर फ़ॉलबैक प्रोटोकॉल/पूरक में भी शामिल किया गया है।

अन्य विनियामक पहलों में निर्यात ऋण, एफसीएनआर (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण में एआरआर के उपयोग के लिए प्रावधान करने के उपाय शामिल हैं। लाइबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट और टर्म प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ईसीबी / ट्रेड क्रेडिट (टीसी) के लिए कुल लागत सीमा को 100 आधार अंकों (बीपीएस) और नए ईसीबी /टीसी के लिए 50 बीपीएस तक संशोधित किया गया है। चूंकि लाइबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक " *अप्रत्याशित घटना* " है, यह स्पष्ट किया गया है कि लाइबोर / लाइबोर से संबंधित बेंचमार्क से एआरआर में संदर्भ दर में परिवर्तन के कारण व्युत्पन्न अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन को पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाएगा।

स्रोत: आरबीआई।

- रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) पर संशोधित निर्देश 2022-23 में जारी किए जाएंगे, जो सार्वजनिक प्रतिक्रिया की समीक्षा के पश्चात जारी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक उत्पाद नवाचार किया जा सके, घरेलू बाजार तक अनिवासी पहुंच को आसान बनाया जा सके और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जा सके।

[1] लाइबोर के विपरीत, टर्म एआरआर में टर्म प्रीमिया और क्रेडिट प्रीमिया शामिल नहीं है।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.15 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) को दो प्राथमिक जिम्मेदारियां को सौंपी गई हैं: मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालन का संचालन; और तटीय और अपतटीय बाजारों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करना।

2021-22 की कार्य योजना

V.16 वर्ष के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके चलनिधि प्रबंधन परिचालन को प्रभावी ढंग से करने के लिए (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.17];
- यूएसडी /आईएनआर विनिमय दर (पैराग्राफ V.18 - V.19) में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा परिचालन का संचालन जारी रखना; और
- वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करना (पैराग्राफ V.20)।

कार्यान्वयन की स्थिति

चलनिधि *प्रबंधन*

V.17 चलनिधि प्रबंधन संचालन से संबंधित विवरण जिसमें मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार शामिल हैं, वे इस रिपोर्ट के अध्याय III में शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.18 वर्ष के दौरान, रुपये ने एक अवमूल्यन पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया, जो अमेरिकी डॉलर द्वारा व्यापक-आधारित लाभ को दर्शाता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और नए कोविड-19 वेरिएंट के प्रसार के कारण जोखिम-बंद भावनाओं के मुकाबलों ने भी रुपये पर वजन किया। हालांकि भारतीय इक्विटी बाजारों में मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह ने वर्ष की शुरुआत में रुपये का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका में मौद्रिक स्थितियों को सख्त करने की बढ़ती संभावनाओं के जवाब में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए समग्र प्रवाह के कम होने के कारण ये प्रवाह दूसरी छमाही की ओर कम हो गए, इसके अलावा कोविड -19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी नए सिरे से अनिश्चितता बनी हुई है।

V.19 रिज़र्व बैंक ऑनशोर/ऑफशोर ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) सेगमेंट में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में लगा हुआ है ताकि विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करके बाजार की स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखा जा सके।

अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन

V.20 ने कोविड-19 के दौरान विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन जैसे कई सामयिक मुद्दों पर अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन किए; रिपो दर से भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) के प्रसार को निर्धारित करने वाले कारकों पर महामारी का प्रभाव; निश्चित मूल्य खुले बाजार के संचालन; और वित्तीय बाजारों के लिए बैरोमीटर।

2022-23 की कार्य योजना

V.21 वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई है:

- मौद्रिक नीति *के रुख के अनुरूप*, सभी उपलब्ध चलनिधि प्रबंधन उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए चलनिधि प्रबंधन संचालन करना आवश्यक हो सकता है (*उत्कर्ष*);
- यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से विदेशी मुद्रा संचालन करना जारी रखना; और
- वित्तीय बाजारों पर नीति -उन्मुख अनुसंधान करना।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफ़ईडी)

V.22 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत परिकल्पित उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ, विभाग प्रयास करता है विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा प्रदान करना और विदेशी मुद्रा बाजारों के व्यवस्थित विकास को भी बढ़ावा देता है।

V.23 वर्ष के दौरान, विभाग ने मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों और उभरती व्यावसायिक प्रथाओं और मॉडलों के साथ नियामक ढांचे को संरेखित करने की चल रही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में फेमा के तहत जारी मौजूदा विनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं की समीक्षा/यौक्तिकीकरण करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। विभाग ने कोविड -19 के कारण बाहरी व्यापार और भुगतान पर होने वाले तनाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए और उपाय किए।

2021-22 की कार्य योजना

V.24 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे :

- मौजूदा विविनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखें , संशोधन अधिसूचनाओं के बार-बार जारी होने से बचने के लिए हार्ड-कोडिंग को हटा दें और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करें (पैराग्राफ V.25 - V.26);
- विदेशी निवेश नियमों को तर्कसंगत बनाने की कवायद को आगे बढ़ाएं (पैराग्राफ V.27);
- मौजूदा सॉफ्टवेयर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, *अर्थात* बाहरी वाणिज्यिक उधार और व्यापार क्रेडिट रिपोर्टिंग और अनुमोदन के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म (एसपीईसीटीआरए) और अधिकृत व्यक्ति (एपी) कनेक्ट *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ V.28];
- भारत में विदेशी निवेश पर एक संशोधित मास्टर निर्देश जारी करें क्योंकि सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली अधिसूचित की गई है (पैराग्राफ V.29); और
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री बनाएं (उत्कर्ष) [पैराग्राफ V.30]।

कार्यान्वयन की स्थिति

फेमा दिशानिर्देशों का यौक्तिकीकरण

V.25 वर्ष के दौरान , एक सरल और मानक मार्गदर्शन मैट्रिक्स की दृष्टि से फेमा के तहत चक्रवृद्धि राशि की गणना के लिए गणना मैट्रिक्स पर मौजूदा मार्गदर्शन नोट की समीक्षा शुरू की गई थी। कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक और अन्य ऑनलाइन तरीकों को सक्षम करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है और *उत्कर्ष* -2022 के अनुरूप है, जो *अन्य बातों* के साथ-साथ डिजिटल भुगतान को व्यापक बनाने पर जोर देता है।

V.26 भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफ़एससी) सहित विदेशी क्षेत्राधिकार में वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ़) की स्थापना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) दिशानिर्देशों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत है, इन एआईएफ़ में प्रायोजक योगदान की स्थिति ओडीआई दिशानिर्देशों के तहत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं था। इस संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, भारत में आईएफएससी सहित विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित एआईएफ को भारतीय प्रायोजक से वित्तीय योगदान को अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में माना जाता है।

विदेशी निवेश विनियमों का यौक्तिकीकरण

V.27 वर्ष के दौरान विदेशी निवेश विनियमों की समीक्षा की गई। मसौदा नियमों/विनियमों को जनता की टिप्पणियों के लिए

रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। प्राप्त फीडबैक/सुझावों के आधार पर संशोधित प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है।

मौजूदा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जैसे, एसपीईसीटीआरए और एपी कनेक्ट

V.28 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार क्रेडिट के पूर्ण जीवनचक्र को स्वचालित करने के अपने प्रयास में, विभाग एसपीईसीटीआरए परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। स्पेक्ट्रा ईसीबी / व्यापार क्रेडिट के जीवनचक्र को शामिल करेगा, आवेदन की प्राप्ति से अनुमोदन चरण तक या तो अधिकृत डीलर (एडी) बैंक या रिजर्व बैंक के स्तर पर, साथ ही लेनदेन की रिपोर्टिंग। इसमें ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट से संबंधित सभी नीतिगत प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। सॉफ्टवेयर का विकास पूरा हो गया है और उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) [2] पूरा होने के करीब है। इसके अलावा, पूर्ण धन परिवर्तकों (एफएफएमसी)/उन्नत एफएफएमसी के लाइसेंसिंग, नवीकरण, रिपोर्टिंग, निरस्तीकरण और निरीक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर परियोजना, एपी कनेक्ट को विकसित किया गया है और यूएटी पूरा कर लिया गया है।

भारत में विदेशी निवेश पर मास्टर निदेश

V.29 भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (एनडीआई नियमावली) के मद्देनजर *भारत में विदेशी निवेश* पर मास्टर निदेश को अद्यतन किया गया है।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और डिजिटल सामग्री का निर्माण

V.30 फेमा, 1999 के संबंध में जनता और हितधारकों को परिचित कराने की दृष्टि से, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के संचालन के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को एक परिपत्र जारी किया गया है।

प्रमुख पहल

बाहरी उधार के लिए बेंचमार्क दर को फिर से परिभाषित करना

V.31 बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर के आसन्न बंद होने के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक उधार (एफसीवाई ईसीबी) और व्यापार ऋण (टीसी) के मामले में बेंचमार्क दर को फिर से परिभाषित किया गया है। बेंचमार्क दर अब किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत इंटरबैंक दर या 6-महीने की वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को संदर्भित करती है, जो उधार की मुद्रा पर लागू होती है (बॉक्स V.1 भी देखें)। इसके अलावा, एडी श्रेणी-I बैंकों को आयात/निर्यात लेनदेन के संबंध में लाइबोर के स्थान पर मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत/एआरआर का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई)

V.32 सीमा पार वित्तीय लेन-देन करने वाले पक्षों की पहचान में आसानी के लिए, एडी श्रेणी-I बैंकों को 1 अक्टूबर, 2022 से फेमा, 1999 के तहत 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक (प्रति लेनदेन) की पूंजी या चालू खाते के लेनदेन के संबंध में निवासी संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) से कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) नंबर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे संबंधित संस्थाओं को 1 अक्टूबर, 2022 से पहले ही लेन-देन करते समय स्वैच्छिक रूप से एलईआई प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, व्यवधानों से बचने के लिए बैंकों को अनिवासी समकक्षों/विदेशी संस्थाओं के संबंध में एलईआई सूचना की अनुपलब्धता के मामले में भी सीमा पार वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया करने का निदेश दिया गया है। एलईआई, एक बार एक इकाई द्वारा प्राप्त होने के बाद, उस इकाई के सभी लेनदेन में रिपोर्ट करने की

[2] उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण एक सॉफ्टवेयर परियोजना के विकास के पूरा होने के बाद का एक चरण है। अंतिम उपयोगकर्ता कार्यशीलता के संदर्भ में सॉफ़्टवेयर का परीक्षण करते हैं और दोषों को चिह्नित कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर में, विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटकों में सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं।

आवश्यकता होती है, चाहे लेनदेन का आकार कुछ भी क्यों न हो।

कोविड -19 संबंधित तनाव को कम करने के उपाय

V.33 उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी- I बैंकों के साथ सावधि जमा में अप्रयुक्त ईसीबी आय को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए पार्क करने की अनुमति है। उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, 7 अप्रैल, 2021 को एकमुश्त छूट प्रदान की गई थी, जिसमें 1 मार्च, 2020 को या उससे पहले आहरित अप्रयुक्त ईसीबी आय को भारत में एडी श्रेणी- I बैंकों के साथ सावधि जमा में संभावित रूप से 1 मार्च, 2022 तक जमा करने की अनुमति दी गई थी।

अधिकृत व्यक्ति और प्रेषण

V.34 रिजर्व बैंक ने जनहित में और केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय लिया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के साथ-साथ भारतीय मूल के पासपोर्ट धारकों के पास विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड के साथ श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर से गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा करते समय भारत से जाते समय और भारत में लौटते समय केवल भारतीय मुद्रा नोट और/या विदेशी मुद्रा में यूएसडी, जिसका कुल मूल्य ₹11,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए, लाने की अनुमति होगी।

2022-23 की कार्य योजना

V.35 2022-23 के लिए विभाग की रणनीति उपरोक्त सभी पहलों को समेकित और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा कि फेमा परिचालन ढांचा विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक वातावरण की जरूरतों के अनुरूप है। तदनुसार, विभाग ने 2022-23 के लिए निम्नलिखित रणनीतिक कार्य योजना तैयार की है:

- समान विषयों के मौजूदा विनियमों को समेकित करके फेमा विनियमों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखें, संशोधन अधिसूचनाओं को बार-बार जारी करने से बचने के लिए हार्ड-कोडिंग को हटा दें और अधिसूचनाओं/विनियमों में परिभाषाओं को संरेखित करें;
- फेमा 1999 *के तहत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के लिए संशोधित गणना मैट्रिक्स का कार्यान्वयन (उत्कर्ष)*;
- योजना में विभिन्न मुद्दों और विसंगतियों को दूर करने के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) की व्यापक समीक्षा;
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नियामक अनुपालन के लिए विभिन्न रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया के स्वचालन के साथ जारी रखना;
- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और निरंतर आधार पर डिजिटल सामग्री का निर्माण *(उत्कर्ष);* और
- नीतिगत परिवर्तनों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को और अधिक अधिकार सौंपना जारी रखना।

5. निष्कर्ष

V.36 संक्षेप में, रिजर्व बैंक ने आर्थिक सुधार में सहायता के लिए पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने के लिए कई परंपरागत और अपरंपरागत उपायों को नियोजित किया जो कि महामारी की लगातार लहरों से बाधित था। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए चलनिधि को लक्षित करने और अधिशेष चलनिधि के पुनर्संतुलन के अलावा, रिज़र्व बैंक ने द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की पूर्व-घोषित मात्रा की प्रतिबद्ध खरीद के माध्यम से प्रतिफल वक्र का स्थिर और व्यवस्थित विकास भी सुनिश्चित किया। रिज़र्व बैंक के आगे के मार्गदर्शन और आरामदायक विदेशी मुद्रा आरक्षित कवर के साथ चलनिधि उपायों ने वित्तीय बाजारों में स्थिरता पैदा की। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने लाइबोर ट्रांज़िशन जैसी बाज़ार प्रथाओं में वैश्विक विकास को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बाज़ार विकास

एजेंडा को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए, रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार सुधारों को आगे बढ़ाने, मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा बाजार को कवर करने, डेरिवेटिव और बॉन्ड बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक एजेंडा निर्धारित किया है। यह विदेशी मुद्रा नियमों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की भी योजना बना रहा है। वित्तीय बाजार के संचालन को मौद्रिक नीति के रुख के साथ संरेखित करना जारी रहेगा, जबकि विदेशी मुद्रा संचालन रुपये की विनिमय दर में अनुचित अस्थिरता को रोकना जारी रखेगा।

VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

कोविड -19 महामारी की लगातार लहरों के पुनः उभरने के कारण बुरी तरह प्रभावित वित्तीय प्रणाली को वर्ष के दौरान लचीली तथा स्थिर बनाए रखना प्राथमिक उद्देश्य बना रहा। तदनुसार, आर्थिक गतिविधियों के सामान्यीकरण को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक समस्याओं का समाधान करने हेतु कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा, दीर्घकालिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संगति बनाए रखने के लिए, विनियमित/पर्यवेक्षित संस्थाओं के मौजूदा विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुव्यवस्थित किया गया और सुदृढ़ बनाया गया। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान प्रवर्तन कार्यों में स्थिरता सुनिश्चित की गई थी, जिससे सभी हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद मिली। वर्ष के दौरान, ग्राहक सेवा/शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और उपभोक्ता संरक्षण, समवर्ती उद्देश्य थे।

VI.1 इस अध्याय में, वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा की गई है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामक /पर्यवेक्षी ढांचे को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन कार्य और बैंकों में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस दौरान उत्पन्न चुनौतियों को शामिल करने के लिए कोविड-19 महामारी के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया को और सुदृढ़ किया गया। मई 2021 में विनियमन विभाग (डीओआर) के भीतर एक धारणीय वित्त समूह (एसएफजी) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर रिज़र्व बैंक के प्रयासों और विनियामकीय कार्यों का नेतृत्व करना है। वर्ष के दौरान एलआईबीओआर बेंचमार्क से सुचारू संक्रमण की सुविधा प्रदान की गई थी, और निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और पूंजी संरचना पर आंतरिक कार्य दल की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; जबकि अन्य शेष की जांच की जा रही है। वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा सांविधिक विवरणी और पर्यवेक्षी प्रकटन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को और अधिक स्वचालित बनाया गया। 4 जनवरी, 2022 को एक नए फिनटेक विभाग की स्थापना विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के दौरान अवसरों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए की गई।

VI.2 अन्य क्षेत्रों में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बढ़ते आकार, जटिलता और परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए 'आकार-आधारित विनियमन' नाम से एक संशोधित विनियामक ढांचा लाया गया। एनबीएफसी के लिए नई विनियामकीय संरचना को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में विभाजित किया गया है, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी आवश्यकताओं, अभिशासन मानकों और विवेकपूर्ण विनियमन को समाहित करने वाले विनियमन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, तथा यह 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने और सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए ग्राहक सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित इकाइयों (आरई) के सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए एक व्यापक विनियामकीय ढांचा 14 मार्च, 2022 को जारी किया गया था, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एनबीएफसी द्वारा लाभांश के वितरण पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया।

VI.3 ऋण जोखिम हस्तांतरण के क्षेत्र में एक मजबूत बाज़ार के विकास और दबावग्रस्त ऋणों में अधिक से अधिक निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण' और 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण' पर संशोधित दिशानिर्देश 24 सितंबर, 2021 को जारी किए गए थे।

VI.4 पर्यवेक्षी क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने एक एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) के अंतर्गत मौजूदा ढांचे को मजबूत करने के अपने प्रयास को जारी रखा, जिसमें बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी का समग्र पर्यवेक्षण किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष निगरानी, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) के विकास और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से उपयोग कर लाभ उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, यूसीबी के लिए पांच-स्तंभों वाली रणनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रौद्योगिकी परिदृष्टि दस्तावेज जारी किया गया। एनबीएफसी के लिए, पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को तर्कसंगत बनाया गया और इसे पुनः डिजाइन किया गया। रिज़र्व बैंक की डेटा क्षमताओं को संशोधित डेटा वेयरहाउस, अर्थात्, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के माध्यम से और उन्नत किया जाएगा। दूसरी ओर, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) ने वर्ष के दौरान पर्यवेक्षी और विनियामकीय संसाधनों के कौशल को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की एक विस्तृत शृंखला का आयोजन किया।

VI.5 यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना की प्रक्रिया सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में क्रिस्टलीकृत हो रही है। वर्ष के दौरान की गई अन्य पहल, जैसे "रिज़र्व बैंक -एकीकृत लोकपाल योजना" (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत 'एक राष्ट्र -एक लोकपाल' प्रणाली को अपनाना, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए प्रस्तावित विनियामकीय ढांचा, छोटे उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करना और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन, से ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

VI.6 इस अध्याय के शेष भाग को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफ़एसयू) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 वर्ष के दौरान नवसृजित फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ डीओआर द्वारा किए गए विभिन्न विनियामकीय उपायों का विवरण प्रस्तुत करता है। खंड 4 में डीओएस द्वारा किए गए कई पर्यवेक्षी उपायों और वर्ष के दौरान प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यों को शामिल किया गया है। खंड 5, उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा करने, जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। उक्त विभागों ने अपने-अपने खंडों में 2022-23 के लिए कार्य-योजना भी निर्धारित किया है। समापन टिप्पणियां अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफ़एसयू)

VI.7 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की जांच करके, प्रणालीगत दबाव परीक्षणों, वित्तीय नेटवर्क विश्लेषण के माध्यम से समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से पूर्व चेतावनी सूचना और विश्लेषण का प्रसार करके वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता की निगरानी करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि-विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी के लिए विनियामकों का एक संस्थागत तंत्र है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.8 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- नव विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं *(उत्कर्ष)* को शामिल करके दबाव परीक्षण ढांचे / पद्धति को मजबूत करना [पैराग्राफ VI.9];
- समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी संचालन (पैराग्राफ VI.10);

- समय पर और अद्यतन रूप में एफ़एसआर का प्रकाशन (पैराग्राफ VI.10); और
- एफ़एसडीसी उप-समिति (एफ़एसडीसी-एससी) की बैठकों का आयोजन [पैराग्राफ VI.11]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.9 वर्तमान दबाव परीक्षण ढांचे को मजबूत करने के हिस्से के रूप में, बहु- कारक आधारित समष्टि विवेकपूर्ण दबाव परीक्षण के लिए एक संशोधित ढांचा विकसित किया गया था। इसमें सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात, कर के बाद लाभ के घटकों और चूक की क्षेत्रवार संभावना के पूर्वानुमान के लिए सैटेलाइट मॉडलों का संशोधन और परीक्षण करना शामिल था। वास्तविक समय में डेटा के साथ दबाव परीक्षण ढांचे को परिष्कृत करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

VI.10 वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों के संतुलन पर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाते हुए, वर्ष के दौरान एफएसआर के दो संस्करण जारी किए गए। 1 जुलाई, 2021 को लाए गए एफएसआर के 23वें अंक ने वित्तीय बाजारों और संस्थानों पर महामारी के प्रकोप की गंभीरता को रोकने के लिए विनियामकों और सरकारों की वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला। इसमें आगे चलकर अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को समर्थन देने के लिए घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। एफएसआर का 24वां संस्करण 29 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था। इसने लगातार मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव की ओर ध्यान आकर्षित किया। घरेलू बैंकिंग क्षेत्र की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति को देखते हुए, इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और सूक्ष्म-वित्त क्षेत्रों में दबाव के उभरते संकेतों की ओर इशारा किया। एफएसआर के दोनों संस्करणों में समष्टि दबाव परीक्षण परिणामों ने संकेत दिया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में गंभीर दबाव वाली स्थितियों में भी, समग्र के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त पूंजी बफर उपलब्ध हैं।

VI.11 एफएसडीसी-उप समिति ने 2021-22 में दो बैठकें कीं, जो कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के कारण वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गईं। अप्रैल 2021 में सम्पन्न बैठक में उप समिति ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े घटनाक्रमों पर चर्चा की। इसने विभिन्न अंतर-विनियामक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया, इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले तकनीकी समूहों की गतिविधियों की समीक्षा की और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) के कामकाज का मूल्यांकन किया। उक्त समिति के सदस्यों ने महामारी के दुबारा फैलने के कारण उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना करते हुए सतर्क और सक्रिय रहने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उप-समिति ने जनवरी 2022 में आयोजित अपनी बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख विकास की समीक्षा की और कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से उभरने वाले परिदृश्य के बारे में सदस्यों के मूल्यांकनों पर चर्चा की। उप-समिति ने आरई द्वारा *आधार* आधारित ई-केवाईसी और *आधार* समर्थित भुगतान प्रणाली के उपयोग पर भी चर्चा की।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.12 आने वाले वर्ष में, एफ़एसयू निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- संशोधित दबाव परीक्षण ढांचे का कार्यान्वयन और एफ़एसआर (*उत्कर्ष*) में परिणामों का प्रकाशन;
- बैंक पूंजी पर आवास मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को शामिल करते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण करना;
- समष्टि-विवेकपूर्ण चौकसी का संचालन;
- अर्ध-वार्षिक एफ़एसआर का प्रकाशन; और
- एफ़एसडीसी-एससी की बैठकों का संचालन।

3. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.13 विनियमन विभाग (डीओआर) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो लागत प्रभावी और समावेशी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विनियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.14 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- बेसल III मानकों के साथ रिज़र्व बैंक के नियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में ऋण जोखिम (मानक दृष्टिकोण) जोखिम, परिचालन जोखिम और आउटपुट फ्लोर के लिए पूंजी प्रभार पर मसौदा दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.15);
- मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना और ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.16);
- *यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना:* राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड को 18 अप्रैल, 2020 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यूओ के शेयरधारक सदस्य के रूप में यूसीबी के नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। यूओ को एनबीएफसी (*उत्कर्ष*) के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करना आवश्यक है [पैराग्राफ VI.17];
- *यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र:* फरवरी 2021 में यूसीबी पर गठित एक विशेषज्ञ समिति, *अन्य बातों के साथ-साथ,* यूसीबी क्षेत्र में समेकन की संभावनाओं को इसके विचारार्थ विषयों में से एक के रूप में जांच कर रही है। समिति *(उत्कर्ष)* की सिफारिशों के आधार पर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी [पैराग्राफ VI.18];
- वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियामक ढांचे को अंतिम रूप देना (पैराग्राफ VI.19);
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) पर लागू विनियामकीय ढांचे की समीक्षा और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र (पैराग्राफ VI.20) में विभिन्न विनियमित उधारदाताओं के लिए विनियामक ढांचे का समानीकरण; और
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के विनियामकीय और विधिक ढांचे की व्यापक समीक्षा ताकि वित्तीय क्षेत्र की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके (पैराग्राफ VI.21)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.15 बासेल III मानकों के साथ अपने नियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 15 दिसंबर, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश' का मसौदा जारी किया। इसके अलावा, अन्य जोखिम श्रेणियों और आउटपुट फ्लोर पर मसौदा दिशानिर्देश जून 2022 तक जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद सितंबर 2022 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

VI.16 24 सितंबर, 2021 को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 और मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतीकरण) निर्देश, 2021 जारी किए गए।

यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना

VI.17 राष्ट्रीय सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (एनसीएफडीसी) को सूचित किया गया है कि वह पूंजी जुटाने की योजना के ब्यौरे के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए अपने आवेदन को पुन प्रस्तुत करे। आगे की कार्रवाई एनएएफसीयूबी के पास लंबित है।

यूसीबी क्षेत्र के समेकन पर चर्चा पत्र

VI.18 यूसीबी क्षेत्र में समेकन का विषय यूसीबी पर विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषयों में से एक था। हालांकि, समिति ने यूसीबी के समेकन को मुख्यत: स्वैच्छिक आधार पर करने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यूओ के माध्यम से छोटे यूसीबी की नेटवर्किंग करके यूसीबी क्षेत्र में अपेक्षित स्केल को प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए रिज़र्व बैंक ने पहले ही शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का राष्ट्रीय संघ (एनएएफसीयूबी) को सैद्धांतिक रूप से विनियामकीय अनुमोदन दे दिया है। एनएएफसीयूबी द्वारा यूओ की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

VI.19 "स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर): एनबीएफसी के लिए संशोधित नियामक ढांचा" के संबंध में 22 अक्टूबर, 2021 को एक एकीकृत परिपत्र जारी किया गया था। इस परिपत्र में पूंजी आवश्यकताओं, अभिशासन मानकों, विभिन्न लेयरों वाले एनबीएफसी के लिए लागू विवेकपूर्ण विनियमन और प्रकटीकरण निर्देश शामिल हैं।

VI.20 सूक्ष्म वित्त ऋण के लिए एक व्यापक विनियामकीय ढांचा 14 मार्च, 2022 को जारी किया गया था, जिसे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में ऋण देने वाली सभी विनियमित इकाइयों पर लागू किया गया है।

VI.21 भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एआरसी के विनियामकीय और विधिक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति की रिपोर्ट 2 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

प्रमुख गतिविधियां

कोविड-19 महामारी के लिए विनियामकीय प्रतिक्रिया

VI.22 समाधान ढांचा - 2.0: छोटे उधारकर्ताओं पर 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 5 मई, 2021 को समाधान ढांचा 2.0 की घोषणा की थी, जिसे बाद में 4 जून, 2021 को संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा ऋणदाता संस्थानों को व्यक्तिगत ऋण के साथ-साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, एमएसएमई, और ₹ 50 करोड़ तक के कुल जोखिम वाले अन्य छोटे व्यवसायों को प्रदत्त ऋण को, आस्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बिना, कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्गठन की अनुमति दी थी। पहले की पुनर्गठन योजनाओं के अंतर्गत अपने ऋण खातों का पुनर्गठन नहीं करवा सकने वाले पात्र उधारकर्ताओं के लिए यह सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध करवाई गई ।

VI.23 कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा - वित्तीय पैरामीटर - अनुपालन के लिए संशोधित समय-सीमा: 2021 में कोविड -19 महामारी के दुबारा फैलने के कारण और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के लिए उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की पहचान करते हुए, चार परिचालन मापदंडों *अर्थात्,* 6 अगस्त, 2020 को जारी कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचा के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं के संबंध में समाधान योजना के हिस्से के रूप में ऋण /ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले कुल आय, चालू अनुपात, कर्ज़ चुकौती कवरेज अनुपात

(डीएससीआर), और औसत डीएससीआर (एडीएससीआर) के संबंध में निर्दिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर, 2022 तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, समाधान योजना के अनुसार समायोजित मूर्त निवल मालियत (टीओएल / एटीएनडब्ल्यू) अनुपात के लिए कुल बाह्य देयताओं को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च, 2022 तक निर्धारित लक्ष्य तिथि अपरिवर्तित रही।

अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) पर विवेकपूर्ण मानदंड

VI.24 सभी ऋण देने वाली संस्थाओं में आईआरएसीपी मानदंडों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के कुछ पहलुओं को 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट और / या समानीकृत किया गया। उक्त परिपत्र में निम्नलिखित को स्पष्ट किया गया है: नियत तिथि / पुनर्भुगतान तिथि का विनिर्देश; विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में एक खाते के वर्गीकरण का परिचालन पहलू; 'आउट ऑफ ऑर्डर' की परिभाषा; ब्याज भुगतान के मामले में एनपीए वर्गीकरण के लिए 90 दिनों के अपराध मानदंड को संरेखित करना; एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन; और ब्याज के भुगतान पर स्थगन वाले ऋण के लिए आय निर्धारण नीति। इसके बाद, 15 फरवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से, एनबीएफसी को एनपीए खातों के उन्नयन से संबंधित प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियों को अपनाने हेतु 30 सितंबर, 2022 तक का समय दिया गया था। इसके अलावा, गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दिए गए ओवरड्राफ्ट (ओडी) खातों के लिए 'आउट ऑफ ऑर्डर' परिभाषा की प्रयोज्यता, एक ऋण देने वाली संस्था से कई ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के मामले में एनपीए का उन्नयन, केंद्रीय बृहत ऋण सूचना आधान (सीआरआईएलसी) को ऋण विवरण की रिपोर्टिंग पर 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र के प्रभाव और एनबीएफसी द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कतिपय प्रश्नों पर स्पष्टीकरण भी प्रदान किया गया है।

VI.25 इसके अलावा, ऋण खातों के आस्ति वर्गीकरण की अवधारणा पर उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, 12 नवंबर, 2021 के परिपत्र में ऋणदाता संस्थानों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे कारोबार की समाप्ति के विशिष्ट संदर्भ में अतिदेय तिथि, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन की अवधारणाओं को उदाहरणों के साथ समझाते हुए, अपनी वेबसाइटों पर उपभोक्ता शिक्षण साहित्य उपलब्ध कराएं। ऋण देने वाले संस्थानों को यह भी सूचना दी गई थी कि वे पोस्टर और / या अन्य उपयुक्त मीडिया के माध्यम से अपनी शाखाओं में इस तरह के उपभोक्ता शिक्षण साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह सुनिश्चित करने की भी सूचना दी गई थी कि उनके फ्रंट-लाइन अधिकारी उधारकर्ताओं को ऋणों की स्वीकृति / संवितरण / नवीकरण के समय इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें। इन निर्देशों का यथाशीघ्र किन्तु 31 मार्च, 2022 तक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देश

VI.26 पारंपरिक प्रतिभूतीकरण संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 सितंबर, 2021 को जारी 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण' पर निर्देशों के माध्यम से विनियामकीय ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है। न्यूनतम धारणीयता अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता संबंधी अपेक्षाओं को बहुत सरल बनाया गया है, जबकि सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतीकरण के मामले में रियायती पूंजी व्यवस्था सहित प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताओं को बासेल III आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। उक्त दिशानिर्देशों में प्रतिभूतीकरण के लिए एक मजबूत समर्थनकारी परितंत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधा प्रदाताओं के लिए आवश्यकताओं को भी निर्धारित किया गया है।

ऋण जोखिम के हस्तांतरण पर दिशानिर्देश

VI.27 ऋणों के लिए एक मजबूत द्वितीयक बाजार, उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है। यह चलनिधि बढ़ाने में भी सहायक

है। 24 सितंबर, 2021 को जारी ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मास्टर निदेश में बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफआई द्वारा ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के लिए व्यापक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। विशेष रूप से, बाज़ार प्रतिभागियों के एक व्यापक समूह को दबावग्रस्त ऋण जोखिमों के हस्तांतरण के लिए, कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक समर्थकारी ढांचा स्थापित किया गया है।

स्केल आधारित विनियमन - एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा

VI.28 वास्तविक आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और बैंकों के साथ ऋण मध्यस्थता के पूरक माध्यम के रूप में कार्य करने की दिशा में एनबीएफसी के योगदान को अच्छी तरह से जाना जाता है। हालांकि, एनबीएफसी की उच्च जोखिम वहन क्षमता ने समय के साथ उनके आकार, जटिलता और परस्पर संबंध में योगदान दिया है, जिसने कुछ संस्थाओं को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरा पैदा करते हैं। इस विषय पर 4 दिसंबर, 2020 को जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, 22 जनवरी, 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा - स्केल-आधारित दृष्टिकोण' नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, एनबीएफसी के लिए एक संशोधित नियामक ढांचा 22 अक्टूबर, 2021 को लागू किया गया था। संशोधित नियामक ढांचे में एनबीएफसी के लिए उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के अनुसार इसे लेयर पर आधारित संरचना में विभाजित किया गया है, और यह 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।

बृहत एक्स्पोज़र ढांचा (एलईएफ़) – ऋण जोखिम कम करना (सीआरएम)

VI.29 एक औपचारिक सीमा पार समाधान व्यवस्था के अभाव में, भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं के संचालन को नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए, विदेशी बैंक शाखाओं के एक्सपोजर के लिए उनके प्रधान कार्यालय (एचओ) पर बृहत एक्सपोजर ढांचा (एलईएफ) को लागू किया गया था। एलईएफ लागू करने के कारण ऐसे बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी बोझ की समस्या का समाधान करने के लिए, 9 सितंबर, 2021 को विदेशी बैंक शाखाओं के लिए एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) प्रणाली पर निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार, कुछ शर्तों के अधीन एलईएफ़ सीमाओं की गणना करते समय विदेशी बैंक शाखाओं के एचओ (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल जोखिम को सीआरएम के साथ समंजन की अनुमति दी थी। सीआरएम में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (2) (बी) (i) के अंतर्गत धारित नकदी / भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जिनके स्रोत एचओ से ब्याज मुक्त निधियाँ अथवा भारतीय खाता पुस्तकों (आरक्षित निधियाँ) में प्रतिधारित विप्रेषणीय अधिशेष होने चाहिए। विदेशी बैंक शाखाओं को 1 अप्रैल, 2019 (बहुत पुराने) से पहले निष्पादित सभी व्युत्पन्न अनुबंधों को अपवर्जित करने, किन्तु एचओ पर व्युत्पन्न एक्सपोजर की गणना की अनुमति दी गई थी।

बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना - अनुशासन की आवश्यकता

VI.30 उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बैंकों द्वारा नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट (सीसी / ओडी) और चालू / संग्रह खातों को खोलने के तरीके पर निर्देश 6 अगस्त, 2020 को जारी किए गए थे। 29 अक्टूबर, 2021 को संशोधित दिशानिर्देशों जारी किया गया था, जिसमें बैंकिंग प्रणाली का ₹5 करोड़ से कम एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं को बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाते और सीसी / ओडी खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, सीसी/ओडी सुविधा वाले उधारकर्ता को उन बैंकों में से किसी एक के साथ चालू खाते बनाए रखने की अनुमति है, जिनके साथ इसकी सीसी / ओडी सुविधा उपलब्ध है। अन्य ऋणदाता बैंकों को ऐसे ग्राहकों के लिए संग्रह खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य दल की रिपोर्ट

VI.31 'ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उधार देने सहित डिजिटल लेंडिंग' पर कार्य दल (डब्ल्यूजी) की रिपोर्ट 18 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक डोमेन में रखी गई थी। यह विनियामक अंतरपणन का समाधान करते हुए प्रौद्योगिकी तटस्थता, सिद्धांत-समर्थित विनियमन के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक समग्र रोडमैप प्रदान करता है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (डीएलए) द्वारा तुलन पत्र ऋण को केवल रिज़र्व बैंक के आरई या विशेष रूप से ऋण व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं तक ही सीमित करना; (ii) अवैध डिजिटल उधार गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग विधान अधिनियमित करना; (iii) अभी खरीदें और बाद में चुकाएं (बीएनपीएल) को तुलन पत्र ऋण के भाग के रूप में लेना और पहली हानि डिफ़ॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) की पेशकश करने से अविनियमित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना; (iv) डिजिटल ऋण परितंत्र के लिए एक स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना; (v) डीएलए को सत्यापित करने और सभी सत्यापित ऐप्स का एक सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखने के लिए एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी (डिजिटा) की स्थापना; (vi) ऋण सर्विसिंग और पुनर्भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खाते/पूरी तरह से केवाईसी अनुपालित पूर्वदत्त लिखत (पीपीआई) खाते के माध्यम से करना; (vii) डीएलए के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों को अपनाना; (viii) स्पष्ट और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग; (ix) डेटा संग्रह के लिए सूचित और स्पष्ट सहमति; (x) मानकीकृत प्रारूप में ऋण के लिए प्रमुख तथ्य विवरण; (xi) धोखाधड़ी-रोधी ऋण नीति; और (xii) वसूली के लिए आचार संहिता। रिपोर्ट में कई हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है। कार्यान्वयन ढांचे के लिए सरकार के साथ-साथ घनिष्ठ अंतर-एजेंसी समन्वय की आवश्यकता होगी।

स्वर्ण धातु ऋण पर निर्देशों की समीक्षा

VI.32 स्वर्ण (धातु) ऋण (जीएमएल) नामित/नामित बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों या घरेलू विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है। अब तक, उधारकर्ताओं के पास बकाया ऋण चुकाने के लिए भौतिक सोने का उपयोग करने का कोई विकल्प नहीं था; क्योंकि उन्हें उधार लिए गए सोने के मूल्य के बराबर राशि केवल आईएनआर में चुकानी होती थी। इस संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और बैंकों को अब उधारकर्ताओं को जीएमएल के एक हिस्से को भौतिक सोने में एक किलोग्राम या उससे अधिक के लॉट में चुकाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा, बशर्ते: जीएमएल स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए / स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)-लिंक्ड सोने से दिया गया हो और पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला सोना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा बैंक को स्वीकार्य रिफाइनर या केंद्रीय एजेंसी द्वारा उधारकर्ता की ओर से, बिना उसकी भागीदारी के, स्वर्ण सीधे बैंक को सुपुर्द किया गया हो। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उपर्युक्त पहलुओं को अपनी ऋण नीति में उपयुक्त रूप से शामिल करें और जीएमएल के अंतर्गत उधार दी गई निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करना जारी रखें।

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) योजना [एफ़सीएनआर (बी)] – लिबोर में बदलाव

VI.33 वित्तीय व्यवहार प्राधिकरण (एफसीए), यूके ने 31 दिसंबर, 2021 से प्रभावी लिबोर बेंचमार्क की समाप्ति की घोषणा की थी। वैश्विक स्तर पर, वित्तीय बाज़ार एसओएफ़आर (यूएसडी), एसओएनआईए (जीबीपी), टीओएनएआर (जेपीवाई), ईएसटीआर (यूरो) और एसओएनएआर (सीएचएफ़) जैसी वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) को लिबोर के स्थान पर नए बेंचमार्क के रूप में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये एआरआर संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रशासित/समर्थित हैं। लिबोर बेंचमार्क की आसन्न समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को एफसीएनआर (बी) जमाओं पर ब्याज दरों की पेशकश

करने की अनुमति देने के लिए मौजूदा अनुदेशों में संशोधन किया गया था, जिसमें ब्याज दरों की अधिकतम सीमा में 50 बीपीएस की वृद्धि के साथ व्यापक रूप से स्वीकृत 'संबंधित मुद्रा के लिए एक दिवसीय एआरआर' का उपयोग किया गया था।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण - बेंचमार्क दर

VI.34 दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क दर के रूप में लिबोर के आसन्न समाप्ति को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी भी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर का उपयोग करके निर्यात ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।

व्युत्पन्नी संविदाओं की पुनर्रचना – लिबोर में पुनर्रचना

VI.35 व्युत्पन्न संविदाओं के लिए, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मूल संविदा के किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन को पुनर्रचना के रूप में माना जाता है और पुनर्रचना की तिथि को संविदा के बाज़ार मूल्य में परिणामी परिवर्तन को नकद के माध्यम से निपटाना होगा। चूंकि लिबोर की तुलना में संदर्भ दर में परिवर्तन एक "अपरिहार्य" घटना है, सभी बैंकों को सूचना दी गई थी कि संदर्भ दर में लिबोर / लिबोर से संबंधित बेंचमार्क से एआरआर में परिवर्तन को पुनर्रचना के रूप में नहीं माना जाएगा।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के कामकाज की समीक्षा करने के लिए समिति की रिपोर्ट

VI.36 वित्तीय प्रणाली में अनर्जक आस्तियों की बहुत अधिक वृद्धि और एआरसी के कार्य-निष्पादन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने *अन्य बातों के साथ-साथ* एआरसी पर लागू मौजूदा विधिक और विनियामक ढांचे की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने, प्रतिभूति प्राप्तियों में चलनिधि को बेहतर करने और व्यापार में सुधार करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक बाहरी समिति (अध्यक्ष श्री सुदर्शन सेन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, आरबीआई) का गठन किया था। समिति ने हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2 नवंबर, 2021 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जारी किया गया था। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) की अधिसूचना

VI.37 इससे पहले, जमानती ऋणों में प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन के उद्देश्य से सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (एम) (iv) के अंतर्गत न्यूनतम पर्यवेक्षी रेटिंग के अनुपालन जैसे कतिपय निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने वाले एचएफसी को एकल इकाई के आधार पर 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचना जारी करने के लिए, अन्य प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूलता नहीं -संबंधी रिपोर्ट *आदि,* लगाने की आवश्यकता थी। भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एचएफसी को वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के बाद राजपत्र अधिसूचना सं. 2002-2002 *के माध्यम से* 17 जून, 2021 को जारी एस.ओ. 2405 (ई) के द्वारा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की आस्ति आकार वाले सभी एचएफसी को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसलिए, एचएफसी की ऐसी अधिसूचना के लिए पहले से निर्धारित मानदंडों को वापस ले लिया गया था।

ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफ़ॉर्म पर फैक्टरों के पंजीकरण और फैक्टरिंग लेनदेन के लिए प्राप्य के समनुदेशन के पंजीकरण पर अधिसूचनाएं

VI.38 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन के पश्चात, रिज़र्व बैंक ने फैक्टरिंग व्यवसाय से संबंधित प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) जारी करने की पद्धति से संबंधित अपेक्षित विनियम जारी किए हैं। एनबीएफसी-फैक्टर के अलावा, 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) को कुछ शर्तों के अधीन फैक्टरिंग व्यवसाय की अनुमति दी गई है; और अन्य एनबीएफसी, एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात इसका व्यवसाय कर

सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने ट्रेड्स प्लेटफार्म के माध्यम से किए गए फैक्टरिंग लेन-देन के मामले में ट्रेड्स संस्थाओं द्वारा प्राप्य वस्तुओं के समनुदेशन का केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण किए जाने पर विनियम जारी किए हैं। इन उपायों से फैक्टरिंग लेन-देन करने के लिए पात्र संस्थाओं के दायरे में वृद्धि होने की उम्मीद है और इससे एमएसएमई को प्राप्त ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र

VI.39 एससीबी द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विनियामकीय निर्देश काफी हद तक अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए एक ढांचे पर आधारित हैं, जो तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। निवेश के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में बाद के महत्वपूर्ण विकास, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक चर्चा पत्र 14 जनवरी, 2022 को टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। चर्चा पत्र में निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है, *अर्थात्*, हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) तथा लाभ और हानि खाते (एफवीपीटीएल) के माध्यम से उचित मूल्य, जिसके भीतर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (एचएफटी) एक उप-श्रेणी होगी। इसमें अन्य *बातों के साथ-साथ*, अप्राप्त लाभों और हानियों की सममित मान्यता का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विनियामक पूंजी पर विवेकपूर्ण फिल्टर के माध्यम से समाधान करते हुए इस तरह की मान्यता संबंधी समस्याओं और बढ़े हुए प्रकटीकरण द्वारा पूरक लाभांश वितरण, पर चिंताएं शामिल हैं।

एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश की घोषणा

VI.40 बैंकों के विपरीत, एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश के वितरण के संबंध में वर्तमान में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफ़सी के बढ़ते महत्व और वित्तीय बाज़ार के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 'एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश की घोषणा' पर 9 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिपुष्टी के आधार पर, 24 जून, 2021 के परिपत्र *के माध्यम से* अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।

निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफ़आर) दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

VI.41 'चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)' से संबंधित अंतिम दिशानिर्देश 17 मई, 2018 को जारी किए गए थे और 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होने वाले थे। हालांकि, कोविड-19 से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण, इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2021 तक क्रमिक रूप से स्थगित कर दिया गया था। तदनुसार, एनएसएफआर संबंधी दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हो गए हैं।

चलनिधि मानकों के तहत लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए प्रारंभिक सीमा की समीक्षा

VI.42 रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को बैंकिंग पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति (बीसीबीएस) मानक के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने और बैंकों द्वारा चलनिधि जोखिम के बेहतर प्रबंधन हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए, गैर-वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) के रखरखाव के उद्देश्य से, जमाराशि और अन्य निधियों के विस्तार की प्रारंभिक सीमा को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ किया गया।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा छत्र संगठन (यूओ) में निवेश

VI.43 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा यूसीबी क्षेत्र के यूओ की पूंजी में निवेश की सुविधा के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि यूसीबी द्वारा यूओ में निवेश को, गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं से छूट दी जाएगी।

धारणीय वित्त समूह से संबंधित गतिविधियाँ

VI.44 मई 2021 में, रिज़र्व बैंक ने विनियमन विभाग में एक धारणीय वित्त समूह (एसएफजी) की स्थापना की, जिसको जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के क्षेत्र में विनियामक पहल एवं प्रयास करने का कार्य सौंपा गया। धारणीय वित्त समूह, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। इसके अलावा, यह समूह रणनीतिक सुझाव देने और उचित प्रकटीकरण के साथ विनियामक ढांचा विकसित करने में सहायक होगा, जिसको, भारत में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने और धारणीय प्रथाओं का प्रसार करने हेतु बैंकों एवं अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विहित किया जा सकता है।

VI.45 धारणीय वित्त समूह, द्विपक्षीय भारत-यूके धारणीय वित्त फोरम में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 2020 में भारत और यूके के बीच धारणीय वित्त पर गहन सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। यह जी 20 धारणीय वित्त कार्य दल, धारणीय वित्त के अंतरराष्ट्रीय मंच, जलवायु जोखिम पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के कार्य दल और जलवायु से संबंधित प्रकटीकरण के कार्य दल, में भी रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। रिज़र्व बैंक बीसीबीएस द्वारा स्थापित जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों पर कार्य दल का भी सदस्य है।

VI.46 रिज़र्व बैंक को 28 अक्तूबर 2021 को वर्ल्ड-वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा प्रकाशित पहली धारणीय विनियमन वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के वित्तीय प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ-साथ, अधिक टिकाऊ वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए केंद्रीय बैंक तेजी से कदम उठा रहे हैं।

VI.47 जलवायु जोखिम के प्रबंधन में विनियमित संस्थाओं की प्रगति का आकलन करने और अपनी कारोबारी कार्य-नीतियों, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों को शामिल करने के लिए उन्हें (वि.सं.) सचेत करने हेतु, रिज़र्व बैंक एक परामर्शदात्री चर्चा-पत्र तैयार कर रहा है। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, बैंकों को जलवायु जोखिमों के प्रति दूरंदेशी, व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का निदेश दिया जाएगा। जनवरी 2022 के दौरान, एसएफजी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और भारत स्थित प्रमुख विदेशी बैंकों के बीच जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के संबंध में एक सर्वेक्षण भी किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिसूचना से जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के प्रति रिज़र्व बैंक का विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ उसी के अनुरूप क्षमता निर्मित करने एवं जागरूकता हेतु उपाय तैयार करने में मदद मिलेगी।

'आवधिक केवाईसी अद्यतन' प्रक्रिया को सरल बनाना

VI.48 विनियमित संस्थाओं द्वारा अपने 'ग्राहक को जानें' (केवाईसी) सूचना का आवधिक अद्यतनीकरण - उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के लिए, क्रमशः 2 साल, 8 साल और 10 साल में - न्यूनतम एक बार किया जाना है। 25 फरवरी 2016 को जारी केवाईसी से संबंधित मास्टर निदेश में 10 मई 2021 को संशोधन के माध्यम से इस प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना दिया गया है। उदाहरण के लिए, केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक द्वारा एक स्वयं-घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है। यह स्वयं-घोषणा ग्राहक के ईमेल, मोबाइल, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग/ इंटरनेट बैंकिंग और विनियमित संस्थाओं के मोबाइल एप्लिकेशन, जैसे डिजिटल माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर प्रस्तुत की जा सकती है। केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में इस स्वयं-घोषणा प्रावधान को व्यक्तिगत ग्राहकों की तरह कानूनी संस्थाओं (एलई) के लिए भी लागू किया गया है। इसके अलावा, व्यक्तिगत ग्राहक के केवल पता विवरण संबंधी परिवर्तन के मामले में, नया पता की स्वयं-घोषणा की अनुमति दी गई है। घोषित पता को दो महीने के भीतर, विनियमित संस्थाओं द्वारा, पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु

सत्यापन, आदि तरीकों से सकारात्मक पुष्टि कर सत्यापित किया जाना है। कुछ अतिरिक्त उपाय शुरू किए गए हैं, जैसे- (i) केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय मौजूद पैन नंबर का सत्यापन; (ii) पुराने दस्तावेजों के आधार पर खोले गए पुराने खातों का, वर्तमान धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के अनुसार, मौजूदा नियमों में स्थानांतरण; (iii) केवाईसी दस्तावेज (या स्वयं-घोषणा) जमा लेते समय और अपने रिकॉर्ड में केवाईसी दस्तावेजों के अद्यतन के बाद, विनियमित संस्थान ग्राहकों को सूचना प्रदान करेंगे; और (iv) विनियमित संस्थाओं को, किसी भी शाखा में केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करने का निदेश दिया गया है। विनियमित संस्थाओं के लिए केवाईसी के आवधिक अद्यतन हेतु जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य किया गया है। इसलिए, विनियमित संस्थाओं द्वारा, उपर्युक्त के अलावा किसी भी अतिरिक्त उपाय को, अपनी आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा, जिसे निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति - जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है - द्वारा विधिवत अनुमोदित किया हो। उपर्युक्त के अलावा, केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) आरंभ की गई है।

VI.49 ये सरल उपाय न केवल ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सहायक होंगे, बल्कि विनियमित संस्थाओं को भी केवाईसी रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन करने में सक्षम बनाएंगे।

बैंकेतर संस्थाओं को आधार ई-केवाईसी अधिप्रमाणन लाइसेंस

VI.50 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11ए के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों से इतर संस्थाओं को, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग कर ग्राहक के *आधार* नंबर के अधिप्रमाणन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अधिसूचना यूआईडीएआई और उपयुक्त विनियामक के परामर्श के बाद ही जारी की जाएगी।

VI.51 तदनुसार,13 सितंबर 2021 के परिपत्र के माध्यम से, रिज़र्व बैंक ने, यूआईडीएआई द्वारा जारी, *आधार* अधिप्रमाणन लाइसेंस- केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से अधिप्रमाणन हेतु), प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को, सक्षम बनाया कि वे विनियमन विभाग को अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि समुचित जाँच के बाद उसे यूआईडीएआई को प्रस्तुत किया जा सके।

भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा हेतु आंतरिक कार्य दल की सिफारिशें

VI.52 भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए 12 जून 2020 को गठित एक आंतरिक कार्य दल ने 33 सिफारिशें की हैं। रिज़र्व बैंक ने 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ) को स्वीकार कर लिया है, जिसमें - प्रवर्तक की धारिता को पेड-अप वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिशें, प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की गिरवी की रिपोर्टिंग, नए बैंक लाइसेंस के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाना, भविष्य में स्थापित किए जाने वाले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए सूचीबद्धता मानदंडों में ढील देना - शामिल हैं। शेष 12 सिफारिशों की जांच की जा रही है। इस संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी 26 नवंबर 2021 को जारी की गई थी।

बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों का गठन, दिनांक 26 अप्रैल 2021

VI.53 वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन के ढांचे की समीक्षा करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून 2020 को 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर एक चर्चा-पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर ढाँचे की व्यापक समीक्षा की गई है और अभिशासन पर एक मास्टर निदेश यथासमय जारी किया जाएगा। अंतरिम तौर पर, इस तरह की प्रतिसूचना के

माध्यम से प्राप्त कुछ परिचालन पहलुओं को ठीक करने के लिए - बोर्ड की अध्यक्षता और बैठकें, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक, एवं पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति (डब्ल्यूटीडी) - के संबंध में 26 अप्रैल 2021 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ गंभीर जोखिम लेने वालों और नियंत्रण-कार्य स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण, दिनांक 30 अगस्त 2021

VI.54 30 अगस्त 2021 को, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली लेखा अवधि के बाद प्रदान किए गए, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं (ईएसओपी) सहित शेयर से जुड़े लिखत के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें यह सूचना दी गई थी कि ऐसे लिखतों के उचित मूल्य को - लेखा अवधि, जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, की शुरुआत से - व्यय रूप माना जाए।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 में संशोधन

VI.55 स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015, दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के मास्टर निदेश में, नामित बैंकों के लिए - जीएमएस के तहत मध्यम और लंबी अवधि के सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) की जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में लॉक-इन अवधि के पहले/ बाद में समय-पूर्व बंदी की स्थिति में और एमएलटीजीडी प्रमाण पत्र के विरुद्ध लिए गए ऋण में चूक के मामले में भी - ब्याज के परिकलन हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। मास्टर निदेशों में अपेक्षित संशोधन 28 अक्टूबर, 2021 के परिपत्र के माध्यम से किए गए, जिसमें जमाराशि की वास्तविक अवधि (विभिन्न समय बकेट में विभाजित) के आधार पर लागू ब्याज दरों का विवरण शामिल किया गया। समयपूर्व-बंद प्रकृति के होने के कारण, लागू ब्याज दरें सामान्य समय में एमएलटीजीडी जमा पर लागू ब्याज दरों से कम हैं। फिर भी, मृत्यु के कारण समयपूर्व बंदी के मामले में लागू ब्याज दर, ऋण चूक के कारण समयपूर्व बंदी की तुलना में, 0.125 प्रतिशत उच्च है।

एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वीज़ (एक्सबीआरएल) लाइव साइट पर फॉर्म IX जमा करना

VI.56 फॉर्म IX विवरणी (दावारहित जमाराशि पर) प्रस्तुतीकरण दक्षता में सुधार हेतु, 31 दिसंबर 2021 से फॉर्म IX विवरणी की हार्ड कॉपी / पेपर जमा करना जरूरी नहीं है। तदनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक के एक अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल लाइव साइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपर्युक्त विवरणी प्रस्तुत करें।

बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा से संबंधित संशोधित निर्देश

VI.57 बैंकों द्वारा, सुरक्षित जमा लॉकर/ सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने संबंधी अनुदेशों को जनहित में 18 अगस्त 2021 को संशोधित किया गया है। ये संशोधन, मुख्य रूप से रक्षा/ सुरक्षा पहलुओं में वृद्धि, एक मानक लॉकर करार की आवश्यकता और बैंकों की वेबसाइटों पर नियमों और शर्तों के प्रकटीकरण, से संबंधित हैं। संशोधित अनुदेश, बैंकों के पास नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा दोनों पर, 1 जनवरी 2022 (जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है) से लागू हुए हैं। बैंकों को मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने लॉकर करार को नवीकृत करने के लिए 1 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

VI.58 सहकारी क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं और उनके आकार और कारोबारी दायरे में वृद्धि के कारण, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) अपने परिचालन में विविध और अधिक

जोखिम का सामना करते हैं। तदनुसार, ₹5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति वाले शहरी सहकारी बैंकों को, 25 जून 2021 के परिपत्र के माध्यम से, एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने हेतु सूचित किया गया है। उन्हें, जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर जरूरी स्तर पर ध्यान देने के लिए, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने को कहा गया है।

राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का समामेलन

VI.59 रिज़र्व बैंक ने 24 मई 2021 को, बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949- यथा संशोधित बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39), की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों के तहत डीसीसीबी का एसटीसीबी के साथ स्वैच्छिक समामेलन पर एक परिपत्र जारी किया था। यह परिपत्र, संशोधित सांविधिक प्रावधानों और एसटीसीबी के साथ डीसीसीबी के समामेलन के लिए प्रक्रिया/ सांकेतिक बेंचमार्क में परिणामी परिवर्तन, की जानकारी प्रदान करने हेतु जारी किया गया था।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंध निदेशक (एमडी)/ पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति

VI.60 यूसीबी में एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति पर रिज़र्व बैंक द्वारा 25 जून 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इस परिपत्र में, यूसीबी में एमडी/डब्ल्यूटीडी के पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड आदि निर्धारित किए गए हैं। इस परिपत्र में, शहरी सहकारी बैंकों को, एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/सेवा-समाप्ति के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति (और उसकी प्रक्रिया), लेने को भी सूचित किया गया है। यह परिपत्र, शहरी सहकारी बैंकों में अभिशासन मानकों को बढ़ाने और बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया था।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 31 के तहत विवरणी प्रस्तुत करना – समय-सीमा का विस्तार

VI.61 कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों (अर्थात, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों) के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 [सहकारी समितियों (एएसीएस) के लिए यथा लागू] की धारा 31 के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा को तीन महीने यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

सहकारी समितियों द्वारा "बैंक/बैंकर/बैंकिंग" शब्द के प्रयोग पर जनता को चेतावनी सूचना

VI.62 जनता को 22 नवंबर 2021 की एक प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आगाह किया गया था कि कुछ सहकारी समितियां "बैंक" शब्द का प्रयोग कर रही हैं जो बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है और वे, गैर-सदस्य/ नाममात्र के सदस्य/सह सदस्य से जमाराशि भी स्वीकार कर रही हैं, जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बैंकिंग कारोबार करने जैसा है। बीआर अधिनियम, 1949 को बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे सहकारी समितियाँ अपने नाम के हिस्से के रूप में "बैंक", "बैंकर", या "बैंकिंग" शब्द का प्रयोग - बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों या रिज़र्व बैंक की अनुमति के अलावा - करने के लिए अयोग्य हो गई थीं। तदनुसार, यह अधिसूचित किया गया था कि ऐसी समितियों को न तो बीआर अधिनियम, 1949 के तहत कोई लाइसेंस जारी किया गया है और न ही उन्हें बैंकिंग कारोबार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत किया गया है। इन समितियों में रखी गई जमाराशि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) का बीमा कवर भी उपलब्ध नहीं है। यह सलाह दी गई थी कि यदि ऐसी सहकारी समितियां बैंक होने का दावा करती हैं तो सावधानी बरतें और समुचित जाँच-परख करें और उनके साथ कारोबार करने से पहले रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस देखें।

VI.63 राज्य सरकारों को भी बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के बारे में सूचित किया गया था। उनसे अनुरोध किया गया था कि राज्य के भीतर ऐसे संस्थान जो अपने नाम के हिस्से के रूप में या अपने कारोबार के संबंध में "बैंक", "बैंकर" या

"बैंकिंग" शब्द का प्रयोग करते हैं, को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ/कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/सह सदस्यों से जमाराशि स्वीकार नहीं की जाती है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत एनबीएफसी का समाधान

VI.64 दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के समाधान को पूरा करना: नवंबर 2019 में डीएचएफएल के निदेशक मंडल के अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति के बाद, रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 में डीएचएफएल के विरुद्ध आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की थी। जून 2021 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा पिरामल समूह की समाधान योजना की मंजूरी के साथ, समाधान प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है।

VI.65 एसआरईआई समूह की दो एनबीएफ़सी [एसआरईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्स लिमिटेड (एसआईएफ़एल) और एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनैन्स लिमिटेड (एसईएफ़एल)] की समाधान प्रक्रिया शुरू करना: गंभीर पर्यवेक्षी चिंताओं और ऋणदाताओं को अदा करने में चूक के कारण, रिज़र्व बैंक ने एसआईएफ़एल और एसईएफ़एल के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया। 4 अक्टूबर, 2021 को अधिक्रमण और प्रशासक के नियुक्ति के बाद, आईबीसी, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत सीआईआरपी शुरू करने संबंधी आवेदनों को एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा 8 अक्टूबर, 2021 को स्वीकार किया गया। इसके बाद, प्रशासक ने लेनदारों की एकीकृत समिति (सीओसी) के तहत एनसीएलटी के पास सामूहिक दिवाला के लिए आवेदन किया। एनसीएलटी, कोलकाता ने फरवरी 2022 में उक्त आवेदन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, सीआईआरपी आईबीसी, 2016 और संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाई की जा रही है।

VI.66 रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) की समाधान प्रक्रिया की शुरुआत: भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, सार्वजनिक हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 29 नवंबर, 2021 को आरसीएल के निदेशक मंडल का अधिक्रमण किया और एक प्रशासक नियुक्त किया। इसके पश्चात, आईबीसी, 2016 और दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और अधिनिर्णय प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत आरसीएल के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन को एनसीएलटी, मुंबई द्वारा 6 दिसंबर, 2021 को स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान में, सीआईआरपी आईबीसी, 2016 और संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन

VI.67 भारत सरकार ने 13 अगस्त 2021 को डीआईसीजीसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित कर दिया है। संशोधित अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, डीआईसीजीसी, बैंक को प्रतिबंधों के तहत रखने के 90 दिनों के भीतर, बकाया जमाराशियों की बराबर राशि (अधिकतम ₹5 लाख तक) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि रिज़र्व बैंक, बीमाकृत बैंक का किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ समामेलन की योजना या समझौता योजना या व्यवस्था या पुनर्निर्माण की योजना, को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसकी सूचना डीआईसीजीसी को दी जाती है, तो चुकौती की तारीख अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है (बॉक्स VI.5 भी देखें)|

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (पीएमसी बैंक लिमिटेड) का समाधान

VI.68 पीएमसी बैंक लिमिटेड को, 3 नवंबर 2020 की रुचि प्रस्ताव (ईओआई) के जवाब में, इसके पुनर्निर्माण के लिए निवेशकों से बाध्यकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

(सीएफएसएल) के साथ-साथ रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को प्रथम दृष्टया व्यवहार्य पाया गया था। तदनुसार, ईओआई के जवाब में 1 फरवरी 2021 के उनके प्रस्ताव के विशिष्ट अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने 18 जून 2021 को, निजी क्षेत्र में एसएफबी के 'सदा सुलभ' लाइसेंस हेतु 5 दिसंबर 2019 के अपने सामान्य दिशानिर्देशों के तहत, सीएफएसएल को एक एसएफबी स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" मंजूरी दी, जो 120 दिनों के लिए वैध है। इसके बाद, प्रवर्तक के रूप में सीएफएसएल के साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी) को 12 अक्तूबर 2021 को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसने 1 नवंबर 2021 से अपना परिचालन शुरू किया। रिज़र्व बैंक ने 22 नवंबर 2021 को सार्वजनिक रूप से, यूएसएफबी के साथ पीएमसी बैंक के समामेलन की एक मसौदा योजना, रखी जिसमें सदस्यों, जमाकर्ताओं और अंतरणकर्ता बैंक (पीएमसी बैंक लिमिटेड) और अंतरिती बैंक (यूएसएफबी) के अन्य लेनदारों से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस योजना को बीआर अधिनियम की धारा 45 के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत और अधिसूचित किया गया था। इस समामेलन की प्रभावी तिथि 25 जनवरी 2022 है।

सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा

VI.69 सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा 14 मार्च 2022 को जारी किया गया, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाए गए हैं। यह ढांचा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन पेश करता है। इसका उद्देश्य, छोटे उधारकर्ताओं की अति ऋणग्रस्तता संबंधी चिंताओं को दूर करना और ग्राहक सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, है। यह ढांचा, उधारकर्ताओं को सूचना-संपन्न निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाकर, प्रतिस्पर्धी ताकतों को इस लायक बनाता है कि वे ब्याज दरें कम कर सकें (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए विनियामक ढांचा

मालेगाम समिति[1] की सिफारिशों के आधार पर, एनबीएफसी-एमएफआई के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा, 2011 में जारी किया गया था। इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए कुछ ग्राहक सुरक्षा उपाय शामिल किए गए थे, जैसे कि - अधिकतम ऋण राशि और उधारदाताओं की संख्या पर सीमा, संपार्श्विक के बिना ऋण, कोई पूर्व-भुगतान दंड नहीं, चुकौती आवधिकता में लचीलापन, ब्याज दरों पर विनियामक सीमा, आदि। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ बड़े एनबीएफसी-एमएफआई का बैंकों के साथ/ में रूपांतरण/ विलय के कारण सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के परिदृश्य में खास बदलाव आया है। नतीजतन, समग्र सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में एनबीएफसी-एमएफआई की हिस्सेदारी अब घटकर 35 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू ग्राहक सुरक्षा उपाय अन्य उधारदाताओं पर लागू नहीं हैं जो समान उधारकर्ताओं को सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में, रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों को प्रतिसूचना के लिए 14 जून 2021 को 'सूक्ष्म वित्त विनियमन' पर एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया था। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू, एक व्यापक नियामक ढांचा, 14 मार्च 2022 को जारी किया गया। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में गतिविधि-आधारित विनियमन शुरू करने के अलावा, इस ढांचे का उद्देश्य, सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं का ऋणभार कम करना, ग्राहक सुरक्षा उपाय बढ़ाना, प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना और सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता की ऋण आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करने हेतु विनियमित संस्थाओं को लचीलापन प्रदान करना, है।

सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं का ऋणभार कम करना

सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं की अति ऋणग्रस्तता संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु, सभी विनियमित संस्थाओं के लिए 'सूक्ष्म वित्त ऋण' की एक सामान्य परिभाषा - ₹3,00,000 तक की वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को दिया गया संपार्श्विक-रहित ऋण - लक्षित उधारकर्ता-समूह की सटीक पहचान हेतु स्थापित की गई है। इसके अलावा, परिवार की ऋण चुकौती को घरेलू आय के 50 प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, इस प्रकार

(जारी)

[1] आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त संकट के कारण, श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की समस्याओं और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए, अक्तूबर 2010 में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की उपसमिति गठित की गई थी। यह रिपोर्ट 19 जनवरी 2011 को रिज़र्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

पात्र ऋण राशि को उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता से जोड़ा गया है। छोटे कर्जदारों को चुकौती क्षमता से अधिक ऋण देने के खतरों से बचाने के साथ-साथ, इन उपायों से, कर्जदाताओं द्वारा अपने कारोबार का भौगोलिक विस्तार करने और इस प्रकार वित्तीय समावेश में बढ़ोतरी, की उम्मीद है।

ग्राहक सुरक्षा उपायों में वृद्धि

उधारकर्ताओं को, जबरन वसूली प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु, इस ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अपेक्षित है: चुकौती की कठिनाइयों का सामना कर रहे उधारकर्ताओं के साथ संवाद के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा एक तंत्र, कठोर वसूली प्रथाओं पर प्रतिबंध, एक निर्दिष्ट/केंद्रीय निर्दिष्ट स्थान पर वसूली जिसका निर्णय उधारकर्ता और विनियमित संस्थाओं द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाए, वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए समुचित सावधानी प्रक्रिया और वसूली संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष तंत्र। इसके अलावा, कुछ ग्राहक सुरक्षा उपाय, जो केवल एनबीएफसी-एमएफआई पर लागू होते हैं, जैसे कि - कोई पूर्व-भुगतान जुर्माना नहीं, संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं और सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए चुकौती आवधिकता में लचीलापन, को सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू कर दिया गया है।

सूक्ष्म वित्त ऋणों का कीमत-निर्धारण

सूक्ष्म वित्त ऋणों के कीमत-निर्धारण पर एक मानकीकृत और सरल तथ्यपत्र पेश किया गया है, ताकि उधारकर्ताओं की कीमत-संवेदनशीलता बढ़े और वे सचेत निर्णय ले सकें। प्रभावी वार्षिक ब्याज दर की गणना के लिए एक समान पद्धति भी निर्धारित की गई है ताकि सभी उधारदाताओं में तुलनीयता बनायी रखी जा सके। इसके अलावा, सभी विनियमित संस्थाओं को, उनके द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों को प्रदर्शित करना आवश्यक है। ये विशिष्ट उपाय, अन्य उपायों के पूरक हैं, जैसे- कोई पूर्व-भुगतान दंड नहीं (उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं के बीच स्विच करने का विकल्प प्रदान करने के लिए), परिवार की आय के प्रतिशत के रूप में चुकौती दायित्वों पर उच्चतम-सीमा निर्धारण (इस प्रकार, किश्तों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए ऋणदाताओं को कम ब्याज दरों के लिए प्रेरित करना), उधारकर्ताओं की अति-ऋणग्रस्तता पर नियंत्रण रखना (इस प्रकार उनके ऋण जोखिम प्रीमियम को कम करना, उधारदाताओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करना एवं कम-प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना), एनबीएफसी-एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम सीमा - निवल आस्तियों का 85 प्रतिशत से कुल आस्तियों का 75 प्रतिशत - तक कम करना (इस प्रकार उनका संकेंद्रण जोखिम और फलत: निधि की लागत कम करना) और एनबीएफसी-एमएफआई से इतर एनबीएफसी के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की अधिकतम सीमा - कुल आस्तियों का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाना (इस प्रकार प्रतिस्पर्धा बढ़ाना)। इन उपायों से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कीमत प्रतिस्पर्धा और ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है।

उत्पादों / सेवाओं को तौयार करने में लचीलापन

एनबीएफसी-एमएफआई के सुक्ष्म वित्त ऋणों के लिए कुछ उत्पाद विशेष अपेक्षाएँ, जैसे- ऋण राशि पर सीमा (पहले चक्र में, ₹75,000 की उप-सीमा के साथ ₹1,25,000 की कुल सीमा), ऋण की अवधि (₹ 30,000 से अधिक के ऋण के लिए 24 महीने की न्यूनतम अवधि), ऋण का उद्देश्य (ऋण का न्यूनतम 50 प्रतिशत आय-सृजन गतिविधियों के लिए) - वापस ले ली गई हैं। इससे, एनबीएफसी-एमएफआई को सुक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं की जरूरतों को व्यापक तरीके से पूरा करने हेतु अपने उत्पादों और सेवाओं को आवश्यकतानुसार बदलने में, सुविधा मिलेगी।

स्रोत: आरबीआई।

पुनर्पूंजीकरण बॉण्डों में बैंकों के निवेश का उचित मूल्यांकन

VI.70 वर्तमान में, एचटीएम पोर्टफोलियो के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन, अधिग्रहण लागत पर किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसे लिखतों का अधिग्रहण इसके अधिग्रहण के समय प्रतिभूति के उचित मूल्य पर होगा। तदनुसार, 31 मार्च 2022 के परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि 2021-22 से बैंकों की पुनर्पूंजीकरण आवश्यकता हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश की, एचटीएम में प्रारंभिक निर्धारण, उचित मूल्य/ बाज़ार मूल्य पर निर्धारित की जाएगी। ऊपर बताए अनुसार प्राप्त, अधिग्रहण लागत और उचित मूल्य के बीच किसी भी अंतर को लाभ और हानि लेखा में तुरंत निर्धारण किया जाएगा।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.71 विभाग, आने वाले वर्ष में, निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- बेसल III मानकों के साथ अभिसरण और क्रेडिट जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी करना;
- प्रावधानीकरण के लिए अपेक्षित हानि दृष्टिकोण पर चर्चा-पत्र जारी करना;

- अनर्जक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण पर दिशानिर्देश जारी करना;
- जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त पर चर्चा-पत्र जारी करना;
- डिजिटल ऋण से संबंधित विवेकपूर्ण और आचरण से जुड़े विषयों पर दिशानिर्देश जारी करना;
- वित्तीय विवरणियों पर दिशानिर्देश जारी करना - ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण;
- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी निधि जुटाने पर दिशानिर्देशों का भाग II जारी करना;
- परिचालन जोखिम और परिचालन सुदृढ़ता, के मज़बूत प्रबंधन के सिद्धांतों पर मार्गदर्शन नोट; और
- निम्नलिखित दिशानिर्देशों की समीक्षा: (ए) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा; (बी) विवेकपूर्ण ढांचे के साथ संरेखित करके कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं का पुनर्गठन; (सी) शहरी सहकारी बैंकों के लिए निवेश हेतु दिशानिर्देश और वित्तीय विवरणी प्ररूप; (डी) वाणिज्यिक बैंकों की लाभांश घोषणा नीति; (ई) वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए चलनिधि प्रबंधन ढांचा; (एफ) लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचा; (जी) क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर निर्देश; (एच) निष्क्रिय खातों पर निर्देश, निष्क्रिय/अदावी जमा खातों पर डेटा की केंद्रीकृत होस्टिंग; और (आई) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और इन सिफारिशों के आधार पर विनियामक निर्देश जारी करने के लिए कदम उठाना।

फिनटेक विभाग

VI.72 फिनटेक प्रभाग[2], जो जुलाई 2020 से भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) के अधीन काम कर रहा था, को अब 4 जनवरी 2022 से एक पूर्ण विभाग बना दिया गया है, ताकि वह इस क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित कर सके और फिनटेक क्षेत्र में नवोन्मेष को बल मिले (बॉक्स VI. 2)। विभाग, न केवल इस क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा देगा, बल्कि चुनौतियों और उनसे जुड़े अवसरों की पहचान भी करेगा और समय पर उनका निपटान करेगा। विभाग इस विषय पर आगे के अनुसंधान के लिए एक ढांचा भी प्रदान करेगा जो रिज़र्व बैंक के नीतिगत हस्तक्षेप में सहायक हो सकता है। तदनुसार, फिनटेक क्षेत्र में रचनात्मक नवाचार और नवोन्मेष के प्रोत्साहन से संबंधित सभी मामले, जिनका वित्तीय क्षेत्र/ बाजारों पर व्यापक असर हो सकता है और जो रिज़र्व बैंक के कार्य-क्षेत्र में भी आते हैं, की जाँच इस विभाग द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, फिनटेक पर अंतर-विनियामक समन्वय और अंतरराष्ट्रीय समन्वय से संबंधित मुद्दे भी इस विभाग के कार्यक्षेत्र में आएंगे।

प्रमुख पहल

विनियामक सैंडबॉक्स - समूह (उत्कर्ष)

VI.73 "खुदरा भुगतान" पर विनियामक सैंडबॉक्स के पहले समूह के तहत, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), ध्वनि तरंगों और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने वाले उत्पाद और सेवाओं का परीक्षण किया गया। सभी छः उत्पाद परीक्षण के दौरान परिभाषित सीमा शर्तों के भीतर साध्य पाए गए। 'सीमा पार से भुगतान' विषय के दूसरे समूह के तहत, आठ संस्थाओं का परीक्षण किया गया। अक्तूबर 2021 में 'एमएसएमई उधार' विषय के साथ तीसरे समूह की शुरुआत की गई। चौथे समूह के लिए विषय- 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' की घोषणा

[2] फिनटेक से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए रिज़र्व बैंक में संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु जून 2018 में विनियमन विभाग (डीओआर) में फिनटेक यूनिट की स्थापना की गई थी।

बॉक्स VI.2

फिनटेक नवोन्मेष को सुगम बनाना: रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

पिछले दशक में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के कारण, पारंपरिक वित्तीय क्षेत्र की संरचना और कामकाज के तरीके में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। फिनटेक ने अपनी उत्पाद संरचना, बैक-एंड एनालिटिक्स, सेवाओं की आपूर्ति, आदि के तरीकों से, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र में, बाधाएँ उत्पन्न की है। जैसा कि अपेक्षित है, इस तरह के नवोन्मेष पहले बाज़ार को परेशान करते हैं और जब एक बार अपनी रचनात्मक भूमिका स्थापित कर लेते हैं तो विनियामक और प्राधिकरण, नवोन्मेष को सतत पोषित करने और संबद्ध जोखिमों को कम करने के लिए इसे विनियमित करते हैं। नवोन्मेष भले ही अविनियमित होकर मुक्त विकास का दावा करते हैं परंतु, किसी क्षेत्र की सतत संवृद्धि के लिए नियमों, विनियमों/ विधियों की आवश्यकता होती है।

समष्टि (वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा) और व्यष्टि (उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय समावेश) दोनों स्तरों पर फिनटेक क्षेत्रक के बढ़ते प्रभाव के कारण, फिनटेक स्पेस में विनियामक आदेश लाने के अलावा नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाना जरुरी हो जाता है। इस तरह के नवोन्मेष को विनियमन के साथ संतुलित करना, रिज़र्व बैंक का सूक्ष्म दृष्टिकोण रहा है और यह बाज़ार के विकास के साथ-साथ सचेत रूप से विकसित हो रहा है।

इस क्षेत्र के नये घटनाक्रमों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने नवोन्मेष सुगमकर्ता की प्राथमिक भूमिका के रूप में भी सचेत प्रयास किए हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा फिनटेक के प्रत्यक्ष विनियमन के कुछ उदाहरण - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर (एनबीएफसी-पी 2 पी) प्लेटफॉर्म, अकाउंट एग्रीगेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म आदि हैं। डिजिटल उधार पर कार्य-दल की नवीनतम रिपोर्ट (18 नवंबर 2021) डिजिटल स्पेस के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा निर्माण का एक और प्रयास है।

रिज़र्व बैंक ने अपने प्रयास,जैसे - विनियामक सैंडबॉक्स, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र की स्थापना, हैकाथॉन, आदि के माध्यम से गैर-पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग की भूमिका का निर्वहन भी किया है। अपनी पहल पर ध्यान केंद्रित करने और बदलते वित्तीय परिदृश्य में उभरती समस्याओं से निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने फिनटेक विभाग की स्थापना की है। फिनटेक क्षेत्र में, रचनात्मक नवाचार और नवोन्मेष की सुविधा से संबंधित सभी समस्याओं के लिए एकल संपर्क-बिंदु होने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना सरल होगा।

केंद्रीय बैंक, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करते हुए, फिनटेक क्षेत्र में उभरते जोखिमों पर भी समानांतर रूप से ध्यान दे रहा है। प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ बढ़ाता है। इसके अलावा, बीएफएसआई सेगमेंट में दिग्गज तकनीकी कंपनियों की भागीदारी प्रणालीगत जोखिम भी लाती है। उपर्युक्त सभी का वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है। रिज़र्व बैंक का कार्य, वित्तीय सेवा उद्योग में उपयोगी एप्लिकेशनों की बहुलता के बीच फिनटेक को प्रोत्साहन देते हुए, प्रौद्योगिकी और फ्रेमवर्क (ढांचे) के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से, ऐसे जोखिमों को कम करना है।

उपर्युक्त मुद्दों से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण जोखिम प्रबंधन के किसी भी सिद्धांत से समझौता किए बिना, विनियमन और नवोन्मेष के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।

स्रोत: आरबीआई।

की गई। बंद समूह के विषयों के लिए 'ऑन टैप' एप्लिकेशन सुविधा भी शुरु की गई।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)

VI.74 रिज़र्व बैंक भारत में सीबीडीसी की शुरूआत के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहा है। सीबीडीसी का डिज़ाइन, मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और मुद्रा और भुगतान प्रणालियों के कुशल संचालन के घोषित उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। तदनुसार, सीबीडीसी का उपयुक्त डिजाइन तत्व - जिन्हें बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है - जांच के अधीन है। केंद्रीय बजट 2022-23 में सीबीडीसी की शुरूआत की घोषणा की गई है और आरबीआई अधिनियम, 1934 में एक उपयुक्त संशोधन को, वित्त विधेयक, 2022 में शामिल किया गया है। वित्त विधेयक, 2022 को अधिनियमित किया जा चुका है, जिसमें सीबीडीसी की शुरुआत के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

हार्बिन्जर 2021

VI.75 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2021 में अपना पहला वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिन्जर 2021 - इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' शुरु किया, जिसमें निम्नलिखित चार समस्या विवरण थे: (ए) छोटी राशि की नकद लेन-देन को डिजिटल तरीके में परिवर्तित करने

के लिए अभिनव, सुगम, गैर-मोबाइल डिजिटल भुगतान समाधान; (बी) भुगतान अनुभूति से भुगतान के भौतिक कार्य को अलग करने के लिए, संदर्भ-आधारित खुदरा भुगतान; (सी) डिजिटल भुगतान के लिए वैकल्पिक अधिप्रमाणन तंत्र; और (डी) डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी और व्यवधान का पता लगाने के लिए सोशल मीडिया विश्लेषण निगरानी उपकरण। हैकाथॉन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच)

VI.76 सतत नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए और एक संस्थागत सेट-अप के माध्यम से, रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) को, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इस केंद्र का एक स्वतंत्र बोर्ड है। उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।

VI.77 यह केंद्र, वित्तीय क्षेत्र के संस्थाओं, प्रौद्योगिकी, उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करेगा और विचारों के आदान-प्रदान और वित्तीय नवोन्मेष से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के प्रयासों का समन्वय करेगा ताकि एक ऐसा परितंत्र बनाया जा सके जो वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने, उत्पादों और वित्तीय समावेश पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करे। यह फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों और स्टार्ट-अप के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आवश्यक आंतरिक बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.78 2022-23 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- 'फिनटेक पर विजन और रणनीतिक दस्तावेज' (*उत्कर्ष*) द्वारा निर्धारित रोड मैप का कार्यान्वयन;
- डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और बिगटेक के लिए नीतिगत ढांचे की तलाश;
- सीबीडीसी (*उत्कर्ष*) की चरणबद्ध शुरूआत;
- देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना को सुगम बनाना; और
- रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र के माध्यम से प्रमुख महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.79 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को सभी एससीबी [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर], स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों (पीबी), एसएफबी, सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी [हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर] और एआरसी के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.80 वर्ष के दौरान विभाग ने एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को और सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.81 विभाग ने वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कारोबार रणनीति/ मॉडल, जोखिम और अनुपालन संस्कृति के साथ-साथ निगरानी और आश्वासन कार्यों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ VI.82];
- अपनी क्षमता और सामर्थ्य को रूपांतरित कर, पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिनव और स्केलेबल सुपटेक को अपनाना (*उत्कर्ष*) [पैराग्राफ VI.83];
- उत्कर्ष/ धन शोधन निवारण (एएमएल) पर्यवेक्षण के लिए विकसित जोखिम-आधारित मॉडल के परिणाम

के आधार पर सभी बैंकों से आँकड़ा संग्रहण प्रक्रिया और उसका अप्रत्यक्ष मूल्यांकन और चुनिंदा बैंकों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को सुव्यवस्थित करना (पैराग्राफ VI.84); और

- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली में वृद्धि, जिसमें ईडब्ल्यूएस ढांचे के प्रभाव में सुधार, धोखाधड़ी अभिशासन और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना, लेनदेन की निगरानी के लिए आँकड़ा विश्लेषण को बढ़ाना, धोखाधड़ी के लिए विशेष बाज़ार आसूचना (एमआई) इकाई की शुरूआत और प्रत्येक धोखाधड़ी के लिए स्वयंचालित प्रणाली जनित विशिष्ट संख्या का कार्यान्वयन शामिल है। (पैराग्राफ VI.85 - VI.86)।

कार्यान्वयन की स्थिति

बैंकों में निगरानी और आश्वासन कार्य

VI.82 निरीक्षण का मूल्यांकन, आश्वासन कार्य और कारोबार मॉडल/ कार्यनीति- पर्यवेक्षण के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं। सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में अभिशासन और मजबूत आंतरिक नियंत्रण की प्रधानता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक अब अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन में अभिशासन की गुणवत्ता और आश्वासन कार्यों को अधिक महत्व देता है। जोखिम प्रबंधन, अनुपालन, आंतरिक लेखा परीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में आश्वासन कार्य के विभिन्न खंडों को अधिक स्वतंत्रता और प्रभावोत्पादकता प्रदान करना है।

सुपटेक

VI.83 रिज़र्व बैंक द्वारा विवरणियों के वर्तमान फ्रेमवर्क को समेकित और अनुकूलित करके पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए एक एकीकृत पर्यवेक्षी डेटा संरचना को विकसित किया गया है। केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के हिस्से के रूप में बैंकों से डेटा संग्रहण को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। जबकि अप्रत्यक्ष विश्लेषण के दायरे को मजबूत बनाने और विस्तारित करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, बाज़ार आसूचना और अप्रत्यक्ष चौकसी को और अधिक व्यवस्थित किया गया है और लगातार परिष्कृत किया जा रहा है।

केवाईसी/ एएमएल अनुपालन का पर्यवेक्षण

VI.84 बैंकों द्वारा प्रस्तुत केवाईसी/ एएमएल डेटा के आधार पर जोखिम स्कोरिंग और रूपरेखा बनाने के लिए एक विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल के माध्यम से प्राप्त जोखिम स्कोर बैंकों के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मूल्यांकन का आधार बनते हैं और उन्हें जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के लिए एक इनपुट के रूप में प्रदान किया जाता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना

VI.85 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के सहयोग से चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ईडब्ल्यूएस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन किया। इसके अलावा, मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गोरिदम का उपयोग करके चुनिंदा बैंकों में ईडब्ल्यूएस की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया था।

VI.86 धोखाधड़ी डेटा के विश्लेषण को और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए, सीआईएमएस परियोजना के तहत सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली, डेटा डैशबोर्ड का निर्माण और एसई द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के लिए मशीन-जनित विशिष्ट पहचान संख्या जैसे कई सुधार लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सीआईएमएस के तहत संशोधित केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर) में वृद्धि होने की उम्मीद है और यह रिपोर्टिंग संस्थाओं से/ को धोखाधड़ी से संबंधित डेटा के निर्बाध हस्तांतरण के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) क्षमताएं प्रदान करेगा।

अन्य पहलें

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.87 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि जहां निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के अधिकतम मामले रिपोर्ट किए, वहीं धोखाधड़ी की राशि में सर्वाधिक राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की थी। (सारणी VI.1)। संख्या और मूल्य, दोनों के मामले में धोखाधड़ी मुख्य रूप से ऋण संविभाग (अग्रिम श्रेणी) में होती रही है (सारणी VI.2)।

सारणी VI.1: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह/ संस्था	2019-20		2020-21		2021-22	
	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ी की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,410 *(50.7)*	1,48,224 *(79.9)*	2,901 *(39.4)*	81,901 *(59.2)*	3,078 *(33.8)*	40,282 *(66.7)*
निजी क्षेत्र के बैंक	3,065 *(35.2)*	34,211 *(18.5)*	3,710 *(50.4)*	46,335 *(33.5)*	5,334 *(58.6)*	17,588 *(29.1)*
विदेशी बैंक	1,026 *(11.8)*	972 *(0.5)*	520 *(7.1)*	3,280 *(2.4)*	494 *(5.5)*	1,206 *(2.0)*
वित्तीय संस्थाएं	15 *(0.2)*	2,048 *(1.1)*	24 *(0.3)*	6,663 *(4.9)*	10 *(0.1)*	1,305 *(2.2)*
लघु वित्त बैंक	147 *(1.7)*	11 -	114 *(1.6)*	30 -	155 *(1.7)*	30 -
भुगतान बैंक	38 *(0.4)*	2 -	88 *(1.2)*	2 -	30 *(0.3)*	1 -
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2 -	- -	2 -	- -	2 -	2 -
कुल	**8,703** ***(100.0)***	**1,85,468** ***(100.0)***	**7,359** ***(100.0)***	**1,38,211** ***(100.0)***	**9,103** ***(100.0)***	**60,414** ***(100.0)***

-: शून्य/ नगण्य

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. उपरोक्त डेटा इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी के संबंध में है।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़े उनके द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के वर्ष से कई वर्ष पहले हुई हो सकती है।

5. निहित राशि रिपोर्ट के अनुसार है और उपगत हानि की राशि को नहीं दर्शाती है। वसूली के आधार पर, उपगत हानि कम हो जाती है। इसके अलावा, यह आवश्यक नहीं है कि ऋण खातों में निहित पूरी राशि का विचलन हो।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या के लिए मुख्य रूप से कम मूल्य के कार्ड/ इंटरनेट धोखाधड़ी उत्तरदायी थी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण संविभाग में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि का प्रमुख हिस्सा था।

VI.88 वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान रिपोर्ट की गई सभी धोखाधड़ियों का विश्लेषण धोखाधड़ी की घटना की तारीख और इसकी पहचान के बीच एक महत्वपूर्ण समय-अंतराल को दर्शाता है (सारणी VI.3)। वर्ष 2020-21 में 91.71 प्रतिशत दर्ज किये गए धोखाधड़ी मामलों की तुलना में, 2021-22 में मूल्य के आधार पर दर्ज किये गए 93.73 प्रतिशत धोखाधड़ी मामले पिछले वित्तीय वर्षों में हुए थे।

ह्रासित आस्तियों की तत्काल पहचान

VI.89 रिज़र्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रणाली संचालित एनपीए पहचान को कार्यान्वयित करने में संलग्न है, ताकि आस्ति ह्रास की त्वरित और त्रुटि मुक्त पहचान सुनिश्चित की जा सके।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.90 विभाग ने 2022-23 में एससीबी/ एआईएफआई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- रिज़र्व बैंक *(उत्कर्ष)* के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पर्यवेक्षी डैशबोर्ड तैयार किया जाए ;
- अपनी भविष्यसूचक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु/ पूर्व चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूआई) मॉडल की बैक-टेस्टिंग / एससीबी के लिए एक नया ईडब्ल्यूआई फ्रेमवर्क बनाना; और
- कमजोरियों की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रक्रिया लेखापरीक्षा करना।

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - परिचालन के क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन का क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	अंतर्निहित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	4,608	1,81,942	3,497	1,36,812	3,839	58,328
	(52.9)	*(98.1)*	*(47.5)*	*(99.0)*	*(42.2)*	*(96.5)*
तुलनपत्रेतर मदें	34	2,445	23	535	21	1077
	(0.4)	*(1.4)*	*(0.3)*	*(0.4)*	*(0.2)*	*(1.8)*
विदेशी मुद्रा लेनदेन	8	54	4	129	7	7
	(0.1)	-	*(0.1)*	*(0.1)*	*(0.1)*	-
कार्ड/ इंटरनेट	2,677	129	2,545	119	3,596	155
	(30.7)	*(0.1)*	*(34.6)*	*(0.1)*	*(39.5)*	*(0.2)*
जमाराशियां	530	616	504	434	471	493
	(6.1)	*(0.3)*	*(6.8)*	*(0.3)*	*(5.2)*	*(0.8)*
अंतर-शाखा खाते	2	-	2	-	3	2
	-	-	-	-	-	-
नकद	371	63	329	39	649	93
	(4.3)	-	*(4.5)*	-	*(7.1)*	*(0.2)*
चेक/ मांग ड्राफ्ट, *आदि*	201	39	163	85	201	158
	(2.3)	-	*(2.2)*	*(0.1)*	*(2.2)*	*(0.3)*
समाशोधन खाते	22	7	14	4	16	1
	(0.3)	-	*(0.2)*	-	*(0.2)*	-
अन्य	250	173	278	54	300	100
	(2.9)	*(0.1)*	*(3.8)*	-	*(3.3)*	*(0.2)*
कुल	**8,703**	**1,85,468**	**7,359**	**1,38,211**	**9,103**	**60,414**
	(100.0)	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***	***(100.0)***

-: शून्य/ नगण्य

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

2. सारणी VI.1 की फूटनोट संख्या 2-5 का संदर्भ लें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

सारणी VI.3: वर्ष 2020-21 और 2021-22 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की पुरानी घटनाएं

(अंतर्निहित राशि>= ₹1 लाख)

2020-21		2021-22	
धोखाधड़ी की घटना	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़)	धोखाधड़ी की घटना	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़)
1	2	3	4
2011-12 से पहले	6,371	Before 2012-13	10,930
2011-12	4,365	2012-13	3,272
2012-13	5,016	2013-14	7,270
2013-14	16,143	2014-15	3,451
2014-15	14,635	2015-16	4,661
2015-16	14,167	2016-17	5,620
2016-17	14,486	2017-18	7,346
2017-18	17,293	2018-19	5,448
2018-19	12,851	2019-20	4,912
2019-20	21,432	2020-21	3,719
2020-21	11,452	2021-22	3,785
कुल	**1,38,211**	**कुल**	**60,414**

टिप्पणी: सारणी VI.1 की फूटनोट संख्या 3 और 5 का संदर्भ लें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.91 विभाग ने एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की निरंतर निगरानी की।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.92 विभाग ने 2021-22 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चुनिंदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों *(उत्कर्ष)* की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ साइबर सुरक्षा जांच आयोजित करना *उत्कर्ष* [पैराग्राफ VI.93 - VI.95];
- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना (पैराग्राफ VI.96); और
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए ईडब्ल्यूएस और दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण (पैराग्राफ VI.97)।

कार्यान्वयन की स्थिति

शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा और आईटी जांच

VI.93 यूसीबी की साइबर सुरक्षा के लिए 24 सितंबर, 2020 को जारी किए गए प्रौद्योगिकी दृष्टि दस्तावेज़ में **गार्ड** नामक पांच-स्तंभ वाले कार्यनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, यथा निगरानी अभिशासन, उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश, उचित विनियमन और पर्यवेक्षण, सुदृढ़ सहयोग, और आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना।

VI.94 वर्ष के दौरान, चुनिंदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा जांच को पूरा करने सहित शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा आत्मनिर्भरता की निगरानी बढ़ाने के लिए पहल की गईं। शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फ़ाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन्स (स्विफ्ट) प्रणाली संबंधी नियंत्रणों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास के परिणामस्वरूप, संबंधित शहरी सहकारी बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर देखी गई कमियों को दूर करने की सलाह दी गई थी।

VI.95 शहरी सहकारी बैंकों में आईटी और साइबर से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए, आरईबीआईटी के सहयोग से उनकी आईटी जांच के लिए एक प्रणाली शुरू की गई है, जो नियमित निरीक्षण प्रक्रिया का सहयोग देती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाले सभी नौ शहरी सहकारी बैंकों की आईटी जांच आयोजित की।

शहरी सहकारी बैंकों का केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण

VI.96 वर्ष 2021-22 में डेटा संग्रह के लिए चुनिंदा यूसीबी (₹1,000 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति का आकार) के लिए डेटा टेम्प्लेट को डिजाइन कर साझा किया गया था। इसका उपयोग शहरी सहकारी बैंकों के जोखिम स्कोर और जोखिम रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाएगा।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क

VI.97 दबाव के भविष्योन्मुखी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान कमजोरियों की पहचान करने के लिए विभिन्न पर्यवेक्षी साधनों को डिजाइन किया गया था। यूसीबी खंड में दबाव के शुरुआती संकेतकों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक ईडब्ल्यूएस और एक दबाव जांच फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.98 विभाग ने 2022-23 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए हैं:

- साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का मूल्यनकन करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की शुरूआत;
- ₹5,000 करोड़ रुपये से कम आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए आईटी जांच को उत्तरोत्तर विस्तारित करना या बाह्य आईटी समीक्षा को अनिवार्य बनाना; और
- निदेशक के दृष्टिकोण से कंपनियों के साथ यूसीबी की अंतर-संबद्धता का विश्लेषण करना;

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.99 विभाग ने वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी की प्रभावी निगरानी करना जारी रखा।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.100 विभाग ने 2021-22 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की थी:

- भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को डिजाइन करना (इंड-एएस) *[उत्कर्ष]* (पैराग्राफ VI.101);
- एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर) का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.102];
- एनबीएफसी के बाज़ार आसूचना (एमआई) और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी मूल्यांकन को मजबूत करना (पैराग्राफ VI.103 - VI.104);

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करना (पैराग्राफ VI.105); और
- एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा के प्रभाव की निगरानी (पैराग्राफ VI.106)।

कार्यान्वयन की स्थिति

पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना

VI.101 अप्रत्यक्ष मूल्यांकन की प्रभावशीलता और एनबीएफसी के डेटा संग्रह की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, एनबीएफसी के कॉसमॉस रिटर्न को युक्तिसंगत बनाया गया है और नई एक्सबीआरएल प्रणाली में फिर से डिजाइन किया गया है। एनबीएफसी रिटर्न का इंड-एएस लेखांकन मानदंडों के साथ संरेखण किया गया है और इसे सीआईएमएस पोर्टल में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, सीआईएमएस पोर्टल में निरंतर आधार पर एनबीएफसी की अप्रयक्ष निगरानी के लिए पृथक एमआईएस रिपोर्ट तैयार की गई है।

एनबीएफसी के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी पंजीकरण (सीएफआर)

VI.102 एनबीएफसी द्वारा धोखाधड़ी की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए वर्ष के दौरान एक एक्सबीआरएल आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस दौरान, सीआईएमएस परियोजना के तहत सभी एसई (एनबीएफसी सहित) के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप का विकास किया जा रहा है/ शुरू हो गया है। एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रारूप, धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए सभी वैयक्तिक खातों के लिए विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करने की एक स्वचालित प्रणाली का संचालन करता है।

परिष्कृत पर्यवेक्षी मूल्यांकन

VI.103 रिज़र्व बैंक ने एक केंद्रीकृत पर्यवेक्षी आसूचना कक्ष की स्थापना की है जो विभिन्न बाह्य स्रोतों (दलालों की रिपोर्ट, रेटिंग में कमी और आंतरिक सीआरआईएलसी डेटा के साथ मैप किए गए नकारात्मक समाचार), आंतरिक स्रोतों (*सैशे* पोर्टल और मासिक शिकायत विश्लेषण) और अन्य स्रोतों से प्राप्त इनपुट के आधार पर जानकारी को समेकित करके सभी एसई (एनबीएफसी सहित) के लिए मासिक एमआई रिपोर्ट तैयार करता है।

VI.104 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ-साथ जमा राशि स्वीकार करने वाले एनबीएफसी की कमियों के किसी भी प्रारंभिक संकेत के लिए बारीकी से निगरानी की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्यक्ष परीक्षण / जांच करता है। पाई गई दोषों/कमियों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एनबीएफसी के प्रबंधन के समक्ष तत्काल उठाया जाता है। रिज़र्व बैंक भी कंपनियों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों पर निगरानी रखता है।

एनबीएफसी का केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण

VI.105 वर्ष 2021-22 में डेटा संग्रह के लिए चुनिंदा एनबीएफसी के साथ डेटा टेम्प्लेट को डिज़ाइन और साझा किया गया था। इन आंकड़ों का उपयोग एनबीएफसी के जोखिम स्कोर और जोखिम की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाएगा।

एनबीएफसी द्वारा ग्राहक सेवा

VI.106 वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश जारी किए गए। नमूना आधार पर अप्रत्यक्ष मूल्यांकन के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की गई और अननुपालन, यदि कोई हो, संबंधित एनबीएफसी की निरीक्षण रिपोर्ट में सामने लाये गए। डिजिटल ऋण देने वाली एनबीएफसी और पर्याप्त ग्राहक इंटरफेस वाले डिजिटल उधारदाताओं से जुड़ी एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता के पालन और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता की भी नमूना आधार पर जांच की गई।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.107 विभाग ने 2022-23 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य विनिर्दिष्ट किए हैं:

- इंड-एएस के अंतर्गत विनियामक मार्गदर्शन के आधार पर एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क और विवरणी प्रारूप की समीक्षा करना *(उत्कर्ष)*;
- एनबीएफसी के लिए हाल ही में जारी आकार-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्षेत्रवार मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

- एनबीएफसी के लिए केआरआई की अप्रत्यक्ष डिजाइन के माध्यम से उनके साइबर सुरक्षा जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करने हेतु केआरआई की शुरुआत करना; और
- चुनिंदा एनबीएफसी के लिए आईटी जांच का सूत्रपात।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.108 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है जिसमें एक छत्र विभाग के तहत बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का समग्र रूप से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इससे विनियामक/ पर्यवेक्षी अंतरपणन, अंतर-संबद्धता और सूचना विसंगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निपटान में सुधार आएगा।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.109 विभाग ने 2021-22 में सभी एसई के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए साइबर सुरक्षा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.110 - VI.111];
- आईटी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.110 - VI.111);
- विवरणी के वर्तमान फ्रेमवर्क की समीक्षा और समेकन द्वारा रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए पर्यवेक्षी डेटा संरचना को एकीकृत करना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.112];
- बाज़ार निगरानी, कदाचार विश्लेषण, सूक्ष्म/ समष्टि विवेकपूर्ण विश्लेषण की क्षमता के साथ पर्यवेक्षी डेटा विश्लेषण का सूत्रपात *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.112 - VI.113]; और
- शैक्षणिक सलाहकार परिषद (एएसी) के मार्गदर्शन में सीओएस, उन चिन्हित क्षेत्रों के आधार पर सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की योजना बनाएगा और उसे तैयार करेगा, जहां क्षमता निर्माण/ कौशल-संवर्धन की आवश्यकता होती है, कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों/ सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बेंचमार्क करना, और उपयुक्त शिक्षण तरीके विकसित करते हैं। (पैराग्राफ VI.114)।

कार्यान्वयन की स्थिति

आईटी और साइबर सुरक्षा संबंधित गतिविधियां

VI.110 रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) द्वारा 2019 में जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को विनिर्दिष्ट करने की सलाह दी है। साइबर केआरआई विवरणी को बैंकों द्वारा सामना किए जाने वाले साइबर जोखिमों का बेहतर तरीके से पता लगाने के लिए संशोधित किया गया है।

VI.111 रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) की साइबर सुरक्षा तत्परता की निगरानी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किए गए हैं। नई तकनीक के उपयोग पर दिशानिर्देश, *यानी* क्लाउड सेवाएं और सुरक्षा, और सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए सम्मिलित करने हेतु मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने ईमेल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित किया। अभ्यास के आधार पर जिन पर्यवेक्षित संस्थाओं को देख-रेख की आवश्यकता थी, उन्हें विशिष्ट समय-सीमा के साथ एक निश्चित कार्य योजना लागू करने की सलाह दी गई थी।

पर्यवेक्षी डेटा विश्लेषण

VI.112 अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी डेटा का उपयोग वर्तमान में नीति निर्माण में सहायता करने, शुरुआती दबाव की पहचान करने, ऋणदाताओं में से उधारकर्ताओं की स्थिति का पता लगाने और विनियामक शर्तों के अनुपालन की जांच करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय बृहत ऋण सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) और सीएफआर के अलावा, रिज़र्व बैंक की डेटा क्षमताओं को संशोधित डेटा वेयरहाउस, *यानी* सीआईएमएस के माध्यम से

और उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान विवरणी प्रारूपों की गहन समीक्षा और युक्ति संगत बनाने के बाद नए एकीकृत रिटर्न प्रारूप विकसित किए गए हैं।

VI.113 रिज़र्व बैंक ने समय पर और सक्रिय कार्रवाई करने के लिए दोषों की शीघ्र पहचान के लिए एक प्रणाली विकसित की है। यह अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षी दलों को एक प्रभावी और अधिक व्यापक इनपुट प्रदान करने के लिए तिमाही अप्रत्यक्ष विवरणी में डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया रहा है। एक प्रारंभिक चेतावनी फ्रेमवर्क - जो समष्टि-आर्थिक चरों, और बाज़ार और बैंकिंग संकेतकों को ट्रैक करता है - विश्लेषण का पूरक है। बैंक-वार के साथ-साथ प्रणाली-व्यापी पर्यवेक्षी दबाव का परीक्षण अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान के लिए एक भविष्योन्मुखी आयाम जोड़ता है। वर्ष के दौरान, तनावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए आरबीएस मॉडल के इनपुट के रूप में समष्टि-विवेकपूर्ण विश्लेषण के साथ एक सूक्ष्म-विवेकपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन आयोजित किया गया। अन्य अध्ययनों के माध्यम से बाज़ार की निगरानी और कदाचार का विश्लेषण भी निरंतर आधार पर किया जा रहा है।

पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस)

VI.114 पर्यवेक्षी और विनियामक कर्मियों के कौशल को बढ़ाने के लिए, पर्यवेक्षण महाविद्यालय मई 2020 में स्थापित किया गया था। वर्ष के दौरान, सीओएस द्वारा कुल 43 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे (बॉक्स VI.3)।

बॉक्स VI.3

पर्यवेक्षी कौशल संवर्धन और सशक्तिकरण

एकीकृत पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) और एकीकृत विनियमन विभाग (डीओआर) की स्थापना के बाद, वित्तीय कारोबार में बढ़ती जटिलताओं के अनुरूप समर्थकारी फ्रेमवर्क, आंतरिक प्रक्रियाओं, कार्य वातावरण और सही कौशल समूह का उपयोग कर वित्तीय प्रणाली की निरंतर निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षकों को सक्षम करने के लिए विभिन्न पहल की गईं।

प्रवेश स्तर पर और निरंतर आधार पर अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कर्मियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को संवर्धित करने और सुदृढ़ बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षकों के कॉलेज (सीओएस) की स्थापना की है। मई 2020 में वर्चुअल मोड से इसकी शुरुआत हुई और कॉलेज औपचारिक रूप से जनवरी 2021 से प्रभावी रूप से परिचालनगत हो गया है। कॉलेज का नेतृत्व एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे छह सदस्यीय शैक्षणिक सलाहकार परिषद (एएसी) का सहयोग प्राप्त होता है। यह कौशल निर्माण/ कौशल-संवर्धन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने हेतु मार्गदर्शन करता है, सभी कार्यक्रमों के लिए योजना बनाना और पाठ्यक्रम विकसित करना, कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों/ सर्वोत्तम प्रथाओं के स्तर का बनाता है, अध्ययन के उचित तरीके विकसित करता है, *आदि*।

सीओएस ने रिज़र्व बैंक में विनियामक, पर्यवेक्षी, प्रवर्तन और वित्तीय स्थिरता कार्यों से निपटने वाले अपने अधिकारियों के लिए और कुछ अन्य कार्यक्षेत्रों में तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रासंगिक विषयों की एक श्रृंखला पर कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए हैं। इनमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की सूक्ष्म तकनीकें, "संकट" का समय रहते पता करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की अप्रत्यक्ष निगरानी, डिजिटल कारोबार मॉडल, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए विश्लेषण का उपयोग, फिनटेक, रेगटेक और सुपटेक के तकनीकी आधार और मूलभूत अंग, नेतृत्व, पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में टीम निर्माण और संचार कौशल, *आदि* शामिल हैं। 2021-22 के दौरान 43 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 1,700 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। सीओएस का केंद्र-बिन्दु फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से नए भर्ती किए गए कर्मियों का कौशल-संवर्धन करने और उन्हें उपयुक्त रूप से विकसित करने और उन्हें भविष्य में नई जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना भी है। कार्यक्रम एक संवादमूलक और मामले के अध्ययन (केस-स्टडी) पर आधारित अध्यापन का उपयोग करके सर्वश्रेष्ठ भारतीय और वैश्विक संकाय की सहायता से तैयार किए गए थे। इसके अलावा, सीओएस ने निरंतर अध्ययन कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विषयगत वेबिनार, सामयिक पैनल चर्चा और 'लेखकों के साथ फायर साइड चर्चा' का भी आयोजन किया है।

आगे चलकर, सीओएस का लक्ष्य वर्च्युअल और भौतिक माध्यम में प्रशिक्षण जारी रखने के अलावा, उन्नत अध्ययन साधन परिनियोजित करने और ई-लर्निंग मॉड्यूल और प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने का है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 55 कार्यक्रमों और 12 सेमिनारों/ वेबिनार आयोजित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें ईसीबी, आईएमएफ, बीआईएस, *आदि* जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ चुनिंदा सहयोगपूर्ण अध्ययन कार्यक्रम शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

प्रमुख गतिविधियां

केवाईसी/ एएमएल और धोखाधड़ी अभिशासन संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन

VI.115 बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में केवाईसी/ एएमएल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने के लिए नवंबर 2021 में वर्चुअल मोड के माध्यम से सभी बैंकों और चुनिंदा यूसीबी/ एनबीएफसी के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं, इसके बाद फरवरी 2022 में वर्चुअल मोड के माध्यम से चुनिंदा यूसीबी/ एनबीएफसी के लिए और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बैंकों के लिए कार्यशालाओं में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी और यूसीबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग सहित धोखाधड़ी के बेहतर प्रबंधन पर उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित कीं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क

VI.116 पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को समय पर सक्षम करने के उद्देश्य से एक संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया गया था और एसई को एक विवेकपूर्ण तरीके से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने के लिए, जोखिमों के निर्माण को रोकने के लिए और निर्दिष्ट संस्थाओं को उनकी वित्तीय बहाली के पथ पर लाने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रभावी बाज़ार अनुशासन के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना भी है।

एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क

VI.117 एनबीएफसी के बढ़ते आकार और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके महत्वपूर्ण अंतर-संबद्धता को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के लिए एक पीसीए फ्रेमवर्क का सूत्रपात किया गया था ताकि उन पर लागू पर्यवेक्षी साधनों को और सुदृढ़ किया जा सके।

शहरी सहकारी बैंकों की मौजूदा अप्रत्यक्ष विवरणियों को युक्तिसंगत बनाना

VI.118 एक कार्य-दल (डब्ल्यूजी) ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियों की समीक्षा की और उन्हें फिर से डिजाइन किया। इस अभ्यास में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शहरी सहकारी बैंकों के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख गतिविधियों को चिन्हित के लिए, विवरणियों की संख्या में कमी और जहां कहीं भी आवश्यक हो, नई डेटा मदों को शामिल करना था। विवरणियों के युक्तिसंगत समूह को सीआईएमएस पोर्टल में भविष्य में से प्रारंभ किया जाना है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना

VI.119 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 से शुरू होकर शहरी सहकारी बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए अतिरिक्त प्रमाणन/ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया है। वर्ष 2021-22 के लिए उन्नीस प्रमाणन/ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया था। इन आवश्यकताओं को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने हेतु यूसीबी को सूचित किया गया था।

चुनिंदा एचएफसी और एनबीएफसी के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) दिशानिर्देश

VI.120 आरबीआईए दिशानिर्देशों को 11 जून, 2021 के परिपत्र के माध्यम से सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एचएफसी के लिए विस्तारित किया गया था, जिनका आस्ति आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है। परिपत्र का इरादा, अन्य बातों के साथ-साथ, एक मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाओं को प्रदान करना है, जिसमें पर्याप्त प्राधिकार, महत्ता, स्वतंत्रता, संसाधन और पेशेवर कार्य-क्षमता शामिल है, ताकि इन आवश्यकताओं को बड़े एनबीएफसी/ यूसीबी में एससीबी के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जा सके। यह उम्मीद की जाती है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा आरबीआईए को अपनाने से उनकी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/ सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति पर एक समान दिशानिर्देश

VI.121 विभाग ने 27 अप्रैल, 2021 के परिपत्र के *माध्यम* से वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के एससीए/ एसए की नियुक्ति पर एक समान दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश लेखा परीक्षकों

की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए उनकी संख्या, उनकी पात्रता के मानदंड, कार्यकाल और रोटेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करते हैं। ये दिशानिर्देश यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से की जाए और आरई में लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए।

एनबीएफसी के लिए कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन

VI.122 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के समान 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' को लागू करने के लिए एनबीएफसी की कुछ श्रेणियों को अनिवार्य किया, जो डिजिटल प्रस्तावों और लेनदेनों के लिए निर्बाध ग्राहक इंटरफेस और कहीं भी/ कभी भी सुविधा से लैस संबंधित उत्पादों और सेवाओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

यह एनबीएफसी के कार्यों के एकीकरण को सक्षम करने, केंद्रीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करने, और आंतरिक उद्देश्यों और विनियामक रिपोर्टिंग दोनों के लिए उपयुक्त एमआईएस उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययन

VI.123 विभाग ने वर्ष के दौरान समसामयिक विषयों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययन किए जैसे कि बैंकों के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन, भुगतान प्रणाली डेटा, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), कानूनी इकाई अभिज्ञापक (एलईआई), कॉर्पोरेट दिवाला व्यवस्था, समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों की प्रभावशीलता, पहली बार एनपीए की भविष्यवाणी, एनबीएफसी पर इंड-एएस लेखा मानदंडों का प्रभाव, यूसीबी में डिजिटलीकरण आदि।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज

VI.124 रिज़र्व बैंक सीमाओं के पार वित्तीय संस्थानों की बढ़ती जटिलता और अंतर- संबद्धता का विश्लेषण करने और इस तरह के अंतर्संबंधों से उत्पन्न वित्तीय कमजोरियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इन कदमों में पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की स्थापना के अलावा, भारतीय बैंकों के परिचालन वाले क्षेत्राधिकारों के पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ गहन समन्वय, समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादन शामिल हैं।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.125 विभाग का 2022-23 में सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है:

- चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के केवाईसी/ एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) का कार्यान्वयन;
- अनुपालन कार्य और एनबीएफसी तथा शहरी सहकारी बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारियों (सीसीओ) की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करना;
- सभी एसई के लिए एकीकृत धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली;
- साइबर सुरक्षा बढ़ाने के उपाय करना;
- एसई में लेखापरीक्षा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाना; और
- पर्यवेक्षी कर्मचारियों के क्षमता विकास और कौशल वृद्धि के लिए सीओएस के परिचालनों का विस्तार करना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.126 प्रवर्तन विभाग की स्थापना अप्रैल 2017 में पर्यवेक्षी प्रक्रिया से प्रवर्तन कार्रवाई को अलग करने के लिए की गई थी और लागू कानूनों और नियमों, विनियमनों, दिशा-निर्देशों और आदेश, जारी किए गए निदेश, और उसके तहत रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तों को संपूर्ण रिज़र्व बैंक में निरंतर लागू किया जाता है तथा आरई द्वारा इनके उल्लंघनों की पहचान करने और उन्हें संसाधित करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण रखने के लिए की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जनहित और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के व्यापक सिद्धांत के भीतर आरई द्वारा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.127 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ईएफडी के कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन और प्रवर्तन कार्यों का डेटाबेस का कार्यान्वयन *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ VI.128];
- प्रवर्तन नीति और मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की समीक्षा; और क्रेडिट सूचना कंपनियों (बैंकेतर और गैर-एनबीएफसी) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई होने की जांच करना [पैराग्राफ VI.129];
- प्रवर्तन कार्रवाई में समयबद्धता को प्रभावित करने वाली बाधाओं की पहचान करने और प्रवर्तन कार्रवाई में लगने वाले समय को कम करने के लिए डीओएस और डीओआर के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए मौजूदा प्रथाओं और (व्यवसाय) प्रक्रियाओं की समीक्षा करना (पैराग्राफ VI.130);
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के निर्णयों में संगति में सुधार लाने और ईएफडी, आरओ के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय (सीओ) के साथ जानकारी साझा करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बातचीत और प्रशिक्षण में वृद्धि; (पैराग्राफ VI.131) ; और
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ समन्वय में सुधार करना और एचएफसी के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की प्रभावी सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ एक समन्वय तंत्र स्थापित करना (पैराग्राफ VI.132)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.128 विभाग जून 2022 तक कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन को लागू करने के लिए प्रयासरत है।

VI.129 पिछले वर्षों में विभाग द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर और फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सूचना कंपनियों (बैंकेतर और गैर-एनबीएफसी) को शामिल करने के लिए प्रवर्तन नीति और एसओपी की समीक्षा की जा रही है।

VI.130 विभाग ने ईएफडी तथा विनियामक एवं पर्यवेक्षी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सतत् आधार पर बातचीत के लिए एक तंत्र और विभागों के मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर एक समन्वय संरचना भी स्थापित की है। इसके अलावा, विभाग ने सूचना साझा करने के लिए मैसेजिंग टेम्प्लेट भी तैयार किए हैं, जो मामलों को संसाधित करते समय विनियमित संस्थाओं और आंतरिक विभागों से अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।

VI.131 प्रवर्तन कार्यों में संगति सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन कार्यों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एक सूचना साझाकरण तंत्र स्थापित किया गया था।

VI.132 आरई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नाबार्ड और एनएचबी के साथ एक औपचारिक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया था और आरई का पर्यवेक्षण इन संस्थानों द्वारा किया जाता था।

अन्य पहलें

VI.133 अप्रैल 2021-मार्च 2022 के दौरान, विभाग ने 182 आरई (189 दंड) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और प्रावधानों के अननुपालन[3]/ रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न परिपत्रों के

माध्यम से समय-समय पर जारी किए गए नियत निर्देशों के उल्लंघन के लिए ₹65.32 करोड़ का कुल जुर्माना लगाया। (सारणी VI.4)।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.134 आगामी वर्ष के लिए, विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित हैं:

- आरई द्वारा अनुपालन संस्कृति में सुधार लाने के लिए, आरई के मध्य अतिरिक्त जानकारी के प्रसार के लिए अर्ध-वार्षिक अंतराल पर प्रवर्तन कार्यों पर रिपोर्ट तैयार करने की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी;
- आरई के अनुपालन अधिकारियों के संवेदीकरण पर केंद्रित सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे;
- आरई में अनुपालन संस्कृति में सुधार करने हेतु विभाग आरई की अनुपालन जांच के लिए डीओएस, एनएचबी और नाबार्ड को कारोबार प्रक्रिया एप्लिकेशन का उपयोग करके अक्सर निर्दिष्ट उल्लंघनों के लिए इनपुट प्रदान करेगा; और
- विभाग प्रवर्तन के लिए आकार-आधारित दृष्टिकोण की व्यवहार्यता की जांच करेगा।

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (अप्रैल 2021-मार्च 2022)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल दंड (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	13	17.55
निजी क्षेत्र के बैंक	16	29.38
सहकारी बैंक	145	12.10
विदेशी बैंक	4	4.25
भुगतान बैंक	-	-
लघु वित्त बैंक	1	1.0
एनबीएफसी	10	1.03
कुल	**189**	**65.32**

-: शून्य।
स्रोत: आरबीआई।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.135 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है; आरई के शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करता है; लोकपाल कार्यालयों के साथ-साथ "रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021" (आरबी-आईओएस) के निष्पादन की निगरानी करता है; और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा और संरक्षण पर वर्तमान नियमों के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए जन-जागरूकता पैदा करता है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VI.136 *उत्कर्ष* के तहत 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत नहीं आने वाली शिकायतों से निपटने के लिए नीति/ योजना तैयार करना (पैराग्राफ VI.137);
- शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुरक्षित बैंकिंग पद्धतियों को सम्मिलित करने के प्रयास (पैराग्राफ VI.138); और

[3] उदाहरण के तौर पर, उनमें से कुछ में एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड शामिल हैं; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)] निदेश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016; बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर परिपत्र; साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता; एनबीएफसी को उधार; जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवरणियां (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016; और निदेशक मंडल- शहरी सहकारी बैंकों पर मास्टर परिपत्र।

- आंतरिक लोकपाल (आईओ) योजना का वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तक विस्तार (पैराग्राफ VI.139)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.137 रिज़र्व बैंक की पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं[4] का 12 नवंबर, 2021 से आरबी-आईओएस में विलय कर दिया गया है। आरबी-आईओएस के कार्यक्षेत्र से इतर शिकायतों के दो समूह हैं: (i) आरबी-आईओएस के तहत शामिल नहीं होने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें- (*यानी* गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, जिनका जमा राशि आकार ₹50 करोड़ से कम है, एनबीएफसी जिनकी आस्ति आकार ₹100 करोड़ से कम है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, क्रेडिट सूचना कंपनियां, *आदि*), जो पूरे देश में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठों (सीईपीसी) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं; और (ii) आरबी-आईओएस की अपवर्जन सूची में आने वाली शिकायतें (प्रबंधन, नीति संबंधी मामलों *आदि* के विरुद्ध शिकायतें)। ऐसे में शिकायतकर्ता को सलाह देते हुए, शिकायतों के मामले के अनुसार या तो इनको रिज़र्व बैंक के विनियामक/ पर्यवेक्षी विभागों को या संबंधित विनियामकों/ प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है। आरबी-आईओएस के कार्यक्षेत्र से इतर शिकायतों के निपटान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।

VI.138 विभाग ने सितंबर 2020 में ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय शिक्षण के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार किया था। वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सामग्री और "सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं" को स्कूली छात्रों के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) के माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के साथ समन्वय किया गया है।

VI.139 चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आईओ योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव की गहन जांच की गई। यह निर्णय लिया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खिलाफ प्राप्त ग्राहकों की शिकायतों की मात्रा और प्रकृति वर्तमान में इन संस्थाओं के लिए एक आईओ तंत्र को संस्थागत बनाने की आवश्यकता नहीं है। रिज़र्व बैंक के आरई के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों की मात्रा और प्रकृति की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है और यूसीबी और आरआरबी में आईओ की आवश्यकता पर भविष्य की तारीख में, यदि आवश्यक हो, फिर से समीक्षा की जाएगी।

प्रमुख गतिविधियां

आरबी-आईओएस, 2021 की शुरुआत

VI.140 लोकपाल योजनाओं के कामकाज की समीक्षा के लिए एक आंतरिक समिति की अनुशंसा के क्रम में, तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाएं, *यथा* (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एक योजना, *यानी* आरबी-आईओएस, 2021 में एकीकृत किया गया था, जिसका सूत्रपात 12 नवंबर, 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था (बॉक्स VI.4)। यह योजना रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 35ए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45एल और भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।

[4] पैराग्राफ VI.138 का संदर्भ लें।

बॉक्स VI.4

विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में नई पहल

रिज़र्व बैंक आम आदमी के लिए वित्तीय सुगमता और सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इस दिशा में 12 नवंबर, 2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई "रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना" (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत 'एक राष्ट्र - एक लोकपाल' प्रणाली को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना रिज़र्व बैंक की तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है और चरणबद्ध तरीके से सभी आरई (विनियमित इकाइयों) को शामिल करने का लक्ष्य रखती है; ताकि वे कठिनाई रहित वातावरण में समय पर अपने ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कर सकें।

माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों में, "लोकतंत्र की ताकत इस बात से निर्धारित होती है कि शिकायत निवारण प्रणाली कितनी मजबूत, संवेदनशील और सक्रिय है। आरबी-आईओएस, 2021 में , 'जमकर्ता -पहले' की प्रतिबद्धता ने ताकत हासिल की है। इस योजना के माध्यम से, 44 करोड़ ऋण खातों और 220 करोड़ जमा खातों के खाताधारकों को उनकी शिकायतों के लिए सीधी राहत मिलेगी।

इस नई योजना के अंतर्गत, देश के किसी भी स्थान के आरई के ग्राहक एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात् कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) या चंडीगढ़ में केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रोसेसिंग केंद्र (सीआरपीसी) में एकल भौतिक / ईमेल पते के माध्यम से रिज़र्व बैंक लोकपाल के पास अपनी शिकायतें दर्ज, ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इन आरई के विरुद्ध "सर्विसेज़ में कमी" के आधार पर सभी शिकायतें पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट सूची के आधारों पर अब स्वीकार्य होंगी।

वर्चुअल मोड में सुलह संबंधी बैठकों में भाग लेने के लिए एक सुविधा भी स्थापित की गई है ताकि शिकायतकर्ताओं को किसी भी दूरस्थ स्थान से अपनी बात रखने में सहायता मिल सके। नई योजना ने कतिपय प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए नव सृजित उप लोकपाल को शिकायत निवारण में लगने वाले समय में सुधार के लिए अपेक्षित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सीआरपीसी में एक टोल-फ्री नंबर (14448) के साथ एक संपर्क केंद्र शुरू किया गया है ताकि शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करने और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नौ क्षेत्रीय भाषाओं में रिज़र्व बैंक में उनकी शिकायतों/शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित जानकारी प्रदान करके उनकी सहायता की जा सके।

इसके साथ ही, शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम शामिल हैं (i) बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिए 27 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र के द्वारा स्थापित व्यापक रूपरेखा; और (ii) एनबीएफसी का चयन करने के लिए बैंक और गैर-बैंक प्रणाली के प्रतिभागियों के अनुरूप आईओ योजना का विस्तार। त्वरित निवारण और कुशल शिकायत प्रबंधन के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए कार्रवाई भी चल रही है।

स्रोत: आरबीआई।

एनबीएफसी के लिए आईओ योजना का विस्तार

VI.141 जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) जिनकी 10 या अधिक शाखाएं हैं और जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी), जिनका आस्ति आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक है और जिनके पास सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस है, को निदेश जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उनके आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर नवंबर 2021 में एक आईओ नियुक्त करने का निदेश दिया गया था। सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी की चुनिंदा श्रेणियों को छूट दी गई है। आईओ तंत्र को पहले वर्ष 2018 में बैंकों और 2019 में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य किया गया था। निदेश में *अन्य बातों के साथ-साथ*, जांच अधिकारी (आईओ) के लिए नियुक्ति/ कार्यकाल, भूमिका और जिम्मेदारियां, प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और निगरानी तंत्र शामिल हैं। धोखाधड़ी से संबंधित पहलुओं और वाणिज्यिक निर्णयों, आंतरिक प्रशासन, स्टाफ के वेतन और परिलब्धियों, न्यायाधीन मामलों *आदि* से संबंधित शिकायतों को छोड़कर, आरई के आंतरिक शिकायत तंत्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत की गई सभी शिकायतों के मामले में शिकायतकर्ता को अंतिम निर्णय से अवगत कराने से पहले जांच अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जानी आवश्यक है। आईओ योजना का उद्देश्य स्वयं आरई के अंत में शिकायतों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है ताकि ग्राहक को निवारण के लिए अन्य मंचों से संपर्क करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।

ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों पर बैंकों से प्राप्त विवरणी

VI.142 रिज़र्व बैंक द्वारा 'वित्तीय समावेशन पर मध्यमावधि मार्ग' (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) पर गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार, *"बैंकों को प्राप्त शिकायतों और निपटान की गई शिकायतों की संख्या की समेकित स्थिति व्यापक शीर्षों के तहत सीईपीडी को प्रस्तुत करना आवश्यक है और परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में वार्षिक बैंक-वार स्थिति जारी की जाएगी"।* सीईपीडी ने बैंकों को प्राप्त और उनके द्वारा निपटाई गई शिकायतों पर तिमाही आधार पर समेकित और व्यापक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक एक्सबीआरएल विवरणी प्रारूप तैयार किया है। इसके बाद बैंकों द्वारा प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों के डेटा का सीईपीडी द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और एक उपयुक्त रूप में प्रकाशित भी किया जाएगा।

ग्राहक जागरूकता (उत्कर्ष) की दिशा में प्रयास

VI.143 विभाग ने लोकपाल योजनाओं, आधारभूत बचत बैंक जमा खातों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधाओं *आदि* पर मल्टी-मीडिया अभियान चलाए। भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल (ओआरबीआईओ) के कार्यालयों ने टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें लोकपाल योजनाओं और महत्वपूर्ण ग्राहक सेवा मुद्दों पर जनता और आरई के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, ओआरबीआईओ द्वारा विशिष्ट समूहों जैसे कि सर्विसमैन, स्कूल/ कॉलेज के छात्रों, ग्राहक समूहों *आदि* पर ध्यान देने के साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, साइबर धोखाधड़ी, लोकपाल योजनाओं और सीएमएस से संबंधित संदेशों को भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, *'आरबीआई कहता है'* और सीएमएस वेबपेजों पर आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य *कार्य प्रणाली* और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर एक पुस्तिका, बी(अ)वेयर को प्रकाशित किया। 15 मार्च, 2022 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर, देश भर के क्षेत्रीय मल्टी-मीडिया चैनलों में "लोकपाल स्पीक" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि आरबीआई शिकायत निवारण प्रणाली के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के विरुद्ध बचाव के लिए सुरक्षा उपायों पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उपभोक्ताओं / ग्राहकों को संवेदनशील बनाया जा सके।

बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना

VI.144 बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए एक फ्रेमवर्क लागू किया गया था और वित्तीय वर्ष के दौरान इस फ्रेमवर्क के चार स्तंभ, *यथा*, परिष्कृत प्रकटीकरण; कुछ शर्तों के तहत लोकपाल द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए बैंकों से लागत की वसूली; बैंकों के शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा; और पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई जारी रहे।

2022-23 के लिए कार्य-योजना

VI.145 विभाग द्वारा 2022-23 के लिए *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित एजेंडा प्रस्तावित है:

- ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान बढ़ाया;
- ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने और रिज़र्व बैंक द्वारा शिकायत निवारण की उपयुक्तता में सुधार के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का उपयोग करना;
- आपदा से बहाली की स्थिति में आने और कारोबार निरंतरता समाधानों को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ में रिज़र्व बैंक संपर्क केंद्र को व्यापक आधार-वाला बनाना और अपग्रेड करना;
- आरई में ग्राहक सेवा मानकों और प्रथाओं और इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन;
- उपभोक्ता संरक्षण सूचकांक (सीओपीआई) का निर्माण और प्रसार; और

- "बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण" के लिए रूपरेखा की समीक्षा।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.146 निक्षेप बीमा, विशेष रूप से छोटे जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने और इस तरह जनता का विश्वास सुनिश्चित कर वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआईसीजीसी का पूर्ण स्वामित्व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है और इसे डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत गठित किया गया है। डीआईसीजीसी द्वारा स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों को जमा बीमा विस्तारित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत बीमित बैंकों की संख्या 2,043 थी, जिसमें 141 वाणिज्यिक बैंक (43 आरआरबी, 2 एलएबी, 6 पीबी और 12 एसएफबी सहित) और 1,902 सहकारी बैंक (33 एसटीसीबी , 352 डीसीसीबी और 1,517 यूसीबी) शामिल थे।

VI.147 भारत में जमा बीमा की वर्तमान सीमा ₹5 लाख है। मार्च 2022 के अंत में पूरी तरह से संरक्षित खातों (256.7 करोड़) की संख्या कुल खातों की संख्या (262.2 करोड़) का 97.9 प्रतिशत थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार 80 प्रतिशत खाते ही जमा बीमा से संरक्षित होने चाहिए। राशि के संदर्भ में, मार्च 2022 के अंत तक ₹81,10,431 करोड़ की कुल बीमाकृत जमाराशियां 20 से 30 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क[5] की तुलना में ₹1,65,49,630 करोड़ की कर-निर्धारणीय जमाराशियों का 49.0 प्रतिशत थीं। मौजूदा स्तर पर बीमा रक्षा, 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के 3.3 गुना से अधिक होगी।

VI.148 डीआईसीजीसी अपने निक्षेप बीमा कोष (डीआईएफ) को अपने अधिशेष के अंतरण के माध्यम से बनाता है, *यानी* प्रत्येक वर्ष निवल करों का समायोजन करके, व्यय (जमाकर्ताओं और संबंधित खर्चों के दावों का भुगतान) की तुलना में अधिक आय (मुख्य रूप से बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय, और असफल बैंकों की आस्तियों से नकद वसूली) होती है। यह निधि रिज़र्व बैंक के 'सर्व समावेशी निदेश' (एआईडी) के अंतर्गत बैंक और परिसमापन/ समामेलन में शामिल बैंकों और बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹1,124.1 करोड़ की कुल राशि के लिए परिसमाप्त बैंकों के पांच मुख्य दावों और परिसमाप्त बैंकों के ₹101.0 करोड़ के 12 पूरक दावों का निपटान किया है। नौ शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में मुख्य दावों और अनुपूरक दावों की कुल राशि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के तहत ₹1,225.1 करोड़ थी। ऊपर वर्णित निपटाए गए दावों के अलावा, ₹3,791.6 करोड़ की राशि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबी) को तत्कालीन पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसीबीएल) के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए प्रदान की गई थी, जो कि डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के तहत 25 जनवरी, 2022 से प्रभावी पीएमसीबीएल के यूएसएफबी के साथ विलय के बाद दी गई थी। इस प्रकार, परिसमाप्त बैंकों/ विलय योजना के लिए निपटाए गए कुल दावों की राशि ₹5,059.2 करोड़[6] थी।

VI.149 2021-22 के दौरान डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन एक प्रमुख घटना थी। इस संशोधन (अंतरिम भुगतान) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिए गए अधिदेश को आमतौर पर अन्य कार्यक्षेत्रों में नहीं अपनाया जाता है (बॉक्स VI.5)। इस चैनल के अंतर्गत एआईडी के तहत 22 शहरी सहकारी बैंकों के मामले में 31 मार्च, 2022 तक ₹3,457.4 करोड़ के दावों का निपटान किया गया। कुल मिलाकर, निगम ने

5 आईएडीआई (2013), प्रभावी निक्षेप बीमा प्रणाली के लिए उन्नत मार्गदर्शन: निक्षेप बीमा कवरेज, मार्गदर्शन पत्र, मार्च, www.iadi.org पर उपलब्ध है।

6 तीन सहकारी बैंकों के मामले में ₹42.6 करोड़ की राशि के लिए निगम की त्वरित दावा निपटान नीति के तहत निपटाए गए मुख्य दावों सहित।

बॉक्स VI.5
डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन की मुख्य विशेषताएं

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 को 13 अगस्त 2021 को अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया था। ये संशोधन 1 सितंबर 2021 से लागू हुए।

अधिनियम में एक प्रमुख संशोधन द्वारा यह अधिदेशित किया गया है कि जमाकर्ताओं को अंतरिम बीमा भुगतान, रिज़र्व बैंक द्वारा एआईडी लागू करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। बीमाकृत बैंक को, इस तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद, 45 दिनों के भीतर दावे प्रस्तुत करने होंगे, और निगम को 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन करवाना होगा और अगले 15 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को भुगतान करना होगा। यदि रिज़र्व बैंक को समामेलन/समझौता या व्यवस्था/पुनर्निर्माण की योजना लाना समीचीन लगता है, तो निगम की देयता को 90 दिनों की अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा। कुछ अन्य संशोधन इस प्रकार हैं: (i) डीआईसीजीसी अपनी वित्तीय स्थिति और अखिल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बीमा प्रीमियम पर 15 पैसे प्रति ₹100 की जमाराशि की सीमा को बढ़ा सकता है।; और (ii) बीमाकृत बैंक के लिए, डीआईसीजीसी के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए, डीआईसीजीसी, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, चुकौती अवधि को स्थगित कर सकता है या बदल सकता है और देरी के मामले में रेपो दर के अतिरिक्त 2 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज वसूल सकता है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, दावों के निपटान से संबंधित प्रक्रिया और भुगतान किए गए दावों की वसूली के लिए बीमाकृत बैंकों को समय अवधि निर्दिष्ट करने के संबंध में, 22 सितंबर 2021 से डीआईसीजीसी के सामान्य विनियमों में विनियम 21ए और 22ए जोड़े गए हैं।

इन संशोधनों से बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों में जनता के विश्वास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, और ये वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक होंगे।

स्रोत: भारत का राजपत्र (सीजी-डीएल-ई-13082021-228988 और सीजी-एमएच-ई-01102021-230102) और डीआईसीजीसी।

वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त विभिन्न चैनलों के तहत ₹8,516.6 करोड़ के कुल दावों का निपटान किया है। 31 मार्च, 2022 को डीआईएफ का आकार ₹1,46,842 करोड़ था, जिसका आरक्षित निधि अनुपात 1.81 प्रतिशत था।

6. निष्कर्ष

VI.150 2021-22 में, रिज़र्व बैंक ने अपनी विनियामक प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से समायोजित करते हुए महामारी के फिर से उभरने के कारण उत्पन्न वित्तीय प्रणाली में संभावित व्यवधानों पर कड़ी नजर रखी। प्रमुख कंपनियों के साथ-साथ लघु व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम प्रभावोत्पादक रहे हैं। साथ ही, इस वर्ष में रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य योजनाओं में प्राथमिकताओं के पदानुक्रम में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ; इसके अलावा, एक एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण, सूक्ष्म वित्त के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा, जमा बीमा के मामले में समयबद्ध अंतरिम भुगतान, और वित्तीय जागरूकता और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न आयामों में कई पहलें की गईं। प्रभावी पर्यवेक्षण और कुशल ग्राहक सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने के उपाय भी किए गए। नीतिगत मध्यस्थता को कम करने और पर्याप्त जोखिम (वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों) प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं, जिससे रिज़र्व बैंक समय पर हस्तक्षेप कर सके और आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय कार्रवाई कर सके। कुल मिलाकर, ये कदम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एससीबी, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाएंगे और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ बैंकिंग प्रणाली, विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में जनता के विश्वास को भी बढ़ाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से, रिज़र्व बैंक जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए एक भविष्योन्मुखी, व्यापक और कार्यनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की भी तैयारी कर रहा है।

VII लोक ऋण प्रबंधन

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक का अधिदेश लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाज़ार विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके से सरकारी बाज़ार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करना है। रिज़र्व बैंक ने व्यवस्थित बाज़ार स्थितियों के उद्भव को बनाए रखने के लिए उपायों के संयोजन को नियोजित किया। वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि होने के बावजूद, संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता अवधि पिछले वर्ष के 14.49 वर्ष से बढ़कर 16.99 वर्ष हो गई। वर्ष के दौरान, खुदरा प्रत्यक्ष योजना का शुभारंभ एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी – जो खुदरा निवेशकों के लिए जी-सेक बाज़ार तक सीधे पहुंच प्रदान करने और जी-सेक बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

VII.1 रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार केंद्र सरकार, और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के घरेलू ऋण के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को तीन महीने तक की अविध के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकारों की वित्तीय ज़रूरतें बढ़ रही हैं क्योंकि देश कोविड-19 को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है जिससे सरकारों का ऋण विश्व स्तर पर उच्च स्तर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। बाज़ार उधारी पर अत्यधिक निर्भरता सभी देशों में आम प्रवृत्ति थी। जबकि उधार की लागत में सामान्य रूप से गिरावट आई, जो केंद्रीय बैंकों के मात्रात्मक सुलभता के रुख और कम नीतिगत ब्याज दरों के प्रभाव को दर्शाता है, जोखिम से बचाव में उल्लेखनीय वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए परिणामी वरीयता ने 2020-21 के बाद से इन प्रतिभूतियों की बड़ी मांग को जन्म दिया। वैश्विक रुझान के अनुरूप, भारत सरकार (भारत सरकार) ने भी महामारी की चुनौतियों का सामना किया और स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी खर्च में वृद्धि की। उसी समय, आर्थिक गतिविधियों पर महामारी के प्रभाव के कारण राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आई। नतीजतन, राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है, जिससे 2020-21 और 2021-22 के दौरान उधार कार्यक्रम में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है ताकि प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति समर्थन प्रदान किया जा सके और महामारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता प्रदान की जा सके। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान सरकारी उधारी में कमी आई, लेकिन कोविड-पूर्व वर्ष यानी 2019-20 की तुलना में यह अधिक रही। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा उदार मौद्रिक नीति को समाप्त करने, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के कारण 2021-22 के दौरान मध्यम से दीर्घकालिक प्रतिफल पर कुछ दबाव पड़ा। रिज़र्व बैंक को उच्च मुद्रास्फीति और अतिरिक्त चलनिधि की क्रमिक वापसी की अपेक्षाओं से प्रतिफल पर दबाव के आलोक में, साथ ही सरकार द्वारा उच्च बाज़ार उधार को गैर-विघटनकारी ढंग से संपादित करने को ध्यान रखते हुए, अपनी ऋण प्रबंधन कार्यनीति की निरंतर समीक्षा और अनुकूलन करना था।

VII.3 भारतीय सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार को प्रभावित करने वाली वैश्विक और घरेलू प्रतिकूलताओं के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने केंद्र और राज्य सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में लागत इष्टतमीकरण, जोखिम शमन और बाज़ार

विकास के उद्देश्यों के साथ गैर-विघटनकारी तरीके से बाज़ार उधारी सुनिश्चित की। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि ऋण संरचना स्थिर रहे। वर्ष 2021-22 के दौरान, 'खुदरा प्रत्यक्ष योजना' का शुभारंभ एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही। यह योजना जी-सेक बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि खुदरा निवेशकों को जी-सेक बाज़ार तक सीधी पहुंच प्रदान करती है।

VII.4 शेष अध्याय को तीन भागो में बांटा गया है। भाग 2 में 2021-22 की कार्य-योजना के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति दर्शायी गयी है। भाग 3 2022-23 में की जाने वाली प्रमुख पहलों के संबंध में है, और अंतिम भाग में सारांश है।

2021-22 के लिए कार्य-योजना

VII.5 विभाग ने 2021-22 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारत सरकार के प्रतिभूति बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने और नए सिरे से निर्गम जारी करने की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर-चालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापस खरीद परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.6 - VII.9);
- खुदरा निवेशकों को 'खुदरा प्रत्यक्ष' योजना के तहत सीधे रिज़र्व बैंक में गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की अनुमति देना ताकि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार तक पहुंच में सुधार के माध्यम से अधिक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके (पैराग्राफ VII.10);
- बाज़ार निर्माण में प्राथमिक डीलरों (पीडी) की भूमिका को बढ़ाकर सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की समग्र चलनिधि में सुधार (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.10];
- बाज़ार के प्रभावी नियंत्रण और निगरानी की सुविधा के लिए सीधे गिल्ट खाता स्तर पर प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार निपटान को सक्षम करने के अलावा सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के मौजूदा बाज़ार इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की खातिर गिल्ट स्तर के डेटा लेने के लिए ई-कुबेर में एक मॉड्यूल विकसित करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.11];
- गिल्ट मॉड्यूल के विकास और गिल्ट खाता निपटान के लिए सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) और इकाई सहायक सामान्य खाता-बही (सीएसजीएल) लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.12);
- मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.13);
- ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए भारत सरकार के बचत बांड पर परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा (पैराग्राफ VII.14);
- डेटा की गुणवत्ता बढ़ाने और सार्वजनिक ऋण पर डेटा को समेकित करने के लिए सतत प्रयास (पैराग्राफ VII.15);
- खुले बाज़ार उधार (ओएमबी) के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहमति की स्वचालित निगरानी - बेहतर नियंत्रण, निगरानी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उद्देश्यों के लिए इन सहमति को रिकॉर्ड करने के लिए ई-कुबेर में एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करना (पैराग्राफ VII.16);
- पंजीकृत ब्याज और मूल प्रतिभूतियों के अलग व्यापार (स्ट्रिप्स) का कार्यान्वयन/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के लिए पुनर्संरचना सुविधा [उत्कर्ष] (पैराग्राफ VII.17);
- राज्य के कोषागारों को भौतिक रूप में जारी क्षतिपूर्ति बांडों की सर्विसिंग को अलग करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.18];

- विदेशी केंद्रीय बैंकों (एफसीबी) के साथ लेनदेन के लिए विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का परिचालन ताकि एक सुरक्षित तरीके से एफसीबी के निवेश और विनिवेश निर्देशों को सुगम बनाया जा सके (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.19]; और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VII.20]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.6 केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका एक स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और घरेलू ऋण बाज़ार के विकास के उद्देश्यों के साथ गैर-विघटनकारी तरीके से बाज़ार उधार कार्यक्रम को पूरा करने पर केंद्रित है। 2021-22 के दौरान, ऋण प्रबंधन कार्यनीति के उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए बाज़ार उधार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और घरेलू और वैश्विक आर्थिक और वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सकल बाज़ार उधार ₹18,29,008 करोड़ का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.7 प्रतिशत कम था।

VII.7 रिज़र्व बैंक ने पुनर्निर्गमों के माध्यम से निष्क्रिय समेकन और वापसी-खरीद/स्विच के माध्यम से सक्रिय समेकन की अपनी नीति को जारी रखा, जिसने मोचन के लिए जमा को कम करने के लिए सरकारी ऋण की परिपक्वता संरचना को बदलने में भी मदद की। पिछले वर्ष के 178 निर्गमों (91.0 प्रतिशत) में से 162 पुन: निर्गमों की तुलना में 2021-22 के दौरान जी-सेक के 154 निर्गमों में से 142 पुन: निर्गम (92.2 प्रतिशत) थे।

VII.8 आम तौर पर हर महीने में एक बार दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के स्विचिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से सुदृढीकरण किया गया। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में 109.6 प्रतिशत स्विच को जो कि 197,185 करोड़ रुपये की राशि के थे 2021-22 के दौरान पूरे किए गए, जबकि ये पिछले वर्ष में 1,53,418 करोड़ रुपये थे।

VII.9 2021-22 के दौरान, 2 से 40 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की नई प्रतिभूतियां विभिन्न परिपक्वता बकेट में विभिन्न संस्थागत निवेशकों की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से जारी की गईं। वर्ष के दौरान 7 वर्ष और 13 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) के अस्थायी दर बांड (एफआरबी) भी जारी किए गए। 2021-22 के दौरान कुल निर्गमों में एफआरबी की हिस्सेदारी एक साल पहले के 6.5 प्रतिशत की तुलना में 7.8[1] प्रतिशत थी।

VII.10 जी-सेक बाज़ार के विकास में हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रिज़र्व बैंक-खुदरा प्रत्यक्ष (आरबीआई-आरडी) योजना का शुभारंभ था जो निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर जी-सेक तक आम आदमी की पहुँच बनाता है। यह योजना खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए सर्व-सेवा समाधान प्रदान करती है (बॉक्स VII.1)। योजना के शुभारंभ के बाद, प्राथमिक व्यापारियों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना का समर्थन करने के लिए एक बाज़ार बनाने की योजना की घोषणा की गई थी।

VII.11 गिल्ट खाता मिररिंग और गिल्ट खाता स्तर पर ई-कुबेर में निपटान से संबंधित कार्य के कार्यान्वयन को चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया।

[1] स्विच नीलामियों के माध्यम से किए गए ₹58,057.48 करोड़ के एफआरबी निर्गम शामिल नहीं हैं।

बॉक्स VII.1
आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना

रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में, निवेशकों की भागीदारी को व्यापक बनाने सहित सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाज़ार के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। जी-सेक में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, खुदरा निवेशकों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से रिज़र्व बैंक के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता ('खुदरा प्रत्यक्ष') खोलने की सुविधा के साथ प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में पहुंच में आसानी और सुधार के लिए 5 फरवरी, 2021 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों के विवरण में 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' सुविधा की घोषणा की गई थी।

इस घोषणा के अनुसरण में, 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' योजना, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए समग्र-सेवा समाधान है, 12 जुलाई, 2021 को जारी की गई थी। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल (https://rbirtaildirect. org.in) को योजना के परिचालन के लिए 12 नवंबर, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड में लॉन्च किया गया था। इस योजना के शुभारंभ के साथ, भारत सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और खुदरा निवेशकों को ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले कुछ चुनिंदा देशों में से एक बन गया है।

इस योजना के तहत, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को एक ऑनलाइन पोर्टल (https://rbirtaildirect.org.in) का उपयोग करके रिज़र्व बैंक के साथ एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलने की अनुमति है। निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करके निवेश किया जा सकता है:

(i) सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक निर्गमन: निवेशक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (खज़ाना बिलों सहित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार अपनी बोली लगा सकते हैं; और निवेशक साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अभिदान कर सकते हैं;और

(ii) द्वितीयक बाज़ार: निवेशक एनडीएस-ओएम[2] ('विषम लॉट' और 'कोट के लिए अनुरोध' भाग) पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बेच सकते हैं।

इंटरनेट-बैंकिंग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से बचत बैंक खाते का उपयोग करके लेनदेन (प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ार लेनदेन दोनों) के लिए भुगतान आसानी से किया जा सकता है। निवेशक सहायता सुविधा टेलीफोन, ईमेल के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। निवेशक सेवाओं में लेनदेन और शेष विवरण, नामांकन सुविधा, प्रतिभूतियों की गिरवी या ग्रहणाधिकार और उपहार लेनदेन के प्रावधान शामिल हैं। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सरंक्षित मंच प्रदान करना है।

स्रोत : आरबीआई।

VII.12 एसजीएल और सीएसजीएल दिशानिर्देशों को 22 सितंबर, 2021 को संशोधित किया गया था ताकि दिशानिर्देशों में वीएफटी की परिभाषा में एकरूपता लाया जा सके और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित परिचालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके।

VII.13 वीएफटी लेनदेन की परिभाषा में स्पष्टता लाने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वीएफटी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। संशोधित दिशानिर्देश 5 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे।

VII.14 ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को शामिल करने के लिए बचत बांड पर परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा वर्तमान में जांच के अधीन है।

VII.15 विभिन्न स्रोतों से सार्वजनिक ऋण डेटा को प्रभावी ढंग से समेकित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए।

VII.16 ओएमबी के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहमति की स्वचालित निगरानी के लिए मॉड्यूल का विकास प्रगति पर है और 2022-23 की पहली तिमाही तक इसके चालू होने की उम्मीद है।

VII.17 फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) स्ट्रिप्स के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शून्य

[2] तयशुदा लेनदेन प्रणाली – क्रम मिलान।

कूपन प्रतिफल वक्र (जेडसीवाईसी) विकसित कर रहा है।

VII.18 इन बांडों को जारी करने वाली राज्य सरकारों को उनके कोषागार के माध्यम से मुआवजा बांड[3] की भविष्य की सर्विसिंग सौंपने के संबंध में एक प्रस्ताव रखा गया था। दो राज्य सरकारों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने क्षतिपूर्ति बांड की सर्विसिंग के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

VII.19 एफसीबी से निवेश और विनिवेश निर्देश को सुगम बनाने के लिए एफसीबी के साथ सुरक्षित तरीके से लेनदेन के लिए स्विफ्ट मॉड्यूल का परिचालन विकास की प्रक्रिया में है।

VII.20 वर्ष के दौरान सात राज्यों अर्थात केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय और बिहार के लिए नकदी और ऋण प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपायों के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग ने छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के मध्य स्तर के राज्य वित्त अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी संभाला।

प्रमुख गतिविधियां

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.21 2021-22 के दौरान, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से भारत सरकार की सकल बाज़ार उधारी पिछले वर्ष की तुलना में 17.7 प्रतिशत कम थी। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 24.5 प्रतिशत कम हुआ। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार ने केंद्र सरकार के संशोधित सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का 54.2 प्रतिशत वित्तपोषित किया, जबकि पिछले वर्ष में यह 62.9 प्रतिशत था। दिनांकित प्रतिभूतियों और टी-बिलों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 32.4 प्रतिशत कम हो गया (सारणी VII.1)।

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाज़ार उधारी

(₹ करोड़)

मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
निवल बाज़ार उधारी (i to iv)	4,58,337	5,11,500	13,75,654	9,29,351
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ@	4,22,737	4,73,972	11,43,114	8,63,103
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	-46,542	-9,600	10,713	45,439
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	32,931	38,354	-18,743	71,252
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	49,211	8,774	2,40,570	-50,444

@: वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बिना। वापसी-खरीद/स्विच के समायोजन के बाद, निवल बाज़ार उधारी 2021-22 के दौरान ₹9,29,060 करोड़, 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़, 2019-20 में ₹4,73,990 करोड़ और 2018-19 में ₹4,23,269 करोड़ रही।

स्रोत: आरबीआई।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.22 वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमों के भारित औसत प्रतिफल (डबल्यूएवाई) में पिछले वर्ष के डबल्यूएवाई की तुलना में 49 आधार अंक (बीपीएस) की वृद्धि हुई। हालांकि, संपूर्ण बकाया ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन में 16 बीपीएस की कमी आई। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता (डबल्यूएएम) (स्विच नीलामी के अंतर्गत निर्गमों को छोड़कर) अवधि पिछले वर्ष के 14.49 वर्ष से बढ़कर 16.99 वर्ष हो गई। बकाया ऋण की भारित औसत परिपक्वता (डबल्यूएएम) 11.31 वर्ष से बढ़कर 11.71 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)।

VII.23 पीडी पर आंशिक हस्तांतरण 2020-21 में ₹1,30,562 करोड़ के पंद्रह मामलों की तुलना में 2021-22 के दौरान सत्रह मामलों में हुआ, जिसकी राशि ₹97,938 करोड़ थी। बाज़ार की स्थिति के कारण पिछले वर्ष की कुल अधिसूचित राशि 39,000 करोड़ रुपये के लिए चार मामलों की तुलना में इस वर्ष 99,000

[3] जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार योजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुआवजा बांड जारी किए जाते हैं।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिशत में प्रतिफल/वर्षों में परिपक्वता)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में कटौती की सीमा^			वर्ष के दौरान जारी^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्षों के अंदर	5-10 वर्षों में	10 साल से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा @	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.88	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.15	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11

-: लागू नहीं। @: निर्गमों और आंकड़ों की अवशिष्ट परिपक्वता को पूर्णांकित किया जाता है।

*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। ^: स्विच नीलामी को छोड़कर। #: स्विच नीलामी सहित।

स्रोत: आरबीआई।

करोड़ रुपये की कुल अधिसूचित राशि के लिए नौ मामलों पर कोई बोली स्वीकार नहीं की गई थी।

VII.24 प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति सामान्यीकरण उपायों की अपेक्षाओं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और प्रणालीगत चलनिधि को पुनर्संतुलित करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों में परिवर्तन की अपेक्षाओं के कारण वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि हुई। मार्च 2021 के अंत में 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल 6.18 प्रतिशत से 66 आधार अंक बढ़कर मार्च-2022 के अंत में 6.84 प्रतिशत हो गया। 2021-22 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों में, रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-एसएपी) और खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) के कारण प्रतिफल में गिरावट आई।

हालांकि, मई के लिए अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़ों से अधिक जारी होने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण जून 2021 में प्रतिफल में गिरावट आंशिक रूप से प्रति संतुलित थी। पहली तिमाही में 10-वर्षीय प्रतिफल में 13 बीपीएस की कमी आई। 2021-22 की दूसरी तिमाही में, जून और जुलाई के लिए अपेक्षित सीपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में कम मुद्रास्फीति होने के कारण जी-सेक प्रतिफल में शुरुआत में नरमी देखी गई। हालांकि, चलनिधि पुनर्संतुलन के लिए परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों की घोषणा के बाद प्रतिफल प्राप्त हुआ। दूसरी तिमाही में 10-वर्षीय प्रतिफल में 17 बीपीएस की वृद्धि हुई। 2021-22 की तीसरी तिमाही में प्रतिफल में और अधिक वृद्धि देखी गई, जिसमें 10-वर्षीय प्रतिफल में 23 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, वीआरआरआर नीलामियों में उच्च कट-ऑफ और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि से प्रेरित था। 2021-22 की चौथी तिमाही में, 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित से अधिक बाज़ार उधारी की घोषणा, रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति सामान्यीकरण उपायों के मद्देनजर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिफल में वृद्धि से 10-वर्षीय प्रतिफल में 39 आधार अंकों की वृद्धि हुई (चार्ट VII.1)।

VII.25 2021-22 के दौरान, बाज़ार उधार का लगभग 58.2 प्रतिशत पिछले वर्ष में 49.0 प्रतिशत की तुलना में 10 वर्ष और उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से उठाया गया था। इसके

चार्ट VII.1: एफ़बीआईएल अर्धवार्षिक सममूल्य प्रतिफल वक्र

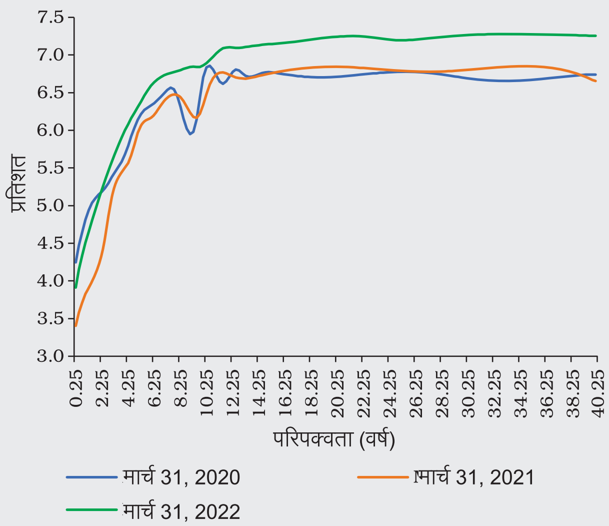

स्रोत: एफ़बीआईएल।

अलावा, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों जैसे लंबी अवधि के निवेशकों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान 30-वर्षीय और 40-वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियों को जारी/पुन: जारी किया गया था (सारणी VII.3)।

खज़ाना बिल

VII.26 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को टी-बिल जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाता है। टी-बिल (91, 182 और 364 दिन) के माध्यम से सरकार की निवल अल्पकालिक बाज़ार उधारी 2021- 22 के दौरान घटकर ₹66,248 करोड़ रह गई, जो पिछले वर्ष में ₹2,32,540 करोड़ थी।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.27 वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसडीएल सहित) के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिनका मार्च 2022 के अंत तक 37.4 प्रतिशत हिस्सा था, इसके बाद बीमा कंपनियों (25.6 प्रतिशत), रिज़र्व बैंक (10.6 प्रतिशत) और भविष्य निधि (9.6 प्रतिशत) का स्थान था। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 1.0 प्रतिशत थी। सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसडीएल सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान (एफआई) और कॉरपोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक डीलर (पीडी)

VII.28 मार्च 2022 के अंत में पीडी की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी और 7 स्टैंडअलोन पीडी (एसपीडी)] थी। पीडी के पास दिनांकित सरकारी प्रतिभूति की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी का अधिदेश प्राप्त है, जबकि उनके पास खज़ाना बिलों (टी-बिल)/नकद प्रबंधन बिलों (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात हासिल

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करना - परिपक्वता का स्वरूप

(राशि करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2019-20		2020-21		2021-22	
	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गयी राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	1,46,000	20.6	3,91,990	28.6	2,29,255	20.3
5 - 9.99 वर्ष	1,79,000	25.2	3,07,405	22.4	2,41,865	21.5
10 -14.99 वर्ष	1,37,000	19.3	3,76,766	27.5	3,20,639	28.4
15 -19.99 वर्ष	15,000	2.1	-	-	-	-
20 वर्ष और अधिक	2,33,000	32.8	2,94,162	21.5	3,35,621	29.8
कुल	**7,10,000**	**100.0**	**13,70,324**	**100.0**	**11,27,382**	**100.0**

-: शून्य.

टिप्पणी: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में नहीं भी जोड़ा जा सकता है।

स्रोत: आरबीआई।

करने का लक्ष्य भी है। प्राथमिक डीलरों ने व्यक्तिगत रूप से टी-बिल की प्राथमिक नीलामियों में निर्धारित न्यूनतम सफलता अनुपात 40 प्रतिशत हासिल किया, जिसका औसत सफलता अनुपात 2021-22 की पहली छमाही में 62.5 प्रतिशत और 2021-22 की दूसरी छमाही में 62.3 प्रतिशत था। टी-बिलों/सीएमबी की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2021-22 के दौरान 71.4 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 68.9 प्रतिशत थी। 2021-22 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों की हामीदारी करने के लिए जीएसटी को छोड़कर, प्राथमिक व्यापारियों को भुगतान किया गया कमीशन पिछले वर्ष के ₹454.64 करोड़ की तुलना में ₹412.67 करोड़ था।

सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना

VII.29 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 2021-22 के दौरान ₹12,991 करोड़ (27 टन) की कुल राशि के लिए एसजीबी के दस किश्त जारी किए थे। नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के माध्यम से कुल ₹38,693 करोड़ (90 टन) जुटाए गए हैं।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.30 केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 की शुरुआत ₹2,37,572 करोड़ के नकद शेष के साथ की। केंद्र के अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा 2021-22 की पहली छमाही के लिए ₹1,20,000 करोड़ और 2021-22 की दूसरी छमाही के लिए ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार ने 2021-22 के दौरान डबल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का सहारा नहीं लिया, जबकि पिछले वर्ष में 63 दिन डबल्यूएमए और 9 दिनों के ओडी थे। कोविड-19 महामारी से संबंधित चल रही अनिश्चितताओं के बावजूद, केंद्र सरकार का नकद शेष वर्ष भर अच्छी स्थिति में बना रहा। (चार्ट VII.2)।

चार्ट VII.2: भारत सरकार की नकद संतुलन स्थिति

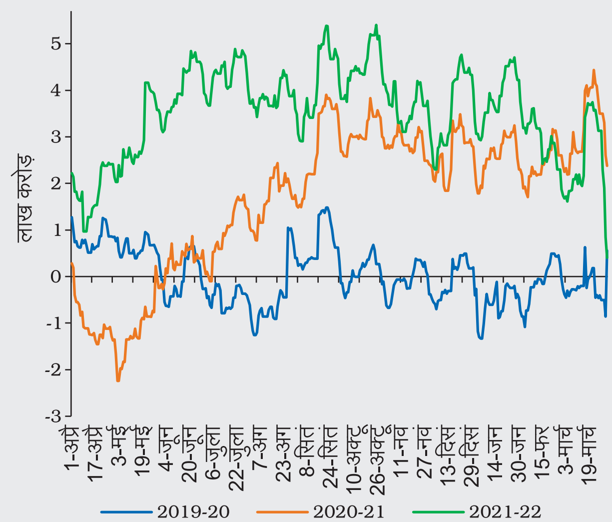

स्रोत: आरबीआई।

विदेशी केंद्रीय बैंक योजना के तहत निवेश

VII.31 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफ़सीबी) योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में चुनिंदा एफ़सीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इन संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा पिछले वर्ष के ₹3,120 करोड़ की तुलना में 2021-22 के दौरान ₹3,285 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.32 राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) से बाहर करने के लिए 14 वें वित्त आयोग (एफसी) की सिफारिश के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाज़ार उधारी बढ़ रही है। राज्यों के जीएफडी के वित्तपोषण में बाज़ार उधार की हिस्सेदारी 2021-22 (बीई) में बढ़कर 85.1 प्रतिशत हो गई, जो 2020-21 (आरई) में 77.8 प्रतिशत थी।

VII.33 राज्य सरकार के वित्त पर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद, राज्यों का सकल और निवल बाज़ार उधार पिछले वर्ष की तुलना में कम था। 2021-22 में राज्यों की सकल बाज़ार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार उधारी के लिए तिमाही संकेतक कैलेंडर में दर्शाई गई राशि का

सारणी VII.4: एसडीएल के माध्यम से राज्यों की बाज़ार उधारी

(राशि करोड़ में)

मदें	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1,29,680	1,47,067	1,47,039	2,09,143
अनुच्छेद 293(3) के तहत कुल स्वीकृतियाँ	5,50,071	7,12,744	9,69,525	8,95,166
वर्ष के दौरान जुटाई गयी राशि	4,78,323	6,34,521	7,98,816	7,01,626
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,48,643	4,87,454	6,51,777	4,92,483
वर्ष के दौरान कुल स्वीकृतियों के लिए जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	87.0	89.0	82.4	78.4
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	27,78,536	32,65,989	39,25,555	44,29,957

#: उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।

स्रोत: आरबीआई।

78 प्रतिशत थी। 2021-22 में 608 निर्गम थे, जिनमें से 60 पुन: निर्गम थे (2020-21 में 742 निर्गम, जिनमें से 56 पुन: निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.34 2021-22 के दौरान एसडीएल जारी करने का भारित औसत अंतिम प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 6.55 प्रतिशत की तुलना में 6.98 प्रतिशत अधिक था। तुलनीय केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर एसडीएल जारी करने का भारित औसत स्प्रेड (डब्ल्यूएएस) पिछले वर्ष के 52.72 आधार अंकों की तुलना में 2021-22 में 40.95 आधार अंकों पर कम था। 2021-22 में, इक्कीस राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा 2 से 35 वर्ष तक की अवधि की अन्य प्रतिभूतियां जारी कीं। सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने एक या अधिक नीलामी में सभी बोलियों को खारिज कर दिया। 2020-21 में 10 आधार अंकों की तुलना में 2021-22 में 10-वर्ष की अवधि (ताजा निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड 4 आधार अंक था।

राज्य सरकारों का नकद प्रबंधन

VII.35 राज्य सरकारों को कोविड-19 रोकथाम और शमन उपायों को शुरू करने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, और राज्यों को अपने बाज़ार उधार की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च, 2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की डबल्यूएमए सीमा में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की घोषणा की थी, और जो 31 मार्च, 2021 तक वैध रहा। राज्य सरकारों (अध्यक्ष: श्री सुधीर श्रीवास्तव) को डबल्यूएमए के लिए सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 30 सितंबर, 2021 और बाद में डबल्यूएमए की अंतरिम सीमा (सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹ 51,560 करोड़) को बनाए रखने का निर्णय लिया। और इसे 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया। ओवरड्राफ्ट (ओडी) योजना में छूटें भी रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को दिनों की संख्या में वृद्धि करके बेमेल नकदी प्रवाह से निपटने के लिए दी गई थी, जिसके लिए एक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ओडी में लगातार 14 कार्य दिवसों से 21 कार्य दिवसों में और एक तिमाही में 36 कार्य दिवसों से 50 कार्य दिवसों तक रह सकते हैं, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध है। सत्रह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)[4] का लाभ उठाया, चौदह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डबल्यूएमए का सहारा लिया और नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2021-22 में ओडी का लाभ उठाया।

VII.36 वर्षों से, राज्य मध्यवर्ती खज़ाना बिल (आईटीबी) के रूप में एक बड़ा नकद अधिशेष जमा कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान आईटीबी और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) में राज्यों

[4] एसडीएफ पर स्पष्टीकरण के लिए कृपया पैराग्राफ VII.37 देखें।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,50,871	1,22,084	1,54,757	2,05,230	2,16,272
एटीबी	62,108	73,927	33,504	41,293	87,400
कुल	**2,12,979**	**1,96,011**	**1,88,261**	**2,46,523**	**3,03,672**

स्रोत: आरबीआई।

के बकाया निवेश में वृद्धि हुई [सारणी VII.5]।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.37 रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)। अब तक 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी ने सीएसएफ की स्थापना की है। वर्तमान में 18 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। राज्य सीएसएफ और जीआरएफ में अपने वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले में रिज़र्व बैंक से रियायती दर पर एसडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। मार्च 2022 के अंत तक सीएसएफ और जीआरएफ में राज्यों द्वारा बकाया का निवेश क्रमश: ₹1,54,255 करोड़ और ₹9,399 करोड़ था, जबकि मार्च 2021 के अंत में ₹1,27,208 करोड़ और ₹8,405 करोड़ था।

3. 2022-23 के लिए कार्यसूची

VII.38 केंद्रीय बजट 2022-23 में, 2022-23 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधारी का बजट 2021-22 (आरई) में ₹10,46,500 करोड़ की तुलना में ₹14,95,000 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2022-23 से ठीक पहले किए गए स्विच ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वर्ष 2022-23 में परिपक्व होने वाली ₹ 63,648 करोड़ की प्रतिभूतियों को स्विच किया गया था, वर्ष के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार ₹ 14,31,352 करोड़ पर संशोधित किया गया है। निवल बाज़ार उधार (अल्पकालिक ऋण और पोस्ट ऑफिस जीवन बीमा कोष के पुनर्भुगतान सहित) का बजट ₹11,58,719 करोड़ पर और वित्तपोषण 2022-23 में जीएफडी के 69.75 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।

VII.39 वर्ष 2022-23 के दौरान, बाज़ार उधार कार्यक्रम के सुचारू संचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऋण प्रबंधन के कुशल संचालन के समर्थन में निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों की सुविधा के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच और वापसी-खरीद संचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- पीडी के लिए 2005 में जारी समेकित परिचालन दिशानिर्देश समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं। बुनियादी पात्रता मानदंड, अर्थात निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की आवश्यकता और लक्ष्य से संबंधित दिशानिर्देश, हालांकि, काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। पीडी के लिए मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है;
- 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना' को और लोकप्रिय बनाने के लिए और देश भर में उपयुक्त खुदरा निवेशकों तक इसकी पहुंच में सुधार के लिए उचित उपाय करना; (उत्कर्ष)
- माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2022 को अपने बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने समग्र बाज़ार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में घरेलू बाज़ार में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी और इससे प्राप्त राशि को सार्वजनिक क्षेत्र की हरित परियोजनाओं में लगाया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत

सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। प्रारंभिक कार्य पूरा होने के बाद वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे;

- मध्यम से लंबी अवधि में कम लागत पर जोखिम के विवेकपूर्ण स्तरों और एक स्थिर ऋण संरचना के साथ बाज़ार उधार जुटाने के, साथ ही पर्याप्त चलनिधि और अच्छी तरह से काम कर रहे घरेलू ऋण बाज़ार का विकास करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए मध्यम अवधि के ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) की समीक्षा,
- सामान्य सरकारी ऋण का लगभग एक तिहाई उप-राष्ट्रीय सरकारों से संबंधित है। हालांकि, उप-राष्ट्रीय सरकार स्तर पर कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए ऋण प्रबंधन की रणनीति को रेखांकित करने वाले एक दस्तावेज की कमी है। इसलिए, कुछ राज्यों के लिए एक पायलट एमटीडीएस का मसौदा तैयार करने का प्रस्ताव है, जो बाधाओं और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की गतिविधियों के वित्तपोषण की योजना को दर्शाता है; (उत्कर्ष)
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।

4. निष्कर्ष

VII.40 2021-22 के दौरान, केंद्र और राज्यों के संयुक्त सकल बाज़ार उधार का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं के मद्देनजर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के वित्त पर दबाव का प्रबंधन करने के लिए कई उपायों की भी घोषणा की। आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2022-23 के लिए रिज़र्व बैंक के ध्यान केंद्रण के प्रमुख क्षेत्रों में स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए और यदि आवश्यक हो उचित नीतिगत कार्रवाई करते हुए, ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा करना होगा।

VIII मुद्रा प्रबंध

वर्ष के दौरान मुद्रा प्रबंध का ध्यान पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ बैंकनोट संचलन में उपलब्ध कराने पर बना रहा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में। रिज़र्व बैंक ने मुद्रा प्रबंध परिचालन को इष्टतम बनाने की दृष्टि से बैंकनोटों के सार्वजनिक उपयोग के रूख़ और पसंद को समझने का प्रयास किया।

VIII.1 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में, जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में आवागमन पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया, रिजर्व बैंक के प्रयास अर्थव्यवस्था में स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहे जबकि गंदे नोटों के निपटान की प्रक्रिया, जो पिछले वर्ष गंभीर रूप से बाधित हुई थी, की गति में तेजी लाई गई। साथ-साथ, हाल के दिनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि को देखते हुए रिजर्व बैंक ने जनता द्वारा नकदी के उपयोग के पैटर्न के बारे में सार्थक समझ विकसित करने का भी प्रयास किया।

VIII.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के शेष अंश को पांच भागों में व्यवस्थित किया गया है। इसके अगले भाग में वर्ष के दौरान संचलनगत मुद्रा में हुई महत्त्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में 2021-22 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को कवर किया गया है और भाग 4 में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), जो रिज़र्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है, के संबंध में रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भाग 5 में 2022-23 की कार्ययोजना बताई गई है, जबकि अंतिम भाग में निष्कर्ष दिए गए हैं।

2. संचलनगत मुद्रा संबंधी घटनाक्रम

VIII.3 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के आते हैं । वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500और ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करता है । संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 मूल्यवर्ग के सिक्के शामिल हैं ।

बैंकनोट

VIII.4 वर्ष 2021-22 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2020-21 के दौरान क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी VIII.1)। मूल्य के संदर्भ में, कुल संचलनगत बैंकनोटों में ₹500 और ₹2000 के बैंकनोटों का प्रतिशत 31 मार्च 2021 के 85.7 प्रतिशत की तुलना में, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 87.1 प्रतिशत रहा। मात्रा के संदर्भ में, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹500 के मूल्यवर्ग का भाग 34.9 प्रतिशत पर सबसे अधिक रहा, इसके बाद ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट रहे, जिनका कुल संचलनगत मुद्रा में प्रतिशत 21.3 था ।

सिक्के

VIII.5 वर्ष 2021-22 में संचलनगत सिक्कों का कुल मूल्य 4.1 प्रतिशत बढ़ा जबकि उसी अवधि में कुल मात्रा 1.3 प्रतिशत बढ़ी (सारणी VIII.2) । 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के मिलाकर संचलनगत सिक्कों की कुल मात्रा का 83.5 प्रतिशत रहे, जबकि मूल्य के अनुसार इन मूल्यवर्गों का हिस्सा 75.8 प्रतिशत रहा ।

सारणी VIII.1:संचलनगत बैंक नोट (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	1,12,203 (9.7)	1,11,728 (9.0)	1,11,261 (8.5)	4,331 (0.2)	4,307 (0.2)	4,284 (0.1)
10	3,04,022 (26.2)	2,93,681 (23.6)	2,78,046 (21.3)	30,402 (1.3)	29,368 (1.0)	27,805 (0.9)
20	82,994 (7.2)	90,579 (7.3)	1,10,129 (8.4)	16,599 (0.7)	18,116 (0.6)	22,026 (0.7)
50	86,009 (7.4)	87,524 (7.0)	87,141 (6.7)	43,004 (1.8)	43,762 (1.5)	43,571 (1.4)
100	1,99,021 (17.2)	1,90,555 (15.3)	1,81,420 (13.9)	1,99,021 (8.2)	1,90,555 (6.7)	1,81,421 (5.8)
200	53,646 (4.6)	58,304 (4.7)	60,441 (4.6)	1,07,293 (4.4)	1,16,608 (4.1)	1,20,881 (3.9)
500	2,94,475 (25.4)	3,86,790 (31.1)	4,55,468 (34.9)	14,72,373 (60.8)	19,33,951 (68.4)	22,77,340 (73.3)
2000	27,398 (2.4)	24,510 (2.0)	21,420 (1.6)	5,47,952 (22.6)	4,90,195 (17.3)	4,28,394 (13.8)
कुल	**11,59,768**	**12,43,671**	**13,05,326**	**24,20,975**	**28,26,863**	**31,05,721**

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

मुद्रा प्रबंध की आधारभूत संरचना

VIII.6 मुद्रा (बैंकनोट व सिक्के दोनों) के निर्गमन और इसके प्रबंधन का कार्य रिज़र्व बैंक देश में भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से करता है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार,

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च-अंत)

मूल्यवर्ग (₹)	मात्रा (संख्या लाख में)			मूल्य (करोड़ ₹ में)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	1,47,880 (12.1)	1,47,880 (12.0)	1,47,880 (11.9)	700 (2.7)	700 (2.6)	700 (2.5)
1	5,08,878 (41.8)	5,12,597 (41.7)	5,15,879 (41.4)	5,089 (19.3)	5,126 (19.1)	5,159 (18.4)
2	3,35,158 (27.5)	3,37,863 (27.5)	3,40,792 (27.3)	6,703 (25.5)	6,757 (25.1)	6,816 (24.4)
5	1,75,992 (14.4)	1,79,360 (14.6)	1,84,331 (14.8)	8,800 (33.5)	8,968 (33.4)	9,217 (33.0)
10	50,130 (4.1)	51,391 (4.2)	54,044 (4.3)	5,013 (19.1)	5,139 (19.1)	5,404 (19.3)
20	- -	896 (0.1)	3,372 (0.3)	- -	179 (0.7)	674 (2.4)
कुल	**12,18,038**	**12,29,988**	**12,46,298**	**26,305**	**26,870**	**27,970**

-: लागू नहीं
नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा/ मूल्य में प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।
2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों का डिपो

वर्ग	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1,544	1,291
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,067	832
निजी क्षेत्र के बैंक	253	160
सहकारी बैंक	5	4
विदेशी बैंक	4	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4	5
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**2,878**	**2,296**

स्रोत: आरबीआई।

करेंसी चेस्ट में भारतीय स्टेट बैंक का हिस्सा सबसे ज्यादा (53.6 प्रतिशत) रहा (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2021-22 के लिए बैंकनोटों की मांग में एक वर्ष पहले की तुलना में 1.8 प्रतिशत की हल्की कमी थी (सारणी VIII.4)। वर्ष 2021-22 में बैंकनोटों की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत की मामूली कमी रही।

VIII.8 वर्ष 2021-22 में सिक्कों की मांग और आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: लगभग 73.3 प्रतिशत और 73.0 प्रतिशत कम रही, जो जमा हुए भंडार और पिछले कुछ वर्षों से कम मांग के कारण थी (सारणी VIII.5)।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.9 वर्ष 2021-22 के दौरान गंदे नोटों का निपटान, पिछले वर्ष के 997.02 करोड़ नोट से 88.4 प्रतिशत बढ़कर 1,878.01 करोड़ नोट हो गया (सारणी VIII.6)।

सारणी VIII.4:बैंकनोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2019-20		2020-21		2021-22	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	-	60	-	-	-	-
10	14,700	14,702	2,840	2,846	7,500	7,510
20	12,500	13,390	48,750	38,520	20,000	20,000
50	24,000	23,431	14,000	13,887	15,000	15,000
100	33,000	32,708	40,000	37,270	40,000	40,002
200	20,500	19,588	15,000	15,106	12,000	11,991
500	1,46,300	1,19,996	1,06,000	1,15,672	1,28,000	1,28,003
2000	-	-	-	-	-	-
कुल	**2,51,000**	**2,23,875**	**2,26,590**	**2,23,301**	**2,22,500**	**2,22,505**

-: लागू नहीं
बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों (मिंटों) द्वारा आपूर्ति (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2019-20		2020-21		2021-22	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	1,000	1,093	1,000	1,000	-	-
2	8,000	7,993	9,500	6,718	2,000	2,000
5	10,000	9,984	11,000	10,995	2,000	2,000
10	12,000	11,565	5,500	5,852	2,000	2,000
20	3,000	458	3,000	5,061	2,000	2,000
कुल	**34,000**	**31,093**	**30,000**	**29,626**	**8,000**	**8,000**

-: लागू नहीं

स्रोत: आरबीआई।

जाली नोट

VIII.10 वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गई नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) में से 6.9 प्रतिशत रिज़र्व बैंक में और 93.1 प्रतिशत अन्य बैंकों में पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

VIII.11 गत वर्ष की तुलना में, ₹10, ₹20, ₹200, ₹500 (नई डिजाइन) और ₹2000 के मूल्य वर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमशः 16.4 प्रतिशत, 16.5 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत, 101.9 प्रतिशत और 54.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹50 और ₹100 मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में क्रमशः 28.7 प्रतिशत और 16.7 प्रतिशत की कमी आई (सारणी VIII.8)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.12 पिछले वर्ष के ₹4,012.1 करोड़ (1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021) की तुलना में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय ₹4,984.8 करोड़ था।

सारणी VIII.6: गंदे नोटों का निपटान (अप्रैल से मार्च)

(संख्या लाख में)

मूल्यवर्ग (₹)	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4
2000	1,768	4,548	3,847
1000	-	-	-
500	1,645	5,909	22,082
200	318	1,186	6,167
100	44,793	42,433	59,203
50	19,070	12,738	27,696
20	21,948	10,325	20,771
10	55,744	21,999	46,778
5 तक	1,244	564	1,257
कुल	**1,46,530**	**99,702**	**1,87,801**

-: लागू नहीं

नोट: संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.7: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में पकड़े गए	कुल
1	2	3	4
2019-20	13,530	2,83,165	2,96,695
	(4.6)	(95.4)	(100.0)
2020-21	8,107	2,00,518	2,08,625
	(3.9)	(96.1)	(100.0)
2021-22	15,878	2,15,093	2,30,971
	(6.9)	(93.1)	(100.0)

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत भाग दर्शाते है।

2. डेटा में पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट-मूल्यवर्ग के अनुसार (अप्रैल से मार्च)

(नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4
2 और 5	22	9	1
10	844	304	354
20	510	267	311
50	47,454	24,802	17,696
100	1,68,739	1,10,736	92,237
200	31,969	24,245	27,074
500 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	11	9	14
500	30,054	39,453	79,669
1000 (विनिर्दिष्ट बैंकनोट)	72	2	11
2000	17,020	8,798	13,604
कुल	**2,96,695**	**2,08,625**	**2,30,971**

स्रोत: आरबीआई।

3. वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

VIII.13 गत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- गंदे नोटों के निपटान में वृद्धि (पैराग्राफ VIII.14);
- नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VIII.15]; और
- बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की सुदृढ़ता की जांच के लिए नवीनतम शोध करने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की स्थापना और नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करना (उत्कर्ष) [पैराग्राफ VIII.15]।

कार्यान्वयन की स्थिति

गंदे नोटों के निपटान में वृद्धि

VIII.14 कोविड-19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान गंदे नोटों के निपटान पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। तथापि, समेकित प्रयासों के परिणामस्वरूप गंदे नोटों के निपटान में उल्लेखनीय सुधार हुआ जैसा कि इसके पहले पैराग्राफ VIII.9 में बताया गया है।

अन्य लक्ष्य

VIII.15 2021-22 के लिए निर्धारित अन्य लक्ष्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, अतः उन्हें 2022-23 की कार्ययोजना में जारी रखा गया है।

प्रमुख गतिविधियां

बैंकनोटों के लिए माइक्रोसाइट

VIII.16 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकनोटों के लिए एक नया माइक्रोसाइट आरंभ किया जा रहा है, जिसमें बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं और नोट बदलने की सुविधाओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इस माइक्रोसाइट की विशिष्टता यह है कि न सिर्फ विभिन्न माध्यमों जैसे बैंकनोटों की डिज़ाइन व सुरक्षा विशेषताओं के 360-डिग्री दृश्यों, समझाने वाले वीडियो और एनिमेशन द्वारा, बल्कि इंटरएक्टिव खेलों द्वारा भी, सूचना का प्रसार होगा।

बैंकनोट विनिमय पर जागरूकता अभियान

VIII.17 ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से बैंकनोट विनिमय की सुविधाओं पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान के मीडिया मिक्स में टीवी विज्ञापन और समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन शामिल थे। इस अभियान, जिसे 16 मार्च से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया, से बैंकनोट बदलने की सुविधा को और प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याशा है।

उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वेक्षण

VIII.18 विभाग ने ग्राहकों का बैंकनोट सर्वेक्षण आरंभ किया जिसके उद्देश्य थे: (i) उपभोक्ता स्तर पर नकद की मांग और साथ ही पसंदीदा मूल्यवर्गों का आकलन; (ii) बैंकनोटों की विभिन्न सुरक्षा विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता की थाह लेना; (iii) वर्तमान बैंकनोटों और सिक्कों को लेकर

बॉक्स VIII.1
उपभोक्ताओं का बैंकनोट सर्वेक्षण: प्रमुख निष्कर्ष

इस सर्वेक्षण में 28 राज्यों और तीन संघशासित प्रदेशों के ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों के 11,000 प्रतिसादकर्ताओं के विविधतापूर्ण सैंपल की भागीदारी रही। इस सर्वेक्षण में 351 दृष्टि बाधित प्रतिसादकर्ता (वीआईआर) भी शामिल थे। सर्वेक्षण में 18 से 79 वर्ष के प्रतिसादकर्ताओं को कवर किया गया जिसमें पुरुषों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व 60:40 था।

सर्वेक्षण से पता चला कि बैंकनोटों में, ₹100 सबसे पसंदीदा, जबकि ₹2000 सबसे कम पसंद किया जाने वाला मूल्यवर्ग था। सिक्कों में ₹5 का मूल्यवर्ग सबसे पसंदीदा जबकि ₹1 सबसे कम पसंदीदा था। महात्मा गांधी की तस्वीर वाला वॉटरमार्क और इसके बाद विंडो का सुरक्षा धागा (सिक्योरिटी थ्रेड) सर्वाधिक पहचानी गई सुरक्षा विशेषताएं थीं। लगभग तीन प्रतिशत प्रतिसादकर्ताओं को किसी भी बैंकनोट सुरक्षा विशेषता के बारे में नहीं पता था। समग्र रूप से, 10 में से लगभग 7 प्रतिसादकर्ताओं को बैंक नोटों की नई श्रृंखला से संतुष्ट पाया गया। यह पाया गया कि वीआईआर में से अधिकांश को बैंकनोटों के कागज की गुणवत्ता और आकार के बारे में पता था।

स्त्रोत: आरबीआई।

सामान्य व दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के लोगों में संतुष्टि के स्तर को मापना (बॉक्स VIII.1)।

भारतीय बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताओं की खरीद

VIII.19 रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय है।

मुद्रा प्रबंध परिचालन को सुदृढ़ करना

VIII.20 रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रबंध परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए अपनी उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ज़ोर देना जारी रखा।

एटीएम में नोट आपूर्ति न होने पर दंड की योजना

VIII.21 एटीएम में नोट आपूर्ति न किए जाने पर बैंकों/ वाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डबल्यूएलएओ) के लिए दंड लगाने की योजना शुरू की गई ताकि जनता को एटीएम द्वारा पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई जा सके।

सिक्कों के वितरण के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि

VIII.22 बैंकों के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) संशोधित की गई जिसमें सिक्कों के वितरण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रति बैग ₹25 से बढ़ाकर ₹65 कर दी गई। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में सिक्कों के वितरण के लिए ₹10 प्रति बैग का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सिक्कों के वितरण के लिए जहाँ बैंकों द्वारा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) और कैश इन ट्रांज़िट (सीआईटी) कंपनियों के उपयोग पर पुनः बल दिया गया, वहीं बैंकों को थोक ग्राहकों को सिक्के देने के लिए भी सूचित किया गया, जिसकी अनुमति पहले नहीं थी।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.23 बीआरबीएनएमपीएल रिज़र्व बैंक की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी है जो बैंकनोटों की डिजाइनिंग, मुद्रण और आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित वातावरण में बीआरबीएनएमपीएल ने वर्ष 2021-22 में 13,350 मिलियन बैंकनोटों का उत्पादन किया। बीआरबीएनएमपीएल द्वारा करेंसी चेस्टों को सीधे विप्रेषण में दो गुना वृद्धि से महामारी के दौरान बैंकनोटों की आपूर्ति अबाध बनी रही। भारतीय बैंकनोटों में प्रयुक्त एक सुरक्षा विशेषता कलर शिफ्ट इंटाग्लियो इंक (सीएसआईआई) जिसका पहले आयात किया जाता था, अब वर्णिका, बीआरबीएनएमपीएल की मैसूरु स्थित स्याही निर्माण इकाई, में देशज रूप से बनाई जाती है और इससे बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल दोनों की कुल आवश्यकता पूर्ण होती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और बैंकनोट उत्पादन में आयात पर निर्भरता में भी महत्वपूर्ण कमी आई है। वर्ष के दौरान गवर्नर, रिज़र्व बैंक ने

बीआरबीएनएमपीएल, मैसूरु की स्याही निर्माण इकाई (वर्णिका) को राष्ट्र को समर्पित किया।

5. 2022-23 के लिए कार्ययोजना

VIII.24 इस वर्ष के दौरान विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीद [उत्कर्ष];
- बैंकनोटों की सुरक्षा विशेषताओं की सुदृढ़ता के जांच के लिए नवीनतम शोध करने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की स्थापना और नई सुरक्षा विशेषताएं आरंभ करना (उत्कर्ष);
- मुद्रा प्रबंध में स्वचालन और व्यवस्थागत पक्ष (लॉजिक्स्टिक्स) पर अध्ययन;
- दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मनी) एप – एप में पहले से उपलब्ध हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाएं आरंभ करना; और
- भुगतान के लिए नकदी, सिक्के और डिजिटल माध्यम के उपयोग पर सर्वेक्षण।

6. निष्कर्ष

VIII.25 सारांश में, वर्ष 2021-22 के दौरान रिज़र्व बैंक का ध्यान गंदे नोटों के निपटान में तेजी, जनता की जागरूकता बढ़ाने और बैंकनोटों से संबंधित जनता की मांग और अपेक्षाओं को समझने, स्वच्छ नोटों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने और कोविड-19 महामारी के कारण किसी आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने पर केंद्रित रहा। आगे, रिज़र्व बैंक का प्रयास नोटों के प्रसंस्करण को और आधुनिक बनाने, मुद्रा प्रबंध प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने, बैंकनोटों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए विश्लेषणात्मक शोध को बढ़ावा देने, बैंकनोट उत्पादन के लिए कच्चे माल के पूर्ण देशीकरण के लिए कार्यनीति बनाने, तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से जनता की जागरूकता बढ़ाने और एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण द्वारा नकदी, सिक्कों और डिजिटल माध्यम के जनता द्वारा उपयोग का अध्ययन करने का रहेगा।

IX भुगतान और निपटान प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विजन 2021 के अनुरूप दक्षता बढ़ाने, ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने, आउटरीच का विस्तार करने और भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को जारी रखा। हालांकि कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में साइबर सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित रहा और रिज़र्व बैंक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी अवसंरचना की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन और नए शुरू किए गए एप्लीकेशन्स को स्थिर करने की दिशा में भी प्रयास जारी रहे।

IX.1 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ के अनुसार भुगतान प्रणालियों के योजनाबद्ध विकास की दिशा में अपने प्रयास को जारी रखा, अर्थात इन प्रयासों में उपभोक्ताओं के अनुभव में वृद्धि, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाना, पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी अवसंरचना को सक्षम बनाना और जोखिम केंद्रित पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित भविष्योन्मुखी विनियमन को लागू करना शामिल था। सीमा पार से भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने संबंधी वैश्विक ज़ोर को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारत के तेज भुगतान प्रणाली- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को अन्य अधिकार-क्षेत्रों में समान प्रणालियों के साथ जोड़ने की संभावना का भी पता लगाया और भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और जी20 समर्थित सीमा-पार भुगतान रोडमैप के कार्यान्वयन संबंधी वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) का फोकस कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में रिजर्व बैंक में आईसीटी बुनियादी अवसंरचना के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने पर रहा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) और संरचनागत वित्तीय संदेश-प्रेषण समाधान (एसएफएमएस) की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और *सारथी* एप्लिकेशन (यानी, रिज़र्व बैंक में आंतरिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली) का स्थिरीकरण शामिल है।

IX.2 इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित खंड में वर्ष के दौरान भुगतान और निपटान प्रणाली के क्षेत्र में हुई गतिविधियां शामिल हैं और वर्ष 2021-22 के कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया गया है। खंड 3 में वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित कार्य-योजना की तुलना में वर्ष के दौरान डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है। इन विभागों ने वर्ष 2022-23 का कार्य-योजना भी तय किया है। अध्याय का सारांश अंत में दिया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.3 रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणाली विजन 2021 में चिन्हित किए गए परिणामों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, उपभोक्ताओं के लिए इष्टतम लागत सुनिश्चित करने, ग्राहकों की सुविधा में सुधार करने और भुगतान प्रणालियों में विश्वास बढ़ाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार किया। आरटीजीएस की 24x7x365 उपलब्धता का लाभ उठाते हुए, यूपीआई, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी), राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) में अतिरिक्त निपटान शुरू किए गए थे तथा उन्हें सप्ताह के सभी दिनों के लिए परिचालनगत कर दिया गया था। सीमा पार से भुगतान व्यवस्था

बॉक्स IX.1

भारत और सिंगापुर अपनी तेज भुगतान प्रणाली - यूपीआई और पेनाऊ को लिंक करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक और मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) ने अपनी तेज़ भुगतान प्रणाली, यूपीआई और पेनाऊ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। इसके जुड़ जाने से दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता एक-दूसरे के सिस्टम में शामिल हुए बिना तत्काल निधि अंतरित (विप्रेषण) करने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, यूपीआई के किसी उपयोगकर्ता को सिंगापुर में पेनाऊ उपयोगकर्ता को राशि अंतरित करने के लिए पेनाऊ सिस्टम का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, और यही इसके उलट भी होगा। यह सहबद्धता सिंगापुर में यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड-आधारित भुगतान की सुविधा के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल, एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी) और नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (सिंगापुर के एनईटीएस) के पूर्व के प्रयासों पर आधारित है। यह पहल भारत और अन्य देशों के बीच आवक विप्रेषण गुंजाइश की समीक्षा करने के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

यूपीआई-पेनाऊ सहबद्धता भुगतान की सीमा-पार अंतर-परिचालन को बढ़ावा दे सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और विप्रेषण प्रवाह को आगे बढ़ा सकता है। सिंगापुर में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और छात्र हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल पर्याप्त (1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) आवक और जावक विप्रेषण हो सकता है। यूपीआई-पेनाऊ सहबद्धता भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार से भुगतान के लिए बुनियादी अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने की उम्मीद है, और तीव्र, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करने की जी20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकता के साथ मेल खाता है। यह विप्रेषण की लागत को कम करके संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी 10.सी)[1] को पूरा करने में भी योगदान दे सकता है।

वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में सहबद्धता के परिचालनगत होने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई।

को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत की तेज (खुदरा) भुगतान प्रणाली, यूपीआई, को अन्य अधिकार-क्षेत्रों में समान प्रणाली के साथ जोड़ने की संभावना का पता लगाया। भारत (यूपीआई) और सिंगापुर (पेनाऊ) के अंतःसंबंधन का काम चल रहा है (बॉक्स IX.1)।

भुगतान प्रणाली

IX.4 भुगतान प्रणाली[2] ने पिछले वर्ष में 26.7 प्रतिशत के विस्तार के अलावा वर्ष 2021-22 के दौरान मात्रा के मामले में 63.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। मूल्य के संदर्भ में, विकास पिछले वर्ष में 13.4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 23.1 प्रतिशत था, जिसकी मुख्य वजह बड़े मूल्य भुगतान प्रणाली, यानी आरटीजीएस में मजबूत वृद्धि थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 99.3 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 98.8 प्रतिशत थी (सारणी IX.1)।

डिजिटल भुगतान

IX.5 भुगतान के डिजिटल तरीकों में, वर्ष 2021-22 के दौरान आरटीजीएस का उपयोग करने वाले लेनदेन की संख्या में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, आरटीजीएस लेनदेन में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के माध्यम से लेनदेन में भी मात्रा और मूल्य में क्रमशः 30.6 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप बड़े मूल्य के कॉर्पोरेट लेनदेन में वृद्धि को दर्शाता है। मार्च 2022 के अंत तक, 239 सदस्यों के 1,56,740 आईएफएससी[3] के माध्यम से आरटीजीएस सेवाएं उपलब्ध थी, जबकि एनईएफटी सेवाएं 227 सदस्य बैंकों के 1,60,428 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थी।

IX.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान लेनदेन में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः

1. वर्ष 2030 तक, प्रवासी विप्रेषण की लेनदेन लागत को 3 प्रतिशत से कम करना और 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले विप्रेषण की गुंजाइश को समाप्त करना।
2. कुल भुगतान के आंकड़ों में डिजिटल भुगतान और पेपर-आधारित लिखत शामिल हैं।
3. भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक टर्नओवर (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
ए. भुगतान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियां	**36**	**28**	**33**	**1,341.50**	**1,619.43**	**2,068.73**
बी. भुगतान प्रणाली						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण - आरटीजीएस	**1,507**	**1,592**	**2,078**	**1,311.56**	**1,056.00**	**1,286.58**
खुदरा खंड						
2. क्रेडिट अंतरण	**2,06,297**	**3,17,868**	**5,77,632**	**285.57**	**335.04**	**427.23**
2.1 एईपीएस (राशि अंतरण)	10	11	10	0.005	0.01	0.01
2.2 एपीबीएस	16,747	14,373	12,298	0.99	1.11	1.33
2.3 ईसीएस जमा	18	0	0	0.05	0	0
2.4 आईएमपीएस	25,792	32,783	46,625	23.38	29.41	41.71
2.5 एनएसीएच जमा	11,100	16,465	18,730	10.37	12.17	12.77
2.6 एनईएफ़टी	27,445	30,928	40,407	229.46	251.31	287.25
2.7 यूपीआई	1,25,186	2,23,307	4,59,561	21.32	41.04	84.16
3. नामे अंतरण और प्रत्यक्ष नामे	**6,027**	**10,457**	**12,222**	**6.06**	**8.66**	**10.38**
3.1 *भीम आधार पे*	91	161	228	0.01	0.03	0.06
3.2 ईसीएस नामे	1	0	0	0	0	0
3.3 एनएसीएच नामे	5,842	9,646	10,788	6.04	8.62	10.31
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से लिंक)	93	650	1,207	0.002	0.01	0.02
4. कार्ड भुगतान	**72,384**	**57,787**	**61,786**	**14.35**	**12.92**	**17.02**
4.1 क्रेडिट कार्ड	21,773	17,641	22,399	7.31	6.30	9.72
4.2 डेबिट कार्ड	50,611	40,146	39,387	7.04	6.61	7.30
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**53,811**	**49,743**	**65,812**	**2.16**	**1.98**	**2.94**
6. पेपर आधारित लिखत	**10,414**	**6,704**	**6,999**	**78.25**	**56.27**	**66.50**
कुल - खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	3,48,933	4,42,557	7,24,451	386.38	414.86	524.07
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	3,50,440	4,44,149	7,26,530	1,697.94	1,470.86	1,810.65
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**3,40,026**	**4,37,445**	**7,19,531**	**1,619.69**	**1,414.59**	**1,744.14**

एपीबीएस: आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली, ईसीएस: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा।

टिप्पणी : 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन के निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार और रेपो लेनदेन की दोनों लेग्स और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं।
3. कार्ड के आंकड़े बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर भुगतान लेनदेन और ऑनलाइन के लिए हैं।
4. संख्याओं को पूर्ण अंक बनाने के कारण कॉलम में दिये गए आंकड़े कुल संख्या से मेल नहीं खाएगा।

स्रोत: आरबीआई

27.0 प्रतिशत और 54.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। डेबिट कार्ड से होने वाले लेन-देन में मात्रा के लिहाज से 1.9 फीसदी की कमी आई, यद्यपि मूल्य के लिहाज से इसमें 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) ने मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 32.3 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। डिजिटल भुगतान में वृद्धि का श्रेय स्वीकर्ता बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता में वृद्धि को दिया जा सकता है, जिसमें वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि देखी गई जो भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) के परिचालनगत होने से लाभान्वित हो रहा था। बिक्री केन्द्रों (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या वर्ष के दौरान 28.6 प्रतिशत बढ़कर 60.7 लाख हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान विनियोजित *भारत* त्वरित प्रतिक्रिया (बीक्यूआर) कोड की संख्या 39.3 प्रतिशत बढ़कर 49.7 लाख हो गई। इसके अलावा, स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) की संख्या भी वर्ष 2021-22 में पिछले वर्ष के 2.39 लाख से बढ़कर 2.48 लाख हो गई।

IX.7 घरेलू खपत खर्च पर महामारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक दूरी मानदंडों (अल्बर और डाबर, 2020; जोंकर एवं अन्य, 2020) और सरकारों द्वारा राहत उपायों (टोह एवं ट्रान, 2020) के कारण डिजिटल भुगतान की आदतों में महामारी-प्रेरित बदलाव होने का वैश्विक प्रमाण है (लियू एवं अन्य, 2020)। भारतीय संदर्भ में भी, नए उपयोगकर्ताओं द्वारा डिजिटल तरीका अपनाए जाने का प्रमुख कारण कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन था (बॉक्स IX.2)।

बॉक्स: IX.2
कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल भुगतान के संबंध में गृहस्थ की पसंद

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई, 2020) के प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा का अनुभवजन्य विश्लेषण महामारी के दौरान गृहस्थों की डिजिटल भुगतान की पसंद के बारे में उपयोगी दृष्टिकोणों को सामने लाता है (सारणी 1)। सर्वेक्षण में शामिल लगभग एक तिहाई गृहस्थों ने लॉकडाउन के दौरान पहली बार डिजिटल रूप से लेन-देन किया। जिन गृहस्थों के पास डिजिटल भुगतान का पूर्व अनुभव था, लेकिन उन्होंने उपयोग में कठिनाई, इंटरनेट की कमी, धोखाधड़ी, अधिक खर्च आदि जैसे कारणों से उन्हें छोड़ दिया था, उन्होंने महामारी के दौरान संभवतः फिर से अपनाया था। पहली बार इसे अपनाने में भुगतान विधियों के बारे में सामान्य जागरूकता के साथ-साथ औपचारिक शैक्षिक ज्ञान, विशेष रूप से निचले स्तरों पर भी, का योगदान था। बाद वाले की तुलना में पहले वाले का अधिक मजबूत प्रभाव है, जो यह दर्शाता है कि स्विच को प्रोत्साहित करने के लिए परिचित और सामयिक उपयोग पर्याप्त हैं। कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने वाले दीर्घकालिक लाभार्थियों द्वारा समय पर अपनी हकदारी के लिए डिजिटल अपनाए जाने की अधिक संभावना थी। ऐसा करने में सक्षम बनाने में प्रमुख भूमिका डेबिट कार्ड और स्मार्टफोन के स्वामित्व की थी, जबकि बैंक *मित्र* और मोबाइल बैंकिंग ऐप तक पहुंच ने अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाई।

डिजिटल साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान के लिए स्मार्टफोन के वास्तविक उपयोग को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है (चार्ट 1)। अधिकांश नए उपयोगकर्ता मध्यम-आयु वर्ग और वृद्ध वर्ग से थे, जो यह दर्शाता है कि महामारी ने डिजिटल भुगतान में पीढ़ी के अंतर को "बलपूर्वक समाप्त" कर दिया। जहां 60 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाता ने कार्ड को तरजीह दिया, वहीं यूपीआई और मोबाइल वॉलेट युवा और मध्यम आयु वर्ग की आबादी के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। जिन पारिवारिक मुखिया के पास व्यक्तिगत रूप से स्मार्टफोन नहीं था, उनके भी परिवार के किसी सदस्य के पास स्मार्टफोन होने पर इसमें स्विच करने की संभावना थी। ऐसे डिजिटल रूप से सशक्त परिवार के सदस्यों के प्रमाण हैं जो बैंक *मित्रों* की तरह डिजिटल भुगतान को अपनाने में सक्षम बनाने का काम कर रहे थे।

सारणी 1: सारांशित लॉजिस्टिक रिग्रेशन परिणाम (आश्रित चर: "क्या आपने लॉकडाउन के बाद पहली बार डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल किया?")

चर	लॉगिट गुणांक	माध्य पर अत्यल्प प्रभाव
पहले डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल किया लेकिन बाद में बंद कर दिया	2.826*** (0.192)	0.458*** (0.0484)
जागरूकता का स्तर = 1 (निम्न)	2.357*** (0.615)	0.0334*** (0.00544)
जागरूकता का स्तर = 2 (मध्यम)	4.676*** (0.619)	0.277*** (0.0293)
जागरूकता का स्तर = 3 (उच्च)	4.608*** (0.615)	0.264*** (0.0228)
शिक्षा का स्तर	0.169** (0.0695)	0.0121** (0.00519)
लॉकडाउन से पहले और बाद में डीबीटी आधारित सरकारी सहायता प्राप्त की	2.601*** (0.324)	
स्मार्टफोन तक पहुंच	1.436*** (0.193)	0.0860*** (0.0122)
डेबिट कार्ड तक पहुंच	2.171*** (0.285)	0.106*** (0.0128)
बैंक *मित्र* तक पहुंच	0.474*** (0.113)	0.0327*** (0.00852)
मोबाइल बैंकिंग ऐप तक पहुंच	0.407*** (0.115)	0.0314*** (0.0101)
स्थिरांक	-9.609*** (0.794)	
मैकफैडेन का समायोजित आर^2	0.481	
निष्कर्ष	4,061	4,061

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में मान मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।
2. जागरूकता के स्तर हैं: 0 (जागरूक नहीं - आधार मामला), 1 (निम्न), 2 (मध्यम) और 3 (उच्च)।
3. शिक्षा के स्तर स्केल पर हैं: 1 (निरक्षर), 2 (प्राथमिक विद्यालय), 3 (उच्च विद्यालय), और 4 (स्नातक और ऊपर)।
4. साधनों पर अत्यल्प प्रभाव (एमईएम) अन्य प्रतिगामी के साथ एक विशेष प्रतिगामी का अत्यल्प प्रभाव है उनके माध्य मान पर निकाला गया।
5. बेसलाइन मॉडल की संभाव्य सटीकता का पता लगाने के लिए, डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण सेट (80:20) में विभाजित किया गया। मॉडल की वर्गीकरण सटीकता 87 प्रतिशत, संवेदनशीलता 89 प्रतिशत और विशिष्टता है 82 प्रतिशत है। कुक्स डिस्टेन्स के आधार पर प्रभावशाली विचलन कोई प्रमाण नहीं है।

(जारी)

स्रोत: सरॉय एवं अन्य, (2022)।

चार्ट 1: लॉकडाउन के बाद पहली बार डिजिटल भुगतान अपनाने पर डिजिटल साक्षरता का प्रभाव

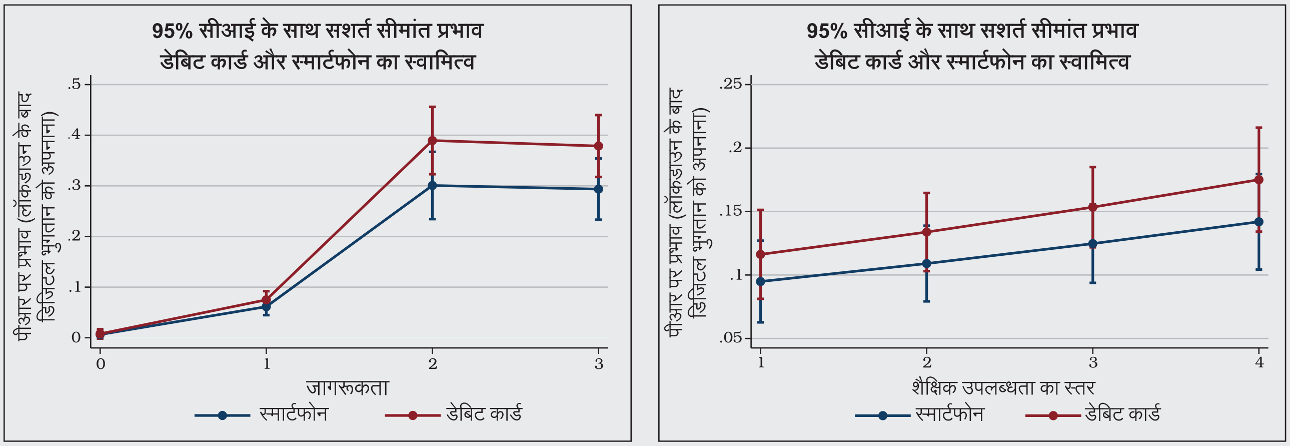

सीआई: विश्वास अंतराल

स्रोत: सरॉय एवं अन्य (2022)।

यदि भुगतान के बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि, अधिकाधिक व्यापारी के जुडने, धोखाधड़ी में कमी, डिजिटल भुगतान में अधिक ग्राहक विश्वास और इस तरह के भुगतान तरीके के उपयोग को और आसान बना देने जैसे अंतर्निहित समर्थक में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं तो महामारी प्रेरित 'डिजिटल अपनाओ' के स्थायी होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल के प्रति प्राथमिकताओं में हालिया बदलाव केवल एक अस्थायी उछाल नहीं है बल्कि यह एक स्थायी व्यवहारिक बदलाव है।

संदर्भ:

1. एल्बर, एन., और एम. डाबर (2020), 'द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन फिनटेक एंड सोशल', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस*, 12(11), 109-109।
2. जोंकर, एन., सी. वैन डेर क्रूज़सेन, एम. बिजलस्मा, डब्ल्यू. बोल्ट (2020), 'पैनडेमिक पेमेंट पैटर्न', डीएनबी वर्किंग पेपर्स 701, रिसर्च डिपार्टमेन्ट, *नीदरलैंड सेंट्रल बैंक*।
3. लियू, टी., बी. पैन, और जेड यिन (2020), 'पैनडेमिक, मोबाइल पेमेंट, एंड हाउसहोल्ड कंजंप्शन: माइक्रो एविडेंस फ्रोम चाइना', *इमरजिंग मार्केट्स फ़ाइनेंस एंड ट्रेड*, 56(10), 2378-2389।
4. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (2020), 'डिजिटल पेमेंट्स एडॉप्शन इन इंडिया, 2020', एनपीसीआई- प्राइस रिपोर्ट।
5. सरॉय, आर., एस. अवस्थी, एन.के. सिंह, एस. अदकी, और एस. ढल (2022), 'इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डिजिटल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स', बुलेटिन ऑफ मोनेटरी इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, अंक 25, विशेषांक।
6. टोह, वाई. एल., और टी. ट्रान (2020), 'हाउ द कोविड-19 पैनडेमिक मे रिशेप द डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप', पेमेंट्स सिस्टम रिसर्च ब्रीफिंग, 1-10, *फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ कैनसस सिटी*।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत किया जाना

IX.8 भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अलावा पीपीआई निर्गमकर्ता, सीमा पार मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस), व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस), एटीएम नेटवर्क, त्वरित मुद्रा अंतरण सेवा, कार्ड पेमेंट नेटवर्क और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) शामिल हैं (सारणी IX.2)।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

IX.9 विगत वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

- रिज़र्व बैंक, सदस्यता की समीक्षा करने सहित केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में गैर-बैंकों की भागीदारी बढ़ जाने से निपटान जोखिम प्रबंधन हेतु एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए चर्चा शुरू करेगा (पैराग्राफ IX.11);

सारणी IX.2 : भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों का प्राधिकरण (मार्च के अंत में)

(संख्या)

संस्थाएं	2021	2022
1	2	3
ए. गैर-बैंक - प्राधिकृत		
पीपीआई निर्गमकर्ता	36	37
डबल्यूएलए ऑपरेटर्स	4	4
त्वरित मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीओयू	8	9
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स	3	3
एमटीएसएस ऑपरेटर्स	9	9
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
बी. बैंक - स्वीकृत		
पीपीआई निर्गमकर्ता	56	57
बीबीपीओयू	42	43
मोबाइल बैंकिंग प्रदाता	566	648
एटीएम नेटवर्क	3	3

स्रोत: आरबीआई।

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

- रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि ऑफलाइन भुगतान समाधान के लिए प्रायोगिक योजनाएं 31 मार्च 2021 तक संचालित की जाएंगी। इन पायलट योजनाओं के माध्यम से प्राप्त अनुभव के आधार पर रिज़र्व बैंक देश में ऑफ़लाइन भुगतान समाधान लागू करने का निर्णय करेगा (पैराग्राफ IX.12);
- रिज़र्व बैंक के पास रखे गए कार्ड भुगतान नेटवर्क खातों के माध्यम से विभिन्न कार्ड भुगतान नेटवर्क द्वारा संसाधित कार्ड लेनदेन के निपटान की संभावना का रिज़र्व बैंक पता लगाएगा। रिज़र्व बैंक की बही में कार्ड लेनदेन के निपटान से कार्ड लेनदेन में विश्वास बढ़ेगा (पैराग्राफ IX.13);

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

- रिज़र्व बैंक उस भूमिका की जांच करेगा जो भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) कम लागत पर निर्बाध विप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए निभा सकते हैं, जिसमें कॉरिडोर की समीक्षा और आवक सीमा-पार विप्रेषण के लिए शुल्क शामिल हैं (पैराग्राफ IX.14);

ग्राहक के विश्वास को बढ़ाना

- रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक शाखाओं, एटीएम और कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के स्थान व्यापार व्यापार विवरण को अभिग्रहण करने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। पीओएस टर्मिनलों और अन्य भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने और रखने के लिए इसी तरह के फ्रेमवर्क का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है (पैराग्राफ IX.15);
- आउटसोर्सिंग व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति और सुरक्षा नियंत्रण की जरूरत एवं विनियमित संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक गैर-बैंक भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिए एक अलग विनियामक फ्रेमवर्क की आवश्यकता की जांच करेगा, (पैराग्राफ IX. 16)।

कार्यान्वयन की स्थिति

IX.10 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021' में, डीपीएसएस ने अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए चार गोल-पोस्ट यथा प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और विश्वास को चिन्हित किया था।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना

केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की सदस्यता की समीक्षा

IX.11 रिज़र्व बैंक ने सीपीएस (आरटीजीएस और एनईएफटी) तक पहुंच का विस्तार किया और प्राधिकृत गैर-बैंक पीएसओ, जैसे पीपीआई निर्गमकर्ता, कार्ड नेटवर्क और डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों को सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी। गैर-बैंक पीएसओ को भी केंद्रीय बैंक के पास चालू खाते खोलने की अनुमति दी गई थी। जुलाई 2021 में परिचालन और उपयोगकर्ता सुविधा के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ पात्रता मानदंड, सदस्यता के प्रकार और

लेनदेन की प्रकृति को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ऐसी उम्मीद है कि सीधी पहुंच से भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम कम होगा और भुगतान करने / प्राप्त करने के लिए लागत एवं समय को कम करके, बैंकों पर निर्भरता को कम करके तथा भुगतान की निश्चयात्मकता में अनिश्चितता को समाप्त करके गैर-बैंकों को लाभ होगा क्योंकि निपटान केंद्रीय बैंक की मुद्रा में किया जाएगा।

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

ऑफलाइन भुगतान समाधान

IX.12 ऑफलाइन डिजिटल लेनदेन को सक्षम करने वाले प्रौद्योगिकीय नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राधिकृत पीएसओ को अगस्त 2020 में कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके सामीप्य भुगतान के लिए प्रायोगिक योजना संचालित करने की अनुमति दी गई थी। प्राप्त अनुभव के आधार पर, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा के लिए फ्रेमववर्क 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। तदनुसार, प्राधिकृत पीएसओ और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (अधिग्रहणकर्ता और निर्गमकर्ता - बैंक और गैर-बैंक दोनों) को विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी माध्यम या लिखत जैसे कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान चालू करने की अनुमति दी गई थी। इस पहल से खराब या कमजोर इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में, विशेष रूप से अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कार्ड योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निपटान सेवाएं

IX.13 'सीपीसी तक गैर-बैंकों की पहुंच' विषय पर एक परिपत्र 28 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, जिसमें 17 जनवरी 2017 के भुगतान प्रणाली के लिए पहुँच मानदंड संबंधी मास्टर दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया था और कार्ड नेटवर्क सहित गैर-बैंक पीएसपी को सीधी पहुंच की अनुमति दी गई थी। इससे रिज़र्व बैंक में कार्ड लेनदेन के निपटान में सुविधा होगी।

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

आवक सीमा-पार विप्रेषणों के कॉरीडोर और प्रभार की समीक्षा

IX.14 रिज़र्व बैंक विभिन्न देशों में बाहर सीमा-पार विप्रेषण के लिए यूपीआई के उपयोग पर काम कर रहा है। जहां विभिन्न देशों के साथ प्रयास विभिन्न चरणों में हैं, वहीं पेनाऊ के साथ यूपीआई को जोड़ने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में इसके परिचालनगत होने की उम्मीद है। अंतःसंबंधन दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और विप्रेषण प्रवाह को आगे बढ़ाएगा और सीमा-पार विप्रेषण की लागत को कम करेगा। यह किफ़ायती तरीके से तत्काल विप्रेषण प्राप्त करने के लिए संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के एक उदाहरण के रूप में भी काम आएगा।

विश्वास को बढ़ाना

भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग

IX.15 दिनांक 8 अक्टूबर 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंक पीएसओ द्वारा विनियोजित भुगतान स्वीकार करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की जियो-टैगिंग के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की। जियो-टैगिंग से विभिन्न स्थानों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर के घनत्व की निगरानी करके डिजिटल भुगतान की क्षेत्रीय पहुँच के संबंध में जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह अतिरिक्त भुगतान टच पॉइंट्स को विनियोजित करने और केंद्रित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों आयोजित करने की सुविधा के लिए नीतिगत मध्यक्षेप करने में मदद करेगा।

तृतीय पक्ष जोखिम प्रबंधन और सिस्टम-व्यापी सुरक्षा

IX.16 रिज़र्व बैंक ने 3 अगस्त 2021 को "भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा भुगतान की आउटसोर्सिंग और निपटान से संबंधित गतिविधियों के लिए फ्रेमवर्क" विषय पर एक परिपत्र जारी किया। यह फ्रेमवर्क भुगतान की आउटसोर्सिंग और/या निपटान-संबंधी गतिविधियों (ग्राहकों को जोड़ने, आईटी आधारित सेवाओं, आदि जैसी अन्य प्रासंगिक गतिविधियों सहित) में जोखिमों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक प्रदान करता है।

प्रमुख घटनाक्रम

ग्राहक सुविधा में सुधार करना

पीपीआई में वृद्धि

IX.17 अंतरपरिचालनीयता को अनिवार्य करना, पूर्ण-केवाईसी[4] पीपीआई से नकद निकासी की अनुमति देना और पूर्ण-केवाईसी पीपीआई में अधिकतम शेष राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख करना, मई 2021 में पीपीआई को बढ़ाने की अनुमति थी।

भारत बिल भुगतान प्रणाली - बिलर श्रेणी में इजाफा

IX.18 जुलाई 2021 में, बीबीपीएस में बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की अनुमति दी गई थी। बीबीपीएस के हिस्से के रूप में, मोबाइल प्रीपेड ग्राहक मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शी ग्राहक सुविधा शुल्क और किसी भी समय, कहीं भी डिजिटल भुगतान विकल्पों की उपलब्धता से लाभान्वित होंगे।

भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि

IX.19 अक्टूबर 2021 में प्रति लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर ₹ 2 लाख करने और 12 विप्रेषणों की वार्षिक सीमा को हटाकर भारत-नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि की गई। इन संवर्द्धन से दोनों देशों के बीच व्यापार भुगतान को बढ़ावा मिलने और नेपाल में बसे/स्थानांतरित पूर्व सैनिकों को पेंशन भुगतान में आसानी होने की उम्मीद है।

सभी दिनों में एनएसीएच की उपलब्धता

IX.20 आरटीजीएस 24x7x365 की उपलब्धता का लाभ उठाते हुए, एनएसीएच प्रणाली को 1 अगस्त 2021 से सप्ताहांत सहित सप्ताह के सभी दिनों में परिचालनगत कर दिया गया था। एनएसीएच बड़ी संख्या में लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के एक लोकप्रिय और प्रमुख डिजिटल मोड के रूप में उभरा है और कोविड-19 महामारी के दौरान समय पर तथा पारदर्शी तरीके से सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में मदद की है।

डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन - डिजीसाथी

IX.21 रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में, एनपीसीआई ने भुगतान उद्योग के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान के लिए एक केंद्रीकृत उद्योग-व्यापी 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की, जिसका नाम डिजी साथी है। 24x7 हेल्पलाइन डिजिटल भुगतान के सभी पहलुओं के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी के बारे में स्वचालित प्रतिक्रियाएं हिंदी और अंग्रेजी में कई विकल्पों के माध्यम से उपलब्ध हैं जैसे - (ए) टोल-फ्री नंबर (1800-891-3333), (बी) एक शॉर्ट कोड (14431), (सी) वेबसाइट - www.digisaathi.info, और *चैटबॉट्स*। *डिजीसाथी* वेबसाइट और *चैटबॉट* सुविधा के माध्यम से और टोल-फ्री कॉल के माध्यम से डिजिटल भुगतान संबंधी अपने प्रश्नों के साथ उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगा, जहां उपयोगकर्ता उन विकल्पों / उत्पादों को डायल या कॉल कर सकता है जिनके लिए जानकारी की अपेक्षित है।

फ़ीचर फ़ोनों के लिए यूपीआई - UPI123Pay

IX.22 UPI123Pay को रिज़र्व बैंक द्वारा 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के दायरे में शामिल करने और उन्हें डिजिटल रूप से लेन-देन करने तथा यूपीआई सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। UPI123Pay फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान को करने के लिए चार अलग-अलग विकल्प प्रदान करता है, अर्थात, (ए) इंटर-एक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), (बी) मिस्ड कॉल, (सी) ऐप-आधारित कार्यात्मकता, और (डी) सामीप्य ध्वनि-आधारित भुगतान।

आईएमपीएस लेन-देन की सीमा बढ़ाना

IX.23 आईएमपीएस एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है जो 24x7 त्वरित घरेलू फंड ट्रांसफर सुविधा प्रदान करती है और इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम

4. अपने ग्राहक को जानिए।

(आईवीआरएस) जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुलभ है। घरेलू भुगतान लेनदेन संसाधन में आईएमपीएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एसएमएस और आईवीआरएस (₹5 हजार) के अलावा अन्य सभी चैनलों के लिए प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई। इससे डिजिटल भुगतान में और वृद्धि होगी और ग्राहकों को ₹2 लाख से अधिक डिजिटल भुगतान करने के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल जाएगी।

विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा में वृद्धि

IX.24 वित्तीय बाजारों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी बढ़ाने हेतु, उदाहरण के लिए, खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से सरकारी-प्रतिभूति खंड में निवेश, और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के अभिदान के भुगतान के लिए; इन श्रेणियों के लिए यूपीआई प्रणाली में लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

किफ़ायती लागत सुनिश्चित करना

स्वचालित टेलर मशीनों/नकद पुनर्चक्रण मशीनों का उपयोग - इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा

IX.25 मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति की सिफारिशों की जांच के बाद जून 2021 में एटीएम और नकद पुनर्चक्रण मशीनों पर लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक प्रभार की समीक्षा की गई। तदनुसार, वित्तीय लेनदेन के लिए ₹15 से बढ़ाकर ₹17 और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹5 से बढ़ाकर ₹6 कर दिया गया था और प्रति लेनदेन इंटरचेंज शुल्क में यह मामूली वृद्धि 1 अगस्त 2021 से प्रभावी थी। नतीजतन, 1 जनवरी 2022 से मुफ्त लेनदेन के अलावा, प्रति लेनदेन ग्राहक प्रभार की सीमा को ₹20 से थोड़ा बढ़ाकर ₹21 कर दिया गया था।

भुगतान प्रणाली में प्रभार संबंधी चर्चा पत्र

IX.26 डिजिटल भुगतान प्राप्त करने/करने के लिए व्यापारियों और उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने लिए, 8 दिसंबर 2021 के विकासत्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि डिजिटल भुगतान के विभिन्न माध्यमों में लगने वाले प्रभार से संबंधित सभी पहलुओं (सुविधा शुल्क और अधिभार सहित) को कवर करने वाला एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा।

विश्वास बढ़ाना

एफएटीएफ का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के संस्थाओं में निवेश

IX.27 वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का अनुपालन नहीं करने वाले देशों से पीएसओ में निवेश के संबंध में जून 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे ताकि ऐसे अधिकार क्षेत्रों से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में निवेश के लिए समान निर्देशों के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

टोकेनाइजेशन – कार्ड लेन-देन

IX.28 लैपटॉप, डेस्कटॉप, पहनने योग्य वस्तुओं (कलाई घड़ियां और बैंड) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों को शामिल करने के लिए डिवाइस-आधारित कार्ड टोकनाइजेशन संबंधी फ्रेमवर्क का अगस्त 2021 में विस्तार किया गया था। इसके अलावा, सितंबर 2021 में, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि 1 जुलाई 2022 से कार्ड जारीकर्ता और/या कार्ड नेटवर्क के अलावा कार्ड लेनदेन/भुगतान शृंखला में कोई भी संस्था वास्तविक कार्ड डेटा को संग्रहीत नहीं करेगी, और पहले संग्रहीत ऐसे किसी भी डेटा को हटा दिया जाएगा।

अन्य पहल

सीपीएफआईआर - भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग (उत्कर्ष)

IX.29 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंक पीपीआई निर्गमकर्ताओं को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में शामिल करके रिज़र्व बैंक के केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को की जाने वाली भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया था।

भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीफ) [उत्कर्ष]

IX.30 पीआईडीएफ योजना वर्ष के दौरान पूरी तरह से परिचालनगत कर दिया गया था, और मार्च 2022 के अंत तक, योजना में अंशदान ₹798.94 करोड़ था। साथ ही, मार्च 2022 के अंत तक, पीआईडीएफ के तहत 94.77 लाख भुगतान स्वीकृति उपकरण तैनात किए गए थे। रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर (श्री टी. रबी शंकर) की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद ने समग्र मार्गदर्शन प्रदान किया और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स *आत्मनिर्भर निधि* (पीएम एसवीएनिधि) योजना के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को टियर -1 और 2 केंद्रों में पीआईडीएफ योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल करने को मंजूरी दी।

एनपीसीआई का निरीक्षण

IX.31 एनपीसीआई का निरीक्षण नवंबर 2021 में किया गया था। वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई) के सिद्धांतों द्वारा संचालित निरीक्षण का दायरा एनपीसीआई द्वारा परिचालित विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के कार्यात्मक मूल्यांकन, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन फ्रेमवर्क, अभिशासन और निरीक्षण, कारोबार प्रभाव विश्लेषण, अनुपालन लेखापरीक्षा, सूचना और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट की अनुपालन स्थिति और प्राधिकार प्रमाण पत्र के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन तक ही सीमित था।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.32 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 की धारा 16 के तहत सीसीआईएल का ऑनसाइट निरीक्षण किया। सीसीआईएल का मूल्यांकन भुगतान और बाजार अवसंरचना संबंधी समिति - अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (सीपीएमआई-आईओएससीओ) द्वारा तैयार 24 पीएफएमआई के अनुरूप किया गया था। केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) के रूप में, सीसीआईएल को 17 सिद्धांतों के लिए 'संप्रेक्षित' और तीन के लिए 'व्यापक रूप से संप्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, जबकि चार इसके लिए 'लागू नहीं' थे। ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) के रूप में, सीसीआईएल को 11 सिद्धांतों के लिए 'संप्रेक्षित' का दर्जा दिया गया था, जबकि 13 को 'लागू नहीं' का दर्जा दिया गया था।

सीसीआईएल की गतिविधियां

IX.33 वर्ष के दौरान, सीसीआईएल कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अपने परिचालन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में सक्षम रहा। विभिन्न खंडों में जोखिम मार्जिन अवधि (एमपीओआर) को 5 दिनों तक बढ़ाकर, एक टेनर बकेट में प्रतिभूतियों के लिए न्यूनतम 1-दिवसीय जोखिम मूल्य (वीएआर) को ठीक करते हुए 95वीं प्रतिशतता करके और डिफॉल्ट फंड का मासिक संशोधन के लिए कार्यपद्धति में सुधार करके सीसीआईएल ने अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को दुरुस्त किया।

IX.34 आरटीजीएस 24x7 का लाभ उठाते हुए, सीसीआईएल ने विदेशी मुद्रा खंडों में समाशोधन और निपटान के लिए अंतिम समय को बढ़ा दिया। सीसीआईएल निपटान डेटा को 3 मई 2021 से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित भुगतान प्रणाली संबंधी दैनिक डेटा में शामिल किया गया था। सीसीआईएल द्वारा रिटर्न/विवरण प्रस्तुत करने को और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया था। सीसीआईएल ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए एग्रीगेटर और रिसीविंग ऑफिस के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली, जो व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा प्रदान करती है। सीसीआईएल की सहायक कंपनी लीगल एंटिटी आइडेंटिफ़ायर इंडिया लिमिटेड (एलईआईएल) द्वारा मार्च 2022 में 45,000 से अधिक विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) जारी किया गया।

ई-बात कार्यक्रम

IX.35 रिज़र्व बैंक ग्राहकों/बैंकरों/छात्रों/जनता के लाभ के लिए नियमित रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न भुगतान प्रणालियों और उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना और संदेह को दूर करना है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 367 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.36 पीएसएस अधिनियम की धारा 16 के तहत, वर्ष के दौरान 46 खुदरा संस्थाओं, अर्थात 30 पीपीआई निर्गमकर्ता, 4 डब्ल्यूएलए ऑपरेटरों, 8 बीबीपीओयू, 3 टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों और 1 एटीएम नेटवर्क का निरीक्षण किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्य-योजना

IX.37 वर्ष 2022-23 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- *भुगतान प्रणाली विजन 2025 दस्तावेज़ तैयार करना और जारी करना:* विजन 2021 में इच्छित परिणामों की उपलब्धि और चिन्हित की गई कार्रवाइयों को पूर्ण करने के साथ ही रिज़र्व बैंक आने वाले वर्षों में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के अपने विजन को प्रकाशित करेगा ताकि भुगतान परिदृश्य का निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके;
- *भुगतान डैशबोर्ड का प्रकाशन:* उपभोक्ता के अनुभव में सुधार करने और भुगतान प्रवृत्तियों में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणाली में प्रवृत्तियों के चित्रमय प्रस्तुति के साथ एक भुगतान डैशबोर्ड प्रकाशित करेगा; और
- *भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की जियो-टैगिंग फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन*: 8 अक्टूबर 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों संबंधी वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने जियो-टैगिंग भुगतान टच पॉइंट्स के लिए एक फ्रेमवर्क निर्धारित किया है और इस फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का फोकस कोविड-19 प्रेरित महामारी के माहौल में रिज़र्व बैंक में आईसीटी बुनियादी अवसंरचना के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने पर रहा। कोविड-19 महामारी की ठीक शुरुआत में विभाग द्वारा सृजित बायो-बबल ने देश की भुगतान प्रणालियों, वित्तीय बाजार संचालन, दूसरी चीजों के बीच रिज़र्व बैंक में आंतरिक आईसीटी सुविधाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हुए महामारी की क्रमिक लहरों को झेला।

IX.39 वर्ष के दौरान, यद्यपि रिज़र्व बैंक में आईसीटी बुनियादी अवसंरचना की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक कोविड-19 प्रेरित महामारी के वातावरण में साइबर सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया गया, तथापि विभाग ने बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन और नए शुरू किए गए एप्लीकेशन्स को स्थिर करने की दिशा में भी अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में आरटीजीएस और एसएफएमएस की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और *सारथी* एप्लिकेशन का स्थिरीकरण शामिल है।

प्रमुख पहल

आरटीजीएस की सुदृढ़ता में सुधार

IX.40 भारत की भुगतान प्रणालियों में निरंतर सुधार के लिए एक सतत रणनीति के रूप में, आरटीजीएस करने वाले अंतर्निहित बुनियादी अवसंरचना में उन्नयन किया गया है, जो संदेश प्रवाह, इसके समाधान और सभी साइटों पर प्रतिकृति को सुगम बनाता है। यह आरटीजीएस प्रणाली में चल रहे सुधारों के साथ मिलकर सिस्टम रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव (आरटीओ) को कम करने और सुदृढ़ता में और सुधार करने में मदद करेगा।

नई उन्नत फ़ायरवॉल और नेटवर्क डेटा प्रवाह निगरानी

IX.41 नया उन्नत फ़ायरवॉल समाधान, जिसे पूरे रिज़र्व बैंक में लागू किया जा रहा है, रिज़र्व बैंक की आईटी अवसंरचना की बढ़ती जरूरतों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुसज्जित उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है। सामग्री डिसार्म और पुनर्निर्माण सुविधा नेटवर्क ट्रैफ़िक के लिए समर्पित फ़ाइल स्कैनिंग प्रदान करता है।

IX.42 नेटवर्क डेटा प्रवाह निगरानी समाधान मैलवेयर के लिए एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक संबंधी विश्लेषण के माध्यम से उच्च दृश्यता और सुरक्षा के साथ आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। समाधान का सुरक्षा विश्लेषण सुरक्षा अनुपालन अंतराल, फोरेंसिक जांच में सहायता, खतरे की चेतावनी और आकस्मिक प्रतिक्रिया की पहचान करने में मदद करता है।

डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन

IX.43 रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अपने मौजूदा डेटा केंद्रों के गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना का पुनर्रोद्धार किया। सभी गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना को 24x365 महत्वपूर्ण परिचालनों के लाइव रनिंग वातावरण में बदला/उन्नत किया गया था। दो डेटा केंद्रों पर काम पूरा कर लिया गया है और एक डेटा केंद्र में पूरा होने के अंतिम चरण में है। परियोजना के लिए प्रमुख प्रभावकारी कारक इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता था जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन शामिल है। इस उपाय से डेटा केंद्रों की परिचालन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

एसएफएमएस की सुदृढ़ता/दक्षता बढ़ाना

IX.44 एसएफएमएस, एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों के लिए उपयोग की जाने वाली मैसेजिंग प्रणाली को स्वचालित तरीके से कार्यों का समर्थन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक और 200 से अधिक सदस्य बैंकों में चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। समाधान, परिष्कृत समाधान और दोहरे प्रमाणपत्र समर्थन जैसी सुविधाएँ पहले से ही लागू हैं। उन्नत एसएफएमएस भविष्य की आवश्यकताओं, जैसे उच्च उपलब्धता, मापनीयता, अधिक सुरक्षा, प्रदर्शन और सुदृढ़ता का ख्याल रखेगा।

कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) के लिए रिज़र्व बैंक एग्रीगेटर के रूप में

IX.45 यह पहल प्रत्यक्ष कर लेखंकन प्रणाली (प्रकल्प) के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करने की है। ई-कुबेर में काम पूरा हो चुका है और कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

सारथी एप्लिकेशन का स्थिरीकरण

IX.46 रिज़र्व बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए कागज़ के न्यूनतम उपयोग संबंधी समाधान, हेतु *सारथी*, को 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, और वर्ष के दौरान नई कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने तथा एप्लिकेशन की सुविधाओं एवं कार्यात्मकताओं को बढ़ाने के साथ-साथ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, एप्लिकेशन को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) को कवर करते हुए व्यापक उपयोगकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एप्लिकेशन उपयोग की निरंतर निगरानी की जा रही है और एप्लिकेशन की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एप्लिकेशन सुरक्षा संबंधी उपायों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

हाइब्रिड भुगतान प्रणाली

IX.47 एक कुशल भुगतान प्रणाली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। रिज़र्व बैंक पिछले चार दशकों से देश में भुगतान प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आज, भारत एक जीवंत, कुशल और सुरक्षित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र होने का दावा कर सकता है। चौबीसों घंटे एनईएफटी और आरटीजीएस की उपलब्धता ने देश में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया है। वर्तमान में, भुगतान प्रणाली या तो सकल निपटान या निवल निपटान पर आधारित हैं, इसलिए, सकल और निवल निपटान दोनों में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली रखने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

वर्ष 2021-22 की कार्य-योजना

IX.48 पिछले वर्ष विभाग ने *उत्कर्ष* के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- *अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र*: अगली पीढ़ी के डेटा केंद्र की व्यवहार्यता की जांच और आने वाले वर्षों के लिए रिज़र्व बैंक के आईसीटी रोडमैप को पूरा करने हेतु विस्तृत प्रोटोटाइप योजना तैयार करना (पैराग्राफ IX.49 – IX.50)
- *डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन*: अपने मौजूदा डेटा केंद्रों में गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना पुनर्रोद्धार का कार्य चल रहा है। इष्टतम क्षमता योजना और ऊर्जा दक्षता परियोजना के लिए प्रमुख प्रेरक कारक हैं, जिसमें डेटा केंद्रों पर गैर-आईटी बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है (पैराग्राफ IX.51); और
- *अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन*: सरकार, बैंकों और अन्य बाजार सहभागियों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ/के लिए *ई-कुबेर* रिज़र्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाओं और परिचालन का कार्य कर रहा है। प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा रहा है और प्रक्रियाओं के उन्नत स्वचालन, बाहरी और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण की लचीलापन, परिवर्तन प्रबंधन में आसानी, परिष्कृत मॉड्यूलरिटी, व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, उत्पादकता में वृद्धि और मजबूत नियंत्रण के लिए प्रारंभिक सुधार की सुविधा प्रदान करेगा (पैराग्राफ IX.52)।

कार्यान्वयन की स्थिति

अगली पीढ़ी का डेटा केंद्र

IX.49 रिज़र्व बैंक लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य की जरूरत को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, क्षेत्र विशिष्ट जोखिम से बचने और महत्वपूर्ण डेटा केंद्र जनशक्ति को रखने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा केंद्र का निर्माण करेगा। नए डेटा केंद्र में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों और बैंकिंग क्षेत्र की उन्नत प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'एंटरप्राइज़ कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र' भी रहेगा।

IX.50 नए डाटा केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। रिज़र्व बैंक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया में है।

डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन

IX.51 दो डेटा केंद्रों पर काम पूरा कर लिया गया है, और शेष डेटा केंद्रों में पूरा होने के अंतिम चरण में है।

अगली पीढ़ी के ई-कुबेर का कार्यान्वयन

IX.52 विभिन्न हितधारकों के साथ/उनके लिए रिज़र्व बैंक की प्रमुख वित्तीय सेवाओं मुहैया कराने और परिचालन को सुगम बनाने वाली ई-कुबेर प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

वर्ष 2022-23 की कार्य-योजना

IX.53 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- *रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) नियमित और दोहराव वाले कार्यों के स्वचालन के लिए समाधान:* आरपीए को आईटी इंजीनियरों के सहयोग के बिना बॉट्स द्वारा दोहराए जाने वाले और मैन्युअल कार्यों जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, रिपोर्ट तैयार करने, मिलान से संबंधित मुद्दों और दोष निवारण गतिविधियों के स्वचालन की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग हो। यह मानवीय त्रुटियों को कम करने और रिज़र्व बैंक में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक दक्षता और उत्पादकता लाने में मदद करेगा;

- *उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए आंतरिक अनुप्रयोगों के लिए बेहतर इंटरफेस और उसे अपनाना:* विभाग उपयोगकर्ता के अनुभव और एप्लीकेशन्स को अपनाने में सुधार के लिए नवीनतम सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों को अपनाकर आंतरिक एप्लिकेशन के यूजर इंटरफेस को बेहतर करेगा। उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन तथा संरक्षित और सुरक्षित तरीके से निरंतर पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;
- *अगली पीढ़ी का ई-कुबेर:* ई-कुबेर को व्यापक लचीलेपन और स्थिरता के साथ नई प्रौद्योगिकियों के आधार पर अगली पीढ़ी में उन्नयन किया जाएगा। उन्नत प्रणाली में व्यापक रीयल टाइम डैशबोर्ड के साथ रिपोर्टिंग, उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव, मापनीयता, सुदृढ़ता, सुव्यवस्थित सरल प्रक्रिया, बाह्य और आंतरिक प्रणालियों के साथ एकीकरण में आसानी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रारंभिक सुधार, मजबूत नियंत्रण और एकीकृत सुरक्षा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म जैसी कार्यात्मकताएं होंगी;
- *एनईएफटी को वैश्विक मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाना:* भुगतान उद्योग समय के साथ विकसित हुआ है और विभिन्न व्यवसाय संचालक जैसे डेटा प्रचुरता, भुगतान नोड्स में मानकीकरण, अनुपालन, गहन रिपोर्टिंग और संबंधित अपेक्षाएं लगातार बदलाव की जरूरत को बढ़ावा दे रहे रही हैं। आईएसओ 20022 भुगतान संदेश भेजने के लिए वैश्विक और सर्वविदित मानक है। आरटीजीएस प्रणाली पहले से ही आईएसओ 20022 पर आधारित है। रिज़र्व बैंक अपनी एनईएफटी प्रणाली को भी इस वैश्विक संदेश मानक के अनुरूप बनाने का प्रयास करेगा। आईएसओ 20022 को अपनाने से संरचित और ग्रेन्यूलर डेटा, बेहतर विश्लेषण, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन और बेहतर वैश्विक सामंजस्य उपलब्ध होगा। यह आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच अंतरपरिचालनीयता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा (*उत्कर्ष*);
- *आईटी और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन:* रिज़र्व बैंक अपने आईटी सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर का लगातार मूल्यांकन और उन्नयन करने का प्रयास करता है ताकि आकस्मिक खतरों से निपटने की अपनी दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके तथा अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की रक्षा की जा सके, जो महत्वपूर्ण भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। इस प्रयास में, रिज़र्व बैंक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) प्रौद्योगिकियों को नवीन क्षमताओं और सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, स्वचालन और प्रतिक्रिया, उपयोगकर्ता इकाई व्यवहार विश्लेषण, विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया जैसी अतिरिक्त प्रगति के साथ उन्नत करेगा; और
- *एंटरप्राइज डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र:* रिज़र्व बैंक वर्ष 2022-23 के दौरान एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए आवश्यक भूमि ले ली गई है। डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर रिज़र्व बैंक की आंतरिक जरूरतों को पूरा करेगा, और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का भी संचालन करेगा जो देश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा।

4. निष्कर्ष

IX.54 रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ में की गयी परिकल्पना के अनुरूप रिज़र्व बैंक ने देश में न्यूनतम नकद का उपयोग करने वाले समाज के निर्माण के लिए अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली विकसित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा, साथ ही दक्षता बढ़ाने, ग्राहक सुविधा में सुधार, लोकसंपर्क का विस्तार और भुगतान प्रणालियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

सीमा पार से भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने पर वैश्विक फोकस को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने सिंगापुर के पेनाऊ के साथ भारत की तेज भुगतान प्रणाली यूपीआई को जोड़ने की संभावना का भी पता लगाया। इसके अलावा, वर्ष के दौरान हासिल किए गए प्रमुख उपलब्धियों में आरटीजीएस और एसएफएमएस की सुदृढ़ता को बढ़ाना, डेटा केंद्रों में गैर-आईटी भौतिक बुनियादी अवसंरचना का उन्नयन और *सारथी* एप्लिकेशन का स्थिरीकरण शामिल है। आगे चलकर, रिज़र्व बैंक निम्नलिखित क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान देगा:- भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज़ 2025 जारी करना; भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की जीओ-टैगिंग के फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन; एनईएफटी को वैश्विक संदेश मानकों के अनुरूप बनाना; आईटी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना; एंटरप्राइज डेटा सेंटर एवं एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना।

X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और संचार में समयबद्धता के अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए, सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों सहित कई चैनलों के माध्यम से लोगों तक व्यापक पहुंच के अपने प्रयास को जारी रखते हुए अपनी संचार नीति 2.0 प्रकट की। आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को प्रखर किया गया और सूचना प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया गया। भारत द्वारा 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। भारत की वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के समर्थन में भारतीय रिज़र्व बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टमस्(एनजीएफएस) में भी शामिल हो गया। सरकार की ओर से प्रभावी नकदी प्रबंधन और विदेशी मुद्रा भंडार के सुदृढ़ प्रबंधन के भी प्रयास किए गए। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और कुशल वित्तीय प्रणाली के लिए वांछित मजबूत कानूनी संरचना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान वैधानिक पहल/संशोधन भी किए गए।

X.1 रिजर्व बैंक ने 16 जुलाई, 2021 को अपनी संचार नीति 2.0 जारी की। रिजर्व बैंक की संचार नीति का लक्ष्य अपने बहुआयामी उद्देश्यों का पारदर्शी संचार, स्पष्ट व्याख्या और सटीक अभिव्यक्ति है। इस वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंध और मजबूत किए गए। महामारी प्रवृत्त वातावरण में सरकार की प्रणाली को ई-*कुबेर* के साथ एकीकृत करके सरकार को प्रभावी नकद प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के सम्मिलित प्रयास किए गए। व्यापक वैश्विक अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य में सुरक्षा, तरलता और पिछली स्थिति में वापसी आरक्षित विदेशी मुद्रा (एफईआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहे। इस वर्ष के दौरान नीति निर्माण के लिए अनुसंधान इनपुट प्रदान करने और प्रमुख प्रकाशनों को समय पर जारी करने के अलावा कई प्रकार के समकालीन विषयों पर कई शोध अध्ययन भी किए गए। समुन्नत डेटा वेयरहाउस [अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली, (सीआईएमएस)] के विकास का कार्य आरंभ करके और कई अन्य पहलों जैसे गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक के उपयोग से सूचना प्रबंधन प्रणाली को अधिक सुदृढ़ किया गया। इस वर्ष वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई संशोधनों/नए विधानों को शामिल किया गया।

X.2 उक्त पृष्ठभूमि के प्रति शेष अध्याय की आठ खंडों में संरचना की गई है। अगला खंड रिजर्व बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में की गई प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में रिजर्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ पारस्परिक व्यवहार शामिल है। खंड 4 सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक की गतिविधियों पर आधारित है। खंड 5 में आरक्षित विदेशी मुद्रा प्रबंधन के संचालन की समीक्षा की गई है। खंड 6 अनुसंधान गतिविधियों पर निर्धारित है जिसमें सांविधिक रिपोर्ट और अग्रणी शोध प्रकाशन शामिल हैं। खंड 7 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रूपरेखा बताता है जबकि खंड 8 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड में निष्कर्ष दिया गया है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.3 हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंक का संचार केंद्रीय बैंक की नीतियों को प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने में प्रमुख मार्गदर्शक कारक बना है। केंद्रीय बैंक के संचार का लक्ष्य स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित करते हुए अब लोगों तक व्यापक पहुंच बनाने का है। केंद्रीय बैंकों को अब न केवल इस आधार पर कि वे क्या सूचना संप्रेषित करते हैं बल्कि इस आधार पर भी आंका जाता है कि वे इसे विविध श्रोताओं तक कैसे पहुँचाते हैं।

X.4 रिज़र्व बैंक[1] की संचार नीति 2.0 16 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। रिज़र्व बैंक की संचार नीति प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करती है; यह अपने विविध कार्यक्षेत्र की परिधि में गतिविधियों की सार्वजनिक समझ में निरंतर बेहतरी का प्रयास करती है। रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को तर्कसंगत और समर्थित सूचना के साथ विश्लेषण प्रदान करके अपनी नीतिगत अवस्थिति और उभरती स्थिति के बारे में अपने आकलन को संप्रेषित करना है। रिजर्व बैंक की संचार नीति का लक्ष्य[2] इसके बहुआयामी उद्देश्यों का पारदर्शी संचार, स्पष्ट व्याख्या और सटीक अभिव्यक्ति है। संयुक्त अधिदेश इसके प्रभावी कामकाज के लिए और साथ-साथ इसके नीतिगत साधनों की बढ़ती सीमाओं के पक्ष में खुले, स्पष्ट और संरचनागत संचार को आवश्यक बना देता है।

X.5 संचार नीति 2.0 संचार के उद्देश्य और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, यह रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि नीति *(उत्कर्ष)* के साथ सम्बद्ध है और यह मौद्रिक नीति संचार (विशेष रूप से मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा विवेचना के बाद), वित्तीय स्थिरता संचार और संकट के समय संचार के साथ-साथ केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा संचार पर जोर देते हुए संचार के अन्य चैनल के रूप में सोशल मीडिया को मान्यता देती है। इसके अलावा संचार नीति 2.0 पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति, संचार के तरीकों में बदलाव और केंद्रीय बैंक संचार से संबंधित अन्य गतिविधियों को समाहित करती है।

X.6 भारतीय रिज़र्व बैंक जन जागरूकता पहलों के माध्यम से लक्षित दर्शकों[3] के आधार पर अनुकूलित संचार का प्रसार करता है और रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में माइक्रोसाइट करता है। रिजर्व बैंक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक माध्यमों से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, वित्तीय बाजार प्रतिभागियों, बैंकरों, वित्तीय पत्रकारों और अन्य वित्तीय रूप से जानकार समुदायों तक पहुंचता है और आम जनता के साथ मजबूत संपर्क बनाए रखता है (बॉक्स X.I)।

[1] पहली संचार नीति 2008 में तैयार की गई थी जिसमें संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे परिपत्रों/अधिसूचनाओं/निर्देशों, नीति वक्तव्यों, प्रेस विज्ञप्तियों, सांविधिक प्रकाशनों और नीतिगत औचित्य एवं मंशा के साथ भाषणों और उनके अपेक्षित परिणामों को सम्बद्ध किया गया था।

[2] रिज़र्व बैंक की संचार नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं: (i) अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों पर स्पष्टता; (ii) अपने नीतिगत उपायों में विश्वास कायम करना; (iii) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में सुधार; (iv) मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बढ़ाने और अनुचित अटकलों को कम करने के लिए सभी आर्थिक एजेंटों की अपेक्षाओं को स्थिर करना; (v) वित्तीय स्थिरता पर जागरूकता बढ़ाना; (vi) न्यूनतम समय अंतराल के साथ सूचना का प्रसार; (vii) प्रभावी संचार के माध्यम से समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और (viii) इस बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक समाज के साथ व्यवहार को सुदृढ़ करना।

[3] जैसे विनियमित संस्थाएं, शोधकर्ता, विश्लेषक, शिक्षाविद, रेटिंग एजेंसियां, मीडिया, अन्य केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय संस्थान, बाजार प्रतिभागी, सरकारी एजेंसियां और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, रक्षा कर्मियों और स्कूली बच्चों सहित जनता के सदस्य।

बॉक्स X.1
केंद्रीय बैंक की पहुँच तथा जन जागरुकता

लक्षित दर्शकों के आधार पर अनुकूलित संचार का प्रसार करने की अपनी नीति के अलावा रिज़र्व बैंक की संचार नीति 2.0 के व्यापक लक्ष्यों में से एक के अनुरूप रिज़र्व बैंक जन जागरूकता अभियानों से आम जनता तक पहुंचने के साथ-साथ ऐसे दर्शकों तक रिज़र्व बैंक की वेबसाइट, मीडिया इंटरफ़ेस, अनौपचारिक कार्यशालाओं और सोशल मीडिया जैसे कई चैनलों के माध्यम से पहुँचता है। इनके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हित के लक्ष्य आधारित संचार भी जारी किए गए और रिजर्व बैंक की वेबसाइट के 'आरबीआई कहता है' पेज के तहत और यूट्यूब चैनल पर रखा गया है जो कि बैंकिंग नियमों और प्रथाओं के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई एक बहु-मीडिया और बहुभाषी सर्वोत्कृष्ट जन जागरूकता पहल है। जागरूकता अभियानों के आभासी तरीके भी जनता के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं, विशेषकर कोविड -19 की महामारी के दौरान।

नई पहल

वर्ष 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आम जनता तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख पहलें कीं:

- रैप गीत के माध्यम से जागरूकता फैलाना जो कि लोगों को पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों से अपनेआप को बचाते हुए डिजिटल रूप से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के विरुद्ध लोगों को चेतावनी देने के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया और भवानी देवी के साथ एक खेल प्रसारण चैनल के माध्यम से जुड़ना। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए प्रसारण का समय ओलंपिक खेल आयोजनों के साथ किया गया था।
- वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 में एक रचनात्मक परिवर्तन देखा गया जब रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के लिए अपने शुभंकर 'मनी कुमार' को एनिमेट किया।
- अपने शुभंकर 'मनी कुमार' के साथ एक एनिमेटेड डांस वीडियो और गीत के माध्यम से डिजिटल रूप से लेन-देन करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना, जिसे टीवी चैनलों और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया था।
- "साइबर सुरक्षित कैसे रहें" यह संदेश फैलाने के लिए एक लोकप्रिय किड्स डांस शो के साथ सम्बद्ध होना।
- वित्तीय जागरूकता संदेश देने के लिए विभिन्न भाषाओं में *कौन बनेगा करोड़पति* जैसे लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम का प्रयोग करना ।

इन जन जागरूकता अभियानों के अलावा रिज़र्व बैंक लगातार अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है और सोशल मीडिया पर प्रसारित व्यवस्थित दोतरफा संचार और जुड़ाव की परिकल्पना करता है।

स्रोत : आरबीआई

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

X.7 पिछले वर्ष विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

आरबीआई संग्रहालय का एक नया खंड जनता के लिए खोलना जो रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों और कार्यों के लिए समर्पित होगा(पैरा. X.8);

- बेहतर सूचना संरचना के साथ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट को सशक्त करना (पैरा. X.9);
- महत्वपूर्ण विनियामक और बैंकिंग संबंधी मुद्दों पर स्थानीय मीडिया के लिए वर्चुअल/भौतिक कार्यशालाओं/सत्रों का संचालन जारी रखना (पैरा. X.10); तथा
- जनता के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों, सोशल मीडिया उपस्थिति और संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग करना(पैरा. X.11-X.13) ।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आरबीआई संग्रहालय का दूसरा चरण

X.8 कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में स्थित आरबीआई संग्रहालय के दूसरे चरण के लिए मानस दर्शन और प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। इसमें रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों पर आधारित प्रदर्शन प्रस्तुत होगा जैसे मुद्रा प्रबंधन, बैंकों के बैंकर, सरकार के बैंकर, वित्तीय बाजार, मौद्रिक नीति, विनियमन और पर्यवेक्षण,

विदेशी मुद्रा और भारतीय वित्तीय प्रणाली में रिजर्व बैंक की भूमिका।

रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में सुधार करना

X.9 रिजर्व बैंक की वेबसाइट को बदलने और फिर से डिजाइन करने का काम खुली और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद सौंपा गया है। रिजर्व बैंक की संशोधित और पुन: डिज़ाइन की गई वेबसाइट के 2022-23 में प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

स्थानीय मीडियाकर्मियों के लिए कार्यशाला

X.10 रिज़र्व बैंक स्थानीय मीडिया के साथ नियमित कार्यशालाएँ और चर्चाएं आयोजित करता है ताकि मीडियाकर्मियों को रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों से परिचित कराया जा सके। यह रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों की स्पष्ट समझ को बढ़ावा देता है और बदले में इसके विनियमों, नीतिगत कार्रवाइयों और निर्णयों पर बेहतर सूचनाप्रद रिपोर्टिंग को बढ़ावा देता है। सितंबर 2021 में हैदराबाद में स्थानीय मीडिया के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सोशल मीडिया कमांड केंद्र

X.11 विभाग ने सोशल और डिजिटल मीडिया पर रिजर्व बैंक से संबंधित संचार की निगरानी के लिए लगभग वास्तविक समय आधार पर एक सोशल मीडिया कमांड सेंटर स्थापित किया है। मीडिया निगरानी पर विशिष्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक लगातार अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है और परिकल्पना करता है कि आगे चलकर सोशल मीडिया के साथ संरचनात्मक दोतरफा संचार और सम्बद्ध हो (सारिणी X.1)।

जन जागरुकता अभियान

X.12 रिज़र्व बैंक ने मीडिया चैनलों जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल, होर्डिंग्स और एसएमएस के माध्यम से समावेशी मास मीडिया जन जागरूकता अभियान चलाना जारी रखा। सिनेमा हॉल के माध्यम से अभियान को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रोके रखा गया। रिजर्व बैंक ने टेलीविजन पर उच्च प्रभाव वाले अनोखे कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), *कौन बनेगा करोड़पति* (केबीसी), यूरो कप, ओलंपिक, *कोन होनार करोड़पति* (केबीसी का मराठी संस्करण), *इवरु मीलो कोटेश्वरलु* (केबीसी का तेलुगु संस्करण) और दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो पर वर्षभर चलने वाला अभियान। जैसा कि पहले ही बॉक्स X.1 में बताया गया है, 2021 में रिज़र्व बैंक ने व्यापक जनता तक पहुंचने के लिए कुछ नई पहल भी शुरू कीं।

सारणी X.1: सोशल मीडिया पर फॉलोइंग (31 मार्च 2022 के अनुसार)

मंच	सोशल मीडिया हैंडल/ पेज का नाम	विमोचन का समय	फॉलोवरों/ सब्सक्राइबरों की संख्या
1	2	3	4
ट्विटर	i. @RBI	जनवरी 2012	15.70 लाख
	ii. @RBIsays	अगस्त 2019	1.13 लाख
यूट्यूब	Reserve Bank of India	अगस्त 2013	1.11 lakh
फेसबुक	i. @RBIsays	अगस्त 2019	5,526
	ii. @therbimuseum	फरवरी 2020	1,127
इंस्टाग्राम	@reservebankofindia	जनवरी 2022	9,381

स्रोत: आरबीआई

X.13 रिज़र्व बैंक सोशल मीडिया के माध्यम से भी जन जागरुकता फैलाता है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तथा यूट्यूब।

अन्य पहल

संचार सेमिनार

X.14 इस वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन के लिए तीन संचार सेमिनार आयोजित किए गए। संचार सेमिनारों के उद्देश्य थे: (i) बाह्य संचार की बारीकियों पर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ जुड़ना; (ii) क्षेत्रीय निदेशकों, बैंकिंग लोकपालों और प्रभारी

अधिकारियों को उनके कार्यात्मक या भौगोलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मीडिया सहित हितधारकों के साथ संवाद करने में सहायता देना; और (iii) वरिष्ठ प्रबंधन को संकट के समय संचार के लिए नीतियों और तकनीकों से लैस करना।

X.15 कार्यपालक निदेशकों के लिए काशीद, महाराष्ट्र में 7 अगस्त 2021 को एक संचार सेमिनार का आयोजन किया गया और 30 जुलाई और 20 दिसंबर 2021 को क्रमशः बेंगलुरु और अमृतसर में क्षेत्रीय निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों/प्रभारी अधिकारियों और लोकपालों के लिए दो संचार सेमिनारों का आयोजन किया गया।

मीडिया से अनौपचारिक चर्चा

X.16 द्विमासिक अंतराल पर निर्धारित मौद्रिक नीति की घोषणा के दिन आयोजित सुनियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा रिज़र्व बैंक प्रत्येक मौद्रिक नीति की घोषणा से कुछ दिनों बाद या जब भी इस तरह की भागीदारी आवश्यक महसूस हो, अनौपचारिक परिवेश में सुनियोजित रुप से मीडिया के साथ चर्चा आयोजित करता है। प्रमुख नीतिगत निर्णयों की पृष्ठभूमि समझाने, मीडियाकर्मियों से प्रतिक्रिया लेने और कार्यक्षेत्र संबंधी उनकी शंकाओं और चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए 2021-22 के दौरान 16 ऐसी चर्चाएं हुईं।

भारतीय रिज़र्व बैंक वेबसाइट

X.17 वर्ष के दौरान, फिनटेक विभाग और रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के समन्वय से एक नई फिनटेक माइक्रोसाइट लाइव हुई।

X.18 वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग ने 1,953 प्रेस विज्ञप्तियां, 200 अधिसूचनाएं/परिपत्र, 16 मास्टर निर्देश जारी किए और शीर्ष प्रबंधन के 37 साक्षात्कार/भाषण, आरबीआई की छह रिपोर्टें, 10 वर्किंग पेपर, 1,026 निविदाएं और 97 भर्ती संबंधी विज्ञापन अपलोड किए।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

X.19 वर्ष 2022-23 के दौरान रिज़र्व बैंक के संचार माध्यमों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा, और प्रयास किए जाएंगे कि:

बैंक की वेबसाइट में बेहतर सूचना संरचना के साथ सुधार किया जाए *(उत्कर्ष)*;

- इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आम जनता के साथ और अधिक जुड़ जाए और दो-तरफा संचार माध्यम के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर सुना जाए*(उत्कर्ष)*;
- संवादात्मक अभियानों के लिए चित्र, एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर जन जागरूकता संदेशों की परतें तैयार की जाएं ताकि अंतिम छोर तक जुड़ा जा सके;
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर लक्षित मीडिया की निगरानी की जाए;
- रिज़र्व बैंक की आंतरिक और बाहरी संचार सामग्री को सरल बनाने की दिशा में लिखित संचार की शैली और उपयोग पर पुनर्विचार किया जाए तथा
- प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियानों के असर का मूल्यांकन किया जाए।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.20 रिज़र्व बैंक ने 2021-22 के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को और सुदृढ़ किया।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

X.21 विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी20 के इंटरनेशनल फायनेंशियल आर्किटेक्चरल वर्किंग ग्रुप (आईएफएडब्ल्यूजी) से संबंधित

मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.22-X.23];

- भारत में आईएमएफ मिशन द्वारा आईएमएफ अनुच्छेद IV की निगरानी का सफलतापूर्वक समापन *(उत्कर्ष)* [पैरा. X.24];
- ब्रिक्स सहित विभिन्न पहलों के तहत कार्रवाई जारी रखी *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.25-X.28];
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) देशों को समर्थन देना जारी रखें *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.29-X.30] और
- 2023 में अध्यक्षता पाने के लिए जी20 के साथ संबंधों को मजबूत करना (पैरा.X.31)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

आईएमएफ और आईएफए संबंधी मामले

X.22 विभाग ने जी20 आईएफए डब्ल्यूजी की बैठकों में भाग लिया और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) की पर्याप्तता और आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआरों) के नए सामान्य आवंटन से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्रदान की।

X.23 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2021 में आभासी तौर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की द्विवार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए जानकारी प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई।) और आईएमएफ के बीच एक नए नोट खरीद करार (एनपीए) 2020 पर हस्ताक्षर किए गए। यह एनपीए 2020 जो 3.9 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का है, 24 सितंबर 2021 से प्रभावी है।

X.24 महामारी को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2021 में आईएमएफ के साथ अनुच्छेद IV का कार्य आभासी प्रारूप में किया गया था। विभाग ने नियमित रूप से आईएमएफ के विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग लिया जैसे कि विनिमय व्यवस्था और विनिमय प्रतिबंध (एआरईएईआर) पर वार्षिक रिपोर्ट, समष्टिगत विवेकपूर्ण नीति सर्वेक्षण और जलवायु जोखिमों एवं साइबर जोखिमों पर सर्वेक्षण। विभाग ने आईएमएफ के क्षमता वर्धन का आकलन करने के लिए आईएमएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (आईईओ) सर्वेक्षण में भी भाग लिया।

X.25 विभाग ने रिजर्व बैंक के रुख को सुदृढ़ किया और वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मुद्दों पर जानकारी प्रदान की। विभाग ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ निकटता से काम किया और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय, एकाधिकपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए जानकारी प्रदान की।

X.26 विभाग ने, विश्व बैंक के भारत विकास सामयिकी 2021 के लिए जानकारी प्रदान की, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की संहिताओं पर सलाहकार कार्य बल (एटीएफसी) की बैठकों में भाग लिया और एशियाई विकास बैंक के एशियाई लघु और मध्यम आकार उद्यम अनुवीक्षण (एएसएम) 2021 को पूरा करने के लिए समन्वय का कार्य किया।

ब्रिक्स, सार्क तथा द्विपक्षीय सहयोग

X.27 वर्ष 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में रिज़र्व बैंक ने 2021 में ब्रिक्स केंद्रीय बैंक वर्कस्ट्रीम का नेतृत्व किया (बॉक्स X.2), जिसके कारण 9 सितंबर 2021 को आयोजित XIII ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं की नई दिल्ली घोषणा जारी हुई।

X.28 रिजर्व बैंक ने 2021 में आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए) के आईएमएफ से जुड़े भाग का पहला परीक्षण किया और सीआरए एवं आईएमएफ के बीच समन्वय के लिए एक संरचना स्थापित करने की चर्चा शुरू की।

X.29 रिज़र्व बैंक ने तीन सार्क केंद्रीय बैंकों को कुल 1.05 बिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा स्वैप सहायता प्रदान की।

बॉक्स X.2

ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता – आरबीआई की उपलब्धियां

वर्ष 2021 के दौरान भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कीं:

- वर्ष के दौरान वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी), वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनियोक्ताओं/प्रतिनिधियों (एफसीबीडी), सीआरए शासी परिषद (जीसी), सीआरए स्थायी समिति (एससी) और सीआरए तकनीकी और अनुसंधान समूहों की ब्रिक्स की कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं।
- सीआरए अनुसंधान समूह के तत्वावधान में *"नैविगेटिंग द ऑनगोइंग पैनडेमिक : द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेज़ीलियंस एंड रिकवरी"* थीम के साथ दि ब्रिक्स इकॉनोमिक बुलेटिन 2021 प्रकाशित किया गया।
- वित्तीय क्षेत्र में हो रहे साइबर हमलों का मुकाबला करने में साइबर खतरों पर सूचनाओं के आदान-प्रदान और अनुभव को साझा करके ब्रिक्स ने 2021 में अपने सहयोग को सुदृढ़ किया।
- वर्ष 2021 के दौरान "इंफोर्मेशन सेक्यूरिटी रेगुलेशन इन फायनेंस", "कंपेंडियम ऑफ ब्रिक्स बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑन इंफोर्मेशन सेक्यूरिटी रिस्कस्: सुपरवीज़न एंड कंट्रोल", "ब्रिक्स डिजीटल फायनेंशियल इंक्लूज़न रिपोर्ट" विषय पर ब्रिक्स ई-बुक्लेट महत्वपूर्ण प्रकाशन थे।
- "सूचना सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण" पर 15 दिसंबर 2021 को ब्रिक्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने कई पहल की हैं जिसमें "कोविड -19: हेडविंड्स एंड टेलविंड्स फॉर बीओपी ऑफ द ब्रिक्स" विषय पर ब्रिक्स का सहयोगात्मक अध्ययन और सीआरए के तहत आईएमएफ के साथ वार्ता शामिल है।
- ब्रिक्स भुगतान कार्यबल (बीपीटीएफ) ने ब्रिक्स देशों के बीच भुगतान प्रणालियों पर सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए 2021 में विभिन्न उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान बीपीटीएफ वार्षिक रिपोर्ट 2021 और सीआरए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई।

स्रोत : आरबीआई

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए सार्कफाइनांस छात्रवृत्ति योजना के तहत रिज़र्व बैंक ने मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/ संस्थान में उच्च अध्ययन के लिए चार उम्मीदवारों का चयन किया जिनमें से दो बांग्लादेश बैंक से और एक-एक रॉयल मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान और नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) से हैं। ।

X.30 एनआरबी द्वारा मेजबानी की गई चौथी संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी) की बैठक आभासी रूप से 6 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। बैठक में एनआरबी द्वारा मुद्रा प्रबंधन, टी-बिल में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली पर उठाए गए मुद्दों और विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा शामिल थी।

जी 20 तथा इसके कार्य दल

X.31 विभाग ने इतालवी और इंडोनेशियाई अध्यक्षता के अंतर्गत कार्यसूची के मदों के लिए अनुसंधान सारांश/ इनपुट प्रदान किए। 2023 की भारतीय अध्यक्षता से पहले दिसंबर 2021 से भारत जी 20 ट्रोइका में शामिल हो गया है।

अन्य गतिविधियां

बीआईएस गतिविधियां

X.32 विभाग ने विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस) सहित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के लिए बैंक की विभिन्न बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दों पर आरबीआई के रुख को स्वरूप दिया।

X.33 विभाग ने विभिन्न बीआईएस सर्वेक्षणों में योगदान दिया जिसमें मूल्य स्थिरता से परे केंद्रीय बैंक के अधिदेश, महामारी के बाद के काम करने के तरीकों और जन जागरूकता और केंद्रीय बैंकों की धारणा को मापने के लिए जनमत सर्वेक्षण शामिल हैं। गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) और सरकारी बॉन्ड बाजारों के कामकाज विषय पर सीजीएफएस की कार्यशाला में रिज़र्व बैंक की भागीदारी का समन्वय भी विभाग ने किया। इसके अलावा विभाग ने बीआईएस बोर्ड और उसकी प्रशासनिक समिति से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता और जानकारी भी प्रदान किया।

वैश्विक वित्तीय विनियमन संबंधी एफएसबी पहल

X.34 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की विभिन्न समितियों और कार्य दलों में भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए विभाग ने जानकारी तैयार की।

X.35 एफएसबी के क्षेत्रीय सलाहकार समूह, एशिया (आरसीजी-एशिया) की भारत द्वारा सह-अध्यक्षता में विभाग ने आभासी मोड में आरसीजीए की दो बैठकें आयोजित कीं। एनबीएफआई से वैश्विक रुझानों और जोखिमों का आकलन करने के लिए एफएसबी की वार्षिक निगरानी प्रक्रिया में योगदान दिया गया। विभाग ने एफएसबी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों[4] के लिए भी जानकारी प्रदान की।

X.36 रिज़र्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम[5] (एनजीएफएस) में शामिल हुआ और विभाग ने इसके परिणामों के लिए किए गए प्रयास का नेतृत्व किया। रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंक के एक सदस्य के रूप में एनजीएफएस के कार्य में योगदान देता रहा है (बॉक्स X.3)।

X.37 विभाग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता/बैठकों और विभिन्न अन्य द्विपक्षीय मुद्दों के लिए नोडल केंद्र है।

अन्य गतिविधियां

X.38 रिज़र्व बैंक ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) और दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) केंद्र के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखी। बाहरी एजेंसियों द्वारा आईएमएफ के एसएआरटीटीएसी संचालन के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए विभाग ने सुविधा प्रदान की।

X.39 भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के बीच तीसरे वरिष्ठ स्तरीय संवाद (एसएलडी) का आयोजन और मेजबानी 29 नवंबर 2021 को एक आभासी प्रारूप में की गई। दो केंद्रीय बैंकों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने, सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करने और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग को बल प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष एसएलडी आयोजित किया जाता है।

बॉक्स X.3
एनजीएफएस ग्लासगो घोषणा और भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता

सीओपी26 में योगदान के रूप में एनजीएफएस ने *"एनजीएफएस ग्लासगो घोषणा: कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध"* जारी किया, जिसमें इसने जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों के लिए वित्तीय प्रणाली की प्रतिरोधक्षमता में सुधार करने तथा एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर अंतरण का समर्थन करने के लिए भविष्य की योजनाएँ निर्धारित कीं।।

इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने 3 नवंबर 2021 को *भारत के लिए हरित वित्तीय प्रणाली के समर्थन में प्रतिबद्धता* भी प्रकाशित की। रिज़र्व बैंक व्यापक तौर पर एनजीएफएस घोषणा का समर्थन करता है। विशेष रूप से, भारत की वित्तीय प्रणाली की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाने के लिए एक प्रतिबद्धता की गई है कि रिजर्व बैंक की निगरानी वाली संस्थाओं के तुलन पत्र और बिजनेस मॉडल में कमजोरियों की पहचान करने के लिए जलवायु परिदृश्य अभ्यास का उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही रिज़र्व बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों को वित्तीय स्थिरता निगरानी में एकीकृत करने का प्रयास करेगा और विनियमित वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता भी फैलाएगा।

संदर्भ:

1. एनएफएस ग्लासगो डिक्लेरेशन : कमिटेड टू एक्शन, ग्लासगो, 3 नवंबर 2021।
2. आरबीआई, भारत के लिए हरित वित्तीय प्रणाली के समर्थन में प्रतिबद्धता की घोषणा – एनजीएफएस, 3 नवंबर।

4 वित्तीय संस्थानों में जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण पर सर्वेक्षण, लीवरेज्ड ऋण की परिभाषाओं पर सर्वेक्षण, ओटीसी डेरिवेटिव में सुधारों के कार्यान्वयन पर सर्वेक्षण, कॉर्पोरेट ऋण वर्कआउट की विषयगत विद्वत समीक्षा और साइबर घटना रिपोर्टिंग पर सर्वेक्षण।

5 एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो वित्तीय क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है।

वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

X.40 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग निम्नलिखित उपलब्धियों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- जी20 के आईएफए डब्ल्यूजी के तहत मुद्दों सहित बहुपक्षीय संस्थानों के साथ गतिविधियों को बढ़ाना;
- जी20 की 2023 में भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडा के प्राथमिकताओं पर विचार करने, परिणामों/डिलिवरेबल्स का सुझाव देने और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित जी20 वित्त ट्रैक एजेंडा के लिए सलाहकार समूह में भागीदारी;
- भारत 1 दिसंबर 2022 को जी20 की अध्यक्षता संभालेगा और भारत सरकार के सहयोग से कई उच्च स्तरीय और कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित की जाएंगी;
- औपचारिक समझौता ज्ञापनों या अन्यथा माध्यमों से सार्क और अन्य देशों के लिए उद्भासन(एक्सपोजर) दौरों और क्षमता निर्माण सहायता को बढ़ाना और
- गतिविधि के विभिन्न चैनलों के माध्यम से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के सहयोग को मजबूत करना।

4. सरकारी और बैंक लेखा

X.41 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिज़र्व बैंक के आंतरिक लेखों की देखभाल और लेखांकन नीतियों के निर्धारण के अलावा बैंकों के बैंकर और सरकार के बैकंर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों की देखरेख करता है।

वर्ष 2021-22 की कार्यसूची

X.42 पिछले वर्ष विभाग ने *उत्कर्ष* के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- ई-भुगतान और ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण की वर्तमान कार्य योजना को पूरा करना (पैरा.X.43) और
- ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेन की स्वयं निगरानी करने के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना (पैरा.X.44)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

ई-भुगतान और ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के एकीकरण की वर्तमान कार्य योजना को पूरा करना

X.43 वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के समन्वय में केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली को सर्व सामान्य प्रयोग के लिए विस्तारित किया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) को ई-पेमेंट के लिए ऑन-बोर्ड किया गया है और दो राज्य सरकारों के लिए परीक्षण पूरा कर लिया है और उनके जल्द ही ऑन-बोर्ड होने की उम्मीद है। दो अन्य राज्य सरकारें ई-कुबेर के साथ एकीकरण के लिए अपनी आंतरिक प्रणालियों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में हैं।

ई-रसीदों और ई-भुगतान लेनदेन की स्वयं निगरानी करने के लिए सरकारों को डैशबोर्ड सुविधा प्रदान करना

X.44 यह सुविधा डिजाइन/विकास के उन्नत चरणों में है और इसे सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण पहल

अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंक के रूप में शामिल करना

X.45 वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नए या अतिरिक्त सरकारी कारोबार करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के बाद अनुसूचित

निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए अपने एजेंसी के तौर पर अधिकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए। 31 मार्च 2022 के अनुसार 31 एजेंसी बैंक हैं जिनमें सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (समामेलन के बाद) और 19 अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं जो रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी कारोबार कर रहे हैं।

जीएसटी फ्रेमवर्क में ऑनलाइन त्रुटि का ज्ञापन(एमओई) प्रक्रिया की सभी राज्य सरकारों को विस्तारण

X.46 वर्ष के दौरान जीएसटी लेनदेन के समन्वय के लिए ऑनलाइन एमओई प्रक्रिया को सात और राज्य सरकारों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2022 के अनुसार 14 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन एमओई प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। इसके अलावा एक राज्य सरकार ने परीक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही इसके शुरु होने की उम्मीद है, नौ अन्य राज्य सरकारें परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

आईसीईजीएटीई के ई-पेमेंट गेटवे के साथ द्रुत चेक समाशोधन प्रणाली(ईसीसीएस) का एकीकरण

X.47 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क भुगतान के लिए 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक का *ई-कुबेर* केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) प्रणाली के साथ एकीकृत है। वर्ष के दौरान ईसीसीएस को अगस्त 2021 से आईसीईजीएटीई भुगतान गेटवे के माध्यम से ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया और इस प्रकार करदाताओं द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान विकल्प का उपयोग करके रिजर्व बैंक में रखे गए सीबीआईसी के खातों में सीधे आवश्यक शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सका।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) को सर्व सामान्य बनाना

X.48 जैसा कि फरवरी 2021 के केंद्रीय बजट भाषण में घोषित किया गया था और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 22 फरवरी 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार टीएसए प्रणाली को महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय के समन्वय से सर्व सामान्य प्रयोग के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

अन्य गतिविधियां

X.49 वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के माध्यम से खाता सत्यापन की सुविधा शुरू की गई थी और इसमें तीन राज्य सरकारों को शामिल किया गया है।

X.50 *ई-कुबेर* के माध्यम से सरकारों के लिए *आधार* भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) भुगतान की सुविधा को सक्षम किया गया है और वर्ष के दौरान एक राज्य सरकार को शामिल किया गया है।

X.51 एक्सएमएल आधारित अधिसूचना के माध्यम से भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) में परिवर्तन का सरकारी प्रणालियों को प्रसार की सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है जो ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत है।

X.52 एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) वेब-आधारित समन्वय प्रणाली प्रदान करने की सुविधा महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से कार्यान्वित की जा रही है।

X.53 रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) का कार्यालय सीजीडीए के स्पर्श [पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली (रक्षा)] के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से भारत-नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत नेपाल-निवासी पेंशनभोगियों को रक्षा पेंशन भुगतान को सक्षम करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना

X.54 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग *उत्कर्ष* के अनुसार निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- ई-कुबेर और सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से अंतर-सरकारी समायोजन सूचना सहित केंद्रीय सिविल मंत्रालयों द्वारा भुगतान (गैर-पेंशन) को बढ़ाना;

- पहले से ही ई-कुबेर के साथ एकीकृत राज्य सरकारों के ई-भुगतान लेनदेन (गैर-पेंशन) को बढ़ाना;
- प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-रसीदों हेतु राज्य सरकारों का ई-कुबेर के साथ एकीकरण;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष राज्य सरकारों को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना और
- एजेंसी बैंकों की ऑनबोर्डिंग ताकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आईसीईजीएटीई पोर्टल के माध्यम से सीमा शुल्क प्राप्तियों को जमा किया जा सके।

5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.55 रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है और उस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की एक नई स्थिति उत्पन्न कर दी है जो पहले से ही महामारी प्रवृत्त सदमे से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह संघर्ष मुख्य रूप से मुद्रास्फीति चैनल के माध्यम से वैश्विक समष्टि-अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, हालांकि संघर्ष के लंबे समय तक बढ़ने पर विकास पर भी असर पड़ने की संभावना है। गतिशील वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, सुरक्षा, तरलता और व्यवस्था में वापसी के इस माहौल ने निवेश उद्देश्यों के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) प्रबंधन के लिए बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) को मार्गदर्शित करना जारी रखा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एफईआर में पिछले वर्ष की 20.8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2021-22 के दौरान 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई।

X.56 सोने ने पारंपरिक रूप से आरक्षित निधि प्रबंधन में कई लाभ प्रदान किए हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट जोखिम न होना, पोर्टफोलियो का विविधीकरण, अन्य आस्ति वर्गों के साथ कम संबंध और वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों के दौरान सुरक्षित निवेश (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4

वित्तीय चक्र के विभिन्न चरणों में वित्तीय आस्ति के रूप में सोना

सोना वित्तीय संपत्ति के गुणों वाली एक अनूठी आस्ति है। सोना विविधिकरण का कार्य करता है और बाजार में तनाव की स्थिति में हानि को कम करने का एक साधन है। दीर्घावधि में सोने ने सकारात्मक प्रतिफल दिया है जो अक्सर अन्य प्रमुख परिसंपत्ति वर्गों (चार्ट 1) से बेहतर परिणाम देता है। अमेरिकी डॉलर और सोने की कीमत के बीच नकारात्मक संबंध के संदर्भ में, कई विश्लेषकों और शोधकर्ताओं के अवलोकन के अनुसार, पुक्थुएंथोंग एंड रोल (2011) ने यह दिखाया कि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में सोने की कीमत बढ़ जाती है जबकि अमेरिकी डॉलर का अन्य मुद्राओं के मुकाबले मूल्यह्रास होता है। उन्होंने आगे यह दिखाया कि डॉलर के संबंध में सोने के मूल्य की गिरावट हर देश में मुद्रा के मूल्यह्रास से जुड़ी हो सकती है।

वित्तीय चक्र का निर्माण वित्तीय प्रणाली में उत्पन्न होने वाले आर्थिक उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जा सकता है। यह आम तौर पर अपनेआप को ऋण समुच्चयों और परिसंपत्ति की कीमतों के बीच सह-संचलन के रूप में व्यक्त करता है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) ने वित्तीय चक्रों के अध्ययन में रुचि को पुन: प्रासंगिक बना दिया है। स्ट्रेममेल (2015) ने यूरोपीय वित्तीय चक्रों के प्रमुख घटकों की पहचान तकनीकों के निर्माण और विभिन्न वित्तीय संकेतकों जैसे ऋण समुच्चय, परिसंपत्ति की कीमतों और बैंकिंग क्षेत्र के चर के वैषम्य के रूप में की है। अभी हाल ही में पोटजागैलो और वोल्टर्स (2020) ने एक परिवर्ती समय गतिशील

चार्ट 1: स्वर्ण बनाम अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक प्रतिफल

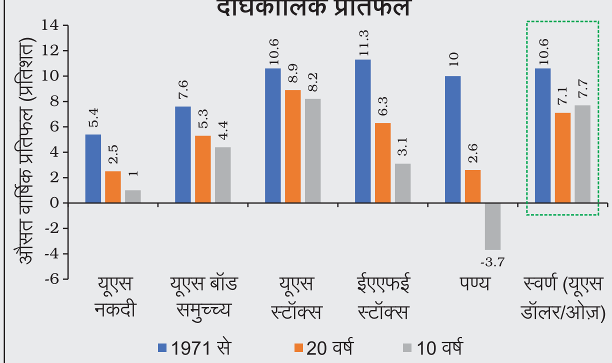

स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

(जारी)

कारक मॉडल का उपयोग 130 वर्षों में 17 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के ऋण, घर की कीमतों, इक्विटी कीमतों और ब्याज दरों में सह-संचरण का विश्लेषण करने के लिए किया। उन्होंने वित्तीय चरों के साथ-साथ विभिन्न मापों और आयामों के चर-विशिष्ट वैश्विक चक्रों में वैश्विक सह-संचरण का निरीक्षण किया है। वैश्विक चक्रों ने समय के साथ प्रासंगिकता प्राप्त की है। इक्विटी कीमतों के लिए वे अब अधिकांश देशों में उतार-चढ़ाव के मुख्य कारक हैं। ऋण और आवास के मामले में वैश्विक चक्र 1980 के दशक के बाद से बहुत अधिक सुस्पष्ट और दीर्घकालिक हो गए हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता केवल आर्थिक रूप से खुली और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उप-समूह के लिए बढ़ी है।

वित्तीय चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान वित्तीय आस्ति के रूप में सोने के प्रदर्शन की जांच बैक्सटर-किंग फिल्टर और हार्डिंग और पैगन के साइकिल डेटिंग एल्गोरिदम के संयोजन का उपयोग करके की गई है। इसका उपयोग ऋण से जीडीपी और जीडीपी भारित इक्विटी सूचकांकों से वित्तीय चक्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संपत्ति चक्र का निर्धारण करने के लिए, कीमतों में जीडीपी भारित प्रतिशत बदलाव को नकारात्मक और सकारात्मक अवधि के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष अलग किया गया था। उपरोक्त विधियों के उपयोग का उद्देश्य अध्ययन के लिए सार्थक चक्रों का निर्माण करना है। यह वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों में सोने के प्रतिफल और व्याख्यात्मक चर के बीच संबंध को समझने में मदद करता है।

पहले के अध्ययनों और प्रयोगसिद्ध निष्कर्षों के अनुसार सोने की कीमत अमरीकी डालर के प्रदर्शन से प्रेरित होती है। निस्यंदित/छन्ने हुए क्रेडिट, इक्विटी और संपत्ति चक्र में आयाम और अवधि के संदर्भ में अद्वितीय विशेषताएं हैं जो वित्तीय बाजारों से अपेक्षित हैं। 21 वर्षों के एक उदाहरण में दोनों चक्र दो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय घटनाओं (2001 में बाजार की भारी गिरावट और 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट) से पहले चरम पर थे। हालांकि यह देखा गया कि ऋण चक्र से पहले इक्विटी चक्र चरम पर पहुंच जाता है। इसका कारण ऋण और इक्विटी बाजारों की प्रकृति से समझाया जा सकता है क्योंकि ऋण की वृद्धि और ह्रास की तुलना में इक्विटी सूचकांक के बदलाव में अधिक समय लगता है। दोनों चक्र वैश्विक वित्तीय संकट से पहले चरम पर पहुँचते हैं। इस अवलोकन को क्लासेन्स, कोस और टेरोन्स (2011) ने समर्थन दिया है कि ऋण और आवास बाजारों में उछाल के साथ होने वाली वसूली अपेक्षाकृत सुदृढ़ होती है। विभिन्न वित्तीय चक्रों के विभिन्न चरणों के अवलोकनों से पता चलता है कि यूएसडी को अधिक जोखिम बचाव प्रदान करने के अलावा अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बीच एक सुरक्षित आस्ति के रूप में भी सोने के प्रदर्शन में वित्तीय चक्रों के हाल के चरणों में सुधार हुआ है।

संदर्भ:

1. क्लासेन्स, कोस और टेरोन्स (2011), “हाउ डू बिज़नेस एंड फायनेंशियल साइकिल्स इंटरैक्ट?'. *आईएमएफ वर्किंग पेपर,* आईएमएफ
2. पुक्थुएंथोंग, के. एंड रोल, आर (2011), 'गोल्ड एंड द डॉलर (एंड द यूरो, पाउंद एंड येन)', *जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस,* 35(8), 2070-2083.
3. पोटजागैलो और वोल्टर्स (2020), 'ग्लोबल फायनेंशियल साइकिल्स सिंस 1880', *स्टाफ वर्किंग पेपर*, नं 867, बैंक ऑफ इंग्लैंड
4. रंजन, अनिकेत और नवीन कुमार (2022), 'परफार्मेंस ऑफ गोल्ड एज़ अ फायनेंशियल असेट ड्यूरिंग डिफ्फरेंट फेज़ेस ऑफ फायनेंशियल साइकिल्स', सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क (एसएसआरएन), मार्च
5. स्ट्रैममेल, एच.(2015), 'कैप्चरिंग द फायनेंशियल साइकिल इन यूरोप', *वर्किंग पेपर सीरिज़,* यूरोपियन सेंट्रल बैंक

X.57 एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) की 49वीं निदेशक मंडल की बैठक आभासी तौर पर 24 मई 2021 को हुई (अध्यक्ष: भारतीय रिजर्व बैंक) जिसमें एसीयू तंत्र में यूरो के उपयोग को फिर से शुरू करने, एसीयू प्लेटफॉर्म को विस्तारित और मजबूत करने के तरीकों, एसीयू तंत्र का उपयोग करने में निर्यातकों और आयातकों के सामने आने वाली समस्याएं, आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

X. 58 विविधीकरण नीति के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान स्वर्ण खरीदना जारी रखा। सुरक्षा और तरलता के प्राथमिक उद्देश्यों का पालन करते हुए विभाग ने विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके रिज़र्व के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को भी जारी रखा। वर्ष के दौरान नए शुरु किए गए उत्पादों जैसे विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो को बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी रही।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.59 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- एफसीए के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों, नए क्षेत्राधिकारों/बाजारों का पता लगाना जारी रखना ताकि पोर्टफोलियो का विविधीकरण किया जा सके और इस प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक

हो तो बाहरी विशेषज्ञों की सलाह का लाभ उठाना (पैरा. X.60);

- एफईआर प्रबंधन के लिए समकालीन ट्रेजरी प्रबंधन समाधान के रूप में आईटी का लाभ उठाना (*उत्कर्ष*) [पैरा. X.61]; और
- आस्तियों के लिए भारित औसत लागत की प्रणाली आधारित दैनिक गणना प्रारंभ करना (पैराग्राफ X.62)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.60 विभाग ने सुरक्षा और तरलता के प्राथमिक उद्देश्यों का पालन करते हुए एफसीए के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों/क्षेत्राधिकारों की तलाश करके आरक्षित निधियों के प्रभावी विविधीकरण को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास जारी रखे। नए शुरु किए गए उत्पादों को बढ़ाने की प्रक्रिया वर्ष के दौरान जारी रही।

X.61 विभाग ने एक नया ट्रेजरी एप्लिकेशन लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिसे 2022-23 के दौरान लाइव करने का लक्ष्य रखा गया है।

X.62 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों के लिए भारित औसत लागत की प्रणाली-आधारित दैनिक गणना को विकसित किया गया और 1 अप्रैल 2022 से कार्यान्वित किया गया।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X.63 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभावी परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए विभाग एफसीए की सुरक्षा और तरलता सुनिश्चित करते हुए नए उत्पादों/अवसरों का पता लगाना जारी रखेगा।

6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.64 अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के साथ रिजर्व बैंक एक ज्ञान केंद्र होने के कारण आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) रिज़र्व बैंक के नीति निर्माण के लिए अनुसंधान-आधारित जानकारी और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) सेवाएं प्रदान करता है। विभाग विभिन्न आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के प्राथमिक आंकड़े तैयार करता है, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें तैयार करता है, कई शोध प्रकाशन प्रकाशित है, विभिन्न परिचालन विभागों एवं और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर गठित तकनीकी समूहों/समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और बाहरी विशेषज्ञों के साथ सहयोगपूर्ण नीति-उन्मुख अनुसंधान को बढ़ावा देता है। विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों पर गौण डेटा का प्रमुख भंडार और उसका प्रसारक भी है।

X.65 कोविड -19 उचित व्यवहार और सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करते हुए विभाग ने नीतिगत उपायों के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं और विश्लेषणात्मक जानकारी समय पर प्रदान कीं। अनुसंधान और विश्लेषण से संबंधित कार्य बिना किसी व्यवधान के जारी रहे और सभी शोध-संबंधी प्रकाशन भी समय पर प्रकाशित किए गए। केंद्रीय पुस्तकालय ने अनुसंधान के लिए आवश्यक विभिन्न डेटाबेस और अन्य संदर्भ संसाधनों के लिए निर्बाध दूरस्थ पहुंच की सुविधा प्रदान की। विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंचों पर कई ज्ञान साझा करने के सत्र भी आयोजित किए।

वर्ष 2021-22 की कार्यसूची

X.66 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के आवसरिक पत्रों और वर्किंग पेपर्स में प्रकाशन के लिए शोध अध्ययनों की संख्या में वृद्धि *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.67];
- बिग डेटा एपलिकेशनों के माध्यम से समाचार-पत्र में प्रकाशन के आधार पर भविष्योन्मुखी कृषि पण्यों की कीमतों के रुझान का विश्लेषण *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.68];

- केएलईएमएस [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस)] परियोजना के तहत डेटा संकलन के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञता का विकास(पैरा.X.69); और
- कोलकाता में रिज़र्व बैंक संग्रहालय की पहली मंजिल पर एक चल अभिलेखागार प्रदर्शनी का आयोजन (पैरा.X.70)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.67 वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग ने 67 शोध पत्र/लेख प्रकाशित किए जिनमें से 20 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इसके अलावा वर्ष के दौरान आरबीआई के 10 वर्किंग पेपर और आरबीआई के आवसरिक पत्रों में आठ पेपर प्रकाशित किए गए। प्रकाशित पत्रों में विषयों की एक विस्तृत शृंखला शामिल थी जैसे भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के लीवरेज और निवेश की गतिशीलता; बैंक पूंजी विनियमों के व्यापक आर्थिक निहितार्थ; शिक्षा ऋण एनपीए; मुख्य मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाना; दीर्घकालीन बचत-निवेश संबंध; मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान लगाने के लिए मांग आपूर्ति बेमेल सूचकांक को मापना; गैर सुपुर्दगी अग्रेषण (एनडीएफ) बाजार : जलवायु परिवर्तन; भारत के बाह्य वाणिज्यिक लेनदारी के निर्धारक; ऋण चूक का सामना कर रहे बैंकों के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएँ; मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल का कार्यनिष्पादन और मौद्रिक स्थिति सूचकांक के दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति का प्रसार।

X.68 नौ प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों में कृषि पण्यों पर प्रकाशित समाचार के आधार पर तीन सब्जियों टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के लिए टेक्स्ट माइनिंग तकनीकों का उपयोग करके मूल्य भावनात्मक सूचकांकों का पण्यवार निर्माण किया गया था क्योंकि इन तीनों सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता का शीर्ष महंगाई पर काफी असर पड़ता है। परिणामों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में टॉप की कीमतों के उतार-चढ़ाव के बारे में भविष्योन्मुखी जानकारी प्रदान करने में समाचार आधारित भावना की उपयोगिता की पुष्टि की।

X.69 विभाग ने केएलईएमएस आकलनों के आंतरिक संकलन के लिए एक नया केएलईएमएस डिवीजन बनाया। केएलईएमएस डेटाबेस भारतीय अर्थव्यवस्था और 27 उप-क्षेत्रों के लिए कुल कारक उत्पादकता और कारक इनपुट [पूंजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)] पर शृंखलाबद्ध सामयिक आकलन प्रदान करता है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाहरी विशेषज्ञों से केएलईएमएस डिवीजन में ज्ञान का अंतरण वर्ष के दौरान पूरा हुआ। वर्ष 2018-19 के लिए केएलईएमएस के समानांतर आकलन को प्रभाग ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद केएलईएमएस डेटा को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

X.70 आरबीआई अभिलेखागार ने प्रासंगिक अभिलेखीय दस्तावेजों की पहचान की और भ्रमणकारी आरबीआई अभिलेखागार प्रदर्शनी के लिए एक कथानक तैयार किया।

अन्य पहल

X.71 विभाग ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया जिसमें नवोन्मेषी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया गया। एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए जीडीपी नाउकास्टिंग को संकेतकों के सबसे प्रासंगिक शृंखलाओं के साथ संवर्धित किया गया था और इस मॉडल का उपयोग अब हाल की तिमाहियों के जीडीपी को नाउकास्ट करने के लिए किया जा रहा है।

X.72 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने महामारी से संबंधित कुछ विषयों पर भी शोध किया जिसमें वैश्विक आपूर्ति शृंखला के व्यवधान का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर प्रभाव शामिल है। इसके अलावा विभिन्न सामयिक विषयों पर शोध किए गए जिसमें व्यापार चक्र के नीचे की ओर जाने के दौरान बैंक क्रेडिट के कुल व्यापार पर प्रणालीगत चलनिधि और सकल एनपीए (जीएनपीए) की भूमिका और विकास पर सरकारी खर्च की गुणवत्ता और मात्रा का प्रभाव शामिल है।

X.73 घरेलू वित्तीय बचत के वार्षिक अनुमानों के नियमित संकलन के अलावा तिमाही घरेलू वित्तीय बचत और घरेलू

ऋण से जीडीपी अनुपात के आंकड़े भी संकलित किए गए और 2020-21 की तीसरी तिमाही तक जारी किए गए।

X.74 भारत द्वारा ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता के दौरान आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह के सदस्य के रूप में विभाग ने सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर सेवा व्यापार सांख्यिकी पर दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।

X.75 विभाग ने 2021-22 में भारत के आवक विप्रेषणों पर अपना सर्वेक्षण शुरू किया ताकि 2020-21 में विप्रेषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझा जा सके, जिसमें स्रोत, गंतव्य, आवक विप्रेषण का उद्देश्य, आकार, अंतरण का प्रचलित तरीका और प्रापक/प्रेषक को विप्रेषण की लागत शामिल हैं।

X.76 वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा विभाग ने अपने सभी प्रमुख प्रकाशनों को भी समयबद्ध तरीके से जारी किया जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट और राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन। मुद्रा और वित्त 2021-22 पर रिपोर्ट, 'रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट' विषय के साथ 29 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक डोमेन में जारी की गई। वर्ष 1997 से 2008 तक की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक का इतिहास, खंड -5 का 2022 में जारी किया जाना अपेक्षित है।

X.77 इसके अलावा वर्ष के दौरान मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, बाहरी ऋण, प्रभावी विनिमय दर, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता मानकों पर निधि के प्रवाह पर प्राथमिक आंकड़ों के संकलन और प्रसार में विभाग संलग्न रहा।

X.78 डीईपीआर अध्ययन मंच एक आंतरिक चर्चा मंच है जिसने विविध शोध विषयों पर वर्ष के दौरान 26 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतिकरण आयोजित किए। विभाग ने 28 जून 2021 को उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और मुद्रास्फीति पर एक डीईपीआर संगोष्ठी का आयोजन भी किया और 16 नवंबर 2021 को नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक, डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा "टेपरिंग तब और अब" पर एक विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन किया।

X.79 भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को दस्तावेज़ प्रबंधन सॉफ़्टवेयर (डीएमएस) विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। डीएमएस सॉफ्टवेयर के कार्यात्मक मॉड्यूल को पूरा कर लिया गया है और एपलिकेशन के समग्र सुरक्षा पहलू पर काम चल रहा है। डीएमएस का परीक्षण अप्रैल 2022 में शुरु किया गया था। अगस्त 2022 तक उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है जिसके बाद डीएमएस को चालू किया जा सकेगा। आरबीआई अभिलेखागार (आरबीआईए) ने 2021-22 के दौरान केंद्रीय कार्यालय विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर लगभग 16 ऑनलाइन अनुकूलित कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। ई-निविदा प्रक्रिया के आधार पर प्रति वर्ष अभिलेखीय दस्तावेज़ों (आरबीआईए में रखे गए) के 5 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए निविदा प्रदान की गई है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक 15 लाख पृष्ठों के डिजिटलीकरण को पूरा करने का प्रस्ताव है। कागजी दस्तावेजों के वैज्ञानिक संरक्षण को भी आरबीआईए द्वारा आउटसोर्स किया गया है।

वर्ष 2022-23 की कार्यसूची

X.80 विभाग की 2022-23 की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगी:

- प्रति वर्ष न्यूनतम 100 शोध पत्र प्रकाशित करना और उभरते मुद्दों के व्यापक कवरेज के साथ विश्लेषण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना *(उत्कर्ष)*;
- नगरपालिका वित्त रिपोर्ट को समय पर बनाना और रिपोर्ट की कवरेज में सुधार करना *(उत्कर्ष)*;

- विभाग द्वारा केएलईएमएस डेटासेट और मैनुअल का वार्षिक संकलन *(उत्कर्ष)*;
- समष्टि-आर्थिक दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए नई मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग और
- पारंपरिक मैक्रो-मॉडलिंग संरचना में जलवायु जोखिम को शामिल करना और मैक्रोइकॉनॉमिक समुच्चय पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना।

7. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.81 अपने मूल अधिदेश को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) समष्टि-वित्तीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और प्रसार में संलग्न है और रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यों में डेटा प्रबंधन, अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान और प्रगामी सर्वेक्षणों के माध्यम से सांख्यिकीय समर्थन और विश्लेषणात्मक जानकारी भी प्रदान करता है। ऐसे प्रयासों से यह रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रणाली को बनाए रखता है, विनियामक संस्थाओं द्वारा विवरण की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति का प्रबंधन करता है और बैंकिंग, कॉर्पोरेट और बाहरी क्षेत्रों में सांख्यिकीय संकेतकों को संकलित करता है। इन कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए समुन्नत डाटा वेयरहाउस [अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस)] का विकास उन्नत चरण में है। गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों और उन्नत सांख्यिकीय एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करने की पहल की गई है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.82 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- सीआईएमएस को पूरी तरह से चालू करने और सभी डेटाबेस को नई केंद्रीकृत प्रणाली *(उत्कर्ष)* में अंतरित करने की दिशा में काम करना करना [पैरा.X.83];
- मेटाडेटा-संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणाली के लिए स्टटिस्टिकल डेटा एंड मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों का पालन करना *(उत्कर्ष)* [पैरा.X.84];
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) के लिए एक मापने योग्य एंड टू एंड तक का सिस्टम लागू करना [*उत्कर्ष*] (पैरा.X.85);
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली को संशोधित करना [पैरा.86];
- रिज़र्व बैंक से संबंधित पूरक सूचना प्रदान करने के लिए बिग डेटा के क्षेत्र में डेटा संग्रह तंत्र और विश्लेषणात्मक कार्य के दायरे का विस्तार करना (पैरा.X.87) और
- अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड लेनदेन के आर्थिक वर्गीकरण पर मासिक जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना (पैरा.X.88)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.83 महामारी की लगातार लहरों से संबंधित रोकथाम के उपायों के कारण हुई देरी के बावजूद सीआईएमएस के लिए सभी आधारभूत संरचना की स्थापना (यानी हार्डवेयर और मानक सॉफ्टवेयर) को पूरा कर लिया गया। नए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) किया जा रहा है। सभी मौजूदा डेटा अंतरित किए गए हैं और वे तृतीय पक्ष संपरीक्षा के अधीन हैं। सभी एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और 14 प्रमुख सहकारी बैंक ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में हैं। सितंबर 2022 तक सभी विवरणों को पूरा करने के उद्देश्य से अधिकांश विवरण रिजर्व बैंक के परीक्षण वातावरण के तहत आ गए हैं।

X.84 मेटाडेटा-संचालित रखरखाव और प्रसार प्रणालियों के लिए 245 विवरणों में एसडीएमएक्स मानकों हेतु डेटा तत्वों / आयामों / उपायों / विशेषताओं को अंतिम रूप दिया गया है।

X.85 भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) के डेटा सेंटर और आपदा बहाली (डीआर) साइटों पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेट-अप का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया है। प्रणाली की अपेक्षाओं का अध्ययन (एसआरएस) किया गया है और एक व्यापक ऋण सूचना भंडार का सिस्टम डिजाइन और विकास का कार्य प्रगति पर है।

X.86 बीआईएस द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर आईबीएस के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली में संशोधित दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए परिवर्तन किया जा रहा है।

X.87 *उत्कर्ष* 2022 के तहत कवर किए गए बिग डेटा के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक गतिविधियों को पूरा किया गया और मौजूदा सांख्यिकीय प्रयासों के सार्थक करने के लिए मूल्य सूचकांक (खाद्य और आवास) का संकलन नियमित आधार पर किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग आधारित जलवायु कारकों और फसल वनस्पति संकेतकों का उपयोग मंडी आवक और खाद्य मूल्य अनुमानों के मॉडलिंग के लिए किया गया है (बॉक्स X.5)।

बॉक्स X.5

कृषि पण्यों के आकलन के लिए सैटलाइट चित्र और रिमोट सेंसिंग डेटा

पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रहों का समूह भारी मात्रा में डेटा एकत्र करता है, जो कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधनों की समझ, मौसम की निगरानी, फसल कवरेज, बायोमास घनत्व तथा फसल की पैदावार का आकलन और भूजल और उर्वरकों के कुशल उपयोग के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

तदनुसार भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ प्राप्त की जा सकती है यदि उपग्रह-आधारित सूचनाओं का मिलान किया जाए (ए) देश भर की मंडियों से एकत्रित कृषि पण्यों के के थोक मूल्यों के विभिन्न सेटों, (बी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कृषि विपणन पोर्टल (www.agmarknet.gov.in) पर उपलब्ध क्रियाभाव कीमतें, मूल्य श्रेणियां, मंडी रुपरेखा और दैनिक आवक तथा (सी) स्थानिक और सामयिक वर्षा से। इस बॉक्स में भारतीय उपभोक्ता की टोकरी में से दो व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्य संवेदनशील कृषि पण्यों, अर्थात तुअर (या अरहर) दाल और प्याज की कीमत की गतिशीलता प्रस्तुत है।

तुअर दाल

तीन प्रमुख उत्पादन राज्यों (अर्थात कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश) के लिए तालुक/तहसील स्तर पर मंडियों से दैनिक आवक के डेटा की सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (एनडीवीआई) के साथ तुलना की जाती है जिसमें 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि के दौरान कुल उत्पादन में इसकी 63 प्रतिशत औसत हिस्सेदारी रही है। । सामयिक सिग्नेचरों पर उचित ध्यान दिया जाता है क्योंकि जैसे-जैसे फसल का मौसम आगे बढ़ता है फसल-विशिष्ट ऋतु जैविकी/ फेनोलॉजी(यानी बुवाई से लेकर कटाई तक के जीवन चक्र के दौरान फसल का विकास) में परिवर्तन होता है। वनस्पति वृद्धि उपयुक्त मौसमी फ़िल्टरिंग और एनडीवीआई के सामयिक समुच्च्य द्वारा प्राप्त की जाती है। आवक वृद्धि को उगने वाले मौसम के पखवाड़े में हुई वनस्पति वृद्धि के एक फलन के रूप में तैयार किया गया है। मंडी आवक पर वनस्पति वृद्धि के प्रभाव का अनुमान गतिशील रूप से लगाया गया है और गुणांक चार्ट 1 में प्रस्तुत किया गया है।

प्याज

एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार माने जानेवाले लासलगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र से ली गई मंडी की कीमतों का इस्तेमाल मौसम के मापदंडों के साथ एक प्रारंभिक उपयोग के रूप में किया गया है जिससे उच्च कीमत (25 प्रतिशत और उससे अधिक की वृद्धि) घटनाओं और पृथ्वी की सतह से दो मीटर ऊपर की ओस के तापमान के बीच संबंध निर्धारित कर सकें (चार्ट 2)। चार्ट में बिन की ऊंचाई का संबंध संबंधित

चार्ट 1: वनस्पति वृद्धि का आवक वृद्धि पर प्रभाव

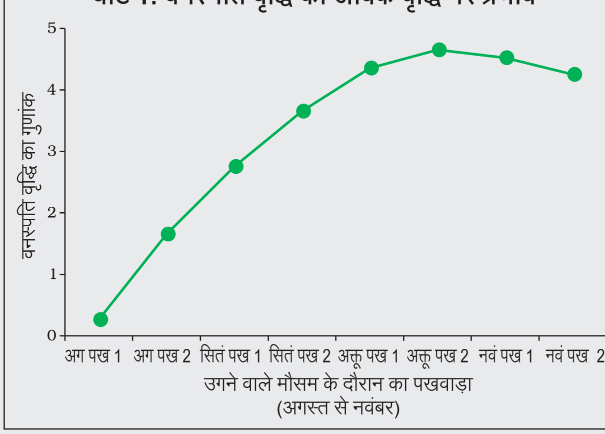

(जारी)

चार्ट 2: प्याज की मूल्य वृद्धि के साथ ओस का तापमान (पृथ्वी की सतह से 2 मीटर ऊपर)

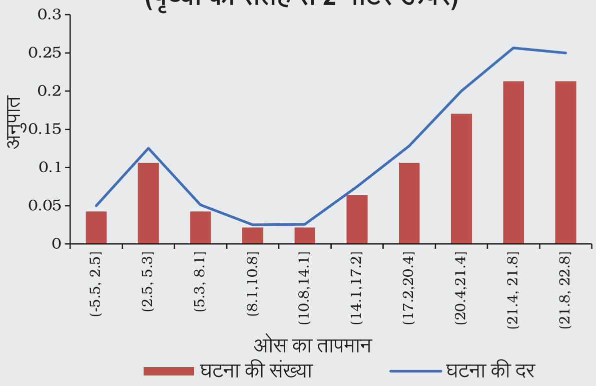

चार्ट 3: मूल्य वृद्धि बनाम पवन की गति (पृथ्वी की सतह से 50 मीटर ऊपर)

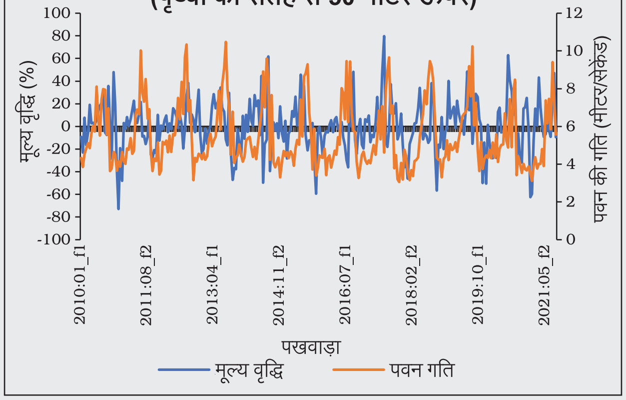

1. चार्ट 2 में, घटना घटना अंतराल में उच्च मूल्य की घटनाओं के एक भाग के रूप में है। घटना दर उस वर्ग अंतराल में घटनाओं और गैर-घटनाओं की संख्या से विभाजित घटनाओं की संख्या है।
2. चार्ट 1 और 3 में, f1 और f2 क्रमशः महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े को दर्शाते हैं। चार्ट 3 में 01 का अर्थ जनवरी, 02 का अर्थ फरवरी आदि है।
3. चार्ट 2 में ओस के तापमान को दस अंतरालों में बांटा गया है। अंतराल (ए, बी] का अर्थ है ए से बड़ा और बी से कम या बराबर। उदाहरण के लिए, (2.5, 5.3] में 2.5 से अधिक और 5.3 से कम या उसके बराबर का मान।

ओस तापमान शृंखला में उच्च मूल्य की घटनाओं के अनुपात से मेल खाती है। उच्चतर घटना दर उच्चतर ओस तापमान के साथ जुड़ी हुई पाई गई है और पखवाड़े वार प्याज की कीमत में वृद्धि पृथ्वी की सतह से 50 मीटर ऊपर पवन की गति के साथ सह-संचलन को दर्शाती है (चार्ट 3)।

मौसम के मापदंडों और मूल्य की गतिशीलता के बीच जटिल गैर-रेखीय संबंधों को देखते हुए इस विश्लेषण से पता चलता है कि मशीन लर्निंग तकनीक (जैसे, यादृच्छिक वन) में पारंपरिक सांख्यिकीय विधियों की तुलना में अधिक पूर्वानुमान की क्षमता हो सकती है।

संदर्भ:

1. नवालगुंड, आर. आर; और रे, एस.एस. (2019), 'एप्लिकेशन ऑफ स्पेस टेकनोलॉजी इन एग्रीकल्चर : एन ओवरव्यू', *समार्ट एग्रीपोस्ट,* 6(6), 611.
2. रे, एस.एस.(2016), 'क्रॉप असेसमेंट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मीटीयरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशनस्: इंडियन एक्सपीरियंस', *इंटरनेशनल सेमिनार ऑन अप्रोचेस एंड मेथोडोलॉजिस फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग* (पीपी. 25-26).

X.88 भुगतान संतुलन (बीओपी) पोर्टल पर "विदेशी मुद्रा कारोबार इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली - कार्ड (एफईटीईआरएस -कार्ड)" नामक एक नई प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों पर आर्थिक गतिविधि के अनुसार मासिक डेटा एकत्र करने के लिए लागू किया गया था। सभी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक अप्रैल 2021 से ऐसे लेनदेन को रिपोर्ट कर रहे हैं।

अन्य पहल

X.89 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न परिचालनात्मक चुनौतियों के बावजूद विभाग ने उद्यमों, घरेलू और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के प्रगामी द्विमासिक / त्रैमासिक सर्वेक्षणों की समयसीमा का पालन किया। केंद्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अल्प सूचना पर कई तदर्थ सर्वेक्षण भी किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की सर्वेक्षण में तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में अनुमानों, कवरेज की मजबूती और नियमित मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों में कोड संरेखित करने के लिए पद्धतिगत सुधार भी किए गए [उदाहरण के लिए औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस) में उत्पाद/उद्योग कोड और सेवा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण सर्वेक्षण (एसआईओएस) में व्यवसाय / गतिविधि कोड की प्रकृति से लेकर उद्योग मानक वर्गीकरण तक, क्रयादेश पुस्तक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के तहत अनुमान लगाना]।

X.90 विभाग ने बाहरी क्षेत्र की जनगणना/सर्वेकणों के परिणाम जारी करने के समय अंतराल को भी कम किया [अर्थात भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संस्थाओं की विदेशी आस्तियों और आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक जनगणना, म्यूचुअल फंड कंपनियों के एफएलए सर्वेक्षण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात पर सर्वेक्षण और भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर द्विवार्षिक सर्वेक्षण]।

X.91 कोविड-19 प्रवृत्त परिचालनात्मक चुनौतियों के बावजूद रिज़र्व बैंक के भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई) पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध तरीके से सभी नियमित डेटा प्रकाशन जारी किए गए और अद्यतन काल क्रमिक डेटा उपलब्ध कराया गया। विभाग बीआईएस डेटाबैंक को नियमित रूप से अनुसूची के अनुसार विभिन्न आवधिकताओं (अर्थात दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक) की लगभग 175 डेटा श्रृंखला प्रस्तुत करता है।

X.92 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सबमिशन पोर्टल (ईडीएसपी) को (i) भुगतान धोखाधड़ी रजिस्टर; (ii) प्राकृतिक आपदा विवरण; (iii) परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) के लिए इकाई-स्तरीय डेटा और (iv) आस्ति मूल्य निगरानी प्रणाली (एपीएमएस) तक विस्तारित किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित ऑफसाइट मॉनिटरिंग विवरण को स्वचालित कर दिया गया है और विवरण जमा करने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। कोविड -19 महामारी के दौरान उपयोगकर्ता विभागों के लिए अतिरिक्त निगरानी सुविधा प्रदान करके डेटा प्रबंधन और निष्कर्षण सुविधा को बढ़ाया गया है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X.93 आगे चलकर विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- उन्नत विश्लेषणात्मक वातावरण में सभी एकीकरण को पूरा करना और समुन्त डेटा वेयरहाउस में सभी नियमित डेटा प्रकाशनों के प्रकाशन के कार्यप्रवाह को स्वचालित करना*(उत्कर्ष)*;
- एससीबी से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से व्यापक ऋण सूचना भंडार को तैयार करना*(उत्कर्ष)*;
- संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स इंजीनियरिंग करके विवरण-आधारित भंडार (आरबीआर) से परिवर्तित करने की सुविधा के साथ लचीले तत्व-आधारित भंडार (ईबीआर) के माध्यम से नए डेटा शासन ढांचे का कार्यान्वयन;
- रिज़र्व बैंक को किए जाने वाले डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए बैंकों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एक 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाए रखना जिसमें सभी संसाधन और सत्यापन नियम दिए गए हों;
- टीएसीएस के मार्गदर्शन में मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों के लिए आकलन प्रक्रियाओं का और परिशोधन करना; और
- रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करना।

8. विधिक मामले

X.94 विधि विभाग एक सलाहकार विभाग है जिसकी स्थापना कानूनी मामलों की जांच करने एवं सलाह देने और रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा के लिए की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक रूप से सही हैं, विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों के लिए परिपत्रों, निर्देशों, विनियमों और समझौतों की समीक्षा करता है। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सचिवालय के रूप में भी

कार्य करता है और परिचालन विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष मामलों की सुनवाई में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) और अन्य आरबीआई के स्वामित्व वाले संस्थानों को कानूनी मामलों, मुकदमों और अदालती मामलों पर विधिक सहायता और सलाह देता है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्यसूची

X.95 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- रिजर्व बैंक के परिचालन विभागों के साथ निकट समन्वय में अपने कार्यों को सक्रिय रूप से निष्पादित करना (पैरा.X.96) और
- विधिक प्रक्रियाओं में, विशेषकर कोविड-19 की महामारी जैसी स्थिति में, प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी कार्यप्रवाह प्रक्रिया और कार्यकलाप को स्वचालित करने के प्रयास करना(पैरा.X.97)।

लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति

X.96 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधान/विनियम लाए गए/संशोधित किए गए, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है यह अधिनियम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारत में आधारभूत संरचना के वित्तपोषण का समर्थन देने के लिए प्रधान विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित करता है।।
- फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2021, जिसे 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 23 अगस्त 2021 से लागू हुआ, फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करता है। संशोधित अधिनियम 'प्राप्तियों(रिसीवेबल्स)' की परिभाषा को सरल करता है और 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' को रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 के तहत व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के उद्देश्य से अधिकृत भुगतान प्रणाली की परिभाषा से जोड़ता है।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करता है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दिवाला समाधान में एक विकल्प प्रक्रिया के लिए प्रावधान करता है जिसे प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (पीआईआरपी) कहा जाता है।
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम 27 अगस्त 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत बीमाकृत बैंकों के लिए 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ था। उक्त अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करता है और अधिनियम में एक नई धारा 18A को शामिल करता है।

X.97 विभाग की गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाने से संबंधित कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) को सौंपा गया है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर का विकास उन्नत चरणों में है और सॉफ्टवेयर को जल्द ही विभाग की गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्यसूची

X. 98 वर्ष 2022-23 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेगा :

- कार्यप्रवाह को स्वचालित करने की प्रक्रिया के लिए एपलिकेशन के कार्यान्वयन को पूरा करना*(उत्कर्ष);*
- मौजूदा अभिमत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और अभियोग प्रबंधन प्रणाली का विलय*(उत्कर्ष)* और
- उपलब्ध/मौजूदा विधिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण और उपयोगकर्ताओं को इनतक पहुंच प्रदान करना।

9. निष्कर्ष

X.99 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों सहित कई चैनलों के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के अपने प्रयास को जारी रखा। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा और मजबूत किया गया। रिज़र्व बैंक भारत की हरित वित्तीय प्रणाली को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनजीएफएस में शामिल हुआ। आगे बढ़ते हुए, इस अध्याय में शामिल कार्यात्मक क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना होगा: इंस्टाग्राम जैसे अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जनता के साथ और अधिक जुड़ना; आर्थिक और वित्तीय अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और मजबूत करना; प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस आधारित प्राप्तियों और एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों का एकीकरण; विदेशी मुद्रा आरक्षित प्रबंधन के लिए नए आस्ति वर्गों/बाजारों के माध्यम से पोर्टफोलियो विविधीकरण की तलाश जारी रखना; आर्थिक और सांख्यिकीय नीति विश्लेषण और अनुसंधान को प्रखर करना; रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रों में उपग्रह डेटा सहित डेटा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना और विश्लेषणात्मक अध्ययनों में एआई, बिग डेटा और एमएल तकनीकों सहित उन्नत सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करना।

XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने अपने मानव संसाधन तथा संगठनात्मक और प्रबंधन चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं और मुख्यत: ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर भरोसा करते हुए भर्तियों, और आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना बरकरार रखा है। महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रियाओं को हासिल करने एवं अपने मानव संसाधन की सुरक्षा एवं उसके स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसने तीव्र एवं व्यापक प्रतिक्रिया दी है। इसने मार्च 2022 के अंत तक अपने 98 प्रतिशत कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया और संक्रमण की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का मिला-जुला तरीका अपनाया। रिज़र्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना ने अभिशासन मानकों को बनाए रखते हुए रिज़र्व बैंक के कामकाज का निरीक्षण किया और बहु-आयामी क्षेत्रों में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं - अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन और जोखिम निगरानी के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अध्याय प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2021-22 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2022-23 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन को भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। महामारी के प्रतिसाद में, ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया गया। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) ने महामारी के माहौल में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों को अग्रणी बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता से लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

XI.3 कोविड-19 की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन हेतु कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्य और आउटसोर्स स्टाफ के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्यालय परिसर के साथ-साथ आवासीय क्वार्टरों में शिविर आयोजित करके अपने मानव संसाधन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के 98 प्रतिशत कर्मचारियों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी थीं।

XI.4 2012 में अंगीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के तहत, सभी पहचाने गए परिचालन क्षेत्रों के लिए रिस्क टॉलरेंस लिमिट (आरटीएल) का रोल-आउट हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी स्तर पर नियंत्रण की प्रभावशीलता के लिए परिपक्वता दर प्रदान करने के लिए संकेतकों का एक व्यापक सेट लागू किया गया है।

XI.5 वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत मूल्यांकित जोखिम रेटिंग तथा परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति (रैम-ओआर) के अनुसार निर्धारित जोखिम रेटिंग का लक्षित अभिसरण पूरा किया। रिज़र्व बैंक में विभिन्न परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन की दिशा में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

तंत्र को समृद्ध करने के लिए परियोजना लेखापरीक्षा (प्रोजेक्ट ऑडिट) भी की गई।

XI.6 रिज़र्व बैंक के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क का नोडल विभाग होने के नाते कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) महामारी के वर्ष में रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण प्रणालियों और कारोबारी प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मानव संसाधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

XI.7 साथ ही, वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम को लागू किया है और राजभाषा नीति के तहत विभिन्न संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित किया है। विभाग ने रिज़र्व बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, कार्यक्रमों का आयोजन और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

XI.8 परिसर विभाग ने हरित पहल का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्टक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखे। "हरित पहल" के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय इमारतों में सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज उपचार और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियां स्थापित की गई।

XI.9 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिज़र्व बैंक के अभिशासन ढांचे से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 3 में मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा मानव संसाधन एवं विकास के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से संबंधित गतिविधियां खंड 4 में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 में की गई है। रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाने और समन्वय करने वाले कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) का विवरण खंड 6 में दिया गया है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. अभिशासन संरचना

XI.10 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्य का दायित्व दिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। देश के प्रत्येक हिस्से के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों हेतु चार स्थानीय बोर्ड हैं, ये केंद्रीय बोर्ड को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए कार्य करते हैं।

XI.11 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंध समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.12 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की छह बैठकें[1] आयोजित की गईं।

XI.13 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुई, जिनमें से 34 ई-बैठकें और 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.14 केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति उन स्थानीय बोर्डों *के स्थान पर* कार्य कर रही है जो गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में कार्य करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में, स्थायी समिति पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मामलों को देख रही है। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का पुनर्गठन 27 मार्च 2021 को दो स्वतंत्र निदेशकों को सदस्यों के रूप में रखकर किया गया था। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान दो-दो बैठकें और पश्चिमी क्षेत्र के लिए तीन बैठकें कीं। इसी अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने चार बैठकें कीं। केंद्रीय बोर्ड, उसकी समितियों और उप-समितियों, स्थानीय बोर्डों और केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में स्थानीय बोर्ड/ बोर्डों के स्थान पर निदेशकों/ सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/ स्थानीय बोर्ड

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री शक्तिकांत दास को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में 10 दिसंबर 2021 से आगे तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए फिर से नियुक्त किया। पुनर्नियुक्ति पर श्री दास ने 11 दिसंबर, 2021 से कार्यभार ग्रहण किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री महेश कुमार जैन को 22 जून 2021 से दो साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 21 जून 2021 को अपने मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया। पुनर्नियुक्ति पर श्री जैन ने 22 जून 2021 को पदभार ग्रहण किया।

XI.17 केंद्र सरकार ने श्री देबाशीष पांडा के स्थान पर श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 16 फरवरी 2022 से और अगले आदेश तक नामित किया।

XI.18 केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल 3 मार्च 2022 को समाप्त हो गया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 श्री पी. विजय कुमार, कार्यकारी निदेशक 31 मई, 2021 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए और डॉ. एम.के. सगर, कार्यकारी निदेशक 29 अप्रैल, 2022 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए। श्री अजय कुमार को 20 अगस्त, 2021 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री अजय कुमार चौधरी और श्री दीपक कुमार को 3 जनवरी, 2022 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। डॉ. राजीव रंजन और डॉ. सितिकंठ पट्टनायक को 02 मई, 2022 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी पहल

XI.20 रिज़र्व बैंक के पास संचालन का एक व्यापक दायरा है, जिसमें विविध कौशल और अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं की एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रिज़र्व बैंक में एक कुशल और प्रेरित कार्यबल के निर्माण और रखरखाव के लिए मानव संसाधन प्रबंध विभाग

[1] रिज़र्व बैंक के लिए लेखा वर्ष 2020-21 से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया गया।

(एचआरएमडी) एक सक्षमकर्ता और एक समन्वयक की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विशेष रूप से महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में विभाग ने ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और स्टाफ के कल्याण को प्राथमिकता दी। इसने व्यापार निरंतरता को भी बनाए रखा। वर्ष के दौरान उपर्युक्त और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति और वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना को भी नीचे रेखांकित किया गया है।

2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.21 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अंतरराष्ट्रीय/ बहु-पक्षीय बैठकों में रिज़र्व बैंक (भारत) के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों का एक पूल विकसित करना, जिसमें बैठकों के ज्ञान में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठकों/ सम्मेलनों के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकार योजना शामिल है (उत्कर्ष) [पैराग्राफ XI. 22];
- सभी कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठनात्मक संरचना की समीक्षा और पुनर्रचना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.23];
- अपने प्रशिक्षण और विकास संबंधी प्रयासों पर अधिक ध्यान देने के अपने प्रयासों को जारी रखना। मिश्रित शिक्षा की अवधारणा के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से प्राप्त ई-लर्निंग सामग्री के साथ रिज़र्व बैंक में एक अध्ययन प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की परिकल्पना की गई है (पैराग्राफ XI.24); और
- रिज़र्व बैंक सेवा बोर्ड के परामर्श से किए गए उपयुक्त परिवर्तनों के साथ, विशेष रूप से अधिकारी स्तर पर भर्ती नीतियों की दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाना (पैराग्राफ XI.25)।

कार्यान्वयन स्थिति

XI.22 अंतरराष्ट्रीय बैठकों/मंचों में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले डोमेन विशेषज्ञों का एक व्यापक डेटाबेस अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के समन्वय से तैयार किया गया है।

XI.23 संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करने और उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है।

XI.24 आरबीआई अकादमी के लिए अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हुए, इसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ साझेदारी में पूरे बैंक में दोहराया जाएगा।

XI.25 ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) में अधिकारियों की भर्ती के मामले में, प्रतिवर्तन समय को कम करने के लिए एक भर्ती कैलेंडर तैयार किया गया था। इसके अलावा, भर्ती किए गए उम्मीदवारों के समूह की दक्षताओं को व्यापक आधार देने के लिए, वस्तुनिष्ठ भाग के अलावा एक वर्णनात्मक घटक को शामिल करने के लिए परीक्षा के स्वरूप को संशोधित किया गया था। एक साइकोमेट्रिक परीक्षा भी शुरू की गई, जिसके अवलोकन उम्मीदवारों के आकलन के लिए एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में काम करते हैं। पार्श्व भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सहायता सेवाओं को संभालने के लिए बाहरी एजेंसियों का एक पैनल स्थापित किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.26 रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण अवसंरचना ने कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से उनके तकनीकी और व्यवहार कौशल के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों को प्रमुख बाहरी संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2019-20 (जुलाई-जून)		2020-21 (जुलाई-मार्च) #		2021-22 (अप्रैल-मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई अकादमी	21	476 (2)	25	840	18	1,185
सीओएस##	-	-	3	74	43	1,726
आरबीएससी, चेन्नई	110	2,826 (85)	89	3,629 (72)	122	4,267 (325)
सीएबी, पुणे	126	3,891 (37)	183	10,308 (45)	216	13,308 (134)
जेडटीसी (श्रेणीI)	92	1,667	135	3,682	127	3,140
जेडटीसी (श्रेणी III)	94	2,648	104	4,568	109	3,920
जेडटीसी (श्रेणी IV)	30	604	11	417	23	820

आरबीएससी: रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

-: लागू नहीं।

#: रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष को 2020-21 से अप्रैल-मार्च में बदलने के साथ, रिज़र्व बैंक के संक्रमण वर्ष की अवधि नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की थी।

##: पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) 22 मई, 2020 को एक आभासी मोड में स्थापित किया गया था और औपचारिक रूप से 5 जनवरी, 2021 से पूर्णकालिक निदेशक के साथ संचालित किया गया था। कॉलेज प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से जुड़ा हुआ है और इसमें भारत और दुनिया भर में जानकार, कुशल और सक्रिय पर्यवेक्षकों, नियामकों और विनियमित इकाई कर्मियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय, प्रतिष्ठित क्षमता-निर्माण संस्थान बनाने की दृष्टि है।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिभागियों की कुल संख्या में से विदेशी प्रतिभागियों और/या बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत: आरबीआई।

ऑनलाइन मोड के माध्यम से भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सूचीबद्ध किया (सारणी XI.2)। इसके अलावा, सूचना प्राप्त हुई है कि 295 अधिकारियों ने विदेशी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समकालीन विषयों पर वेबिनार में भाग लिया।

सारणी XI.2: भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाहरी संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2019 - 20 (जुलाई-जून)	696	139
2020 - 21 (जुलाई-मार्च)*#	194	258
2021 - 22 (अप्रैल-मार्च)*	326	496

*: *ऑनलाइन मोड*.

#: XI.1 का फुटनोट देखें।

स्रोत: आरबीआई।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

अनुदान और वृत्तिदान

XI.28 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने अभियान के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹16.50 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल), मुंबई को ₹5.10 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.75 करोड़; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.65 करोड़ और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.43 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

बॉक्स XI.1

कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना

बेहतर संचार, बेहतर जुड़ाव और सकारात्मक कर्मचारी अनुभव के लिए कर्मचारियों को एक कुशल इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए कर्मचारियों (कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों) के साथ प्रभावी संपर्क और संचार के चैनल बनाने और स्थापित करने के उद्देश्य से कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना की गई है। ईआईएडी का व्यापक उद्देश्य कर्मचारी जुड़ाव और प्रेरणा, एचआर इंटरफेस, संगठन संस्कृति और मानव संसाधन तकनीकी समाधानों के क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों की खोज और कार्यान्वयन की दिशा में स्थापित है। ईआईएडी एचआर अनुसंधान और डेटा विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि रिजर्व बैंक के हित के मामलों से संबंधित एक गहरी समझ विकसित करने और एक संरचित और समाधान-संचालित दृष्टिकोण को लागू किया जा सके।

'श्रवण-उन्मुख' संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयास को देखते हुए, ईआईएडी ने एक नई पहल की है, जिसका शीर्षक है, वॉयस - वॉयसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट और एक्सेल। व्यक्तिगत सफलता की कहानियों को साझा करने के माध्यम से कैरियर और आत्म-विकास के अवसरों की पारस्परिक खोज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वॉयस प्लेटफॉर्म एक अनौपचारिक वातावरण में मानव संसाधन कार्मिकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

इस पहल का उद्देश्य 'उत्कर्ष 2022' के तहत परिकल्पित 'नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन निर्माण' के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को गति प्रदान करना है।

स्रोत: आरबीआई।

औद्योगिक संबंध

XI.29 वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। महामारी के कारण, कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं। अप्रैल 2021 - मार्च 2022 के दौरान, एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय ने अधिकारियों और कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ की केंद्रीय इकाइयों के साथ 21 बैठकें कीं। क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने भी इन मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ की स्थानीय इकाइयों के साथ अपने संचार माध्यमों को खुला रखा। बैंकिंग उद्योग में वेतन निपटान के क्रम में, रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों के 1 नवंबर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2022 की अवधि के वेतन संशोधन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। विभाग ने वर्ष के दौरान एक व्यापक कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण भी किया। अभी प्राप्त प्रतिभावों की जांच की जा रही है।

कर्मचारियों के साथ इंटरफेस

XI.30 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने आंतरिक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में एक नए प्रभाग, कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना की (बॉक्स XI.1)।

भर्ती और स्टाफ संख्या

XI.31 2021 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 1,448 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.32 दिसंबर 2021 के अंत तक रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 12,856 थी, जो पिछले वर्ष के दिसंबर के अंत की स्थिति से 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है (सारणी XI.4)। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या 12,782 थी, जिसमें श्रेणी-I में 6,556, श्रेणी-III में 3,371 और श्रेणी-IV में 2,855 शामिल थे।

सारणी XI.3: 2021 में रिज़र्व बैंक द्वारा भर्तियां*

श्रेणी	कुल	*जिसमें से:*			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	440	72	36	113	26
श्रेणी III	875	118	37	354	68
श्रेणी IV	133	25	16	44	4
कुल	**1,448**	**215**	**89**	**511**	**98**

*: जनवरी - दिसंबर।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.4: रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			एससी		एसटी		ओबीसी		एससी	एसटी	ओबीसी
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,121	6,598	976	1,071	413	462	1,159	1,399	16.23	7.00	21.20
श्रेणी III	3,051	3,337	468	489	191	191	866	1,077	14.65	5.72	32.27
श्रेणी IV	3,104	2,921	724	648	249	231	672	693	22.18	7.91	23.72
कुल	**12,276**	**12,856**	**2,168**	**2,208**	**853**	**884**	**2,697**	**3,169**	**17.17**	**6.88**	**24.65**

*: अंत-दिसंबर 2020 और 2021।
स्रोत: आरबीआई।

XI.33 दिसंबर 2021 के अंत तक रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,034 थी, जबकि विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 288 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2021 के दौरान, रिज़र्व बैंक में 140 भूतपूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) के 6 व्यक्तियों की भर्ती की गई।

XI.34 2021 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों के बीच तीन बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें की गईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.35 वर्ष 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली कार्य कर रही है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में जारी नए विस्तृत दिशा-निर्देशों से इसे सशक्त किया गया है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका निपटान कर दिया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी की कुल संख्या*

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति)			
	(ईएसएम)	दृष्टिबाधित (VI)	श्रवण बाधित (HI)	अस्थि दिव्यांग (OH)	बौद्धिक दिव्यांग**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	246	42	5	101	-
श्रेणी III	145	38	1	49	4
श्रेणी IV	643	8	3	37	-

*: अंत-दिसंबर 2021. -: शून्य.
**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्य (तर्क, सीखने और समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं। जिसमें 'विशिष्ट सीखने की अक्षमता' और 'आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार' शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई.

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.36 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक को सूचना के लिए 19,435 अनुरोध और आरटीआई अधिनियम के तहत 1,897 अपीलें प्राप्त हुईं। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों, कोलकाता और चेन्नई द्वारा आरटीआई अधिनियम पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

स्टाफ कल्याण

XI.37 अधिकारियों को रिज़र्व बैंक के आवास के आबंटन के संबंध में नीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की वर्तमान में जांच की जा रही है।

कोविड-19 महामारी का प्रतिसाद

XI.38 कोविड-19 महामारी की पहली लहर की शुरुआत में की गई पहल का दूसरी लहर के समय भी अनुपालन किया जाता रहा। इनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घर से काम का संचालन, कैंटीन और अधिकारियों के लाउंज में कार्यरत ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के साथ आउटसोर्स एजेंसी/ संविदा कर्मचारियों को नियमित भुगतान करना; मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए विशेष अनुग्रह पैकेज और विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना की शुरुआत, इत्यादि इनमें शामिल हैं।

XI.39 अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आउटसोर्स कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ कार्यालय परिसर के साथ-साथ आवासीय क्वार्टरों में टीकाकरण करने के लिए शिविर आयोजित करने की पहल की। विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन निर्माण कंपनियों, प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय में टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के 98 प्रतिशत कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। इस पहल ने न केवल कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया, बल्कि रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को फिर से खोलने में भी मदद की। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के संबंध में घर से काम करने वाले कर्मचारियों के अनुपात का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था और जब भी उच्च संक्रमण दर में गिरावट आई तब पूरी क्षमता से कार्यालय को फिर से खोला गया।

XI.40 संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए एक व्यापक कार्यनीतिक ढांचे पर काम किया गया था जो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घर से काम के संचालन के साथ-साथ विभिन्न केंद्रों पर 'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' नीति के दृष्टिकोण के समरूप है। केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय/उप-कार्यालयों के सभी कर्मचारियों की कोविड-संबंधी चिकित्सा और रसद संबंधी आवश्यकताओं का निपटान करने के लिए स्थापित व्यवस्थाओं में एक कोविड-19 प्रतिक्रिया समूह की स्थापना, बाल चिकित्सा अस्पतालों सहित अस्पतालों के साथ गठजोड़, समर्पित घरेलू उपचार पैकेज और होटलों में संगरोध व्यवस्था और कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन - पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) परीक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.41 वर्ष के लिए रोडमैप के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय बैठकों/ सम्मेलनों/ सेमिनारों (आईएमएफ/ बीआईएस/जी-20/सार्क आदि) के लिए जाने वाले अधिकारियों के इष्टतम अवसर और कौशल और ज्ञान का उन्नयन सुनिश्चित करना *[उत्कर्ष];*
- कारोबार निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में एक निर्बाध कार्य वातावरण बनाने के लिए 'कहीं से भी काम करना' पर एक नीति तैयार करना;
- प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें समेकित करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की समीक्षा करना;

- स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर एक 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' स्थापित करना; और
- रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन संसाधनों तक एकल पहुंच बिंदु के रूप में 'कर्मचारी जुड़ाव मंच' विकसित करना और बैंक-कर्मचारी और कर्मचारी-कर्मचारी संचार को मजबूत करना।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और संचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग का ध्यान घटना रिपोर्टिंग में सुधार, जोखिम विश्लेषण को मजबूत करने और जोखिम सहनशीलता सीमा (आरटीएल), व्यावहारिक जोखिम डैशबोर्ड और जोखिम सूचकांकों के निर्माण के माध्यम से जोखिम रिपोर्टिंग पर था।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.43 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए जोखिम सहने की सीमा (आरटीएल) का निर्धारण *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.44];
- आईटी और साइबर जोखिम का मात्रा निर्धारण *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.45]; और
- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा (आरएएम-ओआर) [पैराग्राफ XI.46]।

कार्यान्वयन की स्थिति

अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए आरटीएल का निर्धारण

XI.44 सभी पहचाने गए परिचालन क्षेत्रों, *जैसे,* लेखा परीक्षा, लेखा इकाई, बजट और व्यापार निरंतरता, संचार, मुद्रा प्रबंधन, ग्राहक शिक्षा, मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, भुगतान और निपटान, राजभाषा और पर्यवेक्षण के लिए आरटीएल का निर्धारण प्राप्त किया गया है।

आईटी और साइबर जोखिम का मात्रा निर्धारण

XI.45 रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी स्तरों पर नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए परिपक्वता रेटिंग प्रदान करने हेतु संकेतकों की एक व्यापक व्यवस्था तैनात की गई है।

परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा (आरएएम-ओआर)

XI.46 प्रतिपुष्टि, परिणामों, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में गतिविधियों के बदलते दायरे को ध्यान में रखते हुए, संशोधित आरएएम-ओआर को हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है और सितंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.47 वर्ष के लिए, विभाग हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- *जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य:* जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य और एक संस्थागत प्रतिपुष्टि पाश बनाना;
- *जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन:* वेब आधारित एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) में जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल के स्वचालन का संचालन करना;
- विभिन्न विभागों और आउटसोर्सिंग नीति द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए रूपरेखा; और
- *अनुप्रयोग सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना:* इसमें कार्यात्मक और तकनीकी स्तर पर एप्लिकेशन प्रोफाइलिंग और अनुप्रयोगों के लिए परिधि सुरक्षा (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल) अभिरक्षण की समीक्षा करना और स्थापित करना और एक उचित प्रतिक्रिया ढांचा विकसित करना शामिल होगा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण

XI.48 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्ट करता है और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत रक्षा की तीसरी पंक्ति[2] (*यानी* आश्वासन) के रूप में कार्य करता है, जबकि आरएमडी, रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में, प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को जोखिमों की रिपोर्टिंग शामिल है। विभाग समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली के कामकाज की निगरानी भी करता है और रिज़र्व बैंक में स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) को नियंत्रित करता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख में कार्यकारी निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.49 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लागत, समय और सुपुर्दगी के प्रभावी प्रबंधन का आकलन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं का प्रबंधन स्थापित परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप है, रिज़र्व बैंक की सभी पहचानी गई उच्च मूल्य वाली आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के लिए पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षा लागू करना *(उत्कर्ष)* [अनुच्छेद XI.50];
- आरबीआईए के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम-रेटिंग के साथ आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम-रेटिंग के साथ पूर्ण अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.51]; और
- वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने और समानांतर रन मोड के तहत परीक्षण करने के बाद जनवरी 2022 से रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम सूचकांक और स्कोरिंग पद्धति को लागू करना (पैराग्राफ XI.52)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.50 तीन लेखापरीक्षित कार्यालयों अर्थात दो केंद्रीय कार्यालय विभाग और एक क्षेत्रीय कार्यालय को कवर करते हुए चार परियोजना लेखापरीक्षा (एक प्रायोगिक आधार सहित दो आईटी और दो गैर-आईटी) सफलतापूर्वक आयोजित की गईं इन अभ्यासों का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना की योजना, प्रकृति और जिम्मेदारियों की सीमा, परियोजना प्रबंधन टीम के अधिकार और जवाबदेही, संसाधनों के उपयोग, समय पर पूरा होने और परियोजना के वितरण का मूल्यांकन करके परियोजना के निष्पादन के संबंध में एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करना था।

XI.51 आरएएम-ओआर के अनुसार निर्धारित आरबीआईए और जोखिम रेटिंग के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम रेटिंग के लक्षित अभिसरण संतोषजनक थे। हालांकि, उपलब्धियों का ट्रैक रखने और शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए निरंतर निगरानी और अभिसरण रिपोर्ट तैयार करना था।

XI.52 संशोधित जोखिम सूचकांक और स्कोरिंग मॉडल, संचालन के मूल और महत्वपूर्णता के आधार पर, आरबीआईए

[2] रक्षा की पहली पंक्ति प्रबंधन नियंत्रण है, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति में प्रबंधन द्वारा स्थापित विभिन्न जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और निगरानी कार्य शामिल हैं।

के मुद्दों के संपूर्ण विस्तार पर पुनर्विचार करने के लिए गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के अनुसार, इसे और अधिक जोखिम केंद्रित बनाने के लिए जल्दी से लागू किया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियां

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा - आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन

XI.53 आरबीआईए प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाने के लिए और सीओडी/आरओ की भूमिका, जोखिम, मूल और महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर आरबीआईए के मुद्दों के पूरे पहलू पर फिर से विचार करने के लिए, अगस्त 2021 में सदस्य के रूप में केंद्रीय कार्यालय चयनित विभागों के प्रमुखों और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ निरीक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। आईडबल्यूजी की 2021-22 के दौरान दो बार बैठक हो चुकी है और जनवरी 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। आरबीआईए प्रसंस्करण को आईडब्ल्यूजी की सिफारिशों के अनुसार परिचालन के मूल/ महत्व के आधार पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

अन्य पहल

XI.54 एक "अनुपालन सूचकांक", केंद्रीय कार्यालय विभाग / क्षेत्रीय कार्यालय की समग्र अनुपालन स्थिति को दर्शाता है, आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर, जिसमें चुनिंदा विभागों के सदस्य शामिल होते हैं [*यथा*, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी), सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) और पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)] को एक विशेष लेखापरीक्षिती कार्यालय में विभिन्न लेखा परीक्षा के अनुपालन के समग्र स्तर का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जोखिम सूचकांक, आरबीआईए के वर्तमान चक्र के पूरा होने के बाद और अनुपालन सूचकांक में परिलक्षित स्थिति, अनुपालन की समान दिशा दर्शाती है। आगे बढ़ते हुए, अनुपालन सूचकांक की गणना करते समय बजट उपयोग भिन्नता और अतिरिक्त बजट मांग, और आरएमडी से इनपुट जैसे अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

XI.55 एएमआरएमएस में "स्वनियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) मॉड्यूल का स्वचालन लागू किया गया है और आवश्यक प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई है। सभी एएमआरएमएस मॉड्यूल की हैंडबुक को अपडेट किया गया और सभी कार्यालयों के साथ साझा किया गया और प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित किया गया है। एएमआरएमएस में स्वचालन ने लेखापरीक्षा की योजना और संचालन में सुधार की सुविधा प्रदान की; लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण और अनुपालन की निगरानी में एकरूपता और मानकीकरण प्रदान किया; प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई), प्रलेखन और रिकॉर्ड प्रबंधन और अलर्ट पर एकीकृत तरीके से डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड को सक्षम किया। इससे आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के बीच तालमेल और दक्षता पैदा करने में मदद मिली और साथ ही जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन कार्यों में भी मदद मिली।

XI.56 वर्ष के दौरान विभाग के भीतर एक गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग (क्यूएडी) बनाया गया था, जिसका उद्देश्य आरबीआईए निरीक्षण रिपोर्टों में उचित प्रारूप, शैली और भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना, नवीनतम निर्देशों का हवाला देते हुए यह आश्वासन देना था कि रिपोर्ट तैयार की जाती है और अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाती है जिसमें संपादन की संभावना भी हो।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.57 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आरएमडी के साथ प्रतिपुष्टि पाश (फीडबैक लूप) के लिए एक ढांचा तैयार करना ताकि समग्र परिचालन जोखिमों पर लगभग अभिसरण परिणाम प्राप्त हो सकें *(उत्कर्ष);*
- डेटा माइनिंग और विश्लेषण उद्देश्य के लिए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए दृश्य विश्लेषण रिपोर्ट का पूर्ण विकास और निर्माण *[उत्कर्ष];*

- आईडब्ल्यूजी के निर्णयों/सिफारिशों के आधार पर संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का कार्यान्वयन;
- आरबीआईए को और अधिक जोखिम-केंद्रित बनाना *(उत्कर्ष);*
- विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में अपनाना *(उत्कर्ष)*;
- विभागों के विशिष्ट क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए कुशल अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करना *(उत्कर्ष)*; और
- निरीक्षण विभाग को स्वतंत्र रिपोर्टिंग के साथ लेखापरीक्षिती कार्यालयों द्वारा अनुपालन की गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी के लिए चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय निरीक्षणालयों (ज़ेडआई) का सृजन *(उत्कर्ष)*।

6.कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.58 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए व्यय की निगरानी भी करता है। विभाग संकट समय के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) बनाता है और उसका कार्यान्वयन करता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाह्य संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.59 रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क के लिए नोडल विभाग होने के नाते सीएसबीडी ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में कारोबार प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रणालियों का सुचारु रूप से कार्य करने जैसी मुख्य भूमिका निभाने का कार्य सुरक्षित, क्वारंटाइन वातावरण (वायो बबल प्रबंध) से जारी रखा ताकि डाउन टाइम शून्य हो और पूर्ण दक्षता रह सके।

XI.60 मार्च 2021 में महामारी की दूसरी लहर के बीच, रिज़र्व बैंक के मानव संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संकट प्रबंधन टीम (सीएमटी) की बैठक की गई ताकि वर्ष के दौरान समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के सुचारू संचालन की सुविधा जारी रखा जा सके। महामारी की स्थिति में सुधार होने पर सीएमटी ने भविष्य के लिए वैकल्पिक योजना के साथ बायो-बबल व्यवस्था को धीरे-धीरे बंद करने का फैसला किया। हालांकि, तीसरी लहर की शुरुआत के साथ बायो-बबल व्यवस्था को वापस लाया गया और महामारी की लहर के समाप्त होने के बाद ही इसे बंद किया गया।

XI.61 विभाग ने बाहरी वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) की निगरानी के रूप में उनके संचालक मण्डल और उप समितियों की बैठकें करके उनके अभिशासन को सुदृढ़ करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम), उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (आईआईबीएम) में निदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की गईं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले समय में कैफरल वित्तीय रूप से स्व-निर्भर बने, रिज़र्व बैंक और कैफरल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। साथ ही, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) के संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों और विनियमों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया।

XI.62 रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से संकट के समय में, भविष्य निधि शेष के कुशल निपटान की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआईईपीएफ) के सदस्यों के लिए क्रमिक नामांकन सुविधा शुरू की, जिसमें सदस्य तीन बार तक क्रमिक नामांकन कर सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.63 वर्ष 2021-22 के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- *'उत्कर्ष'* डैशबोर्ड का एक अंतर्निहित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ कार्यनीतिक लक्ष्यों/ महत्वपूर्ण बिंदुओं की संभावित गैर-प्राप्ति के लिए संचालन करना (पैराग्राफ XI. 64);
- '*उत्कर्ष* 2022' के कार्यनीति ढांचे की मध्यावधि समीक्षा कार्यनीतिक उप-समिति द्वारा आयोजित करना (पैराग्राफ XI. 65);
- महामारी के लिए बीसीएम ढांचा तैयार करना (पैराग्राफ XI. 66); और
- अतिरिक्त बजट स्वीकृत को युक्तिसंगत बनाना और प्रक्रिया को स्वचालित बनाना (पैराग्राफ XI.67)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों से *'उत्कर्ष'* डैशबोर्ड के कार्यान्वयन में देरी हुई। उत्कर्ष डैशबोर्ड एप्लिकेशन विकास के उन्नत चरण में है और इसके मध्य जून 2022 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है।

XI.65 मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में '*उत्कर्ष* 2022' के तहत माइलस्टोन की एक पियर समीक्षा की गई। मार्च 2022 के अंत तक, 352 माइलस्टोन में से 254 को लागू किया जा चुका है जबकि लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए लगभग 9 महीने शेष हैं (31 दिसंबर 2022)।

XI.66 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में महामारी के दौरान कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और महामारी के लिए एक मजबूत बीसीएम ढांचा स्थापित करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों (बीयू) से इनपुट प्राप्त किए गए, जिन्हें जून 2022 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।

XI.67 बहु-आयामी एमआईएस सुविधा के साथ पूरी तरह से स्वचालित बजट प्रशासन के लिए एक नए सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद (एसएपी)[3] आधारित बजट मॉड्यूल के विकास के लिए कदम उठाए गए है। इस मॉड्यूल के 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है।

2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.68 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कुशल और प्रभावी बजट प्रबंधन (उत्कर्ष) को बढ़ावा देने के लिए बजट इकाइयों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा की शुरुआत करना;
- वर्ष 2023-25 की अवधि के लिए कार्यनीति फ्रेमवर्क '*उत्कर्ष* 2.0' तैयार करना, उसे अंतिम रूप देना और आरंभ करना;
- 'अदावी पीएफ खातों' के संचालन को सुव्यवस्थित करना; और
- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली की समीक्षा करना।

7. राजभाषा

XI.69 राजभाषा विभाग राजभाषा अधिनियम 1963 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने, राजभाषा नियम, 1976, भारत के राष्ट्रपति के आदेशों और सरकारी विभागों से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसमें रिज़र्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) के विभिन्न पहलुओं, हिंदी प्रशिक्षण, निरीक्षण, हिंदी पत्राचार, हिंदी पुस्तकों की खरीद और हिंदी विज्ञापनों पर अनिवार्य व्यय और द्विभाषीकरण की अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं। विभाग ने वर्ष के दौरान माननीय

[3] आमतौर पर उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया है और केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के तहत निर्धारित हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके अलावा, विभाग ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महामारी द्वारा उपन्न व्यावहारिक बाधाओं के बावजूद स्टाफ के लिए व्याख्यान, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, हिंदी दिवस समारोह और उससे जुड़ी हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन सभी उपायों और अन्य पहलों के माध्यम से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "वार्षिक कार्यक्रम 2021-22" में हिंदी के प्रयोग के लिए वर्णित "12 प्र"[4] ढांचे और कार्यनीति को प्रदर्शित करते हुए उसे *"आज़ादी का अमृत महोत्सव"* [5] की भावना के अनुरूप कार्यान्वित किया और राजभाषा विभाग रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्यों एवं क्रियाकलापों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन और विजन में अग्रणी रहा है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.70 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 'राजभाषा नीति: एक परिचय' पर एक पुस्तिका प्रकाशित करना और स्टाफ को जागरूक बनाने हेतु इसका प्रसार करना (पैराग्राफ XI.71);
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना और इसे सभी क्षेका/ केंकावि को एक तैयार रेकनर के रूप में परिचालित करना (पैराग्राफ XI.72) करना;
- रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.73);
- राजभाषा निरीक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण देना (पैराग्राफ XI.73);
- हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्षेका/ केंकावि में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ तीनों क्षेत्रों (*यथा* क, ख और ग) के लिए क्षेत्रवार समीक्षा बैठक आयोजित करना (पैराग्राफ XI.74);
- द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/ ईकेपी पर अपलोड किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सामग्रियों की निगरानी करना (पैराग्राफ XI.75); और
- प्रणाली को मजबूत करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और नियमित अंतराल पर अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी करना (पैराग्राफ XI.75);

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.71 राजभाषा से संबंधित नीतियों और अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करते हुए 'राजभाषा नीति: एक परिचय' नामक पुस्तिका को 21 मार्च 2022 को जारी किया गया। यह स्टाफ

[4] *राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "हिंदी में संघ के आधिकारिक कार्य के संचालन के लिए वार्षिक कार्यक्रम" के तहत 12प्र में 12 स्तंभ शामिल हैं, जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, पदोन्नति, प्रतिभा और प्रयास।*

[5] *आज़ादी का अमृत महोत्सव* भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और अभिनंदन करने के लिए है। यह 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू हुई और जो 15 अगस्त, 2023 को समाप्त होगी।

सदस्यों को उनके नियमित कार्यालयीन कार्यों में एक आसान और सुलभ संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

XI.72 राजभाषा संबंधी कार्यालयीन कामकाज को करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के लक्ष्यों और सभी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रयोग के संबंध में एक विस्तृत 'वार्षिक कार्ययोजना 2021-22' तैयार की गई। यह लक्ष्य आधारित व्यापक कार्ययोजना 02 अप्रैल 2021 को प्रकाशित हुई और रिज़र्व बैंक में उसका कार्यान्वयन हुआ।

XI.73 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर 15 फरवरी 2022 को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 37 अधिकारियों ने भाग लिया।

XI.74 हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 29 जून, 2021 को क्षेत्र 'क' में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं और 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए समीक्षा बैठकें क्रमशः 29 और 30 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गईं।

XI.75 द्विभाषीकरण और राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान अनुवाद पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नई में दो और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 53 राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

XI.76 भाषाई क्षेत्रों, *यथा* क, ख, और ग, में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित 'हिंदी इन-हाउस ई-पत्रिकाओं' *('हिंदी ई-गृह पत्रिकाएं')* को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने और रिज़र्व बैंक में हिन्दी में मौलिक रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के परिणाम 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित किए गए थे। इसके साथ ही, हिंदी दिवस 2021 *यानी* 14 सितंबर 2021 के अवसर पर; सभी कें.का.वि./ क्षे.का. द्वारा हिंदी सप्ताह/ पखवाड़े/माह का आयोजन करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण

XI.77 रिज़र्व बैंक के विजन स्टेटमेंट "उत्कर्ष 2022" के अनुसरण में वर्तमान और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन कौशल को बढ़ाने के लिए आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता द्वारा राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को 3-5 जनवरी 2022 के दौरान सामान्य बैंकिंग पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रकाशन

XI.78 रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन *जैसे* वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन जैसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए और ये रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अर्धवार्षिक ई-पत्रिका, *राजभाषा समाचार* और बैंकिंग और वित्त संबंधी विषयों से संबंधित अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका *'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'* का भी प्रकाशन किया गया।

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.79 विभाग द्वारा राजभाषा नीति संबंधी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को विकसित किया गया जिसका उपयोग वर्तमान में रिज़र्व बैंक के कें.का.वि./ क्षे.का./ प्र.सं. द्वारा राजभाषा संबंधी रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। एप्लिकेशन क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में विभिन्न

राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा भी उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.80 विभाग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है:

- बैंकिंग शब्दावली के नए संस्करण का दिसंबर 2023 तक प्रकाशन (*उत्कर्ष*);
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना;
- हिन्दी के प्रयोग के संबंध में कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार समीक्षा बैठकें आयोजित करना; और
- राजभाषा अधिकारियों के अनुवाद कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

8. परिसर विभाग

XI.81 परिसर विभाग का विजन रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्यात्मक आकर्षण के समेकन के साथ ग्रीन रेटिंग से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.82 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जनवरी 2022 के लिए उत्कर्ष के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना और उनमें सुधार करना (पैराग्राफ XI.83);
- चेन्नै (अन्ना नगर) और दिल्ली (हौज खास) में शीघ्र ही पूर्ण होने वाली आवासीय परियोजनाओं का अधिग्रहण (पैराग्राफ XI.84);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर, देहरादून और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करना [पैराग्राफ XI.84];
- शिलांग और रांची कार्यालय के भूखंडों पर चारदीवारी का निर्माण कार्य करना (पैराग्राफ XI.84);
- प्रमुख परियोजनाओं के भूखंडो की निगरानी हेतु उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) से उत्पादन वातावरण में अंतरण करना (पैराग्राफ XI.85);
- *उत्कर्ष* डेटा के ऑनलाइन समेकन और विश्लेषण के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को लागू करना और अन्य हरित पहल और ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा पर जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूखंडों से प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.85);
- हरित पहल के साथ कार्य जारी रखना (पैराग्राफ XI.86)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.83 वर्ष 2021-22 में विकास विजन से प्रेरित था क्योंकि विभाग ने इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। *उत्कर्ष* के तहत निर्धारित कई लक्ष्यों को विभाग ने प्राप्त कर लिया। कम-से-कम दो मौजूदा कार्यालय भवनों और सात मौजूदा आवासीय भवनों के लिए जनवरी 2022 तक गृह जीआरआईएचए/ आईजीबीसी[6] से संबन्धित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के विपरीत कुल तीन कार्यालय भवनों और आठ

[6] ग्रीन रेटिंग फॉर इंटेग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)/ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)।

आवासीय भवनों के लिए जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के दौरान आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों द्वारा आधार वर्ष (जून 2018 को समाप्त वर्ष) के 4.5 प्रतिशत अक्षय स्रोतों से बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2022 तक अक्षय स्रोतों से कुल ऊर्जा उत्पादन 5.52 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक ने जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष की वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2022 तक 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 22.67 प्रतिशत की ऊर्जा बचत हासिल की। जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष और इसके 7.5 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2022 (वर्ष-दर-वर्ष) में जल संरक्षण/बचत 24.0 प्रतिशत रही। ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण में वृद्धि भी कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रेरित स्थानीय और क्षेत्र-विशिष्ट के कंटेनमेंट उपायों की वजह से सीमित कार्य अवधि के कारण थी।

XI.84 चेन्नै (अन्ना नगर) में आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया और दिल्ली (हौज खास) परियोजना के चार आवासीय टावरों के लिए अधियोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है तथा इनमें से दो टावरों का कब्जा लेकर आबंटन के लिए दे दिया गया। मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के निर्माण कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त हो गई है। रायपुर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है तथा रांची एवं शिलांग कार्यालय के भूखंडों पर निर्माण कार्य आबंटित कर दिया गया है। देहरादून आवासीय परियोजना 2022-23 में शुरू हो जाएगी क्योंकि आयोजना सहित जमीन संबंधी अधिकतर काम हो चुका है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रेरित प्रतिबंधों के कारण कुछ परियोजनाओं की प्रगति बाधित हुई है।

XI.85 एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ-साथ ग्रीन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और *नीर* संरक्षण) प्लेटफॉर्म कार्यान्वयन उत्पादन पर्यावरण मोड में काम कर रहा है और अंतिम उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के सितंबर 2022 के अंत तक स्थिर होने की उम्मीद है।

XI.86 हरित पहल (*उत्कर्ष* के तहत लक्षित के अलावा) के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अप्रैल 2021-मार्च 2022 के दौरान 2 कार्यालयों और 7 आवासीय परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 के अंत तक 28 कार्यालय परिसरों और 51 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए, जिससे मार्च 2021 के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2504 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) से बढ़कर मार्च 2022 में 3150 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) हो गया। जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 20 कार्यालयों और 47 आवासीय भवनों वर्षा जल संचयन प्रणाली और 4 कार्यालयों और 12 आवासीय भवनों में सीवेज उपचार संयंत्रों को स्थापित किया गया। जैविक अपशिष्ट परिवर्तकों को 14 कार्यालयों और 52 आवासीय परिसरों में स्थापित किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण गतिविधियां

XI.87 मुंबई में उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) संस्था की इमारत की संरचना पूरी हो चुकी है। शेष संरचना कार्य (यांत्रिक, विद्युत और नलसाजी) और परिसज्जन कार्य प्रगति पर है।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

XI.88 भुवनेश्वर में रिज़र्व बैंक के लिए ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मुंबई में अतिरिक्त कार्यालय परिसर पट्टे पर लिए गए हैं।

XI.89 सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अचल संपत्तियों की टैगिंग और मिलान के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक को अपनाने का काम पूरा कर लिया गया। 22 केंद्रीय कार्यालय विभागों ने भी आरएफआईडी टैगिंग और मिलान का कार्य मार्च 2022 के अंत तक पूरा कर लिया है।

XI.90 वर्ष के दौरान, केंका, क्षेका और प्रसं द्वारा 679 ई-निविदाएं जारी की गईं। वर्तमान में एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करते हुए ई-निविदा के माध्यम से ₹5 लाख से अधिक की निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.91 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- *उत्कर्ष* 2022 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- कैफरल और देहरादून कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना;
- रांची और शिलांग कार्यालय भूखंडों पर चारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण करना;
- देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण शुरू करना;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और पणजी में कार्यालय भवन परियोजना शुरू करने के लिए कार्य करना;
- सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन कार्य पूर्ण करना और मुंबई में चकाला, मलाड फेज I तथा तपोवन में आवासीय परिसर के लिए कार्य करना;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-जेडटीसी परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाना;
- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए एंटरप्राईज परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को मजबूत और स्थिर करना; और
- *उत्कर्ष* डेटा के ऑनलाइन समेकन एवं विश्लेषण के लिए और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अन्य हरित पहल एवं ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा संबंधी जानकारी के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत और स्थिर करना।

9. निष्कर्ष

XI.92 संक्षेप में, यह अध्याय रिज़र्व बैंक में अभिशासन तथा मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण देता है। मानव संसाधन को भर्ती और ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड का व्यापक प्रयोग करते हुए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत किया गया। राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखें। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया तथा वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कार्ययोजना निर्धारित की है। रिज़र्व बैंक ने महामारी से उत्पन्न वातावरण में महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने, वित्तीय प्रणाली में कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए तेजी से और व्यापक रूप से कार्य किया है।

अनुबंध

सारणी XI.1: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा) के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकांत दास	8(1)(ए)	6	6
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	6	6
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	6	6
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	6	6
टी. रबी शंकर*	8(1)(ए)	6	6
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	6	5
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	6	6
नटराजन चंद्रशेखरन#	8(1)(सी)	5	3
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	6	6
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	6	6
देबाशीष पांडा^	8(1)(डी)	4	4
अजय सेठ	8(1)(डी)	6	5
संजय मल्होत्रा$	8(1)(डी)	1	1

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर ^: 31 जनवरी 2022 तक निदेशक

$: 16 फरवरी 2022 से निदेशक #: 3 मार्च 2022 तक निदेशक.

सारणी XI.2: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा) के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकांत दास	8(1)(ए)	46	45
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	46	43
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	46	42
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	45
टी. रबी शंकर*	8(1)(ए)	42	41
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	27	27
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	28	28
नटराजन चंद्रशेखरन#	8(1)(सी)	24	10
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	26	26
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	24	07
तरुण बजाज^	8(1)(डी)	02	02
अजय सेठ	8(1)(डी)	28	28

^: 23 अप्रैल 2021 तक निदेशक *: 3 मई 2021 से उप गवर्नर

#: 3 मार्च 2022 तक निदेशक.

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकांत दास	अध्यक्ष	12	12
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	12	10
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	12	10
टी. रबी शंकर*	सदस्य	11	11
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	12	11
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	10

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर

III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकांत दास	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर*	उपाध्यक्ष	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रशेखरन#	सदस्य	1	1
सचिन चतुर्वेदी$	सदस्य	1	1

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर $: 27 सितंबर, 2021 से सदस्य #: 3 मार्च 2022 तक निदेशक

सारणी XI.3: बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति
1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
श्री सतीश के. मराठे #	सदस्य	4	4
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	7	7

#: 27 सितंबर 2021 से सदस्य के रूप में नामित

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
सतीश के. मराठे	अध्यक्ष	1	1

III. मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
एन. चंद्रशेखरन*	अध्यक्ष	-	-

*: 27 सितंबर, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक अध्यक्ष के रूप में नामित

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	2	2
रेवती अय्यर#	सदस्य	2	1

#: 27 सितंबर, 2021 से सदस्य के रूप में नामित

V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
नटराजन चंद्रशेखरन*	अध्यक्ष	-	-
रेवती अय्यर#	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1

*: 27 सितंबर, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक अध्यक्ष के रूप में नामित

: 8 जुलाई 2021 को आयोजित बैठक के अध्यक्ष

सारणी XI.4: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्थानीय बोर्ड बैठकों में उपस्थिति			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
रेवती अय्यर, एन ए एल बी	धारा 9(1)	4	4
आर एन दुबे, एन ए एल बी	धारा 9(1)	4	4

एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

सारणी XI.5: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्थानीय बोर्ड के स्थान पर केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति		
सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
रेवती अय्यर	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	7	7

नोट: पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें और पश्चिमी क्षेत्र के लिए तीन बैठकें आयोजित की गईं।

XII वर्ष 2021-22 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

वर्ष 2020-21 रिज़र्व बैंक के लिए एक संक्रमण वर्ष था क्योंकि लेखा-वर्ष को 'जुलाई से जून' को बदलकर 'अप्रैल से मार्च' कर दिया गया था और इसलिए, लेखा-वर्ष 2020-21 नौ महीने की अवधि यानी 'जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक' का था। इस प्रकार, अध्याय में प्रस्तुत, चालू वर्ष-2021-22 और पहले के वर्षों (जुलाई से जून) के आँकड़े, पिछले वर्ष (जुलाई 2020 से मार्च 2021) के नौ महीने की अवधि की तुलना में बारह महीने के हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 8.46 प्रतिशत बढ़ा, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान इसकी चलनिधि और विदेशी मुद्रा परिचालन को दर्शाता है। वर्ष के लिए आय में जहां 20.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं व्यय में 280.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष के ₹99,122 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के अंत में कुल अधिशेष ₹30,307.45 करोड़ रहा, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 69.42 प्रतिशत की कमी आई।

XII.1 रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जिससे मुख्य रूप से उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ-साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है।

XII.2 कुछ समितियों की सिफारिशों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में तुलन-पत्र एवं आय विवरण के स्वरूप और विषय-वस्तु में बदलाव आया है (बॉक्स XII.1)।

बॉक्स XII.1

तुलन-पत्र और आय विवरण की प्रस्तुति का स्वरूप

रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र और आय विवरण के स्वरूप और प्रस्तुति आरबीआई सामान्य विनियमावली, 1949 में निर्धारित किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ समितियों की सिफारिशों के आधार पर तुलन-पत्र और आय विवरण की प्रस्तुति के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं।

वित्तीय विवरणों के स्वरूप और विषय-वस्तु के संबंध में तकनीकी समिति I (अध्यक्ष श्री वाई. एच. मालेगाम) की सिफारिशों को वर्ष 2014-15 से लागू किया गया था। इसके आधार पर, निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं - (i) रिज़र्व बैंक की कुल देयताओं और आस्तियों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए एक एकल तुलन-पत्र तैयार करने हेतु निर्गम और बैंकिंग विभाग के तुलन-पत्रों का विलय कर दिया गया था (हालांकि, निर्गम विभाग की आस्तियों और देयताओं को एकल तुलन-पत्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है); (ii) तुलन-पत्र में केवल आस्तियों और देयताओं की मुख्य मदों की सूचना दी गयी है, जबकि संबंधित विवरण संलग्न अनुसूचियों में दिए गए हैं; (iii) चूंकि विवरण अनुसूची में दिए गए हैं, इसलिए समान प्रकृति की मदों को समूहीकृत किया गया है और एक ही मद के रूप में दिखाया गया है; (iv) 'लाभ और हानि खाते' का नाम बदलकर 'आय विवरण' कर दिया गया है; और (v) चूंकि आय का प्रमुख स्रोत ब्याज आय है, इसलिए ब्याजेतर आय प्रकृति वाले सभी मदों को एक ही शीर्ष के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है और 'अन्य आय' के रूप में दिखाया गया है। समग्र रूप से रिज़र्व बैंक के लिए एकल आय विवरण तैयार किया जाना जारी है।

इसके बाद, रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः डॉ. बिमल जालान) की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2020-21 से कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं - (i) वित्तीय वर्ष के अनुरूप रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष में 'जुलाई-जून' से 'अप्रैल-मार्च' में परिवर्तन; (ii) आर्थिक पूंजी घटकों के संबंध में आरबीआई के वार्षिक खातों की अधिक पारदर्शी प्रस्तुति प्रदान करने की दृष्टि से, 'जोखिम प्रावधान (आकस्मिक निधि और आस्ति विकास निधि)' और 'पुनर्मूल्यन खातों' में शेष को अब अलग तुलन-पत्र शीर्ष के रूप में दिखाया गया है, जो पहले तुलन-पत्र शीर्ष 'अन्य देयताएँ और प्रावधान' का हिस्सा हुआ करते थे; और (iii) चूंकि जोखिम प्रावधान अब अलग से दिखाए गए हैं, इसलिए 'अन्य देयताएँ और प्रावधान' के नाम को बदल कर 'अन्य देयताएँ' कर दिया गया है।

स्रोत: आरबीआई

सारणी XII.1: आय, व्यय और निवल आय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
ए) आय	78,280.66	1,93,035.88	1,49,672.46	1,33,272.75	1,60,112.13
बी) कुल व्यय[1]	28,276.66[2]	17,044.15[3]	92,540.93[4]	34,146.75[5]	1,29,800.68[6]
सी) निवल आय (ए-बी)	50,004.00	1,75,991.73	57,131.53	99,126.00	30,311.45
डी) निधियों के लिए अंतरण[7]	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ई) केंद्र सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	50,000.00	1,75,987.73	57,127.53	99,122.00	30,307.45

टिप्पणी: 1. इसमें सीएफ और एडीएफ के लिए किया गया प्रावधान शामिल है।
2. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹14,189.27 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
3. एडीएफ़ में अंतरण के लिए ₹ 63.60 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
4. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹73,615 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए ₹20,710.12 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
6. इसमें सीएफ और एडीएफ में अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹1 करोड़ की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.3 वर्ष 2021-22 के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के प्रमुख वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं।

XII.4 तुलन-पत्र का आकार ₹4,82,633.14 करोड़ बढ़ गया, यानी 31 मार्च 2021 को ₹57,07,669.13 करोड़ से 8.46 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹61,90,302.27 करोड़ हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि विदेशी एवं घरेलू निवेश, स्वर्ण, ऋण तथा अग्रिम में क्रमशः 4.28 प्रतिशत, 11.67 प्रतिशत, 30.07 प्रतिशत और 54.53 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई थी। देयता पक्ष में वृद्धि जमाराशि और निर्गम किए गए नोटों में क्रमशः 16.24 प्रतिशत और 9.86 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। घरेलू आस्ति 28.22 प्रतिशत थी, जबकि विदेशी मुद्रा आस्ति और स्वर्ण (स्वर्ण जमा एवं भारत में धारित स्वर्ण सहित) 31 मार्च 2022 को कुल आस्ति का 71.78 प्रतिशत था, जबकि 31 मार्च 2021 तक यह क्रमशः 26.42 प्रतिशत और 73.58 प्रतिशत था।

XII.5 ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ के प्रावधान किए गए और क्रमशः आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में हस्तांतरित किया गया। आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति और केंद्र सरकार को हस्तांतरित अधिशेष सारणी XII.1 में दी गई है।

XII.6 वर्ष 2021-22 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन-पत्र और अनुसूचियों के साथ आय विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण और लेखा संबंधी सहायक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ
भारत के राष्ट्रपति

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक इसके द्वारा केंद्र सरकार को 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है), संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज स्पष्टीकरणों के अनुसार, अनुसूचियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एवं उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में इसके परिचालनों के परिणाम के सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ("आरबीआई अधिनियम, 1934") के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुरूप हमने यह लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखापरीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम बैंक निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की ज़िम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाओं के साथ तात्विक रूप से असंगत है अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत उल्लिखित प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हमारा निष्कर्ष है कि यह अन्य जानकारी जानकारी तात्विक रूप से गलत उल्लिखित है, तो उस तथ्य को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है।

इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक कुछ भी हमें नहीं मिला है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों का अभिशासन करने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों का अभिशासन करने वालों का यह उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करने वाले वित्तीय विवरण तैयार करें। इस जिम्मेदारी में निम्नलिखित भी शामिल हैं: पर्याप्त लेखापरीक्षा अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना और उनका पता लगाना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो सच्चा व सही दृष्टिकोण दें और तात्विक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटि के कारण हो।

आरबीआई अधिनियम, 1934 के अनुसार, बैंक का परिसमापन केवल केंद्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा और उसके द्वारा निदेशित किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा, बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने का मूल आधार जहां आरबीआई अधिनियम, 1934 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों पर आधारित है, वहीं प्रबंधन ने लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को अपनाया है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में इसकी निरंतरता को दर्शाता है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी उनकी है, जिन्हें इसके अभिशासन का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से इस संबंध में आश्वस्त होना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा अपने अभिमत के साथ एक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल

ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और अपने अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा पद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु के साथ-साथ यह मूल्यांकन करते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं, जिनकी पहचान हम लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को एक वक्तव्य भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं, और उन सभी संबंधों और उन अन्य मामलों को सूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित प्रभाव डालते हों, एवं जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का पालन किया है।

अन्य मामले

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संयुक्त रूप से मेसर्स प्रकाश चंद्र एंड कंपनी तथा मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी, एलएलपी, सनदी लेखाकारों ने अपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांकित 21 मई 2021 के जरिए संपन्न की और रिपोर्ट की, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रदान की गई और वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा के अपने कार्य के उद्देश्य हेतु जिस पर हमने भरोसा किया है। इस मामले में हमारी राय बदली नहीं है।

हम सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा–जोखा शामिल है, जिनकी लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते चंदाभॉय एंड जासूभॉय
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 101647W)

अंबेश दावे
भागीदार
सदस्यता सं. 049289
यूडीआईएन : 22049289AJHKHA6587

कृते जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 104767W)

अतुल साह
भागीदार
सदस्यता सं. 039569
यूडीआईएन : 22039569AJHLDU6907

स्थान : मुंबई
दिनांक : 20 मई 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

देयताएं	अनुसूची	2020-21	2021-22	आस्तियां	अनुसूची	2020-21	2021-22
पूंजी		5.00	5.00	**बैंकिंग विभाग की आस्तियां (बैंवि)**			
आरक्षित निधि		6,500.00	6,500.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	6	12.02	17.13
अन्य आरक्षित निधि	1	234.00	236.00	स्वर्ण - बैंकिंग विभाग	7	1,43,582.87	1,96,864.38
जमाराशियाँ	2	14,91,537.70	17,33,787.56	निवेश-विदेशी - बैंकिंग विभाग	8	12,29,940.41	11,41,127.75
जोखिम प्रावधान				निवेश-घरेलू - बैंकिंग विभाग	9	13,33,173.90	14,88,815.96
आकस्मिकता निधि		2,84,542.12	3,10,986.94	खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
आस्ति विकास निधि		22,874.68	22,974.68	ऋण और अग्रिम	10	1,35,118.91	2,08,792.85
पुनर्मूल्यन लेखा	3	9,24,454.99	9,34,544.00	सहयोगी संस्थाओं में निवेश	11	1,963.60	2,063.60
अन्य देयताएं	4	1,50,657.97	75,547.53	अन्य आस्तियां	12	37,014.75	46,900.04
निर्गम विभाग की देयताएं				**निर्गम विभाग की आस्तियां (निवि) (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)**			
जारी किए गए नोट	5	28,26,862.67	31,05,720.56	स्वर्ण- निवि	7	1,04,140.13	1,25,348.98
				रुपये सिक्के		743.40	508.29
				निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	8	27,21,979.14	29,79,863.29
				निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	9	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक-पत्र		0.00	0.00
						28,26,862.67	**31,05,720.56**
	कुल देयताएं	**57,07,669.13**	**61,90,302.27**		**कुल आस्तियां**	**57,07,669.13**	**61,90,302.27**

आर. कमलाकन्नन	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

आय	अनुसूची	2020-21	2021-22
ब्याज	13	69,057.09	95,088.76
अन्य आय	14	64,215.66	65,023.37
कुल		**1,33,272.75**	**1,60,112.13**
व्यय			
नोटों का मुद्रण		4,012.09	4,984.80
मुद्रा विप्रेषण पर व्यय		54.80	82.95
एजेंसी प्रभार	15	3,280.06	4,400.62
कर्मचारी लागत		4,788.03	3,869.43
ब्याज		1.10	1.77
डाक और संचार प्रभार		105.46	140.09
मुद्रण और लेखन-सामग्री		17.00	22.58
किराया, कर, बीमा, बिजली *आदि*		122.24	145.56
मरम्मत और रखरखाव		76.49	109.17
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.36	1.48
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		4.90	6.49
विधिक प्रभार		8.57	14.03
मूल्यह्रास		200.09	280.99
विविध व्यय		765.44	1,073.71
प्रावधान		20,710.12	1,14,667.01
कुल		**34,146.75**	**1,29,800.68**
उपलब्ध शेष राशि		**99,126.00**	**30,311.45**
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		1.00	1.00
(बी) नाबार्ड को अंतरित योग्य :			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि [1]		1.00	1.00
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि [1]		1.00	1.00
(सी) अन्य			
केंद्र सरकार को देय अधिशेष		**99,122.00**	**30,307.45**

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

आर. कमलाकन्नन	टी.रबी शंकर	एम. राजेश्वर राव	एम.डी.पात्र	एम.के.जैन	शक्तिकांत दास
मुख्य महाप्रबंधक	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

		2020-21	2021-22
अनुसूची 1:	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	30.00	31.00
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	204.00	205.00
	कुल	**234.00**	**236.00**
अनुसूची 2:	**जमाराशियां**		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	5,000.15	5,000.04
	(ii) राज्य सरकारें	42.48	42.45
	उप योग	***5,042.63***	***5,042.49***
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	6,51,748.12	8,23,632.33
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8,893.19	7,592.50
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	9,848.31	10,871.51
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,560.21	5,089.60
	(v) अन्य बैंक	23,817.12	29,540.22
	उप योग	***6,98,866.95***	***8,76,726.16***
	(सी) भारत से बाहर के वित्तीय संस्थान		
	(i) रिपो उधार–विदेशी	9,038.44	74,438.88
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन–विदेशी	120.51	1,289.10
	उप योग	***9,158.95***	***75,727.98***
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाते के प्रशासक	4,302.70	4,503.16
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि	39,264.25	48,262.85
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	1,226.67	491.28
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	1,439.68	1,007.61
	(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	522.50	542.64
	(vi) म्यूचुअल फंड	1.35	1.34
	(vii) अन्य	7,31,712.02	7,21,482.05
	उप योग	***7,78,469.17***	***7,76,290.93***
	कुल	**14,91,537.70**	**17,33,787.56**
अनुसूची 3:	**पुनर्मूल्यन लेखा**		
	(i) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	8,58,877.53	9,13,389.29
	(ii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां(आईआरए-एफएस)	8,853.67	0.00
	(iii) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	56,723.79	18,577.81
	(iv) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	0.00	2,576.90
	कुल	**9,24,454.99**	**9,34,544.00**
अनुसूची 4:	**अन्य देयताएं**		
	(i) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	6,127.35	0.00
	(ii) देयराशियों के लिए प्रावधान	3,240.73	3,281.08
	(iii) उपदान और अधिवर्षिता निधि	28,497.67	28,872.79
	(iv) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	99,122.00	30,307.45
	(v) देय बिल	4.36	0.14
	(vi) विविध	13,665.86	13,086.07
	कुल	**1,50,657.97**	**75,547.53**
अनुसूची 5:	**जारी नोट**		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	11.98	17.07
	(ii) संचलन में नोट	28,26,850.69	31,05,703.49
	कुल	**28,26,862.67**	**31,05,720.56**

		2020-21	2021-22
अनुसूची 6:	**नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)**		
	(i) नोट	11.98	17.07
	(ii) रुपये सिक्के	0.03	0.05
	(iii) छोटे सिक्के	0.01	0.01
	कुल	**12.02**	**17.13**
अनुसूची 7:	**स्वर्ण**		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण	1,43,582.87	1,92,169.72
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	4,694.66
	उप योग	***1,43,582.87***	***1,96,864.38***
	(बी) निर्गम विभाग	1,04,140.13	1,25,348.98
	कुल	**2,47,723.00**	**3,22,213.36**
अनुसूची 8:	**निवेश-विदेशी**		
	(i) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग	12,29,940.41	11,41,127.75
	(ii) निवेश-विदेशी-निर्गम विभाग	27,21,979.14	29,79,863.29
	कुल	**39,51,919.55**	**41,20,991.04**
अनुसूची 9:	**निवेश घरेलू**		
	(i) निवेश-घरेलू-बैंकिंग विभाग	13,33,173.90	14,88,815.96
	(ii) निवेश-घरेलू-निर्गम विभाग	0.00	0.00
	कुल	**13,33,173.90**	**14,88,815.96**
अनुसूची 10:	**ऋण और अग्रिम**		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) केंद्र सरकार	0.00	0.00
	(ii) राज्य सरकार	3,382.79	1,666.56
	उप योग	***3,382.79***	***1,666.56***
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	90,252.18	94,365.75
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	25,425.56	23,010.10
	(vi) अन्य	6,905.32	14,506.94
	उप योग	***1,22,583.06***	***1,31,882.79***
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम		
	(i) रिवर्स रिपो उधार-विदेशी	9,129.72	75,190.78
	(ii) रिपो मार्जिन–विदेशी	23.34	52.72
	उप योग	***9,153.06***	***75,243.50***
	कुल	**1,35,118.91**	**2,08,792.85**
अनुसूची 11:	**सहयोगी/अनुषंगी संस्थाओं में निवेश**		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00
	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00
	(iii) रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00
	(iv) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफ़ई)	30.00	30.00
	(v) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफ़टीएएस)	33.60	33.60
	(vi) रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	0.00	100.00
	कुल	**1,963.60**	**2,063.60**

		2020-21	2021-22
अनुसूची 12:	**अन्य आस्तियां**		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यह्रास को घटाकर)	923.46	882.46
	(ii) **उपचित आय (ए+बी)**	34,643.53	41,769.61
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	*355.37*	*366.08*
	बी. अन्य मदों पर	*34,288.16*	*41,403.53*
	(iii) स्वैप परिशोधन लेखा (एसएए)	0.00	0.00
	(iv) वायदा संविदा लेखा का पुनर्मूल्यन (आरएफ़सीए)	0.00	2,576.90
	(v) विविध	1,447.76	1,671.07
	कुल	**37,014.75**	**46,900.04**
अनुसूची 13:	**ब्याज**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	59,824.79	96,396.42
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-17,957.86	-35,501.29
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	12.38	37.63
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,709.00	1,501.82
	उप योग	***43,588.31***	***62,434.58***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	23,059.63	31,559.33
	(ii) रिपो /रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	9.83	42.32
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	2,399.32	1,052.53
	उप योग	***25,468.78***	***32,654.18***
	कुल	**69,057.09**	**95,088.76**
अनुसूची 14:	**आय- अन्य**		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	964.16	403.76
	(iii) कमीशन	2,073.97	3,058.09
	(iv) प्राप्त किराया	5.19	11.38
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	5,193.94	6,028.19
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलिओ अंतरण पर मूल्यह्रास	-8.12	-20.07
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	846.48	-1,717.97
	(viii) बैंक की संपत्ति बिक्री से लाभ/हानि	1.38	6.72
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	-108.38	325.09
	उप योग	***8,968.62***	***8,095.19***
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	-6,715.95	-15,286.09
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	11,348.84	3,002.39
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय पर लाभ/हानि	50,629.18	68,990.55
	(iv) विविध आय	-15.03	221.33
	उप योग	***55,247.04***	***56,928.18***
	कुल	**64,215.66**	**65,023.37**
अनुसूची 15:	**एजेंसी प्रभार**		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	2,611.05	3,858.95
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन	642.95	486.95
	(iii) विविध (राहत /बचत बॉन्डों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया टर्नओवर प्रभार)	6.30	12.29
	(iv) बाहरी आस्ति-प्रबंधकों, अभिरक्षकों, ब्रोकर, आदि को अदा किया गया शुल्क	19.76	42.43
	कुल	**3,280.06**	**4,400.62**

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में अपनायी गयी महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (आरबीआई अधिनियम, 1934) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य ''बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

ए) बैंक नोट का निर्गम एवं सिक्कों का संचलन

बी) अंतिम ऋणदाता के कार्य करने सहित मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना और मौद्रिक नीति का निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करना।

सी) वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण।

डी) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।

ई) विदेशी मुद्रा का प्रबंध कर्ता।

एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।

जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।

एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

आई) राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग हेतु विकासात्मक गतिविधियां संचालित करना।

1.3 आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाएगा और निर्गम विभाग की आस्तियाँ निर्गम विभाग की देयताओं को छोड़कर किसी अन्य देयता के अधीन नहीं होंगी। आरबीआई अधिनियम, 1934 में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए । आरबीआई अधिनियम, 1934 की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं भारत सरकार के करेंसी नोटों तथा उस समय संचलनगत बैंक नोटों के योग के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 कन्वेंशन

वित्तीय विवरण, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए जाते हैं। ये ऐतिहासिक लागत पर आधारित होते हैं, सिवाय इसके कि जहां पुनर्मूल्यन और/या परिशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किया गया हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2.2 राजस्व मान्यता

ए) आय और व्यय को बैंकों से लिए जाने वाले दंडात्मक ब्याज को छोड़कर उपचय के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसका हिसाब तभी दिया जाता है जब वसूली की निश्चितता हो। शेयरों पर लाभांश आय को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

बी) ड्राफ्ट देय खाते, भुगतान आदेश खाता, विविध जमा खाता- विविध-बीडी, प्रेषण निकासी खाता, बयाना राशि जमा खाता और सुरक्षा जमा खाते सहित कुछ ट्रांजिट खातों में तीन से अधिक स्पष्ट लगातार लेखांकन वर्षों के लिए बकाया और बकाया राशि की समीक्षा की जाती है

और आय के लिए वापस लिखा जाता है। दावे, यदि कोई हों, पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में आय के विपरीत अधिरोपित किया जाता है।

सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय शुक्रवार को समाप्त सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन, जैसा लागू हो, पर प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है।

डी) विदेशी मुद्राओं और सोने की बिक्री पर विनिमय लाभ/हानि को लागत निकालने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का उपयोग करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

2.3 स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

सोने और विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएँ में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

ए) सोना

सोने (स्वर्ण जमा सहित) का पुनर्मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) के अमेरिकी डॉलर में सोने की कीमत के नब्बे (90) प्रतिशत और मूल्यांकन दिनों में रुपया-अमेरिकी डॉलर बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। अप्राप्त मूल्यांकन लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में शामिल किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रिपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और संविदागत रूप में निर्धारित दरों वाली संविदाओं को छोड़कर) शुक्रवार को समाप्त कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह के आखिरी कारोबारी दिवस को विद्यमान विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से होने वाले लाभ/हानि का लेखांकन सीजीआरए में किया जाता है।

ट्रेजरी बिल (टी-बिल) से इतर विदेशी प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक पत्र और कुछ 'परिपक्वता के लिए धारित' प्रतिभूतियों के अलावा (जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों में निवेश और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईआईएफसी), यूके द्वारा जारी बॉन्ड जो मूल्य पर मूल्यांकित हैं) शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह और महीने के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार मार्क-टू-मार्केट होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता - विदेशी प्रतिभूति' (आईआरए-एफएस) में दर्ज किए जाते हैं। आईआरए-एफ़एस में क्रेडिट शेष को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है। आईआरए-एफ़एस में वर्ष के अंत में डेबिट शेष, यदि कोई हो, आकस्मिकता निधि (सीएफ़) से वसूल किया जाता है और उसे अगले लेखा वर्ष के पहले कार्य दिवस पर वापस कर दिया जाता है।

विदेशी टी-बिल और वाणिज्यिक पत्रों को छूट/प्रीमियम के परिशोधन द्वारा समायोजित लागत पर ले जाया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम या छूट का दैनिक परिशोधन किया जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि को बही मूल्य के संबंध में मान्यता दी जाती है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में पड़ी बेची गई/रिडीम की गई प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि को आय खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

सी) फॉरवर्ड / स्वैप अनुबंध

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा संविदाओं पुनर्मूल्यन खाते (आरएफसीए)' में नामे डालते हुए की जाती है, तो बाजार मूल्य पर (एमटीएम) निवल हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है और इसकी प्रति-प्रविष्टि 'वायदा

संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) को क्रेडिट करते हुए की जाती है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया जाता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है । अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

एफसीवीए में डेबिट बैलेंस, यदि कोई हो, बैलेंस शीट की तारीख पर, सीएफ से चार्ज किया जाता है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। आरएफसीए और पीएफसीवीए में शेष राशि वायदा अनुबंधों के मूल्यांकन पर क्रमशः निवल अप्राप्त लाभ और हानियों का प्रतिनिधित्व करती है।

बाजार से भिन्न दरों पर की जाने वाली स्वैप, जो रिपो के रूप में होती है, भावी निविदा दर तथा निविदा किए जाने की तय दर के बीच के अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिप्रविष्टि 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती है । अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर एसएए में दर्ज राशि की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यन नहीं किया जाता है।

जबकि एफसीवीए 'पुनर्मूल्यांकन खातों' का हिस्सा है, पीएफसीवीए 'अन्य देनदारियों' का हिस्सा है और आरएफसीए और एसएए 'अन्य परिसंपत्तियों' का हिस्सा हैं।

डी) पुनर्खरीद लेनदेन

रिज़र्व बैंक, रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में विदेशी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो और रिवर्स रेपो) में भाग लेता है। रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'जमा' के तहत दिखाया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो लेनदेन को विदेशी मुद्राओं के उधार के रूप में माना जाता है और 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है।

ई) डेरिवेटिव में लेनदेन

रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के भाग के रूप में किए गए ब्याज दर फ्यूचर्स, मुद्रा फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप और एक दिवसीय सूचकांकित स्वैप जैसे डेरिवेटिव में लेन-देन को आवधिक रूप से बाजार भाव पर मार्क्ड-टु-मार्केट रेट दर्शाया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

एफ़) प्रतिभूति ऋण संबंधी लेनदेन

रिज़र्व बैंक, रिज़र्व प्रबंधन परिचालन के तहत किए गए प्रतिभूति ऋण लेनदेन में भाग लेता है। उधार दी गई प्रतिभूतियां, रिज़र्व बैंक के निवेश का एक हिस्सा होती हैं और परिशोधित की जाती हैं, ब्याज अर्जित करती हैं और बाजार भाव पर दर्शाया जाता है।

2.4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में लेनदेन

बैंक द्वारा अपने हस्तक्षेप कार्यों के हिस्से के रूप में किए गए ईटीसीडी लेनदेन दैनिक आधार पर बाजार भाव पर दर्शाये जाते हैं और परिणामी लाभ / हानि आय खाते में दर्ज की जाती है।

2.5 घरेलू निवेश

ए) रुपये की प्रतिभूतियां और तेल बॉन्ड, टी-बिलों तथा (डी) में उल्लिखित को छोड़कर, शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन और प्रत्येक महीने के अंतिम कारोबारी दिन को बाजार भाव पर दर्ज़ किए जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि को 'निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता-रुपया प्रतिभूतियां' (आईआरए-आरएस) में शामिल किया गया है। आईआरए-आरएस में क्रेडिट बैलेंस को अगले लेखा वर्ष में ले जाया जाता है। आईआरए-आरएस में वर्ष के अंत में डेबिट

बैलेंस, यदि कोई हो, को सीएफ़ से चार्ज किया जाता है और इसे अगले अकाउंटिंग वर्ष के पहले कार्य दिवस पर रिवर्स कर दिया जाता है। रुपये की प्रतिभूतियों/तेल बॉन्ड की बिक्री/मोचन पर, रुपये की प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यांकन लाभ/हानि और आईआरए-आरएस में पड़े बेचे गए/रिडीम किए गए तेल बांड आय खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रुपया प्रतिभूतियां और तेल बॉन्ड भी दैनिक परिशोधन के अधीन हैं।

बी) ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सी) अनुषंगियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

डी) विभिन्न स्टाफ फंडों (जैसे ग्रेच्युटी और सुपरएनुएशन, प्रोविडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट, मेडिकल असिस्टेंस फंड) और डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के लिए निर्धारित तेल बांड और रुपया प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता के लिए धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधन लागत पर धारित किया जाता है।

ई) घरेलू निवेश में लेनदेन का हिसाब निपटान तिथि के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के तहत रेपो लेनदेन को उधार के रूप में माना जाता है और तदनुसार 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया जाता है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेन को जमा के रूप में माना जाता है और 'जमा-अन्य' के तहत दिखाया जाता है।

2.7 अचल संपत्ति

ए) अचल संपत्तियों को कला और पेंटिंग और फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर लागत कम मूल्यह्रास पर बताया गया है जो लागत पर रखी गई है।

बी) ₹1 लाख तक की अचल संपत्ति (लैपटॉप/ई-बुक रीडर जैसी आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय के लिए शुल्क लिया जाता है। आसानी से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति, जैसे लैपटॉप, आदि, जिनकी कीमत ₹10,000 से अधिक है, को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना मासिक आनुपातिक आधार पर लागू दर पर की जाती है।

सी) ₹1 लाख रुपये या उससे अधिक की लागत वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की व्यक्तिगत वस्तुओं को पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यह्रास की गणना लागू दरों पर मासिक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

डी) वर्ष के दौरान (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) अर्जित और पूंजीकृत भूमि और भवनों के अलावा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना पूंजीकरण के महीने से मासिक आनुपातिक आधार पर की जाएगी और छमाही आधार पर लागू आस्तियों के उपयोगी जीवन काल के आधार पर निर्धारित दरों पर।

ई) निम्नलिखित अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित तरीके से एक संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है:

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यह्रास **की दर**)
1	2
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, स्थावर संपदा, सीवीपीएस / एसबीएस मशीनें, *आदि*।	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो-प्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर /आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

एफ) मासिक यथानुपात आधार पर अचल संपत्तियों की छमाही के अंत में शेष राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। भूमि और भवन के अलावा अन्य संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के मामले में, ऐसी संपत्तियों को जोड़ने/हटाने के महीने सहित मासिक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(जी) बाद के खर्च पर मूल्यह्रास:

i. एक मौजूदा अचल संपत्ति पर किए गए बाद के व्यय को खाता-बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास नहीं किया गया है, मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है ;

ii. मौजूदा अचल संपत्ति के आधुनिकीकरण/परिवर्धन/ओवरहालिंग पर किए गए बाद के खर्च, जिनका पहले से ही खाता-बहियों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है, जिसमें व्यय किया जाता है।

एच) भूमि एवं भवन : भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

भूमि

i. 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे पर ली गई है। इस प्रकार के पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियाँ माना जाता है और इसीलिए इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।

ii. 99 वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।

iii. पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

i. सभी भवनों का जीवन-काल तीस वर्ष माना जाता है और इन पर मूल्यह्रास तीस वर्षों के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों पर मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान 'स्ट्रेट-लाइन' आधार पर प्रभारित किया जाता है।

ii. भवनों को हुई क्षति: क्षति के आकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु जो भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनका उपयोग भविष्य में बंद कर दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यह्रास की राशि होगी। इस प्रकार प्राप्त समग्र मूल्यह्रास की राशि और बही मूल्य के अंतर को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी) जिन भवनों का उपयोग बंद कर दिया गया है/जिन्हें खाली कर दिया गया है : ऐसे भवनों को बेच कर प्राप्त मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) अथवा स्क्रैप मूल्य में से भवन ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि (यदि भवन को ढहाया जाना हो) को दर्ज किया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य (निवल बिक्री मूल्य) / स्क्रैप मूल्य में से ढहाए जाने की लागत को घटाकर प्राप्त राशि को मूल्यह्रास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

2.8 कर्मचारी लाभ

ए) बैंक अपने पात्र कर्मचारियों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित दर पर भविष्य निधि में अंशदान करता है और इन अंशदानों को संबंधित वर्ष में आय खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के कारण अन्य देयताएं 'प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट' पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.7 रिज़र्व बैंक की देयताएं

XII.7.1 पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹5 करोड़ थी। रिज़र्व बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹5 करोड़ बनी हुई है।

XII.7.2 आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्टूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹6,495 करोड़ की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹6,500 करोड़ हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में 'पुनर्मूल्यन खाता' की मद का एक हिस्सा है।

XII.7.3 अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए) *राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46सी के अनुसार ₹10 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹31 करोड़ थी।

बी) *राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि*

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹50 करोड़ की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, प्रतिवर्ष सिर्फ ₹1 करोड़ की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹205 करोड़ की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष ₹1 करोड़ की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

XII.7.4 जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), नाबार्ड इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, डीईए निधि, रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि, पीआईडीएफ़ आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं। कुल जमाराशि में 16.24 प्रतिशत

की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 के ₹ 14,91,537.70 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹17,33,787.56 करोड़ हो गयी।

ए) जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 31 मार्च 2021 के ₹5,000.15 करोड़ और ₹42.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेष राशियां क्रमश: ₹5000.04 करोड़ और ₹42.45 करोड़ थीं।

बी) जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 25.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2021 के ₹ 6,98,866.95 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹8,76,726.16 करोड़ हो गयी। इस शीर्ष में वृद्धि चरणबद्ध तरीके से सीआरआर की बहाली और बैंकों द्वारा अतिरिक्त सीआरआर धारिता में वृद्धि के कारण हुई है, बैंकों को 31 मार्च, 2021 को एनडीटीएल के 3.5 प्रतिशत की सीआरआर आवश्यकता की तुलना में मार्च 2022 के अंत में एनडीटीएल के 4 प्रतिशत सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता थी।

सी. जमाराशियां – भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं

वर्ष के दौरान रिपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस शीर्ष में धारित जमाराशियां 31 मार्च 2021 को ₹9,158.95 की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹ 75,727.98 करोड़ थीं।

डी) जमाराशियां - अन्य

'जमाराशियां - अन्य' में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, डीईए निधि की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, एमएएफ़, पीआईडीएफ़, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹7,78,469.17 करोड़ थी, इसमें 0.28 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2022 को ₹7,76,290.93 करोड़ हो गयी।

XII.7.5 जोखिम प्रावधान

रिज़र्व बैंक के दो जोखिम प्रावधान है अर्थात, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ)। इन निधियों के लिए किए गए प्रावधान आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार किए गए हैं। उनके विवरण निम्नानुसार हैं :

ए) आकस्मिक निधि (सीएफ)

इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा रिज़र्व बैंक को दिए गए विशेष उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, निवेश पुनर्मूल्यन खाता-विदेशी प्रतिभूति (आईआरए-एफएस) के नामे शेष के कारण सीएफ पर ₹94,249.54 करोड़ का प्रभार लगाया गया। अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस पर सीएफ का प्रभार प्रत्यावर्तित किया गया। इसके अलावा, सीएफ के लिए ₹1,14,567.01 करोड़ मुहैया कराया गया। तदनुसार,

31 मार्च 2021 के ₹2,84,542.12 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को सीएफ शेष राशि ₹3,10,986.94 करोड़ थी ।

बी. *आस्ति विकास निधि (एडीएफ)*

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) में नए निवेश के लिए एडीएफ के लिए ₹100 करोड़ की राशि प्रदान की गई। उपर्युक्त के आधार पर, 31 मार्च 2022 को एडीएफ में शेष राशि ₹22,974.68 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह राशि ₹22,874.68 करोड़ थी।

सारणी XII.2: जोखिम प्रावधानों में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीएफ में शेष राशि	एडीएफ में शेष राशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएफ
1	2	3	4=(2+3)	5
30 जून 2018	2,32,107.76	22,811.08	2,54,918.84	7.05
30 जून 2019	1,96,344.35@	22,874.68@@	2,19,219.03	5.34
30 जून 2020	2,64,033.94$	22,874.68	2,86,908.62	5.38
31 मार्च 2021	2,84,542.12*	22,874.68	3,07,416.80	5.39
31 मार्च 2022	3,10,986.94^	22,974.68^^	3,33,961.62	5.39

@: 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, सीएफ में आयी गिरावट ₹52,637 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

@@ : एडीएफ में वृद्धि एनसीएफ़ई और आईएफ़टीएएस में क्रमशः ₹30 करोड़ और ₹33.60 करोड़ के निवेश के प्रावधान के कारण है।

$: 30 जून 2020 की स्थिति के अनुसार ₹73,615 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹5,925.41 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई ।

*: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹20,710.12 करोड़ के प्रावधान और एफसीवीए के ₹6,127.35 करोड़ राशि के नामे शेष को प्रभारित करने के निवल प्रभाव की वजह से सीएफ में वृद्धि हुई ।

^: सीएफ में वृद्धि, 31 मार्च 2022 तक ₹1,14,567.01 करोड़ के प्रावधान और आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ की राशि के नामे शेष का निवल प्रभाव है।

^^: आरबीआईएच में ₹100 करोड़ के निवेश का प्रावधान करने के कारण एडीएफ में वृद्धि हुई है।

XII.7.6 पुनर्मूल्यन खाते

अप्राप्त बाजार मूल्यों लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष अर्थात मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए) और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) में अंकित किया जाता है। उनके विवरण निम्नानुसार हैं:

ए) *मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)*

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव । विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष, आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तित होता रहता है। सीजीआरए, विनिमय दर/ स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरए पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपाई आकस्मिकता निधि से की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, सीजीआरए शेष में 31 मार्च 2021 के ₹8,58,877.53 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 को ₹9,13,389.29 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण रुपये का मूल्यह्रास तथा स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी है।

बी) *निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफ़एस)*

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरए-एफएस में अंतरित किया जाता है। आईआरए-एफएस की शेष राशि 31 मार्च 2021 की ₹8,853.67 करोड़ से घटकर 31 मार्च

2022 को ₹(-)94,249.54 करोड़ हो गयी जिसका कारण सभी प्रमुख बाजारों के लिए परिपक्वताओं में प्रतिफल की वृद्धि है। मौजूदा नीति के अनुसार, आईआरए-एफएस में ₹94,249.54 करोड़ का डेबिट बैलेंस 31 मार्च 2022 के सीएफ के विरुद्ध समायोजित किया गया, जिसे अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को प्रत्यावर्तित कर दिया गया। तदनुसार, 31 मार्च 2022 को आईआरए-एफएस में शेष राशि शून्य थी।

सी) निवेश पुनर्मूल्यन खाता – रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन शुक्रवार को समाप्त प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस और प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरए-आरएस में दर्ज किया जाता है । आईआरए-आरएस में शेष राशि 31 मार्च 2021 के ₹56,723.79 करोड़ से गिरकर 31 मार्च 2022 को ₹18,577.81 करोड़ हो गयी क्योंकि – (ए) प्रतिफल वक्र में प्रतिफल अधिक होने के कारण मार्क-टु-मार्केट हानि और (बी) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री होने पर अप्राप्त लाभ को प्राप्त लाभ में दर्ज़ करने के कारण निवल प्रभाव पड़ा।

डी) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए)

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन करने पर निवल ₹2,576.90 करोड़ का अप्राप्त लाभ हुआ जिसे एफसीवीए में नामे डालते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि पीएफसीवीए में जमा करके की गयी और इसकी तुलना में, वर्ष 2020-21 में ₹6,127.35 करोड़ की निवल अप्राप्त हानि को, पीएफसीएवीए में प्रतिप्रविष्टि के साथ, एफसीएवीए के नामे डाला गया और एफसीवीए के उक्त डेबिट बैलेंस को, तदनुसार, वर्ष 2020-21 में सीएफ के साथ समायोजित किया गया।

XII.7.7 अन्य देयताएं

'अन्य देयताएं' 31 मार्च 2021 को ₹1,50,657.97 करोड़ से 49.85 प्रतिशत घटकर 31 मार्च 2022 को ₹75,547.53 करोड़ रह गई, जो मुख्य रूप से भारत सरकार को देय अधिशेष में कमी के कारण है।

i. वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

31 मार्च 2022 को इस खाते में शेष राशि शून्य थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह राशि ₹6,127.35 करोड़ थी।

पिछले पाँच वर्षों के लिए पुनर्मुल्यन खाते तथा वायदा संविदा मूल्यन खाते (पीएफसीवीए) में शेष राशि की स्थिति सारणी XII.3 में दी गई है ।

सारणी XII.3: सीजीआरए, आईआरए-एफएस, आईआरए-आरएस, एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

स्थिति	सीजीआरए	आईआरए-एफएस	आईआरए–आरएस	एफसीवीए	पीएफसीवीए
1	2	3	4	5	6
30 जून 2018	6,91,640.97	0.00	13,285.22	3,261.92	0.00
30 जून 2019	6,64,479.74	15,734.96	49,476.26	1,303.96	0.00
30 जून 2020	9,77,141.23	53,833.99	93,415.50	0.00	5,925.41
31 मार्च 2021	8,58,877.53	8,853.67	56,723.79	0.00	6,127.35
31 मार्च 2022	9,13,389.29	0.00	18,577.81	2,576.90	0.00

ii. *देय राशि के लिए किए गए प्रावधान*

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च 2021 के ₹3,240.73 करोड़ से 1.25 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 में ₹3,281.08 करोड़ हो गई।

iii. *केंद्र सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष*

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यह्रास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद रिज़र्व बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अतिकर का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद सीएफ और एडीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों को ₹4 करोड़ के अंशदान के बाद वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹30,307.45 करोड़ है (इसमें पिछले वर्ष के समान ₹493.92 करोड़ शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)।

iv. *देय बिल*

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के अतर्गत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ को दर्शाता है। इस मद के अंतर्गत बकाया राशि 31 मार्च 2021 की ₹4.36 करोड़ की स्थिति से घटकर 31 मार्च 2022 को ₹0.14 करोड़ हो गयी।

v. *विविध*

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान *आदि* मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ₹13,665.86 करोड़ थी जो घटकर 31 मार्च 2022 को ₹13,086.07 करोड़ हो गयी।

XII.7.8 निर्गम विभाग की देयताएं-जारी किए गए नोट

निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारंभ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। 'जारी किए गए नोटों' की संख्या 31 मार्च 2021 को ₹28,26,862.67 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 को 9.86 प्रतिशत बढ़कर ₹ 31,05,720.56 करोड़ हो गई। पहले ही, 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹10,719.37 करोड़ की राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था, को 'अन्य देयताएं' में अंतरित कर दिया गया। दिनांक 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के विनिमय मूल्य के रूप में ₹4.30 करोड़ की राशि की अदायगी की।

XII.8 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्का और छोटा सिक्का

इस शीर्ष में रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग की तिजोरियों में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5, 10 और 20 के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों

के शेष को दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹17.13 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च 2021 को यह शेष राशि ₹12.02 करोड़ थी।

ii) स्वर्ण – बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक के पास 31 मार्च 2021 के 695.31 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2022 को 760.42 मेट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 65.11 मेट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण हुई है।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार उक्त 760.42 मेट्रिक टन में से 295.82 मेट्रिक टन -31 मार्च 2021 को 292.30 मेट्रिक टन की तुलना में - जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया गया है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2021 के शेष 403.01 मेट्रिक टन की तुलना में 31 मार्च 2022 को धारित 464.60 मेट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XII.4)।

बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखे गए स्वर्ण (स्वर्ण जमा सहित) का मूल्य 31 मार्च 2021 को ₹1,43,582.87 करोड़ से 37.11 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹1,96,864.38 करोड़ हो गया। यह वृद्धि, 61.59 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण के और स्वर्ण की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया के मूल्यह्रास के कारण हुई है।

सारणी XII.4: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2022 के अनुसार
	मात्रा मीट्रिक टन में	मात्रा मीट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों के समर्थन हेतु धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	295.82
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	403.01	464.60
कुल	**695.31**	**760.42**

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है, किन्तु वर्ष 2021-22 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बहियों में में इस प्रकार की कोई आस्ति नहीं है।

iv) निवेश-विदेशी-बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) विदेशों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है : (ए) 'निवेश-विदेशी -बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (बी) 'निवेश-विदेशी-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में दर्शाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार निवेश-विदेशी-आईडी वे पात्र एफसीए हैं जिनका उपयोग जारी नोटों के समर्थन के लिए किया जाता है। बचा हुआ एफसीए 'निवेश-विदेश-बीडी' का हिस्सा होता है।

पिछले दो वर्षों के एफसीए की स्थिति सारणी XII.5 में दी गई है।

v) निवेश – घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेशों में दिनांकित सरकारी रुपया प्रतिभूतियाँ, राज्य विकास ऋण, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉण्ड शामिल हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियां, जो कि 31 मार्च 2021 को ₹13,33,173.90 करोड़ थी, वे 11.67 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 को

सारणी XII.5: विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च की स्थिति में	
	2021	2022
1	2	3
I निवेश-विदेश-बीडी*	12,29,940.41	11,41,127.75
II निवेश-विदेश-आईडी	27,21,979.14	29,79,863.29
कुल	**39,51,919.55**	**41,20,991.04**

*: इसमें 31 मार्च 2021 के ₹11,156.96 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार ₹11,286.57 करोड़ पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित बीआईएस और विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) तथा एसडीआर के शेयर शामिल हैं।

टिप्पणियां:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमति दी है। 01 जनवरी 2021 से एनएबी के तहत भारत की एसडीआर प्रतिबद्धता 8.88 बिलियन (₹93,035.29 करोड़/ यूएस$ 12.29 बिलियन) है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, एनएबी के तहत एसडीआर 0.09 बिलियन (₹928.33 करोड़/ यूएस$ 0.12 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
2. आरबीआई, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्डों में राशि, जिसका कुल 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹37,861.90 करोड़) से अधिक नहीं होगा, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बॉन्डों में यूएस$ 1.44 बिलियन (₹10,904.23 करोड़) का निवेश किया है।
3. वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में एसडीआर धारिताओं का चरणबद्ध तरीके से अंतरण किया जाएगा। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, रिज़र्व बैंक के पास 1.05 बिलियन एसडीआर (₹10,975 करोड़/ यूए$ 1.45 बिलियन) की धारिता थी।
4. रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय वित्तीय तथा आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस $2 बिलियन तक की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, भूटान और श्रीलंका के साथ क्रमशः यूएस$ 0.20 बिलियन (₹1,517.87 करोड़) और यूएस$ 0.40 बिलियन (₹3,028.96 करोड़) स्वैप बकाया है।
5. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, पुनर्खरीद और आईआरएफ लेनदेन में संपार्श्विक और मार्जिन के रूप में तैनात विदेशी प्रतिभूतियों का सांकेतिक मूल्य ₹74,830.06 करोड़ रुपये/ यूएस$ 9.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर था तथा रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन के तहत प्राप्त सांकेतिक मूल्य ₹77,984.34 करोड़ रुपये/ यूएस$10.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
6. प्रतिभूति ऋण व्यवस्था के तहत उधार दी गई विदेशी प्रतिभूतियों का सांकेतिक मूल्य ₹42.03 करोड़/ यूएस$ 0.006 बिलियन था।

₹14,88,815.96 करोड़ हो गई। यह वृद्धि ₹2,13,976 करोड़ (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

निवेश – घरेलू - बीडी के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में किए गए वर्णन के अनुसार विविध स्टाफ निधियों, डीईए निधि और पीआईडीएफ के लिए भी रखा गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार ₹85,178 करोड़ (अंकित मूल्य) को उपर्युक्त निधियों के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) तथा ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में केंद्र सरकार को प्रदान किए जाते हैं और डब्ल्यूएमए, ओडी तथा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के रूप में राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में डब्ल्यूएमए सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफ़ारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। 31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पास कोई ऋण और अग्रिम बकाया नहीं थे चूंकि केंद्र सरकार दोनों दिन अधिशेष में थी, जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 31 मार्च 2021 के ₹3,382.79 करोड़ की तुलना में 50.73 प्रतिशत कम होकर 31 मार्च 2022 को ₹1,666.56 करोड़ हो गए।

बी) *वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम*

- *वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम* : इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंकों के लिए विशेष चलनिधि सुविधा के अंतर्गत रिपो के प्रति बकाया राशि इनमें शामिल हैं। बकाया राशि 31 मार्च 2021 की ₹90,252.18 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 को ₹94,365.75 करोड़ हो गई, जिसका कारण वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा, विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालनों (एसएलटीआरओ) और ऑन टैप लक्षित एलटीआरओ (टीएलटीआरओ), के अंतर्गत ली गई सुविधा के कारण निधियों में बढ़ोतरी थी।

- *नाबार्ड को ऋण और अग्रिम:* भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4ई) के तहत रिज़र्व बैंक नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 को ₹25,425.56 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2022 तक ₹23,010.10 करोड़ हो गई।

- *अन्य को ऋण और अग्रिम:* इस मद के तहत शेष, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता को दर्शाता है। इस शीर्ष के तहत शेष राशि, 31 मार्च 2021 को ₹6,905.32 करोड़ से 110.08 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹14,506.94 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण सिडबी को दिए गए ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि है।

सी) *भारत के बाहर के वित्तीय संस्थानों को ऋण और अग्रिम*

वर्ष के दौरान रिवर्स रेपो लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के कारण इस शीर्ष के तहत शेष राशि 31 मार्च 2021 को ₹9,153.06 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹75,243.50 करोड़ हो गई।

vii) अनुषंगियों/सहयोगियों में निवेश

अपनी अनुषंगियों/सहयोगी संस्थानों में रिज़र्व बैंक की कुल हिस्सेदारी 31 मार्च, 2021 को ₹1,963.60 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹2,063.60 करोड़ हो गई क्योंकि रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र (आरबीआईएच) में ₹100 करोड़ की राशि का निवेश किया था। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार अनुषंगियों/सहयोगी संस्थाओं में निवेश की तुलनात्मक स्थिति सारणी XII.6 में दी गई है।

viii) अन्य आस्तियां

'अन्य आस्तियों' में अचल संपत्तियां (मूल्यह्रास का शुद्ध), अर्जित आय, स्वैप परिशोधन खाता (एसएए), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट (आरएफसीए) का पुनर्मूल्यांकन और विविध संपत्तियां शामिल हैं। विविध संपत्तियों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, लंबित परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि, भुगतान की गई सुरक्षा जमा *आदि शामिल हैं*। 'अन्य आस्तियों' के तहत बकाया राशि 31 मार्च, 2021 को ₹37,014.75 करोड़ की तुलना में 26.71 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹46,900.04 करोड़ हो गई।

सारणी XII.6: 2021-22 में अनुषंगी/ सहायक संस्थाओं में धारिताएं

(₹ करोड़)

अनुषंगी/ सहायक संस्थाएं		2020-21	2021-22	31 मार्च 2022 तक प्रतिशत धारिता
1		2	3	4
ए)	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	50.00	50.00	100
बी)	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा.लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	1,800.00	1,800.00	100
सी)	भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा) लि. (आरईबीआईटी)	50.00	50.00	100
डी)	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	30.00	30.00	30
ई)	भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	33.60	33.60	100
एफ)	रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)	0.00	100.00	100
कुल		**1,963.60**	**2,063.60**	

ए) स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

31 मार्च, 2022 के साथ-साथ 31 मार्च, 2021 को, एसएए में शेष राशि शून्य थी क्योंकि स्वैप के कोई बकाया अनुबंध नहीं थे जो ऑफ मार्केट रेट पर रिपो की प्रकृति के थे।

बी) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

31 मार्च, 2022 को आरएफसीए में शेष राशि ₹ 2,576.90 करोड़ थी, जो 31 मार्च, 2021 को शून्य के मुकाबले बकाया वायदा अनुबंधों पर निवल मार्क्ड-टू-मार्केट लाभ का प्रतिनिधित्व करती है।

XII.8.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में धारित निर्गम विभाग की पात्र संपत्ति में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपये के सिक्के, रुपये की प्रतिभूतियां और विनिमय के घरेलू बिल शामिल हैं। रिज़र्व बैंक के पास 760.42 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से 295.82 मीट्रिक टन 31 मार्च, 2022 तक जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में रखा गया है (सारणी XII.4)। निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 31 मार्च, 2021 को ₹ 1,04,140.13 करोड़ से 20.37 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹ 1,25,348.98 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान सोने के मूल्य में यह वृद्धि है 3.52 मीट्रिक टन के अतिरिक्त और सोने की कीमत में वृद्धि और अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास के कारण भी थी। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, इसके समर्थन के रूप में धारित निवेश-विदेशी-आईडी 31 मार्च, 2021 को ₹27,21,979.14 करोड़ से 9.47 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 को ₹29,79,863.29 करोड़ हो गया। निर्गम विभाग द्वारा रखे गए रुपये के सिक्के 31 मार्च, 2021 को ₹743.40 करोड़ से 31.63 प्रतिशत घटकर 31 मार्च, 2022 तक ₹508.29 करोड़ हो गए।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.9 विदेशी मुद्रा भंडार (एफ़ईआर) में एफ़सीए, गोल्ड, एसडीआर होल्डिंग्स और रिजर्व ट्रेंच पोजिशन (आरटीपी) शामिल हैं। भारत सरकार से प्राप्त एसडीआर होल्डिंग्स रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और इसे 'निवेश-विदेशी-बीडी' के तहत शामिल किया गया है। भारत सरकार के पास शेष एसडीआर होल्डिंग्स और आरटीपी, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के कोटा योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं है। 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 को भारतीय रुपये में एफईआर की स्थिति और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे एफईआर के लिए संख्यात्मक मुद्रा है, सारणी XII.7 (ए) और (बी) में प्रस्तुत की गई है।

सारणी XII.7(ए): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (रुपया)

(₹ करोड़)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	39,24,167.84^	40,94,564.98#	1,70,397.14	4.34
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	2,47,723.00@	3,22,213.36*	74,490.36	30.07
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	10,863.73	1,43,051.88	1,32,188.15	1,216.78
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	36,198.01	38,988.28	2,790.27	7.71
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफईआर)	**42,18,952.58**	**45,98,818.50**	**3,79,865.92**	**9.00**

^ : निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹10,847.81 करोड़ के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹13,621.79 करोड़ का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत ₹1,454.19 करोड़ भूटान को तथा मालदीव को ₹1,827.92 करोड़ का उधार।

: निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध ₹10,975 करोड़ की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में ₹10,904.23 करोड़ का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹1,517.87 करोड़ उधार और श्रीलंका को दिए गए ₹3028.96 करोड़ उधार।

@: इसमें से ₹1,04,140.13 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,43,582.87 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹1,25,348.98 करोड़ कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹1,96,864.38 करोड़ कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7(बी): विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (यूएसडी)

(यूएस$ बिलियन)

घटक	स्थिति		घट-बढ़	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	536.69*	540.72**	4.03	0.75
स्वर्ण (जमा स्वर्ण सहित)	33.88	42.55	8.67	25.59
विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)	1.49	18.89	17.40	1,167.79
आईएमएफ में रिज़र्व ट्रान्श की स्थिति (आरटीपी)	4.92	5.14	0.22	4.47
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (एफसीए)	**576.98**	**607.30**	**30.32**	**5.25**

** : निम्नलिखित को छोड़कर: (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार तथा मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$0.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

***: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की यूएस$ 1.45 बिलियन अमरेकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉन्डों में यूएस$ 1.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराए गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को भारतीय रुपये में दी गई बीटीएन करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार और मालदीव को भारतीय रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य यूएस$ 0.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।*

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.10 रिजर्व बैंक की आय के घटक 'ब्याज' और 'अन्य आय' हैं जिनमें (i) छूट (ii) विनिमय (iii) कमीशन (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि (vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो हस्तांतरण पर मूल्यह्रास (vii) किराए की वसूली (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि और (ix) ऐसा प्रावधान जिसकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। आय की कुछ मदों जैसे एलएएफ रिपो पर ब्याज, विदेशी सुरक्षा में रिपो और विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ/हानि की सूचना निवल आधार पर दी जाती है।

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	घट-बढ़ समग्र	घट-बढ़ प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	39,51,919.55	41,20,991.04	1,69,071.49	4.28
औसत एफसीए	38,49,940.15	42,42,514.17	3,92,574.02	10.20
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/ हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ/ हानि)	80,715.82	89,582.36	8,866.54	10.98
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	2.10	2.11	0.01	0.48

विदेशी स्रोतों से आय

XII.11 विदेशी स्रोतों से आय 2020-21 में ₹80,715.82 करोड़ से 10.98 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹89,582.36 करोड़ हो गई। 2020-21 में 2.10 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में विदेशी मुद्रा आस्तियों पर आय की दर 2.11 प्रतिशत थी (सारणी XII.8)।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.12 घरेलू स्रोतों से निवल आय 34.20 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹ 52,556.93 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 70,529.77 करोड़ हो गई, जिसका मुख्य कारण निवल प्रभाव था: (ए) रुपया प्रतिभूतियों की होल्डिंग पर ब्याज आय में वृद्धि (तेल बांड सहित); और (बी) बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि के अवशोषण के कारण एलएएफ/एमएसएफ के अंतर्गत ब्याज के निवल व्यय में वृद्धि (सारणी XII.9)।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	घट-बढ़ समग्र	घट-बढ़ प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III+IV)	**52,556.93**	**70,529.77**	**17,972.84**	**34.20**
I. रुपये प्रतिभूतियों और बट्टा लिखतों से अर्जन				
i) रुपये प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज (तेल बॉन्ड सहित)	59,824.79	96,396.42	36,571.63	61.13
ii) रुपये प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	5,193.94	6,028.19	834.25	16.06
iii) रुपये प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यह्रास	-8.12	-20.07	-11.95	-147.17
iv) रुपये प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/ बट्टा का परिशोधन	846.48	-1,717.97	-2,564.45	-302.95
v) बट्टा	964.16	403.76	-560.40	-58.12
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v)	***66,821.25***	***1,01,090.33***	***34,269.08***	***51.28***
II. एलएएफ/ एमएसएफ पर ब्याज				
i) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-17,957.86	-35,501.29	-17,543.43	-97.69
ii) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	12.38	37.63	25.25	203.96
उप जोड़ (i+ii)	**-17,945.48**	**-35,463.66**	**-17,518.18**	**-97.62**
III. अन्य ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	264.04	296.34	32.30	12.23
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1,400.63	1,149.57	-251.06	-17.92
iii) कर्मचारी	44.33	55.91	11.58	26.12
उप जोड़ (i+ii+iii)	**1,709.00**	**1,501.82**	**-207.18**	**-12.12**
IV. अन्य अर्जन				
i) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) कमीशन	2,073.97	3,058.09	984.12	47.45
iii) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय	-101.81	343.19	445.00	437.09
उप जोड़ (i+ii+iii)	**1,972.16**	**3,401.28**	**1,429.12**	**72.46**

XII.13 *रुपये की प्रतिभूतियों (तेल बॉन्ड सहित) की होल्डिंग पर ब्याज* 2020-21 में ₹ 59,824.79 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 96,396.42 करोड़ हो गया, जो 2021-22 में रुपये की प्रतिभूतियों की उच्च होल्डिंग और 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में महीने चालू लेखा वर्ष बारह महीने होने के कारण था।

XII.14 *चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)* परिचालन से निवल ब्याज आय 2020-21 में ₹(-) 17,945.48 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹(-) 35,463.66 करोड़ हो गई, जो बैंकिंग प्रणाली में उच्च अधिशेष चलनिधि के कारण थी और जिसके कारण एलएएफ/एमएसएफ के तहत उच्च शुद्ध ब्याज व्यय हुआ और चालू लेखा वर्ष 2020-21 के नौ महीने की अवधि की तुलना में बारह महीने का है।

XII.15 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ 2020-21 में 5,193.94 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 6,028.19 करोड़ रुपये हो गया, जो मुख्य रूप से 2021-22 में 64,085 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) के बिक्री परिचालन और 2021-22 में रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के रूपांतरण के कारण 2021-22 में 1,19,701 करोड़ रुपये हो गया।

XII.16 *रुपया प्रतिभूतियों (तेल बांड सहित) पर प्रीमियम/छूट का परिशोधन:* रिजर्व बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों पर प्रीमियम/छूट, अवशिष्ट परिपक्वता की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित की जाती है। रुपया प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/छूट से निवल आय 2020-21 में ₹ 846.48 करोड़ से घट कर *2021*- 22 में ₹(-)1, 717.97 करोड़ हो गई।

XII.17 *छूट:* रियायती लिखतों (टी-बिल) को रखने से होने वाली आय 2020-21 में ₹964.16 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹403.76 करोड़ हो गई।

XII.18 *ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज*

ए) *केंद्र और राज्य सरकारें:* केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर ब्याज आय 2020-21 में 264.04 करोड़ रुपये से 12.23 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 296.34 करोड़ रुपये हो गई। कुल में से, डब्ल्यूएमए / ओडी के कारण केंद्र सरकार से प्राप्त ब्याज आय 2020-21 में 2.28 करोड़ रुपये से घटकर 2021-22 में शून्य हो गई और डब्ल्यूएमए / ओडी / एसडीएफ के कारण राज्य सरकारों से प्राप्त ब्याज आय 2020-21 में 261.76 करोड़ रुपये से 2020-21 में 261.76 करोड़ रुपये से 2021-22 में 296.34 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में चालू लेखा वर्ष का बारह महीने का होने के कारण 2021-22 में राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ /डब्ल्यूएमए / ओडी सुविधा के उच्च उपयोग के कारण निवल आय में वृद्धि हुई थी।

बी) बैंक और वित्तीय संस्थान : बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2020-21 में ₹ 1,400.63 करोड़ से 17.92 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 1,149.57 करोड़ हो गया।

सी) कर्मचारी : कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर ब्याज 2020-21 में 44.33 करोड़ रुपये से 26.12 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 55.91 करोड़ रुपये हो गया।

XII.19 *आयोग:* आयोग की आय 2020-21 में ₹ 2,073.97 करोड़ से 47.45 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹3,058.09 करोड़ हो गई। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित के निवल प्रभाव के कारण था: (ए) बचत बांड, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिल और नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) सहित बकाया केंद्र और राज्य सरकार के ऋणों की सेवा के लिए प्राप्त प्रबंधन आयोग में वृद्धि;

(बी) वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋणों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से वसूले गए फ्लोटेशन शुल्क में वृद्धि; और (सी) वर्ष 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में 2021-22 में चालू लेखा वर्ष बारह महीने का है।

XII.20 *वसूली किया गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय* : इन आय मदों से आय 2020-21 में ₹(-)101.81 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹343.19 करोड़ हो गई।

व्यय

XII.21 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों के निष्पादन के क्रम में स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय के साथ-साथ एजेंसी प्रभार/ कमीशन, नोटों के मुद्रण, मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय करता है। बैंक का कुल व्यय 2020-21 में ₹34,146.75 करोड़ से 280.13 प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में ₹1,29,800.68 करोड़ हो गया (सारणी XII.10)।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2021-22 के दौरान, ब्याज के रूप में ₹1.77 करोड़ की राशि डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (स्टाफ सदस्यों की संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु स्थापना) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा की गई थी।

ii) कर्मचारी लागत

कुल कर्मचारी लागत 2020-21 के ₹4,788.03 करोड़ से 19.19 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹3,869.43 करोड़ रह गई। यह गिरावट 2021-22 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की उपचित देयताओं के लिए रिज़र्व बैंक के व्यय में कमी के कारण आयी थी।

iii) एजेंसी प्रभार/ कमीशन

ए) सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिज़र्व बैंक इन एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है। सरकारी कारोबार के लिए अदा किया गया एजेंसी कमीशन 2020-21 के ₹2,611.05 करोड़ से 47.79 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹3,858.95 करोड़ हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण 2020-21 के लिए नौ महीने की अवधि की तुलना में चालू लेखा वर्ष के बारह महीने का होना था।

सारणी XII.10: व्यय

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.97	1.16	1.34	1.10	1.77
ii. कर्मचारी लागत	3,848.51	6,851.07	8,928.06	4,788.03	3,869.43
iii. एजेंसी प्रभार/ कमीशन	3,903.06	3,910.21	3,876.08	3,280.06	4,400.62
iv. नोटों का मुद्रण	4,912.52	4,810.67	4,377.84	4,012.09	4,984.80
v. प्रावधान	14,189.27	63.60	73,615.00	20,710.12	1,14,667.01
vi. अन्य	1,422.33	1,407.44	1,742.61	1,355.35	1,877.05
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	**28,276.66**	**17,044.15**	**92,540.93**	**34,146.75**	**1,29,800.68**

बी) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन (पीडी)

रिज़र्व बैंक द्वारा 2020-21 में प्राथमिक व्यापारियों को किए गए कुल ₹642.95 करोड़ [विरासत सेवा कर (एसटी) और जीएसटी भुगतनों के कारण ₹159.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति सहित] हामीदारी कमीशन का भुगतान 2021-22 में घट कर ₹486.95 करोड़ हो गया। इस प्रकार 2021-22 के लिए हामीदारी कमीशन के कारण व्यय लगातार दूसरे वर्ष उच्च स्तर पर बना रहा। बड़ी मात्रा में सरकारी उधारी तथा घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता का बाज़ार के रुख पर प्रभाव पड़ता रहा और इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक व्यापारियों ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम की हामीदारी के लिए अधिक कमीशन की मांग की।

सी) विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, राहत / बचत बॉण्ड अभिदान के लिए बैंकों को प्रदत्त टर्नओवर कमीशन तथा प्रतिभूति उधारियां एवं उधार देने हेतु प्रबंध (एसबीएलए) पर भुगतान किया गया कमीशन *इत्यादि* शामिल है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त कमीशन 2020-21 में ₹6.30 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹12.29 करोड़ हो गया।

डी) बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों, दलालों आदि को अदा किया गया शुल्क

बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षा एवं दलाली सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क 2020-21 में ₹19.76 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹42.43 करोड़ हो गया।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2021-22 के दौरान नोटों की आपूर्ति की संख्या 2,22,505 लाख थी जो कि 2020-21 के दौरान आपूर्ति किए गए नोटों की संख्या (2,23,301 लाख) से 0.36 प्रतिशत कम थी। बैंक नोटों के मुद्रण पर वर्ष 2020-21 में किया गया व्यय ₹4,012.09 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹4,984.80 करोड़ हो गया।

v) प्रावधान

वर्ष 2021-22 में, आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में अंतरण के लिए क्रमशः ₹1,14,567.01 करोड़ और ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया।

vi) अन्य

2020-21 में हुए अन्य व्यय ₹1,355.35 करोड़ से 38.49 प्रतिशत बढ़ कर 2021-22 में ₹1,877.05 करोड़ हो गए, जिनमें मुद्रा का विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखा परीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय *आदि* शामिल हैं।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 रिज़र्व बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹958.98 करोड़ हो गईं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के अंशतः चुकता शेयर, जिन्हें एसडीआर में मूल्यवर्गित किया गया है, रिज़र्व बैंक की आकस्मिक देयताओं का मुख्य हिस्सा हैं। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता (अनकॉल्ड लायबिलिटी) 31 मार्च 2022 को ₹934.68 करोड़ थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, तीन माह की सूचना पर मांगी जाती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.23 प्रकटीकरण के प्रयोजन से केवल ₹1 लाख और उससे अधिक राशि वाले पूर्व अवधि के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय और आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹61.45 करोड़ और ₹ (-)978.37 करोड़ रहे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान

XII.24 निम्नलिखिम सारणी सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान के मामलों को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		मूलधन	ब्याज
1		2	3
i.	31 मार्च, 2022 की स्थित में किसी भी आपूर्तिकर्ता (सूक्ष्म या लघु उद्यमों) को मूल राशि और उस पर देय ब्याज (45 दिनों से अधिक के लिए देय) का बकाया होना	-	-
ii.	वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक की देरी के लिए आपूर्तिकर्ता को मूल राशि के साथ ब्याज की राशि का भुगतान;	0.04	0.001
iii.	वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक देरी होने से आपूर्तिकर्ता को विलंबित भुगतान पर देय ब्याज को जोड़े बिना ही राशि का भुगतान (भुगतान करने में हुई देरी की अवधि के लिए);	-	-
iv.	लेखा वर्ष के अंत में उपचित और बकाया ब्याज की राशि;	-	-
v.	धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से बाद के वर्षों में भी देय और संदेय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के अनुसार देय ब्याज राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	एनए	एनए

एनए: लागू नहीं।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखापरीक्षक

XII.26 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। रिज़र्व बैंक के वर्ष 2021-22 की लेखा-बहियों की लेखापरीक्षा मेसर्स चंदाभॉय एंड जासूभॉय, मुंबई एवं मेसर्स जी. एम. कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के रूप में और मेसर्स रे एंड रे, कोलकाता, मेसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन, चेन्नै तथा मेसर्स एस.के.मित्तल एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध I

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2021 से मार्च 2022[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
7 अप्रैल 2021	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और समायोजनकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया ताकि सतत् संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सके और उसमें गतिशीलता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को निरंतर कम रखा जा सके और आगे बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखा जा सके।[2] • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को कुल ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे ऋण की क्षेत्रवार आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।[3]
5 मई 2021	बैंकिंग सेवा से वंचित एमएसएमई को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने के लिए और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने हेतु, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से छूट, जो 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित ऋण के लिए मान्य थी, को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
4 जून 2021	एमएसएमई की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को कुल ₹16,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई थी ताकि अपेक्षाकृत छोटे एमएसएमई और कारोबारों पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए निवेश चक्र को शुरू किया जा सके, इसमें क्रेडिट की कमी और आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
6 अगस्त 2021	सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की तीन प्रतिशत तक की धनराशि प्राप्त करने की विस्तारित सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक *यानी* और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया ताकि चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को राहत प्रदान की जा सके।
8 दिसंबर 2021	एमएसएफ के तहत उधार लेने की सीमा को 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी रूप से 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल कर दिया गया था।
वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग	
07 अप्रैल 2021	• प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) वर्गीकरण को बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आगे उधार देने के लिए प्रदान किए जाने वाले ऋण को शामिल करने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2021 तक आगे बढ़ाया गया। • परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (एनडब्लयूआर)/ इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद (ईएनडब्लयूआर) पर मिलने वाले ऋण के लिए पीएसएल सीमा को बढ़ाकर ₹50 लाख से ₹75 लाख प्रति उधारकर्ता किया गया।
05 मई 2021	लघु वित बैंकों द्वारा उन पंजीकृत एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य एमएफआई (सोसायटी, न्यास *इत्यादि)* को वैयक्तिक उधारकर्ता को आगे उधार देने के लिए प्रदान किए गए नए ऋणों को पीएसएल के अंतर्गत वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई, जो रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त 'स्व-विनामकीय संगठन' के सदस्य हों और जिनका 31 मार्च 2021 को सकल ऋण पोर्टफोलियो ₹500 करोड़ तक हो। उपरोक्त के अनुसार, बैंकों को 31 मार्च 2021 तक बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक उधार देने की अनुमति थी।

1 सूची सांकेतिक स्वरूप की है और विवरण रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2 एमपीसी ने 2021-22 में अपनी सभी अनुवर्ती बैठकों में रिपो दर और समायोजनकारी रुख पर *यथास्थिति* बनाए रखी।

3 इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड को दिये गए ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किए गए थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
07 जुलाई 2021	एमएसएमई के लिए नई परिभाषा निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार देने के सीमित उद्देश्य से एमएसएमई की परिभाषा में खुदरा और थोक व्यापार को भी शामिल किया गया और *उद्यम* पोर्टल पर पंजीकरण की अनुमति प्रदान की गई।
09 अगस्त 2021	*दीनदयाल अंत्योदय* योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया।
17 अगस्त 2021	देशभर में वित्तीय समावेशन के स्तर का पता लगाने के लिए भारत सरकार और संबंधित क्षेत्रों के विनियामकों के साथ परामर्श से एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-सूचकांक) विकसित किया गया।
08 अक्तूबर 2021	अर्थव्यवस्था के अल्पसेवित/ वंचित वर्गों को ऋण वितरण में पाई गई अधिक बाधाओं को देखते हुए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को आगे उधार देने के लिए ऋण – पीएसएल सुविधा को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया गया।
18 फरवरी 2022	एमएसएमई के मौजूदा उद्यमी ज्ञापन (ईएम) और *उद्योग आधार* ज्ञापन (यूएएम) की वैधता को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया गया है।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
1 अप्रैल 2021	मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजारों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिससे प्रतिभागियों को वर्तमान विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों के भीतर मांग, नोटिस और मीयादी मुद्रा बाजारों में अपनी उधार सीमा निर्धारित करने की छूट दी गई थी।
31 मई 2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, मध्यम अवधि के ढांचे के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (पीएफ़आई) के लिए निवेश सीमा को अधिसूचित किया गया था।
4 जून 2021	• जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर निदेश जारी किए गए, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सीडी जारी करने और बैंकों को सीडी की वापसी-खरीद की अनुमति मिली। • प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों को उनके ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के निपटान के लिए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के साथ मार्जिन रखने के लिए एफपीआई को उधार देने की अनुमति दी गई थी।
7 जून 2021	एफपीआई/ अभिरक्षक बैंकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिभूतियों के अपने लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक विस्तारित समयावधि प्रदान की गई थी।
25 जून 2021	मांग, नोटिस और सावधि मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण उधार सीमा को संशोधित किया गया था।
8 जुलाई 2021	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लाइबोर) व्यवस्था से एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत संक्रमण को सक्षम करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) को सलाह दी गई थी कि वे (i) नए वित्तीय अनुबंधों में प्रवेश करना बंद करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और इसके बजाय किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) का उपयोग यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर, 2021 तक करें; (ii) वित्तीय अनुबंधों में एआरआर के लिए फॉलबैक के प्रावधान शामिल करें जो लाइबोर को संदर्भित करते हैं और जिसकी परिपक्वता लाइबोर सेटिंग की समाप्ति के बाद आती है; (iii) सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाइबोर एक्सपोजर की व्यापक समीक्षा करना और ऐसे एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए एक ढांचा तैयार करना; और (iv) संक्रमण के बारे में ग्राहकों को संवेदनशील बनाने के प्रयास जारी रखें।
16 सितंबर 2021	काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव उत्पादों में बाजार निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देशों को सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक उपयुक्तता और व्युत्पन्न व्यवसाय में उपयुक्तता के मूल्यांकन के सुदृढ़ मानकों को स्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 नवंबर 2021	केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसरण में, एफपीआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आईएनवीआईटीएस) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई थी।
10 फरवरी 2022	• 1 अप्रैल, 2022 से स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमा ₹1,00,000 करोड़ बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ कर दी गई। • संशोधित क्रेडिट डेरिवेटिव निदेश जारी किए गए, जिससे बाजार सहभागियों को ओटीसी सेगमेंट और स्टॉक एक्सचेंजों में सिंगल नेम ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) अनुबंधों का उपयोग करने की अनुमति मिली। खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने की अनुमति दी गई है। गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं, *यथा* विनियमित वित्तीय संस्थाओं, एफपीआई, *आदि* को (i) हेजिंग के लिए और हेजिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सुरक्षा खरीदने; और (ii) सुरक्षा बेचने की अनुमति दी गई है। • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत एडी श्रेणी- I लाइसेंस वाले भारत में बैंकों को गैर-निवासियों और एडी श्रेणी-I बैंक अन्य के साथ ऑफशोर फ़ोरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में निपटाने वाली विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने की अनुमति दी गई थी।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
7 अप्रैल 2021	• द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के अर्जन कार्यक्रम (जी-एसएपी) की घोषणा की गई, जिसके तहत रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के खुले बाजार में खरीदारी की एक निश्चित राशि के लिए अग्रिम रूप से प्रतिबद्धता की, ताकि आरामदायक चलनिधि परिस्थितियों के बीच प्रतिफल वक्र के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षम बनाया जा सके। इस तरह की पहली नीलामी 15 अप्रैल 2021 को ₹ 25,000 करोड़ की राशि में आयोजित की गई थी। • विशिष्ट क्षेत्रों में गतिविधि के सुधार पर तरलता उपायों के फोकस को बढ़ाने के लिए, 9 अक्टूबर 2020 को ऑन-टैप लक्षित दीर्घकालिक रिपो संचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा की गई और शुरुआत में इसे 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराया गया। इसे छह महीने की अवधि के लिए, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
5 मई 2021	• देश में कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए, रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो 31 मार्च 2022 तक खोली गई थी और बाद में इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत, बैंक वैक्सीन निर्माताओं सहित कई तरह की संस्थाओं को नई उधार सहायता प्रदान कर सकते हैं; वैक्सीन और प्राथमिक चिकित्सा उपकरणों के आयातक/आपूर्तिकर्ता; अस्पताल/औषधालय; पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर; ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के निर्माता और आपूर्तिकर्ता; टीकों और कोविड से संबंधित दवाओं के आयातक; कोविड से संबंधित लॉजिस्टिक्स फर्म और इलाज के लिए मरीज भी। अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से, ऐसे बैंक रिवर्स रिपो विंडो के तहत रिज़र्व बैंक के साथ अपनी अधिशेष चलनिधि को कोविड -19 ऋण पुस्तिका के आकार तक जमा कराने के लिए पात्र थे, जो रिपो दर से 25 आधार अंक (बीपीएस) कम है या एक अलग तरीके से कहा जाता है, रिवर्स रिपो दर से 40 आधार अंक अधिक है। • महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु व्यावसायिक इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और सहायता प्रदान करने के लिए, ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन-वर्षीय दीर्घकालिक रिपो संचालन (एसएलटीआरओ) का संचालन करने का निर्णय लिया गया। एसएफबी के लिए रिपो दर पर, प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण प्रदान किए जाएंगे। यह सुविधा शुरू में 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी। बाद में इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा कर ऑन-टैप कर दिया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
4 जून 2021	• रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की एक अलग चलनिधि विंडो 31 मार्च 2022 तक कतिपय गहन संपर्क क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी, *यानी* होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और एडवेंचर/विरासत सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जिनमें निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून शामिल हैं। प्रोत्साहन के माध्यम से, बैंकों को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक अपनी अधिशेष चलनिधि को रिवर्स रिपो विंडो के तहत रिज़र्व बैंक के साथ रखने की अनुमति दी गई थी, जो कि रिपो दर से 25 आधार अंक कम है या एक अलग तरीके से कहा जाए, तो रिवर्स रिपो दर से 40 आधार अंक अधिक। इस योजना को बाद में 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। • 2021-22 की दूसरी तिमाही में जी-एसएपी 2.0 शुरू करने और बाजार को समर्थन देने के लिए द्वितीयक बाजार में ₹1.20 लाख करोड़ का खरीद परिचालन करने का निर्णय लिया गया था।
6 अगस्त 2021	• मौजूदा चलनिधि स्थितियों को देखते हुए, 13 अगस्त 2021 को ₹2.5 लाख करोड़ की 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया गया; 27 अगस्त 2021 को ₹3.0 लाख करोड़; 9 सितंबर 2021 को ₹3.5 लाख करोड़; और 24 सितंबर 2021 को ₹4.0 लाख करोड़। • 27 मार्च 2020 को, बैंकों को एनडीटीएल के अतिरिक्त एक प्रतिशत तक, *यानी* कुल मिलाकर एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक वैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को घटाकर एमएसएफ के तहत धन का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, उसे बाद में चरणों में 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। 1 जनवरी 2022 से, बैंकों को एमएसएफ के अंतर्गत एक दिवसीय उधार के लिए एनडीटीएल के 2 प्रतिशत घटाने की अनुमति दी गई थी। ।
8 दिसंबर 2021	• 27 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 को घोषित लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त धनराशि की बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने का एक और विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया गया। • चलनिधि अधिशेष को पुनर्संतुलित करने के प्रयास में, 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी राशि को पाक्षिक आधार पर निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया गया: 17 दिसंबर को ₹6.5 लाख करोड़; और 31 दिसंबर को ₹7.5 लाख करोड़ तक। परिणामत: जनवरी 2022 से चलनिधि अवशोषण मुख्य रूप से नीलामी के माध्यम से किए जाने की घोषणा की गई थी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
12 मई 2021	दिनांक 12 मई 2021 के परिपत्र के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) सहित विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में एक भारतीय प्रायोजक से वित्तीय योगदान को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के रूप में माना जाएगा।
17 जून 2021	एडी श्रेणी-I बैंकों को 17 जून 2021 के परिपत्र के माध्यम से 1 जुलाई 2021 से ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के बजाय एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्रणाली के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की संख्या और उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रेषित कुल राशि के संबंध में डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था।
8 सितंबर 2021	बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर की आसन्न समाप्ति के मद्देनजर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से संबंधित विनियम 15 के उप-विनियम 1 के खंड (ii) को 8 सितंबर 2021 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें संकेत दिया गया था कि अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज दर, यदि कोई हो, लाइबोर या अन्य लागू बेंचमार्क से 100 आधार अंकों से अधिक नहीं होगी, जिसे जैसा भी मामला हो, रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्देशित किया जा सकता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 सितंबर 2021	बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर की आसन्न समाप्ति के मद्देनजर, निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए लाइबोर के स्थान पर किसी भी वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) के उपयोग की सलाह देते हुए, 28 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था।
8 दिसंबर 2021	लाइबोर के आसन्न बंद होने के मद्देनजर, बाहरी वाणिज्यिक उधार, व्यापार क्रेडिट और संरचित दायित्वों के मौजूदा दिशानिर्देशों को 8 दिसंबर 2021 से संशोधित किया गया है, जिसमें उधार की मुद्रा, बेंचमार्क दर के रूप में, किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत इंटरबैंक दर या 6-महीने की अवधि के एआरआर को शामिल किया गया है। इसके अलावा, सभी नई विदेशी मुद्रा (एफ़सीवाई) बाहरी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) और व्यापार क्रेडिट (टीसी) के लिए लाइबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट जोखिम और टर्म प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम प्रसार को 50 आधार अंक द्वारा संशोधित किया गया है क्रमशः 500 आधार अंक और 300 आधार अंक।
10 दिसंबर 2021	10 दिसंबर 2021 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 से एडी श्रेणी-I बैंक फेमा, 1999 के तहत ₹50 करोड़ या उससे अधिक (प्रति लेनदेन) की पूंजी या चालू खाते के लेनदेन करने के इच्छुक निवासी संस्थाओं (गैर-व्यक्तियों) से कानूनी इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) नंबर प्राप्त करेंगे।
15 दिसंबर 2021	भारतीय पासपोर्ट धारकों के साथ-साथ भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को अपने पासपोर्ट के साथ प्रवासी नागरिक कार्ड ले जाने की अनुमति दी गई है, उन्हें श्री करतारपुर साहिब गलियारे के माध्यम से गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर, नरोवाल, पाकिस्तान की यात्रा करते समय अपनी वापसी के समय, केवल भारतीय मुद्रा नोटों और / या अमरीकी डालर में विदेशी मुद्रा, जिसका कुल मूल्य ₹11,000 से अधिक न हो, बाहर ले जाने और भारत में लाने की अनुमति दी गई है।
6 जनवरी 2022	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के आधार पर, माल और सेवाओं के आयात पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा अधिसूचित योग्य जौहरियों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड (आईआईबीएक्स) के माध्यम से विशिष्ट भारतीय व्यापार वर्गीकरण - सामंजस्यपूर्ण प्रणाली [आईटीसी (एचएस)] कोड के तहत सोने का आयात करने की अनुमति दी जा सके।
18 फरवरी 2022	विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशों के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, 18 फरवरी 2022 के परिपत्र के तहत, कुछ पेपर-आधारित / ई-मेल-आधारित रिटर्न को ऑनलाइन फाइलिंग में बदलने और कुछ रिटर्न को बंद / विलय करने का प्रस्ताव किया गया है।
विनियमन विभाग	
1 अप्रैल 2021	एसएचजी की ऋण सहबद्धता के समय एसएचजी के सभी सदस्यों की समुचित ग्राहक जांच की जा सकती है। इस संबंध में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संबंधी मास्टर निदेश में संशोधन किया गया था।
5 अप्रैल 2021	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 संबंधी मास्टर निदेश को, जीएमएस जुटाने, संग्रह और परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए), जमा राशि, भारतीय रुपये में सोने का मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ दर के बारे में निर्देशों में बदलाव करके संशोधित किया गया था।
7 अप्रैल 2021	अपने उधारकर्ताओं के संबंध में आस्ति वर्गीकरण मानदंडों और 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान वसूले गए चक्रवृद्धि ब्याज की वापसी के लिए अपनाई गई पद्धति को लागू करने हेतु ऋणदात्री संस्थाओं में दृष्टिकोण की संगति सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
8 अप्रैल 2021	भुगतान बैंकों के प्रति व्यक्तिगत ग्राहक के लिए दिन की समाप्ति के पश्चात अधिकतम शेष राशि की सीमा को तत्काल प्रभाव से ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 अप्रैल 2021	भारत सरकार (भारत सरकार) ने लदानपूर्व और पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समानता योजना (आईईएस) की वैधता को तीन महीने *यानी* 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। तदनुसार, एक परिपत्र जारी करके यह सूचित किया गया था कि आईईएस 1 अप्रैल 2021 से तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा और 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। इस योजना के तहत परिचालनगत निर्देश विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेंगे।
22 अप्रैल 2021	देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण था कि बैंक आत्मनिर्भर रहें और अप्रत्याशित हानि का सामना करने के लिए एक सुरक्षात्मक संरचना के रूप में पूंजी को सक्रिय रूप से बढ़ाएं और संरक्षित करें। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था, बशर्ते लाभांश की मात्रा मौजूदा निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित लाभांश भुगतान अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। सहकारी बैंकों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने की अनुमति दी गई थी।
26 अप्रैल 2021	• शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2021 से एसएफबी के रूप में परिचालन शुरू किया। • जून 2020 में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर चर्चा पत्र के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, बैंकों के कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है। ढांचे के परिचालन संबंधी भाग को निर्धारित समय में जारी करने हेतु प्रस्तावित कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी मास्टर निदेश के लिए एक प्रस्तावना के रूप में जारी किया गया ।
29 अप्रैल 2021	रिज़र्व बैंक 23 अप्रैल 2021 को एक सदस्य के रूप में वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क (एनजीएफएस) में शामिल हो गया। एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है, जो एक स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का समर्थन करने के लिए मुख्यधारा के वित्त को जुटाने के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देता है। रिज़र्व बैंक को आशा है कि वह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बन पड़े हरित वित्त पर वैश्विक प्रयासों से सीखकर और योगदान देकर एनजीएफएस की सदस्यता से लाभान्वित होगा।
5 मई 2021	• कोविड-19 के पुनरुत्थान के मद्देनजर, समाधान ढांचा 2.0 की घोषणा की गई थी, जो ऋणदाता संस्थानों को पात्र ऋणों के पुनर्रचित एक्सपोजर को शर्तों के अधीन मानक के रूप में वर्गीकृत करते हुए पुनर्रचना की अनुमति देता है, जिन्हें 6 अगस्त 2020 के संकल्प फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत पुनर्रचित नहीं किया गया था, और 31 मार्च 2021 को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस ढांचे को 30 सितंबर 2021 तक लागू करना होगा और इसे आरंभ करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा। यहां तक कि एमएसएमई खातों के साथ-साथ पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत पुनर्रचित अन्य पात्र खातों के संबंध में, ऋणदाता संस्थानों को केवल एक बार के उपाय के रूप में, कार्यशील पूंजी स्वीकृत सीमाओं की समीक्षा करने और / या कार्यशील पूंजी चक्र, मार्जिन में कमी आदि के आधार पर इसे पुनर्रचना के रूप में मानते हुए आहरण शक्ति के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी गई है। • कोविड-19 के कारण बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण को सक्षम करने के उपाय के रूप में, बैंकों को अपने बोर्डों के पूर्व अनुमोदन के साथ अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में उनके द्वारा निर्धारित फ्लोटिंग प्रावधानों/ प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर का 100 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसकी तत्काल प्रभाव से और 31 मार्च 2022 तक उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• केवाईसी पर मास्टर निदेश के अनुसार, आरई को मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण करने का निर्देश दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ विधिक न्यायालय के निर्देशों *आदि* के अंतर्गत वारंट नहीं किया जाता है, तब तक ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण शेष है और आज की तारीख तक लंबित है, वहां ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक केवल इस कारण से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आरई को यह भी सूचना दी गई थी कि वे अपने केवाईसी अद्यतनीकरण कराने के लिए ऐसे ग्राहकों के संपर्क में रहें।
6 मई 2021	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” का अपवर्जन।
10 मई 2021	• आरई द्वारा केवाईसी विवरण का आवधिक अद्यतनीकरण उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम और निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के लिए क्रमशः 2 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्षों में कम-से-कम एक बार किया जाना है। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया था। • जनवरी 2020 में शुरू की गई वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को केवाईसी पर मास्टर निदेश में 10 मई 2021 के संशोधन द्वारा लागू करते हुए विस्तारित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं- (i) स्वामित्व फर्म के मालिक के ग्राहकों की समुचित जांच (सीडीडी) और विधिक संस्थाओं (एलई) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और लाभकारी मालिकों (बीओ) को वी-सीआईपी का उपयोग करने की अनुमति दी गई है; (ii) खाता धारकों के केवाईसी का अद्यतनीकरण/आवधिक अद्यतनीकरण वी-सीआईपी का उपयोग करके किया जा सकता है; (iii) *आधार* ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए सुदूर-स्थित मोड में खोले गए मौजूदा खातों को पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन खाते में परिवर्तित करने के लिए वी-सीआईपी का उपयोग किया जा सकता है; (iv) केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड और डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए गए ओवीडी सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) के समतुल्य ई-दस्तावेज के उपयोग को शामिल करने के लिए वी-सीआईपी के क्षेत्र का विस्तार किया गया है; और (v) वी-सीआईपी अवसंरचना और प्रक्रियाओं की मजबूती और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कतिपय संशोधन किए गए हैं।
11 मई 2021	बैंकों द्वारा बचत बैंक खाते पर भुगतान की गई ब्याज दरों में कटौती को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा ब्याज-पर दावा रहित जमा राशि पर देय ब्याज दर 11 मई 2021 से प्रति वर्ष 3 प्रतिशत के साधारण ब्याज पर होगी।
24 मई 2021	बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) के साथ जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के स्वैच्छिक समामेलन पर एक परिपत्र को बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) *द्वारा* संशोधित किया गया था। उक्त परिपत्र संशोधित सांविधिक प्रावधानों के प्रसार और एसटीसीबी के साथ डीसीसीबी के समामेलन के लिए प्रक्रिया/सूचक बेंचमार्क में परिणामी परिवर्तन के लिए जारी किया गया था।
31 मई 2021	आरई को 'वर्चुअल मुद्राओं (वीसी) में लेन-देन पर निषेध' पर 6 अप्रैल 2018 के परिपत्र का हवाला देने / उद्धृत करने के लिए मना किया गया था। उन्हें यह भी सूचना दी गई थी कि वे विदेशी प्रेषणों के लिए फेमा के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा केवाईसी, धन शोधन निवारण (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) निरोधन और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत आरई के दायित्वों के लिए मानकों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुरूप ग्राहकों के उचित पहचान प्रक्रियाओं को जारी रख सकते हैं।
4 जून 2021	कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत, व्यक्तियों, लघु व्यवसायों और एमएसएमई के लिए कुल एक्सपोजर सीमा ₹25 करोड़ थी। समीक्षा के उपरांत, उपरोक्त एक्सपोजर सीमा को बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया था।
14 जून 2021	सूक्ष्म वित्त संबंधी विनियामक ढांचे की समीक्षा पर परामर्शदायी दस्तावेज जारी किया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
23 जून 2021	स्वर्ण (धातु) ऋण (जीएमएल) नामित/ निर्दिष्ट बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों या घरेलू विनिर्माताओं को प्रदान किया जाता है। अब तक उधारकर्ताओं के पास बकाया ऋण चुकाने के लिए भौतिक सोने का उपयोग करने का कोई विकल्प नहीं था; क्योंकि उन्हें उधार लिए गए सोने के मूल्य के बराबर राशि केवल आईएनआर में चुकानी होती थी। इस संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और बैंकों को अब उधारकर्ताओं को जीएमएल के एक हिस्से को भौतिक सोने में एक किलोग्राम या उससे अधिक के लॉट में चुकाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा, बशर्ते: जीएमएल स्थानीय रूप से प्राप्त किए गए / स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)-लिंक्ड सोने से दिया गया हो और पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जाने वाला सोना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा बैंक को स्वीकार्य रिफाइनर या केंद्रीय एजेंसी द्वारा उधारकर्ता की ओर से, बिना उसकी भागीदारी के स्वर्ण सीधे बैंक को सुपुर्द किया गया हो।
24 जून 2021	बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी द्वारा लाभांश के वितरण के संबंध में कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के बढ़ते महत्व और विभिन्न क्षेत्रों के साथ उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश वितरण पर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 'एनबीएफ़सी द्वारा लाभांश की घोषणा' पर 9 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर, 24 जून 2021 के परिपत्र के माध्यम से अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए।
25 जून 2021	• बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं और कारोबार के आकार और दायरे में वृद्धि के साथ, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को अपने व्यवसाय में अलग-अलग और अधिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की आस्ति आकार वाले यूसीबी को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) नियुक्त करने का परामर्श दिया गया था। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक स्तर का ध्यान देने के लिए बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करें। • यूसीबी में प्रबंध निदेशक (एमडी)/पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति पर रिज़र्व बैंक द्वारा 25 जून 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था। परिपत्र में यूसीबी में एमडी/ डब्ल्यूटीडी के पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड, पारिश्रमिक, कार्यकाल *आदि* निर्धारित किए गए हैं। यह यूसीबी को एमडी/डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति/समाप्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन (और उसकी प्रक्रिया) प्राप्त करने की भी सूचना देता है। उक्त परिपत्र यूसीबी में अभिशासन मानकों को बढ़ाने और बीआर (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जारी किया गया था।
28 जून 2021	सहकारी बैंकों को आउटसोर्सिंग में निहित जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय करने के लिए, 'सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के बाहयस्रोतीकरण में जोखिम के प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश' जारी किए गए थे।
1 जुलाई 2021	भारत सरकार ने लदानपूर्व और पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकारी योजना (आईईएस) की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया।
2 जुलाई 2021	मास्टर निदेश की धारा 9 (बी) में निहित अतिदेय घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज पर मौजूदा निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) निदेश, 2016 और मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सहकारी बैंक - ब्याज दर) जमाराशियों पर निदेश, 2016 में संशोधन किया गया। यह सलाह दी गई थी कि यदि कोई सावधि जमा (टीडी) परिपक्व होती है और प्राप्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू होगी।
7 जुलाई 2021	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" को शामिल करना।
9 जुलाई 2021	संवेदनशील पदों या कार्य-क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश के निर्देशों की समीक्षा की गई और तदनुसार एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
14 जुलाई 2021	बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए [29 जून 2020 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर यथा लागू] और इस मामले में मौजूदा निर्देशों की सामान्य समीक्षा करने के उद्देश्य से, शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के मुद्दे और विनियमन - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को क्षेत्र के प्रतिभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों की टिप्पणियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध थे।
20 जुलाई 2021	सीआरआर और एसएलआर पर सभी प्रकार के बैंकों के लिए निर्देश वाले मास्टर निदेश जारी किए गए थे।
23 जुलाई 2021	'ऋण और अग्रिम - विनियामक प्रतिबंध' विषय पर एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें अन्य बैंकों के निदेशकों और निदेशकों के रिश्तेदारों (स्वयं के बैंकों के साथ-साथ अन्य बैंकों के) के लिए ऋण की मौजूदा सीमा को संशोधित किया गया था।
29 जुलाई 2021	स्वीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की सूची और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की जमाराशियों के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग को एनबीएफसी के लिए लागू प्रासंगिक नियमों के साथ संरेखित किया गया।
4 अगस्त 2021	उधारकर्ताओं में ऋण अनुशासन लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए – 'बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने: अनुशासन की आवश्यकता; के संबंध में 6 अगस्त 2020, 2 नवंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 के परिपत्रों *के माध्यम से* बैंकों को निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों का व्यवधान-रहित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा परिचालन मुद्दों को हल करने हेतु अतिरिक्त समय के लिए बैंकों के अनुरोधों के आधार पर, बैंकों को परिपत्र के प्रावधानों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक का समय देने का निर्णय लिया गया था।
6 अगस्त 2021	• दिसंबर 2021 के बाद बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर के बंद होने के मद्देनजर, बैंकों को संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर का उपयोग करके निर्यात ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी गई है। • व्युत्पन्नी अनुबंधों के लिए, मौजूदा निर्देशों के अनुसार, मूल अनुबंध के किसी भी मानक में परिवर्तन को एक पुनर्रचना माना जाता है और पुनर्रचना की तिथि पर अनुबंध के मार्क-टू-मार्केट मूल्य में परिणामी परिवर्तन का नकद निपटान होना आवश्यक है। चूंकि लाइबोर से संदर्भ दर में परिवर्तन एक "*अप्रत्याशित घटना*" थी, बैंकों को सूचित किया गया था कि संदर्भ दर में लाइबोर/लाइबोर-संबंधित बेंचमार्क से एआरआर में परिवर्तन को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा। • कोविड-19 से संबंधित दबाव से निपटने के लिए 6 अगस्त 2020 को जारी समाधान ढांचे के संदर्भ में लागू की गई समाधान योजनाओं को, तय वित्तीय मानदंडों को, 31 मार्च 2022 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था। 2021 में कोविड-19 महामारी के पुनर्प्रसार और परिचालन मानदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के समक्ष इससे उपजी कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित चार परिचालन मानदंडों से संबंधित तय सीमाओं को पूरा करने हेतु लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया जाए: *यथा* कुल कर्ज़/ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कुल आय (टीडी/ ईबीआईटीडीए), चालू अनुपात, कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (डीएससीआर) और औसत कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (एडीएससीआर)। हालांकि, कुल बाह्य देयताएँ/समायोजित मूर्त निवल मालियत (टीओएल/ एटीएनडब्ल्यू) अनुपात को प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि, जैसा कि समाधान योजना के संदर्भ में तय किया गया था, को 31 मार्च 2022 तक अपरिवर्तित रखा गया।
9 अगस्त 2021	एमएसएफ के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने बकाया एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक एसएलआर में कटौती कर, निधि लेने की अनुमति दी गई थी। इस सुविधा को, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया, जिससे बैंकों की चलनिधि आवश्यकता और चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाएँ पूरी हो सकीं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
18 अगस्त 2021	बैंकों द्वारा सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा प्रदान करने के निर्देशों को जनहित में 18 अगस्त 2021 को संशोधित किया गया है। संशोधित निर्देश 1 जनवरी 2022 से लागू हुए हैं (जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहाँ छोड़कर) और बैंकों के पास नए और मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा, दोनों पर लागू होंगे।
25 अगस्त 2021	• वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 पर एक मास्टर निदेश - इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों /अनुदेशों/ निदेशों को शामिल करते हुए बैंकों को एक ही स्थान पर वर्तमान निर्देश उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया है। • भारत सरकार द्वारा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत ₹100 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार वाले एचएफसी की 'वित्तीय संस्था' के रूप में अधिसूचना की प्रक्रिया के सरलीकरण के बाद, एचएफसी की ऐसी अधिसूचना के लिए पहले से निर्धारित मानदंड वापस ले लिए गए।
30 अगस्त 2021	• भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरणी - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2021 पर मास्टर निदेश बैंकों के लिए वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करने और लेखा पर टिप्पणियों के प्रकटीकरण के लिए मौजूदा निर्देशों को व्यापक रूप से समेकित करते हुए जारी किया गया था। यह मास्टर निदेश सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) सहित) और शहरी सहकारी बैंकों को शामिल कर बैंकिंग उद्योग में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को व्यापक रूप से सुसंगत बनाता है। • यह देखा गया है कि यद्यपि, निजी क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/भौतिक जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तय करने वाले 4 नवंबर 2019 को जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों में यह अपेक्षित है कि मंजूरी की तारीख को ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करते हुए शेयर-संबद्ध लिखतों का उचित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, तथापि बैंक, शेयर-संबद्ध पारिश्रमिक की स्वीकृति का अपनी खाता बहियों में व्यय के रूप में निर्धारण नहीं करते हैं। इसलिए, बेहतर स्पष्टता के लिए मौजूदा निर्देशों में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा गया है: "इस प्रकार प्राप्त उचित मूल्य को उस लेखा अवधि से शुरू होने वाले व्यय के रूप में निर्धारित किया चाहिए जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।"
9 सितंबर 2021	एक औपचारिक सीमा-पार समाधान व्यवस्था के अभाव में, भारत में विदेशी बैंक की शाखाओं के परिचालन को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, विदेशी बैंक शाखाओं के उनके प्रधान कार्यालय (एचओ) में एक्सपोजर के लिए बड़े एक्सपोजर ढांचे (एलईएफ) को लागू किया गया था। एलईएफ की शुरुआत के कारण ऐसे बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी बोझ को दूर करने के लिए, एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तंत्र शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसने विदेशी बैंक शाखाओं के एचओ (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल एक्सपोजर को - एलईएफ सीमाओं की गणना करते समय कुछ शर्तों के अधीन - ऑफसेट करने की अनुमति दी थी। सीआरएम, में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(2)(बी)(i) के तहत धारित नकद/भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं, जिसके स्रोत एचओ से ब्याज मुक्त धन या भारतीय बही (आरक्षित) में रखे गए विप्रेषण योग्य अधिशेष होने चाहिए। विदेशी बैंक शाखाओं को - एचओ में डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना करते समय - 1 अप्रैल 2019 (ग्रैंडफादरिंग) से पहले निष्पादित सभी व्युत्पन्नी अनुबंधों के अपवर्जन की अनुमति दी गई है, जबकि की जाती है।
13 सितंबर 2021	यूआईडीएआई द्वारा जारी, *आधार* अधिप्रमाणन लाइसेंस- ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से अधिप्रमाणन हेतु), प्राप्त करने के इच्छुक सभी एनबीएफसी, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को, सूचित किया गया कि वे रिज़र्व बैंक को अपना आवेदन प्रस्तुत करें ताकि समुचित जाँच के बाद उसे यूआईडीएआई को अग्रेषित किया जा सके।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
24 सितंबर 2021	बैंकिंग क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम के विविधीकरण की सुविधा के लिए और समान क्षमता और जोखिम वहनीयता वाले निवेशकों के विविध समूह के लिए बाजार आधारित ऋण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए, भारत में ऋण जोखिम बाजार के और विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने इस तरह के एक सुदृढ़ बाजार के विकास की सुविधा के लिए 'मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण' और 'ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण' पर मास्टर निदेश जारी किए।
4 अक्टूबर 2021	• विदेशी मुद्रा और रुपये मूल्यवर्ग के विदेशी अतिरिक्त स्तर 1 (एटी1) बॉन्ड के लिए पात्र सीमा पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। • बैंकों कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के परिणामस्वरूप, एक विशेष छूट दी गई थी: बैंकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में अतिरिक्त व्यय को परिशोधित करने का विकल्प दिया गया था, जो प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग की शर्त के अधीन था।
7 अक्टूबर 2021	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल करना।
14 अक्टूबर 2021	ऋण संस्थानों के लिए साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को चरणबद्ध तरीके से रिलेशनशिप सेगमेंट (आरएस) डेटा की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया था।
22 अक्टूबर 2021	22 जनवरी 2021 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 'एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा - एक आकार-आधारित दृष्टिकोण' शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, एनबीएफसी के लिए आकार-आधारित विनियामक ढांचा 22 अक्टूबर 2021 को लागू किया गया।
26 अक्टूबर 2021	एलएबी को एक ही स्थान पर इस विषय पर वर्तमान निर्देश प्रदान करने के लिए, पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में एक मास्टर निदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी मौजूदा दिशानिर्देशों /अनुदेशों/ निदेशों को शामिल किया गया था।
28 अक्टूबर 2021	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015, दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के मास्टर निदेश में नामित बैंकों के लिए - जीएमएस के तहत मध्यम और लंबी अवधि के सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) के जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में लॉक-इन अवधि के पहले/ बाद में समय-पूर्व बंदी की स्थिति में और एमएलटीजीडी प्रमाण पत्र के विरुद्ध लिए गए ऋण में चूक के मामले में भी - ब्याज के परिकलन हेतु कोई विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। मास्टर निदेशों में अपेक्षित संशोधन किए गए, जिसमें जमाराशि की वास्तविक अवधि (विभिन्न समय बकेट में विभाजित) के आधार पर लागू ब्याज दरों का विवरण शामिल किया गया। समयपूर्व-बंद प्रकृति के होने के कारण, लागू ब्याज दरें सामान्य समय में एमएलटीजीडी जमा पर लागू ब्याज दरों से कम हैं। फिर भी, मृत्यु के कारण समयपूर्व बंदी के मामले में लागू ब्याज दर, ऋण चूक के कारण समयपूर्व बंदी की तुलना में 0.125 प्रतिशत अधिक है।
29 अक्टूबर 2021	उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए, बैंकों द्वारा नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट (सीसी/ओडी) और चालू/संग्रह खाते खोलने के तरीके पर निर्देश 6 अगस्त 2020 को जारी किए गए थे। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए, दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया, जिससे उधारकर्ताओं, जिनके लिए बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹5 करोड़ से कम है, को बिना कोई प्रतिबंध चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, सीसी/ओडी सुविधा वाले उधारकर्ता को किसी एक बैंक में चालू खाता रखने की अनुमति है, जिसके पास सीसी/ओडी सुविधा है। अन्य उधार देने वाले बैंकों को ऐसे ग्राहकों के लिए संग्रह खाते खोलने की अनुमति दी गई है।
1 नवंबर 2021	यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (यूएसएफबी) ने 1 नवंबर 2021 से एसएफबी के रूप में परिचालन शुरू किया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
2 नवंबर 2021	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) पर लागू कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा हेतु समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी।
11 नवंबर 2021	बेंचमार्क दर के रूप में लाइबोर की आसन्न समाप्ति के मद्देनजर बैंकों को, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों [एफसीएनआर (बी)], जमाराशियों पर, व्यापक रूप से स्वीकृत 'संबंधित मुद्रा के लिए एकदिवसीय एआरआर' ब्याज दरों की पेशकश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था जिसमें 50 आधार अंकों की ऊपरी सीमा के साथ ऊर्ध्वगामी संशोधन की अनुमति थी।
12 नवंबर 2021	• सभी ऋणदात्री संस्थाओं में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी मानदंड) के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया गया और/या उनमें सामंजस्य स्थापित किया गया। परिपत्र में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए गए: तिथि / चुकौती तिथि के विनिर्देश, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और एनपीए के रूप में खाते के वर्गीकरण के परिचालन पहलू, 'अनियमित' की परिभाषा, ब्याज भुगतान के मामले में एनपीए वर्गीकरण के लिए 90 दिनों के उपचारिता मानदंड को संरेखित करना, एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन और ब्याज के भुगतान पर स्थगन वाले ऋण के लिए आय निर्धारण नीति। • इसके अलावा, ऋण खातों के आस्ति वर्गीकरण की अवधारणा से संबंधित उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने इस परिपत्र के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए दैनिक प्रयोग के संदर्भ में - अतिदेय तारीख, एसएमए और एनपीए वर्गीकरण और उन्नयन आदि अवधारणाओं को उदाहरण के साथ, उपभोक्ता शिक्षण साहित्य अपनी वेबसाइटों पर रखना आवश्यक होगा।
22 नवंबर 2021	जनता को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि कुछ सहकारी समितियां "बैंक" शब्द का उपयोग कर रही हैं जो बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है और गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/सहयोगियों से जमाराशि स्वीकार कर रही हैं, जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बैंकिंग कारोबार करने के समान हैं।
26 नवंबर 2021	भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए 12 जून 2020 को गठित एक आंतरिक कार्य दल ने 33 सिफारिशें की हैं। रिज़र्व बैंक ने एक प्रेस प्रकाशनी जारी कर 21 सिफारिशों (कुछ आंशिक संशोधनों के साथ) को स्वीकार करने की सूचना दी है, जिनमें - प्रवर्तक की धारिता को प्रदत्त वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 26 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिशें, प्रवर्तकों द्वारा शेयरों की गिरवी की रिपोर्टिंग, नए बैंक लाइसेंस के लिए न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाना, भविष्य में स्थापित किए जाने वाले लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए सूचीबद्धता मानदंडों में ढील देना - शामिल हैं। शेष 12 सिफारिशों की जांच की जा रही है।
8 दिसंबर 2021	अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, भारत में निगमित बैंकों को विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों में पूंजी डालने और उसमें प्रतिधारण और प्रत्यावर्तन/ लाभ के हस्तांतरण के लिए सामान्य अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि बैंक विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हों और इसके लिए उनके बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त हो।
10 दिसंबर 2021	एमएसएफ के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने बकाया एनडीटीएल के तीन प्रतिशत तक एसएलआर में कटौती कर, निधि लेने की अनुमति दी गई थी। इस सुविधा को, जो शुरू में 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, बाद में 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, सामान्य कारोबार में वापसी के साथ अनुसूचित बैंक 1 जनवरी 2022 से एमएसएफ के तहत एक दिवसीय उधार लेने के लिए तीन प्रतिशत के बजाय एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक एसएलआर में कटौती करने में सक्षम होंगे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
15 दिसंबर 2021	बेसल III मानकों वाले बैंकों के लिए विनियमों के अभिसरण के हिस्से के रूप में, हितधारकों की टिप्पणियों हेतु परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया गया था।
30 दिसंबर 2021	देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ विधिक न्यायालय के निर्देशों *आदि* के अंतर्गत वारंट नहीं किया जाता है, तब तक ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतनीकरण शेष है और आज की तारीख तक लंबित है, वहां ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर, 2021 तक केवल इस कारण से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। आरई को यह भी सूचना दी गई थी कि वे अपने केवाईसी अद्यतनीकरण कराने के लिए ऐसे ग्राहकों के साथ संवादरत रहें। कोविड-19 के नए वेरियंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
4 जनवरी 2022	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड" को शामिल करना।
6 जनवरी 2022	एलसीआर और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफआर) के उद्देश्य से लघु व्यवसाय ग्राहकों से कुल निधियन की सीमा ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹7.5 करोड़ कर दी गई।
14 जनवरी 2022	• एससीबी द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विनियामकीय निर्देश काफी हद तक अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए एक ढांचे पर आधारित हैं, जो तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। निवेश के वर्गीकरण, मापन और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में बाद के महत्वपूर्ण विकास, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक चर्चा पत्र टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। इसमें *अन्य बातों के साथ-साथ*, अप्राप्त लाभों और हानियों की सममित मान्यता का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विनियामक पूंजी पर विवेकपूर्ण फिल्टर के माध्यम से समाधान करते हुए इस तरह की मान्यता संबंधी समस्याओं और बढ़े हुए प्रकटीकरण द्वारा पूरक लाभांश वितरण पर चिंताएं शामिल हैं। • ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) द्वारा लेन-देन के विवरण को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर किए गए फैक्टरिंग लेनदेन की स्थिति में दर्ज करने के तरीके से संबंधित विनियम जारी किए गए थे। • फैक्टरिंग कारोबार करने का प्रस्ताव रखने वाली कंपनियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के तरीके से संबंधित विनियम जारी किए गए थे। एनबीएफसी-फैक्टर्स के अलावा, जमाराशि न स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी-निवेश और साख कंपनियों (एनबीएफसी-आईसीसी) को ₹1,000 करोड़ और उससे अधिक के आस्ति आकार के साथ - कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन - फैक्टरिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है।
15 फरवरी 2022	आईआरएसीपी मानदंडों से संबंधित उपभोक्ता शिक्षण को बढ़ावा देने के अलावा, उधारदात्री संस्थाओं द्वारा मौजूदा आईआरएसीपी मानदंडों के आवेदन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 'आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम से संबंधित प्रावधानीकरण - स्पष्टीकरण' से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर 12 नवंबर 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था। समीक्षा करने पर, उपर्युक्त प्रावधान को लागू करने हेतु आवश्यक प्रणालियों को स्थापित करने के लिए एनबीएफसी को 30 सितंबर 2022 तक का समय प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
3 मार्च 2022	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा यूसीबी क्षेत्र के छत्र संगठन (यूओ) की पूंजी में निवेश की सुविधा के लिए, यह स्पष्ट किया गया था कि यूसीबी द्वारा यूओ में निवेश को, गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी जाएगी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 मार्च 2022	• संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों के लिए पूंजीगत निधियों के निर्गम और विनियमन पर मौजूदा निर्देशों की समीक्षा की गई है। • भारत सरकार ने 31 मार्च 2024 तक या आगे की समीक्षा तक, जो भी पहले हो, लदानपूर्व और पोत-लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकारी योजना (आईईएस) की वैधता बढ़ा दी। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा।
9 मार्च 2022	राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) को भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना के वित्तपोषण के विकास में सहयोग करने के लिए एक विकास वित्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। रिज़र्व बैंक द्वारा एनएबीएफआईडी का विनियमन और पर्यवेक्षण एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में किया जाएगा। एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद यह पांचवां एआईएफआई होगा।
14 मार्च 2022	सूक्ष्म वित्त ऋणों के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा जारी किया गया था, जिसे सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में उधार देने वाली सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू किया गया है।
23 मार्च 2022	'वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन' पर मास्टर निदेश को अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था कि श्रेणी I और श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश, जिसमें उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) शामिल है, पर वही विवेकपूर्ण व्यवहार लागू होगा जो वीसीएफ में निवेश के लिए लागू है।
31 मार्च 2022	• क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, 2020 की द्विपक्षीय नेटिंग को भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम, पात्र वित्तीय संविदा (क्यूएफसी) के द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक ने 9 मार्च 2021 की अधिसूचना में (ए) "डेरिवेटिव्स" को और (बी) क्यूएफसी के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत परिभाषित "रिपो" और "प्रतिवर्ती रिपो" लेनदेन को अधिसूचित किया है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों/निदेशों में निहित चुनिंदा निर्देशों को उचित रूप से परिवर्तित/संशोधित किया गया। • 'वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन' पर मास्टर निदेश में संशोधन किया गया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता के लिए भारत सरकार से प्राप्त विशेष प्रतिभूतियों में निवेश को उचित मूल्य/परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) में प्रारंभिक निर्धारण पर बाजार मूल्य, पर निर्धारित की जाएगी। इन प्रतिभूतियों का उचित मूल्य/ बाजार मूल्य, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखी गई समान अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कीमतों/ परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर निकाला जाएगा।
पर्यवेक्षण विभाग	
27 अप्रैल 2021	आरई द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार को ध्यान में रखते हुए, 'वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के 'सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश' विषय पर 27 अप्रैल 2021 को एक परिपत्र जारी किया गया था। इस दिशानिर्देश में, लेखा परीक्षकों की स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए एससीए/एसए की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की संख्या, उनकी पात्रता का मानदंड, कार्यकाल और कार्य-आवर्तन *आदि* के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके बाद से लागू हैं। हालांकि, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी को 2021-22 की दूसरी छमाही से इन दिशानिर्देशों को अपनाने की छूट दी गई थी ताकि कोई व्यवधान न हो।
11 जून 2021	जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) दिशानिर्देश सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली एचएफसी और जमाराशि न स्वीकार करने वाली एचएफसी के लिए लागू कर दी गई थी, जिनका आस्ति आकार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक था।
2 नवंबर 2021	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचा उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप सक्रिय करने के लिए जारी किया गया था और एससीबी द्वारा उचित समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू किया जाना अपेक्षित है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति बहाल की जा सके।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
16 नवंबर 2021	विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की अंतरिम सिफारिशों के अनुसार 16 अनावश्यक परिपत्रों को वापस ले लिया गया।
14 दिसंबर 2021	एनबीएफसी के बढ़ते आकार और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ उनके पर्याप्त अंतर्संबंध को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी पर लागू पर्यवेक्षी उपकरणों को और मजबूत करने के लिए एनबीएफसी के लिए एक पीसीए ढांचा पेश किया गया था। एनबीएफसी के लिए पीसीए ढांचा, 31 मार्च 2022 को या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।
23 फरवरी 2022	कहीं भी/ कभी भी सुविधा के साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित डिजिटल पेशकशों और लेनदेन में निर्बाध ग्राहक इंटरफेस प्रदान करने, एनबीएफसी के कार्यों के एकीकरण को सक्षम करने, केंद्रीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करने, और आंतरिक उद्देश्यों और विनियामक रिपोर्टिंग दोनों के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) बनाने हेतु, 1 अक्टूबर 2022 को 10 और उससे अधिक 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स' वाले एनबीएफसी-मध्य स्तर और एनबीएफसी-ऊपरी स्तर को 'कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (सीएफएसएस)' लागू करना अनिवार्य किया गया - जैसा कि 30 सितंबर, 2025 तक बैंकों द्वारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) अपनाया जाएगा। 10 से कम 'फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट' वाले एनबीएफसी-आधार स्तर, एनबीएफसी-मध्य और ऊपरी स्तर, अपने स्वयं के लाभ के लिए सीएफएसएस के कार्यान्वयन पर विचार कर सकते हैं।
उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग	
12 नवंबर 2021	• रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए वैकल्पिक शिकायत निपटान प्रणाली को आसान और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' की अवधारणा को अपनाते हुए पूर्व की तीनों लोकपाल योजनाओं - (i) बैंक लोकपाल योजना, 2006 यथा संशोधित 01 जुलाई 2017; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को एकीकृत करके रिज़र्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 लागू की गई है। • ईमेल और भौतिक रूप से प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्राप्ति और शिकायतकर्ता के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ में 'केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रस्संकरण केंद्र' की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, हिंदी, अंग्रेजी और आठ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार नौ क्षेत्रीय भाषाओं) में टोल फ्री नंबर 14448 के साथ एक संपर्क केंद्र भी प्रारंभ किया गया है।
15 नवंबर 2021	रिज़र्व बैंक ने 10 या उससे अधिक शाखाओं के साथ जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) तथा ₹5000 करोड़ या उससे अधिक आस्ति आकार और सार्वजनिक ग्राहक इंटरफेस रखने के साथ जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) को इस निदेश के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर अपनी आंतरिक शिकायत निपटान प्रणाली के सर्वोच्च स्तर पर आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति करने का निदेश दिया है।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
31 मार्च 2021	2021-22 की पहली छमाही (अप्रैल 2021 से सितंबर 2021) के लिए भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डबल्यूएमए) की सीमा ₹1,20,000 करोड़ निर्धारित की गई थी।
23 अप्रैल 2021	• सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹51,560 करोड़ की मौजूदा अंतरिम डबल्यूएमए सीमा को छह महीने के लिए, *यानी* 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया। • ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों में छूट को जारी रखा गया, जिसमें एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लगातार ओडी में रहने वाले दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दिया गया, और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के एक तिमाही में ओडी में रहने वाले दिनों की संख्या 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
12 जुलाई 2021	सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के रूप में, 'आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष' योजना की घोषणा 12 जुलाई 2021 को रिज़र्व बैंक के साथ अपना गिल्ट प्रतिभूति खाता खोलने की सुविधा के साथ खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार- दोनों प्राथमिक और द्वितीयक में ऑनलाइन के माध्यम से आसान पहुंच में सुधार के लिए की गई थी।
27 सितंबर 2021	2021-22 की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022) के लिए भारत सरकार की डबल्यूएमए की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की गई थी।
8 अक्टूबर 2021	• राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹51,560 करोड़ की मौजूदा अंतरिम डबल्यूएमए सीमा को अगले छह महीने के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। • राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए (ओडी) विनियमों में छूट को छह महीने के लिए, *यानी* 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
12 नवंबर 2021	आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल (https://rbirtaildirect.org.in) को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
4 जनवरी 2022	द्वितीयक बाजार में चलनिधि प्रदान करके आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का समर्थन करने के लिए, एक "खुदरा प्रत्यक्ष योजना - बाजार बनाना" शुरू किया गया था, जिसके अनुसार प्राथमिक डीलरों (पीडी) को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पर पूरे बाजार समय के दौरान उपस्थित होना आवश्यक था (विषम लॉट और कोट्स सेगमेंट के लिए अनुरोध) और खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाताधारक के खरीदने/बेचने के अनुरोधों का जवाब देना था।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
10 अगस्त 2021	एटीएम में धनापूर्ति न किए जाने पर बैंकों/ व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ) के लिए दंड लगाने की योजना शुरू की गई ताकि जनता को एटीएम द्वारा पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके।
27 अगस्त 2021	सिक्कों के वितरण में जनता को बेहतर ग्राहक सेवा दिए जाने के व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत, सिक्कों के वितरण के लिए बैंकों को देय प्रोत्साहन की मात्रा में वृद्धि की गई।
28 मार्च 2022	मैसूर में स्थापित, भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) की स्याही विनिर्माण इकाई (वर्णिका) को गवर्नर, आरबीआई द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
19 मई 2021	पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) अंतरपरिचालनीयता को अनिवार्य करते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए थे, पूर्ण केवाईसी पीपीआई की सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया था, और गैर-बैंक पीपीआई निर्गमकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई का उपयोग करके नकद निकासी की अनुमति दी गई थी।
4 जून 2021	यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) को 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा।
10 जून 2021	एटीएम लेनदेन के लिए संशोधित इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क के साथ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
14 जून 2021	• भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज की अनुमति दी गयी। • भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से या उसके माध्यम से नए निवेश के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।
28 जुलाई 2021	केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में प्रत्यक्ष सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए अधिकृत गैर-बैंक पीएसओ, *यथा* पीपीआई निर्गमकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को अनुमति देने हेतु पहुँच मानदंड को संशोधित किया गया था।
3 अगस्त 2021	भुगतान के बाह्यस्रोतीकरण और/या निपटान संबंधी गतिविधियों में जोखिमों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते हुए पीएसओ द्वारा भुगतान और निपटान संबंधी गतिविधियों के बाह्यस्रोतीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
25 अगस्त 2021	उपभोक्ता उपकरणों - लैपटॉप, डेस्कटॉप, धारणीय वस्तुएं (कलाई घड़ी, बैंड, आदि), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरण *आदि* को शामिल करने के लिए उपकरण आधारित टोकनाइजेशन की व्याप्ति का विस्तार किया गया।
26 अगस्त 2021	टिअर-1 और टिअर-2 केंद्रों में प्रधानमंत्री फुटपाथ विक्रेताओं की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) के हिस्से के रूप में चिन्हित किए जाने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था।
27 अगस्त 2021	• भारत नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना के प्रति लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया और प्रति धन-प्रेषक प्रति वर्ष 12 विप्रेषण की सीमा को हटा दिया गया। • पीपीआई (एमडी-पीपीआई) के निर्गमन और परिचालन संबंधी मास्टर दिशानिर्देश को संशोधित किया गया था, जिसमें व्यापक रूप से पीपीआई के वर्गीकरण में बदलाव, मौजूदा अनुदेशों के स्पष्टीकरण, कुछ ऐसे उपबंधों को हटाना जो अब प्रासंगिक नहीं हैं, आदि से संबंधित हैं।
7 सितंबर 2021	उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) तक विस्तारित करने के निर्देश जारी किए गए थे।
14 सितंबर 2021	भारत (यूपीआई) और सिंगापुर (पेनाउ) की तीव्र भुगतान प्रणाली को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की गई।
8 अक्टूबर 2021	एसएमएस और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के अलावा अन्य चैनलों के लिए त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में प्रति लेनदेन की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई।
8 दिसंबर 2021	• यूपीआई एप्लिकेशन में "ऑन-डिवाइस" वॉलेट के माध्यम से कम मूल्य के लेनदेन की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई। • खुदरा प्रत्यक्ष योजना और आईपीओ आवेदनों के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान की लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई।
3 जनवरी 2022	कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफ़लाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया।
10 फरवरी 2022	• टीआरईडीएस निपटान के लिए एनएसीएच अधिदेश की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दी गई। • कतिपय निर्धारित मासिक/ तिमाही/ वार्षिक रिटर्न को बंद करने और अनावश्यक परिचालन दिशानिर्देशों को हटाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन, 2008 में संशोधन किया गया।
22 फरवरी 2022	अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी किए गए पीपीआई (गैर-सीमित) के विरुद्ध जनता को सावधान करते हुए एडवाइजरी जारी की गई।
8 मार्च 2022	• फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए UPI123Pay को प्रारंभ किया गया। • उत्पादों में डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों को हल करने के लिए *डिजिसाथी*, 24x7 हेल्पलाइन शुरू की गई।
25 मार्च 2022	बैंकों/गैर-बैंक पीएसओ द्वारा परिनियोजित भुगतान प्रणाली टच पॉइंट की जियो-टैगिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया।

अनुबंध II

कोविड-19 का प्रभाव कम करने के लिए प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: अप्रैल 2021 से मार्च 2022[1]

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
ए. भारत सरकार (जीओआई)	
1 अप्रैल 2021	• अधीनस्थ कर्ज के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) को 30 सितंबर 2021 तक विस्तारित किया गया। • वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत सुधार करने के लिए 11 राज्यों को ₹11,830 करोड़ की राशि जारी की।
11 अप्रैल 2021	भारत सरकार ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रेमेडिसिविर इंजेक्शन और सक्रिय औषधि घटक (एपीआई) के निर्यात पर रोक लगा दी।
26 अप्रैल 2021	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा कोविड-19 के समय आयात से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने और शीघ्र सीमाशुल्क निकासी के लिए व्यापार, उद्योग और व्यक्तियों को संभालने के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क की स्थापना की गई थी।
30 अप्रैल 2021	• 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्यों को 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। • छूट-प्राप्त श्रेणियों की सूची में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर के आयात को शामिल किया गया, जहां 31 जुलाई 2021 तक सीमा शुल्क निकासी ''उपहार'' के रूप में हुई है।
1 मई 2021	• राज्य आपदा प्रतिसाद निधि (एसडीआरएफ) के लिए ₹8,873.6 करोड़ की पहली किस्त अग्रिम रूप से जारी की गई थी और एसडीआरएफ राशि के 50 प्रतिशत तक के हिस्से को राज्यों द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। • सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कतिपय अनुपालनों की समयसीमा दी। इनमें अन्य बातों के अलावा, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) पर आपत्तियां दर्ज करने व आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 1 अप्रैल, 2021 से बढ़ा कर 31 मई 2021 तक करना शामिल है।
2 मई 2021	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत करदाताओं के लिए विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की गई। इनमें विलंब शुल्क से छूट, ब्याज दर में कमी, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) नियम में संशोधन, जीएसटी रिटर्न 1 (जीएसटीआर-1) प्रस्तुत करने की नियत तारीख में विस्तार, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा (आईआईएफ), जीएसटी रिटर्न 4 (जीएसटीआर-4) और इनपुट कर क्रेडिट-04 (आईटीसी-04) शामिल हैं।
3 मई 2021	विदेशों से दान में प्राप्त विशिष्ट कोविड-19 राहत सामग्री में अन्य बातों के अलावा रेमेडिसिविर इंजेक्शन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोविड-19 टीके, 30 जून, 2021 तक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) से *तदर्थ* छूट के बारे में अधिसूचना शामिल थी।
5 मई 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (तृतीय चरण) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के सामान्य 5 किलोग्राम/ प्रति व्यक्ति/ प्रति माह की हकदारी से बढ़कर अतिरिक्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दो और महीनों, मई से जून 2021 के लिए बढ़ा दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में गरीब और असुरक्षित लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
18 मई 2021	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 मार्च 2021 और 30 जून 2021 के मध्य बैंकों को देय 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान (आईएस) के निरंतर लाभ और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए किसानों को 3 प्रतिशत त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) पर प्रति किसान को ₹3 लाख तक (एएचडीएफ के लिए ₹2 लाख तक) देने की योजना की पुनर्भुगतान तिथि को 30 जून 2021 तक विस्तारित करने हेतु एक ज्ञापन जारी किया।

[1] सूची सांकेतिक स्वरूप की है और सरकार से संबंधित उपायों के लिए विवरण सरकारी वेबसाइट पर और रिज़र्व बैंक से संबंधित उपायों के विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
20 मई 2021	कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कुछ समयसीमाओं का विस्तार किया गया: • वित्तीय लेनदेन विवरणी (एसएफटी), रिपोर्ट करने योग्य खाते का विवरण, 2020-21 के लिए कर कटौती के विवरण को पहले 31 मई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, जिसे अब 30 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। • कर्मचारी को स्रोत पर कर कटौती के प्रमाण पत्र को पहले 15 जून 2021 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था, उसे 15 जुलाई 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
28 मई 2021	43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अनुशंसाएं: • एम्फोटेरिसिन-बी सहित कोविड-19 संबंधित चिकित्सा सामग्री को 31 अगस्त 2021 तक निःशुल्क वितरण के लिए सीमा-शुल्क और आईजीएसटी से पूरी छूट दी जाएगी। • लंबित विवरणी के लिए विलंब शुल्क के संबंध में करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए आम माफी योजना और भविष्य की कर अवधि के लिए विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया। • ऐसे करदाता, जिनका कुल वार्षिक कारोबार ₹2 करोड़ तक है, उनके लिए 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न का सरलीकरण, 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9/ 9ए के रूप में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना वैकल्पिक होगा। इसमें अन्य बातों के अलावा, समाधान विवरण के स्व-प्रमाणन जैसी कुछ सुविधाएं अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई थीं।
30 मई 2021	आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार बढ़ाया गया था: • ईसीएलजीएस 4.0 के तहत, अस्पतालों/ नर्सिंग होम/ क्लीनिक/ मेडिकल कॉलेजों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ प्रत्यक्ष ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए 100 प्रतिशत गारंटी कवर। • रिज़र्व बैंक के 5 मई 2021 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जो उधारकर्ता पुनर्रचना के लिए पात्र हैं और जिन्होंने चार वर्षों के कुल कार्यकाल के ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण लिया था, जिसमें केवल पहले 12 महीनों के दौरान ब्याज की चुकौती के साथ अगले 36 महीनों में मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल था। उसके बाद, वे अपने ईसीएलजीएस ऋण के लिए पांच वर्ष की अवधि का लाभ उठा सकेंगे, *यानी,* केवल पहले 24 महीनों के लिए ब्याज की चुकौती और उसके बाद 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी शामिल थी। • रिज़र्व बैंक के 5 मई 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ-साथ ईसीएलजीएस 1.0 के तहत कवर किए गए उधारकर्ताओं को 29 फरवरी 2020 तक बकाया के 10 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता दी गई। • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्रता के लिए ₹500 करोड़ के बकाया ऋण की वर्तमान सीमा को हटाया जाना है, बशर्ते कि प्रत्येक उधारकर्ता के लिए अधिकतम अतिरिक्त ईसीएलजीएस सहायता 40 प्रतिशत या ₹200 करोड़, जो भी कम हो, तक सीमित हो। • नागर विमानन क्षेत्र ईसीएलजीएस 3.0 के तहत पात्र होगा। • ईसीएलजीएस की वैधता 30 सितंबर 2021 तक या ₹3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2021 तक संवितरण की अनुमति है।
1 जून 2021	एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन का प्रतिबंधित निर्यात।
15 जून 2021	भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया। अब एमएसएमई पंजीकरण के लिए केवल स्थायी खाता संख्या (पैन) और *आधार* की आवश्यकता है।
23 जून 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (चतुर्थ चरण) को जुलाई 2021 से बढ़ा कर नवंबर 2021 तक विस्तारित किया गया।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 जून 2021	कोविड-19 महामारी से उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था का समुत्थान करने के लिए ₹6,28,993 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा: • कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना। • ईसीएलजीएस के लिए अतिरिक्त ₹1.5 लाख करोड़। • सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से 25 लाख व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना लायी गई। • 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटकों/ गाइड/ यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता। • पहले 5 लाख पर्यटकों को एक माह का निःशुल्क पर्यटक वीजा। • डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए ₹14,775 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी। • बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल/ बाल चिकित्सा हेतु बिस्तरों पर महत्व देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ₹23,220 करोड़ की अतिरिक्त राशि। • पोषण, जलवायु आघात-सहनीयता और अन्य लक्षणों के लिए बायो-फोर्टिफाइड फसलों की 21 किस्में को राष्ट्र को समर्पित की जानी हैं। • उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) का ₹77.5 करोड़ के पैकेज के माध्यम से पुनरुद्धार। • राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए ₹33,000 करोड़ का प्रोत्साहन। • निर्यात के लिए बीमा रक्षा हेतु ₹88,000 करोड़ का प्रोत्साहन। • भारतनेट सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड लगाने के लिए ₹19,041 करोड़ दिये गए। • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यकाल का 2025-26 तक विस्तार। • सुधार आधारित, परिणामी बिजली संवितरण योजना के लिए ₹3.03 लाख करोड़। • पीपीपी परियोजनाओं और आस्ति मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित कार्यविधि।
30 जून 2021	• कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर या स्वास्थ्य/ चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ग्रीनफील्ड परियोजनाएं और ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए वित्तीय गारंटी कवर प्रदान करने के लिए ₹50,000 करोड़ की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी। • ईसीएलजीएस के तहत 30 सितंबर 2021 तक ₹1,50,000 करोड़ के अतिरिक्त निधीयन के लिए अनुमोदन, या गारंटीकृत आपातकालीन ऋण व्यवस्था (जीईसीएल) के तहत ₹4,50,000 करोड़ की राशि की स्वीकृति, जो भी पहले हो। • *आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना* (एबीआरवाई) के तहत पंजीकरण का अंतिम दिनांक 30 जून 2021 से बढ़ा कर 31 मार्च 2022 किया गया।
8 जुलाई 2021	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज (द्वितीय चरण) के लिए ₹23,123 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।
14 जुलाई 2021	भारत सरकार ने वर्तमान दरों पर 31 मार्च 2024 तक परिधान/ वस्त्रों और बने-बनाए सामान के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और प्रभार (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने की स्वीकृति दी।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
19 जुलाई 2021	• कोविड-19 से प्रभावित करदाताओं को कर में छूट, और जिन्हें कोविड-19 के चिकित्सा उपचार के लिए नियोक्ता या किसी व्यक्ति की सहायता लेने के बाद राशि का भुगतान करना पड़ा था। • कोविड-19 टीका विकसित करने के लिए सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों और उद्योग को वित्तीय सहायता दी गई।
16 अगस्त 2021	कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
17 सितंबर 2021	निम्नलिखित मामलों में आय कर अधिनियम, 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय-सीमा का विस्तार निम्नानुसार है: • पैन कार्ड को *आधार* से संबद्ध करने के लिए आयकर विभाग को *आधार* संख्या की सूचना प्रदान करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 की गई। • अधिनियम के तहत दंड की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई। • *बेनामी* संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत न्यायिक प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई थी।
28 सितंबर 2021	विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 का 31 मार्च 2022 तक विस्तार।
29 सितंबर 2021	ईसीएलजीएस का 31 मार्च 2022 तक विस्तार या योजना के तहत ₹4.5 लाख करोड़ की राशि की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो। इसके अलावा, ईसीएलजीएस के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30 जून 2022 तक विस्तारित की गई थी।
4 अक्टूबर 2021	• सीजीएसएसडी को 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया। इससे दबावग्रस्त एमएसएमई को सहायता प्राप्त होगी। • सुई वाली या बिना सुई की सीरिंज के निर्यात पर प्रतिबंध।
19 नवंबर 2021	एमएसएमई मंत्रालय ने सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुड़ी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना (एससीएलसीएसएस) प्रारंभ की। इस योजना में संयंत्र एवं मशीनरी एवं सेवा उपकरण की खरीद के लिए 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) का प्रावधान है।
24 नवंबर 2021	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (पांचवां चरण) का विस्तार 4 महीने की अवधि के लिए, *यानी* दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक किया गया ताकि एनएफएसए के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिले।
10 जनवरी 2022	एनोक्सापैरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई) और इंट्रा-वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) [फॉर्मूलेशन और एपीआई] के निर्यात पर प्रतिबंध।
1 फरवरी 2022	केंद्रीय बजट 2022-23 व्यष्टि-आर्थिक स्तर के सर्व-समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समष्टि-आर्थिक स्तर के विकास की अनुपूर्ति करना चाहता है। प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं: • मार्च 2023 तक ईसीएलजीएस का विस्तार किया जाएगा और इसके गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। कुल कवर ₹5 लाख करोड़ होगा। • सीजीएसएसडी का मार्च 2023 तक विस्तार। • संशोधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ₹2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण दिया गया। • सरकार द्वारा ₹6,000 करोड़ के परिव्यय के साथ रेजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) कार्यक्रम का सूत्रपात। • *उद्यम*, *ई-श्रम*, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और *असीम* [2] के पोर्टलों को आपस में जोड़ना।

[2] *आत्म निर्भर* कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए 2022-23 में ₹1 लाख करोड़ आबंटित किए गए। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के परिव्यय को 2021-22 में ₹10,000 करोड़ (बजट अनुमान) से बढ़ाकर 2021-22 में ₹15,000 करोड़ (संशोधित अनुमान) किया जाएगा। • कर प्रोत्साहन पहले 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध था। महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए स्टार्ट-अप की सहायता हेतु, पात्र स्टार्ट-अप को शामिल करने की अवधि 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। • गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की घोषणा की गई। • अनुपूरक शिक्षण प्रदान करने और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आत्मनिर्भर तंत्र बनाने के लिए, *प्रधान मंत्री ईविद्या*, एक वर्ग-एक टीवी चैनल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।
26 मार्च 2022	*प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* (षष्ठ चरण) का अगले 6 महीने (अप्रैल-सितंबर 2022) के लिए विस्तार।
30 मार्च 2022	ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और नागर विमानन क्षेत्रों से संबंधित लाभों का कार्यक्षेत्र, व्याप्ति और सीमा निम्नानुसार विस्तारित की गई है: • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आच्छादित क्षेत्रों में नए उधारकर्ताओं जिन्होंने 31 मार्च 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक उधार लिया है, वे भी अब ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे। • ईसीएलजीएस 3.0 के तहत प्राप्त होने वाली आपातकालीन ऋण सुविधाओं की सीमा ईसीएलजीएस 3.0 के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में पात्र उधारकर्ताओं के लिए विस्तारित की गई है। ऐसे सभी क्षेत्रों (नागर विमानन क्षेत्र के अलावा) में पात्र उधारकर्ताओं को अब अपने उच्चतम निधि-आधारित ऋण का 50 प्रतिशत तक लाभ उठाने की अनुमति है। यह प्रति उधारकर्ता ₹200 करोड़ की वर्तमान अधिकतम सीमा के अधीन है। नागर विमानन क्षेत्र में पात्र उधारकर्ता अपनी उच्चतम कुल निधि और गैर निधि-आधारित बकाया ऋण के 50 प्रतिशत तक का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अधिकतम लाभ ₹400 करोड़ प्रति उधारकर्ता दिया जा सकता है।
31 मार्च 2022	एफटीपी 2015-20 का 30 सितंबर 2022 तक विस्तार।
बी. भारतीय रिज़र्व बैंक	
मौद्रिक नीति विभाग	
7 अप्रैल 2021	• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रिपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और समायोजनकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया ताकि सतत संवृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सके और उसमें गतिशीलता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को निरंतर कम रखा जा सके और आगे बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखा जा सके।[3] • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को कुल ₹50,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गई ताकि वे ऋण की क्षेत्रवार आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।[4]

[3] एमपीसी ने 2021-22 में अपनी सभी अनुवर्ती बैठकों में रिपो दर और समायोजनकारी रुख पर यथास्थिति बनाए रखी।

[4] इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के पुनर्वित्त के लिए नाबार्ड को दिये गए ₹25,000 करोड़; आगे उधार देने/ पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़; और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹10,000 करोड़ शामिल हैं। इस सुविधा के तहत रिज़र्व बैंक की नीतिगत रिपो दर पर अग्रिम प्रदान किए गए थे।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
5 मई 2021	बैंकिंग सेवा से वंचित एमएसएमई को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने के लिए और उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने हेतु, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को ₹25 लाख तक के एक्सपोजर के लिए उपलब्ध आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) से छूट, जो 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित ऋण के लिए मान्य थी, को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया।
4 जून 2021	एमएसएमई की लघु और मध्यम अवधि की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को कुल ₹16,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई थी ताकि अपेक्षाकृत छोटे एमएसएमई और कारोबारों पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए निवेश चक्र को शुरू किया जा सके, इसमें क्रेडिट की कमी वाले और आकांक्षी जिले भी शामिल हैं।
6 अगस्त 2021	सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की तीन प्रतिशत तक की धनराशि प्राप्त करने की विस्तारित सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक *यानी* और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया ताकि चलनिधि आवश्यकताओं के संबंध में बैंकों को राहत प्रदान की जा सके।
8 दिसंबर 2021	एमएसएफ के तहत उधार लेने की सीमा को 1 जनवरी 2022 से प्रभावी रूप से 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के महामारी-पूर्व स्तर पर बहाल कर दिया गया था।
वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग	
5 मई 2021	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) वर्गीकरण में लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) द्वारा पंजीकृत एनबीएफसी – सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य एमएफआई (सोसायटी, न्यास *इत्यादि*) को दिए गए नए ऋणों को भी शामिल करने की अनुमति दी गई जो रिज़र्व बैंक द्वारा सेक्टर के लिए मान्यता प्राप्त 'स्व विनियामकीय संगठन' के सदस्य है, और जिनका 31 मार्च 2021 को वैयक्तिक ऋण प्रदान करने के लिए 'सकल ऋण पोर्टफोलियो' ₹500 करोड़ तक है। उपरोक्त के अनुसार, 31 मार्च 2021 को बैंक के कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र पोर्टफोलियो के 10 प्रतिशत तक बैंक ऋण की अनुमति दी गई थी।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
7 अप्रैल 2021	• मांग पर लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) योजना की घोषणा 9 अक्टूबर 2020 को की गई थी, और शुरुआत में इसे 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराया गया था, जिसे छह महीने की अवधि, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
5 मई 2021	• आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप टर्म लिक्विडिटी विंडो प्रदान करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 31 मार्च 2022 तक रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि होगी। इसका उद्देश्य देश में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल चलनिधि के प्रावधान को बढ़ावा देना है। बाद में इस योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था। • महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित लघु व्यवसाय इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, एसएफबी के लिए रिपो दर पर ₹10,000 करोड़ के विशेष तीन वर्ष के दीर्घकालिक रिपो परिचालन (एसएलटीआरओ) का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जिसे प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक के नए ऋण के लिए प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा शुरू में 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध कराई गई थी। बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया और इसे ऑन-टैप बनाया गया।
4 जून 2021	31 मार्च 2022 तक रिपो दर पर तीन साल तक की अवधि के साथ ₹15,000 करोड़ की राशि के लिए संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए एक अलग चलनिधि सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। बाद में इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
विदेशी मुद्रा विभाग	
7 अप्रैल 2021	सामान्य रूप से, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के उधारकर्ताओं को भारत में प्राधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों के साथ सावधि जमा में ईसीबी आय को संचयी रूप से अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए रखने की अनुमति है। कोविड-19 महामारी के दौरान ईसीबी उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, एकबारगी उपाय के रूप में इस शर्त में ढील देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 1 मार्च 2020 को या उससे पहले आहरित अप्रयुक्त ईसीबी आय को 1 मार्च 2022 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए संभावित रूप से भारत में प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों के साथ सावधि जमा में रखा जा सकता है।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	विनियमन विभाग
7 अप्रैल 2021	1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज की वापसी के लिए अपनायी गई पद्धति और अपने उधारकर्ताओं से संबंधित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को लागू करने में उधारदाता संस्थानों के दृष्टिकोण में संगति सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
22 अप्रैल 2021	देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता को देखते हुए बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे सुदृढ़ बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए अग्रसक्रिय ढंग से पूंजी जुटाएं और संरक्षित करें। इसलिए, वाणिज्यिक बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि लाभांश की मात्रा, मौजूदा अनुदेशों में तय लाभांश अदायगी अनुपात के अनुसार निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने की अनुमति थी।
5 मई 2021	• कोविड-19 के पुनर्प्रसार के मद्देनजर रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क (समाधान ढांचा) 2.0 की घोषणा की गई, जो ऋण देने वाली संस्थाओं को पात्र ऋणों के पुनर्गठन की अनुमति देता है, जिन्हें 6 अगस्त 2020 के रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 के तहत पुनर्गठित नहीं किया गया था और जिन्हें, पुनर्गठित एक्सपोजर को शर्तों के अधीन मानक के रूप में वर्गीकृत करते समय, 31 मार्च 2021 तक मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फ्रेमवर्क को 30 सितंबर 2021 तक लागू करना होगा और लागू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वित करना होगा। यहां तक कि एमएसएमई खातों के साथ-साथ पिछली योजनाओं के तहत पुनर्गठित अन्य पात्र खातों के संबंध में, ऋण देने वाली संस्थाओं को, एकबारगी उपाय के रूप में, कार्यशील पूंजी चक्र के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर कार्यशील पूंजी की, स्वीकृत सीमा और/या आहरण शक्ति, मार्जिन में कमी, *आदि* की – इसे पुनर्गठन न मानते हुए - समीक्षा करने की अनुमति दी गई है। • एससीबी के लिए उपलब्ध – 01 अक्टूबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक वितरित किए गए ऋण के लिए सीआरआर की गणना के लिए उनके एनडीटीएल से ₹25 लाख तक प्रति उधारकर्ता के आधार पर नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को वितरित ऋण के बराबर राशि की कटौती - की छूट को 31 दिसंबर 2021 को समाप्त पखवाड़े तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। • बैंकों पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण के उपाय के रूप में, बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाने हेतु, 31 दिसंबर 2020 तक उनके द्वारा धारित अस्थायी प्रावधानों/ प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का शत-प्रतिशत उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के उपयोग की अनुमति, तत्काल से लेकर 31 मार्च 2022 तक है। • अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित मास्टर निदेश के अनुसार, विनियमित संस्थानों (आरई) को मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन बाकी और आज तक लंबित है, ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक - जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय, *आदि* के अनुदेशों के तहत आवश्यक न हो - केवल इसी कारण से, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। आरई को यह भी सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों के केवाईसी के अद्यतनीकरण करने के लिए उनके साथ संवादरत रहें।
4 जून 2021	• कोविड-19 महामारी के कारण सहकारी बैंकों [*यानी* शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों] के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी बैंकों पर यथा लागू) की धारा 31 के तहत, 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को तीन महीने, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
	• कोविड-19 से संबंधित दबाव के समाधान के लिए समाधान ढांचा (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क) 2.0 के तहत, व्यक्तियों, लघु व्यवसायों और एमएसएमई के लिए कुल जोखिम सीमा ₹25 करोड़ थी। समीक्षा करने के उपरांत उपर्युक्त जोखिम सीमा को बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दिया गया।
6 अगस्त 2021	कोविड-19 से संबंधित दबाव से निपटने के लिए 6 अगस्त 2020 को जारी समाधान ढांचे के संदर्भ में लागू की गई समाधान योजनाओं को तय वित्तीय मापदंडों को 31 मार्च 2022 तक प्राप्त कर लेना चाहिए था। 2021 में कोविड-19 महामारी के पुनर्प्रसार और परिचालन मापदंडों को पूरा करने में उधारकर्ताओं के समक्ष इससे उपजी कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित चार परिचालन मानदंडों *यथा* कुल कर्ज़/ ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कुल आय (टीडी/ ईबीआईटीडीए), चालू अनुपात, कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (डीएससीआर) और औसत कर्ज़ चुकौती व्यापन अनुपात (एडीएससीआर) से संबंधित तय सीमाओं को पूरा करने हेतु लक्ष्य तिथि को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया जाए। हालांकि, कुल बाह्य देयताएँ/ समायोजित मूर्त निवल मालियत (टीओएल/ एटीएनडब्ल्यू) अनुपात को प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि, जैसा कि समाधान योजना के संदर्भ में तय किया गया था, को 31 मार्च 2022 तक अपरिवर्तित रखा गया।
9 अगस्त 2021	एमएसएफ के तहत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने बकाया एनडीटीएल का तीन प्रतिशत तक एसएलआर में कटौती कर निधि लेने की अनुमति दी गई थी। प्रारम्भ में यह सुविधा 30 जून 2020 तक उपलब्ध थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया, ताकि बैंकों की चलनिधि आवश्यकताएं और चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) अपेक्षाएँ पूरी हो सकीं।
30 दिसंबर 2021	देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया गया था कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन बाकी और आज तक लंबित है, ऐसे खातों के संचालन पर 31 दिसंबर 2021 तक - जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय, *आदि* के अनुदेशों के तहत आवश्यक न हो - केवल इसी कारण से, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। आरई को यह भी सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों के केवाईसी का अद्यतनीकरण करने के लिए उनके साथ संवादरत रहें। कोविड-19 के नए वेरियंट के कारण व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए इस छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
23 अप्रैल 2021	• सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा अंतरिम अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की ₹51,560 करोड़ की सीमा को छह महीने के लिए, *यानी* 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। • ओवरड्राफ्ट (ओडी) विनियमों में छूट को जारी रखा गया, जिसमें एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लगातार ओडी में रहने वाले दिनों की संख्या को 14 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 21 कार्य दिवस कर दिया गया, और एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के एक तिमाही में ओडी में रहने की अवधि को उसे 36 कार्य दिवसों से बढ़ाकर 50 कार्य दिवस कर दिया गया।
8 अक्टूबर 2021	• राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ₹51,560 करोड़ की वर्तमान अंतरिम डबल्यूएमए सीमा को अगले छह महीनों के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। • राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ओडी विनियमों में छूट को छह महीने के लिए, *यानी* 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
21 मई 2021	कुछ क्षेत्रों के संबंध में अनुपालन के लिए निर्धारित समय-सीमा (मौजूदा गैर-बैंक पूर्वदत्त भुगतान लिखत (पीपीआई) निर्गमकर्ताओं के लिए निवल मूल्य की अपेक्षा, भुगतान एग्रीगेटर की सेवाओं, *आदि* का पेशकश करने हेतु प्राधिकार प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन करने की समय-सीमा) का विस्तार किया गया था।

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य में वास्तविक जीडीपी (% परिवर्तन)*	7.9	6.7	3.7	-6.6	8.9
I.2 आधार कीमत में वास्तविक जीवीए (% परिवर्तन)*	7.7	6.3	3.8	-4.8	8.3
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)**	213.6	248.8	297.5	308.7	314.5
I.4 ए) खाद्य स्टाक (मिलियन टन)***	18.6	50.1	74.0	78.0	74.0
बी) खरीद (मिलियन टन)***	39.3	61.3	80.2	97.2	107.2
सी) उठाव (मिलियन टन)***	41.5	57.0	62.2	93.1	102.3
1.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (% परिवर्तन)&	9.3	3.5	-0.8	-8.4	11.3
I.6 आठ मुख्य उद्योगों का सूचकांक (% परिवर्तन)&	5.9	5.8	0.4	-6.4	10.4
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान कीमतों में जीएनडीआई का %)*	33.6	33.9	29.4	27.8	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान कीमतों में जीडीपी का %)*	35.2	38.0	30.7	27.3	-
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	4.8	6.2	5.5
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	7.5	5.0	5.1
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)	5.5	7.1	1.7	1.3	13.0
III. मुद्रा और ऋण&&					
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	9.4	18.8	12.3
III.2 व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	8.9	12.2	8.7
III.3 ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमा राशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	7.9	11.4	8.9
बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	6.1	5.6	9.6
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
ए) मांग/सूचना पर देय मुद्रा दर	5.6	7.2	5.4	3.4	3.3
बी) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	6.7	6.0	6.3
सी) 91-दिवसीय खजाना -बिलों पर प्रतिफल	-	-	5.5	3.3	3.5
डी) केंद्र सरकार के उधारियों पर भारित औसत लागत	-	-	6.9	5.8	6.3
ई) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	6.6	4.2	4.3
एफ) जमाराशि प्रमाणपत्र	8.9	8.2	5.9	4.3	4.1
IV.2 चलनिधि (₹. लाख करोड़)					
ए) एलएएफ बकाया~	-	-	2.6	4.1	5.9
बी) एमएसएस बकाया~~	-	-	-	-	-
सी) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
डी) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार	0.1	0.2	0.6	0.4	0.4
ई) परिवर्ती रिपो दर~	-	-	0.895	0.005	0.000
एफ) परिवर्ती रिवर्स रिपो दर~	-	-	1.2	0.0	2.8
जी) एमएसएफ~	-	-	0.020	0.001	0.0005
V. सरकारी वित्त#					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)					
ए) राजस्व प्राप्तियाँ	10.0	9.2	8.4	8.3	8.8
बी) पूंजीगत परिव्यय	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3
सी) कुल व्यय	14.9	15.0	13.4	17.7	15.9
डी) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	4.7	9.2	6.7
V.2 राज्य सरकार के वित्त##					
ए) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.0	-0.1	0.6	2.0	0.5
बी) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.3	2.6	4.7	3.5
सी) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	0.9	2.7	1.6

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक *(समाप्त)*

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन^					
ए) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	-5.0	-7.5	51.8
बी) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	-7.6	-16.6	68.3
सी) व्यापार संतुलन/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-5.6	-3.8	-5.9
डी) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.7	4.7	4.7
ई) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-0.9	0.9	-1.2
एफ) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.7	3.8	2.9	2.4	3.9
जी) रिज़र्व परिवर्तन (बीओपी आधार पर) (बिलियन अमेरिकी $) [वृद्धि (-)/कमी (+)]	-40.3	-6.6	-59.5	-87.3	-63.5
VI.2 बाह्य कर्ज संकेतक$					
ए) बाह्य कर्ज स्टाक (बिलियन अमेरिकी $)	156.5	359.0	558.3	573.7	614.9
बी) कर्ज-जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	20.9	21.2	20.0
सी) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	12.0	17.4	13.1
डी) कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधिक कर्ज (%)	13.6	21.3	19.1	17.6	18.6
ई) कर्ज चुकौती अनुपात (%)	8.3	5.6	6.5	8.2	4.9
एफ)कर्ज की तुलना में रिज़र्व (%)	113.7	84.8	85.6	100.6	103.0
VI.3 उदारता संकेतक (%)^					
ए) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	28.2	26.0	33.0
बी) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	40.3	38.2	45.6
सी) चालू प्राप्तियाँ और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	46.2	44.4	51.5
डी) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	40.2	42.5	47.9
ई) चालू प्राप्तियाँ एवं भुगतान और पूंजी प्राप्तियां और भुगतान/जीडीपी	84.4	109.8	86.4	86.9	99.4
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
ए) विनिमय दर (रुपये/अमेरिकी $)					
अवधि के अंत में	43.1	51.1	75.4	73.5	75.8
औसत	44.1	51.2	70.9	74.2	74.5
बी) 40-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)***	3.1^^	0.8	2.6	0.3	1.2
सी) 40-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)***	1.7^^	-4.9	0.6	-4.2	-0.8
डी) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	5.7^^	2.3	3.3	-1.7	0.4
ई) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	2.6^^	-5.1	0.7	-6.8	-1.6

- उपलब्ध नहीं।
* आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष श्रृंखला पर आधारित हैं।
** वर्ष 2021-22 के आंकड़े कृषि उत्पादन के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान हैं।
*** वर्ष 2021-22 के आंकड़े अनंतिम हैं।
& वर्ष 2021-22 के आंकड़े अनंतिम हैं और अप्रैल 2021-मार्च 2022 से संबंधित हैं।
&& वर्ष 2021-22 के आंकड़े अनंतिम हैं और 25 मार्च 2022 तक के हैं।
$ वर्ष 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं और दिसंबर 2021 के अंत तक के हैं।
~ 31 मार्च तक बकाया
~~ वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार को बकाया।
वर्ष 2021-22 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
वर्ष 2020-21 के आंकड़े 26 राज्यों के अनंतिम खाते (पीए) के आंकड़े हैं, जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के पास उपलब्ध हैं और शेष 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बजट अनुमान (बीई) हैं।
^ वर्ष 2021-22 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2021 से संबंधित हैं जब तक कि अन्यथा दर्शाया न गया हो।
^^ कॉलम 2 में आंकड़े वर्ष 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत है।

टिप्पणी: 1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए, कॉलम 2 और 3 में दिए गए आंकड़े वर्ष 2011-12 आधार वर्ष पर आधारित हैं।
2. वार्षिक आंकड़ों के लिए डबल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12=100 और औसत 5 वर्ष के मुद्रास्फीति के लिए वर्ष 2004-05=100 है। अगस्त 2020 तक सीपीआई-आईडबल्यू के लिए आधार 2001=100 और सितंबर 2020 के बाद से 2016=100 है।
3. औसत दैनिक सरकारी प्रतिभूति बाजार के कुल कारोबार के लिए, एकमुश्त ट्रेडिंग टर्नओवर केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (कैलेंडर दिवस के आधार पर) में होता है।
4. एलएएफ ऋणात्मक मान का अर्थ है अंतर्वेशन।
5. 6- और 40-मुद्रा एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों के लिए आधार वर्ष 2015-16=100 है। आरईईआर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं।

स्रोत : आरबीआई, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), केंद्र और राज्य सरकार के श्रम ब्यूरो और बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना
(वर्ष 2011-12 की कीमतों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				हिस्सेदारी		
	औसत 2014-15 से 2021-22	2019-20	2020-21	2021-22*	2019-20	2020-21	2021-22*
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यय पक्ष जीडीपी							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	5.3	5.2	-6.0	7.6	56.9	57.3	56.6
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	6.4	3.4	3.6	4.8	10.2	11.3	10.9
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	5.3	1.6	-10.4	14.6	31.8	30.5	32.0
4. स्टाक में परिवर्तन	-218.5	-58.8	-110.7	-1723.9	0.7	-0.1	1.3
5. मूल्यवान वस्तुएँ	14.0	-14.2	26.4	63.0	1.1	1.5	2.3
6. निवल निर्यात	-37.8	-16.1	39.1	-102.7	-3.5	-2.3	-4.2
ए) निर्यात	3.3	-3.4	-9.2	21.1	19.4	18.8	20.9
बी) *कम* आयात	5.1	-0.8	-13.8	29.9	22.9	21.1	25.2
7. विसंगतियाँ	-13.2	164.2	-39.8	-28.4	2.7	1.8	1.2
8. सकल देशी उत्पाद	**5.4**	**3.7**	**-6.6**	**8.9**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
आधार कीमतों पर जीवीए (आपूर्ति पक्ष)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	**3.5**	**5.5**	**3.3**	**3.3**	**15.0**	**16.3**	**15.5**
2. उद्योग	**5.7**	**-2.2**	**-1.8**	**10.4**	**21.8**	**22.5**	**22.9**
जिसमें से :							
ए) खनन और उत्खनन	3.2	-1.5	-8.6	12.6	2.4	2.3	2.4
बी) विनिर्माण	6.1	-2.9	-0.6	10.5	17.1	17.9	18.2
सी) बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएँ	5.8	2.2	-3.6	7.8	2.3	2.3	2.3
3. सेवाएँ	**5.7**	**5.7**	**-7.8**	**8.8**	**63.2**	**61.2**	**61.5**
जिसमें से:							
ए) निर्माण	3.7	1.2	-7.3	10.0	7.9	7.7	7.8
बी) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	5.3	5.9	-20.2	11.6	20.3	17.1	17.6
सी) वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	6.5	6.7	2.2	4.3	21.9	23.5	22.7
डी) लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.6	6.3	-5.5	12.5	13.1	13.0	13.5
4. आधार कीमतों पर जीवीए	**5.3**	**3.8**	**-4.8**	**8.3**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

*: वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

परिशिष्ट सारणी 3: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद			2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1			2	3	4	5
I.	**सकल बचत**		**31.7**	**31.3**	**29.4**	**27.8**
	1.1	**गैर-वित्तीय निगम**	**11.6**	**10.7**	**10.4**	**9.9**
	1.1.1	सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.4	1.3	1.4	1.4
	1.1.2	निजी गैर-वित्तीय निगम	10.2	9.4	9.0	8.5
	1.2	**वित्तीय निगम**	**2.2**	**1.8**	**2.9**	**2.8**
	1.2.1	सरकारी वित्तीय निगम	1.4	0.9	1.5	1.4
	1.2.2	निजी वित्तीय निगम	0.9	0.9	1.3	1.4
	1.3	**सामान्य सरकार**	**-1.2**	**-1.4**	**-3.1**	**-6.7**
	1.4	**हाउसहोल्ड क्षेत्र**	**19.0**	**20.0**	**19.2**	**21.9**
	1.4.1	निवल वित्तीय बचत	7.5	7.8	7.9	11.5
		मेमो: सकल वित्तीय बचत	11.9	11.8	11.7	15.5
	1.4.2	भौतिक आस्तियों में बचत	11.2	12.0	11.1	10.2
	1.4.3	मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.3	0.2	0.2	0.2

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

टिप्पणी: हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत: एनएसओ

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

मुद्रास्फीति									
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय)#	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**4.3**	**5.9**	**5.4**	**5.4**	**6.5**	**5.6**	**4.8**	**6.2**	**5.5**
खाद्य और पेय	4.8	7.1	3.9	8.1	7.7	4.7	6.0	7.3	4.2
आवास	…	…	…	4.5	3.3	3.7	4.5	3.3	3.7
ईंधन और बिजली	1.1	0.3	10.0	1.7	7.1	13.4	1.3	2.7	11.3
विविध	5.1	5.7	6.6	3.7	7.5	6.8	4.4	6.6	6.7
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	4.1	5.5	6.7	4.0	5.6	5.4	4.0	5.5	6.0
अन्य मूल्य सूचकांक	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)									
सभी पण्य वस्तुएँ	**5.2**	**1.3**	**-3.7**	**1.7**	**2.9**	**4.3**	**1.7**	**1.3**	**13.0**
प्राथमिक वस्तुएं	9.8	2.2	-0.4	3.4	1.4	2.7	6.8	1.7	10.2
जिनमें से : खाद्य वस्तुएं	12.3	5.6	2.6	4.0	2.1	0.3	8.4	3.2	4.1
ईंधन और ऊर्जा	7.1	-6.1	-19.7	-0.3	8.2	11.5	-1.8	-8.0	32.8
विनिर्मित उत्पाद	3.0	2.6	-1.8	1.3	2.7	3.7	0.3	2.8	11.0
खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद	2.7	2.7	-1.8	-0.1	3.0	4.2	-0.4	2.2	10.9
2. सीपीआई - औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)*	**9.7**	**6.3**	**5.6**	**4.1**	**3.1**	**5.4**	**7.5**	**5.0**	**5.1**
जिनमें से : सीपीआई- आईडब्ल्यू खाद्यान्न	12.3	6.5	6.1	4.4	1.5	0.6	7.4	5.8	4.7
3. सीपीआई - कृषि श्रमिक (1986-87=100)	**11.6**	**6.6**	**4.4**	**4.2**	**2.2**	**2.1**	**8.0**	**5.5**	**4.0**
4. सीपीआई - ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	**11.5**	**6.9**	**4.6**	**4.2**	**2.3**	**2.2**	**7.7**	**5.5**	**4.2**
मुद्रा और ऋण									
	2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17^**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22^^**
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	**14.4**	**11.3**	**13.1**	**-12.9**	**27.3**	**14.5**	**9.4**	**18.8**	**12.3**
संचलन में मुद्रा	9.2	11.3	14.9	-19.7	37.0	16.8	14.5	16.6	9.7
आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	34.0	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4	-9.6	28.5	25.3
मुद्रा - जीडीपी अनुपात$	11.6	11.6	12.1	8.7	10.7	11.3	12.2	14.4	13.7
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	**8.5**	**11.3**	**13.5**	**-3.9**	**21.8**	**13.6**	**11.2**	**16.2**	**10.5**
व्यापक मुद्रा (एम3)	**13.4**	**10.9**	**10.1**	**6.9**	**9.2**	**10.5**	**8.9**	**12.2**	**8.7**
मुद्रा - जमा अनुपात	15.1	15.2	16.0	11.0	14.4	15.4	16.3	17.2	17.5
मुद्रा गुणांक (अनुपात)	5.5	5.5	5.3	6.7	5.8	5.6	5.5	5.2	5.2
जीडीपी-एम3 अनुपात$	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियां	14.1	10.7	9.3	11.3	6.2	10.0	7.9	11.4	8.9
बैंक ऋण	13.9	9.0	10.9	4.5	10.0	13.3	6.1	5.6	9.6
खाद्येतर ऋण	14.2	9.3	10.9	5.2	10.2	13.4	6.1	5.5	9.7
ऋण- जमा अनुपात	77.8	76.6	77.7	72.9	75.5	77.7	76.4	72.4	72.2
ऋण- जीडीपी अनुपात$	53.4	52.4	52.6	50.9	50.5	51.7	51.7	55.3	52.1

: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार 2012=100 है।
.... : आवास के लिए ग्रामीण सीपीआई को समेकित नहीं किया गया है।
* : सीपीआई-आईडबल्यू के लिए आधार अगस्त 2020 तक 2001=100 है और सितंबर 2020 से 2016=100 है।
^ : 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2016 से अधिक, आरएम और इसके घटकों को छोड़कर।
^^ : कालम 10 के आंकड़े 25 मार्च 2022 से संबंधित हैं।
$: इस सारणी में प्रयुक्त जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार पर हैं, जो नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं। जीडीपी से आशय वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी से है।
$$: प्रतिशत में व्यक्त नहीं है।

टिप्पणी: 1. अनकड़े प्रतिशत में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन को दर्शाते हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
2. अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त नहीं किया गया है।

स्रोत: आरबीआई, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

परिशिष्ट सारणी 5: पूंजी बाजार – प्राथमिक एवं द्वितीयक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21		2021-22 (अ)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाज़ार				
ए. सार्वजनिक एवं अधिकार निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (ए+बी)	**90**	**1,07,867.9**	**192**	**1,50,483.6**
ए) वित्तीय	26	31,395.9	36	24,477.4
बी) गैर-वित्तीय	64	76,472.0	156	1,26,006.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+बी+सी)	**5**	**12,485.2**	**…**	**…**
ए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2	1,262.9	…	…
बी) सरकारी कंपनियाँ	…	…	…	…
सी) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	3	11,222.3	…	…
3. कुल (1+2, i+ii, ए+बी)	**95**	**1,20,353.1**	**192**	**1,50,483.6**
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	78	1,10,118.3	164	1,38,894.2
(ii) कर्ज	17	10,234.8	28	11,589.4
निर्गमकर्ता के प्रकार				
(ए) आईपीओ.	55	31,029.7	120	1,12,552.5
(बी) सूचीबद्ध	40	89,323.4	72	37,931.2
बी. यूरो निर्गम (एडीआर एवं जीडीआर.)	**…**	**…**	**…**	**…**
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (ए+ बी)	**1,778**	**4,39,420.8**	**1,323**	**4,09,475.1**
ए) वित्तीय	1,481	2,82,705.3	1,055	3,01,948.8
बी) गैर-वित्तीय	297	1,56,715.5	268	1,07,526.3
2. सार्वजनिक क्षेत्र (ए+ बी)	**264**	**3,91,768.9**	**158**	**2,17,723.1**
ए) वित्तीय	174	2,61,055.9	110	1,63,336.2
बी) गैर-वित्तीय	90	1,30,713.0	48	54,386.9
3. कुल (1+2, i+ii)	**2,042**	**8,31,189.7**	**1,481**	**6,27,198.2**
(i) इक्विटी	30	74,738.4	29	31,438.5
(ii) कर्ज	2,012	7,56,451.2	1,452	5,95,759.8
डी. अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन	**31**	**82,423.6**	**29**	**31,438.5**
ई. म्यूचुअल फंड संग्रहण (निवल)#		**2,14,743.0**		**2,46,729.6**
1. निजी क्षेत्र		1,42,377.9		1,48,286.9
2. सार्वजनिक क्षेत्र		72,365.1		98,442.7
II. द्वितीयक बाज़ार				
बीएसई				
सेंसेक्स: समाप्ति-अवधि	49,509.2		58,568.5	
अवधि का औसत	40,826.4		55,774.6	
कीमत अर्जन अनुपात@	34.4		25.8	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	103.2		111.7	
नकदी खंड का कुल कारोबार		10,45,089.5		13,38,225.3
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		3,50,60,169.0		6,60,78,327.8
एनएसई				
निफ्टी 50: समाप्ति-अवधि	14,690.7		17,464.8	
अवधि का औसत	12,016.9		16,662.7	
कीमत अर्जन अनुपात@	33.2		22.9	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाज़ार पूंजीकरण (%)	102.5		110.7	
नकदी खंड का कुल कारोबार		1,53,97,908.2		1,65,66,257.4
इक्विटी व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		64,36,18,108.1		1,69,52,33,134.5

…: शून्य अ: अनंतिम (2021-22 के लिए) #: निवल मोचन @अवधि के अंत में

टिप्पणी: कॉलम में दिए गए अंकों को संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कुल योग में जोड़ा नहीं गया है।

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई, विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ @	बकाया देयताएँ $
1	2	3	4	5	6	7
			केंद्र			
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.5
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.3	49.5
2018-19	0.4	2.4	-0.7	3.4	48.5	49.6
2019-20	1.6	3.3	0.3	4.7	51.6	52.8
2020-21	5.7	7.3	3.9	9.2	61.7	62.8
2021-22 (सं.अ.)#	3.3	4.6	1.2	6.7	58.1	58.9
2022-23 (ब.अ.)	2.8	3.8	0.2	6.4	59.5	60.2
			राज्य*			
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.8	0.7	-1.1	2.6	20.8	20.8
2000-01	1.8	2.5	0.1	4.2	28.1	28.1
2009-10	1.2	0.4	-1.4	3.0	26.4	26.4
2010-11	0.4	-0.2	-1.8	2.1	24.4	24.4
2011-12	0.4	-0.3	-1.9	2.0	23.2	23.2
2012-13	0.4	-0.3	-1.8	2.0	22.6	22.6
2013-14	0.7	0.0	-1.5	2.2	22.3	22.3
2014-15	1.1	0.3	-1.2	2.6	22.0	22.0
2015-16	1.5	0.0	-1.6	3.0	23.7	23.7
2016-17	1.8	0.2	-1.4	3.5	25.1	25.1
2017-18	0.7	0.1	-1.6	2.4	25.1	25.1
2018-19	0.8	0.1	-1.6	2.4	25.3	25.3
2019-20	0.9	0.6	-1.1	2.6	26.7	26.7
2020-21 (अं.ले.)	2.4	1.7	0.0	4.2	31.1	31.1
2021-22 (ब.अ.)	1.6	0.5	-1.4	3.5	29.4	29.4
2022-23 (ब.अ.)	…	…	…	…	…	…

… : उपलब्ध नहीं सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान अ.ले.: अनंतिम लेखा

@ : इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

$: इसमें केंद्र की बाह्य देयताएँ शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के आधार पर, वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग की जानेवाली जीडीपी नवीनतम उपलब्ध द्वितीय अग्रिम अनुमान है। इसे देखते हुए, इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय संकेतक केंद्रीय बजट दस्तावेज़ों में रिपोर्ट किए गए राजकोषीय संकेतकों से कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं।

* : नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास उपलब्ध 26 राज्यों के वर्ष 2020-21 अनंतिम खाता (पीए) के आंकड़े; और शेष 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बीई। संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्यों का प्राथमिक राजस्व घाटा और बकाया देनदारियां।

टिप्पणी: 1. ऋणात्मक चिह्न (-) घाटा संकेतकों में अधिशेष का सूचक है।

2. इस सारणी में दिये गए जीडीपी आंकड़े वर्ष 2011-12 के नये आधार वर्ष पर आधारित हैं, जो कि नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं।

3. कॉलम 6 और 7 संबंधित वर्षों के मार्च के अंत तक के बकाया आंकड़े हैं।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़, सरकारी कर्ज संबंधी स्थित पत्र और लोक ऋण प्रबंधन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	4,266	4,516	5,041	5,411	6,524	7,161
1.1 विकासात्मक	2,538	2,635	2,883	3,074	3,906	4,254
1.1.1 राजस्व	1,878	2,029	2,224	2,447	3,259	3,242
1.1.2 पूंजी	501	519	597	588	636	923
1.1.3 ऋण	158	87	62	40	11	89
1.2 विकासेतर	1,673	1,812	2,078	2,253	2,527	2,811
1.2.1 राजस्व	1,555	1,741	1,966	2,110	2,335	2,602
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	724	815	895	956	1,082	1,244
1.2.2 पूंजी	116	69	111	141	189	177
1.2.3 ऋण	2	2	1	2	2	31
1.3 अन्य	55	68	80	83	91	96
2 कुल प्राप्तियाँ	4,288	4,528	5,023	5,734	6,490	7,039
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	3,132	3,376	3,798	3,852	3,834	4,682
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	2,622	2,978	3,279	3,232	3,176	3,830
2.1.1.1 पण्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,652	1,854	2,030	2,013	2,101	2,515
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	966	1,121	1,246	1,216	1,072	1,311
2.1.1.3 केंद्र शासित प्रदेश (बिना विधान-मण्डल के) के कर	4	3	3	3	3	4
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	510	398	519	620	659	852
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	33	34	36	31	40	33
2.2 कर्जेतर पूंजी प्राप्तियाँ	69	142	140	110	55	201
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	21	42	45	60	21	20
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	48	100	96	51	34	182
3 सकल राजकोषीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	1,065	997	1,103	1,449	2,635	2,278
3ए वित्तपोषण के स्रोतः संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	1,047	989	1,097	1,441	2,580	2,276
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617	145	387	572	890	…
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	196	-145	326	190	107	…
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	430	844	710	869	1,690	…
3ए.2 बाह्य वित्तपोषण	18	8	6	9	55	2
3बी वित्तपोषण के स्रोतः लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	1,047	989	1,097	1,441	2,580	2,276
3 बी.1.1 बाजार उधार (निवल)	690	795	796	971	1,778	1,621
3 बी.1.2 लघु बचत (निवल)	35	71	89	209	456	368
3 बी.1.3 राज्य भविष्य निधियाँ (निवल)	46	42	51	38	47	46
3 बी.1.4 आरक्षित निधियाँ	-6	18	-18	10	-3	5
3 बी.1.5 जमाराशि और अग्रिम	18	25	66	-14	29	29
3 बी.1.6 नकदी शेष	-22	-12	17	-323	34	122
3 बी.1.7 अन्य	287	50	96	549	240	86
3 बी.2 बाह्य वित्तपोषण	18	8	6	9	55	2
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	27.7	26.4	26.7	27.0	32.9	32.1
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	27.9	26.5	26.6	28.6	32.8	31.6
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	20.3	19.8	20.1	19.2	19.4	21.0
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	17.0	17.4	17.3	16.1	16.0	17.2
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.9	5.8	5.8	7.2	13.3	10.2

…: उपलब्ध नहीं सं.अ.- संशोधित अनुमान ब.अ.- बज़ट अनुमान

टिप्पणी : 1. जीडीपी के आंकड़े वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं।

2. सभी राज्यों द्वारा अपना अंतिम बजट पेश करने के बाद सामान्य सरकारी राजकोषीय आंकड़ों का संशोधन अक्टूबर के महीने में किया जाएगा और उन्हें आरबीआई द्वारा अपने वार्षिक प्रकाशन- 'राज्य वित्त: बजट अध्ययन' के माध्यम से सारणीबद्ध, समेकित और प्रसारित किया जाता है। तदनुसार, जीडीपी में संशोधन के कारण जीडीपी के अनुपात के रूप में राजकोषीय संकेतकों का कोई भी संशोधन उसी समय किया जाएगा।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अ)
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1 निर्यात, एफ़.ओ.बी.	3,08,970	3,37,237	3,20,431	2,96,300	3,11,191
2 आयात, सी.आई.एफ़.	4,69,006	5,17,519	4,77,937	3,98,452	4,46,835
3 व्यापार संतुलन	-1,60,036	-1,80,283	-1,57,506	-1,02,152	-1,35,644
4 अदृश्य मदें, निवल	1,11,319	1,23,026	1,32,850	1,26,065	1,09,077
ए) 'गैर कारक' सेवाएँ *जिसमें से:*	77,562	81,941	84,922	88,565	79,203
सॉफ्टवेयर सेवाएँ	72,186	77,654	84,643	89,741	80,274
बी) आय	-28,681	-28,861	-27,281	-35,960	-29,441
सी) निजी अंतरण	62,949	70,601	76,217	74,439	59,880
5. चालू खाता शेष	-48,717	-57,256	-24,656	23,912	-26,567
बी. पूंजी खाता					
1. विदेशी निवेश, निवल (ए+बी)	52,401	30,094	44,417	80,092	24,947
ए) प्रत्यक्ष निवेश	30,286	30,712	43,013	43,955	26,509
बी) संविभाग निवेश	22,115	-618	1,403	36,137	-1,562
2 बाह्य सहायता, निवल	2,944	3,413	3,751	11,167	2,709
3 वाणिज्यिक उधारियाँ, निवल	-183	10,416	22,960	-134	4,863
4 अल्पावधि क्रेडिट, निवल	13,900	2,021	-1,026	-4,130	13,284
5 बैंकिंग पूंजी जिसमें से :	16,190	7,433	-5,315	-21,067	12,631
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	9,676	10,387	8,627	7,364	3,075
6 रुपया कर्ज़ सेवाएँ	-75	-31	-69	-64	-59
7 अन्य पूंजी, निवल&	6,213	1,057	18,462	-2,143	30,935
8 कुल पूंजी खाता	91,390	54,403	83,180	63,721	89,309
सी. भूल-चूक	902	-486	974	-347	782
डी. समग्र शेष [ए (5)+ बी (8)+सी]	43,574	-3,339	59,498	87,286	63,524
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (एफ+जी)	-43,574	3,339	-59,498	-87,286	-63,524
एफ. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. आरक्षित निधियाँ और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि, कमी+)	-43,574	3,339	-59,498	-87,286	-63,524
***जिसमें से:* एसडीआर आबंटन**	0	0	0	0	-17,862
मेमोः जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-6.0	-6.7	-5.6	-3.8	-5.9
2. निवल सेवाएं	2.9	3.0	3.0	3.3	3.4
3. निवल आय	-1.1	-1.1	-1.0	-1.3	-1.3
4. चालू खाता शेष	-1.8	-2.1	-0.9	0.9	-1.2
5. पूंजी खाता, निवल	3.4	2.0	2.9	2.4	3.9
6. विदेशी निवेश, निवल	2.0	1.1	1.6	3.0	1.1

अ : स्तंभ 6 में डेटा अनंतिम हैं और अप्रैल-दिसंबर 2021 से संबंधित हैं।

& : इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियाँ और एफडीआई के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामले।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोने तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्तियों में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों से भिन्न हैं, जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत : आरबीआई

परिशिष्ट सारणी 9 : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

स्रोत/उद्योग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अ)
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	**44.9**	**44.4**	**50.0**	**59.6**	**58.8**
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	12.2	16.2	14.7	17.4	15.9
यूएस	2.1	3.1	4.1	13.8	10.5
मॉरीशस	15.9	8.1	8.2	5.6	9.4
नीदरलैंड	2.8	3.9	6.5	2.8	4.6
स्विट्ज़रलैंड	0.5	0.3	0.2	0.2	4.3
केमैन द्वीप	1.2	1.0	3.7	2.8	3.8
यूके	0.8	1.4	1.3	2.0	1.6
जापान	1.6	3.0	3.2	1.9	1.5
संयुक्त अरब अमीरात	1.0	0.9	0.3	4.2	1.0
जर्मनी	1.1	0.9	0.5	0.7	0.7
कनाडा	0.3	0.6	0.2	0.0	0.5
लक्समबर्ग	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
थाईलैंड	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5
फ्रांस	0.5	0.4	1.9	1.3	0.3
डेनमार्क	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
अन्य	4.2	4.2	4.7	6.3	3.1
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9.0	9.6	9.6	9.3	16.3
कम्प्यूटर सेवाएँ	3.4	3.7	5.1	23.8	9.0
संचार सेवाएँ	9.1	6.5	7.8	2.9	6.4
फुटकर व थोक व्यापार	4.6	4.9	5.1	3.9	5.1
वित्तीय सेवाएँ	4.6	7.2	5.7	3.5	4.7
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	0.4	0.9	0.8	1.3	3.6
परिवहन	2.5	1.2	2.4	7.9	3.3
निर्माण	2.8	2.3	2.0	1.8	3.2
कारोबार सेवाएँ	3.3	2.8	3.8	1.8	2.5
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, संवितरण एवं संचरण	2.8	2.6	2.8	1.3	2.2
विविध सेवाएँ	0.9	1.4	1.1	0.9	1.0
रेस्तरां व होटल	0.5	0.8	2.7	0.3	0.7
खनन	0.1	0.3	0.3	0.2	0.4
स्थावर-संपदा गतिविधियां	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1
व्यापार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अन्य	0.3	0.1	0.2	0.2	0.4

अ: अनंतिम
टिप्पणी: अनुमोदन स्वचालित और मौजूदा शेयर मार्ग से अधिग्रहण के माध्यम से आने वाली एफडीआई शामिल है।
स्रोत: आरबीआई

स्वामित्व: भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई
जंग बहादुर सिंह, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 001 की ओर से मुद्रित व प्रकाशित
तथा ऐक्मे पैक्स एंड प्रिंट्स (इं) प्रा. लिमि., ए-विंग, गाला नं. 73, विरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरेगाँव-पूर्व, मुंबई-400 063 में मुद्रित।

Owner: Reserve Bank of India, Mumbai
Printed and Published by Jang Bahadur Singh, Director on behalf of the Reserve Bank of India, Shahid Bhagat Singh Road,
Fort, Mumbai – 400 001 and Printed at ACME Packs & Prints (I) Pvt. Ltd.,
A Wing, Gala No.73, Virwani Industrial Estate, Goregaon - East, Mumbai - 400 063.